राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी–जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

महिला सशक्तीकरण : उज्जवल भविष्य, काले धब्बे

❑ प्रोफेसर ए.आर.एन. श्रीवास्तव

आज के समय हर जगह गांव, कस्बे, नगर, महानगर में महिला सशक्तीकरण की चर्चा आम बात हो गई है किन्तु इसकी वास्तविकता क्या है, बहुत कम लोग समझ पाये हैं। प्रस्तुत लेख में शास्त्रीय ढंग से यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारतीय महिला जीवन पर सशक्तीपरक कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है? सशक्तीकरण प्रक्रिया की दिशा और दशा क्या रही है? निःसंदेह पिछले दशकों की तुलना में आज महिलाओं का सशक्तीकरण उज्जवल है तथापि इस पर कुछ काले धब्बे हैं जो अवश्य ही चिंतित कर देते हैं। मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के प्रख्यात मनीषी प्रोफेसर ए.आर.एन. श्रीवास्तव का प्रस्तुत तथ्यपरक विश्लेषणात्मक शोधपरक लेख महिला सशक्तीकरण के अध्ययन, विश्लेषण एवं शोध की दृष्टि से अतिशय मार्गदर्शक है, शोध अध्येता इससे अवश्य लाभान्वित होंगे।

महिला सशक्तीकरण क्या है : बोलचाल की भाषा में अपनाये गये किसी शब्द का वही आशय होता है जो शब्दकोष में रहता है। कोष्ठक (इन्वर्टेड कामाज) में लिखे हुए शब्द का अर्थ संकुचित होता है। महिला सशक्तीकरण का सीधा अर्थ है, 'महिलाओं में स्वतंत्रता, स्वावलंम्बन एवं सम्पन्नता'। देश के सांस्कृतिक-राजनीति परिवेश में महिला-पुरूष के बीच गैर प्राकृतिक/दैहिक दूरी स्त्री-पुरूष के बीच विषमता का परिचायक होती है। इसे जेण्डर गैप कहा गया है। सशक्तीकरण का आशय यही है। यह यूनेस्को द्वारा प्रेरित और पोषित है।

शास्त्रीय पृष्टभूमि : महिला सशक्तीकरण अध्ययन लगभग चार दशक पुराना है। इस अध्ययन की एक धारणा एवं मान्यता यह है कि विकासीय दौर के आरंभ से ही मानव समाज में पुरूषों का वर्चस्व रहा है। पुरूष-स्त्री के बीच प्राणीशास्त्रीय अथवा प्राकृतिक विभेदन की अपेक्षा सांस्कृतिक विभेदन का पक्ष प्रबल रहा है। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक विषमता प्राकृतिक यौन विभेदीकरण का प्रतिफल है। अति संक्षेप में ''हम औरत हैं, हमारी चाह सीमित है।'' यह सार्वभौमिक मान्यता है।

हमारी सोच स्थिर नहीं होती है अपितु परिवर्तित होती रहती है। पद्धतिशास्त्र की भाषा में यह सोच पूर्व अनुभवों से नियंत्रित होती है। शोधार्थी इस सोच को उपकल्पना के कथन में व्यक्त करते हैं। उपलब्ध प्रमाणिक तथ्यों/आंकड़ों के आधार पर इसकी पुष्टि (स्वीकार/अस्वीकार) की जाती है। देश में विगत चालीस वर्षों से चल रही सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समयोत्तर वृद्धि हो रही है तथा महिला जीवन का कुछ पक्ष यथावत अथवा प्रभावहीन रहा है जैसे जनसंख्या का एक पक्ष लिंगानुपात, जिसका सीधा संबंध आर्थिकी और स्वास्थ्य से संबंधित पक्षों से हैं, से त्रस्त है। यह जैण्डर गैप को बढ़ा रहा है।

उद्देश्य : हमारा प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तीकरण की पहचान और उन्हें परखना। परखने या परीक्षण के घटक या चर (Variables) तुलना योग्य हों। इससे प्राप्त निष्कर्ष उपयोगी होगा यह बताना हमारा उद्देश्य है।

संक्षिप्त इतिहास : भूमण्डलीकरण के दौर में महिला सशक्तीकरण का जो स्वरूप दिखाई देता है उसका प्रारंभ २०वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका में हुआ था। १६०८ में अमरीकी कार्यकारी महिलाओं ने (पुरूषों की भांति) लाभान्वित होने के लिए संगठित रूप से आवाज उठाई। कुछेक वर्षों के बाद इसका फैलाव योरोपीय देशों में हो गया। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद औपनिवेशित देशों मे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसमें तेजी आ गई। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने १६७५ की ८वीं मार्च को महिला दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निश्चित समयावधि में लक्ष्यपरक कार्यक्रमों का मसौदा तैयार कर विकासशील देशों (तीसरी दुनिया) में पहुंचाया। उन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। भारत ने अपने सांस्कृतिक-राजनीतिक परिवेश के अनुकूल सशक्तीकरण कार्यक्रमों को भी पंचवर्षीय योजना में प्रश्रय दिया। तब से सशक्तीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती गई है।

सशक्तीकरण पहचान का पैमाना : अमेरिका की एक प्रसिद्ध शोध संस्था वर्ल्ड इकॅानामिक फोरम के अनुसार महिला

❑ **सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.)**
(यह आलेख लेखक के पूर्व व्याख्यानों पर आधारित है। व्याख्यान श्रृंखला डॉ. जहाँआरा, विभागाध्यक्ष कृषि प्रसार शिक्षा विभाग शियाट्स, नैनी इलाहाबाद द्वारा नवम्बर २०१६-मार्च २०१७ के बीच आयोजित की गई थी। लेखक उनके प्रति आभारी है।)

सशक्तीकरण की पहचान और परख आर्थिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका से की जा सकती है। **इन चार घटकों** को यूनेस्कों ने सशक्तीकरण के चार स्तंभ बताया है। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि किस देश में महिला विषमता कितनी है और अन्य देशों की तुलना में उसका स्थान क्या है? उपर्युक्त चार क्षेत्रों में प्रत्येक में कितनी दूरी है। कोई देश किसी एक क्षेत्र (आर्थिक अथवा अन्य) में पिछड़ा होते हुए भी दूसरे क्षेत्र (शिक्षा, राजनीति आदि) में आगे हो सकता है। इसी आधार पर उसकी रैंकिंग की जाती है।

पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी डब्ल्यू.ई.एफ. के प्रतिवेदन (२०१६) के अनुसार १४४ देशों में किए गये सर्वेक्षण में भारत का रैंक ८७वां था। इससे पूर्व वर्ष (२०१५) में भारत १०८वें पायदान पर था। अर्थात् एक ही वर्ष के अंतराल में यह वृद्धि सशक्तीकरण को प्रखर बना देती है। स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय महिलाओं ने मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में महिला जीवन के सभी पक्षों में समानता अथवा संतुलन रहा है। डब्ल्यू. ई.एफ. प्रतिवेदन २०१६ में भारत की स्थिति को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका १

विश्व महिला सशक्तीकरण में भारत का रैंक

क्षेत्र	२००६	२०१६
आर्थिक	११०	१३६
शिक्षा	११२	११३
स्वास्थ्य	१०३	१४२
राजनीति	२०	००६
समग्र रैंक	६५	८७
कुल देश	११५	१४४

तालिका १ के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्लोबल जेण्डर इन्डेवन्स के केवल एक क्षेत्र (राजनीति) को छोड़कर भारत अन्य देशों के बीच बेहद पिछड़ा है।

विकासशील देशों में सशक्तीकरण मापने का एक दूसरा स्त्रोत है - मानव विकास सूचकांक। इसके चर/घटक तीन हैं। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिव्यक्ति आय। एक सुनिश्चित सांख्यिकी प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक पर अंक प्रदान कर औसत सूचकांक प्राप्त किया जाता है। भारतीय परिवेश में सशक्तीकरण के आधारभूत घटकों की परख एच.डी.आई. से नहीं होती है तथापि मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में जेण्डर गैप बताया जा सकता है इसका उल्लेख प्रस्तुत लेख में नहीं किया गया हैं

सशक्तीकरण पैमाने का स्वदेशीकरण : यूनेस्कों के दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक प्रखर सशक्तीकरण नीति के तहत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इसका प्रभाव निम्न क्षेत्रों में देखा गया है। इन्हें सशक्तीकरण की पहचान अथवा पैमाना कहा जा सकता है।

१. शिक्षा के क्षेत्र में महिला-पुरूषअसमानता/विषमता की पहचान
२. पारिवाकर-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में महिला स्वावलम्बन/निर्णय की क्षमता में वृद्धि।
३. पुनरूत्पादक स्वास्थ्य गुणवत्तायुक्त हो यथा संतुलित लिंगानुपात और जन्म प्रत्याशा में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा मृत्युदर में कमी।
४. परिवार नियोजन कार्यक्रमों में अधिक गहनता जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जा सके।
५. महिला यौन शोषण एवं घरेलू हिंसा में जीरो टालरेन्स करना।
६. राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का समानुपातिक प्रतिनिधित्व

उपर्युक्त घटकों पर सामाजिक आंकड़ों का विश्लेषण करके महिला सशक्तीकरण की दशा और दिशा निरूपित करना हमारा मूल उद्देश्य है।

सीमाएं : उपर्युक्त शास्त्रीय सामान्यीकरण देश के औसत आंकड़ों पर आधारित है। अतः प्राप्त निष्कर्षों को सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राज्य, क्षेत्र (ग्रामीण/नगरीय) की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है तथापि कुछ समानताएं अवश्य हैं।

आंकड़ों के स्त्रोत : आंकड़ों के स्त्रोत निम्नलिखित हैं।

१. भारत की जनगणना
२. सैम्पल रिफलेक्शन प्रणाली
३. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

उपर्युक्त स्त्रोतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लेख के अंत में दी गई है। (देखिए पाद टिप्पणी ३ से ५)

आंकड़ों का विश्लेषण : सर्वप्रथम देश में जनांकिकी पक्ष पर विचार करेंगे। इसी से महिला पक्ष उजागर होगा।

जनांकिकी पहलू : मूर्धन्य विशेषज्ञों ने प्रमाणिकता से जनसंख्या का जनांकिकी पक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ हम लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, प्रजनन, मृत्यु दर पर विचार करेंगे। जनांकिकी का यह पक्ष बायोलॉजी से जुड़ा है तथापि इसमें कमी अथवा वृद्धि का कारण भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरण भी होता है अर्थात् जनांकिकी में संस्कृति और बायोलॉजी दोनों सम्मिलित हैं।

लिंगानुपात : प्रति १००० पुरूषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। आयु के आधार पर लिंगानुपात को दो श्रेणियों में दर्शाया जाता है : सामान्य लिंगानुपात तथा बाल लिंगानुपात। सामान्य लिंगानुपात में सभी आयु वाले सम्मिलित होते हैं जबकि बाल लिंगानुपात के अंतर्गत केवल ५ वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित किये जाते हैं। इसे तालिका २ में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका २

भारत में लिंगानुपात

गणना वर्ष	सामान्य लिगानुपात	बाल लिंगानुपात
१९७१	९३०	९६४
१९८१	९३४	९६२
१९९१	९२७	९४५
२००१	९३३	९३३
२०११	९४३	९१९

स्त्रोत भारत की जनगणना २०११

प्रजनन विशेषज्ञों के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या में महिला-पुरूष के बीच अनुपात ९९५ से १००५ के मध्य होना चाहिए। साथ ही समान्य लिंगानुपात की अपेक्षा बाल लिंगानुपात की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। तालिका २ में दर्शायी गई दरों का तुलनात्मक विश्लेषण स्पष्ट करता है कि देश में सामान्य की अपेक्षा बाल महिलाओं की स्थिति १९७१-२००१ के बीच थोड़ी अच्छी रही किनतु इसके बाद के वर्षों में गिरावट आ गई।

सामान्य और बाल लिंगानुपात की स्थिति देश के विभिन्न राज्यों में एक जैसी नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े चौकाने वाले हैं।

इस संबंध में NFHS-3 (२००५-०६) और NFHS-4 (२०१५-१६) के आंकड़े अवलोकनीय हैं। २०१५-१६ में असम की शहरी जनसंख्या में प्रति १००० पुरूषों पर औसत लिंगानुपात ९९६ था किन्तु बाल लिंगानुपात मात्र ७६४ था। थोड़ी बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल की शहरी जनसंख्या में देखी गई। यहां बाल लिंगानुपात औसत (९९१) की अपेक्षा ९०२ आंकी गई अर्थात् असम से बेहतर फिर भी औसत से काफी नीचे।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम का प्रारंभ हरियाणा से हुआ किन्तु यहां औसत शहरी लिंगानुपात ८४६ लेकिन बाल लिंगानुपात मात्र ७८५ था। हरियाणा में वर्ष २०००-२००१ से २००५-०६ में स्थिति बेहद चिन्ताजनक थी। इस अवधि में ७६२ से ८४६ तक पहुंच गया था।

चण्डीगढ की स्थिति अपने आप में अनूठी है। यहां औसत लिंगानुपात ९३४ है किंतु बाल लिंगानुपात मात्र ९८१ है। महाराष्ट्र की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात ८६७ से ९२४ तक की वृद्धि देखी गई जबकि शहरी बाल लिंगानुपात ९२० था।

उपर्युक्त सभी राज्यों की प्रजनन तथा स्वास्थ्य जनक सुविधाओं के बावजूद पिछले २० वर्षों में लिंगनुपात गैर आनुपातिक ढंग का रहा है।

यहां यह तथ्य विचारणीय है कि देश की जनांकिकी में प्रजनन संबंधी अन्य मामले संतोषजनक रहे हैं। तालिका ३ में देश की प्रजनन दर अवलोकनीय है।

तालिका ३

कुल प्रजनन दर

सैम्पल सर्वे	दर (प्रति १००० महिलाओं पर जीवित शिशुओं की संख्या)
NFHS-1	3.4
NFHS-2	2.9
NFHS-3	2.7
NFHS-4	2.2

स्त्रोत देखिए पाद टिप्पणी - ७

प्रजनन के मामले में उपर्युक्त आंकड़े महिला सशक्तीकरण की उत्तरोत्तर वृद्धि दर्शाते हैं।

विवाह और प्रजनन : विवाह और प्रजनन दोनों में गहरा संबंध है। कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं की अपेक्षा अधिक आयु में विवाह करने वाली महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ रहती हैं यह उनके सशक्तीकरण का परिचायक है। तालिका ४ में इसे प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका ४

विवाह और प्रजनन

मद	२००५-०६	२०१५-१६	अनतराल
२०-२४ आयु समूह १८ वर्ष से कम आयु में विवाहित महिला	४७.४	२६.८	२०.६
२५-४९ आयु समूह २० वर्ष के बाद विवाहित महिला	३२.३	२६.८	५.५
१५-४९ आयु समूह की महिलाएं जो			
पारंपरिक परिवार नियोजन अपनाती है	५६.३	५३.५	२.६
आधुनिक नियोजन विधि अपनाती हैं	४८.५	४७.५	१.०

बंध्याकृत महिलाएं	३७.३	३६.००	१.३
परिवार नियोजन आवश्यक है	१३.६	१२.६	१.०

स्त्रोत NFHS-3 और NFHS-4

उपर्युक्त तालिका के आंकड़े महिला सशक्तीकरण की प्रखर स्थिति दर्शाते हैं।

मृत्युदर और महिला सशक्तीकरण : पिछले चार दशकों में मृत्युदर संबंधी आंकड़े महिला सशक्तीकरण में वृद्धि के संकेत देते हैं। तालिका ५ इस संबंध में अवलोकनीय है।

तालिका ५

शिशु/बाल मृत्युदर और महिला सशक्तीकरण

सर्वेक्षण	शिशु मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर
NFHS-1	79	109
NFHS-2	68	96
NFHS-3	57	74
NFHS-4	41	50

स्त्रोत NFHS देखिए पाद टिप्पणी - ८

तालिका से स्पष्ट होता है कि एक वर्ष और पांच वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर में (प्रति १००० जीवित जन्में बच्चों में) समयोत्तर कमी आ रही हैं यह महिला सशक्तीकरण का सकारात्मक पक्ष है। मर्त्यता (Mortality) के संदर्भ में जनगणना विभाग की एस.आर.एस. प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर ध्यान देने योग्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे में मातृत्व मृत्यु दरों पर आंकड़े अनुपलब्ध हैं। अतएव तालिका ६ में एस.आर.एस. द्वारा प्राप्त आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका ६

एस.आर.एस. पर आधारित मातृत्व मृत्यु दर

वर्ष	मातृत्व मृत्युदर	बाल मृत्यु दर
२००७	२१७	
२०१०-१२	१७८	
२०११		४७
२०१२		४३
२०१३		४२

देश का औसत २०१४ = ३६, २०१५ = ३७

उपर्युक्त आंकड़े देश की औसत मातृत्व मृत्यु दर को स्पष्ट करते हैं। अन्य राज्यों में स्थिति भिन्न है। केरल, तमिलनाडु की मातृत्व मृत्यु दर क्रमशः ६६, ६० है जबकि असम में ३६० (२००७-०९) जो २०१०-१२ में १७८ पर आ गया। यह बेहतर स्थिति है।

उपर्युक्त तालिका ६ में शिशु मृत्यु दर पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई है। यह दर बाल मृत्यु दर में ही समाहित है। यदि इसका आंकलन पृथक से किया जाये तो स्थिति इस प्रकार हैः-

तालिका

चयनित राज्यों में शिशु मृत्यु दर (०-११ महीने)

राज्य	२०१४	२०१५	गिरावट
केरल	१२	१२	०
दिल्ली	२०	१८	२
तमिलनाडु	२०	१६	१
महाराष्ट्र	२२	२२	०
पंजाब	२४	२३	१
जम्मू एवं कश्मीर	३४	२६	८
देश का औसत	३६	३७	२

स्त्रोत एस.आर.एस. रिपोर्ट पाद टिप्पणी - ५

यह चौंकाने वाला तथ्य है कि अस्थिर कहे जाने वाले जम्मू व कश्मीर राज्य की महिला स्वास्थ्य स्थिति सबसे अच्छी रही है। देश की अन्य महिलाओं को कश्मीरी महिलाओं से सबक सीखना चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के त्रिस्तरीय कार्यक्रमों भरभूर लाभ लिया जाय।

उपर्युक्त तीनों तालिकाओं (५, ६ और ७) का तुलनात्मक विश्लेषण बताता है कि महिला स्वास्थ्य की दिशा में औसत उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथापि विभिन्न राज्यों में स्थिति भिन्न-भिन्न है। एम.डी.जी.एस. के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार कई राज्य निर्धारित लक्ष्य (२८) पूरा नहीं कर सके हैं।

भारत में जीवन प्रत्याशा : जन्म के समय अतिरिक्त वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता जीवन प्रत्याशा कही जाती है (देखें पाद टिप्पणी -६)। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारतीय जनगणना (एस.आर.एस.) के अनुसार भारतवासियों की जीवन प्रत्याशा २०१०-१४ में ६७.६ वर्ष थी जो पूर्व (२००२-२००६) में ६३.५ वर्ष थी। इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों की स्थिति असम (६३.६ वर्ष) केरल (७४.६ वर्ष) आंकी गई है। वर्तमान (२०१५) में ६८.३५ वर्ष है। हाल के आंकड़ों ने जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य को देश के पहले पायदान पर ला दिया है।

सारणी ८

नौ राज्यों की जीवन प्रत्याशा

राज्य	पुरूष	महिला	कुल
आन्ध्र प्रदेश	६६.३	७०.८	६८.५
देहली	७२.०	७४.७	७३.२
हरियाणा	६६.३७	७१.३	६८.६

मध्य प्रदेश	६२.५	६६.०	६४.२
तमिलनाडु	६८.६	७२.७	७०.६
जम्मू-कश्मीर	७२.६	७२.७	७०.६
केरल	७२.०	७७.८	७४.६
उत्तर प्रदेश	६२.६	६५.४	६४.१
बिहार	६७.८	६८.४	६८.१
राष्ट्रीय स्तर	६४.४	६६.६	६७.६

महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाय तो औसतन महिला जीवन प्रत्याशा ६६.६ पुरूषों की ६४.४ की अपेक्षा काफी संतोषजनक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी के बावजूद महिलाओं में अधिक वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता है।

स्वास्थ्य सेवाएं और सशक्तीकरण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के त्रिस्तरीय कार्यक्रम है ASHA (Accredited Social health Activist), ANM (Auxillary Nurse Midwife) और AWW (Angan Wari Workers। इनके अतिरिक्त राज्य स्तर पर अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन सभी का मिलाजुला प्रभाव महिला सशक्तीकरण पर पड़ा है। इसे तालिका ६ एवं १० में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका ६

संस्थागत प्रसव की लाभार्थी (प्रतिशत में)

सर्वे	ग्रामीण	शहरी	कुल
NFHS-3	२६	६८	३६
NFHS-4	७५	८६	७६

स्त्रोत NFHS- (२००५-०६)और (२०१५-१६)

तालिका १०

पूर्ण टीकाकरण के लाभार्थी

(१२-२३ महीनों के शिशुओं का प्रतिशत)

सर्वे	ग्रामीण	शहरी	कुल
NFHS-3	३६	५८	४४
NFHS-4	६१	६४	५२

स्त्रोत NFHS- (२००५-०६) और (२०१५-१६)

स्पष्टतः दशक में महिला सशक्तीकरण में वृद्धि हुई है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गति थोड़ी कम है।

शिक्षा क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण : सामान्यतः शिक्षा के प्रति महिलाओं का रूझान बढ़ रहा है। पिछले तीन दशकों में गति तेज हो गई है। इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय शिक्षा मिशन १९८८ और सर्व शिक्षा अभियान २००१ के अंतर्गत राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम हैं। इन सभी का सम्मिलित प्रभाव महिला सशक्तीकरण पर पड़ा है। तालिका ११ में शिक्षा संबंधी आंकड़े प्रस्तुत हैं। (देखिए पाद टिप्पणी १०)

वर्ष	जेण्डर गैप	पुरूष	महिला
१९७१	२३.९६	४५.९६	२१.९७
१९८१	२६.६२	५६.३८	२९.७६
१९९१	२४.८४	६४.१३	३९.२९
२००१	२१.५९	७५.२६	५३.६७
२०११	१६.६८	८२.१४	६५.४६

स्त्रोत : भारत की जनगणना २०११

तालिका से स्पष्ट होता है कि थोड़े जेण्डर गैप में गिराव-उछाल के बावजूद १९७१ से २०११ तक औसतन शिक्षा दर में वृद्धि हो रही है। तालिका ११ की तुलना तालिका १२ से करने पर शिक्षा में प्रगति की स्थिति और भी स्पष्ट है।

तालिका १२

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति

मद	NFHS-3 (%)	NFHS-4 (%)
प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त महिला जनसंख्या (६ वर्ष से अधिक)	५८.३	६८.८
१० अथवा अधिक वर्षों तक औपचारिक शिक्षाशिक्षा प्राप्त १५-१९ वर्ष	२२.३	३५.७
१५-४९ आयु वाली शिक्षित महिलाएं	५५.१	६८.४
१५-४९ आयु वाले शिक्षित पुरूष	७८.१	८५.६

स्त्रोत एन.एफ.एच.एस. प्रतिवेदन २००६-२०१६

उपर्युक्त तालिका में सभी मदों पर प्रतिशतता में वृद्धि महिला सशक्तीकरण की दशा और दिशा को इंगित करती है।

आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण : यह विषय थोड़ा पेचीदा है क्योंकि अर्थव्यवस्था में महिला योगदान के मापन का तरीका एक जैसा नहीं है। भारत की जनगणना पुस्तिका में १९६१-१९७१ के दौरान श्रम और श्रमिकों की जो परिभाषा दी गई थी उसमें बाद के वर्षों में थोड़ा परिवर्तन लाया गया। महिला सहभागिता के संदर्भ में कार्य शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई थी। किसी भी उत्पादन कार्य में महिलाओं की सहभागिता चाहे पारिश्रमिक मिले या नहीं। इस परिभाषा में केवल वास्तविक कार्य ही सम्मिलित नहीं होता है अपितु सुपरवीजन और निर्देशन भी तथा कार्य पूर्णकालिक अथवा आंशिक भी हो सकता है।

तालिका १३ में महिला कार्य सहभागिता दर प्रतिशत में प्रस्तुत की गई है। इसमें पुरूष सहभागिता दर भी सांकेतिक है ताकि यह पता चल सके कि जैण्डर गैप क्या है तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की महिलाओं की कार्यशक्ति कितनी है। ध्यातव्य है कि यह १५-५६ आयु वाले मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक दोनों को मिलाकर औसत दर बताया गया है। इसे CWPR तथा Crude Work Population Rate कहा जाता है। (देखिए पाद टिप्पणी ११)

तालिका १३

महिला कार्य सहभागिता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	पुरूष	महिला	ग्रामीण महिला	शहरी महिला
१९८१	५२.६२	१६.६७	२३.१८	८.३२
१९९१	५१.६१	२२.२७	२६.६७	९.१७
२००१	५१.६८	२५.६३	३०.९८	११.१५
२०११	५३.३०	२५.५०	३०.००	१५.४०

स्त्रोत : Statistical Profile of India on Labour Force-2012-13.

उपर्युक्त प्रतिशत भारतीय जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। यहां दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है जो सशक्तीकरण की दिशा बताने में कारगर हों

१. १९८१ से अब तक पुरूष-महिला दरों में आंशिक वृद्धि हो रही है किन्तु जेण्डर गैप ५० प्रतिशत है।
२. ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति शहरी महिलाओं से दो गुनी है।

निःसंदेह आर्थिकी मामलों में शहरी महिलाएं पिछड़ी दिखती हैं तथापि उनकी शिक्षा दर ग्रामीण महिला से अधिक है।

देश के दो प्रदेशों (मणिपुर, मिजोरम) को छोड़कर शेष भारत की शहरी महिलाओं में सहभागिता दर १७ प्रतिशत से भी कम है। देश के तीन राज्यों (महाराष्ट्र, हिमाचल और सिक्किम) को छोड़ कर अन्य प्रदेशों का सहभागिता दर औसत राष्ट्रीय महिला दरसे नीचे है। दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है।

शिक्षा और आर्थिकी में घनिष्ठ संबंध बताया जाता है। कौन सा चर दूसरे को प्रभावित करता है। यह सांख्यिकी परीक्षण का मुद्दा है पर इतना अवश्य है कि भारत की अधिकांश शिक्षित महिलाएं आर्थिकी क्षेत्र में येागदान नहीं दे पा रही है। विश्व बैंक के प्रतिवेदन २०१७ में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि २००५ से भारतीय महिलाओं में आर्थिकी दर में गिरावट है जबकि ४२ प्रतिशत शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में १३१ देशों में भारत का स्थान १२०वां है। विश्व जनसंख्या में दूसरा स्थान होते हुए भी भारत न केवल चीन से पिछड़ा है अपितु बांगलादेश और श्रीलंका से भी। सार रूप में किसी भी मापन से परीक्षण किया जाय देश की महिलाओं की आर्थिक सहभागिता में धुंधलापन है।

क्या शिक्षा और आर्थिकी दरों में कमी भारतीय महिला जीवनयापन में अवरोध पैदा कर रहा है। तालिका १४ में संदर्भित तथ्य इसे नकारते हैं। महिलाएं आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं तथा जीवनयापन शैली बदल रही हैं।

तालिका १४

हाउस होल्ड प्रारूप

(सैम्पुल-६ लाख ग्रामीण - शहरी परिवार)

मद	२००५-०६ (% में)	२०१५-१६ (% में)
१. घरों में बिजली	६७.६	८८.२
२. पेयजल	८७.६	८९.९
३. शौचालय	२९.१	४८.४
४. एल.पी.जी./बायोगैस	२५.५	४३.८
५. आयोडीन नमक	७६.१	९३.१
६. स्वास्थ्य बीमा (किसी भी सदस्य का)	४.८	२८.७
७. महिलाओं के पास फोन	–	४५.९
८. महिलाओं के नाम घर/भूमि एकल या संयुक्त	–	३८.४
९. निजी बैंक/डाकघर खाता	१५.१	५३.००
१०. घरेलू उत्पीड़न	३७.२	२८.८
११. घरेलू निर्णय में भागीदारी विवाहित महिलाओं की	७६.५	८४.००
१२. तम्बाकू/मद्य सेवन	११.००	८.००
१३. गर्भवती महिलाओं का शोषण	–	३.३

स्त्रोत NFHS-3rd & 4th Reports

नोटः उपर्युक्त मदों में ७-१३ मद १५-४९ आयु समूह पर आधारित हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में सशक्तीकरण : महिला स्थिति का यह पक्ष अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रबल रहा है। राजनीति में सहभागिता मापने में निम्नलिखित घटक सम्मिलित किए जाते हैं:-

१. केन्द्र व राज्य स्तर के चुनावों में वोट देना।
२. केन्द्र राज्य स्तरों की विधायकी में सहभागिता।
३. स्थानीय निकायों में सहभागिता

तालिका १५ में वोट देने वाली महिलाओं की भागीदारी को प्रतिशत में दिखाया गया है।

तालिका १५

लोक सभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न

वर्ष	महिला (% में)	पुरूष (% में)
१९६२	४६.६३	५८.६०
१९८४	६३.३१	६८.१८
२०१४	६७.०६	६५.६३

स्पष्ट है कि आरंभिक वर्षों में महिलाओं का प्रतिशत ४६.६३ से १९८४ में ६३.३१ हो गया अर्थात् लगभग १६.६८ प्रतिशत उछाल आया। पुरूषों की तुलना में जेण्डर गैप १९६२ में १६.७ प्रतिशत था जबकि २००९ में ४.४ प्रतिशत। नवीनतम आंकड़े (२०१४) यह बताते हैं कि २९ राज्यों में १६ राज्यों की वोट देने वाली महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक थी। औसतन वोटिंग में जेण्डर गैप २ से ३ प्रतिशत देखा गया। यह बड़ी उपलब्धि है।

वर्ल्ड इकानामिक फोरम के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष २०१२ में राष्ट्रीय सदनों में १०.६ प्रतिशत महिला उम्मीदवार चयनित थीं। यह अनेक देशों में भारत की उच्चतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। विश्व प्रतिवेदन २०१३ में ९ श्रेष्ठ देशों में भारत को सम्मिलित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह बड़ी उपलब्धि है।

भारतीय संविधान के ७३वें और ७४वें संशोधन से स्थानीय निकायों में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण सुविधा ने महिला सशक्तीकरण की दिशा ही बदल दी है।

टिप्पणी

१. २०१४ में महिला वोटर २६.०५ करोड़ थीं। इसमें २७ प्रतिशत महिलाएं १८-१९ आयु समूह वाली थीं। अर्थात् २ करोड़ युवा वोटर थीं।
२. महिला टर्न आउट पुरूषों से ३-४ प्रतिशत कम था।
३. देश के ६ राज्यों पश्चिम पंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणीपुर, नागालैण्ड और अरूणाचल में ८० प्रतिशत महिला टर्न आउट था।
४. जम्मू-कश्मीर का टर्नआउट लगभग ४८ प्रतिशत था।
५. वोटिंग पैटर्न में जैण्डर गैप १२ प्रतिशत से २ प्रतिशत की गिरावट (१९६२-२०१४)

वर्तमान दशा और चुनौतियाँ : प्रस्तुत आलेख में महिला सशक्तीकरण के प्रदीप्त पक्षों के साथ विषमता को भी उजागर किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से कतिपय सामान्यीकरण निम्न कथनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

१. प्रजनन एवं इससे जुड़े विभिन्न मृत्यु दरों में कमी महिला सशक्तीकरण की दिशा चित्रित करता है।
२. प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाएं अधिक जागरूक प्रतीत होती हैं।
३. शिक्षा के प्रति महिलाओं का रूझान बढ़ रहा है। आर्थिकी और शिक्षा सहसंबंधित नहीं है।
४. राजनीतिक क्षेत्र में महिला सहभागिता प्रबल है।
५. आर्थिकी क्षेत्र में शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं से पिछड़ी हैं।
६. देश का लिंगानुपात असंतुलित है। उपर्युक्त वर्णित १ से ४ मदों में वृद्धि के बावजूद लिंगानुपात में विषमता महिला शक्ति को निर्बल बना रही है।

चुनौतियाँ : असंगत लिंगानुपात (सामान्य और बाल यौन दरों में) को संतुलित करने के प्रयास कानूनों के बावजूद निष्फल प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या यह हमारी मानसिकता का परिचायक नहीं है? हमें ध्यान देना होगा। जनमानस की सोच के साथ देश-प्रदेश में सेवा में लिप्त कर्मठ पदाधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा नेतागणों की सोच भी बदलनी होगी। आखिरकार प्रचण्ड बजट के बावजूद अनेक राज्यों की स्थिति में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है।

इसी वर्ष जुलाई मास में 'कैग' (Controller and Auditor General of India) का प्रतिवेदन आया है इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से राज्यों को दी जाने वाली अपार धनराशियों की जांच की गई है। एन.एस.एम. ने वित्तीय प्रबंधन में समुचित पारदर्शिता नहीं की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन राज्यों में महिला स्वास्थ्य स्थिति अतिशय कमजोर है उनमें से अनेक आवंटित राशि का उपयोग नहीं कर सके। इधर कुछ राज्यों ने शिकायत दर्ज की कि निश्चित समयावधि में धन उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य के मद की राशि का महत्वपूर्ण अंश दूसरे कल्याणकारी कार्यों में हस्तांतरित कर दिया। कैग ने यह भी बताया कि विज्ञापन और स्लोगन पर आवंटित राशि से अधिक व्यय किया गया। कम पैसे में मिलने वाली आयरन की गोली धनाभाव के कारण वितरित नहीं हो सकी ऐसा क्यों?

राज्य स्तर पर क्रियाशील राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर, डाक्टर, प्रशिक्षित कर्मचारीगण इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। समझबूझकर धैर्य के साथ लक्ष्य पर आयोजन से उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। इस दिशा में हमें केरल माडल को छोड़कर कश्मीर माडल अपनाना चाहिए।

उज्जवल सशक्तीकरण पर पड़े काले धब्बों को धोना होगा।

सन्दर्भ

इस आलेख के आंकड़े विभिन्न स्त्रोतों से लिए गये हैं जिनका उल्लेख मूल और पाद टिप्पणियों में कर दिया गया है। महिला परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्रालयों के सम्बद्ध विभागों की वेवसाइट्पर पर प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। ''राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा' के प्रत्येक अंक में दो-तीन लेख/शोध पत्र महिलाओं से संबंधित होते हैं। इस पर समीक्षात्मक लेख अलग से प्रकाशित होगा।

पाद टिप्पणियाँ

१. **वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम** (World Economic Forum) एक स्वतंत्र प्राईवेट अमेरिकी संस्था है। विश्व की चुनौतियों का सामना महिला किस प्रकार करती है इसका पैमाना चार क्षेत्रों - आर्थिकी, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा राजनीति में अंकों के आधार पर तय किया जाता है। इसे ग्लोबल जैण्डर गैप इण्डैक्स (जी.जी.जी.आई.) कहा गया हैं प्रति दो तीन वर्षों पर विभिन्न देशों का रैन्क बदलता रहता है। अतः किसी देश का वास्तविक रैन्क इस बात पर निर्भर करता है कि वह देश पूर्व में किस स्थिति पर था। कोई देश एक क्षेत्र (जैसे शिक्षा) में अन्य देशों की तुलना में अधिक जी.जी.जी.आई. वाला हो तो आवश्यक नहीं कि वह अन्य क्षेत्रों (आर्थिकी, राजनीति आदि) में भी आगे रहे। प्रत्येक देश की औसत जी.जी.जी.आई. विश्व में उसकी स्थिति प्रदर्शित करती है।

२. **मानव विकास सूचकांक** (Human Development Index) संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा वर्ष १९९० में विकसित मानव विकास आंकलन की विधि द्वारा यह पता लगाया जाता है कि विश्व के देशों के विकास पैमाने (जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय) पर क्या स्थिति है। कौन कितना विकसित है। ध्यातव्य है कि यह आंकलन डब्ल्यू. ई.एफ. जैसे ही सूचकांक पर निर्भर है। प्रति एक दो वर्षों के अंतराल पर HDI के प्रतिवेदनों का प्रसारण होता है।

३. **भारत की जनगणना** (Census of India) भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना सुपरिन्टेण्डेन्ट के तत्वाधान में जनगणना विभाग देश के समस्त निवासियों की संख्या और उनका विवरण निवास क्षेत्र, आयु, शिक्षा, पेशा, धर्म और भाषा आदि मदों पर संख्यात्मक ढंग से करता है। १८७२ से जारी अब तक नवीनतम २०११ सहित १५ जनगणना सम्पन्न हो चुकी हैं। ध्यान रहे NFHS के निष्कर्ष प्रतिवेदन सैम्पल पर आधारित होते हैं जबकि जनगणना के निष्कर्ष संपूर्ण होते हैं। किसी एक मद पर दोनों के निष्कर्ष लगभग समान या मामूली अंतर वाले होते हैं।

४. **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे** (National Family Health Survey) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पोषित एक महत्वाकांक्षी संस्था है जो वृहद् पैमाने पर संपूर्ण देश में प्रति पांच वर्ष पर महिला स्वास्थ्य, प्रजनन, परिवार नियोजन, प्रसव, पोषण आदि से संबंधित १० वर्षीय आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भरपूर वित्तीय और तकनीकी सहायता लेती है। वर्ष १९९२-९३ से अब तक यह संस्थान चार सर्वे पूरा कर चुकी है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ६ लाख परिवारों पर किया गया नवीनतम सर्वे (२०१५-१६) का प्रकाशन २०१७ में हुआ है। इसकी प्रमाणिकता ९५ प्रतिशत विश्वस्त स्तर पर आंकी गई है।

५. **प्रतिदर्श रजिस्ट्रीय प्रणाली** (Sample Registration System) संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्देशित प्रजनन Millenium Development goals or MDG और मृत्यु दर का आंकलन करने की यह प्रणाली सांख्यिकी पर आधारित होता है। इसके निष्कर्ष ९५ प्रतिशत सही माने जाते हैं। भारत सरकार की जनगणना टीम द्वारा १९६९-७० में एस.आर. एस. प्रणाली का उपयोग कर महत्वपूर्ण आंकड़े निकाले गये। MDG ने २०१५ तक उद्देश्यपरक लाभ हेतु निम्नलिखित आदर्श सूचक मापदण्ड निर्धारित किये हैं।

क. मातृत्व मृत्यु दर = १०९

ख. एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर प्रति १००० जीवित जन्म पर = २८

ग. ५ वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु दर प्रति १००० जीवित जन्म पर = ४२

घ. १५-४९ आयु समूह वाली महिलाओं की प्रसव या अन्य कारणों से मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर = १०९

ड. पूर्ण प्रजनन दर १५-४९ वर्ष आयु समूह वाली जनन करने वाली महिलाओं की जीवित शिशु संख्या। यह प्रति एक हजार पर निकाली जाती है = २१२

६. **लिंगानुपात** (Sex Ratio) निर्धारित वर्ष में प्रति १००० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इस अनुपात को प्रतिशत या हजार में दर्शाया जाता है। भारतीय जनगणना में इसे प्रति हजार पर व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र है:-

$$\text{सामान्य अनुपात} = \frac{\text{महिलाओं की संख्या}}{\text{पुरूषों की संख्या}} \times १०००$$

$$\text{बाल अनुपात} = \frac{\text{०-४ वर्ष की महिला बाल संख्या}}{\text{०-४ वर्ष की पुरूष बाल संख्या}} \times १०००$$

$$\text{शिशु अनुपात} = \frac{\text{०-११ मास की महिला बाल संख्या}}{\text{०-११ मास की पुरूष बाल संख्या}} \times १०००$$

७. **जन्म और प्रजनन दर** (Birth and Firtility Rate) एक जनसंख्या में प्रति वर्ष औसतन कितना जीवित जन्म होता है इसे जनम दर कहते हैं। इसका मान्य सूत्र

जन्मे बच्चों की संख्या
वर्ष---------------------------------×१०००
सम्पूर्ण जनसंख्या

२००६ में देश की अनुमानित जन्म दर प्रति हजार २२.२२ थी। प्रजनन दर आयु-समूह से अनुमानित किया जाता है। यह वास्तविक कभी नहीं होता तथापि ६५ प्रतिशत विश्वसनीय होता हैं इसका सूत्र है

१ वर्ष में १५-४६ आयु समूह द्वारा जनित शिशुओं की संख्या
-- ×१०००
१५-४६ आयु समूह वाली महिलाओं की कुल संख्या

वर्ष २००६ में प्रजनन दर २.७२ थी।

८. **मृत्यु दर** (Mortality Rate) इसका उल्लेख पद टिप्पणी एस.आर.एस. के अंतर्गत किया गया है। जनसंख्या में यह चार तरह से ज्ञात किया जाता है

१. सामान्य मृत्यु दर

१ वर्ष में मृतकों की संख्या
-- ×१०००
कुल जनसंख्या

बाल मृत्यु दर

१ वर्ष में ०-४ आयु के बाल मृतकों की संख्या
-- ×१०००
०-४ आयु वाली कुल बाल संख्या

शिशु मृत्य दर

०-११ महीने के शिशु मृत्यु संख्या
-- ×१०००
०-११ महीने आयु वाले समस्त शिशुओं की संख्या

मातृत्व मृत्यु दर

१ वर्ष में माताओं की मृत्यु
-- ×१०००
१५-४६ वर्ष की महिलाओं की कुल संख्या

६. **जीवन प्रत्याशा** (Life Expectancy) को जीवन उत्तरजीविता भी कहा गया हैं सांख्यिकी प्रणाली से इसका अनुपात निकाला जाता है। RGI (Registrar General of India) के अनुसार जन्म के समय अतिरिक्त वर्षों तक चरणों में (१, ५, १०, २० .... ७० वर्ष) जीवित रहने का अनुमानित वर्ष तय किया जाता है।

१०. **शिक्षा दर** (Literacy Rate) पिछली चार जनगणनाओं में (१६८१-२०११) में शिक्षा दर प्रति १०० (७ - आयु समूह वाले) पर शिक्षितों (लिखना, पढ़ना, औपचारिक व अनौपचारिक पद्धति) इसके मापन का सूत्र है।

शिक्षितों (७+) की संख्या
वर्ष ---------------------×१००
७+ आयु वालों की कुल संख्या

१६७१ की जनगणना में ०-४ आयु समूह सम्मिलित नहीं थे जबकि १६८१ और आद में ०-६ वाले सम्मिलित नहीं किये गये। यदि शिक्षितों की संख्या में जनगणना की पूरी संख्या से भाग देकर प्रतिशतता निकाली जाय तो इसे Crude Literacy Rate कहा जाता है।

११. **आर्थिकी सहभागिता दर :** इसमें मुख्य और सीमान्त श्रमिक जो १५-५६ वर्ष आयु समूह वाले हैं को मिलाकर सहभागिता दर प्राप्त की जाती है। मुख्य और सीमान्त में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि प्रथम कोटि में उन्हें सम्मिलित किया जाता है जो एक वर्ष के १८३ दिनों (लगभग आधा वर्ष) में अवश्य क्रियाशील रहें। सीमांत श्रमिकों में समय सीमा नहीं होती।

सहभागिता दर निकालने का सूत्र

१५-५६ आयु समूह वाले श्रमिकों की संख्या
जनगणना वर्ष में
------------------------------------×१००
१५.५६ आयु समूह वालों की कुल संख्या

यदि कार्यरत श्रमिकों की संख्या में सभी आयु वाली संपूर्ण जनसंख्या से भाग दिया जाय तो इसे Crude Economic Participation / Dependancy Rate कहा जायेगा। यह दर इस बात की जानकारी देती है कि कितने लोग (शिशु, बच्चे, वयस्क, महिला-पुरूष, रोगी, विकलांग, बूढ़े सभी प्रकार वाले) काम करने वालों पर निर्भर होते हैं।

Regd. No. UPHIN/1999/00955
ISSN 0974-0074

कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर वैवाहिक स्थिति एवं स्थानीयता का प्रभाव

❑ डॉ. दीपा वर्मा

वर्तमान समय में कार्योजित महलाओं की अपनी समस्याएं हैं। वे ऐसे दोराहे पर खड़ी हैं कि जिस राह को पकड़ती हैं (कार्य या घर) दोनों ही जगह उनसे कार्य की पूरी प्रत्याशा की जाती है। उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र में किया गया प्रस्तुत अध्ययन कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर उनकी वैवाहिक स्थिति और स्थानीयता के प्रभाव के मूल्यांकन का एक प्रयास है।

कार्योजित महिला से तात्पर्य घर से बाहर जाकर नौकरी करने वाली महिलाओं से है। आज महिलाएं घर से बाहर जाकर नौकरी करती हैं एवं अर्थोपार्जन करती हैं। पूर्व में महिलाएं केवल घर के कार्यों तक सीमित रह जाती थीं, उनका कार्य केवल घर की साफ-सफाई, खाना बनाना, एवं घर के अन्य कार्यों को करने तक ही था। किन्तु आज महिला विश्व के हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रही है। आज महिलाएं केवल शिक्षित होने के उद्देश्य से ही पढ़ाई नहीं करती, अपितु यह सोचकर शिक्षा ग्रहण करती है कि उनका उद्देश्य क्या है, वह पूर्व से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेती हैं कि आगे चलकर किस क्षेत्र में कार्य करना है। पूर्व में भी महिलाएं कार्य करती थीं लेकिन उनका दायरा सीमित था। उन्हें इस योग्य नहीं माना जाता था कि वह मानसिक श्रम वाले कार्यों को कर सकेंगी। किन्तु आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर अर्थोपार्जन कर रही हैं, एवं साथ ही अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही हैं। वे घर से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगी हैं। जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता गया, वैसे-वैसे महिलाओं की व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ती गयीं। शिक्षा के प्रचार के कारण प्रशिक्षण युक्त व्यवसायों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। आज परिवार में स्त्री की परम्परागत भूमिका बदल गई है, और वह दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही है उसे नौकरी के साथ-साथ घर के काम-काज और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां भी पहले की तरह निभानी पड़ती हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बावजूद परम्परागत जिम्मेदारियों के मामले में उसे कोई रियायत नहीं मिलती है।

बाहर काम पर जाने वाली महिला अपने सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के सम्पक्र में आती है, नए अनुभव प्राप्त करती है, नई-नई चीजों को सीखने में रूचि लेती है तथा अपने मन को अधिक उदात्त बनाने का प्रयत्न करती है। उनमें नवीन विचारों का आगमन होता हैं। ये सभी महिला के व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

समायोजन मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह जीवन के आनन्द की एक कुंजी है और शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियां और वातावरण इतने सुखद नहीं होते हैं, कि वे व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुकूल हों, उसे वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिये संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सहयोग देने तथा लेने से जीवन का आनन्द मिल पाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है, तथा परिवार में ही वह वयस्क व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। सामाजिक मूल्यों जैसे प्रेम, सहानुभूति परोपकार सहयोग व कर्तव्यपालन जैसे मानवीय गुणों का पाठ व्यक्ति अपने परिवार से ही सीखता है। पारिवारिक वातावरण का व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

पद्मनी सेन गुप्ता[1] ने अपने अध्ययन में पाया कि विभिन्न आधुनिक मान्यताओं की वजह से नवयुवतियों को परम्परागत स्त्री क्षेत्र में बंधे रहना अब ठीक नहीं लगता है, वे अपने वैयक्तिक विकास तथा आत्म संतुष्टि के लिये घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं।

तारा अली वेग[2] के अनुसार, ''महिलाएं आज अधिकाधिक संख्या में वैतनिक एवं लाभपूर्ण व्यवसायों और काम-धन्धों में आने लगी हैं। भिन्न-भिन्न क्षमताओं के साथ विभिन्न व्यवसायों में आने वाली इन महिलाओं को आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है।''

प्रमिला कपूर[3] ने अपने अध्ययन में बताया कि आर्थिक लाभ की वजह से स्त्रियां नौकरी नहीं करती बल्कि इसके पीछे अन्य

❑ एसोशिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान, एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

दूसरे सामाजिक कारण भी हैं जैसे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना, अपने लिये उच्च्व दर्जा प्राप्त करना, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होना, लोगों से मिलने-जुलने की स्वतंत्रता प्राप्त करना, घर की चाहरदीवारी के ऊबने वाले वातावरण से राहत पाना, समाज के लाभार्थ कार्य करना आदि। रजनीकान्त दास[४] का कहना है कि "महिलाओं का नौकरी धन्धे में प्रवेश समाज और व्यक्तित्व दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी परिस्थिति में सैद्धान्तिक विरोध करना तथा बाधाएं खड़ी करने के बजाए श्रेयस्कर तो यह है कि धनोपार्जन के लिये घर से बाहर जाने वाली महिलाओं की जो कठिनाइयां या अड़चने हों उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाये ताकि वे समाज का उत्पादन कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

वायोला क्लयान[५] के अनुसार, विवाहित महिला सारे दिन या आधे दिन के लिये काम पर जाती हैं। उसका कारण अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों से अधिक आर्थिक आवश्यकता होती है।"

श्रीमती नीरा देसाई का कहना है कि "अब नारी को न तो मात्र बच्चा जन्मने की एक मशीन और न घर की एक दासी ही माना जाता है, उसने एक नया दर्जा एक नई सामाजिक महत्ता प्राप्त कर ली है।"[६]

अध्ययन में सम्मिलित चरों की संक्रियात्मक परिभाषा

पारिवारिक समायोजन : समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। प्रस्तुत अध्ययन में पारिवारिक समायोजन से तात्पर्य कार्योजित महिला के अपने परिवार में समायोजन से है, अर्थात् महिला का समायोजन परिवार में किस प्रकार का है, वह उच्च्व समायोजित है, अथवा निम्न समायोजित।

वैवाहिक प्रस्थिति : एक व्यक्ति विवाहित, अविवाहित, विधुर/विधवा या तलाकशुदा हो सकता है। वैवाहिक स्थिति एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है, जो व्यक्ति के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में कार्योजित महिलाओं की वैवाहिक स्थिति से तात्पर्य इस बात से है, कि वह महिला विवाहित है, अथवा अविवाहित।

स्थानीयता : व्यक्ति जिस स्थान पर कार्य करता है, उस स्थान के आस-पास के सामाजिक वातावरण का उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। स्थानीयता व्यक्ति के आस-पास परिवेश की सूचक होती हैं जो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे शहरी, अर्द्धशहरी, ग्रामीण, पर्वतीय, मैदानी आदि अर्थात् वह संस्थान जिसमें महिला कार्योजित है, वह किस स्थान पर स्थित है।

उद्देश्य :

१. कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर वैवाहिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।
२. कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर उनकी स्थानीयता के प्रभाव का अध्ययन करना।
३. कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर उनकी वैवाहिक स्थिति एवं कार्योजन स्थल की स्थानीयता का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना :

१. कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर वैवाहिक स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।
२. कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर स्थानीयता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।
३. कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर उनकी वैवाहिक स्थिति एवं कार्योजन स्थल की स्थानीयता का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव सार्थक नहीं होगा।

प्रतिदर्श : प्रस्तुत अध्ययन २५ से ४० वर्ष की आयु की कार्योजित महिलाओं पर किया गया। जिसमें १२० विवाहित एवं १२० अविवाहित महिलाएं हैं, दोनों ही समूह में ५० प्रतिशत ग्रामीण एवं ५० प्रतिशत शहरी परिवेश से हैं।

मापक यन्त्र : महिलाओं के पारिवारिक समायोजन के मापन हेतु ए०पी० सिंह द्वारा निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया। इस मापनी द्वारा बदलते समय और तीव्र गति से बदलते सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के समायोजन का मापन किया जाता है।

शोध अभिकल्प : प्रस्तुत अध्ययन में 2x2 कारकीय अभिकल्प द्वारा किया जायेगा जिसमें दो स्वतंत्र चर दो आश्रित चर होगें।

प्रक्रिया : कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन हेतु २५ से ४० वर्ष की विवाहित और अविवाहित महिलाओं तथा उत्तराखण्ड के पर्वतीय तथा मैदानी भाग में रहने वाली महिलाओं पर मापनी प्रशासित की गई है।

परिणाम एवं व्याख्या :

निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है कि दोनों ही समूहों (विवाहित तथा अविवाहित) के पारिवारिक समायोजन माध्यों का अन्तर (१.३५) सार्थक है। अतः प्राप्त परिणाम के आधार पर निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा ये कहा जा सकता है कि वैवाहिक स्थिति कार्योजित महिला के पारिवारिक समायोजन हेतु एक प्रभावी कारण है।

विवाहित एवं अविवाहित कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन माध्यों के बीच अन्तर की सार्थकता

समूह तुलना	संख्या	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि अन्तर	स्वतंत्रता अंश	क्रांतिक अनुपात
विवाहित महिलाएं	६०	३३.०	४.२२	०.५७	११८	२.३७ (सार्थक)
अविवाहित महिलाएं	६०	३४.३५	१.४६			

मैदानी तथा पर्वतीय स्थानों पर कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन माध्यों के बीच अन्तर की सार्थकता

समूह तुलना	संख्या	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि अन्तर	स्वतंत्रता अंश	क्रांतिक अनुपात
पर्वतीय क्षेत्र	६०	३४.०३	२.७५	०.५८	११८	१.२२ (असार्थक)
मैदानी क्षेत्र	६०	३३.३२	३.६३			

उपर्युक्त तालिका में दोनों ही समूहों (पर्वतीय तथा मैदानी) के पारिवारिक समायोजन माध्यों का अन्तर (०.७१) सार्थक हैं। अतः कहा जा सकता है कि कार्योजन स्थल की स्थानीयता कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन हेतु एक प्रभावी कारक नहीं है।

वैवाहिक स्थिति एवं कार्योजन स्थल की स्थानीयता का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव

स्थानीयता का स्तर	वैवाहिक स्थिति		माध्य	F1
	विवाहित	अविवाहित		
पर्वतीय	M=33.9	M=34.17	३५.२१	४.७१
मैदानी	M=33.1	M=34.53		

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि स्थानीयता के प्रथम स्तर पर्वतीय पर वैवाहिक स्थिति के दोनों स्तरों विवाहित तथा अविवाहित के प्राप्तांकों के मध्यमानों का अन्तर ३४.१७-३३.९=०.२७ है, तथा मैदानी स्तर पर विवाहित और अविवाहित के प्राप्तांकों के मध्यमानों का अन्तर ३४.५३-३३.१=१.४३ है, तथा इन दोनों के बीच का अन्तर ४.७१ हैं इस अन्तर की जांच प्रसरण विश्लेषण से करने पर यह अन्तर सार्थक प्रमाणित हो रहा है यहां निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः वैवाहिक स्थिति एवं कार्योजन स्थल की स्थानीयता की अन्तःक्रियात्मक कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन हेतु एक प्रभावी कारक है।

निष्कर्ष :

१. कार्योजित महिलाओं की वैवाहिक स्थिति उनके पारिवारिक समायोजन के लिये सार्थक निर्धारक है।
२. अविवाहित कार्योजित महिलाएं कार्योजित महिलाओं की अपेक्षा उच्च पारिवारिक समायोजन प्रदर्शित करती हैं।
३. कार्योजन स्थल की स्थानीयता कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन के लिये सार्थक निर्धारक नहीं है।
४. वैवाहिक स्थिति एवं कार्योजन स्थल की स्थानीयता की अन्तःक्रियात्मकता कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन हेतु एक सार्थक निर्धारक है।

सन्दर्भ

1. Sen Gupta P., 'Women Workers In India" Asia Publication House Bombay 1960, p. 243
2. Baig Tara Ali, 'Women In India, New Delhi Publication Division Ministry of Information and Broad casting, Govt. of India 1958.
3. Kapoor Pramila, 'Marriage and the working women in India, Vikas Publication, Delhi, 1970, p. 23
4. Das Rajni Kant, 'Hindu women and Her Future", "Sociology of Indian women". Research Publication Jaipur, p. 69
5. Vayola Clayan, 'Applying Married Women's", Viking Press, p. 11.
6. Desai Neera, 'Women in Modern India". Bombays Vara and Co. Publishers Pvt. Ltd. 1957, p. 253.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) नये आर्थिक युग का प्रारम्भ

❑ डॉ. नीरज राठौर

भारत में कर व्यवस्था की जड़ें बहुत पुरानी हैं जिनका आधार मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, जिनके अनुसार कराधान का अंतिम उद्देश्य अधिकतम संभव सामाजिक कल्याण होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम १६२२ में बनाया गया भारतीय आयकर कानून सन् १६६१ तक लागू रहा इसके बाद कर संबंधी कानूनों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत १६६२ में आयकर अधिनियम, १६६४ में सेवाकर व २००५ में वैट लागू किया गया। कर सुधार की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का लागू होना है जो ''एक देश, एक टैक्स'' सूत्र वाक्य के साथ बहुत से करों को हटाकर उनका स्थान लेगा। प्रस्तुत शोध पत्र जी.एस.टी. एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसमें संभावित प्रभावों को समझने का एक प्रयास है।

भारत में कर या टैक्स व्यवस्था की जड़ें बहुत पुरानी हैं जिनका आरंभ आज से लगभग ढाई हजार साल पहले हुआ था और तब से भारतीय कर व्यवस्था आज भी मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के उसी सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार किसी भी कर प्रणाली में कराधान का अंतिम उद्देश्य अधिकतम संभव सामाजिक कल्याण होना चाहिए। महाकवि कालिदास ''रघुवंशम'' महाकाव्य में राजा दलीप की प्रशंसा करते हुए उनकी कर प्रणाली के बारे में लिखते हैं-

प्रजानेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत।
सहस्त्रगुण मुत्स्त्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः।।[1]

''राजा सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए ही कर वसूलता है, ठीक वैसे ही जैसे धरती से सूर्य नमी सोखता है ताकि बारिश के रूप में उसका कई गुना लौटाया जा सके।'' इसी को आधार मानते हुए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया गया है जहां राज्य अपने नागरिकों से विभिन्न करों के रूप में राशि एकत्र करता है और बदले में उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का प्रबन्ध करता हैं मनुस्मृति में भी शास्त्र सम्मत कराधान प्रणाली को ही उचित ठहराया गया है

लोके च करादिग्रहणो शास्त्रनिष्ठ : स्यात।[2]

मनुस्मृति में व्यापारियों एवं शिल्पियों के लिए उनके लाभ का १/५ हिस्सा कर के रूप में तय था जबकि कृषकों को परिस्थिति के अनुसार अपनी उपज का १/६, १/८, १/१० हिस्सा देना होता था।

महाभारत के शांतिपर्व में भी कहा गया है कि ''राजा को प्रजा से कर उसी तरह वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों को बिना नुकसान पहुंचाये उनका रस एकत्र करती है ना कि उस तरह जैसे एक जोंक धीरे-धीरे प्राणी का रक्त चूसती है।''[3]

आधुनिक भारत में आयकर वसूली १८६२ में प्रारम्भ हुई जब सर जेम्स विल्सन ने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में हुए घाटे की भरपाई के लिए इसे लागू किया। इसके बाद १६२२ में आयकर कानून बना जो आजादी के बाद भी १६६१ तक अस्तित्व में रहा। केन्द्र सरकार द्वारा इसके बाद आयकर अधिनियम १६६१-६२ पारित किया गया जो समय-समय पर किये गये विभिन्न संशोधनों के साथ आज भी लागू है। इसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम १६३५ के द्वारा सेल्स टैक्स को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद आम नागरिकों एवं व्यापारियों को टैक्स की जटिलताओं से बचाने और सरकारों का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कर सुधार दिये गये जिनमें प्रमुख कर सुधार के रूप में १६६४ में प्रथम बार सर्विस टैक्स लागू किया तथा २००५ में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लागू किया गया जिसकी मदद से अलग-अलग चरणों में लगने वाले करों को कम करने का प्रयास किया गया।

देश की आजादी के ७० सालों में सबसे बड़े एवं बहुप्रतीक्षित कर सुधार के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर या जी.एस.टी. (Goods and Service Tax) दिनांक ३० जून २०१७ की मध्यरात्रि को बुलाये गये संसद के विशेष सत्र द्वारा लागू कर दिया गया जो ०१ जुलाई २०१७ से प्रभावी माना जायेगा। जी.एस.टी. की सबसे प्रमुख विशेषता या कहें कि जी.एस.टी. का सूत्र वाक्य है ''एक देश, एक टैक्स'' जिसके लागू हो जाने के बाद हमें किसी भी वस्तु या सेवा के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मूल्य नहीं चुकाना होगा अर्थात पूरे देश में कोई विशिष्ट सामान या सेवा एक ही दाम पर उपलब्ध होगी।

❑ एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिक शास्त्र, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)

जी.एस.टी. की नीव आज से लगभग १७ वर्ष पहले रखी गयी थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति बनाकर उसे जी.एस.टी. की रूप रेखा तैयार करने को कहा। इसके बाद फरवरी २००६ में केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. को ०१ अप्रैल, २०१० तक लागू करने का लक्ष्य रखा परन्तु इसे प्रथम बार मार्च २०११ में लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया। दिसम्बर २०१४ में जी.एस.टी. बिल एक बार फिर संसद में प्रस्तुत किया गया तथा संशोधित संविधान संशोधन बिल मई २०१५ में लोकसभा में पारित हुआ जबकि राज्यसभा ने बिल प्रवर समिति को भेजा। प्रवर समिति ने जुलाई २०१६ में अपनी रिपोर्ट पेश की और अगस्त २०१६ में सदन ने इसे मंजूरी दी और जी.एस.टी. बिल १२२ वें संविधान संशोधन के रूप में दोनों सदनों से पारित घोषित किया गया और अब इसे ०१ जुलाई २०१७ से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

जी.एस.टी. का स्वरूप एवं वैश्विक स्थिति : सन् १९४७ में आजादी मिलने के बाद राजनीतिक रूप से भारत की सभी रियासतें और प्रांत एक संघ में समाहित हो गये जिससे भारत में राजनीतिक एकता तो स्थापित हुई परन्तु प्रत्येक राज्य को अपनी मर्जी से विभिन्न टैक्स लगाने की सुविधा देने के चलते आर्थिक रूप से देश का एकीकरण नहीं हो पाया। आर्थिक दृष्टिकोण से जी.एस.टी. टुकड़ों में बंटी अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांधेगा जो अंततः कारोबार व निवेश दोनों के लिए लाभप्रद है। लगभग २५ वर्षों पूर्व हमारे देश में भी आर्थिक उदारीकरण का एक दौर प्रारंभ हुआ था जिसका उद्देश्य टैक्स की जटिलताओं और लालफीताशाही को समाप्त करके देशी एवं विदेशी निवेशकों के लिए भारत में कारोबार करने को आसान बनाना था ताकि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आपको विकासशील देशी की श्रेणी से आगे बढ़ाकर विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सकें।

आर्थिक उदारीकरण एवं कर सुधार की दिशा में जी.एस.टी. एक क्रांतिकारी कदम है जो भारतीय व्यापारियों व आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश की राह भी आसान करेगा क्योंकि जी.एस.टी. की ही बात करें तो यह एकीकृत टैक्स व्यवस्था वर्तमान में विश्व के लगभग १६० देशों में लागू है। सर्वप्रथम फ्रांस ने १९५४ में अपने देश में एक कर व्यवस्था अपनाते हुए जी.एस.टी. को लागू किया था इसके बाद ७०-८० के दशक में अधिकांश यूरोपीय देशों ने जी.एस.टी. प्रणाली को अपना लिया था। एशियाई देशों की बात करें तो मलेशिया ने अपने यहां २६ वर्ष तक चली चर्चा व प्रयासों के बाद २०१५ में इसे लागू किया। चीन में जी.एस.टी. आंशिक रूप से लागू है।

सारिणी संख्या १

प्रमुख देशों में जी.एस.टी. की दरें[४]

देश का नाम	लागू होने का वर्ष	दर प्रतिशत
फ्रांस	१९५४	२.१ से २०
यूनाईटेड किंगडम	२०११	२०
न्यूजीलैंड	१९८६	१५
आस्ट्रेलिया	२०००	१०
सिंगापुर	१९९४	७
मलेशिया	२०१५	६

जी.एस.टी. की विशेषता यह है कि यह अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा जबकि प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर की स्थिति यथावत रहेगी। संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए जी.एस. टी. दो स्तर पर लगेगा

१. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) जो केन्द्र सरकार को प्राप्त होगा
२. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) जो विभिन्न राज्य सरकारों को प्राप्त होगा।

इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में जब कोई वस्तु एक से दूसरे राज्य में जायेगी या कोई सेवा लेने के लिए एक से अधिक राज्यों का योगदान हो तब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लागू होगा।

विश्व के १६० देश जिनमें जी.एस.टी. लागू है उनमें से अधिकांश में जी.एस.टी. की केवल एक नियत दर ही प्रचलित है परन्तु भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां प्रतिव्यक्ति आय में बड़े स्तर पर असमानता है, देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है वहां सभी के लिए जी.एस.टी. की एक दर लागू करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने गरीब एवं कम आय वर्ग के लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी में काम आने वाली वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी, नमक, नान ब्रांडेड आटा-बेसन, खुला खाद्य अनाज को जी.एस.टी. से मुक्त रखा है जबकि कार, ए.सी. , फाइव स्टार होटल में रूकना, खाना इत्यादि को जी.एस. टी. के उच्चतम स्लैब २८ प्रतिशत के वर्ग में रखा है। इसी प्रकार कम कीमत के कपड़े (रूपये एक हजार तक) व जूते (रू. पांच सौ तक) केवल ५ प्रतिशत जी.एस.टी. की श्रेणी

में आयेंगे जबकि इससे महंगे कपड़े-जूतों पर जी.एस.टी. की दर १२ प्रतिशत रहेगी। कुछ प्रमुख वस्तुओं पर लगने वाले जी.एस.टी. की दरें निम्न सारिणी में प्रदर्शित की गयी हैं।

सारिणी संख्या २
विभिन्न वस्तुओं पर जी.एस.टी. की दरें

शून्य	५ प्रतिशत	१२ प्रतिशत	१८ प्रतिशत	२८ प्रतिशत
खुला खाद्य अनाज	चीनी, चायपत्ती	घी, मक्खन	केश तेल	डिजिटल कैमरा
प्राकृतिक शहद	खाद्य तेल	बादाम	टूथपेस्ट, साबुन	परफ्यूम, डियो
दूध, दही, लस्सी	स्किम्ड मिल्क पाउडर	फ्रूट जूस	टेलीकॉम सेवायें	सीमेंट
नॉन ब्रांडेड आटा, मैदा	शिशुओं का मिल्क फूड बेसन आदि	आचार, चटनी, जैम,	पास्ता, कार्नफ्लेक्स जैली बुरब्बा	सनस्क्रीन, हेयर क्रीम जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स
खुला पनीर	पैक्ड पनीर	छाता	सूप	चाकलेट
गुड़ नमक	काजू, किशमिश	मोबाइल	आइसक्रीम	कार, टू व्हीलर
ताजे फल व सब्जी	घरेलू एल.पी.जी.	नान ए.सी. होटल	कम्प्यूटर, प्रिंटर	मार्बल, ग्रेनाइट
बिंदी, सिंदूर, चूड़ी	पी.डी.एस. केरोसिन	पैक्ड नारियल पानी	टॉयलेट्रीज	वालपेपर
प्रिंटेड बुक, न्यूज पेपर	जूते-चप्पल	खाद	ट्रैक्टर के पुर्जे	ए.सी., फ्रिज
शिक्षा सेवायें	कपड़े	सिलाई मशीन	ए.सी. होटल में खाना	५ स्टार होटल में रूकना
स्वास्थ्य सेवायें	अगरबत्ती, कॉयर मैट		१०० व इससे कम सिनेमा टिकट	१०० रूपये से अधिक सिनेमा टिकट

सारिणी संख्या २ से स्पष्ट है कि जी.एस.टी. की दरों का वर्गीकरण करते समय यह विशेष ध्यान रखा गया है कि निम्न एवं निम्न मध्यम वर्ग द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जी.एस.टी. की दर कम रखी जाय ताकि जी.एस.टी. लागू होने के बाद इन वस्तुओं के दामों में कमी आ सके। भारत में जी.एस.टी. की अधिकतम दर भले ही २८ प्रतिशत रखी गई हो परन्तु जी.एस.टी. के दायरे में आने वाली कुल वस्तुओं एवं सेवाओं में से ८१ प्रतिशत के लिए जी.एस.टी. की दर १८ प्रतिशत या उससे कम है। इससे सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई उच्च्य आय वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं पर २८ प्रतिशत जी.एस.टी. लगाकर की जायेगी। अभी क्योंकि यह ''एक देश एक टैक्स'' प्रणाली की केवल शुरूआत है और यह कुछ समय बाद जब सभी कारोबारी व नागरिक जी.एस.टी. के अभ्यस्त हो जायेंगे तब जी.एस.टी. के स्लैब की संख्या (५, १२, १८ व २८ प्रतिशत) भी चार से घटाकर कम की जा सकती है।

जी.एस.टी. के दायरे में आने वाले व्यापारी एवं उद्योगपति : जी.एस.टी. को लेकर छोटे कारोबारियों एवं व्यवसायियों के मन में यह भय था कि उनके पास ना तो कंप्यूटर, इंटरनेट है और ना ही वे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं कि किसी प्रोफेशनल की सेवायें लें तब उनके लिए प्रतिमाह ३ ऑनलाइन रिटर्न व साल के अंत में एक रिटर्न ऑनलाइन भरना अर्थात साल में कुल ३७ ऑनलाइन रिटर्न भरना किसी मुसीबत से कम नहीं होगा और यदि उनका कारोबार एक से अधिक राज्यों में है तो यह प्रक्रिया हर राज्य में अपनानी होगी। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने गली, मुहल्लों या कस्बों में व्यापार करने वाले लघु एवं मध्यम स्तर के व्यापारियों की सुविधा हेतु निम्न प्रावधान किये हैं:

१. ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर २० लाख रूपये तक है उन्हें जी.एस.टी. में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है और न ही उन्हें कोई जी.एस.टी. संबंधी रिटर्न भरना है। उनके लिए जी.एस.टी. पंजीकरण कराना भी आवश्यक नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू कश्मीर के लिए यह सीमा १० लाख रूपये निर्धारित की गई है।
२. ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर रूपये २० लाख से अधिक परन्तु ७५ लाख तक है तो उनके लिए दो विकल्प हैं पहला यदि उनका ट्रेडिंग से जुड़ा कारोबार है तो सालाना १ प्रतिशत और दूसरा यदि उनका उत्पादन से जुड़ा कारोबार है तो उन्हें वार्षिक २ प्रतिशत जी.एस.टी. चुकाना होगा अर्थात वार्षिक ७५ लाख टर्न ओवर

वाला व्यापारी अधिकतम १.५ लाख एकमुश्त जी.एस.टी. भरकर सालभर निश्चिंत रह सकता है।

३. ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर ७५ लाख से अधिक है, वे जी.एस.टी. से पहले भी रिटर्न भरते थे परंतु उनके लिए जी.एस.टी. लागू होने के बाद बिक्री के गलत आंकड़े भरना, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना जी.एस.टी. चुकाये माल ले जाना मुश्किल हो जायेगा। धोखाधड़ी करने पर सरकार ने टैक्स के बराबर जुर्माना तथा १-५ साल तक की सजा का प्रावधान किया है इसके अतिरिक्त समय से रिटर्न ना भरने पर प्रतिदिन १०० रूपये जुर्माना लगेगा।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो जी.एस.टी. लागू होने से पहले देश में लगभग ८१ लाख पंजीकृत उत्पाद, वैट एवं सेवा करदाता थे जी.एस.टी. लागू होने की तिथि से पहले ही इनमें से ६५ लाख व्यापारी जी.एस.टी. पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।

सारणी संख्या ३

किसी वस्तु के उत्पादन से बिक्री तक टैक्स की गणना

	वर्तमान स्थिति में	**जी.एस.टी. लागू होने पर**
प्रथम चरण (उत्पादन कर्ता)	एक व्यक्ति १०० रूपये का कपड़ा खरीदता है जिसमें १० रूपये अप्रत्यक्ष कर शामिल है। इससे एक शर्ट बनाने में सामान व मेहनत मिलाकर लागत आती है २० रूपये तैयार शर्ट की कीमत है १२० रूपये इस पर १० प्रतिशत कर बनता है १२ रूपये शर्ट का कुल मूल्य १२०+१२=१३२ रूपये	एक व्यक्ति १०० रूपये का कपड़ा खरीदता है जिसमें १० रूपये अप्रत्यक्ष कर शामिल है। इससे एक शर्ट बनाने में सामान व मेहनत मिलाकर लागत आती है २० रूपये तैयार शर्ट की कीमत है १२० रूपये इस पर १० प्रतिशत कर बनता है १२ रूपये यह व्यक्ति १० रू. टैक्स पहले दे चुका है अतः अब उसे टैक्स देना है १२-१० = २ (यही इनपुट टैक्स क्रेडिट है) शर्ट का मूल्य १२० रू.
दूसरा चरण (थोक विक्रेता	थोक विक्रेता के लिए शर्ट का मूल्य १३२ रू. २० रू. लाभ जोड़ने पर मूल्य १५२ रू. इस पर १० प्रतिशत टैक्स बनता है १५.२ रू. टैक्स जोड़कर शर्ट का मूल्य १५२+१५.२ = १६७.२ रूपये	थोक विक्रेता के लिए शर्ट का मूल्य १२० रू. २० रू. लाभ जोड़ने पर मूल्य १४० रू. इस पर १० प्रतिशत टैक्स बनता है १४ रू. निर्माता तक १२ रू. टैक्स लग चुका है अतः इस स्टेज पर शुद्ध टैक्स १४-१२ = २ रू. शर्ट का शुद्ध मूल्य १४० रू.
तीसरा चरण (फुटकर विक्रेता	रिटेलर के लिए शर्ट का मूल्य १६७.२ रू. रिटेलर ने लाभ जोड़ा १० रू. तो शर्ट का मूल्य १७७.२ रूपये इस पर १० प्रतिशत टैक्स बनता है १७.२ रूपये	रिटेलर के लिए शर्ट का मूल्य १४० रू. रिटेलर ने लाभ जोड़ा १० रू. तो शर्ट का मूल्य १५० रूपये इस पर १० प्रतिशत टैक्स बनता है १५ रूपये थोक विक्रेता तक १४ रू. टैक्स लग चुका है अतः इस स्टेज पर १५-१४ = १ रू. रिटेलर के लिए शुद्ध टैक्स
अंतिम चरण (ग्राहक)	ग्राहक पर पहुंचते समय निर्माता, थोक विक्रेता व रिटेलर की लागत व लाभ ९०+२०+२०+१० = १४० रू. सभी स्टेज पर लगे टैक्स १०+१२+१५.२+१७.७२ = ५४.९२ रू. ग्राहक हेतु शर्ट का मूल्य = १९४.९२ रू.	ग्राहक पर पहुंचते समय निर्माता, थोक विक्रेता व रिटेलर की लागत व लाभ ९०+२०+२०+१० = १४० रू. सभी स्टेज पर लगा जी.एस.टी. १०+२+२+१ = १५ ग्राहक हेतु शर्ट का मूल्य = १५५ रू.

वर्तमान कर व्यवस्था के सापेक्ष जी.एस.टी. के लाभः जी.एस.टी. लागू होने के बाद से सभी के मन में एक आधारभूत प्रशन यह है कि कई प्रकार के टैक्स समाप्त करके एकमात्र जी.एस.टी. उनका स्थान लेगा परन्तु यह कार्य केसे करेगा और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली का यह दावा कि जी.एस.टी. से महंगाई एवं कर जटिलता कम हो जायेगी जिससे अंततः आम जनता को लाभ प्राप्त होगा क्या वास्तव में सही साबित होगा। हमारे देश में अभी जो मूल्यवर्धित कर (वैट) व्यवस्था है उसमें एक स्टेज से दूसरे पर सामान जाने में जो टैक्स लगता है वह वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है अब वस्तु तीसरी स्टेज पर जाने में इस कुल मूल्य (प्रारंभिक मूल्य + टैक्स) पर टैक्स लगता है इस प्रकार हर एक स्टेज पर टैक्स पर भी टैक्स लगता जाता है जो उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने तक वस्तु का मूल्य बढ़ाता जाता है। इसके विपरीत जी.एस.टी. में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है जिससे किसी खास स्टेज पर जो टैक्स प्रचलित दर के अनुसार बनता है उसमें से पिछली स्टेज पर चुकाया गया टैक्स घट जाता है और हर स्टेज पर वस्तु के प्रारंभिक मूल्य पर ही टैक्स लगता है नाकि पहले चुकाये गये टैक्स पर। दोनों कर व्यवस्था को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं माना एक व्यक्ति १०० रूपये का कपड़ा खरीदकर उसकी शर्ट तैयार करके बेचता है तो दोनों व्यवस्थाओं (वैट व जी.एस.टी.) में खरीदार तक पहुंचते समय कुल कितना टैक्स बनता है यह सारणी संख्या ३ में तुलना करके समझाया गया हैं।

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि समान मूल्य की वस्तु पर टैक्स दर समान रहने पर भी वर्तमान मूल्यवर्धित टैक्स व्यवस्था में टैक्स ५४.६२ रू. पड़ता है जबकि जी.एस.टी. व्यवस्था में टैक्स दर समान रहने पर भी कुल टैक्स १५ रू. पड़ता है जिसका लाभ अंत में आम जनता को प्राप्त होगा।

आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों को जी.एस.टी. से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब उन्हें केवल एक ही टैक्स जी.एस.टी. का हिसाब रखना होगा अलग-अलग स्टेज पर लगने वाले विभिन्न टैक्स तथा हर राज्य में लगने वाले अलग-अलग दरों के टैक्स अब इतिहास में याद रखने की वस्तु बन जायेंगे। जी.एस.टी. लागू होने से १७ प्रकार के टैक्स समाप्त हो जायेंगे जिनमें केन्द्रीय करों में उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क (चिकित्सकीय व प्रसाधन पदार्थ), उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा उपकर जबकि राज्य के करों में वैट, बिक्री कर, खरीददारी कर, लग्जरी कर, एंट्री कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, लाटरी कर, राज्य उपकर व सरचार्ज शामिल है। इससे व्यापारियों के समय एवं धन दोनों की बचत होगी। एक राज्य से दूसरे में माल ले जाने पर एंट्री टैक्स समाप्त होने से वस्तुओं का परिवहन सस्ता एवं त्वरित हो जायेगा जिसका लाभ अंततः आम आदमी को प्राप्त होगा। जी.एस.टी. से नकदी अर्थव्यवस्था में भी कमी आयेगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए व्यापारी डिजिटल लेन-देन हेतु प्रोत्साहित होंगे जिससे अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रचलन में भी कमी आयेगी।

जी.एस.टी. लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है तो स्पष्ट है कि इसे लेकर बहुत सी आशंकायें भी हैं पहली यह कि जी.एस.टी. की सफलता कारगर आई.टी. सिस्टम पर निर्भर करती है। इस मोर्चे पर देश में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। दूसरी आशंका है शराब, पेट्रोलियम पदार्थों, बिजली, रियल स्टेट को जी.एस.टी. से बाहर रखना इससे राज्यों को इन वस्तुओं पर मनमाने कर निर्धारण का अधिकार मिल जायेगा जैसे अभी भी हर राज्य में पेट्रोल व डीजल व बिजली की कीमतें अलग-अलग हैं आम जनता इन्हें भी जी.एस.टी. के अंतर्गत देखना चाहती है और भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। तीसरी आशंका यह है कि जी.एस.टी. गंतव्य आधारित (Destination Based) कर है जिसके चलते अधिकतम खुदरा मूल्य या एम.आर.पी. (Maximum Retail Price) की अवधारणा अब खत्म हो जायेगी जिससे सरकार को मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की और अधिक सतर्क व कड़ी निगरानी करनी होगी। इस सबके बाद भी जी.एस.टी. लागू करना सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसका लाभ दीर्घकालीन अर्थों में व्यवसायियों, उपभोक्ताओं एवं अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा।

सन्दर्भ

१. महाकवि कालीदास कृत "रघुवंशम", १.१८
2. Jha, S.M., 'Taxation and the Indian Economy', Deep & Deep Publication, 1990, p.10.
3. Jha S.K., Kumar Ashish, 'Relevance of Thoughts of the Great Poet Kalidas on Taxation in Present Era', G.R.A. Vol.2, Issue 12, Dec. 2013, pp. 152-154.
4. www.m.economictimes.indiatimes.com
5. www.cbec.gov.in
6. www.cbec-gst.gov.in

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला उत्पीड़न : कारण और निवारण

❑ **डा० ज़किया रफत**

वर्तमान भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाल ही के वर्षों में घटित कुछ घटनाओं ने हमारी सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया और हमें महिला उत्पीड़न के विषय में सोचने को विवश कर दिया है। दिल्ली गैंगरेप काण्ड, जस्टिस गांगुली एवं स्वतन्त्र कुमार तथा तरूण तेजपाल के प्रकरणों में महिलाओं के साथ-साथ पुरूषों ने भी आवाज़ उठायी।[१] और सम्बन्धित कानून पर सवाल खड़े किये। तत्पश्चात गंभीर चिंतन-मनन के बाद कानून को संशोधित कर अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया गया।

> भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न एक गम्भीर समस्या है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की वर्ष २०१६ में प्रकाशित रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है कि आज महिलाओं को घर व बाहर दोनों जगह उत्पीड़ित होना पड़ता है। शिक्षण स्थलों, कार्यस्थलों, बस, टैम्पों, गली, मौहल्लों आदि स्थानों पर छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार, कन्या भ्रूण हत्या, अश्लील साहित्य और संचार साधनों में महिलाओं का गलत चित्रण, वेश्यावृत्ति, पारिवारिक अत्याचार, दहेज मृत्यु, बलात्कार, युवतियों का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर अपलोड करने जैसे उत्पीड़न के विविध रूप विकसित हो गये है। उपर्युक्त उत्पीड़न का प्रभाव महिलाओं के जीवन पर विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है परिणामस्वरूप उनके विकास का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है।

आज तीन दर्जन से भी अधिक कानून महिलाओं को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी महिला उत्पीड़न की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। **प्रतिदिन** दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाएं यथा, ''ट्रेन में महिला से छेड़छाड़''[२], ''बहन को बेचा सामूहिक दुष्कर्म''[३], 'पति ने सौंपा और देवर ने किया दुष्कर्म'[४], 'एक तरफा मुहब्बत में युवती का कत्ल''[५] आदि इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

वर्ष २०१६ में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट[६] के अनुसार, वर्ष २०१५ में भारत में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के कुल ३,२७,३६४ मामले दर्ज किये गये। महिलाओं के साथ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में ३५५२७ दर्ज हुए। ११३४०३ मामले भारतीय दंड संहिता की धारा ४९८-ए यानि पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई हिंसा के बिंदू के तहत दर्ज कराये गए हैं। दहेज प्रताड़ना के ९८९४, अपहरण के ५९२७७, बलात्कार के कुल ३४६५१ मामले दर्ज किए गए यानि देश में हर घण्टे बलात्कार के कहीं न कहीं चार मामले दर्ज होते हैं। यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि बलात्कार की ३४६५१ घटनाओं में से ३३०९८ घटनाओं (९५.४ प्रतिशत) में आरोपी और अपराधी परिचित/रिश्तेदार ही हैं। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि ७३९४ मामलों में किसी व्यक्ति ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया जबकि ८७.८८ प्रतिशत मामलों में बलात्कारी के रूप में किसी पड़ोसी का नाम सामने आया।

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि आज महिलाओं को घर व बाहर दोनों जगह उत्पीड़ित होना पड़ता है। शिक्षण स्थलों, कार्य स्थलों, बस, टैम्पों, गली मौहल्लों आदि स्थानों पर छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार, कन्या भ्रूण हत्या, अश्लील साहित्य और संचार साधनों में महिलाओं का गलत चित्रण, वेश्यावृत्ति, पारिवारिक अत्याचार और दहेज मौतें, बलात्कार[७], युवतियों की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर अपलोड करने जैसे उत्पीड़न के विविध रूप विकसित हो गये हैं।

उपर्युक्त उत्पीड़न का प्रभाव महिलाओं के जीवन पर विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। परिवार में महिलाओं को सम्मान न मिलना, सामाजिक निन्दा, सार्वजनिक अपमान, अनेकानेक सामाजिक निषेधों का पालन करने की विवशता, उत्पीड़न के सामाजिक प्रभाव को व्यक्त करते हैं। फलस्वरूप महिलाओं के दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाएं प्रभावित होती हैं और सामाजिक सामंजस्य में कठिनाई उत्पन्न होती है।[८] उनके विकास का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। कोई भी देश आधी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता।

अतः यह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। इस विषय पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किये जाने की महती

❑ **असोशिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आर.बी.डी. महिला महाविद्यालय, बिजनौर (उ.प्र.)**

आवश्यकता है।

प्रमुख अध्ययन : भारत में महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन हुए हैं परन्तु समय परिवर्तन के साथ नये अधिनियम एवं नये कार्यक्रमों के लागू होने पर पुराने अध्ययन अप्रासंगिक से हो जाते है। प्रमुख अध्ययन निम्न हैं-

सुशीला कौशिक[९] ने अपने अध्ययन में समाज में महिला उत्पीड़न की विभिन्न स्थितियों उनके स्वरूपों और अभिकर्ताओं के विश्लेषण के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अनेकानेक सुधारों और प्रयासों के बावजूद भी महिलाएं निरन्तर उत्पीड़न झेल रही है।

राम आहूजा[१०] ने अपना अध्ययन महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले विभिन्न अपराधों यथा बलात्कार, अपहरण, हत्या, वासना और मारपीट आदि पर केन्द्रित किया है।

हैन्नर हैल्वर, जिलना, रेडफोर्ड और एलिजाबेथ ए. स्टैंको[११] ने अपने अध्ययन में पाश्चात्य देशों में महिलाओं पर घर के बाहर होने वाले बलात्कारों तथा शारीरिक और लैंगिक उत्पीड़न के मुददे को उठाया है।

दीपा माथुर[१२] ने कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न की समस्याओं एवं उत्पीड़न के प्रभावों को प्रस्तुत किया है।

मंजूलता[१३] ने अपने अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों व प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित किया है।

मधुसूदन त्रिपाठी[१४] ने अपने अध्ययन में महिला विकास के विविध आयामों को १२ अध्यायों में प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्षित किया है महिलाएं विकास की दौड़ में अभी काफी पीछे है।

प्रियंका श्री[१५] ने अपना अध्ययन महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के स्वरूप तथा कारणों पर प्रकाश डाला है।

श्रृद्धा सुमन (२०१४)१६ ने अपने अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर उत्पीड़न के प्रभावों पर केन्द्रित किया है।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषणात्मक वर्णनात्मक शोध प्रचना के अन्तर्गत किया गया है। अध्ययन हेतु उददेश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा घटनाओं का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष २०१६ के दिसम्बर माह के दैनिक जागरण समाचार पत्र के जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पृष्ठ संख्या ३, ४, ५ व ६ पर प्रकाशित खबरों में से केवल महिला उत्पीड़न सम्बन्धी खबरों का ही चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु द्वैतीयक आंकड़े समाचार पत्रों से एकत्रित किये गये हैं फिर अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन कर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

उपलब्धियाँ : प्रस्तुत अध्ययन की निम्न उपलब्धियाँ रही हैं।

उत्पीड़न के स्वरूप

उत्पीड़न के स्वरूप	घटनाओं की संख्या	प्रतिशत
दुष्कर्म	७	२८
हत्या	३	१२
छेड़छाड़	५	२०
तेजाब फेंकना	१	४
दहेज हत्या	१	४
मारपीट	१	४
कूड़े के ढेर पर फेंका	१	४
अपहरण	१	४
देह व्यापार	१	४
बेच दिया	१	४
अश्लील वीडियो बनाया	२	८
जलाने का प्रयास	१	४
कुल	२५	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि एक माह में महिला उत्पीड़न की कुल २५ घटनाएं घटित हुई। जिसमें सर्वाधिक दुष्कर्म की २८ प्रतिशत, हत्या १२ प्रतिशत, छेड़छाड़ २० प्रतिशत, युवती पर तेजाब फेंकने की ४ प्रतिशत, दहेज हत्या ४ प्रतिशत, मारपीट ४ प्रतिशत, नवजात को कूड़े पर फेंकने की ४ प्रतिशत, अपहरण ४ प्रतिशत, बेचने ४ प्रतिशत, अश्लील वीडियो बनाने की ८ प्रतिशत, जलाने का प्रयास ४ प्रतिशत पायी गयीं।

यह भी ज्ञात हुआ कि दुष्कर्ष की कुल ७ घटनाओं में से ३ (४२.४ प्रतिशत) घटनाएं नाबालिगों के साथ घटित हुई। जिसमें एक घटना में पड़ोसी तथा २ में परिचित अपराधी थे। **१ (१४.४ प्रतिशत)** घटना में एक अधिकारी द्वारा छात्रा को नौकरी दिलवाने के नाम पर दुष्कर्म करता रहा जबकि एक (१४.४ प्रतिशत) घटना में एक युवक एक युवती को शादी का झांसा देकर ३ वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। १ (१४.४ प्रतिशत) घटना में एक युवक व उसके पिता ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया तथा १ (१४.४ प्रतिशत) घटना में स्वयं पति ने ही अपनी पत्नी को दुष्कर्म के लिए अपने दोस्तों को सौंपा।

छेड़छाड़ की ५ घटनाओं में से ८० प्रतिशत मनचलों द्वारा कालिज आती जाती लड़कियों के साथ की गयी। उपर्युक्त में से २० प्रतिशत घटना शौच के लिए गयी युवती से की गयी। **हत्या की ३** घटनाओं में से एक घरेलू नौकर द्वारा अंजाम

दी गयी। दूसरी घटना में पिता ने स्वयं पुत्री का गला दबाकर तेजाब डाल दिया। तीसरी घटना में हत्यारे का पता अभी चल नहीं पाया है। उपर्युक्त आंकड़ें यह दर्शाते है कि महिलाएं घर व बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है।

तालिका-२

उत्पीड़न के कारण

उत्पीड़न के कारण	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
प्रेम प्रसंग	४	१६
कामवासना	३	१२
देह व्यापार	१	४
दहेज	१	४
नौकरी	१	४
विवाह	२	८
प्रतिशोध	३	१२
सम्पत्ति	१	४
मद्यपान	३	१२
छेड़छाड़	५	२०
अवैध सम्बन्ध	१	४
कुल	२५	१००

तालिका २ से स्पष्ट होता है कि महिला उत्पीड़न के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे। महिला उत्पीड़न की २५ घटनाओं में से निम्न कारण उत्तरदायी रहे है। प्रेम प्रसंग १६ प्रतिशत, कामवासना १२ प्रतिशत, देह व्यापार ४ प्रतिशत, दहेज ४ प्रतिशत, नौकरी ४ प्रतिशत, विवाह ८ प्रतिशत, प्रतिशोध की भावना १२ प्रतिशत, सम्पत्ति ४ प्रतिशत, मद्यपान १२ प्रतिशत, छेड़छाड़ २० प्रतिशत, अवैध सम्बन्ध ४ प्रतिशत।

अतः वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बढ़ते हुए उत्पीड़न के लिए समस्त समाज दोषी है। आज नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। संयुक्त परिवार के विघटन से पारिवारिक बंधन जो कि जीवन के नैतिक आधार के स्रोत थे, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप महिलाएं यौन वस्तु ही समझी जाती हैं।

निवारण हेतु सुझाव : महिलाओं के प्रति ऐसी सोच को बदलने के लिए नैतिक शिक्षा को दिये जाने की आवश्यकता है। जिससे जैसे-जैसे समाज की सोच बदलेगी निःसन्देह महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आयेगी।

इसके अतिरिक्त यदि महिलायें शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा जागरूक होंगी और महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित जनहित मामलों में त्वरित कार्यवाही होगी तब उत्पीड़न की समस्या पर स्वतः अंकुश लगेगा।

सन्दर्भ

१. सिंह, रूपेश कुमार, 'भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न एवं कानून : चुनौतियां एवं समाधान', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष १७ अंक जन-जून २०१५, पृ० २७-३३

२. दैनिक जागरण, 'ट्रेन में महिला से छेड़छाड़', विरोध पर नीचे फेंका। ५ जनवरी २०१७, पृ० १०

३. दैनिक जागरण, ५ जनवरी, २०१७, पृ० १०

४. दैनिक जागरण, ५ जनवरी, २०१७, पृ० १२

५. वही

६. क्राइम इन इंडिया, २०१५

७. लता मंजू, ''अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, २००४ पृ० १२४।

८. वही, पृ० १२६

९. कौशिक सुशील, ''आपरेशन अगेंस्ट वुमैन, पैटर्न एण्ड पर्सपैक्टिव'', सम्पादित विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १९८५।

१०. आहूजा राम, ''क्राइम अंगेस्ट वुमैन'', नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशंस, १९८७, पृ० १०-१२

११. हैन्नर, जलना, रेडफोर्ड गिल तथा ऐलिजाबेथ ए. स्टेंको, 'वुमैन पोलिसिंग एंड मेल वॉयलेंस, इंटरनेशनल पर्सपैक्टिव', लन्दन तथा न्यूयाक्र : रूटलेज पब्लिशर्स, १९८९।

१२. माथुर दीपा, ''वुमैन-फैमिली एंड वक्र'', रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, १९९२

१३. लता मंजू, 'अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, २००४

१४. त्रिपाठी मधुसूदन, ''महिला विकास एक मूल्यांकन'', ओमेगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, २००८

१५. श्री, प्रियंका, ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा : एक अध्ययन'' राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, जनवरी - जून, वर्ष १६ अंक १, २०१४, पृ० ८७-८९

१६. सुमन श्रृद्धा, ''अनुसूचित जाति की महिलाओं में उत्पीड़न के सामाजिक प्रभाव'', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष १६ अंक १, २०१४, पृ० १५३-१५६

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

भारत में उपभोक्ता व्यवहार पर वैश्विक कारकों का प्रभाव

❑ **प्रियंका लोदवाल**

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक है उपभोक्ताओं की पसंद पर वैश्वीकरण के प्रमुख संचालकों की प्रभावशीलता को मापना अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन रीति में परिवर्तन के कारण तथा प्रभाव के सम्बन्धों की जांच करना तथा उक्त संचालकों में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्रय व्यवहार में परिवर्तन की जांच करना है। मूल रूप से अध्ययन वैश्वीकरण और उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार के विश्लेषण का एक प्रयास है।

भारत में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु विभिन्न उत्पाद श्रृंखला उपस्थित हैं। बाजार में खाद्य, पेय और कपड़ों के क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा है जो तेजी से बढ़ रहा है।[१]

वैश्विक प्रबंधकीय प्रथाओं और वैश्विक बाजारों में एकीकरण के अवसरों के सम्पक्र से जीवनशैली, शिक्षा, यात्रा और आय में परिवर्तन ने भारतीय उपभोक्ता के उपभोग तरीकों को बदल दिया है। भारतीय उपभोक्ता का व्यवहार विकसित देशों की तुलना में बहुत अलग है।

उदारीकरण के बाद वर्ष १९९१ में भारत सरकार ने उत्पादकता, मानक, बुनियादी संरचना आदि में विकास के उद्देश्य के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया क्योंकि विशाल मध्यम वर्ग के बाजार ने धन उत्पाद के लिए मूल्य की मांग की जिसकी पूर्ति के लिए आधुनिक स्वरूपों में मॉल, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का विकास क्रय के अनुभव तथा दक्षता में वृद्धि करता है।[२]

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप देश एक दूसरे के साथ अधिक स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में सक्षम हो गये हैं, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध सेवाओं तथा उत्पादों की बहुताय श्रृंखला उपलब्ध है।[३] कई मुक्त व्यापार समझोतों पर हस्ताक्षर होने से पहले इन उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं में से कई अकल्पनीय थे। वैश्वीकरण ने उपभोक्ताओं के लिए जीवन की गुणवत्ता के निर्माण के लिए श्रेष्ठ वस्तु क्रय करने के अनेक विकल्प उपलब्ध किये हैं। वैश्वीकरण के द्वारा उचित कीमतों पर कई उपभोग विकल्प उपलब्ध हुए हैं। वैश्वीकरण ने दुनियाभर के समाजों और संस्कृतियों में परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। प्रस्तुत अध्ययन मूल रूप से वैश्वीकरण और उपभोक्ता के क्रय व्यवहार पर आधारित है। अध्ययन ग्राहकों की पंसद, व्यवहार और प्राथमिकताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सापेक्ष कीमतों और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उनके सांस्कृतिक स्वीकृति के साथ ग्राहकों के वांछित उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए विकसित रणनीति विकास की आवश्यकता है।[४]

वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। क्रय निर्णय तथा उक्त कारकों के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। उत्पाद के आकार और गुणवत्ता के आधार पर ग्राहक धारणा बदल रही है तथा ग्राहक कम कीमत पर श्रेष्ठ वस्तु की मांग करते है।[५] उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक (बाजार की दूरी, बाजार का आकार, दुकान का स्वरूप, मौसम तथा निर्माता कम्पनी आदि।), आर्थिक, यातायात तथा विक्रेता व्यवहार, वस्तु उपलब्धता आदि कारकों का महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में उपभोक्ता गुणवत्ता को परखने के लिए ब्रांड नाम का उपयोग करते हैं। ब्रांड का देशी या विदेशी आधार पर चयन किया जाना ग्राहक व्यवहार बन चुका है।[६] विदेशी ब्रांड का उपयोग जहाँ आर्थिक सम्पन्नता का द्योतक है वहीं स्वदेशी ब्रांड का चयन स्वास्थ्य स्तर तथा गुणवत्ता के आधार पर किया जाने लगा है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होने का वांछित स्तर प्राप्त करना चाहता है। कम्पनियां उत्पाद में अधिक उत्कृष्टता प्रदान करती हैं जिससे उपभोक्ता के सन्तुष्टि स्तर में वृद्धि हो सके। उक्त कारक वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता द्वारा उत्पाद स्वीकार्यता का कारण हो सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक है उपभोक्ताओं की पसंद पर वैश्वीकरण के प्रमुख संचालकों की प्रभावशीलता को मापना अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन रीति में परिवर्तन के कारण तथा प्रभाव के सम्बन्धों की जांच करना तथा उक्त संचालकों में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्रय व्यवहार में परिवर्तन की जांच करना है।

❑ **शोध अध्येत्री अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)**

साहित्य समीक्षा :

मलिक[7] **:** संगठित खुदरा व्यापारियों को उत्पाद की गुणवत्ता, स्टोर सुविधा, बिक्री के बाद नए उत्पादों की उपलब्धता और आकर्षण प्रोत्साहन योजनाओं के साथ खरीदारों को आकर्षित करने के मामले में ग्राहकों की सन्तुष्टि को बढ़ाने की आवश्यकता है।

भटनागर गीतांजली[8] : आधुनिक आपूर्ति श्रंखलाओं में विशिष्ट गुणवत्ता आवश्यकताऐं है। आधुनिक मूल्य श्रंखलाओं में छोटे किसानों को जोडने के कई सफल उदाहरण हैं।

रामनाथन वी वी. एवं हरि के के.[9] : मास मीडिया और प्रत्यक्ष विज्ञापन भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के सूचना स्रोत हैं। कंपनियों को बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग करना चाहिए।

गुप्ता, अग्रवाल एवं सिन्हा[10] : खरीदने से पहले कंपनियों को अपने उत्पादों/सेवाओं का अनुभव करने के लिए ग्राहकों को मौका देना चाहिए। उत्पाद का उपयोग करने के बाद क्रेता गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं।

बसीर एवं लक्ष्मी[11] : भारतीय बाजार में बिक्री के बाद सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। विक्रय पश्चात् सेवाओं में वृद्धि करना उपभोक्ताओं की निराशा से बचने के लिए आवश्यक है। यह निर्माताओं के प्रत्यक्ष बिक्री के श्रेष्ठ परिणाम की स्थापना के साथ संभव है।

आरिफ और कनीज[12] : विपणन विचार विमर्श, मूल्य निर्धारण, पदोन्नति, विचारों/ वस्तुओं/सेवाओं का वितरण, योजनाबद्ध पदोन्नति और निष्पादन के विनिमयों की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संगठनात्मक अथवा व्यक्तिगत विपणन उददेश्यों को पूरा करते हैं।

स्मिथ एवं एल्सवर्थ[13] : उपभोक्ताओं की भावनाओं को मापने में एक पसंदीदा रणनीति उन भावनाओं को महत्व देना है जो पूछताछ के क्षेत्र से अधिकतर सम्बन्धित है। इसलिए विक्रय सन्दर्भ बनाम सामान्य मानवीय भावनाओं को अनुकूलित भावनात्मक अनुभवों की सूची बढ़ाना वांछनीय हो सकता है।

भटनागर एवं घोष[14] : मनौदैहिक बल उपभोक्ताओं को कार्य पूरा करने, एक कुशल और पसंद के आधार पर उत्पादों को क्रय करने के अतिरिक्त, आनन्दायक, साहस और निश्चित क्रय मूल्य निर्धारण कारक है।

इब्राहिम और वी[15] : क्रयशक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की ओर ध्यान केन्द्रित करके क्रेता की प्रेरणा की जांच की है, जो खरीदारी के सुखदायक अनुभव को प्रभावित करता है, उत्पाद लागत, स्पष्ट मूल्य, व्यवहार और बचत और सन्तुष्टि के साथ उपभोक्ताओं को जोडने के रूप में देखा गया है।

राव, पी.पी. और कपूर ए.[16] : खरीदार की कई विशेषताएँ जैसे कार्यात्मक खरीदार प्रेरणा, सौदा स्पष्टता, मनोरंजक खरीदारी प्रेरणा, उम्र, आय और परिवार के आकार, मॉल शॉपिंग आवृत्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।

इयान और ग्रेस[17] उपभोक्ताओं के नजदीकी बाजार, बड़े बाजारों और खरीदारी के प्रति दृष्टिकोण मॉल और सम्बन्धित कारणों का विश्लेषण, उम्र, शिक्षा और आय के अनुसार किया गया। उपभोक्ता की पंसद तथा आय-व्यय संरक्षण के कारणों को जानना है।

बी. राजुल[18] : सुपरमार्केट तथा किराना उत्पादों की क्रय शक्ति पर विक्रेताओं के व्यवहार, वातावरण तथा ग्राहक की पंसद का ग्राहक सन्तुष्टि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक के रूप में दर्शाया गया है।

बी. डाइटर[19] : विक्रय पर विभिन्न कारक जैसे निजीकरण, सुविधाऐं, जवाबदेही, लचीलापन, सौजन्य, नियमित ग्राहक सहानुभूति और पाक्रिग, विशेषाधिकार के साथ ग्राहक सन्तुष्टि के द्वारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने तथा बनाये रखने में सहायक है।

डी. एस. जीवानंद[20] :उत्पाद गुणवत्ता, ब्रांड की विविधता, सुविधा, प्रशिक्षित बिक्रीकर्मी, सुरक्षा तथा पार्किंग के कारण उपभोक्ताओं की आधुनिक खुदरा बाजार के रूप में मॉल तथा सुपरमार्केट की पंसद में वृद्धि हुई है।

मिश्रा आर के.[21] : उपभोक्ता क्रय निर्णय को प्रभावित करते है जैसे आयु, आय, लिंग, व्यवसाय और शिक्षा आदि महत्वपूर्ण कारक है जिनका क्रय शक्ति पर प्रभाव पडता है।

विद्या श्रीनिवास[22] : उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि, लाभप्रदता में सुधार और तीव्र विस्तार योजनाबद्ध बाजार क्षेत्र में सूचीबद्ध प्रतियोगियों के लिए बेहतर योजना की आवश्यकता है।

वर्मा एच च. एवं मदन पी पी.[23] : उपभोक्ताओं के मन में दुकान की छवि धारणाओं में परिवर्तन हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मित्तल[24] : व्यावसाय के प्रारूप, उत्पाद मिश्रण तथा उत्पाद विशेषताओं पर खुदरा व्यवसाय की विक्रय क्षमता निर्भर करेगी। ग्राहक क्रय की प्रेरणा को विकसित करने के लिए वस्तु गुणवत्ता तथा उत्पाद मिश्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

जयवर्धन[25] : बिक्री कर्मचारियों के ग्राहक और सेवा अभिविन्यास के प्रभाव तथा उत्पाद गुणवत्ता, ग्राहक की धारणाओं, सेवा

गुणवत्ता तथा मूल्य, ग्राहक सन्तुष्टि और व्यवहारवादी मनोवृत्ति के मध्य सम्बन्ध देखा गया। अध्ययन में पाया गया कि सेवा और ग्राहक अभिविन्यास व्यवहार सकारात्मक रूप से सेवा सुविधा गुणवत्ता तथा उत्पाद गुणवत्ता से सम्बन्धित है। ग्राहक सन्तुष्टि मूल्य से सम्बन्धित है तथा ग्राहक सन्तुष्टि व्यापारी के व्यवहार से सम्बन्धित है।

भारद्वाज[२६] : गुणवत्ता तथा उपभोक्ता धारणा के मध्य सम्बन्ध को उपभोक्ता सन्तुष्टि तथा विक्रय माध्यम के मध्य सम्बन्ध को देखा गया। कम्पनियां उपभोक्ता सन्तुष्टि के लिए नीतियों के निर्माण की विधि का पालन कर रही हैं।

चौबे[२७] : उपभोक्ताओं की पूर्व धारणा तथा उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर खुदरा व्यपारियों द्वारा विक्रय प्रणाली का निर्माण किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :-

१. विभिन्न वैश्विक कारकों के उपभोक्ता व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

२. वैश्विक स्तर पर उपभोग वस्तुओं के समान भारतीय उपभोक्ता के व्यवहार परिवर्तन की जांच करना।

परिकल्पना :

$H_0$2: उपभोक्ता के व्यवहार को विपणन तकनीकी प्रभावित नहीं करती है।

शोध प्रविधि : वैश्वीकरण के परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं के व्यवहार परिवर्तन की जांच करने के लिए इन्दौर नगर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों के दैव निदर्शन विधि से चयनित २५० उत्तरदाताओं को अध्ययन का आधार बनाया गया है जिनमें मुख्य रूप से छात्र, पेशेवर तथा घरेलू महिलाएं सम्मिलित हैं। उत्तरदाताओं से क्रय व्यवहार पर विभिन्न कारकों के प्रभाव जानने के लिए साक्षात्कार अनुसूचि से प्राप्त तथ्यों को अध्ययन का आधार बनाया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में उपभोक्ता क्रय व्यवहार, उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय को मूल्य, गुणवत्ता, तकनीक तथा विपणन रीति के आधार पर क्रय निर्णय को शामिल किया गया है।

सैधान्तिक अवधारणा

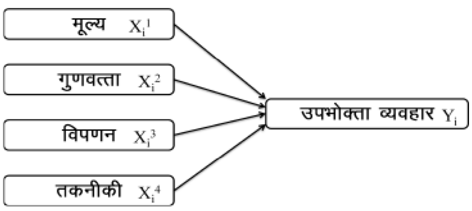

निदर्श Yi = F(Xi) सरल रेखीय प्रतिपगमन बनाने पर

Yi = a+ßxi+ui .... समीकरण (१)

जहाँ Yi = आश्रित चर (dummy) (उपभोक्ता क्रय व्यवहार)

Xi = स्वतन्त्र चर (dummy) (मूल्य, गुणवत्ता, तकनीक तथा विपणन रीति)

a = स्थिरांक

ß = ढ़ाल गुणांक

ui = =qfV पद

तथ्य विश्लेषण : विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं (छात्र, पेशेवर तथा महिलाओं) के वैश्विक स्तर की वस्तुओं के क्रय व्यवहार को जानने के लिए दैव निदर्शन विधि से चयनित २५० उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी का वर्णन तालिका क्रमांक १ में किया गया है -

तालिका क्रमांक - १

उत्तरदातओं की व्यक्तिगत जानकारी

विवरण	विशेषता	आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग	पुरूष	१६२	७६.८
	महिला	५८	२३.२
आयु	१८-३०	११३	४५.२
	३१-५५	१३७	५४.८

उपर्युक्त तालिका क्रमांक १ से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में ७६.८ प्रतिशत पुरूष तथा २३.२ प्रतिशत महिलाऐं है। आयु वर्ग के अन्तर्गत १८ से ३० वर्ष के मध्य ४५.२ प्रतिशत तथा ३१ से ५५ वर्ष के अन्तर्गत ५४.८ प्रतिशत है।

तालिका क्रमांक - २

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

विवरण	पुरूष		महिला	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
१२ वीं अथवा कम	१२	६.२५	१८	३१.०४
स्नातक	१४६	७६.०४	२४	४१.३८
स्नातकोत्तर अथवा अधिक	३४	१७.७१	१६	२७.५८
कुल	१६२	१००	५८	१००

उपर्युक्त तालिका क्रमांक २ से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में पुरूष वर्ग में १२ वीं अथवा कम शिक्षित ६.२५ प्रतिशत, स्नातक स्तर ७६.०४ प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर अथवा अधिक १७.७१ प्रतिशत उत्तरदाता हैं। महिला वर्ग में १२ वीं अथवा कम शिक्षित ३१.०४ प्रतिशत, स्नातक स्तर ४१.३८ प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर अथवा अधिक २७.५८ प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

तालिका ३

उत्तरदाताओं की व्यवसायिक स्थिति

विवरण	पुरूष		महिला	
छात्र	६७	३४.४६	७	१२.०७
नौकरी/पेशेंवर	१२५	६५.११	२१	३७.२०
गृहणी	-	-	३०	५१.७३
कुल	१९२	१००	५८	१००

उपर्युक्त तालिका क्रमांक ३ से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में पुरूष वर्ग में ३४.८६ प्रतिशत छात्र तथा ६५.११ प्रतिशत नौकरी अथवा पेशेवर हैं। महिला वर्ग में १२.०७ प्रतिशत छात्रा, ३६.२० प्रतिशत नौकरी अथवा पेशेवर तथा ५१.७३ प्रतिशत गृहणी हैं।

तालिका क्रमांक - ४

उत्तरदाता चयन का स्थान

विवरण	पुरूष		महिला	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
मॉल	६१	३१.७७	१९	३२.७६
सुपरमार्केट	७३	३८.०३	३२	५५.१७
ब्रांड शोरूम	५८	३०.२०	७	१२.०७
कुल	१९२	१००	५८	१००

उपर्युक्त तालिका क्रमांक ४ से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में पुरूषों का दैव निदर्शन विधि से चयन ३१.७७ प्रतिशत मॉल, ३८.०३ प्रतिशत सुपरमार्केट तथा ३०.२० प्रतिशत ब्रांडेड शोरूम से किया गया है। महिला उत्तरदाताओं का चयन ३२.७६ प्रतिशत मॉल, ५५.१७ प्रतिशत सुपरबाजार तथा १२.०७ प्रतिशत ब्रांडशोरूम से किया गया है।

प्राक्कल्पना :-

$H_0$2: उपभोक्ता के व्यवहार को वस्तु से सम्बन्धित वैश्विक कारक (मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीकी) प्रभावित नहीं करता है।

Ha: उपभोक्ता के व्यवहार को वस्तु से सम्बन्धित वैश्विक कारक (मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीकी) प्रभावित करता है।

सरल प्रतीपगमन समीकरण :-

$Yi = \alpha+\beta x_i+u_i$.................. समीकरण (१)

स्वतन्त्र चर	dummy
मूल्य	हॉं-१, नहीं-०
तकनीक	हॉं-१, नहीं-०
गुणवत्ता	हॉं-१, नहीं-०
विपणन तकनीक	हॉं-१, नहीं-०
आश्रित चर	dummy
उपभोक्ता क्रय निर्णय (व्यवहार)	हॉं-१, नहीं-०

सम्पूर्ण मॉडल में उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को तालिका क्रमांक ५ द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक ५

	Unstandard Aed Coefficients		Standard Aed Coefficients	t-Value	Sing. Level
	B	Std. Error	Beta		
Constant	4.065	0.499		8.152	0.000
मूल्य	0.243	0.292	0.128	0.832	0.410
तकनीकी	0.469	0.302	0.279	1.554	0.128
गुणवत्ता	0.293	0.312	0.169	0.937	0.354
विपणन तकनीक	0.450	0.529	0.231	0.850	0.400

R= .527
R-Square = .278
Adj. R-Square = .253
F = 11.095 Sig. .000

तालिका ५ से स्पष्ट है कि मूल्य, तकनीकी, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीक और उपभोक्ता व्यवहार के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है। जहाँ R निर्भर चर में प्रतिशत परिवर्तन दिखाता है तथा R-Square स्वतंत्र चर के कारण निर्भर चर में प्रतिशत परिवर्तन दिखाता है। आश्रित चर में २७.८ प्रतिशत परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण है। मॉडल फिटनेस और महत्व मान को ०.०४ से कम होना चाहिए। उपर्युक्त तालिका में सार्थकता स्तर ०.००० है जो ०.०५ प्रतिशत सें कम है।

सम्पूर्ण प्रतीपगमन मॉडल में उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों (मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीकी) के मध्य (.५२ प्रतिशत) सह-सम्बन्ध है तथा R2 = 0.278 है, जो स्पष्ट करता है कि मॉडल में २७ प्रतिशत परिवर्तन उपर्युक्त वर्णित सार्थक चर है, जबकि ७३ प्रतिशत परिवर्तन अन्य कारकों का प्रभाव है। F = 11.098 ($p<0.001$) स्तरीय सार्थक परिणाम को दर्शाता है। अतः प्राकल्पनों Ha: उपभोक्ता के व्यवहार को वस्तु से सम्बन्धित वैश्विक कारक (मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीकी) प्रभावित करता है।'' सांख्यिकीय रूप से स्वीकृत होती है। स्पष्ट है कि २७ प्रतिशत उपभोक्ता क्रय व्यवहार पर मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीक का प्रभाव पड़ता है जबकी ७३ प्रतिशत अन्य कारकों का प्रभाव उपभोक्ता व्यवहार पर पडता हैं। अतः उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले अन्य कारक अधिक प्रभावशील हैं।

मूल्य क्रय की संभावना का मुख्य और स्पष्ट कारक है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि मूल्य और क्रय के व्यवहार के मध य महत्वपूर्ण सह-सम्बन्ध है। यदि उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो उत्पाद खरीद लेता है जबकि मंहगा होने पर मूल्य कम होने की प्रतिक्षा करता है। उपभोक्ता का यह व्यवहार सम्पूर्ण विश्व पर समान रूप से लागू होता है।

उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते है। उपभोक्ता दुनियाभर के विभिन्न उत्पादों की तुलना करते है, युवाओं के लिए बाजार का वातावरण विशेष रूप से परिवर्तित हुआ है। क्रय विक्रय के तरीको में परिवर्तन हुआ है। आज जहाँ सुपरबाजार, मॉल के चलन के साथ ऑनलाइन क्रय विक्रय के साथ भुगतान के तरीको में बदलाव आया है। इसे तकनीकी क्रान्ति के रूप में जाना जाता है किन्तु इसके लिए वैश्वीकरण की नीति का महत्वपूर्ण योगदान है।

गुणवत्ता का क्रय व्यवहार पर सकारात्क प्रभाव है। गुणवत्ता बढ़ने से उपभोक्ता उत्पाद को पंसद करते है। दुनियाभर के उपभोक्ता क्रय प्रक्रिया में उत्पाद गुणवत्ता को प्राथमिकता देते है। गुणवत्तायुक्त वस्तुओं के क्रय के प्रति उपभोक्ताओं का व्यवहार सकारात्मक है।

उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में विपणन तकनीक महत्वपूर्ण सकारात्मक रूप से प्रभावी है। विपणन रणनीतियों को मजबूत बनाकर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है। विपणन रीति तथा नीति में परिवर्तन के द्वारा ग्राहक संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

निष्कर्ष : निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार को मूल्य, तकनीकी, गुणवत्ता तथा विपणन पद्धति का सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान बाजार में ग्राहक वस्तु के स्वरूप, मूल्य उपलब्धता का स्थान आदि पूर्व जानकारी विज्ञापन माध्यमों से प्राप्त करने के बाद क्रय निर्णय लेता है। उत्पाद की गुणवत्ता तथा सन्तुष्टि उपयोग करने के बाद अनुभव करता है। वस्तु उपयोग से सन्तुष्टि, गुणवत्ता, तकनीकी तथा विपणन मूल्य, उपलब्धता, भुगतान का प्रकार उपभोक्ताओं को समान रूप से प्रभावित करते है। उक्त विशेषताओं में कमी अथवा वृद्धि उत्पाद के क्रय-विक्रय पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

सन्दर्भ

1. Zeithaml, V., "The new demographics and market fragmentation". Journal of Marketing, 49, 1985, p. 64-75.
2. Bhattacharyya Rajib, "The Opportunities and Challenges of FDI in retail in India". Journal of Humanities and social science(JHSS), 5(5), 2012, p. 104-106
3. Jahangir, Benn, "Globalization and Information Management Strategies". Journal of Management Information Systems, Vol. 7 (No. 4), 1991, p 12.
4. Indrayani, siringoringo, Saptariani, "Impact of Price on Brand Loyalty Sensitivity". Delhi Business Review, 9 (2), 2008, pp. 17- 24.
5. Gupta, Stewart, "Customer Satisfaction and Customer Behavior: The Differential Role of Brand and Category Expectations". Marketing Letters, Vol. 7 (No. 3), 1996, pp. 258-261.
6. Atul, Jagdish, "Customer Relationship Management: Emerging Practice, Process, and Discipline". Journal of Economic and Social Research, 3(2), 2001, p. 16.
7. Malik, M., "A study on Customer's satisfaction towards service quality of Oranized retail stores in Haryana" Indian Journal of Marketing, Vol.42, No.2, 2012, pp.51-60.
8. Bhatnagar Gitanjali, "Retail Revolution", Indian Journal of Marketing, 2004.
9. Ramanathan V. and Hari K., "Structural changes in Indian Retail market: From Unorganized to Organized" Indian Journal of Marketing, December, 2008, pp-34- 40
10. Gupta C.P, Agarwal R. and Sinha M., "Organized Retailing and its effect on the consumer buying behavior with special reference to Agra city", Journal of Marketing and Communication Vol- 4 Issue-1, 2008, (May- August) pp-80-88 .

11. Baseer A. and Laxmi Prabha G. , "Prospects and Problems of Indian Retailing", Indian Journal of Marketing, October, 2007, pp. 26-28
12. Sheikh Arif and Fatima Kaneez, "Retail Management", 1st ed., Himalaya Publication, 2008.
13. Smith C.A. and Ellsworth P.C, "Patterns of cognitive appraisal in emotion", Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1985, pp. 813- 838.
14. Bhatnagar A. and Ghosh S., "A latent class segmentation analysis of E- Shoppers", Journal of Business Research, 57(7), 2004, pp. 758-767.
15. Ibrahimand M.F. and Wee C.N., "Determinants of entertaining shopping experiences and their link to consumer behavior : Case studies of shopping centers in Singapore" J. Retail. Leisure Property, 2(4), 2003, pp 338-357.
16. Rao, P. P., and Kapoor, A, "Scope of Food Retailing: The Amul Preferred Outlets", The ICFAI Journal of Services Marketing, 4(4), 2006, pp. 6-12.
17. Ian P. H. L. and Grace L. B., "Customer satisfaction towards retailers," ICA, ICA NÄRA and Coop Forum, 2011.
18. Rajul B., "A critical review of the factors affecting purchase intention of consumers," Journal of Business and Information System, Vol. 2, 2011, pp. 46-48.
19. Dieter B., "Supermarkets on the rise", The Daily Star, December 26, 2008.
20. Jeevananda D.S., "A study on customer satisfaction level at hypermarkets in Indian retail industry", Research Journal of Social Science & Management, Vol.1., 2011
21. Mishra, R.K. , 'Benchmarking scheme for retail stores efficiency', International Journal of Marketing studies, 1(2), 2007.
22. Srinivasan Vidya, "What is in Store", Business India, May 2002, P.95.
23. Verma, H., and Madan, P., "Factors analysing the store attributes to identify key components of store image". IJMMR, 2(1), 2011.
24. Mittal, A, "Store Attitude Salience: A Comparison of Grocery and Apparel Shopping Scenario". AIMA Journal of Management Research, 3(4/4), 2009, pp. 1-18.
25. Jayawardhena, C., "Effects of retail employees behaviours on customers' service evaluation". International Journal of Retail & Distribution Management, 39 (3), 2011, pp. 203-217.
26. Bhardwaj, R, "Impact of Retail Attribute Perceptions on Consumer Satisfaction and Sales Performance", Retrieved from http: //www. docstoc.com/ docs/27329330/?Impact-of-Retail-Attribute-Perceptions-on-Consumer-Satisfaction-and-Sales-Performance?, 2009
27. Chaubey, D. S, "Retailing in the Emerging Business Environment: A Study of Consumer Perceptions towards Store Image", Store Patronage and Store Loyalty in the Garhwal Region. Gyanpratha - Accman Journal of Management. January issue., 2009

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

स्लमवासियों की आवासीय दशाएं एवं संरचनात्मक सुविधाएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ डॉ. लोकेश जैन

विश्व में औद्योगिक क्रान्ति ने वैश्विक स्तर पर मानव समाज को बहुमुखी प्रगति और विकास की ओर अग्रसर किया है। इसके कारण मानव गौरवान्वित हुआ है और उसने सभ्यता के सर्वोच्च शिखर की ओर पहुँचने का प्रयास किया है। नगरीकरण एवं औद्योगीकरण एक- दूसरे के पूर्वगामी हैं। नगरीकरण एवं औद्योगीकरण ने जहाँ एक ओर व्यक्ति को विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान व अच्छी वैज्ञानिक समझ प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर निम्न जीवन स्तर, आवास की कमी, कुपोषण, वैयक्तिक- पारिवारिक- सामुदायिक विघटन, बेरोजगारी, अपराधों में वृद्धि एवं स्लम्स जैसी जटिल समस्याएं भी पैदा की हैं। स्लम्स में निवास करने वाले लोगों को निम्न गुणवत्तापूर्ण जीवन, मूलभूत सुविधाओं के अभाव एवं स्वास्थ्य का गंभीर रूप क्षरण करने वाली परिस्थितियों मे जीवनयापन के लिए विवश होना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं स्लमवासियों की आवासीय दशाओं एवं संरचनात्मक सुविधाओं को उजागर करने का एक प्रयास रहा है।

विश्व में औद्योगिक क्रान्ति ने वैश्विक स्तर पर मानव समाज को बहुमुखी प्रगति और विकास की ओर अग्रसर किया है। इसके कारण मानव गौरवान्वित हुआ है और उसने सभ्यता के सर्वोच्च शिखर की ओर पहुँचने का प्रयास किया है। नगरीकरण एवं औद्योगीकरण एक- दूसरे के पूर्वगामी हैं। नगरीकरण एवं औद्योगीकरण ने जहाँ एक ओर व्यक्ति को विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान व अच्छी वैज्ञानिक समझ प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर निम्न जीवन स्तर, आवास की कमी, कुपोषण, वैयक्तिक- पारिवारिक- सामुदायिक विघटन, बेरोजगारी, अपराधों में वृद्धि एवं स्लम्स जैसी जटिल समस्याएं भी पैदा की हैं।

नगरों को भौतिक सुविधा, सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, मनोरंजन के नवीन साधन, तीव्र आर्थिक विकास व रोजगार का केन्द्र माना जाता है। औद्योगिक नगरों मे आजीविका के साधनों के अनेक विकल्प उपस्थित होते हैं, जो ग्रामीण समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवासन होता है। परिणामस्वरूप नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण प्रवासियों के समक्ष आवास की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

आवास के अभाव में प्रवासी जन समुदाय अव्यवस्थित व अनियोजित तरीके से अपने रोजगार क्षेत्र के आस-पास निवास करने लगते हैं और धीरे-धीरे ये क्षेत्र स्लम्स के रूप में विकसित हो जाते हैं। अव्यवस्थित व अनियोजित तरीके से विकसित स्लम्स में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सूर्य के प्रकाश, शुद्ध वायु, स्वच्छ पानी आदि का अभाव, अत्यधिक भीड़भाड़, गरीबी, नशाखोरी, अस्वच्छ और अस्वस्थ आदतें, विचलित व असामाजिक व्यवहार, सामाजिक अलगाव आदि समस्याएं पनपने लगती हैं।

भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या अधिकता के जहाँ लाभ हैं, वहाँ हानियां भी हैं। भारत, २०१७ के अनुसार शहरीकरण आर्थिक विकास को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत की २०११ की जनगणना के अनुसार शहरों की संख्या ७,६३५ है जिनमें वैधानिक मान्यता वाले शहर ४,०४१ और जनगणना की दृष्टि से मान्य ३,८९४ शहर शामिल है।[1]

नगरीय क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि यहां भी जनगणना, २००१ की तुलना में जनगणना, २०११ में ०३.३४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत की जनगणना, २०११ के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का हिस्सा ३१.१६ प्रतिशत है। प्रति दशकीय नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्राइमरी सेंसेक्स अब्सट्रेक्ट फॉर स्लम, २०११, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एण्ड सेंसेक्स कमिश्नर, इंडिया, नई दिल्ली के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जनगणना, २००१ अनुसार नगरीय जनसंख्या २८,६१,१९,६८९ से बढ़कर २०११ में ३७,७१,०६,१२५ हो गई है। अर्थात् दशकीय जनसंख्या वृद्धि ९,०६,८६,४३६ (३१.८० प्रतिशत) है।

नगरीय क्षेत्र में स्लम की जनगणना, २००१ अनुसार जनसंख्या ५,२३,७१,५८९ से बढ़कर जनगणना, २०११ के अनुसार ६,५४,९४,६०४ हो गई है अर्थात् दशकीय स्लम्स में

❑ एम. फिल. व पीएच. डी.-समाजशास्त्र, जयपुर (राजस्थान)

जनसंख्या वृद्धि १,३१,२३,०१५ (२५.०६ प्रतिशत) है। स्लम में हाऊस होल्ड की संख्या जनगणना, २००१ अनुसार १,०१,५०,७१६ थी, जो बढ़कर जनगणना, २०११ में १,३६,२०,१६१ हो गई है। अर्थात् दशकीय स्लम में हाऊस होल्ड की संख्या में वृद्धि ३७,६६,४७२ (३७.१४प्रतिशत) है। भारत में जनगणना, २००१ अनुसार १७४३ नगरों/कस्बों में स्लम्स पाई गई थी, जबकि जनगणना, २०११ अनुसार २६१३ नगरों/कस्बों में स्लम्स पाई गई हैं। अर्थात् दशकीय स्लम की संख्या में वृद्धि ८७०(४६.६१प्रतिशत) है।[२]

स्लम्स के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पर दृष्टि डालें तो यहां भी हम पाते हैं कि भारत की पाई जाने वाली कुल स्लम्स में से राजस्थान का हिस्सा जनगणना, २००१ के अनुसार ३ प्रतिशत था, जोकि जनगणना, २०११ के अनुसार बढ़कर ३.१० प्रतिशत हो गया है। जनगणना, २०११ अनुसार राजस्थान में कुल १८५ नगरों/कस्बों में से १०७ नगरों/कस्बों में स्लम्स पाई गई हैं, जिनमें २०,६८,००० जनसंख्या निवास करती है।

स्लम अर्थ व परिभाषाएँ : स्लम्स का सामान्य अर्थ प्रत्येक तरह की जर्जर आवास व्यवस्था और गन्दगी युक्त वातावरण से है। इसकी परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही स्लम स्थापित होती हैं। हमारे देश में स्लम के लिए मुख्य रूप से कच्ची बस्ती/गन्दी बस्ती/मलिन बस्ती/झुग्गी आदि भिन्न-भिन्न नामों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे देश में विभिन्न नगरों में स्लम्स को भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में इन्हें कटरा, गली व झुग्गी-झोपड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। मुम्बई में चाल, कानपुर में अहाता, कोलकाता में बस्ती, मद्रास में चैरी तथा बंगलौर में कैरी व राजस्थान में कच्ची बस्ती/स्लम के नाम से जाना जाता है।

भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास-शहरी) के स्कीम दिशा-निर्देश, मार्च, २०१६ के अनुसार-स्लम की परिभाषा ''खराब तरीके से बने संकुल चाल जहां लगभग ६०-७० परिवार अथवा कम से कम ३०० की आबादी एक सघन क्षेत्र में सामान्यतया अपर्याप्त अवस्थापन वाले अस्वच्छ माहौल में रहती हो और जहां उचित सफाई एवं पेयजल सुविधाओं का अभाव रहता है।''[३]

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा स्लम्स की दी गई परिभाषा के अनुसार, ''स्लम उन्हें माना गया है, जो राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक ०१.०४.२००४ तक राजकीय/संस्थानों की भूमि पर अनियोजित, अनियमित व अनाधिकृत रूप से बसी हुई हैं तथा बस्ती में आवास कच्चे/पक्के अथवा आंशिक कच्चे/पक्के आवास निर्मित हैं, जिनमें मूल नागरिक सुविधाओं का अभाव है तथा जिनका अभी तक नियमन नहीं हुआ है।"[४]

यूनेस्को प्रलेख में स्लम्स के सम्बन्ध में लिखा है कि स्लम एक भवन या भवनों का समूह है अथवा ऐसा क्षेत्र जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है, सुविधाओं का अभाव है, इन दशाओं के कारण या सुविधाओं के अभाव में वहाँ सदैव स्वास्थ्य का ख़तरा बना रहता है तथा बचाव का अभाव है।[५]

अध्ययन का क्षेत्र : प्रस्तुत शोध पत्र में उदयपुर नगर की स्लम्स को अध्ययन के लिए चुना गया है। उदयपुर नगर में ४० स्लम्स है, १५ नियमन योग्य व २५ नियमन अयोग्य। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर ५ नियमन योग्य (आवरी माता, शहीद भगत सिंह, विजय सिंह पथिक, शांति नगर व मनोहरपुरा) एवं ५ नियमय अयोग्य (माछला मगरा, नीमच माता, किशनपोल दक्षिण, भीलूराणा व सज्जननगर) स्लम को चुना गया है। प्रत्येक स्लम से १५ पुरूष मुखिया उत्तरदाता व १५ महिला मुखिया उत्तरदाताओं का चयन किया गया है, अर्थात् एक स्लम में ३० उत्तरदाता होंगे और कुल १० स्लम से ३०० उत्तरदाता होंगे।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर के अनुसार स्लम के नियमन अयोग्य होने का मुख्य कारण क्रमशः निर्माण निषेध क्षेत्र, न्यायालय प्रकरण, वन भूमि, निजी भूमि, रीको की भूमि, पाक्र की भूमि व रोड की भूमि है। नगर निगम के अनुसार इन ४० स्लम में कुल जनसंख्या ४८१३१ व घरों की संख्या ६६२६ है। इन ४० स्लम में ३६ स्लम नगर निगम व ०१ नगर विकास प्रन्यास की भूमि पर स्थित है। इन स्लम में कुल कच्चे आवास २१५५, अर्द्ध पक्के आवास १५३० व पक्के आवास ५६४२ हैं। बी.पी.एल. घरों की संख्या स्लम के कुल प्रतिशत का लगभग १४ प्रतिशत है।[६]

उदयपुर नगर के स्लम्स की आवासीय दशाओं एवं संरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन

१. उदयपुर नगर में स्लमवासियों के आवासों की संरचना : सेप्ट विश्वविद्यालय, अहमदाबाद द्वारा "राजीव आवास योजना के अन्तर्गत उदयपुर नगर की स्लम की सिटी प्रोफाइल" में स्लम के आवासों की संरचना का अध्ययन किया गया। अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार यहां ६३ प्रतिशत आवास पक्के, १५ प्रतिशत आवास अर्द्ध पक्के व २१ प्रतिशत आवास कच्चे हैं। इनमें सर्वाधिक ५७ प्रतिशत आवासों की छत पक्की है। फर्श की स्थिति के बारे में अध्ययन में बताया कि

६५ प्रतिशत आवासों में फर्श पक्के बने हुए हैं। इसी प्रकार ५५ प्रतिशत आवासों में फ्लश शौचालय, ७३.१७ प्रतिशत आवासों में स्नानघर उपलब्ध है। इन आवासों में से ५२ प्रतिशत आवासों में स्वयं के पानी के कनैक्शन की उपलब्धता है, जिसमें से लगभग ७० प्रतिशत आवासों में नियमित रूप से पानी आता है। ७३ प्रतिशत आवासों में विद्युत कनैक्शन की उपलब्धता है। लगभग ५० प्रतिशत स्लम भोजन पकाने हेतु ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं।[७]

१.१ उत्तरदाता मुखियाओं के आवास की संरचना : स्लम का निर्माण प्रायः कच्चे आवास से होता हैं, परन्तु समय के साथ धीरे-धीरे स्लम की संरचना/स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। ५०-६० के दशक में स्लम्स पॉलीथीन के छप्परों से बनी होती थीं, जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता था। वर्तमान में स्लम के स्वरूप में भी बदलाव आया है। सुदेश नांगिया व सुखदेव थोराट ने अपनी पुस्तक 'स्लम इन ए मैट्रोपोलिसः द लिविंग एन्वायरमेंट' में दिल्ली शहर की स्लम की आवासीय दशाओं का अध्ययन किया। अध्ययन में उन्होंने इन स्लम्स में आवास के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए बताया कि यहां बने ५२.६ प्रतिशत आवास पक्के, २१.६ प्रतिशत आवास कच्चे व २५.५ प्रतिशत आवास अर्द्ध पक्के थे। पक्के आवास ईंट, सीमेंट व पत्थर आदि के बने थे। कच्चे आवास मिट्टी, घास, पत्ति, छान, लकड़ी व कच्ची ईंट आदि के बने थे।[८] उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर हम उनके आवास स्वरूप का विश्लेषण निम्नानुसार कर सकते हैंः-

सारणी संख्या-१

उत्तरदाता मुखियाओं के आवास का स्वरूप

आवास का संरचना	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पक्का	८४	५६	८१	५४	१६५	५५
अर्द्ध-पक्का	२४	१६	३६	२६	६३	२१
कच्चा	४२	२८	३०	२०	७२	२४
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी संख्या १ को देखने से ज्ञात होता है कि कुल पक्के आवासों का प्रतिशत ५५ प्रतिशत है। अर्थात् स्लम्स में आधे से अधिक आवास पक्के हैं। २१ प्रतिशत आवास अर्द्ध कच्चे तथा २४ प्रतिशत आवास पूर्ण रूप से कच्चे हैं। कुल अर्द्ध कच्चे व कच्चे आवासों का प्रतिशत ४५ है। अर्द्ध कच्चे आवास की श्रेणी में उन आवासों को सम्मिलित किया है, जिन आवासों में चारों दीवार, छत या फर्श में से एक कच्चा/अस्थायी है। कच्चे आवासों का तात्पर्य उन आवासों से है, जिनकी दीवार फर्श व छत कच्ची/अस्थायी हैं। डॉ. मृदुला भटनागर के अनुसार जयपुर की स्लम राणा कॉलोनी में ७०० आवास में से ३०० आवास कच्चे तथा ४०० आवास पक्के थे अर्थात् ५७.१४ प्रतिशत पक्के आवास थे।[९]

१.२ उत्तरदाताओं के आवासों की छत का प्रकार : स्लम में आवास के स्वरूप को उनकी छत के स्वरूप के आधार पर समझा जा सकता है। आवासों की छत जैसी होगी, वैसा ही आवास का प्रकार होगा। स्लम में निवास करने वाले लोगों के आवासों की छतों को निम्न सारणी के आधार पर समझ सकते हैंः-

सारणी संख्या-२

उत्तरदाताओं के आवास की छत का प्रकार

छत का प्रकार	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
छप्पर/लकड़ी/कच्ची छत	५१	३४	३०	२०	८१	२७
सीमेंट/ टीन के चद्दर	१५	१०	३६	२६	५४	१८
पक्की/ सीमेंट की छत	८४	५६	८१	५४	१६५	५५
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी संख्या २ को देखने से ज्ञात होता है कि ५५ः उत्तरदाताओं के आवासों की छतें पक्की एवं सीमेंट की बनी हुई हैं। २७ः उत्तरदाताओं के आवासों पर छप्पर/लकड़ी/केलू की/कच्ची छत है, तथा सबसे कम १८ः प्रतिशत आवासों की छत सीमेन्ट/टीन के चद्दर की है, अर्थात् आधे से अधिक आवासों की छत पक्की है। स्लम्स में पहले सर्वप्रथम अवैध कच्चा आवास व कच्ची छत ही बनाते हैं, इसके पश्चात् वहाँ के निवासी धीरे-धीरे पक्का आवास बना लेते हैं। इस प्रकार ये लोग गैर कानूनी तरीकों से आवासों का निर्माण कर उसमें जीवनयापन करते हैं।

१.३ उत्तरदाताओं के आवास में फर्श का प्रकार : फर्श की संरचना से आवास संरचना ज्ञात होती है। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तर निम्नानुसार हैंः-

सारणी संख्या-३

उत्तरदाताओं के आवास में फर्श का प्रकार

फर्श का प्रकार	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मिट्टी/कच्चा	२१	१४	३०	२०	५१	१७
ईंट/पत्थर	४५	३०	३६	२६	८४	२८
सीमेन्ट/टाईल्स	८४	५६	८१	५४	१६५	५५
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी संख्या ३ में आवास के फर्श की स्थिति पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि ५५ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास के फर्श पक्के अथवा सीमेन्ट/टाइल्स के बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुल २८ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास ईंट/पत्थर के बने हैं, अर्थात् आधे से अधिक आवासों में फर्श पक्के हैं। मात्र १७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास के फर्श ही मिट्टी के/कच्चे बने हुए हैं।

१.४ उत्तरदाताओं के आवास में कमरों की स्थिति : स्लम में बने आवासों में कमरों की स्थिति के आधार पर उनके रहन-सहन की स्थिति को समझा जा सकता है। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये जवाब निम्नानुसार है :

सारणी संख्या-४

उत्तरदाताओं के आवास में कमरों की स्थिति

कमरों की संख्या	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एक	५४	३६	६०	४०	११४	३८
दो	६३	४२	६६	४४	१२६	४३
तीन	१५	१०	१२	०८	२७	०६
चार	०६	०६	०६	०६	१८	०६
चार से अधिक	०६	०६	०३	०२	१२	०४
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

उपर्युक्त सारणी संख्या ४ को देखने से ज्ञात होता है कि ४३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में दो कमरे हैं। ३८ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास एक कमरे के आवास हैं। इन्हीं एक अथवा दो कमरों में ही परिवार के सभी सदस्य रहते हैं तथा उनकी सारी गतिविधियां इन्हीं कमरों में संचालित होती हैं। एक या दो कमरे वाले आवास में रसोई का सारा काम भी इन्हीं कमरे में होता है।

१.५ उत्तरदाताओं के आवास में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाएं : उत्तरदाताओं के आवास में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। आवास की संरचनात्मक सुविधाओं के अन्तर्गत रसोईघर, स्नानघर, शौचालय, बिजली, पानी, ईंधन आदि की सुविधाओं की उपलब्धता-अनुपलब्धता को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इनके आधार पर स्लम में रहन-सहन के स्तर को समझने का प्रयास किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरो के आधार पर उक्त उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

सारणी संख्या-५
उत्तरदाताओं के आवास में अलग से रसोईघर की उपलब्धता

आवास में रसोईघर की उपलब्धता	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	५४	३६	४५	३०	९९	३३
नहीं	९६	६४	१०५	७०	२०१	६७
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी संख्या ५ के अनुसार ६७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में रसोईघर की व्यवस्था नहीं है। इन ६७ प्रतिशत उत्तरदाताओं में वे उत्तरदाता शामिल हैं, जिनके आवास या तो कच्चे हैं, अथवा एक या दो कमरों वाले हैं। उसमें ६७ प्रतिशत के यहां रहने के कमरे में ही खाना पकाया जाता है। ३१.३४ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास के आंगन या चौक में खाना पकाया या बनाया जाता है। इस प्रकार बिना रसोई घर के खाना बनाने की समस्या से स्लम के लोग आज भी जूझ रहे हैं।

(ब) भोजन पकाने हेतु ईंधन की व्यवस्था : प्रायः यह देखने में आता है कि स्लम में निवास करने वाले लोगों का आर्थिक स्तर निम्न स्थिति का होता है। इसलिये वे अधिकांशतः इधर-उधर से ईंधन की व्यवस्था कर भोजन पकाते हैं। अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि वे खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं।

सारणी संख्या - ६
भोजन पकाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला ईंधन

ईंधन का प्रकार	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
गैस	६९	४६	६९	४६	१३८	४६
विद्युत	०३	०२	०३	०२	०६	०२
केरोसिन	३०	२०	२४	१६	५४	१८
कोयला	०३	०२	०३	०२	०६	०२
जलाने वाली लकड़ी	४५	३०	५१	३४	९६	३२
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी संख्या ६ को देखने से स्पष्ट होता है कि भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में आज भी ३२ प्रतिशत स्लम निवासी जलाने वाली लकड़ी का तथा १८ प्रतिशत लोग कैरोसिन का उपयोग करते हैं। जलाने वाली लकड़ी का उपयोग इसलिये अधिक किया जाता है, क्योंकि इसकी निःशुल्क व्यवस्था इधर-उधर से आसानी से की जा सकती है। कैरोसिन भी सरकार से न्यूनतम कीमतों पर उपलब्ध हो पाता है। सर्वाधिक ४६ प्रतिशत उत्तरदाता गैस का उपयोग करते हैं। गैस का उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं में से अधिकांश वे हैं, जिनकी आय व शिक्षा का स्तर अच्छा है।

(स) उत्तरदाताओं के आवास में स्नानघर की व्यवस्थाः स्लम में बने आवासों में उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत स्नानघर की उपलब्धता की स्थिति को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। जो निम्नानुसार हैः

सारणी संख्या - ७
उत्तरदाताओं के आवास में स्नानघर की उपलब्धता

स्नान घर की उपलब्धता	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	९०	६०	८७	५८	१७७	५९
नहीं	६०	४०	६३	४२	१२३	४१
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी ७ को देखने से स्पष्ट होता है कि ५६ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में अलग से स्नानघर की सुविधा उपलब्ध है, जबकि ४१ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में आज भी अलग से स्नानघर की व्यवस्था नहीं है। ये घर के किसी कोने में पर्दा लगाकर या रहने वाले कमरे में वैकल्पिक स्नानघर की व्यवस्था करते हैं, इसमें भी पुरूषों के लिए तो स्नानघर की विशेष आवश्यकता ही नहीं समझी जाती है, वे खुले में भी नहा लेते हैं, जबकि महिलाएं वैकल्पिक व्यवस्था करके काम चला लेती हैं।

(द) उत्तरदाताओं के आवास में शौचालय की उपलब्धताः शौचालय किसी भी आवास की सबसे मूल आवश्यकता है। इसके अभाव में आवास में रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खुले में शौच जाने से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयत्न किया गया है कि उनके आवास में शौचालयों की उपलब्धता की स्थिति क्या है?

सारणी संख्या-८

उत्तरदाताओं के आवास में शौचालय की उपलब्धता

शौचालय की उपलब्धता	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	१०२	६८	८१	५४	१८३	६१
नहीं	४८	३२	६६	४६	११७	३६
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

सारणी संख्या ८ को देखने से स्पष्ट होता है कि ६१ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है तथा खुद का सैप्टिक टैंक/फ्लश लैटरिन उपलब्ध है, जबकि ३६ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में शौचालय उपलब्ध नहीं हैं तथा वे खुले में शौच करने जाते हैं। अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि आवास में शौचालय बनवाने, उसका टैंक आदि तैयार करवाने तथा पानी की व्यवस्था करने में काफी खर्चा आता है, इसके अतिरिक्त उदयपुर नगर की अधिकांश स्लम्स पहाड़ी क्षेत्र में हैं, इस कारण टैंक तैयार करवाना मुश्किल होता है तथा सीवरेज व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं है। अतः इन कारणों से स्लम के निवासी आवास में शौचालय बनवाने के स्थान पर बाहर खुले में शौच निवृत्त होना ज़्यादा उचित समझते हैं।

(य) उत्तरदाताओं के आवास में विद्युत की उपलब्धताः अध्ययन में स्लमवासियों के आवासों में विद्युत की उपलब्धता के बारे में भी जानने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः स्लम में बुनियादी चीजों का अभाव होता है जैसे पानी, बिजली, सीवर व्यवस्था। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर उनके आवासों में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार हैः

सारणी संख्या-६

उत्तरदाताओं के आवास में विद्युत की उपलब्धता

विद्युत की उपलब्धता	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	१३८	६२	१४४	६६	२८२	६४
नहीं	१२	०८	०६	०४	१८	०६
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

उपर्युक्त सारणी संख्या ६ में ६४ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में विद्युत उपलब्ध है तथा ०६ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में विद्युत की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में बढ़ती तकनीकों के कारण इलैक्ट्रिक व इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है, जिसके कारण स्लम में विद्युत अनिवार्य हो गई है। जिन २८२ (६४ प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवास में विद्युत उपलब्ध है, उनमें १७.०२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे अवैध तरीकों से विद्युत प्राप्त करते हैं। इन अवैध तरीकों में रात में विद्युत की मुख्य लाइन में तार डालकर विद्युत प्राप्त करना या मीटर में खराबी कर देना आदि तरीके अपनाये जाते हैं।

सारणी संख्या ६ में जिन ०६प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में विद्युत की व्यवस्था नहीं है, वहां रोशनी के लिए कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है कि

कैरोसिन आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाता हैं।

(र) उत्तरदाताओं के आवास में पानी की उपलब्धताः स्लमवासियों के आवास में पानी की उपलब्धता की स्थिति के बारे में भी जानने का प्रयास किया गया। स्लम के आवासों में पानी की समस्या प्राय बनी रहती है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी निम्नवत हैः-

सारणी संख्या-१०

उत्तरदाता मुखियाओं के आवास में पानी के कनैक्शन की उपलब्धता

पानी के कनैक्शन की उपलब्धता	पुरूष उत्तरदाता		महिला उत्तरदाता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	९६	६४	९३	६२	१८९	६३
नहीं	५४	३६	५७	३८	१११	३७
योग	१५०	१००	१५०	१००	३००	१००

उपर्युक्त सारणी संख्या १० से स्पष्ट होता है कि ६३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में पानी का कनैक्शन उपलब्ध है, जबकि ३७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में पानी का कनैक्शन नहीं है। ३७ प्रतिशत आवासों में पानी का कनैक्शन नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि पानी की लाइन पहाड़ी क्षेत्रों में ऊँचाई पर बने आवासों तक पहुँच ही नहीं पाती है व पानी का दबाव ऊँचाई पर भी कम होता है, साथ ही उनके आवासों के पास में नल/हैडपंप होने से उनको पानी के कनैक्शन की आवश्यकता कम लगती है।

सारणी संख्या १० में जिन ६३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में पानी का कनैक्शन उपलब्ध है, उनके आवासों में पानी कितने समय के लिए आता है, यह जानने का प्रयास किया गया है। ७९.३७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में प्रतिदिन १ घंटे से भी कम अवधि के लिए पानी आता है एवं १९.०५ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में प्रतिदिन १ घंटे से अधिक पानी आता है। पानी कम दबाव से आने की शिकायत प्रायः सभी ने की है। यहां लोग आवासों में पानी कम/नहीं आने पर हैण्डपम्प या सार्वजनिक नल आदि से पानी भरकर लाते हैं।

सारणी संख्या १० से यह भी ज्ञात होता है कि जिन ३७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में पानी का कनैक्शन नहीं है, वहां ९४.५९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवासों में सार्वजनिक नल/ट्यूबवेल का पानी उपयोग में लिया जाता है। इसके पश्चात् ०५.४१ प्रतिशत उत्तरदाता हैंडपंप से पानी की व्यवस्था करते हैं। नगर निगम, उदयपुर के द्वारा स्लम्स में सार्वजनिक नलों की व्यवस्था हेतु पनघट की स्थापना की गई है। इसका नियमित रख-रखाव का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है।

उदयपुर नगर में स्लम्स उन्मूलन एवं विकास के लिए अध्ययन के समय भारत सरकार द्वारा उदयपुर नगर में दो प्रकार की स्लम उन्मूलन योजनाओं का संचालन किया जा रहा था जो कि क्रमशः एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) व राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) है, ये योजनाएं निम्न प्रकार हैं -

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)[१०] का लक्ष्य उन नगरीय स्लमनिवासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है तथा जो जीर्ण-शीर्ण दशाओं में रहते हैं, की दशाओं में सुधार करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु मौजूदा ''वाम्बे'' तथा एन एस डी पी स्कीमों को नयी आई.एच.एस.डी.पी. स्कीम के तहत मिलाना है। इस स्कीम का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में आवास तथा अवस्थापनात्मक विकास में सरकारी एवं निजी निवेश को बढ़ाना है। योजना का संचालन भारत सरकार के मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था।

आई.एच.एस.डी.पी. योजना के क्रियान्वयन की ज़मीनी समस्याएं : योजना के संचालन में आने वाली समस्याओं के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट हुआ कि योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वर्ष २००७ में बनाई गई थी, जबकि योजना का क्रियान्वयन वर्ष २०११ से प्रारम्भ हुआ। निर्माण कार्य की सामग्री व मजदूरी में वृद्धि होने के कारण लाभार्थियों को देय लाभ की राशि वर्तमान में आवास उन्नयन हेतु पर्याप्त नहीं होने कारण, उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने में चयनित लाभार्थी योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं ले रहे तथा जिन लाभार्थियों लाभ की लगभग आधी राशि प्राप्त कर ली वे लाभार्थी आगे का निर्माण कार्य पूर्ण करने में

आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, जिसके कारण योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई आ रही थी। वर्तमान में यह योजना संचालित नही है।

राजीव आवास योजना (आर. ए. वाई.) : स्लम मुक्त भारत[११] : राजीव आवास योजना में समरूप और समतुल्य नगरों वाले ''स्लम मुक्त भारत'' की परिकल्पना की गयी। योजना का प्रमुख उद्देश्य अनौपचारिक स्थलों पर रहने को विवश, सेवाओं और सुविधाओं के अधिकार से वंचित लोगों को औपचारिक प्रणाली के भीतर लाना है। इसके साथ ही नगरीय परिवार, चाहे वे प्रवसन के द्वारा अथवा आबादी वृद्धि के प्राकृतिक कारणों से हों, वे नगरीय सेवाओं वाले आश्रय में रह सकें और अतिक्रमण करके स्लम्स में रहने की प्रथा को समाप्त करना है। यह योजना आई.एच.एस.डी.पी. स्कीम का संशोधित नया रूप है। राजीव आवास योजना का संचालन उदयपुर में वर्ष २०१० से २०२२ तक प्रस्तावित थी लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना : सबके लिए आवास (शहरी) प्रारम्भ होने से यह योजना संचालित नही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना : सबके लिए आवास (शहरी)[१२] : स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों के लिए आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना : सबके लिए आवास (शहरी) का आरम्भ करने हेतु मार्च, २०१६ में दिशा-निर्देश जारी किये है। योजना के अन्तर्गत स्लमवासियों व स्लम पुनर्वास एवं शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को निजी प्रवर्त्तकों की भागीदारी से पूर्ण करने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना राजीव आवास योजना का संशोधित नया रूप कहा जा सकता है। वर्तमान में इस योजना का संचालन हो रहा है।

निष्कर्षः- उदयपुर (राजस्थान) नगर की स्लम्स पर किये गये अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अध्ययन के लिए चयनित स्लम्स में ५५ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास पक्के हैं। ६१ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में शौचालय, ५९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में स्नानघर, ९४ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में विद्युत कनैक्शन, ६३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास में पानी का कनैक्शन की सुविधा उपलब्ध है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उदयपुर नगरीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्लम्स की आवासीय दशाओं को बेहतर बनाने व यहाँ के निवासियों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम धीरे-धीरे नजर आने लगे हैं। नगरीकरण की नियोजित कार्य नीति को लागू करना व आवश्यकता के अनुसार नगरीय सीमा मे वृद्वि करना। स्लम के बनने के वास्तविक कारणों का पता लगाना व उनका प्रभावी निवारण करना। वर्तमान में, स्लम्स विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजना 'सभी के लिए आवास' को प्रभावी व विषय विशेषज्ञों के साथ क्रियान्वयन तय समय सीमा में किया जाना उचित होगा। सरकार द्वारा स्लम्स पर शोध व अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सुझावः राज्य में स्लम्स के उन्मूलन हेतु निम्न सुझावों को अपनाया जा सकता हैः-

१. स्लम के बनने के वास्तविक कारणों का पता लगाना। स्लम से संबंधित विभागों को सशक्त बनाना व प्रभावी मॉनीटरिंग करना। अतिक्रमण निरोधक प्रकोष्ठ व सर्तकता विभाग से नई स्लम नहीं बने इस हेतु प्रभावी कार्य व नियमित मॉनिटरिंग की नीति तैयार करना।
२. वर्तमान में संचालित स्लम उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू करना व बजटीय प्रावधान करना। अधिकारियों की कमी को पूरा करना व उच्च योग्यता रखने वाले विशेषज्ञ स्थाई स्टाफ लगाना।
३. नगरीकरण की नियोजित कार्य नीति को लागू करना व आवश्यकता के अनुसार नगरीय सीमा मे वृद्वि करना। स्थानीय निकाय, नगरीय विकाय विभाग व आयोजना विभाग द्वारा नगरों का विकास सुनियोजित तरीकों से किया जाये, जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।
४. प्रवासन को रोकना। गांवों में कृषि, कुटीर उद्योग आदि व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जावे, जिससे ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रूके व स्लमस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
५. गरीबों हेतु भूमि सुरक्षा का कानून बनाना। सभी श्रेणी के शहरों का समान विकास करना।
६. उद्योगों द्वारा उनके यहां कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें, इससे भी स्लम की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही उद्योगों को नगरों से दूर स्थापित की जायें।
७. किसी भी योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिस वर्ष बनाई जायें, योजना उसी वर्ष प्रारम्भ की जानी चाहिए।
८. सरकार द्वारा स्लम के निवासियों को सस्ते आवास दिये जायें। जीवन स्तर व आय स्तर को ऊँचा उठाने के लिए स्लम में आजीविका केन्द्र खोलने चाहिए।
९. सरकार द्वारा स्लमनिवासियों के परिवारों का बायोमैट्रिक

डाटाबेस तैयार करना चाहिए, जिससे कि एक परिवार अलग-अलग नामों से अथवा अलग-अलग जगहों से सरकारी योजना का एक से अधिक बार लाभ नहीं उठा सके।

संदर्भ

१ भारत २०१७, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, २०१७, पृ. ४४६।

२ भारत सरकार, प्राइमरी अब्सट्रेक्ट फॉर स्लम, २०११, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एण्ड संसेक्स कमिश्नर, इंडिया, नई दिल्ली, .२०१३, पृ. ८-१४

३ भारत सरकार, दिशा-निर्देश, प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास-शहरी), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, २०१६, पृ. ३

४ राजस्थान सरकार, कार्यालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, २००४

५ यूनेस्को प्रलेख कोटेड बाइ नेल्स एण्डरसन इन अरबन कम्यूनिटी फ्रॉम अरबन लैण्ड पॉलिसीज, न्यूर्याक, १६५२, पृ. ४१०

६ राजस्थान सरकार, कार्यालय, नगर निगम व नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

७ राजीव आवास योजनान्तर्गत उदयपुर की कच्ची बस्तियों की सिटी प्रोफाइल, सेप्ट विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, २०१३

८ नांगिया, सुदेश व थोराट, सुखदेव, 'स्लम इन ए मैट्रोपोलिस : द लिविंग एन्वायरमेंट' शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, २०००, पृ. ६०

६ भटनागर, मृदुला 'अरबन स्लम्स एंड पॉवटी' रितु " पब्लिकेशन्स, जयपुर, २०१०, पृ. १४७

१० भारत सरकार, दिशा-निर्देश, एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, २००५

११ भारत सरकार, दिशा-निर्देश, राजीव आवास योजना, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, २०१०

१२ भारत सरकार के मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेब साइट- www.mohupa.gov.in

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

आधुनिक कृषि एवं आदिवासी किसान – एक विश्लेषण

❑ जितेन्द्र कुमार रामटेके

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। यहाँ प्राचीन काल से ही कृषि कार्य किया जाता रहा है। पूर्व में जनजातियों का जीवन वनों पर आधारित रहा है। यहाँ तक कि उनकी संपूर्ण जीविका वनों के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आती है। वर्तमान समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने जहाँ खाद्य समस्या उत्पन्न कर दी है। वही दूसरी ओर वनों के विनाश के कारण तथा शासन के प्रतिबंध बढ़ा दिए जाने से आदिवासियों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जनजातियों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए वर्तमान में कृषि उत्पाद की बढ़ती माँग ने भी प्रेरित किया। अतः प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया है कि आदिवासी कृषकों में नवीन कृषि पद्धतियों के प्रति किस प्रकार रूझान बड़ रहा है, किस प्रकार उनकी कृषि पद्धति में बदलाव हो रहे है। उत्पादन क्षमता में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। यहां प्राचीन काल से की कृषि कार्य किया जाता रहा है। विश्व बैंक के मूल्यांकन के हिसाब से वर्ष२०१५ में भारत की अर्थव्यवस्था ७.२ प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की दर से बढ़ी जो जी.डी.पी. के संदर्भ में दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के हिसाब से, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।''[१] सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में देश का आधे से अधिक मानव श्रम लगा हुआ है लेकिन २०१४-१५ में इसमें केवल १.१ फीसदी विकास हुआ।''[२]

वर्ष २०१४-१५ सूखा साल था और १२ फीसदी कम बारिश हुई, लेकिन इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि पिछली पंचवर्षीय योजना में कुल कृषि विकास संतोषजनक नहीं रहा। ११वीं पंचवर्षीय योजना (२००७-१२) के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर ३.६ फीसदी थी, जो चार फीसदी के लक्ष्य से थोड़ा कम, लेकिन ९वीं और १०वीं पंचवर्षीय योजना में रही २.५ फीसदी विकास दर से काफी अधिक थी। १२वीं पंचवर्षीय योजना (२०१२-१७) के पहले तीन सालों में कृषि विकास दर ४ फीसदी के लक्ष्य की तुलना में मुश्किल से केवल २ प्रतिशत रही। वर्ष २०१३-१४ में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर की जी.डी.पी. मे हिस्सेदारी १८ फीसदी थी जो २०१४-१५ में प्रचलित मूल्य पर घटकर १६ प्रतिशत हो गई। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी के बावजूद यह भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। जीवन यापन के लिए ५५ प्रतिशत आबादी और ७२ प्रतिशत ग्रामीण आबादी कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है।''[३]

भारत मसालों के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। कृषि उपज में इसका तीसरा स्थान है। देश के कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी १० प्रतिशत है और मुख्य उत्पाद के निर्यात में कृषि चौथे स्थान पर है। १३८ मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। यहां पर पशुओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है। भारत दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी १४ फीसदी है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है और वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी २.७६ फीसदी है। इसके साथ ही भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में अप्रैल-अगस्त २०१५ के दौरान १६ लाख मीट्रिक टन दाल का आयात किया।''[४]

भारतीय कृषि आज भी जिन कुछ समस्याओं का सामना कर रही है और जिन पर राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर नीति निर्माताओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। करीब ६० प्रतिशत भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता को लेकर हमेशा आशंका बनी रहती है। कृषि क्षेत्र में करीब ८० प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से आता है। हाल के वर्षो में खेती के गैर-लाभकारी हो जाने के कारण किसान खेती-बाड़ी छोड़ने को लेकर सोचने पर मजबूर हुए है। और काफी लोग ऐसा कर भी रहे है इसे केवल एक दशक के तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है।

इस दौरान सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की (वर्ष२०१४ में १२,३६०) किसानों की आत्महत्या के मामले वर्ष२०१०-११ से २०१३ के बीच घटे, लेकिन वर्ष२०१६ मे यह फिर बढ़ गया। फसल खराब होने और खराब उपज के कारण खेती से

❑ शोध अध्येता स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

निम्न आय, निवेश का न होना और कृषि क्षेत्र के लिए अनुचित व्यापारिक शर्तें, कम दक्ष लोगों के लिए संगठित क्षेत्र में रोजगार के निम्न अवसर होने के कारण कृषि कार्य छोड़ने वाली आबादी का स्पष्ट रूप से नजर न आना, कृषि और उद्योग के बीच आय में बढ़ता अंतर, अग्रणी राज्यों में मुख्य फसलों के उत्पादन में ठहराव और लागत में भारी वृद्धि कुछ अहम चुनौतियाँ है। बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ी समस्या है और इससे देश में कृषि संकट की आशंका है एक तरफ किसारनों को उनके उत्पादों के बदले कम कीमत प्राप्त हो रही है वहीं दूसरी और अनाज और अन्य चीजों सहित कृषि उत्पादों के बढ़ते मूल्यों ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर नकारात्मक असर डाला है।

मध्यप्रदेश में कृषि : क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्र ३०८ लाख हेक्टेयर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का ६ प्रतिशत है। जनसंख्या के मामले में यह राज्य छंठे स्थान (७.२ करोड़ की आबादी) पर है, इनमें से ७२ प्रतिशत लोग गांवों में रहते है। राज्य के ५१ जिलों में ११ कृषि जलवायु क्षेत्र, पांच फसली क्षेत्र और अलग-अलग भूमि उपयोग, मृदा के प्रकार, वर्षा और जल संसाधन बंटे हुए है। साथ ही राज्य में अनुसूचित जाति (२१ प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (१५ प्रतिशत) की आबादी में अहम हिस्सेदारी है। यह दोनों मिलकर कुल आबादी के ३६ प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में साक्षरता दर ७०.६ प्रतिशत है। ''यह राज्य मुख्य रूप से जंगल, खनिज पदार्थ, नदी और घाटी जैसी प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। जंगलों के मामले में भी यह राज्य संपन्न है। इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के ३०.७ फीसदी हिस्से पर जंगल है।[५]'' कुल आबादी के ३१ फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते है, जबकि राष्ट्रीय औसत २२ प्रतिशत है।[६]''

आधुनिक कृषि पद्धति एवं आदिवासी - भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। यहाँ प्राचीन काल से ही कृषि कार्य किया जाता रहा है। पूर्व में जनजातियों का जीवन वनों पर आधारित रहा है। यहाँ तक कि उनकी संपूर्ण जीविका वनों के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आती है। वर्तमान समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने जहाँ खाद्य समस्या उत्पन्न कर दी है। वही दूसरी ओर वनों के विनाश के कारण तथा शासन के प्रतिबंध बढ़ा दिए जाने से आदिवासियों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जनजातियों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए वर्तमान में कृषि उत्पाद की बढ़ती माँग ने भी प्रेरित किया।

पूर्व में शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती रही है। इन्हें कृषि का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। जंगलों में घूमकर उन्हें काटना, जलाना, जमीन खोदना और उस पर बीज बिखेर देना तथा जो उत्पादन होता उसी से अपना जीवन निर्वाह करना ही कृषि कार्य में शामिल था। धीरे-धीरे जमीन की उर्वरा-शक्ति कम होती गई, परिणामस्वरूप उत्पादन कम होने लगा। ऐसी स्थिति में ये लोग अपना स्थान बदल दिया करते थे। इस प्रक्रिया को ''स्तानान्तरित कृषि'' या ''झूम खेती'' कहा जाता है। धीरे-धीरे इस प्रक्रिया में बदलाव आया और एक ही स्थान पर स्थायी कृषि की जाने लगी, स्थायी खेती करने पर भी जनजातीय वर्ग अपने क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाऐ क्योंकि वे इसमें परम्परागत साधनों का उपयोग करते थे और आज भी यही स्थिति है। कुछ क्षेत्रों में जनजातीय लोगों में शिक्षा व जागरूकता आयी है वहाँ कृषि की नई-नई तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है।''[६]

वर्तमान में समय की माँग को देखते हुए जनजातीय कृषक भी नई तकनीकों का उपयोग करने लगे है, परन्तु सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं उपयोग के उचित मार्गदर्शन के अभाव में वे सफल नहीं हो पाये। इसके लिए वे लोग स्वयं तो जिम्मेदार है ही लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी है। आजादी के आज ६६ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों की आज भी उपेक्षा की जा रही है जिसका परिणाम जनजातियों को प्राचीन व परम्परागत कृषि तकनीकों के सहारे निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन जनजातियों ने शिक्षा, जागरूकता, एवं सरकारी प्रयासों के द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। कृषि कार्य में परंपरागत साधनों का उपयोग पूर्णतः बंद तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं आधुनिकतम साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार कृषि में परंपरागत साधनों से लेकर आधुनिक साधनों तक का उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सका। सरकारी प्रयासों एवं शैक्षणिक तथा वन आधारित उद्योग धंधे स्थापित करने हेतु प्रेरित किया। इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में कृषि की आधुनिक पद्धतियों की शुरूआत हुई है।

तालिका क्र. १

मध्यप्रदेश में वर्षा की स्थिति (मिलीमीटर में)

वर्षा	वास्तविक वर्षा	औसत	विचलन
२००२-०३	१०६८.४	११३२	-६३.६

२००३-०४	१०८८.५	११३२	-४३.५
२००४-०५	८६६.६	११३२	-२६५.४
२००५-०६	१०२८.६	११३२	-१०३.४
२००६-०७	१०७४.३	११३२	-५७.७
२००७-०८	७६६.८	११३२	-३३५.२
२००८-०६	८१५.३	११३२	-३१६.७
२००६-१०	७३४.०	११३२	-३६८.०
२०१०-११	८४२.४	११३२	-२८६.६
२०११-१२	११३२	११३२	०.००
२०१२-१३	१००१	११३२	-१३१.०
२०१३-१४	१२०३.६	११३२	७१.६
२०१४-१५	७३३.४	११३२	-३६८.६
२०१५-१६	८०४.३	११३२	-३२८.७

(स्त्रोत : कृषि विभाग मध्यप्रदेश २०१६)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष२००२-०३ से लगातार में बारिश में कमी आई है। वर्ष२०१३-१४ में सामान्य से अधिक बारिश हुई। प्रतिवर्ष यदि असमान वर्षा होगी तो इसका प्रभाव कृषि के विकास पर किसी न किसी रूप में पड़ता है।

तालिका २

मध्य प्रदेश में वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य धरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर (२००४-०५) भावों पर प्रति व्यक्ति आय

मद	प्रचलित भावों पर			स्थिर (२००४-०५) भावों पर		
	२०१२-१३ (प्रावधित)	२०१३-१४ (त्वरित)	२०१४-१५ (अग्रिम)	२०१२-१३ (प्रावधित)	२०१३-१४ (त्वरित)	२०१४-१५ (अग्रिम)
सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपये)	३६१२७०	४३४७३०	५०८००६	२१०१७४	२३००६५	२५३५३३
शुद्ध घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपये)	३२१४४२	३८६२७७	४५५६४१	१८४०६२	२०१८११	२२२८८२
प्रति व्यक्ति आय (रूपये)	४३४२६	५१७६८	५६७७०	२४८६७	२६८५३	२६२१८

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर आधार वर्ष २००४-०५ में १५४४२ रुपये से वर्ष २०१४-१५ (अग्रिम) के दौरान बढ़कर ५६७७० रुपये हो गई है। यह वर्ष २०१३-१४ (त्वरित) में गत वर्ष से ७६७२ रुपये बढ़ी है।

शोध प्रविधि

अध्ययन की प्रासंगिकता :- भारत जैसे विकासोन्मुखी देश के लिए कृषि का विकास अति आवश्यक है। कृषि द्वारा ही ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों की उन्नति के साथ औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। आदिवासी कृषकों में नवीन कृषि पद्धतियों के प्रति किस प्रकार रूझान बड़ रहा है, किस प्रकार उनकी कृषि पद्धति में बदलाव हो रहे है। उत्पादन क्षमता में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं एवं इनसे उनके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी तथ्यों के कारण अध्ययन प्रासंगिक है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

१. आदिवासी कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
२. आदिवासी कृषको पर आधुनिक कृषि तकनीक के प्रभाव का अध्ययन करना।
३. सिंचाई साधनों का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
४. आदिवासियों के कृषकीय विकास हेतु सरकार द्वारा चलाएँ जा रहे कार्यक्रमों एवं नीतियों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

अध्ययन की उपकल्पनाएँ :

१. आदिवासी कृषक आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग नही करते।
२. आदिवासी कृषक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग नही करते।
३. आदिवासी कृषकों के कृषि उत्पादन पर सिंचाई के साधनों का कोई प्रभाव नही पड़ता।

शोध प्रारूप - अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के बालाघट जिले का चयन किया गया। बालाघाट जिले के सभी आदिवासी कृषक परिवार अध्ययन के समग्र है। अध्ययन क्षेत्र में चयनित आदिवासी कृषक परिवार अध्ययन की इकाई है। शोध कार्य में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया जिसमें बालाघाट जिले की ५ तहसीलों का चयन कर प्रत्येक

तहसील से ३० आदिवासी कृषक परिवारों का चयन किया गया है। चयनित तहसीलों में से सीमान्त, लघु, मध्यम, एवं बड़े, कुल १५० आदिवासी कृषक परिवारों को अध्ययन हेतु चुना गया है। शोध तकनीक - अंकगणितीय माध्य रीति, उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु काईस्केवर टेस्ट, का उपयोग किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आँकड़ों का संग्रह किया गया। आदिवासी कृषकों से प्रत्यक्ष रुप से सम्पर्क कर साक्षात्कार अनुसूची भरी गयी। आदिवासी कृषकों से सामूहिक चर्चा करके भी जानकारी एकत्र की गई है।

उपलब्धियाँ : आदिवासी कृषकों की वार्षिक आय : आय किसी भी देश, समाज या वर्ग के विकास के लिये बहुत जरूरी होती है। जिस परिवार या व्यक्ति की आय अधिक है वह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम एवं सशक्त होता है।

तालिका क्रं. १
आदिवासी कृषको की वार्षिक आय

आय का स्तर (वार्षिक)	संख्या	प्रतिशत
२०,०००-से कम	२८	१८.७
२०,०००-३०,०००	७१	४७.३
३०,०००-४०,०००	२३	१५.३
४०,०००-५०,०००	१७	११.३
५०,०००- से अधिक	११	७.३
कुल योग	१५०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक ४७.३ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाताओं की पारिवारिक वार्षिक आय २०,००० से ३०,००० के मध्य है जबकि ५०,००० से अधिक वार्षिक आय वाले केवल ७.३ प्रतिशत है। इस विश्लेशण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में लगभग ८३ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाताओ की वार्षिक आय ४०,००० से कम है क्योंकि कृषि जैसे कार्यो में इनकी संलग्नता अधिक है जिसके कारण आय कम है।

आदिवासी कृषकों की शैक्षणिक स्थिति - शिक्षा का स्तर मनुष्य के मानसिक विकास के स्तर को दर्शाता है। जिस व्यक्ति का शिक्षा का स्तर जितना ऊँचा होता है, उनका व्यवसायिक, रहन-सहन आदि का स्तर भी निरक्षर लोगों से अलग होता है।

तालिका क्रं. २
शैक्षणिक स्थिति

शैक्षणिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
साक्षर	९१	६०.७
निरक्षर	५९	३९.३
कुल	१५०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में ६६.८ प्रतिशत आदिवासी उत्तरदाता शिक्षित है तथा ३३.२ प्रतिशत अशिक्षित है। अतः इस विश्लेशण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में आदिवासी लोगों में शिक्षा का स्तर सामान्य है क्योंकि साक्षर उत्तरदाता अधिक पाये गये हैं।

कृषि भूमि का विवरण - अध्ययन क्षेत्र के आदिवासी कृषकों के पास उपलब्ध कृषि भूमि की जानकारी का विवरण तालिका क्रं. ३ में दर्शाया गया है -

तालिका क्रं. ३
कृषि भूमि का विवरण (एकड़ में)

कृषि भूमि (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
३ एकड़ से कम	६४	४२.७
४-६ एकड़	४६	३०.७
७-१० एकड़	२६	१७.३
१०-एकड़ से अधिक	१४	९.३
कुल योग	१५०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक ४२.७ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिनके पास ३ एकड़ से कम कृषि भूमि है। वही १०-एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले मात्र ९.३ प्रतिशत है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त, लघु, मध्यम, एवं बड़े सभी प्रकार के आदिवासी कृषकों में सीमान्त एवं लघु कृषक सबसे अधिक है जबकि मध्यम एवं बडे कृषकों की संख्या कम है।

आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग संबंध में अभिमत - अध्ययन क्षेत्र के चयनित सभी उत्तरदाता कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं या नही ? इस संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका क्रं. ४ द्वारा स्पष्ट किया गया है

तालिका क्रं. ४
आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग

अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	१०९	७२.७
नही	४१	२७.३
कुल योग	१५०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में ७२.७ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि कृषि कार्य में आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करते है। जबकि २७.३ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाता ऐसे हैं परम्परागत कृषि उपकरणों से ही कृषि कार्य करते है।

कृषि भूमि की उपलब्धता एवं आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग के मध्य स्वतंत्रता परीक्षण करने के लिए X^2 Test उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (H01) निम्नलिखित है – आदिवासी कृषक आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग नही करते। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका क्र. ४ में दर्शाए गए आँकड़ों के द्वारा Chi-Square Tests के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन्हें तालिका क्रमांक ५ में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. ५

Chi-Square Test

Degree of Freedom	Level of Significance	Calculated ValueX^2	Table ValueX^2	Result
3	.05	52.452	7.815	H^{01} = Rejected

उपर्युक्त तालिका क्रं. ५ से स्पष्ट है कि ३ 1d.f. के ५ प्रतिशत सार्थकता स्तर पर X^2 का तालिका मूल्य ३.८४१ तथा परिगणित मूल्य 22.467 है जो कि X^2 के गणना मूल्य से कम है अर्थात् $X^2 t<X^2 C$ है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना Ho2 अस्वीकार की जाती है और निष्कर्ष यह निकलता है कि आदिवासी कृषक कृषि कार्य में आधुनिक कृषि यंत्रों, उपकरणों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि आदिवासी कृषकों में आधुनिक कृषि तकनीक प्रभावशील है।

रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोगः अध्ययन क्षेत्र के चयनित आदिवासी कृषक कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं या नही इस संबंध इस संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्रं. ६ द्वारा स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रं. ६

रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग

अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	१४२	९४.७
नही	०८	५.३
कुल योग	१५०	१००

(स्त्रोत- स्वंय द्वारा संकलित आकड़े)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश ९४.७ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाता कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। शेष ५.३ प्रतिशत आदिवासी इनका प्रयोग नही करते।

आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग एवं रासायनिक उर्वरक (कीटनाशको) का उपयोग के मध्य स्वतंत्रता परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए X2 Test उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (H02) निम्नलिखित है – आदिवासी कृषक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशको का उपयोग नही करते। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका क्र. ६ में दर्शाए गए आँकड़ो के द्वारा Chi-Square Tests के जो परिणाम प्राप्त हुए है उन्हें तालिका क्र. ७ में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. ७

Chi-Square Test

Degree of Freedom	Level of Significance	Calculated ValueX^2	Table ValueX^2	Result
1	.05	22.467	3.841	H^{02} = Rejected

उपर्युक्त तालिका क्रं. ७ से स्पष्ट है कि 1 d.f. के ५ः सार्थकता स्तर पर X2 का तालिका मूल्य (3.841) तथा परिगणित मूल्य (22.467) जो कि X^2 के गणना मूल्य से कम है। अर्थात $X^2 t < X^2 c$ है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना (H_{02}) अस्वीकार की जाती है और निष्कर्ष यह निकलता है कि आदिवासी कृषक कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि आदिवासी कृषको में आधुनिक कृषि तकनीक प्रभावशील है।

सिंचाई की उपलब्धता एवं उत्पादन – सिंचाई के साधनों की उपलब्धता से उत्पादन की स्थिति पर प्रभाव कों जानने के लिये अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त तथ्यों को तालिका क्रं. ८ द्वारा स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रं. ८

सिंचाई की उपलब्धता एवं उत्पादन

सिंचाई की उपलब्धता	उत्पादन में वृद्धि		योग
	हाँ	नही	
हाँ	९६ (१००)	–	९६ (१००)
नही	२८ (५१.९)	२६ (४८.१)	५४ (१००)

कुल योग	१२४ (८२.७)	२६ (१७.३)	१५० (१००)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन क्षेत्र में ८२.७ प्रतिशत आदिवासी कृषक मानते हैं कि सिंचाई के साधनों की उपलब्धता से उत्पादन में वृद्धि हुई है। जबकि १७.३ प्रतिशत कृषको का मानना है कि उत्पादन में वृद्धि नही हुई है। सिंचाई के साधनों की उपलब्धता एवं उत्पादन में वृद्धि के मध्य स्वतंत्रता परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए X2 Test उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (H03) निम्नलिखित है - 'आदिवासी कृषकों के कृषि उत्पादन पर सिंचाई के साधनों का कोई प्रभाव नही पड़ता।' इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका क्र. ८ में दर्शाए गए आँकड़ो के द्वारा Chi-Square Tests के जो परिणाम प्राप्त हुए है उन्हें तालिका क्र. ९ में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. ९

Chi-Square Test

Degree of Freedom	Level of Significance	Calculated ValueX^2	Table ValueX^2	Result
1	.05	55.914	3.841	H^{02} = Rejected

स्पष्ट है कि 1 d.f. के ५ प्रतिशत सार्थकता स्तर पर X^2 का तालिका मूल्य (3.841) तथा परिगणित मूल्य (55-914) जो कि X^2 के गणना मूल्य से कम है अर्थात $X^2 t < X^2 c$ है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना (H_{03}) अस्वीकार की जाती है और निष्कर्ष यह निकलता है कि आदिवासी कृषको के कृषि उत्पादन पर सिंचाई साधनों की उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ - अध्ययन क्षेत्र के चयनित आदिवासी कृषको को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ या नही ? इस संबंध इस संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका क्रं. ७ द्वारा स्पष्ट किया गया है -

तालिका क्रं. १० सरकारी योजनाओं का लाभ

अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	६५	४३.३
नही	८५	५६.७
कुल योग	१५०	१००

(स्त्रोत- स्वंय द्वारा संकलित आकड़े)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक ५६.७ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाता ऐसे पाये गये हैं जिन्हें कृषि विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नही मिला है। दूसरी ओर ४३.३ प्रतिशत आदिवासी कृषक उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इस विश्लेशण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश आदिवासी कृषकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है।

निष्कर्ष :- भारत में खाद्य समृद्धि के बावजूद, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की कमी लगातार बनी हुई है इसलिए कृषि से जुड़े लोगों का अधिक उपज और समृद्ध खेती की तरफ रूझान आवश्यक है। खेती को लाभदायक बनाने के लिए दो ही उपाय है - पहला उत्पादन को बढ़ाएँ और दूसरा लागत को कम करें। कृषि की लागत को कम करने के लिए बीज, उर्वरक, पोध संरक्षण, रसायन और सिंचाई तंत्र का संतुलित एवं आधुनिक विधियों द्वारा प्रयोग कर खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है।

संदर्भ

१. मिश्रा राजेन्द्र कुमार आयुक्त 'मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण', आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल, २०१६ पृ. १५-२०
२. हसनैन, नदीम, 'जनजातीय भारत' पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, २०००, पृ. १११-११३
३. अग्रवाल एन.एल., 'भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, २००८, पृ. ४५-४७
४. भारतीय जनगणना २०११, भारत सरकार नई दिल्ली, पृ. IXXXV
5. World Bank Group 'India Development-Update', Washington D.C., p. 18
6. 3rd Advance Estimate, Ministry of Agriculture, Bhopal, M.P., p. 44

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित विवाह पद्धतियों का एक ऐतिहासिक अध्ययन

❑ सम्पत्ति नेगी

विवाह का स्वरूप एक सर्वव्यापी और सार्वभौम संस्था के रूप में प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है चाहे वह असभ्य, आदिम या अधुनातन समाज रहें हों। क्योंकि इन सभी समाजों द्वारा विवाह संस्था को ही मनुष्य की यौन और सन्तानोत्पत्ति की मूल प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि, वंश, कुल और परिवार की निरन्तरता का आवश्यक माध्यम माना गया। भारतीय संस्कृति में विवाह को धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया है जिसे तोड़ना हिन्दू सामाजिक मूल्यों के विरूद्ध कार्य बताया गया है। विवाह को विभिन्न पुरूषार्थों की प्राप्ति का माध्यम भी बताया गया है। विवाह संस्था की प्रासंगिता का अध्ययन यदि गढ़वाल हिमालय के सन्दर्भ में किया जाय तो स्पष्ट होता है कि यहां के लोकजीवन में एक ओर भारतीय संस्कृति से संबंधी द्विजातियों में शास्त्र और स्मृति विहीत विधि-विधानों के समावेशिकरण होने के कारण इनके मध्य वैदिक आनुष्ठानिक परम्परानुसार विवाह संस्कार सम्पन्न करने की परम्परा रही है जबकि दूसरी ओर अनेक वैदेशिक जातियों का समय-समय में गढ़वाल आगमन व इनके द्वारा अपने साथ लाये गये अपने विधि-विधान व रीति-नीतियों से निर्मित वैवाहिक परम्परा का प्रचलन रहा है।
अतः प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि १६वीं-२०वीं शदी के ब्रिटिश गढ़वाल में कौन-कौन सी वैवाहिक पद्धतियां और इनमें किस प्रकार के वैवाहिक विधि-विधानों के साथ विवाह सम्पन्न करने की परम्पराऐं लोकजीवन में प्रचलित रहीं।

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का गढ़वाल मण्डल है। यह मण्डल देवभूमि व केदारखण्ड के नाम से प्रसिद्ध है व पवित्र धार्मिक स्थलों के साथ ही शिव की तपस्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। इसकी सीमायें चीन व नेपाल से जुड़ने के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावना : १६वीं-२०वीं सदी के ब्रिटिशकालीन गढ़वाल हिमालय के लोकजीवन में प्रचलित सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं व रीति-रिवाजों का अध्ययन करने के लिये तत्कालीन समय के ऐतिहासिक ग्रन्थों जिनमें एटकिंसन द्वारा रचित द हिमालयन गजेटियर, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित हिन्दू लॉ, पन्नालाल द्वारा रचित कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊँ, एल. डी. जोशी द्वारा रचित खश फैमिली लॉ एवं शिवप्रसाद डबराल द्वारा रचित उत्तराखण्ड का इतिहास व ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्टस्, तत्कालीन समय में प्रकाशिक समाचार पत्र-पत्रिकायें एवं यात्रावृतान्त इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। इन स्त्रोतों के अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि प्राचीन समय से ही यहां के लोकजीवन में स्मृति एवं शास्त्रीय परम्परानुसार वैवाहिक परम्पराओं व विधि-विधानों का स्वरूप आवश्यक रूप से प्रचलित नहीं रहा क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से ही यहां अलग-अलग समय में भिन्न-भिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखने वाली जातियों और उपजातियों यथा- खश, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, कोल, किरात, राजी इत्यादि वैदेशिक जातियों का आगमन हुआ तथा राजनीतिक शक्ति व सामाजिक स्तर के आधार पर इन जातीय समूहों का अनेक जातियों व उपजातियों में विभाजन हुआ। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण समझी जाने वाली तीर्थ यात्रा की परम्परा ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहां तीर्थयात्रा करने आये लोगों के गढवाल आव्रजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन आव्रजित लोगों द्वारा न केवल गढ़वाल की राजनीतिक व्यवस्था में नियन्त्रण किया अपितु साथ ही अपनी सामाजिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिये हिन्दू जाति व्यवस्था को इस क्षेत्र की सभी स्थानीय जातियों में जबरदस्ती थोपा गया। इसी के परिणामस्वरूप हमें ब्रिटिश गढ़वाल के लोकजीवन में एक ओर ब्राह्मण संस्कृति के अवशेष दिखाई देते हैं जो स्मृति एवं शास्त्रीय परम्पराओं पर आश्रित दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर अन्य धारणाएं उन वैदेशिक जातियों की समिश्रित परम्पराओं व यहां की मूल संस्कृति से संबंधित दिखाई देती है जिन्हें ब्राह्मण संस्कृति से जोड़कर देखा जाय तो यह इन्हीं परम्पराओं का मिला-जुला रूप स्पष्ट होती है। इन परम्पराओं के समिश्रित रूप का सबसे अधिक प्रभाव यहां के लोकजीवन में प्रचलित विभिन्न विवाह पद्धतियों व वैवाहिक विधि-विधानों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं।

ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित विवाह पद्धतियां : ब्रिटिश गढ़वाल में अनेक प्रकार की वैवाहिक पद्धतियां प्रचलित थीं। पन्नालाल के अनुसार मिताक्षरा में दिए

❑ शोध अध्येत्री, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, हे.नं.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, (उत्तराखण्ड)

गए विवाहों के आठ प्रकारों में से किसी एक स्थान के सभी निवासियों द्वारा कोई एक रस्म नहीं अपनाई जाती थी। विवाह रस्म का मामला यहां कोई वैधानिक अर्थ नहीं रखता था, इसका केवल वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्व था। जैसे ही विवाह का विधिवत अनुष्ठान सम्पन्न हो जाता था, विवाहित महिला और उसके बच्चों को कानूनी रूप से पत्नी व बच्चों का दर्जा देने के लिए और कुछ की जरूरत नहीं होती थी।[१] लक्ष्मीदत्त जोशी खश समाज में प्रचलित विवाह को सामाजिक समझौता मात्र मानते हुए लिखते हैं[२] कि खश समाज में विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य था जिसका उद्देश्य हिन्दू धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित धार्मिक न होकर आर्थिक था। एक पत्नीव्रत को न तो आवश्यक माना जाता था और ना ही इसको निभाया जाता था।[३] डी.डी. शर्मा ने ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित विवाह पद्धतियों को दो भागों में वर्गीकृत किया हैं- १. आनुष्ठानिक और निरानुष्ठानिक विवाह। उन्होंने आनुष्ठानिक का तात्पर्य समाज सम्मत व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह पद्धति से लगाया हैं जिसके अन्तर्गत- कन्यादान, टके का ब्याह, कुम्भ विवाह, प्रतिमा विवाह, अक्र विवाह, मंदिर, सत्यनारायण, एकादशी/शिवरात्री, नदी या पानीधारा विवाह, गाई साक्षी विवाह, चांदी विवाह, औपचारिक प्रवेश विवाह, विनिमय विवाह, ममेरी/फुफेरी बहिन से विवाह इत्यादि व निरनुष्ठानिक प्रकार के विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त न होने का उल्लेख करते हुये इसके अन्तर्गत- ढांटी विवाह, देवर-भावज विवाह, टेकुवा-कठाला विवाह, डोला-सरोला विवाह पद्धतियों को सम्मिलित किया हैं। लोकजीवन में प्रचलित इन विवाह पद्धतियों के स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:

आनुष्ठानिक विवाह पद्धतियाँ

१. ब्रह्मा विवाह (कन्यादान) - रतूड़ी ब्रिटिश गढ़वाल के सन्दर्भ में विवाह की इस पद्धति का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि इस प्रकार के विवाह का आंशिक प्रचलन समाज की उन आर्य द्विजातियों के मध्य था जिनके द्वारा स्मृति एवं शास्त्रानुष्ठानिक परम्पराओं का अनुसरण किया जाता था जिनमें शासक वर्ग, उच्चस्तरीय ब्राह्मण-राजपूत, सामाजिक व आर्थिक रूप से सम्पन्न व प्रबुद्ध सामाजिक लोग मुख्य रूप से सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त अपने सामाजिक व जातीय स्तर को बढ़ावा देने के लिये तत्कालीन समाज की अनेक जातियों जैसे खश ब्राह्मण व राजपूतों के द्वारा भी विवाह की इस पद्धति का अनुसरण किया जाने लगा क्योंकि इन्हें सामाजिक रूप से निम्नस्तरीय मान इनके मध्य प्रचलित कन्यामूल्य को समाज की द्विजातियों में हेय दृष्टि से देखा जाता था। अन्य गैर आर्य जातियों में आसुरी रीति से विवाह प्रचलित था।[४] विवाह की इस पद्धति में वर विवाह अनुष्ठान के लिए कन्या के घर जाता था व पूरे वैदिक विधि-विधानों से विवाह सम्पन्न किया जाता था। इस अनुष्ठान का मुख्य और जरूरी हिस्सा अंचल यानी जोड़े को आपस में बांधना था।[५] रतूड़ी ने ब्रह्मा विवाह अनुष्ठान में सप्तपदी की रस्म को आवश्यक बताया है।[६] एटकिंसन गढ़वाल की द्विजातियों में आर्ष विवाह[७] की परम्परा प्रचलित होने का भी उल्लेख करते हैं।

२. आसुर विवाह (टका का ब्याह) - रतूड़ी ने ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित विवाह की आसुरी पद्धति में कन्या का वर के घर प्रवेश करने को ही विवाह पूर्ण होना बताया हैं।[८] पन्नालाल के अनुसार विवाह की इस पद्धति में वर पक्ष द्वारा दुल्हन के संरक्षक को विवाह के खर्च या अन्य किसी नाम से कुछ धन का भुगतान किया जाता था।[९] जिसे इतिहासकारों ने कन्यामूल्य व गढ़वाल में प्रचलित विवाह की इस पद्धति को 'टके का ब्याह' की संज्ञा दी है। गर्दा लरनर कन्यामूल्य प्रथा की प्राचीनता के संबंध में लिखती हैं कि ईसा के दो हजार साल पूर्व से ही, मैसोपोटामिया में भी कन्या के विवाह के अवसर पर वर पक्ष से वधू पक्ष द्वारा कन्यामूल्य लिया जाता था।[१०] डबराल तत्कालीन ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित टके के विवाह के मूल में समाज में नारियों की कमी, कुछ पुरूषों का एक से अधिक पत्नियां रखना, कृषि-पशुचारण के लिए नारी का अनिवार्य महत्व तथा प्राचीन परम्परा आदि को मानते हैं।[११] इस प्रकार के विवाह में दुल्हन के घर दूल्हा स्वयं नहीं जाता था अपितु बारात को भेजता था व कन्या को बिना किसी वैवाहिक अनुष्ठान के वरपक्ष के घर ले आया जाता था तथा सभी वैवाहिक अनुष्ठान जिसमें अंचल रस्म जिससे विवाह को पूर्ण माना जाता था को पति के घर पर सम्पन्न किया जाता था जिसका लक्ष्य पत्नी को सामाजिक और आनुष्ठानिक उद्देश्य से पवित्र करना था। यदि अंचल से पहले और गणेश पूजा व दुल्हन द्वारा गहने पहनने की रस्म पूरी होने के बाद पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिला विधवा मानी जाती थी और वह फिर आजीवन विवाह नहीं कर सकती थी।[१२] हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार- ब्रिटिश गढ़वाल में समाज की द्विजातीय महिलाओं के पुनर्विवाह पर रोक थी किन्तु अन्य गैर आर्य व निम्न स्तरीय जातियों में महिलाओं के पुनर्विवाह की परम्परा प्रचलित थी।[१३]

३. कुम्भ विवाह- जब विवाह के समय पति का अनुपस्थित रहना अपरिहार्य हो या ज्योतिषीय गणना से दुल्हन का उससे वास्तविक विवाह अपशकुन माना जाय तो वर के स्थान पर

घड़े से दुल्हन का विवाह कर दिया जाता था।[१४]

४. प्रतिमा विवाह– एटकिंसन के मतानुसार इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को वर का प्रतिनिधि मानकर विवाह किया जाता था। यह विवाह तब सम्पन्न होता था जब लड़की के बारे में ग्रहों का योग यह बताता था कि वह विधवा या दुराचारिणी होगी तो पहले उसकी शादी विष्णु के चित्र से की जाती थी ताकि स्त्री के ग्रहों का कुप्रभाव दूर हो जाय।[१५] कुछ मामलों में तो यह प्रतिमा पंडित को दे दी जाती थी और कुछ में इसे दुल्हन को पहना दिया जाता था।[१६]

५. अर्क विवाह– यदि कोई व्यक्ति तीसरी बार शादी करना चाहता था चाहे उसकी अन्य पत्नियां जिन्दा हों या नही तो उसे एक अनुष्ठान करना होता था जिसे अर्क विवाह यानी अर्क पेड़ से विवाह कहते थे। तीसरे विवाह का आकांक्षी पुरूष या तो अर्क के पेड़ के पास वेदी बनवाता था या अर्क के पेड़ की एक टहनी लाकर वेदी के निकट रोपता था। फिर पूजा अनुष्ठान सामान्य विवाह की ही भांति होते थे। चार दिन तक अक्र के वृक्ष या शाखा को अपने स्थान पर ही रखा जाता था और पांचवें दिन वह व्यक्ति अपनी तीसरी पत्नी के साथ विवाह की रस्म करने का पात्र बन जाता था। यदि महिला विधवा होती थी तो वह व्यक्ति उसे बिना विवाह के ही अपने घर ले जा सकता था।[१७] इसके अतिरिक्त जब ज्योतिष गणना के हिसाब से वर के विवाह की रस्म करना वर्जित होती थी तो दुल्हन की शादी आक के पेड़ से कर दी जाती थी।[१८]

६. मंदिर विवाह– इसके अन्तर्गत वर-वधू किसी मंदिर में जाकर बिना किसी रस्म के मूर्ति को साक्षी मानकर एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकारते थे। इसके अतिरिक्त कभी अकेली कन्या वर के बिना ही मंदिर के फेरे लगाकर, लक्षित व्यक्ति को अपना पति मान लेती थी।[१९] पन्नालाल उन मंदिरों का भी उल्लेख करते हैं जिनमें तत्कालीन समय में विवाह सम्पन्न होते थे। जैसे- सल्ट और मर्चूला में महादेव मन्दिर, श्रीनगर के नजदीक बिल्वकेदार, रानीगढ़ पट्‌टी में जसोली में हरियाली देवी, बदलपुर पट्‌टी में झल स्थित पवित्र कुंड, इड़ियाकोट पट्‌टी में अपोला में महादेव मन्दिर, लंगूर पल्ला पट्‌टी में डाडामंडी में भुवनेश्वरी देवी, अजमेर पल्ला और उदयपुर वल्ला के बीच थल नदी, लक्ष्मण झूला और ब्यासघाट के बीच महादेव चट्‌टी में महादेव मन्दिर, लंगूर पल्ला पट्‌टी में लिंगढ़ में भैरव मन्दिर, अजमेर पल्ला पट्‌टी में अजमेरगढ़ पथ या मबगढ़ में महादेव मन्दिर, उदयपुर पल्ला पट्‌टी में रामजनी में रामजी का मन्दिर, उदयपुर वल्ला पट्‌टी में जमकेश्वर महादेव और इसी पट्‌टी में बंचुरी देवी मन्दिर, सितोनस्यूं पट्‌टी में लक्ष्मण जी का मन्दिर, टिहरी रियासत में देवप्रयाग स्थित रघुनाथ जी का मन्दिर। इस प्रकार का विवाह किसी समुदाय विशेष तक सीमित नही था।[२०]

७. सत्यनारायण विवाह– कुछ लोग अनेक औपचारिकताओं व खर्चे से बचने के लिये किसी शुभ दिन घर में ही श्री सत्यनारायण की वेदी के फेरे लगाकर विवाह की औपचारिकता को पूरा कर लेते थे।[२१] पन्नालाल इंगित करते हैं एक पंडित सत्यनारायण की कथा पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। कथा समाप्त होने पर दूल्हा-दुल्हन पंडित जिस चौकी पर वह बैठा होता था, उसके चक्कर काटते थे और विवाह सम्पन्न माना जाता था।[२२]

८. एकादशी/शिवरात्री विवाह– इसमें कन्या मूल्य ले चुका कन्या का पिता किसी एकादशी को या शिवरात्री को व्रत रखता था और व्रत की समाप्ति पर कन्या का हाथ वर के हाथ में पकड़ा कर विवाह की औपचारिकता को पूर्ण करता था।[२३]

९. पानीधारा/नदी विवाह– शिवप्रसाद डबराल ने पाणीधारा पूजन की परम्परा का विवाह की सभी पद्धतियों में आवश्यक होने के कारण इसे विवाह की सबसे प्राचीन प्रथा का अवशेष माना है।[२४] पन्नालाल लिखते हैं कि इस प्रकार के विवाह में वर के उपस्थित न हो सकने की स्थिति में दुल्हन को पवित्र नदी, जलस्त्रोत किसी पवित्र स्थान पर ले जाया जाता था। जहां उसका सार्वजनिक तौर पर विवाह किया जाता था और उसे दूल्हे की पत्नी घोषित किया जाता था। उन सिपाहियों का, जो विवाह के समय उपस्थित नहीं हो पाते थे, प्रायः उसके संरक्षकों द्वारा उसका इस प्रकार का विवाह सम्पन्न किया जाता था।[२५]

१०. गाई साक्षी विवाह– इसके अन्तर्गत् कन्यामूल्य ले लेने के पश्चात् वर एवं वधू कन्या के घर में ही गाय के चार-पांच फेरे लेकर विवाह की औपचारिकता को पूरा कर लेते थे। इसके बाद गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती थी।[२६]

११. चांदी विवाह– इसमें कन्या को खरीदकर वर के अभिभावकों द्वारा कन्या को अपने घर ले जाया जाता था। इसमें आंचलग्रन्थि की औपचारिकता का किया जाना भी आवश्यक नही होता था व वर द्वारा कन्या को पत्नी की तरह रख दिया जाता था।[२७] पन्नालाल के अनुसार कई बार रस्म नाम की कोई चीज नहीं होती थी। कोई अविवाहित लड़की चल सम्पत्ति की तरह खरीद कर लाई जाती है और पत्नी की तरह रख ली जाती है।[२८]

१२. औपचारिक प्रवेश विवाह– वर के अभिभावकों द्वारा वधूमूल्य चुका दिये जाने के पश्चात् बिना किसी अन्य

औपचारिकता के वधू के द्वारा वर के घर में प्रवेश को ही विवाह की मान्यता दे दी जाती थी।[२६] पन्नालाल के अनुसार कभी-कभी केवल यही रस्म होती थी कि दुल्हन अपने पति के घर में औपचारिक प्रवेश करती थी। पति की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। यह प्रवेश या तो शालिग्राम पत्थर के साथ होता था, या पानी अथवा दही से भरे घड़े को सिर में रखे हुए या गाय की पूंछ पकड़े हुए।[३०]

१३. विनिमय या अट्टा-सट्टा विवाह- इसमें वधूमूल्य चुकाने में असमर्थ निर्धन लोग परस्पर कन्याओं की अदला-बदली के माध्यम से अपने पुत्रों के लिये वधू प्राप्त करते थे। इसमें सामान्यतः वर का पिता कन्या के भाई को अपनी पुत्री देता था और उसकी बहन को अपनी वधू के रूप में प्राप्त करता था।[३१] शिवप्रसाद डबराल नाथ समुदाय (गोसांई, जंगम, बैरागी और नाथ) के सन्दर्भ में इस पद्धति के प्रचलन को स्पष्ट करते हुये लिखते हैं कि यह लोग कभी-कभी एक-दूसरे के परिवार में विवाह कर लेते थे और गृहस्थी बनकर खेती करने लगे थे। साथ ही कुछ मंदिरों के जोगी-पुजारियों जिन्होंने गृहस्थ आश्रम अपना लिया था, में ऐसी प्रथा प्रचलित हो चुकी थी कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह एक-दूसरे से करते थे और अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी बनाते थे।[३२]

१४. झाड़-फूंक फेरा- ब्रिटिश गढ़वाल में झाड़ी फूँक विवाह भी अत्यन्त प्रचलित था। इसके अन्तर्गत लड़की अपने मनपंसद लड़के के साथ वन में जाकर गुप्त रूप से आग अथवा सूखी झाड़ी जलाकर उसकी सात बार परिक्रमा कर लेती थी।[३३] बुक्सा जनजाति में भी इस पद्धति का प्रचलन था जिसके अनुसार अगर कोई लड़की विवाह किये बिना मां बन जाती थी तो उसका शास्त्रीय पद्धति से विवाह नहीं होता अपितु झाड़-फूंक फेरा पद्धति से होता था। इसमें पंच एकत्र करके बेर के पेड़ की एक टहनी लाई जाती थी, उस पर घी डाला जाता था और आग लगा दी जाती थी। कन्या अपने पति का चाकू हाथ में लिए जलती लकड़ी के तीन चक्कर लगाती थी, इससे विवाह की रस्म पूरी मानी जाती थी।[३४] पन्नालाल ने बुक्सा जनजाति के उन लोगों के नामों का भी उल्लेख किया हैं जिनका इस पद्धति से विवाह सम्पन्न हुआ था। जैसे- हल्दूखत्ता गांव में मोहन के बेटे बिसन ने शिवा की बेटी छुटया से तथा मल्ला सनेह गांव में भी लालसिंह के बेटे शेरी ने रमवा की बेटी मंगली से इसी तरह विवाह किया।[३५]

१५. करी या काज- बुक्सा जनजाति में इस पद्धति का प्रचलन था। जिसके अनुसार किसी महिला का पुनर्विवाह करने के लिए उसके रिश्तेदार नए पति से महिला की कीमत लेते थे, लेकिन महिला के माता-पिता को कीमत लेने का कोई अधिकार नहीं था। नया पति उस महिला को पंचों के सामने चादर देता था। पंच अपने शुल्क के रूप में २रूपए ८ आना लेते थें, यह करी का प्रमाण होता था। कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपने बडे या छोटे भाई की विधवा से शादी कर सकता था।[३६] पन्नालाल इस प्रकार के विवाह का हल्दूखत्ता गांव में पूरन द्वारा अपने छोटे भाई बुधू की विधवा गडोरी से विवाह का उदाहरण देते हैं।[३७]

१६. उडालसूत - रतूड़ी गढ़वाल में एक अन्य विवाह पद्धति जिसे उन्होंने 'उडालसूत' प्रकार का नाम दिया है का उल्लेख करते हुये स्पष्ट करते हैं- गढ़वाल में खश, खश ब्राह्मणों और हरिजनों में विवाह की एक अन्य रीति प्रचलित थी जिसे पूर्णतः राक्षस का तरीका नही कहा जा सकता किन्तु यह राक्षसी रीति की झलक रखता था। इस रीति में मंगनी की तय रकम और विवाह के खर्चे का ठहराव और लेन-देन लड़की के पिता से पहले ही हो जाता था किन्तु विवाह मुहूर्त न मिलने के कारण कन्या को किसी मेले में भेज दिया जाता था और वहां से वर या वर पक्ष के लोग उसे अपने घर भगाकर ले आते थे। इस रीति को ''उडालसूत'' कहते थे और ऐसा विवाह कानूनन वैध माना गया था।[३८]

निरनुष्ठानिक (संस्कारहीन) विवाह

१. सरोला/डोला विवाह- ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित विवाह की इस पद्धति में कन्या को ब्याह कर लाने के लिए वर का स्वयं जाना आवश्यक नही था। वह अपनी कटार आदि किसी निजी वस्तु के साथ अपने कुछ संबंधियों को कन्या के घर भेज देता था और वे लोग कन्या को अपने साथ ले आते थे और विवाह की रस्म वर के घर में पूरी कर ली जाती थी। सरोला विवाह पद्धति में वधू के साथ उसके संबंधियों का उसके ससुराल तक उसे छोड़कर आने की प्रथा थी क्योंकि कन्या के बहुत छोटी उम्र की होने की स्थिति में उसकी मां भी उसके साथ आती थी फिर कन्या को साथ लेकर वापस चली जाती थी।[३९] और जब वह परिपक्व हो जाती थी तो फिर उसे हमेशा के लिए ससुराल विदा किया जाता था। इस प्रकार की विवाह पद्धति का प्रचलन शिमला क्षेत्र के कोटखाई, रोहडू आदि क्षेत्रों में ''गाडर'' नाम से प्रचलित दिखाई देती है।[४०]

२. ढांटी विवाह- पन्नालाल के अनुसार ढांटी किसी भी हिन्दू जाति से लाई जा सकती थी। ढांटी लाते समय कोई भी अनुष्ठान या रस्म जरूरी नहीं था इस प्रथा के अन्तर्गत कोई भी विवाहिता चाहे वह सधवा अवस्था में हो या विधवा एवं पुरूष स्वेच्छा से अपनी पत्नी या पति को त्यागकर नया

जीवनसाथी चुन सकते थे।[४१] किन्तु इस विवाह को सामाजिक वैधता तभी प्राप्त होती थी जबकि स्त्री का नया पति गहनों व विवाह के अन्य खर्चों के लिए उसके पूर्व पति को इसका मूल्य देकर ''लादौ''(तलाक) प्राप्त करे।[४२] इस संबंध में कुछ रोचक प्रथाओं का भी प्रचलन था। जैसे- यदि पत्नी किसी अन्य पुरूष (ज़ार अथवा प्रेमी) के साथ चली जाती तो प्रथम पति दूसरे से पत्नी शुल्क लेकर धागा काट देता था। वह अपने हाथ में दो तिनके लेकर दूसरे पति से एक तिनका खींचने के लिए कहता था। जब दूसरा तिनका खींच लेता तो संबंध विच्छेद स्वीकार कर लिया जाता।[४३] एक दूसरी प्रथा के अनुसार यदि पति इच्छा से अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद करना चाहता तो वह कहता था कि चली जाओ और यदि पत्नी स्वयं संबंध तोड़ती तो उसके पति को पत्नी शुल्क देना पड़ता था तथा प्रथम पति उसे दो बालिश्त कपड़ा देता था।[४४] विधवा के मामले में कोई भुगतान अथवा लादावा डीड भी नहीं की जाती थी।

ढांटी विवाह में यदि ढांटी के रूप में गृहीता स्त्री सगर्भा हो तो उसे स्यूंचेला 'गर्भस्थ पुत्र सहित' विवाह कहा जाता था। इसमें वधूमूल्य का निर्धारण करते समय गर्भस्थ शिशु का भी मूल्य पृथक रूप से निर्धारित किया जाता था तथा यह पुत्र अपने नये पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था।[४५] इस प्रथा के माध्यम से उन जातियों की स्त्रियों को ढॉटी के रूप में रखा जाना समाज सम्मत हो गया जिनसे विवाह संबंध वर्जित था।[४६] इससे एक ओर बहुविवाह को बढ़ावा मिला वहीं दूसरी ओर ढॉटी पत्नियों को प्राप्त करने के लिये उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना बलात अपहरण की प्रथा भी प्रचलित हुई, जो २०वीं शदी के अन्तिम दशकों तक समाज में किसी न किसी रूप से चलती रही।[४७]

३. देवर-भावज विवाह- इस प्रथा में यदि किसी भाई की मृत्यु हो जाती थी तो उसका छोटा या बड़ा भाई मरे हुए भाई की पत्नी से विवाह कर लेता था। विधवा के दर्जे में इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता था कि उसने अपने मृत पति के भाई के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ा था या वह उसे अपने घर में रखती थी उसे ढांटी कहा जाता था साथ ही उसके बच्चों को असल ही माना जाता था।[४८]

४. टेकवा विवाह- एटकिंसन, पन्नालाल, डबराल व एल. डी. जोशी इत्यादि इतिहासकार ब्रिटिश गढ़वाल में टेकवा विवाह की परम्परा के प्रचलन का उल्लेख करते है। इस परम्परानुसार टेकूवा, कठला या हल्या ऐसा व्यक्ति था जिसे विधवा अपने पुराने घर में ही पति की तरह रखती थी। उत्तरभोगियों की सहमति के बिना टेकूवा रखने वाली विधवा की सम्पत्ति पर न तो टेकूवा को अधिकार मिलता था और न उसके बच्चों को लेकिन अगर टेकूवा की कोई सम्पत्ति होती थी तो उस पर महिला और उसके बच्चों का पूरा अधिकार होता था। इसके विपरीत यदि विधवा स्त्री बिना विवाह किये 'टेकवा विवाह' या 'झनौटा विवाह' के अन्तर्गत् किसी अन्य पुरूष सेवक को पति के रूप में अपने घर में रख लेती थी तो मृत पति की सम्पत्ति पर उसी का अधिकार बना रहता था तथा सेवक पति से उत्पन्न संतानों को 'मृत पति' की संतानों के ही समकक्ष सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाता था।[४६] भजनसिंह टेकवा पद्धति के गढ़वाल में प्रचलन की परम्परा को स्मृति एवं शास्त्रों में वर्णित टेकवा पद्धति से जोड़ते हैं।[५०]

ब्रिटिश गढ़वाल के लोकजीवन में प्रचलित इन विभिन्न विवाह पद्धतियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवाह की ब्रह्मा अर्थात् कन्यादान की पद्धति को छोड़कर शेष सभी में कन्या के परिवार को वर के परिवार की ओर से कुछ नकद धनराशि कन्याशुल्क के रूप में दी जाती थी। पन्नालाल इंगित करते हैं कि- एक तरफ जहां धनी पिता अपनी बेटी की शादी का कोई मूल्य नहीं लेता था और सक्षम वर को कन्यादान करता था, वहीं दूसरी तरफ निर्धन पिता बिना किसी रस्म के चल सम्पत्ति की तरह अपनी बेटी को बेच देता था। किन्तु साथ ही तत्कालीन समाज में इन दो अतिवादी रिवाजों के बीच सभी तरह की वैवाहिक रस्में प्रचलित थी।[५१]

निष्कर्ष : निष्कर्ष रूप से ब्रिटिशकालीन गढ़वाल में प्रचलित विवाह पद्धतियों एवं विधि-विधानों को पन्नालाल के इन शब्दों से इंगित किया जा सकता है - गढ़वाल हिमालय में प्रचलित विवाह के सभी प्रकार यथा-कन्यादान का विवाह, टका का ब्याह, सरोला या ड़ोला विवाह, मंदिर एवं विष्णु प्रतिमा विवाह इत्यादि सभी बराबर वैध हैं और किसी प्रकार के अन्य से ज्यादा वैध होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा हांलाकि एक प्रकार का विवाह एक समुदाय विशेष के सदस्यों में या एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों में अन्य के मुकाबले ज्यादा प्रचलित है लेकिन इसके बारे में किसी तरह का कोई कड़ा प्रतिबंध नही हो, ऐसा नही है। एक उच्च जाति का ब्राह्मण पैसे की एवज में विवाह को भले ही हेय दृष्टि से देखता हो लेकिन हो सकता है उसका गरीब भाई इस तरह का विवाह कर ले और उसे अवैध नहीं माना जाता।

सन्दर्भ

१. पन्नालाल, 'कुमाऊं में प्रथागत कानून', १६२० हिन्दी अनुवादक- प्रकाश थपलियाल, उत्तराखण्ड प्रकाश, २००८, आदिबदरी, पृ. ८.

२. आर्यों के आगमन से पूर्व, काकेशश प्रदेश, पश्चिमी एशिया एवं अरब में फैली मेलान-कोई जाति की एक शाखा, 'खश' ने कश्मीर से लेकर नेपाल तक के सम्पूर्ण मध्य हिमालयी भूखण्ड पर अपना आधिपत्य स्थापित करके खश संस्कृति को गढ़वाल हिमालय तक फैलाया। किन्तु धीरे-धीरे यह ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो बैठी। १६वीं-२०वीं शदी के ब्रिटिश गढ़वाल में ब्राह्मण और खश दोनों संस्कृतियों के मिश्रित रूप को देखा जा सकता है।

३. जोशी, लक्ष्मीदत्त., 'खश फेमिली लॉ', गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, १६२६ पृ. १२३.

४. रतूड़ी नरेन्द्र, 'हिन्दू लॉ', एन.के. प्रेस, लखनऊ, १६१८, पृ. १०५.

५. पन्नालाल., वही, पृ. ८.

६. रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू लॉ, वही, पृ. १०५.

७. एटकिंसन, ई.टी., 'द हिमालयन गजेटियर', ग्रन्थ-२, भाग-२, हिन्दी अनुवाद थपलियाल, प्रकाश., हिमालयन संचेतना संस्थान, उत्तराखण्ड, पृ. ६०८.

प्राजापत्य ही आर्ष विवाह तब हो जाता था जब इसमें कन्या का पिता वर से गाय या बैल (गौ-मिथुन) की प्राप्ति कर उसे अपनी कन्या देता था। यद्यपि इस प्रकार प्राप्त गौ-मिथुन कन्या को ही दिये जाते थे। संस्कृत में आर्ष का अर्थ ऋषि भी है और बैल भी है। आर्ष विवाह के अन्तर्गत मधुपक्र के पश्चात् कन्या का पिता कुश घास दिखाकर वर से कहता था कि 'बछड़ा लाओ' या रजत पत्र पर बने गो-मिथुन का चित्र वधू के पिता को दे देता था। तब इस प्रतीकात्मक बछड़े का पूजन कर मिष्ठान वितरित कर दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के अन्तिम वर्षों तक कन्या के पिता की ओर से जार्दान (बछड़ा दो) शब्द का उच्चारण ही विवाह की संस्कार पद्धति से हटा दिया गया।

८. रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू लॉ, पूर्वोक्त, पृ. १०५.

६. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. ६.

१०. जोशी, गोपा., 'भारत में स्त्री असमानता', हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली वि.वि, २०१५, पृ.१२.

११. डबराल, शिवप्रसाद., 'उत्तराखण्ड का इतिहास', भाग-७, पृ.३७१.

१२. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ. ८. पन्नालाल के अनुसार- इस पद्धति के अन्तर्गत मुख्य अनुष्ठान सम्पन्न किये जाते थे- १. मंगल स्नान या दुल्हन का आनुष्ठानिक स्नान, २. दुल्हन को कंकण या कंगन पहनाना, ३. वर पक्ष द्वारा मूल्य का भुगतान करना, ४. गणेश पूजा, ५. दुल्हन द्वारा गहने पहनना, मुख्यतः नथ पहनना जो कि पत्नीत्व का प्रतीक माना जाता था। इनमें से गणेश पूजा और दुल्हन द्वारा गहने पहनना आवश्यक था और विवाह को कानूनी रूप देने के लिए पर्याप्त होता था।

१३. रतूड़ी, हरिकृष्ण., गढ़वाल का इतिहास, भागीरथी प्रकाशन, नई दिल्ली, १६२०, पृ. ६४.

१४. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. ६.

१५. एटकिंसन, ई.टी., पूर्वोक्त, पृ. ६३५.

१६. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. ६.

१७. एटकिंसन, ई.टी., पूर्वोक्त, पृ. ६३४-६३५.

१८. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ.६.

१६. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. ६.

२०. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. १०४-१०५.

२१. शर्मा,डी.डी., 'हिमालय के खश : एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण', पहाड़ हल्द्वानी, २००६, पृ.५३.

२२. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ.६.

२३. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. १०.

२४. डबराल, शिवप्रसाद., भाग-७, पृ. ३७१.

२५. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. ६-१०.

२६. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. १०.

२७. शर्मा, डी,डी., पूर्वोक्त, पृ.५४.

२८. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. १०.

२६. शर्मा, डी,डी., पूर्वोक्त, पृ.५४.

३०. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. १०.

३१. शर्मा, डी,डी., पूर्वोक्त, पृ.५५.
इस प्रकार के विवाह को गढ़वाल में अट्टा-सट्टा, बट्टा-सट्टा या ग्वरसांट कहा जाता था।

३२. डबराल, शिवप्रसाद, भाग-८, पृ.१३६.

३३. डबराल, भाग-७, पृ. ३७१-३७२.

३४. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ.५४.

३५. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ. ५४.

३६. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ.५५

३७. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ. ५५.

३८. रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू लॉ, पृ. १३०.

३६. शर्मा, डी,डी., पूर्वोक्त, पृ.११५.

४०. शर्मा, डी,डी., पूर्वोक्त, पृ.११५-११६.

४१. शर्मा, डी,डी., पूर्वोक्त, पृ.५६.

४२. पन्नालाल., पूर्वोक्त, पृ. १०१.

४३. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ. १०१.

४४. मजूमदार, रेसेज एण्ड़ कल्चर्स ऑफ इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, १६६१ पृ. १२, ४, १२६, १३३, १३४.

४५. एटकिंसन, ई.टी., पूर्वोक्त, पृ. २२५.

४६. डबराल, शिवप्रसाद, पूर्वोक्त, पृ. ३४६.

४७. डबराल, शिवप्रसाद., पूर्वोक्त, पृ. ३७१.

४८. शर्मा, डी.डी., पूर्वोक्त, पृ.५७.

४६. सिंह, भजन., सिंह-भारती., सम्पादक- कठोच, यशवन्त सिंह., भागीरथी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०००, पृ. ३२-३३.

५०. वही, पृ. ३३.

५१. पन्नालाल, पूर्वोक्त, पृ. ३.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ **डा० गजवीर सिहं**

भारत की लगभग आधी आबादी २५ वर्ष से कम उम्र की है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्रमशील जनसंख्या २०४० तक तेजी से बढ़ेगी, जिसके कारण भारत 'विकासशील' से 'विकसित' राष्ट्र बन सकता है। वर्तमान में भारत का ६५ फीसदी युवा, कामगार आयु समूह का है। अगर कभी इसका लाभ लेने की बात होती है तो इसका मार्ग युवाओं के कौशल विकास के द्वारा ही निकलेगा जिससे न केवल युवाओं का विकास होगा बल्कि देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। कौशल भारत कुशल भारत के नारे के साथ वित्त वर्ष २०१६ में १९.८५ लाख युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और २.४६ लाख को रोजगार मिल गया। ५६६ जिलों में ८४७६ प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र योजना से सम्बन्धित उद्देश्यों एवं अपेक्षित निष्कर्षों को ज्ञात करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।

युवा परिवर्तन के सूत्रधार होते है नये प्रयोगों को अंगीकार करते है नये विचारों और विकास के वाहक होते हैं। इसलिए अपने देश के युवाओं को कौशल और ज्ञान से सशक्त करना हमारे लिए अनिवार्य है ताकि देश विकास की राह पर अग्रसर हो। भारत के लिए मौजूदा दौर स्वर्णिम कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी २५ वर्ष से कम उम्र की है। आँकड़े कहते हैं कि २०२० तक भारत की औसत आयु २९ वर्ष होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्रमशील जनसंख्या २०४० तक तेजी से बढ़ेगी, जिसके कारण भारत 'विकासशील' से 'विकसित' राष्ट्र बन सकता है।[१] वर्तमान में भारत का ६५ फीसदी युवा , कामगार आयु समूह का है। अगर कभी इसका लाभ लेनें की बात होती है तो इसका मार्ग युवाओं के कौशल विकास के द्वारा ही निकलेगा जिससे न केवल युवाओं का विकास होगा बल्कि देश की आर्थिक उन्नति भी होगी।[२]

महत्वाकांक्षी युवा वर्ग और गुणवत्तापूर्ण जीवन की क्षुधा एक विकसित देश के लिए उम्मीदों का शंखनाद भी है। आने वाले २० वर्षो में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की श्रम शक्ति में जहां ४ प्रतिशत की गिरावट की आशंका जतायी जा रही है, वहीं भारत में इसमें ३२ प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इस संभावनाशील आयुवर्ग में क्षमता निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार ने भी कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। सरकार देश को विश्वव्यापी मैन्यूफैक्चरिंग हब और कौशल का केन्द्र बनाने का प्रयास कर रही है।[३] प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार सत्ता में जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को मुद्दा बनाकर आई थी उनमें युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं गांव-गरीब का उत्थान् अहम् था। प्रधानमंत्री जी ने खुद कई मौकों पर युवाओं को ''जॉब सीकर्स से जॉब क्रिअटर्स'' के रूप में परिणत करने के सपने का उद्गार किया।[४]

इन सब लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आजादी के ६८ वर्षो बाद, पहली बार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है।[५] प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने १५ जुलाई २०१५ को महत्वाकांक्षी कौशल विकास अभियान की शुरूआत की । इस योजना के अंतर्गत २०२२ तक ४०.०२ करोड़ युवाओं को व्यवसायिक, तकनीकी एवं कौशल विकास शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। यह योजना एक साथ देश के १०० शहरों में लाँच की गई है । 'विश्व युवा कौशल दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 'स्किल इंडिया' का प्रतीक चिन्ह जारी करने के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता २०१५, के लिए राष्ट्रीय नीति और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत की, स्किल इंडिया' मिशन के अंतर्गत सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग देगी। सरकार इस मिशन के माध्यम से युवाओं को दक्ष बनाकर रोजगार के योग्य बनाएगी जिसके लिए हर राज्य में स्किल युनिवर्सिटी खोली जायेगी।[६] कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च्व प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की ''मेक-इन-इंडिया'' अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम् पहल

❑ **प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, लाल बहादुर स्मारक महाविद्यालय, गोहावर, बिजनौर (उ.प्र.)**

है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम् भूमिका है।[७] कौशल विकास मंत्रालय ने वाधवानी फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया जिसमें वह प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा ।[८] मेक इन इंडिया पहल और १०० स्मार्ट सिटी मिशन से भी इसे काफी लाभ मिला है। कौशल विकास और उद्यमिता हेतु प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति, २०१५ ने उच्च तकनीकी नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने के साथ-साथ सफल कौशल रणनीति के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए रोडमेप बनाया गया है।[९]

कौशल विकास भारत देश के ४० क्षेत्रों (एग्रीकल्चर, होमफर्नीशिंग, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एण्ड वेलनेश, कैपिटल गुडस, कंसट्रक्सन, डोमोस्टिक वर्क्स, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर, फूडप्रोसेसिंग, फर्नीचर एण्ड फिटिंग्स, जेम्स एण्ड ज्वैलरी, ग्रीन जॉव्स, हेन्डी क्रॉफ्ट्स, हेल्थ केयर, आयरन एण्ड स्टील्स, आईटी/आईटीज, लेदर, लाइफ साइन्सेज, लाजिस्टिक्स, मीडिया एण्ड एन्टरटेन्मेन्ट, माइनिंग, पेन्ट एण्ड कोटिंग, प्लेम्बिंग, पॉवर, रिटेल, रबड़, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी, टेलिकॉम, टेक्सटाइल्स एण्ड हेण्डलूम, टूरिज्म एण्ड होस्पिटिलिटी आदि) में पाठ्यक्रम पेश करता है, जो उद्योगों और सरकार के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवक्र मानको के अनुरूप है। यह कोर्स एक व्यक्ति को कार्य के व्यवहारिक विस्तार और उसके तकनीकी अभ्यास में ध्यान केन्द्रित करने की मदद करता है, जिससे वह अपनी नौकरी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके और कम्पनी को उसके प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ना पड़े।[१०] प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में ''कौशल विकास योजना केवल जेब में रूपये भरना ऐसा नहीं है , बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है।'' कौशल भारत कुशल भारत अभियान को, जागरूकता अभियान के साथ सभी लोगों को उनके हुनर में कुशल करके भारत से वहु आयामी समस्याओं का निराकरण करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों मे '' मैं भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए पूरे राष्ट्र को प्रतिज्ञा करने के लिए आह्ववान करता हूँ।''[११]

योजना का कार्यान्वयन : योजना का कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित सुव्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा। मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य संस्थागत व्यवस्थाओं को तीन स्तरों में बांटा गया है, जिसमें शीर्ष स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग काउंसिल संचालन समिति, और मिशन की कार्यकारी शाखा के रूप में मिशन निदेशालय (एक कार्यकारी समिति सहित) सम्मिलित है। मिशन निदेशालय को तीन अन्य संस्थाओं की सहायता मिलेगी, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेन्सी (एन एस डी ए) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी जी टी)। इन सभी का मिशन निदेशालय से संपक्र है, ताकि राष्ट्रीय संस्थागत व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद प्रदान की जा सके। मिशन के समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूलभूत अंगो के रूप में शुरूआत में सात उप-मिशनों का प्रस्ताव किया गया है ये हैं १. संस्थागत प्रशिक्षण, २. बुनियादी ढांचा, ३. अभिसरण, ४. प्रशिक्षण, ५. विदेश में रोजगार, ६.सतृत आजीविका और ७. सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना।[१२]

योजना का उद्देश्यः राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, २०१५ का उद्देश्य बड़े पैमाने पर गति और स्तर (गुणवत्ता) की चुनौती के साथ निपटना है। इसका लक्ष्य देश भर में संचालित की जा रही कौशल निर्माण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को सामान्य मापदण्डों के अनुरूप बनाने और कौशल की मांग केन्द्रों के साथ जोड़ने के लिए एकछत्र ढांचा उपलब्ध कराना है।[१३] कौशल विकास के मोर्चे पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार की प्रमुख योजना है, कौशल भारत कुशल भारत के नारे के साथ वित्त वर्ष २०१६ में १६. ८५ लाख युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और २.४६ लाख को रोजगार मिल गया। ५६६ जिलों में ८४७६ प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए हैं।[१४] प्रस्तुत शोध पत्र योजना से सम्बन्धित उद्देश्यों एवं अपेक्षित निष्कर्षों को ज्ञात करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।

अध्ययन क्षेत्र : प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का सोउद्देश्य पूर्ण निदर्शन विधि के आधार पर चयन किया गया। तत्पश्चात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत संचालित १० प्रशिक्षण केन्द्रों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक प्रशिक्षण केन्द्र से २० लाभार्थियों (१० लड़के और १० लड़कियों) का, कुल २०० लाभार्थियों (१०० लड़के और १०० लड़कियों) का, सविचारपूर्ण निदर्शन द्वारा चयन किया गया। सभी उत्तरदाता १८ वर्ष से ३० वर्ष की आयु समूह के हैं।

शोध प्रारूप : शोध-पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार, अवलोकन तथा साक्षात्कार अनुसूची, को आधार बनाया गया

है तथा द्वितीयक स्त्रोतों हेतु शासकीय प्रतिवेदन, पुस्तकालय, सम्बन्धित शोध, इन्टरनेट, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

१. योजना से लाभान्वित युवाओं का लैंगिक एवं श्रेणीवार अध्ययन करना।
२. योजना में संचालित कोर्स/पाठ्यक्रमों में युवाओं की रूचियों का अध्ययन करना।
३. योजना में सम्मिलित युवाओं की भागीदारी के उद्देश्य का अध्ययन करना।
४. योजना के क्रियान्वयन में लाभार्थियों द्वारा अनुभूत समस्याओं का अध्ययन करना।

उपकल्पनाऐं :

१. समाज के सभी वर्ग एवं लिंग के युवा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
२. योजना में संचालित कुछ कोर्स/पाठ्यक्रमों में युवा अधिक रूचि ले रहे हैं।
३. अधिकांश युवा सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से योजना का लाभ ले रहे हैं।
४. योजना के क्रियान्वयन में युवाओं को कुछ अनुभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उपलब्धियाँ : योजना का क्रियात्मक विवेचन करने के उद्देश्य से सबसे पहले लाभार्थियों का लैंगिक एवं श्रेणीवार अध्ययन किया गया जो कि सारणी संख्या-०१ में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या - ०१

लाभार्थियों का लैंगिक एवं श्रेणीवार विवरण

लिंग	सामान्य	अ.पि.व.	अनु.जाति	अल्पसंख्यक	योग/प्रतिशत
लड़के	१८ ९.००	२४ १२.००	४२ २१.००	१६ ८.००	१०० ५०.००
लड़कियां	१७ ८.५	२३ ११.५	४८ २४.००	१२ ६.००	१०० ५०.००
योग/प्रतिशत	३५ १७.५	४७ २३.५	९० ४५.००	२८ १४.००	२०० १००.००

सारणी संख्या-०१ से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक लाभार्थी (२४ प्रतिशत लड़कियाँ) अनुसूचित जाति वर्ग से है। और सबसे कम लाभार्थी (६प्रतिशत लड़कियाँ) अल्पसंख्यक समूह वर्ग से हैं, लड़कों में भी सबसे अधिक लाभार्थी (२१ प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, कुल मिलाकर सबसे अधिक लाभार्थी (४५ प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, सबसे कम लाभार्थी (१४ प्रतिशत) अल्पसंख्यक समूह के और १७.५ प्रतिशत सामान्य वर्ग से तथा २३.५ प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग समूह से हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत लगभग ४० कोर्स/पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं। अध्ययन के उद्देश्य से सम्बन्धित यह जानने का प्रयास किया गया कि युवा किन कोर्स/पाठ्यक्रमों में अधिक रूचि ले रहे हैं जो कि सारणी संख्या-०२ में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-०२

संचालित कोर्स/पाठ्यक्रमों में युवाओं की रूचियाँ

कोर्स/पाठ्यक्रम	लड़के	लड़कियाँ	योग	प्रतिशत
सिलाई सम्बन्धित कोर्स	०५	२३	२८	१४.००
ब्यूटी एण्ट वैलनेश	०७	१८	२५	१२.५
इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर	२५	०८	३३	१६.५
फूड प्रोसेसिंग	०६	१९	२५	१२.५
सौर ऊर्जा सम्बन्धित कोर्स	२३	०७	३०	१५.००
टेक्सटाइल्स एण्ड हैन्डलूम	११	०९	२०	१०.००
हेल्थ केयर	१३	०५	१८	९.००
अन्य	१०	११	२१	१०.५
योग	१००	१००	२००	१००.००

सारणी संख्या-०२ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि योजना में संचालित कोर्स/पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक युवा (१६ प्रतिशत) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर को, १५० प्रतिशत युवा सौर ऊर्जा से सम्बन्धित कोर्स को, तत्पश्चात् १४ प्रतिशत युवा सिलाई सम्बन्धित कोर्स, जिनमें लड़किया अधिक संख्या में हैं। व्यूटी एण्ड वेलनेश तथा फूड प्रोसेसिंग से सम्बन्धित कोर्स को बराबर-बराबर १२.५ प्रतिशत युवा पसन्द कर रहे हैं, १० प्रतिशत युवा टेक्सटाइल्स एण्ड हेन्डलूम को, ६ प्रतिशत युवा हेल्थ केयर को तथा १०.५ प्रतिशत युवा अन्य किसी कोर्स को रूचि के साथ कर रहे हैं। अतः योजना में संचालित कुछ कोर्स/पाठ्यक्रमों में युवा अधिक रूचि ले रहे हैं।

शोध पत्र में यह भी जानने का प्रयास किया गया कि युवा किस उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भागीदारी कर रहे हैं। जो कि सारणी संख्या-०३ में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-०३

योजना में भागीदारी का उद्देश्य

योजना में भागीदारी का उद्देश्य	लड़के	लड़कियाँ	योग	प्रतिशत
नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से	३६	३०	६६	३३.००
स्वरोजगार करने के उद्देश्य से	२७	३२	५६	२६.५०
स्वयं को योग्य बनाने के उद्देश्य से	१८	१७	३५	१७.५०
निःशुल्क योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से	०८	०६	१७	०८.५०
अन्य किसी उद्देश्य से	११	१२	२३	११.५०
योग	१००	१००	२००	१००.००

सारणी संख्या-०४

लाभार्थियों द्वारा अनुभूत समस्याऐं

समस्याऐं	लड़के	लड़कियाँ	योग	प्रतिशत
प्रशिक्षण केन्द्र पर सुविधाओं का अभाव	२३	२१	४४	२२.००
अधिक अवकाश की समस्या	१७	१६	३६	१८.००
कुशल प्रशिक्षकों का अभाव	२८	२४	५२	२६.००
यातायात की समस्या	१३	१४	२७	१३.५०
पारिवारिक समस्याऐं	१६	२२	४१	२०.५०
योग	१००	१००	२००	१००.००

सारणी संख्या-०३ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक ३३ प्रतिशत युवा नौकरी पाने के उद्देश्य से, २६.५० प्रतिशत युवा काम सीखकर स्वयं का रोजगार करने के उद्देश्य से, १७.५० प्रतिशत युवा अपने हाथों को दक्ष बनाने के उद्देश्य से, ११.५० प्रतिशत लाभार्थी अन्य किसी उद्देश्य से प्रशिक्षण ले रहे हैं। जबकि ८.५० प्रतिशत लाभार्थी ऐसे हैं जोकि योजना का निःशुल्क अथवा अन्य किसी तरह का खर्च न होने के कारण कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं।

हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पारदर्शी बनाने तथा अपेक्षित निष्कर्षो पर पहुँचने का सफल प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी शोध पत्र में योजना से लाभान्वित हो रहे युवाओं द्वारा अनुभूत समस्याओं अथवा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करने का प्रयास किया गया जो कि सारणी संख्या-०४ में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-०४ से स्पस्ट होता है कि सबसे अधिक २६ प्रतिशत सूचनादाता प्रशिक्षण केन्द्र पर कुशल प्रशिक्षकों का अभाव महसूस कर रहे हैं, २२ प्रतिशत सूचनादाता प्रशिक्षण केन्द्र पर बेसिक सुविधाओं की कमी अनुभव कर रहे हैं, २०.५ प्रतिशत सूचनादाता पारिवारिक कार्यो या समस्याओं के करण से प्रशिक्षण को पूरा समय नहीं दे पाते, १८ प्रतिशत सूचनादाता प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिक अवकाश होने को समस्या मान रहे हैं, जबकि १३.५ प्रतिशत सूचनादाता प्रशिक्षण केन्द्र तक पहुचनें में यातायात के साधानों की कमी अनुभव करते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव : अन्त में शोधपरक निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गाँव-गरीब के उत्थान, शिक्षित और अशिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने,

नवयुवकों के हाथों को दक्ष बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें युवा अधिक रूचि ले रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं।

यह भी निर्विवाद सत्य है कि योजना को पारदर्शी बनाने और सफल क्रियान्वन के अनेकानेक प्रयास किये गये है जैसे लाभार्थियों की बायोमैट्रिक ७५ प्रतिशत उपस्थिति, लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था आदि। लेकिन योजना चाहे कोई भी क्यों न हो उनमें किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। लाभार्थियों द्वारा इसमें भी कुछ न कुछ समस्याओं को अनुभव किया गया जिनके आधार पर कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं।

१. प्रशिक्षण केन्द्रों पर लाभार्थियों की संख्या के अनुकूल साधनों की समुचित व्यवस्था की जाये।

२. प्रशिक्षण केन्द्रों पर कुशल एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में व्यवस्था की जाये।

३. प्रशिक्षण केन्द्रो पर कम से कम अवकाश रखे जायें, साथ ही प्रशिक्षण में केवल समय अवधि को महत्व न देकर, लाभार्थियों के कौशल/प्रशिक्षण को महत्व दिया जाये।

४. एक ही व्यक्ति या संस्था को अधिक संख्या में प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित न किये जाये ताकि योजना का बाजारीकरण न हो पाये।

५. प्रशिक्षण केन्द्रो का समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

६. पारिवारिक स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाये तथा उन्हें सहयोग दिया जाये।

सन्दर्भ

१. सिंह जतिंदर, 'कौशल विकास नवाचार युवा सशक्तिकरण' योजना - मई २०१७, पृ. ३५ ।

२. भारत -२०१७, श्रम, कौशल विकास और रोजगार, कौशल भारत , पृ.६१४ ।

३. सिंह जतिंदर, 'पूर्वोक्त' पृ. ३५ ।

४. प्रसाद, श्याम सुन्दर, कश्यप, जगन्नाथ कुमार, 'कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी' कुरूक्षेत्र, मई-२०१७ पृ०-३० ।

५. भारत-२०१७, 'पूर्वोक्त' पृ. ६१५ ।

६. करेंट अफेयर्स वार्षिकांक, प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाऐं, पृ. २८ ।

७. अर्चना गुप्ता, ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-युवा सशक्तिकरण की नई दिशा'' पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार, http://pib.nic.in/newsite/hindifeature.aspx?relid=34970. २ अगस्त २०१७।

८. Google. https:khabarndtv.com. भाषा की रिपोर्ट, होम/करियर, 'कौशल विकास मंत्रालय का वाधवानी फाउंडेशन के साथ करार' उद्यमिता शिक्षा को देगें बढावा, updated: २३ फरवरी २०१७, ८:१८ चउ

९. सिंह जतिंदर, 'पूर्वोक्त' पृ. ३६ ।

१०. भारत -२०१७, 'पूर्वोक्त' ।

११. www.hindikiduniya.com. भारत सरकार, 'कौशल विकास योजना कौशल विकास अभियान' ''स्किल इंडिया मिशन'' कौशल भारत-कुशल भारत, १३ जनवरी २०१६ ।

१२. भारत-२०१७, 'पूर्वोक्त' ।

१३. भारत-२०१७, 'राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति' पृ. ६१६ ।

१४. नायडू, एम० वेकैया, 'गाथा नये भारत की' योजना, मई-२०१७, पृ. ११ ।

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

भारत में महिला सशक्तीकरण – संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विशेष संदर्भ में

❑ श्वेता लोहानी

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में महिलाओं ने पिछले कुछ दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है लेकिन अभी भी पुरूष प्रधान समाज में कई बाधाओं एवं सामाजिक बुराईयों के विरोध में उन्हे संघर्ष करना पड़ता है। अनेक क्षेत्रों में प्रगति के बाद भी- जिसमें विकास योजनाएं और भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त विशेष प्रस्थिति सम्मिलित है- विविध क्षेत्रों, संस्कृतियों व समाजों की महिलायें आज भी पुरूष की परछाई में रहती हैं, जिसका कारण भी स्पष्ट है। आधुनिक भारतीय समाज में कई पुरूष प्रधानता से ग्रसित बुराईयाँ आज भी प्रचलित हैं जो महिलाओं के विकास और नवीन क्षेत्रों में उनके अग्रसर होने की विरोधी हैं। यह विडम्बना है कि एक देश जिसनें प्रथम प्रयास में ही मंगल मिशन पूर्ण कर इस क्षेत्र में प्रथम एशियाई देश की प्रस्थिति प्राप्त की हो वहीं उसकी स्थिति संयुक्त राष्ट्र के लिंग असमानता सूचकांक में १८८ देशों में १२५वें स्थान पर है।[१] प्रस्तुत लेख भारत में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से सम्बन्धित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को ज्ञात करने का प्रयास है।

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं की वैयक्तिक या सामुदायिक रूप में आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक व आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना है। अर्थात् समाज में महिलाओं की समान प्रस्थिति विकसित करने हेतु स्वतंत्रता व अवसर की उपलब्धता से है। सशक्तीकरण का मुख्य केन्द्र महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर होने के लिए सक्षम बनाना है जिससे उनमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए सकारात्मक आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके।[२] महिला सशक्तीकरण में एक ऐसे समाज, एक राजनैतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें महिलाएं, पुरूष-प्रभुत्व वाले समाज से भिन्न, दमन, शोषण, आशंका, भेदभाव आदि भावनाओं के भय से मुक्त होकर सांस ले सकती हैं। **महिला** सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव से मुक्ति है। जिसका अर्थ महिलाओं को उनके जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करना है।[३] इस संदर्भ में महिला सशक्तीकरण के विभिन्न पहलू हैं, जो निम्नलिखित हैं-

मानवाधिकार या व्यक्तिगत अधिकारः एक महिला अन्य मानव जाति के समान ही इन्द्रियों, कल्पना और विचारों से युक्त होती है, जिसे उन्हें व्यक्त करने की समान रूप से स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। व्यक्तिगत सशक्तीकरण का अर्थ है-निर्णय लेने एवं वार्तालाप करने में आत्मविश्वास का होना।

सामाजिक सशक्तीकरणः महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है लैंगिक समानता का प्रचार। लिंग समानता का अर्थ है एक ऐसा समाज जिसमें महिलाएँ एवं पुरूष जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, परिणाम, अधिकार एवं दायित्वों का आनन्द लेते हैं।

शैक्षिक सशक्तीकरणः इसका अर्थ है विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका अर्थ है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करना और इनका प्रयोग करने के लिए आत्मविश्वास का विकास करना।

आर्थिक और व्यवसायिक सशक्तीकरण : यह महिलाओं के स्वामित्व और प्रबन्धन में प्राप्त आजीविका के माध्यम से उनके भौतिक जीवन की गुणवत्ता से संबधित है। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी पुरूषों पर वित्तीय निर्भरता कम करके उन्हे मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाये।

कानूनी सशक्तीकरणः यह एक प्रभावी कानूनी संरचना का प्रावधान है। इसका अर्थ विधि क्या निर्धारित करता है और वास्तव में क्या होता है, के बीच अंतराल को संबोधित करना है अर्थात् कानूनी हथियार द्वारा महिलाओं को सशक्त करना।

राजनीतिक सशक्तीकरणः इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता (निर्णय एवं नियंत्रण) को बढ़ावा देना।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति : महिलाओं की आबादी सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा है लेकिन भारत में महिलाओं की आबादी पुरूषों की अपेक्षा

❑ शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, कुँमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

तुलनात्मक रूप से कम है। जनसंख्या २०११ के अनुसार, भारत की आबादी १.२१ अरब है जिसमें ०.५८ अरब (लगभग ४८ प्रतिशत) महिलाएं शामिल है।[४] वास्तव में, २०११ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस परिपेक्ष्य में एक तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लड़कियों की वृद्धि को रोका जा रहा है- न केवल आर्थिक विकास और प्रगति से - बल्कि जीवन से भी। यदि तत्काल तीव्र गिरावट वाली लिंगानुपात जनसांख्यिकी पर ध्यान केन्द्रित न किया गया तो

२०११-२०१५ के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराध के अंतर्गत पंजीकृत मामले और २०१४ से २०१५ तक प्रतिशत भिन्नता

Crime Head	2011	2012	2013	2014	2015	Percentage variation in 2015 over 2014
Rape	24206	24923	33707	36735	34651	-5.7
Attempt to Commit Rape	-	-	-	4232	4434	4.8
Kidnaping & Abduction of Women	3565	38262	51881	57311	59.277	3.4
Dowry Deaths	8618	8233	8063	8455	7634	-9.7
Assault on Women with Intent to Outrage her/their Modesty	42968	45351	70739	82235	82422	0.2
Insult to the Modesty of Women	8570	9173	12589	9735	8685	-10.8
Cruelty by Husband or His Relatives	99135	106527	118866	122877	113403	-7.7
Importation of Girl from foreign Country	80	59	31	13	66	-53.8
Abetment of Suicide of Women	-	-	-	3734	4060	8.7
Total IPC Crime against Women	219142	232528	295896	325327	314575	-3.3
Ommission of Sati Prevention Act	0	0	0	0	0	0
Indecent Representation of Women (P) Act	453	141	362	47	40	-14.9
The Dowry Prohibition Act	6619	9038	10709	10050	9894	-1.5
Protection of Women from Domestic Violence Act	-	-	-	426	461	8.2
Immoral Traffic (Prevention) Act	2436	2563	2579	2.070#	2424	17.1
Total SLL Crime against women	9508	11742	13650	12593	12819	1.8
Total	228650	244270	309546	337922	327394	-3.1

Source: The United Nations Development Pogramme (UNDP) 2016 Human Development Reports

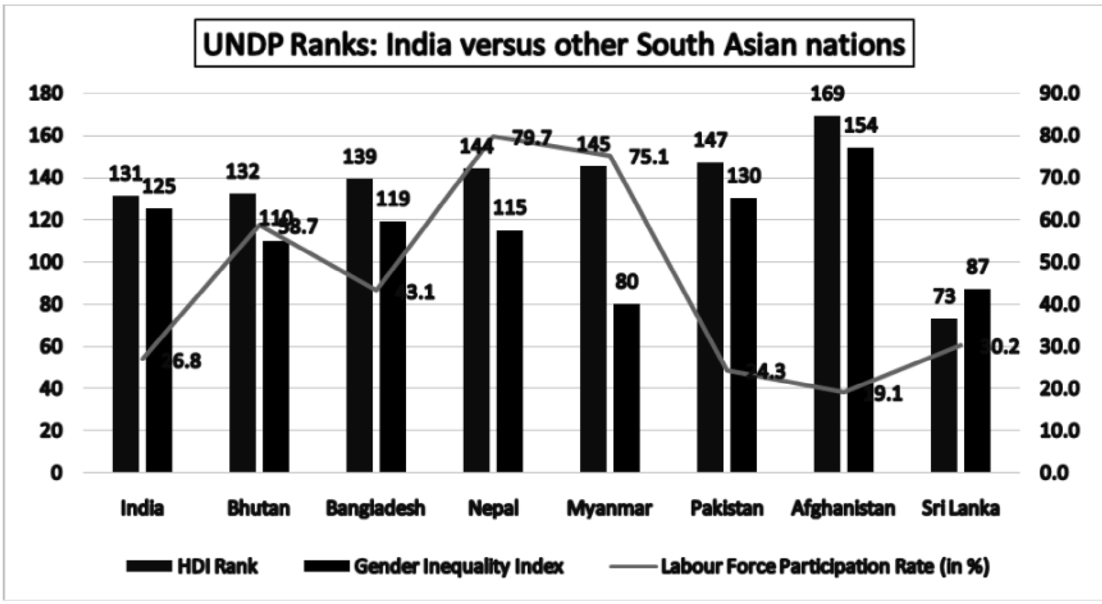

Source: The United Nations Development Pogramme (UNDP) 2016 Human Development Reports

यह लैगिक न्याय सामाजिक अनुपात में असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म देंगी। २०११ की जनगणना के निष्कर्षों में भारत में बाल लिंग अनुपाल (०-६ वर्ष) में लगातार गिरावट के कारणों को ज्ञात करने की जरूरत है। जो आंकडा २००१ में ६२७ था वह घटकर २०११ में ६१६ महिला प्रति १००० पुरूष रह गया है। यह भी स्पष्ट है कि यह समस्या अत्यधिक व्यापक हो रही है- इस गिरावट को मुख्य रूप से १८ राज्यों और ३ केन्द्रशासित प्रदेशों में देखा जा रहा है। यहां तक कि उन राज्यों में जहां २००१ तथा २०११ की जनगणना के मध्य सुधार देखा गया है वहां भी बाल- लिंगानुपात का स्तर बहुत कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी. आर.बी.) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक १.६ मिनट में महिलाओं पर घटित अपराध दर्ज किये जाते हैं। प्रत्येक १६ मिनट में इस देश में बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है और प्रत्येक ६.४ मिनट में उसकी गरिमा को अपमानित करने की मंशा से महिला पर हमला होता है।[५]

इसके अलावा २०१६ के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार मानव विकास संकेतकों पर रिपोर्ट में अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत की तुलना में महिलाओं के लिए बेहतर स्थान पर पाये गये।[६]

महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रावधान : लैंगिक समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में निहित है। यह संविधान न केवल महिलाओं को समानता देता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए राज्य को शक्ति भी देता है।

भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकारों के लिए भी अनुमोदन किया है। उनमें से प्रमुख १९९३ में महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेन्शन (CEDAW) का अनुसमर्थन है। भारत में महिला के लिए उपलब्ध अधिकारों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार

संवैधानिक अधिकार : संवैधानिक अधिकार वे हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कानूनी अधिकार वे हैं जो संसद के विभिन्न कानूनों और राज्य विधान मंडलों द्वारा प्रदान किए गए हैं।

१- संवैधानिक प्रावधान : भारतीय संविधान न केवल महिलाओं को समानता देता है बल्कि राज्यों को सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के शक्ति भी प्रदान करता है। जिससे वे सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकें। मौलिक अधिकार, व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिवेध और रोजगार से संबन्धित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गांरटी देता है। इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं।

१. महिलाओं के लिए विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद १४)
२. राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। (अनुच्छेद १५(प))
३. राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबन्ध कर सकेगा।(अनुच्छेद १५(३))
४. राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी (अनुच्छेद १६)
५. राज्य के पुरूषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरूषों और महिलाओं दोनो के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो।(अनुच्छेद ३९घ)
६. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टया, यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। (अनुच्छेद ३९क)
७. राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करने के लिए उपबन्ध करेगा।(अनुच्छेद ४२)
८. राज्य, जनता के कमजोर वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।(अनुच्छेद ४६)
९. राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।(अनुच्छेद ४७)
१०. भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो। (अनुच्छेद ५१-क-ड़)

११. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जा सकेंगे। (अनुच्छेद २४३-घ (३))

१२. ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करें। (अनुच्छेद २४३-घ (४))

१३. प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाली सीटों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएं

१४. नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य की विधानमण्डल कानून द्वारा उपबन्धित करें। (अनुच्छेद २४३ (४))

२. कानूनी प्रावधानः संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए राज्य ने महिलाओं को समरूप अधिकार सुनिश्चित करने एवं सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों के विभिन्न प्रकारों का मुकाबला करने, विशेष रूप से काम कर रही महिलाओं के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विधायी प्रावधानों को लागू किया है। हालांकि महिलाएं किसी भी अपराध जैसे मर्डर, डकैती, धोखाधड़ी आदि का शिकार हो सकती हैं। ऐसे अपराध जो महिलाओं के विरूद्ध विशेष रूप से निर्देशित होते हैं, उन्हें महिलाओं के विरूद्ध अपराध के रूप में वर्णित किया जाता है। इन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता हैः-

(१) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चिन्हित अपराधः

१. बलात्कार (धारा ३७६ आईपीसी)
२. विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपहरण या धोखे से अज्ञात स्थान ले जाना।(धारा ३६३.३७३)
३. दहेज, दहेज-हत्या या उसके प्रयासों के लिए हत्या (धारा ३०२.३०४बीआईपीसी)
४. यातना, मानसिक और शारीरिक दोनों (धारा ४९८-एआईपीसी)
५. छेड़छाड़ (धारा ३५४ आईपीसी)
६. यौन उत्पीड़न (धारा ५०९ आईपीसी)
७. लड़कियों का आयात (२१ वर्ष की उम्र तक)
८. विशेष कानून (एसएलएल) के तहत चिन्हित अपराध

यद्यपि सभी कानून लिंग विशिष्ट नहीं हैं और महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनो की प्रावधानों को समय-समय पर समीक्षा की गई है। उभरती आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने के लिए किए गए संसोधनों की समीक्षा की गई है। कुछ उनके हितों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रावधान हैः

१. कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९५४
२. विशेष विवाह अधिनियम, १९५४
३. हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५४
४. २००५ में संशोधन के साथ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६
५. अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, १९५६
६. मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ (१९८५ में संशोधित)
७. दहेज निषेध अधिनियम,१९६१
८. गर्भावस्था उन्मूलन अधिनियम,१९७१
९. अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम,१९७६

महिलाओं के लिए विशेष उपबन्ध

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोगः जनवरी १९९२ में, सरकार ने महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए एक विशिष्ट मण्डल के साथ इस सांविधिक निकाय की स्थापना की जो उपलब्ध कानूनो की समीक्षा करें तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ संसोधन का सुझाव दें।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षणः संसद द्वारा १९९२ में पारित ७३वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों में सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा सुनिश्चित किया गया।

बालिका-शिशु हेतु राष्ट्रीय योजन का क्रियान्वयन (१९९१. २०००): यह योजना कन्या शिशु को सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित कर उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य हेतु कार्यरत है। बाल-राष्ट्रीय नीति को भारत सरकार द्वारा २६ अप्रैल २०१३ को अपनाया गया। वहीं नवीनतम बाल-राष्ट्रीय योजना २०१६ ड्राफ्ट प्रारूप में है।

महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशनः महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें अंतर क्षेत्रीय अभिसरण को मजबूत करने और सभी मंत्रालयों और विभागों में महिला कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के

समन्वय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जनादेश है। **एन०एम०ई०डब्लू०** के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी सहायता और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने का प्रावधान शामिल है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ २२ जनवरी, २०१५ को जारी किया गया सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें बाल लिंगानुपात में गिरावट और महिलाओं के पूरे जीवन-चक्र सातत्य में सशक्तीकरण से सम्बन्धित बिन्दुओं को संबोधित किया गया। यह एक त्रि-मंत्रीस्तरीय प्रयास है जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ओर मानव संसाधन मंत्रालय सम्मिलित हैं जिसका मुख्य लक्ष्य वकालत अभियान और जागरूकता द्वारा मानसिकता में परिवर्तन लाना है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर भी बल दिया गया है।

वन स्टाप सेन्टर ऐसी महिलाएं जो हिंसा से पीडित है, उन्हें न्याय प्राप्त करने में बड़ी समस्यांए आती हैं क्योंकि इसके लिए उन्हे एफ. आई.आर दर्ज करवाना और कोर्ट मामलों से लड़ने के लिए वकील नियुक्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में अपराधियों में दबाव में चिकित्सकीय साक्ष्य नष्ट किये जाते हैं। परिणामस्वरूप ज्ञान के अभाव में महिलायें हिंसा का शिकार होती हैं किन्तु शिकायत नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं की सहायता हेतु वन स्टाप सेन्टर की स्थापना की पहल की गई तथा इसे १ अप्रैल,२०१५ से देश भर में लागू किया गया है। यहाँ हिंसा से पीड़ित महिला को चिकित्सकीय, पुलिस, वैधानिक व मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। यदि उसकी स्थिति अत्यधिक खराब है तो यह केन्द्र रहने के लिए अस्थायी निवास भी उपलब्ध कराता है।

राजीव गांधी स्कीम फॉर इम्पावरमेन्ट ऑफ एडोलसेन्ट गर्ल्स (सबला): किशोर लड़कियों के समग्र विकास के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना पूरे देश में चयनित जिलों में लागू की गई। सबला का लक्ष्य किशोरी लड़कियाँ जिनकी आयु ११-१८ वर्ष है, सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हे ज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि द्वारा आत्मनिर्भर बनाना है।

स्वाधार योजना : कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने २००२ में प्रारम्भ की है। यह स्कीम जरूरतमंद महिलाओं/लड़कियों की देखभाल आश्रय, भोजन कपड़े प्रदान करती है। लाभार्थियों में विधवायें जिन्हे उनके परिवार व रिश्तेदारों ने त्याग दिया है, जेल से रिहा महिला कैदी जिन्हें कोई पारिवारिक सहायता प्राप्त न हो, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित महिलाएं, आतंकवादी हिंसा आदि से पीड़ित महिलाएं सम्मिलित है। इनमें कार्यान्वयन गैर सरकारी ऐजेन्सियां द्वारा मुख्य रूप से (एन.जी.ओ.) होता है।

उज्जवला : मानव तस्करी से निपटने के लिए, दिसम्बर २००७ को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गई। इसे मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसमें व्यवसायिक यौन-शोषण हेतु दुर्व्यवहार से पीड़ितों के लिए रोकथाम, बचाव, पुर्ववास, पुर्नमिलन और प्रत्यावर्तन की व्यवस्था है।

निष्कर्ष : यद्यपि महिलाओं को हर तरह की हिंसा से सुरक्षा हेतु अनेक कानून हैं लेकिन अपहरण, यौन-उत्पीड़न, जबरन वसूली, एसिड हमलों आदि में वृद्धि हुई है, जिसका कारण कानूनी प्रक्रियाओं में विलम्ब तथा कार्यरत न्यायपालिका में व्याप्त कमियां हैं। महिला आरक्षण विधेयक का अभी तक लंबित रहना, महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। भारतीय राजनीति में अभी भी पुरूषों का प्रभुत्व है जो महिलाओं को मूक-दर्शक बनने के लिए मजबूर करता है अर्थात अकेले सरकार की पहल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। समाज को भी ऐसे वातावरण बनाने के लिए पहल करनी चाहिए जिसमें कोई लिंग भेदभाव की भावना नहीं हो और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो जिसके द्वारा प्राचीन भारत में महिलाओं की गौरवशाली प्रस्थिति जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमयन्ते तत्र देवता प्रचलित था, को पुनः प्राप्त किया जा सके।

References:

1. United Nations Development Programme's latest Human Development Report 2016, http://hdr.undp.org/en/composite/GII
2. Fadia Kuldeep, Women's Empowerment Through Political Participation in India, Indian Journal Of Public Administration, VOL. LX, NO. 3, July-September 2014, pp.539
3. Dewan Beena, Women's Empowerment and Security Mechanism in 21stCentuary Present Indian Scenario, International Journal of Applied Science and Engineering 4(1): June, 2016, p.p. 1-13.
4. http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter5.pdf, p.p. 78
5. http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2015/chapters/Chapter%205-15.11.16.pdf, p.p.83
6. UNDP latest Human Development Report 2016, http://hdr.undp.org/en/composite/GII
7. The Constitution of India, http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

कलियुग एवं स्त्री : पुराणों का एक अध्ययन

❑ अभिनव अर्चना

प्राचीन साहित्य में बार-बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था, उनके लिये पुराणों की रचना की गयी।[१] यह तथ्य धर्मशास्त्रीय प्रबंध में दिये गये स्त्रियों के सामाजिक आचरण के निर्देशों से पौराणिक साहित्य में वर्णित उनकी सामाजिक स्थिति का प्रस्थान बिन्दु है। यही तथ्य स्त्रियों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के लिये पुराणों को महत्त्वपूर्ण बनाता है। पुराणों में सामाजिक संकट के रूप में कलियुग का उल्लेख मिलता है। इस शोध पत्र में पुराणों में कलियुग का वर्णन तथा कलियुग की सामाजिक -आर्थिक परिस्थितियों पर विचार किया गया है। इन परिस्थितियों ने समकालीन स्त्री की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाला, यह शोध पत्र का मूल विषय है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से पुराणों में उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है।

प्राचीन साहित्य में बार-बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था, उनके लिये पुराणों की रचना की गयी।[१] यह तथ्य धर्मशास्त्रीय प्रबंध में दिये गये स्त्रियों के सामाजिक आचरण के निर्देशों से पौराणिक साहित्य में वर्णित उनकी सामाजिक स्थिति का प्रस्थान बिन्दु है। यही तथ्य स्त्रियों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के लिये पुराणों को महत्त्वपूर्ण बनाता है। पुराणों में सामाजिक संकट के रूप में कलियुग का उल्लेख मिलता है। इस शोध पत्र में पुराणों में कलियुग का वर्णन तथा कलियुग की सामाजिक -आर्थिक परिस्थितियों पर विचार किया गया है। इन परिस्थितियों ने समकालीन स्त्री की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाला, यह शोध पत्र का मूल विषय है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से पुराणों में उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है।

महाभारत[२] एवं सभी आरम्भिक पुराणों में कलियुग का विशद वर्णन मिलता है। हजारा[३] के अनुसार कलियुग के प्रारम्भिक वर्णनों का सम्बन्ध तीसरी शताब्दी ई. से है। काल-निर्धारण वर्णन की अन्तर्वस्तु के आधार पर किया गया है। प्रमुख पुराणों का संकलन अन्तिम रूप से ४०० ई. के आस-पास हुआ प्रतीत होता है।[४] काणे भी पुराणों का रचना काल चौथी से छठी ईसवी के बीच रखते हैं।[५] प्रारम्भिक पुराणों में विष्णु, ब्रह्माण्ड, भागवत, वायु, मत्स्य एवं भविष्य पुराण को रखा गया है।[६] शोधपत्र के पहले भाग में इन्हीं प्रारम्भिक पुराणों के आधार पर कलियुग के वर्णनों एवं विशिष्टताओं पर विचार किया गया है।

वेदोत्तर काल में रचे गये धर्मसूत्रों में चार वर्णो की कल्पना के साथ प्रत्येक के लिये अलग-अलग कार्य निर्धारित किये गये थे। धार्मिक तथा बौद्धिक कर्म ब्राह्मणों के लिये, शासन और युद्ध क्षत्रिय के लिये, कृषि-पशुपालन-व्यापार एवं उत्पादन सम्बन्धी अन्य कार्य वैश्य के लिये, सेवा कर्म शूद्र के लिये। इस व्यवस्था में उत्पादन करना, कर देना, अधिशेष श्रम उपलब्ध कराना वैश्यों और शूद्रों के हिस्से आया। उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का संचालन, धन-धान्य का उपभोग, कर वसूलना (राजस्व उगाहना) क्षत्रिय की जिम्मेदारी थी। ब्राह्मण दान दक्षिणा पर जीता था। इसे चातुर्वर्णव्यवस्था कहा गया है।[७]

तीसरी सदी ई. में इस चातुर्वर्णव्यवस्था में व्यवधान पड़ गया। इसे ही पुराणों में कलियुग कहा गया है। कलियुग का उल्लेख करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है कि वैश्य लोग कृषि तथा व्यापार का त्याग करके शिल्पी कर्म से जीवन यापन करते हुए शूद्र वृत्ति अपना लेंगे।[८] इसी प्रकार के उल्लेख हरिवंश पुराण[९] से भी मिलते हैं।

हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलियुग में राजन्य वैश्यवृत्ति अपना लेंगे तथा धान्य पैदा करके अन्य उपायों से जीवन यापन करने को विवश हो जायेंगे, और शायद ब्राह्मण भी इसी स्थिति को प्राप्त होंगे।[१०] इसी क्रम में हरिवंश पुराण में आगे कहा गया है कि अग्निहोत्र का कर्त्ता यज्ञ सम्पादित करने से पूर्व ही यज्ञ सामग्री का भक्षण कर लेगा तथा लोग दान दक्षिणा न देकर अपने समस्त साधनों का उपभोग स्वयं करेंगे।[११]

इन तीनों उद्धरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी सदी ई. में वैश्य वर्ण के सदस्यों ने उपभोक्ता वर्ग (क्षत्रिय एवं ब्राह्मण) का सहयोग करना बंद कर दिया था। निश्चय ही उत्पादक वर्ग के इस विद्रोह से समाज में अव्यवस्था का संचार हुआ होगा।

कलियुग का वर्णन करने वाले कुछ अन्य पौराणिक उद्धरण

❑ शोध अध्येत्री, इतिहास विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

ब्राह्मण-शूद्र सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हैं। वायु पुराण[१२] में कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मणों जैसा आचरण करेंगे और ब्राह्मण शूद्र जैसा। शूद्र तथा अस्पृश्य न केवल ब्राह्मणों के साथ सोयेंगे, बैठेंगे और खायेंगे[१३] बल्कि जप-तप भी करेंगे।[१४] ये उद्धरण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन का संकेत देते हैं। अस्पृश्यों का उल्लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि तीसरी सदी ई. में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं जिनके परिणामस्वरूप न केवल शूद्रों के साथ बल्कि अस्पृश्यों के साथ भी ब्राह्मणों की पारस्परिक अन्तःक्रिया में वृद्धि हुई। शूद्र-ब्राह्मण सम्बन्धों का उल्लेख करने वाले कुछ अन्य पौराणिक अवतरणों से आभास होता है कि कलियुग में शूद्रों ने ब्राह्मणीय वेशों को अपना लिया।[१५] निश्चित रूप से परिवर्तन का यह दौर ब्राह्मणों को नागवार गुजरा होगा। परिणामतः उन्होंने कलियुग को चारो युगों में निकृष्टतम घोषित किया।

वैश्यों और शूद्रों के वर्णाश्रम धर्म से विमुख होने का संकेत देने वाले उपर्युक्त उद्धरणों के अलावा पुराणों से हमें क्षत्रियों की बदलती हुई सामाजिक स्थिति का भी संकेत मिलता है। वायु पुराण का एक श्लोक राजा को चोर, डाकू के समान व्यवहार करने वाला बताता है।[१६] ब्रह्माण्ड पुराण कहता है कि युगान्त में राजाओं का काम सिर्फ करों (बलि तथा भाग) का उपभोग करना रह जायेगा। प्रजा की चिन्ता छोड़ वे केवल अपनी रक्षा की चिन्ता करेंगे।[१७] वायु, वरुण, विष्णु एवं हरिवंश पुराण से कलियुग में जनता पर अतिरिक्त करारोपण के संकेत मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार गोप्तृ कहलाने वाले अधिकारी अत्याचारी बन जायेंगे और अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।[१८] विष्णु पुराण के अनुसार दुर्भिक्ष एवं करों से पीड़ित लोग गेहूँ तथा जौ से भरपूर अन्य देशों में जा बसेंगे।[१९] हरिवंश पुराण से मालूम होता है कि असहाय लोग कर भार से पीड़ित हो वनों में जाकर बस जायेंगे[२०] क्योंकि राजा कर लगाकर प्रजा की सम्पत्ति का हरण कर लेंगे।[२१] महाभारत के अरण्यक एवं शान्ति पर्व से भी शिल्पियों पर कर वृद्धि के संकेत मिलते हैं।[२२]

कलियुग के ये पौराणिक संदर्भ कर वृद्धि के कारणों पर प्रकाश नहीं डालते। किन्तु इनसे धर्मशास्त्रीय विधान का उल्लंघन स्पष्ट दिखता है। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में कहा गया है कि प्रजा राजा को संरक्षण के बदले कर देती है। कलियुग के पौराणिक उद्धरण इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते।

वर्णाश्रम धर्म के छिन्न-भिन्न होने के अलावा कलियुग के कुछ अन्य उल्लेख समाज में सम्पत्ति के बढ़ते हुए महत्त्व की ओर इशारा करते हैं। विष्णु पुराण में कलि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दान ही पुण्य अर्जित करने का एकमात्र साधन बन गया[२३] और द्रव्यों तथा रत्नों का संग्रह प्रशंसा का कारण बन गया।[२४] सम्पत्ति उच्च पारिवारिक स्थिति की प्राप्ति का स्रोत बन गयी।[२५] कलियुग में जिसके पास भी रथ, घोड़े और हाथी होंगे वही राजा कहलायेगा।[२६]

प्रारम्भिक पुराणों का उपर्युक्त कलि वर्णन कलियुग की कुछ विशिष्टताओं को रेखांकित करता है। इन संदर्भों से उजागर कलि की विशेषताओं में वैश्यों का विद्रोह, उनके द्वारा कर देने और यज्ञ करने से इन्कार, ब्राह्मणों तथा शूद्रों के बीच बढ़ती हुई कटुता, राजा का अपने उत्तरदायित्वों से विमुख होना, कर भार से पीड़ित प्रजा, कर्मकाण्डी स्थिति के मुकाबले सम्पत्ति का समाज में बढ़ता हुआ महत्त्व प्रमुख हैं। इन सारी स्थितियों ने समाज में ब्राह्मण के सर्वोच्च स्थान के लिये चुनौती खड़ी कर दी, साथ ही कर भार ने राजा (क्षत्रिय) तथा प्रजा (वैश्य-शूद्र) दोनों की समस्याओं को बढ़ाया।

कलियुग की इन विशिष्टताओं की व्याख्या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में की जा सकती है। तीसरी शताब्दी ई. में उत्तर भारत में राजनीतिक परिदृश्य पर कुषाण-सातवाहन काल की समाप्ति के पश्चात् अस्थिरता व्याप्त थी। व्यापार और वाणिज्य की स्थितियाँ ह्रासोन्मुख थीं, शहर पतनोन्मुख थे।[२७] राजनीतिक अस्थिरता और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य ने समाज (चातुर्वर्णव्यवस्था) को प्रभावित किया। यही प्रभाव कलियुग के रूप में वर्णित किया गया जिसका विशद् उल्लेख प्रायः सभी प्रारम्भिक पुराणों में मिलता है। आगे हम ये जानेंगे कि इस कलियुगी परिदृश्य में समाज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा?

लैंगिक विभेद पितृसत्तात्मक समाज की विशेषता है। प्राचीन भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं था। विभिन्न ऐतिहासिक कालों का विश्लेषण करते हुए स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व की तुलना की जा सकती है किन्तु ऐसा काल नहीं तय किया जा सकता जबकि स्त्री इससे अछूती हो। पौराणिक काल भी कोई अपवाद नहीं है। इस समय भी समाज का ताना-बाना पितृसत्ता की विशेषताओं के इर्द-गिर्द ही रचा-बुना गया था। खास बात ये है कि धर्मशास्त्रीय निदर्श की तुलना में पुराणों का स्त्री के प्रति रुख कठोर नहीं है, या कम कठोर है। पुराणों की रचना ही समाज के हाशिये पर पड़े सदस्यों (स्त्री एवं शूद्र) के लिये की गयी बतायी जाती है।[२८] जहाँ धर्मशास्त्रीय निदर्श स्त्री को वैदिक कर्मकाण्डों से दूरी बरतने का निर्देश देता है वहीं पुराण व्रत-पर्व-तीर्थ में उसकी भागीदारी को स्वीकार करते हैं। पौराणिक व्रत-पर्व-तीर्थ के विधान ने समाज के ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन किया और धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों के

एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में ये पहलकदमी की। पर्व और तीर्थ ने जाति और लिंग के आधार पर बरते जाने वाले सामाजिक भेदभाव को कुछ हद तक कम किया।[२६] धर्म के मामले में पुराण धर्मशास्त्रीय कट्टरता को कम करते दिखते हैं। इसीलिये पुराणों का अध्ययन स्त्रियों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति के नये अध्याय खोलता है।

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का भान कराने वाले अनेक उद्धरण पुराणों में बिखरे पड़े हैं। उनके अध्ययन से हमें स्त्री की एक नई छवि दिखती है, ऐसी छवि जो पुराणों से पहले के साहित्य में नहीं दिखती। यद्यपि पौराणिक स्त्री की छवि कोई आदर्श छवि नहीं है, न ही पुराणों से किसी समतावादी समाज का ही कोई संकेत मिलता है किन्तु पुराणों में स्त्री धर्मशास्त्रीय जकड़न से मुक्त होती दिखती है। यद्यपि यह मुक्ति सीमित है क्योंकि समाज तब भी (पौराणिक काल में) पितृसत्तात्मक ही था। पुराण कभी स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर मुखर दिखते हैं तो कभी उसे शूद्रों के साथ वर्गीकृत कर धर्मशास्त्रीय निदर्श के अनुरूप जकड़ते प्रतीत होते हैं। स्त्री को लेकर पुराणों का यह द्वैध तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित उनका अनुमोदन करता प्रतीत होता है। पुराणों में स्त्रियों की नैतिकता, यौनिकता, शुचिता, व्यवहार, आचरण, सम्पत्ति, उत्तराधिकार, शासन, समाज में उनकी भागीदारी आदि को लेकर दोहरे मानदण्ड दिखायी देते हैं। वस्तुतः यह उस संक्रमण काल की विशेषता है जिसमें पुराण रचे गये।

पुराणों में स्त्री की यौनिकता, यौन शुचिता और नैतिकता को लेकर परस्पर विरोधी विचार मिलता है। मत्स्य पुराण में उल्लिखित ममता और तारा की कथायें इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। बृहस्पति द्वारा अपवित्र किये जाने पर भी ममता के पति ऊषिज उसका परित्याग नहीं करते।[३०] न ही तारा का सोम द्वारा अपहरण किये जाने पर उसका पति उससे मुँह मोड़ता है।[३१] ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार होता है, तो प्रायश्चित से उसकी शुद्धि संभव है।[३२] यदि बलात्कारी शक्तिशाली है तो ऐसी स्थिति में स्त्री की मानसिक शुचिता ही पर्याप्त मानी गयी है।[३३] स्कन्द, अग्नि और गरुड़ पुराण इस मामले में एक कदम आगे दिखते हैं। इन पुराणों में कहा गया है कि 'स्त्रियाँ' सर्वदा पवित्र हैं। उन्हें लैंगिक रूप से अपवित्र नहीं किया जा सकता।[३४] स्कन्दपुराण में ही कहा गया है कि परपुरुषगामी स्त्री का परित्याग नहीं करना चाहिये,[३५] क्योंकि निरंतर संयम बरतने से उसकी शुद्धि संभव है। ऐसी स्त्री के द्वारा पितरों आदि के लिये भोजन बनाने एवं उपासना-पूजा आदि से सम्बन्धित कार्यों पर रोक लगायी गयी है।[३६] इसी क्रम में पद्म पुराण देवताओं और असुरों की शत्रु द्वारा अपहृत (बलात्कृत) पत्नियों को वेश्यावृत्ति अपना कर जीवन यापन का निर्देश देता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसी स्त्रियों को मंदिरों, राजमहलों और ब्राह्मणों के घर में वेश्या की तरह निवास करना चाहिये।[३७] मत्स्य पुराण से शर्मिष्ठा और सावित्री जैसी परस्पर विरोधी नैतिक विचारधारा वाली स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं।

जहाँ एक तरफ शर्मिष्ठा अपनी सखी के पति के साथ न केवल सम्बन्ध स्थापित करती है बल्कि उसे जायज ठहराने की तमाम दलीलें भी देती है,[३८] वहीं सावित्री एक-पतिव्रत से बँधी पारम्परिक, रूढ़िवादी, नैतिक स्त्री की प्रतिनिधि है।[३९] मारकण्डेय पुराण[४०] में माण्डव्य ऋषि की समर्पित पत्नी की कथा भी उल्लेखनीय है। सावित्री और मारकण्डेय ऋषि-पत्नी की कथा में स्त्रियों की शक्ति, सामर्थ्य का आधार एक पति व्रत, पति के प्रति एक निष्ठा को बताया गया है। यह एक तरह से पुरुष के वर्चस्व (पितृसत्ता) का अनुमोदन है।

स्त्री के प्रति वैचारिक दृष्टिकोण में विरोधाभास लगभग सभी पुराणों में मिलता है। यह प्रारम्भिक पुराणों (मत्स्य, ब्रह्मवैवर्त आदि) से लेकर परवर्ती पुराणों (अग्नि, स्कन्द आदि) सभी की समान विशेषता है। एक तरफ हमें सती, मदालसा, सावित्री जैसी आदर्श एक निष्ठ स्त्रियों के संदर्भ मिलते हैं[४१] तो दूसरी तरफ ऊषिज ऋषि की पत्नी ममता का उल्लेख जो बृहस्पति को अपने मनोवेग को उस समय तक सँभालने के लिये कहती है जब तक उसकी प्रसूति नहीं हो जाती।[४२] मत्स्य पुराण से ही हमें स्वेच्छा से विवाह करने वाली युवतियों के संदर्भ भी मिलते हैं।[४३] मत्स्य पुराण मे स्त्रियों के रास-रंग में लिप्त होने, मद्यपान करने के भी उल्लेख हैं।[४४] इसी पुराण में नियोग से संतति प्राप्त करने के संदर्भ हैं।[४५] मत्स्य पुराण में इन कथाओं का उल्लेख सहजता (और लापरवाह उदासीनता के साथ) से किया गया है। स्त्रियों की यौनिकता को लेकर किसी किस्म के निर्देश नहीं हैं जैसे कि पूर्ववर्त्ती साहित्य में मिलते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये क्या नहीं, या कि नियोग का उद्देश्य संतति था, अन्यथा ऐसा व्यवहार मर्यादित नहीं।

स्त्री की यौनिकता, शुचिता और स्वतंत्रता के इन परस्पर विरोधी संदर्भों के अलावा पुराणों में स्त्री को सम्पत्ति एवं शूद्र के साथ वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति भी पायी गयी है। स्त्री और सम्पत्ति के संयुक्त उल्लेखों में यह कहा गया है कि दोनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह राजा का प्रमुख कर्त्तव्य माना गया है। मारकण्डेय पुराण में एक राजा को यह कहते हुए दर्शाया गया है कि उसने दूसरे की पत्नी, सम्पत्ति अथवा किसी

अन्य चीज का लोभ नहीं किया।[४६] ब्रह्मवैवर्त पुराण स्त्री और सम्पत्ति को सभी दुखों का मूल मानता है।[४७] संघर्ष की स्थितियों से बचने के लिये पुराणों में कुछ सूक्तियाँ मिलती हैं जिनमें दूसरों की सम्पत्ति और पत्नी के उपभोग की मनाही है।[४८] दूसरों की पत्नी को माता, वस्तुओं (सम्पत्ति) को रोड़ा और अन्य प्राणियों के दुःख को अपना समझने वाला बुद्धिमान माना गया है।[४९] इसी पुराण में यह भी उल्लेख आया है कि पुरुष को अपनी पत्नी और सम्पत्ति के रूप में मूल्य चुकाकर अपनी रक्षा करनी चाहिये।[५०] जनार्दन से प्रार्थना की गयी है कि भक्त का मन दूसरों की पत्नी और सम्पत्ति से अलग रखे।[५१] मारकण्डेय पुराण में पराई स्त्री से प्रणय याचना करना और पराई सम्पत्ति को विश्वासघात से हड़पना घृणित व्यक्तियों के लक्षण माने गये हैं।[५२] इसी पुराण में यह भी कहा गया है कि पराई स्त्री और सम्पत्ति को बुरी नजर और मन से टकटकी लगाकर देखने वाले दुष्ट लालची पुरुष की आँखें चिड़िया अपनी मजबूत चोंचों से फोड़ डालती है।[५३] आगे कहा गया है कि पराई स्त्री और सम्पत्ति पर लालच करने के पाप से मुक्ति पुराणों के पढ़ने सुनने से मिल सकती थी।[५४] परम्परा से स्त्री और सम्पत्ति सांसारिक आसक्ति के सबसे मजबूत बंधन थे। इसी की प्रतिध्वनि ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिलती है। कहा गया है कि आदर्श भक्त वही है जिसने अपने पुत्रों, पत्नियों, राज्य और ऐश्वर्य का परित्याग करके अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया हो।[५५] देवताओं से भक्त अधिक से अधिक सम्पत्ति और स्त्री पाने की अपेक्षा रखते हैं। वे ऐसे वृक्षों की कल्पना करते हैं जो कुशल स्त्रियों और मूल्यवान जवाहरात के रूप में फल दें।[५६]

प्रोफेसर रामशरण शर्मा का मत है कि इन प्रसंगों में स्त्री का सम्पत्ति के साथ उल्लेख बताता है कि स्त्री भी सम्पत्ति मानी जाती होगी, इसीलिये उसे सम्पत्ति के साथ वर्गीकृत किया गया। वैदिक साहित्य में यद्यपि संतान (प्रजा) और पशुओं की उपलब्धि के लिये प्रार्थनाएँ हैं लेकिन स्त्री और सम्पत्ति का एक ही कोटि में उल्लेख नहीं है। यह मनोवृत्ति गुप्त युग में सबल हुई जब तत्कालीन स्मृतियों ने पहले-पहल भू-सम्पत्ति के बँटवारे का प्रावधान किया। स्त्रियों को अचल सम्पत्ति के अधिकार से अलग रखना था, इसलिये वे चल सम्पत्ति मानी गयीं।[५७]

पुराणों में स्त्री को शूद्र के साथ भी वर्गीकृत किया गया है। सम्मिलित उल्लेख इशारा करते हैं कि उनकी सांस्कृतिक[५८], धार्मिक[५९], सामाजिक[६०] अवस्था एक जैसी थी। उनका शिक्षा और संस्कृति से कोई सम्पक्र नहीं था। वृहन्नारदीय पुराण[६१], गरुड़ पुराण[६२], ब्रह्मपुराण[६३], अग्नि पुराण[६४], कूर्म पुराण[६५] के अवतरण स्त्री और शूद्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक अवस्था में समानता के द्योतक हैं।

प्रारम्भिक अथवा परवर्ती किसी भी पुराण से ऐसा कोई संदर्भ, उद्धरण अथवा अवतरण नहीं मिलता जिससे स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी (सक्रियता) का भान हो। इतने विशद साहित्य में स्त्री की राजनीतिक सक्रियता के प्रति उदासीनता जताती है कि राजनीति पर पुरुषों का एकाधिकार था। स्त्री के लिये उसमें कोई संभावना (जगह) नहीं थी। पौराणिक काल में स्त्रियों के प्रति बरती गयी सारी विनम्रता के बावजूद उन्हें नीतिगत मामलों से दूर रखा गया था।

इस तरह पहली सहस्त्राब्दी का समय लैंगिक संदर्भों में एक वैविध्यपूर्ण दृश्य विधान प्रस्तुत करता है। ये विविधताएँ विभिन्न संदर्भों से उत्पन्न हुईं। इनमें संसाधनों के निस्तारण का अधिकार, प्रजनन और लैंगिकता के प्रश्न, शक्ति एवं सामर्थ्य का संस्थानिक स्वरूप, प्रतिस्पधी धार्मिक सम्प्रदाय प्रमुख हैं। इन्हीं शक्तियों की अन्योन्यक्रिया से समाज की स्त्रियों की जीवन शैली ने वह रूप ग्रहण किया जो पुराणों में प्रतिबिम्बित है। इसने स्त्री को मातृत्व की अखण्डित एवं सर्वमान्य परिभाषा से मुक्ति दिलायी।

भूमि अनुदान प्रथा ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अनुदानों के फलस्वरूप कबायली इलाकों में ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ। अपनी मातृसत्तात्मक परम्पराओं तथा रीति रिवाजों के साथ कबायली लोग बड़े पैमाने पर हिन्दू अर्थात् ब्राह्मणीय समाज में शामिल हुए, जिसके कारण धर्मशास्त्रों के विवाह सम्बन्धी नियमों में नई व्यवस्थाओं का समावेश हुआ। ईसवी सन् के एक दो सदी पूर्व विवाह के जिन अधर्म्य शास्त्रविरुद्ध रूपों का जन्म हुआ था उनमें निःसंदेह कुछ मातृतान्त्रिक रीति-रिवाजों को मान्य किया गया था। सातवाहन अभिलेखों से मालूम होता है कि दकन के ब्राह्मण वर्ण के शासक परिवारों में भी मातृतान्त्रिक रीति-रिवाज प्रचलित थे और उड़ीसा, दकन तथा गुजरात के पूर्व-मध्यकालीन संस्कृत अभिलेखों में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों के उच्च स्थान को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गयी है। पूर्वमध्यकालीन धर्मशास्त्रों में कुछ खास परिस्थितियों में विधवा-विवाह की अनुमति दी गयी है और स्त्रीधन के दायरे को बढ़ाया गया है। स्त्री की अवस्था में ये तमाम परिवर्तन ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में कबायली लोगों के बड़ी संख्या में शामिल होने के परिणाम जान पड़ते हैं।[६६] जनजातीय क्षेत्रों में मातृदेवी की पूजा का व्यापक प्रचलन रहा है। उनका समाज तुलनात्मक रूप से ब्राह्मण समाज

(चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर आधारित) से अधिक समतावादी था। इसलिये स्वाभाविक था कि उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाया जाये। इन्हीं बदली हुई समाजार्थिक परिस्थितियों के संदर्भ और अवतरण पौराणिक साहित्य में मिलते हैं।

सन्दर्भ

१. देवी भागवत पुराण, १.३.२१.

२. महाभारत में कलियुग का जो विवरण मिलता है वह कलियुग के सबसे पुराने विवरणों में से है। इस विवरण से शहरों के पतन का आभास मिलता है। पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर इस विवरण को हम चौथी सदी के आस-पास रख सकते हैं। 'डिके ऑफ गैंजेटिक टाउंस इन गुप्त एण्ड पोस्ट गुप्त टाइम्स', जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री', गोल्डेन जुबली वाल्यूम, १६७३, पृ. १३५ और आगे।

३. हजारा, आर. सी., 'स्टडीज इन पुरानिक रिकाड्र्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स', नई दिल्ली, १६४०, पृ. १२.

४. शर्मा, आर. एस., प्रारम्भिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, १६६३, पृ ३३.

५. काणे, पी.वी., हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, III भाग, १६७३, दूसरा संस्करण, पूना, पृ. ८६५.

६. वही। काणे भागवत पुराण को कुछ बाद का मानते हैं।

७. शर्मा, रामशरण, 'पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १६६६।

८. विष्णु पुराण, गीता प्रेस, विस्तृत संस्करण
वैश्य कृषि वाणिज्यादि संतज्य निजकर्मवत्,
शूद्र वृत्या प्रवत्स्यन्ति कारुकर्मोपजीविनः।

६. महाभारत के काल के रूप में प्रक्षिप्त हरिवंश पुराण का समय एवं उसमें उपलब्ध वर्णन प्रारम्भिक पुराणों के काल के प्रतीत होते हैं।

१०. हरिवंश पुराण, ११६.३८.
वैश्याचाराश्च राजन्य धनधान्योपजीविनः,
युग पराक्रमे पूर्व भविष्यन्ति द्विजातयः।

११. हरिवंश पुराण, ११६.३८
अकृताग्नि भोक्षयन्ति नराश्चैवाग्निहोत्रिनः,
भिक्षां बलिं अदत्वा च भोक्ष्यन्ति पुरुषाः स्वयं।

१२. वायु पुराण, २.५७.४६, कलकत्ता, १६५६.

१३. वायु पुराण, वही ३६.

१४. वायु पुराण, २.५७.४६.

१५. हरिवंश पुराण, ११६.६.
'शूद्राश्च ब्राह्मणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये।'

१६. वायु पुराण, २.५७.४२.
'राजवृतौ स्थिताश्चौराश्चौर वृत्ताश्च पार्थिवाः।'

१७. ब्रह्माण्ड पुराण, १ २.३४.४८.
'न रक्षितारो भोक्तारो बलिभागस्य पार्थिवाः,
युगान्ते च भविष्यन्ति स्वरक्षणपरायणा।'

१८. वायु पुराण, २.५७.५७.
'गोप्तारश्चयप्यगोप्तारः प्रभविष्यन्तशासनाः।'

१६. विष्णु पुराण, ६.१.३३.
'दुर्भिक्षकरपीडाभिरती वोपद्रुता जनाः,
गोधुमान्न यवान्नधान्यान्न देशान् वास्यन्ति दुःखिता।'

२०. हरिवंश पुराण, ११७.२३.
निः सारे क्षुभिते लोके निष्क्रिये व्यन्तरे स्थिते नराः।
स्रयिष्यन्ति वनं करभार प्रपीड़िताः।।

२१. विष्णु पुराण, ६.१.३३.
अरक्षितारो हत्तारो शुल्कव्याजेन पार्थिवाः
हारिणो जन वित्तानाय सम्प्राप्ते तु कलौ युगे।

२२. अरण्यक पर्व (१८६.४०१) में कहा गया है कि करों के बोझ से दबे किसान वणिकों के धंधे अपनायेंगे। शान्तिपर्व (८८.१२) में शिल्पियों पर शिल्प प्रतिकर नामक आयकर लगाने का उल्लेख है। इससे पहले के ग्रंथों में शिल्पियों से महीने में सिर्फ एक दिन राजा के लिये बेगार करने का प्रावधान है। उद्धृत्, यू. एन. घोषाल, कान्ट्रीब्यूशन्स टु द हिस्ट्री ऑफ द हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, दूसरा संस्करण, कलकत्ता, १६७२, पृ. १३, १४.

२३. विष्णु पुराण, ४.२४.८६.
'दानमेव धर्महेतु'

२४. विष्णु पुराण, ४.२४.८१.

२५. विष्णु पुराण, ४.२४.७०.
'ततपश्चार्येवाभि जन हेतुः

२६. विष्णु पुराण, ६.१.३५.

२७. मुख्यतः पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रो. आर.एस. शर्मा ने उत्तरी भारत के नगरों की नियति का जो अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि उनमें से बहुत से गुप्त तथा गुप्तोत्तर चरण में वीरान हो गये। यद्यपि कुछेक दयनीय अवस्था में जीवित रहे। उद्धृत्, रामशरण शर्मा, 'डिके ऑफ गैंजेटिक टाउन्स इन गुप्त एण्ड पोस्ट गुप्त टाइम्स', जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, गोल्डेन जुबली वाल्यूम, १६७३, पृ. २७७.
इसी प्रकार के संदर्भ महाभारत से भी मिलते हैं। महाभारत में एक काल्पनिक युगान्त के वर्णन के संदर्भ में एक श्लोक में कहा गया है (३. १८६.६२) समृद्ध राज्यों और नगरों का अस्तित्व मिट गया। एक अन्य श्लोक में कल्पना की गयी है कि कलियुग में नगरों में क्रीड़ा स्थल तथा चैत्य आखेट वाले पशुपक्षियों के बसेरे बन जायेंगे (महाभारत, ३.१८६. ५१)।

२८. देखें, संदर्भ संख्या - १.

२६. त्रिभुवन, आर. डेविड, 'फेयर्स एण्ड फेस्टीवल्स ऑफ इण्डियन ट्राइब्स', नई दिल्ली, २००३, पृ. १३०.

३०. मत्स्य पुराण, ४८.३२.

३१. मत्स्य पुराण, २३.२६.

३२. ब्रह्मवैवर्त पुराण, २.४७.३६.

३३. ब्रह्मवैवर्त पुराण, १.५८.१०६.

३४. स्कन्द पुराण, ४.४०.३७; VI-१४४.१३०, १३३; अग्नि पुराण, १६५. ६; गरुण पुराण, १.२१४.२३.

३५. स्कन्द पुराण, ४.४०.४७.

३६. ब्रह्मवैवर्त पुराण, २.४७.४०.

३७. पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, २३.८६.

३८. मत्स्य पुराण, अध्याय-३१.

३६. वही

४०. मारकण्डेय पुराण, अध्याय-३१.

४१. विष्णुधर्मोत्तर पुराण।
४२. मत्स्य पुराण, अध्याय ४८.३२-६.
४३. मत्स्य पुराण, देवयानी का कच से प्रणय निवेदन प्रसंग, जिसे कच ने ठुकरा दिया।
४४. मत्स्य पुराण, अध्याय-३०.
४५. मत्स्य पुराण, ४८.६० (बालि-दृघतमास कथा); मत्स्य पुराण, ४६.६ (कुंती, माद्री संदर्भ-महाभारत)।
४६. मारकण्डेय पुराण, १३.१३.
'कृता स्पृहा न मया परस्त्री विभवादिषु'।
४७. ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म काण्ड, ३५.७७-८६
४८. गरुड़ पुराण, १०८.१३.
४६. गरुड़ पुराण, १११.१२.
५०. वही, १०६.
'आत्मानं सततं रक्षेद्वारैरपि धनैरपिः'
५१. हरिवंश पुराण, ८६.७६.
'परद्रव्यान्मनो रक्ष परदाराज्जनार्दन।'
५२. मारकण्डेय पुराण, १५.४०-४२.
५३. वही, १४.३६.
५४. वही, १३७.५.
५५. ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म काण्ड, २५.११.
५६. हरिवंश पुराण, ८६.५६.
५७. शर्मा, रामशरण, 'प्रारम्भिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास', दिल्ली, १६६३, पृ. ६३.
५८. सांस्कृतिक अवस्था के लिये देखें संदर्भ संख्या ६१.
५६. धार्मिक अवस्था के लिये देखें संदर्भ संख्या ६३.
६०. सामाजिक अवस्था के लिये देखें संदर्भ संख्या ६२, ६४, ६५.
६१. वृहन्नारदीय पुराण, १६.१४३.
'स्त्रीशूद्राणां समीपे वेदाध्ययन कृन्नरः
कल्पकोटि सहस्तेतेषु प्राप्नोति नंरकानूक्रमातू।'
अर्थात् स्त्री और शूद्र के निकट वेद पढ़ने की मनाही थी। यह पुराण बारहवीं सदी की रचना मानी जाती है।
६२. गरुण पुराण, २१५.३३.
गरुड़ पुराण में यह आशंका व्यक्त की गयी है कि कलियुग में लोग स्त्रीपरक और शूद्रपरक बन जायेंगे।
करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पिष्युदकक्रियाम्
स्त्रीपराश्चजनाः सर्वे शूद्रप्रायाश्च शौनका।
६३. ब्रह्मपुराण, ६७.१६; ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि तीनों उच्च वर्ण के लोग वैदिक विधि से स्नान और जप कर सकते थे, किन्तु स्त्री और शूद्र को यह अधिकार नहीं था।
वेदोक्तम त्रिषु वर्णेषु स्नानं जाप्यमुदाहतम।
स्त्री शूद्रयोः स्नानजाप्यं वेदोक्तविधिवर्जितम्।।
६४. अग्नि पुराण, १७३.१३; अग्निपुराण से पता चलता है कि समाज में स्त्री और शूद्र का जीवन-मूल्य एक समान समझा जाता था। अग्नि पुराण में कहा गया है कि स्त्री हत्या करने वाले को शूद्र हत्या का व्रत करना चाहिये।
'अप्रदुष्यं स्त्रियं हत्वा शूद्र हत्याव्रतमाचरेत।'
६५. कूर्म पुराण, ५५४-५५; कूर्म पुराण कहता है कि स्नातक को यह नहीं चाहिए कि व्रत के बहाने वह अपने पाप को छिपावे और स्त्री तथा शूद्र को उनकी अज्ञानता के कारण ठगने की चेष्टा करे।
'न धर्मेस्यापदेशेन पापं कृतवा व्रतं चरेतू,
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्बन स्त्रीशूद्रदामनम्।'
६६. शर्मा, रामशरण, 'मटीरियल मीलिउ ऑफ तांत्रिसिज्म', रामशरण शर्मा और विवेकानन्द झा द्वारा संपादित इण्डियन सोसाइटी हिस्टॅारिकल प्रोबिंग्स, द्वितीय संस्करण, नई दिल्ली, १६७७.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

प्राचीन भारत की पारिस्थितिकी में जल, मृदा और वन क्षेत्र संरक्षण - इतिहास के आईने में

❑ डा० नन्दन कुमार
❖ दीपक कुमार

भारतीय दर्शन में पर्यावरण को हमेशा एक जीवित जैविक सत्ता के रूप में देखा गया है। इस चिन्तन में मनुष्य को पर्यावरण के एक अवयव के रूप में देखा गया है जिसकी उत्पत्ति पर्यावरण के विभिन्न संघटकों से मिलकर हुई है तथा वह अंततः पर्यावरण में ही विलीन हो जाती है। भारतीय दर्शन में मनुष्य को पशु, संसार के अन्य जीवों तथा वनस्पतियों के साथ रखा गया है। इस दर्शन में सृष्टि को प्रकृति के प्रतिरूप में देखा गया है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत प्राचीन भारत की परिस्थितिकी में जल, मृदा और वनक्षेत्र के संरक्षण की व्यापक व्याख्या की गई है।

भारतीय दर्शन में पर्यावरण को हमेशा एक जीवित जैविक सत्ता के रूप में देखा गया है। इस चिन्तन में मनुष्य को पर्यावरण के एक अवयव के रूप में देखा गया है जिसकी उत्पत्ति पर्यावरण के विभिन्न संघटकों से मिलकर हुई है तथा वह अंततः पर्यावरण में ही विलीन हो जाती है। भारतीय दर्शन में मनुष्य को पशु, संसार के अन्य जीवों तथा वनस्पतियों के साथ रखा गया है। इस दर्शन में सृष्टि को प्रकृति के प्रतिरूप में देखा गया है। भारतीय दर्शन में प्रकृति तथा मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करते हुए अथर्ववेद में कहा गया हैं प्रकृति में निहित अग्नि मुँह में प्रवेश करके वाणी का स्वरूप ग्रहण करती है, सूर्य नेत्रों में प्रवेश करके दृष्टि प्रदान करता है, नालिका में प्रवेश कर वायु श्वास बन जाती है, वार्षिक जड़ी बूटी तथा वनों के प्रतिशासक खाल में प्रवेश करके बाल में परिवर्तित हो जाते है, हदय में प्रवेश कर चन्द्रमा बुद्धि बन जाता है। ये बातें मनुष्य और प्रकृति पर एक दूसरे की निर्भरता को ही स्पष्ट करती है।

भारतीय परम्परा में सृष्टि की अवधारणाा एक ऐसे जीवित तन्त्र से है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पतियों के साथ अन्य जीवित पदार्थो में से एक है। साथ ही साथ प्रकृति के वे स्वरूप जो मनुष्य की तरह नहीं हैं उन्हें भी भौतिक पदार्थो की तरह एक अजैविक इकाई न मानकर एक जीवित तन्त्र के रूप में माना गया है। यहाँ सृष्टि का विचार एक गतिमान तंत्र के रूप में समझा गया है जिसमें मनुष्य निरन्तर संसार के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता रहता है।[1] यही कारण है कि भारत के दार्शनिक चिन्तन में सम्पूर्ण ब्रहाण्ड को ईश्वर की रचना के रूप में देखा गया है और यही कल्पना मनुष्यों के सन्दर्भ में भी की गयी है। ब्रहाण्ड में सम्पूर्ण जैविक तत्व आते हैं। अतः इनके बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियो में मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है अतः उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह अन्य जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाये। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सृष्टि की संरचना के सम्बन्ध में चार विचारधाराएँ सबसे महत्वपूर्ण है- प्रथम-वैदिक परम्परा। इसका व्यापक रूप से उल्लेख वेदान्त तथा सांख्य दर्शन में मिलता है। द्वितीय -उपनिषद् परम्परा। तृतीय-पौराणिक परम्परा तथा चतुर्थ - महाभारत। महाभारत के अंग गीता में इसका व्यापक रूप से उल्लेख किया गया हे। वैदिक परम्परा में सृष्टि की उत्पत्ति एक स्वग्रिम भ्रूण से माना गया है। ईश्वर ने अपनी इच्छानुसार संरचना के बीज इस ब्रह्माण्ड में एकत्रित किए। ये बीज बाद में जननिक बीज बने जिनमें से स्वयं ब्रह्मा ने जन्म लिया, जो विश्व के रचयिता थे। वैदिक परम्परा के अनुसार विश्व की उत्पत्ति में नारी का भी योगदान था। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है-''अदिती स्वर्ग है, मध्य क्षेत्र है, मातृ तुल्य है, पितृ तुल्य है, वह सभी देवों से समाहित है। पंचमूत मनुष्यों से समाहित है, वह उन सबमें समाहित है जो जन्मा है और भविष्य में जन्मेगा।''[2] उपनिषदों में ब्रह्म को जगत् की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। जैसा कि मुण्डकोपनिषद्[3] में कहा गया है-

''यथोर्णना भिः सृजते गृहते च यथा पृथ्व्यिामोषधयः सम्भवन्ति।
यथा सतः पुरूषात्केशलोमानि तथा श्ररात्संमवहीह विश्वम।।

❑ इतिहास विभाग, जगदम कॉलेज, छपरा (बिहार)
❖ शोध अध्येता, इतिहास विभाग, जयप्रकाश विश्वविघालय, छपरा (बिहार)

अर्थात जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है और फिर अपने में समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती है, जैसे पुरूष के केश एवं रोम उत्पन्न होते है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। तैत्तीरीय उपनिषद[४] में कहा गया है-'उस ब्रह्म से सूक्ष्म आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरूष उत्पन्न हुआ।" इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म जगत का मूल कारण है और इसी के कारण जगत की सृष्टि तथा प्रलय होता है। पौराणिक सिद्धान्तों के अनुसार 'ब्रह्मा स्वयम्भू है जो अपनी इच्छानुसार जन्म लेते है। सन्तति की अपनी इच्छा के कारण ही ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की रचना की। उन्होंने जल में बीज डाला जिससे नर का जन्म हुआ जो नारायण कहलाया। क्षीरसागर में लेटे हुए उनके नाभि से एक सुनहरा अण्डा प्रगट हुआ जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। बाद में उन्होंने इस अण्डे को विभाजित कर पृथ्वी और आकाश की रचना की। उसी क्षण से अन्य वस्तुओं की रचना होने लगी।[५]

सृष्टि की रचना के बारे में गीता का सिद्धान्त महाभारत के शान्तिपर्व में मिलता है। यह सिद्धान्त युधिष्ठिर और भीष्म के बीच सृष्टि तथा उसकी संरचना की प्रक्रिया के सम्बन्ध में वार्त्तालाप से स्पष्ट होता है। युधिष्ठिर, भीष्म पितामाह से प्रश्न पूछते हैं इस संसार की रचना कैसे हुई, प्रलय के समय जीवों की स्थिति क्या होगी? इस संसार में आकाश, समूह, पहाड़, बादल, अग्नि, वायु तथा अन्य वस्तुओं का निर्माता कौन है? अन्य जीवों की रचना कैसे हुई? इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म कहते है "ईश्वर के एक हजारवें भाग से उसकी उत्पत्ति हुई तथा वह पुरूष मानस पुरूष के नाम से जाना गया।[६] भीष्म आगे यह भी कहते हैं" समस्त जीवों के पिता ईश्वर ने आकाश की रचना की, आकाश से जल तथा जल से अग्नि तथा वायु की रचना हुई। अग्नि तथा वायु द्वारा धरती की रचना की गई, पर्वत उसकी अस्थियाँ हैं, समुद्र रक्त हैं, आकाश उदर हैं, वायु प्रवास हैं, अग्नि तेज है तथा नदियाँ उसकी स्नायु तंत्र है। सूर्य तथा चन्द्रमा जो अग्नि तथा सोम कहलाते हैं, ब्रह्मा के दो नेत्र हैं। आकाश का ऊपरी हिस्सा मस्तक है, पृथ्वी उसके चरण हैं तथा दिशायें उसके हाथ।[७]

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन वैदिक चिन्तन में पर्यावरण को सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा हुआ माना गया है। इस चिन्तन में प्रकृति के प्रति आदरभाव दिखाई देता है। इस चिन्तन में मनुष्य, पेड़-पौधों तथा अन्य प्राकृतिक कारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आर्यो के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि है जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है- प्रथम-पृथ्वी के देवता - इसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, मातरश्विन तथा नदियों के देवता को शामिल किया गया।

द्वितीय-अंतरिक्ष के देवता - इन्द्र, रूद्र, वायु, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, अदिती आदि।

तृतीय-आकाश के देवता-द्यौ, वरूण, मित्र, सूर्य, सवितृ, पूषण, विष्णु, आदित्य, ऊषा, अश्विन आदि।[८]

वैदिक चिन्तकों ने अपने चिन्तन में पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का भी उल्लेख किया है। यह माना गया है कि सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा, जो ईश्वर है, ने आठ आदि भौतिक तत्वों की रचना की। ये भौतिक तत्व निम्न है-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अह्म। उन आठ भौतिक तत्वों में पाँच सबसे प्रमुख माने गए हैं। ये प्रमुख तत्व हैं- आकाश, जल, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी। चिन्तकों के अनुसार सम्भवतः इसी समय पशु तथा मनुष्य संसार में होनेवाले क्रमिक विकास ने पाँच इंद्रियों की उत्पत्ति को प्रोत्साहन दिया। ये इन्द्रियॉ थी-दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद तथा महक। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण के आवश्यक अवयवों में तत्व तथा इन्द्रिय दोनो आते हैं। जैसा कि ऐतरेय उपनिषद् में कहा गया है-"वह ब्रह्मा है, वह इन्द्र है, वह प्रजापति है, वे देवाधिदेव हैं, वह पंचमूत तत्व है- पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, प्रकाश या अग्नि।[९] ऐतरेय ब्राह्मण में ही कहा गया है" वह एक या अन्य प्रकार की बीज है, वह अण्डकोष से जन्मा है, गर्भ से जन्मा है, स्वयं से जन्मा है, अंकुर से जन्मा है,

वह अश्व है, पशु है, व्यक्ति और हस्त है,

वह सर्वस्व है जो जीवित है, जो शक्तिमान है, नमचर है और गतिरहित है।"[१०]

ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित इन बातों से यह स्पष्ट हो जाताा है कि भारतीय वैदिक दर्शन में पर्यावरण की कल्पना एक जैविक सत्ता के रूप में की गई है। इस जैविक सत्ता में समस्त तत्व जटिल अर्न्तसम्बन्धों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्रत्येक भौतिक तत्त्व या वस्तु में जीवन विद्यमान है। इनके आस्तित्व के लिए सभी को एक दूसरे पर निर्भर रहना आवश्यक है। इनमें से किसी भी तत्व के एकांगी अस्तित्व की कल्पना अकल्पनीय है।

सृष्टि के प्रमुख तत्व - आकाश के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे-क्षम् स्वः, द्यौ तथा आकाश। बाद में आकाश के देवता से द्यौ, मित्र, इन्द्र, सूर्य, सविता, उषा, पूषण

और अश्विन को सम्बद्ध कर दिया गया।[11]

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जल है। ऋग्वेद, सहित अन्य सभी वेदों में जल की महत्ता का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। जल को मंगलकारी तथा शक्तिवर्द्धक तत्व माना गया है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है-जल अभिव्यक्त है, जल ही शक्तिवर्द्धक है। यही जल वास्तव में अग्नि और सोम को सहायता देता है, हे प्रभु, ऐसा जल जो मधुबूँद सा है, वह जीवन की श्वास और ओज के साथ मुझे प्राप्त हो। ऋग्वेद के एक अन्य श्लोक में कहा गया है-[12]

'आदह स्वधा मनु पुर्न गर्भत्व मेरिरे।
दधानानामः यज्ञियम्'।। (१/६/४)

इसका अर्थ यह है "जल सूर्य की किरणों के ताप से सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर वायु द्वारा बहा लिया जाता है और फिर बादल बनकर बार-बार बरसता है।" जल के महत्व को बताते हुए ऋग्वेद् के एक अन्य श्लोक में कहा गया है-[13]

"या आपो वित्याउत वा स्त्रवन्त खनित्रि-माऊत का या स्यंजाः।
समुद्रार्था या शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु।। (८/४२/२)

इस श्लोक का भावार्थ है "आकाश से आया हुआ जल, स्वयं प्रगट हुआ जल और वह शुद्ध जल जो समुद्र की ओर से उन्मुख होता रहता है, मेरी रक्षा करे।"

इसके अलावा सामवेद, यज्ञुर्वेद तथा अथर्ववेद में भी जल के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जल के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'हे पुरूष, ! हिमाच्छादित पर्वत शिखरों का जल तुम्हें शीतलता दे। ऐसा जल तुम्हारे लिए आह्लादकारी, हो। अतएव वर्षा, जल तुम्हें तृप्त करे।[14]

इस प्रकार मनुष्य को केन्द्र में रखकर जल के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। जल को स्थिरता, चमकदार, कान्तिमय, मृदुला, गुरूत्वता शीतल, संरक्षित, शुद्ध, संतति तथा मिलाप जैसे गुणों से युक्त माना गया है।

तीसरा स्थान वायु का है। यह सभी जीवों में प्राणस्वरूप विद्यमान है। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि सभी जीव तबतक जीवित रह सकेगे जबतक कि उनमें यह प्राण विद्यमान है। जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है' सभी जीव वायु प्राप्त कर जीवन जीते हैं तथा वायु रहित होकर मृत्यु पाते है।[15] भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति में जो वायु है वह इस संसार में विचरण करती हुई भूमण्डल को धारण करती है, अग्नि को जलाती है, सूर्य सहित सभी ग्रहों को निरन्तर नियमपूर्वक गति में रखती है। बादलों के निर्माण तथा बीजों के अंकुरण जैसे कार्यो को सम्पन्न कराना वायु का कार्य है। ऋग्वेद में कहा गया है वायु हमें ऐसी औषधि प्रदान करें जो हमारे हृदय के लिए शान्तिकर और आरोग्यकर हो। वायु हमारे आयु के दिनों को बढ़ाये।[16] ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा गया है-[17]

यद्दो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः।
ततो नो देहि जीवसे।। (१०/१८६/३)

अर्थात् हे वायु, तेरे घर में अमृत की निधि रखी है, उसमें कुछ अंश हमें प्रदान करे जिससे हम दीर्घजीवी बन सकें। वायु तत्व की अन्य विशेषताओं का उल्लेख ॠग्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता जैसे ग्रन्थों में मिलता है। इस प्रकार वायु की एक सार्वभौमिक जीवन प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण सृष्टि में विद्यमान रहती है।

चौथा प्रमुख तत्व ऊर्जा या अग्नि है। भारतीय दर्शन में अग्नि को सूर्य से समीकृत किया गया है जो ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसे वर्षा का कारण स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि "अग्नि से वाष्प, वाष्प से मेघ और मेघ से वर्षा का निर्माण होता है।"ॠग्वेद के प्रथम मण्डल में कहा गया है[18]

'त्रीणी जानापरिभूषन्त्यस्य समुद्र एक दिव्येकम्सु।
पूर्वामनु प्र दिशपार्थिवानामृत प्रशासद्धि दधावनुष्ठु।।" (१/८५/३)

अर्थात" सूर्य न केवल मेघों का निर्माण करता है बल्कि उन्हें बरसने को बाध्य भी करता है। सूर्य की किरणें प्रवाहमान मेघों से टकराती है जिससे जल के कृष्ण बिन्दु गरजने लगते हैं। तत्पश्चात् विघुत की आहलदकारी मुस्कान के साथ वृष्टि नीचे उतरने लगती हैं।" अथर्ववेद में भी के कहा गया है।[19]

"अमूर्याउप सूर्ये यार्मिवा सूर्यः सह।
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम् ।।" (१/४/२)

अर्थात जल चक्र का मूलतत्व सूर्य है, वाष्प भी वही बनाता है और वृष्टि भी वही बनाता हैं अग्नि को ईश्वर तक यज्ञ की आहूति पहुँचाने का साधन भी माना गया है। सर्वत्रः व्याप्त परमात्मा के मुख के रूप में भी इसे स्वीकार गया है। यह सौर देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना गया हैं उसका संबंध प्रकाश से है, द्यौ उसका पिता तथा अदिति उसकी माता हैं वह समस्त विश्व का दृष्टा है और मनुष्यों के कर्म का प्रेरक हैं। वह हरित नामक सात तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर चलता है। सूर्य अन्धकार को दूर करता है।, दिन का मापक है, जीवन का वर्द्धक है, रोग का नाशक है और दुःस्वप्नों को दूर करता है यह विश्व का नियामक है।[20]

विभिन्न वैदिक ग्रन्थों तथा ॠग्वेद् में त्रिलोकी तथा त्रिदेव की कल्पना की गई हैं और इनकी महत्ता बतायी गई है। ये

त्रिलोकी हैं।- सूर्य, वायु और अग्नि। इसमें सूर्य को आकाश, वायु को अंतरिक्ष तथा अग्नि को पृथ्वी से सम्बद्ध बताया गया है जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है। एको सत् विप्राः बहुधा वदन्त्यग्नियमं मातरिश्वानमाहु। (१/१६४/४६) अर्थात ये त्रिदेव अपने गुणों और कार्यों के कारण अनेक नामों से अमिहित किये जाते हैं।"[२१]

अंतिम प्रमुख तत्व पृथ्वी है जिसमें नारी सुलम विशेषताएँ हैं तथा यह सभी जीवों के माता के रूप में मानी गई है। अतः पृथ्वी की पूजा की जानी चाहिए क्योंकि यह जीवन पोषण के भौतिक तत्वों को वहन करती हैं यही कारण है कि यहाँ पृथ्वी प्रकृति का प्रतीक प्रतिनिधि मानकर कहा गया हैं माता भूमि पुत्रोहं पृशिव्याः"। इसी भावोद्‌गाार के कारण पृथ्वी को हमें बेजान बंजर टुकड़ा प्रतीत नहीं होती है। पृथ्वी के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण कहा गया है

"पृथ्वी ! त्वया घृता लोका देवी! त्वं विष्णुणा धृता।
त्वं चं धारये मॉ देवी, पवित्रम् कुरू चासनम्।।[२२]

अथर्ववेद में कहा गया है, "पृथ्वी जो समुद्र को धारण करती है, नदी और जलधारण करती है, जो हमें धरती देती है जिसपर अन्न पैदा हो, जिसपर हम अपने जीवन के लिए निर्भर करते है। हम सबके लिए वह सब निरन्तर धारण करें। पृथ्वी हमारी माता है जिसपर गेहूँ, धान, जौ उगता है, जिसपर मानव प्रजाति रहती है, उसे हमारा नमन है। हे प्रभु, जीवन दाता धरती को, हमारी माँ को इसी प्रकार उर्वर बनाये रखे।"[२३] पृथ्वी माता की तरह समस्त जीवों को जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक साधन प्रदान करती है। अतः इसकी पूजा की जानी चाहिए जिससे उसके संसाधन क्षीण न हो। पुनः इसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। इसी विचार को व्यक्त करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है कि तुम पर सभी जीव जन्में है और तुम इन्हें धारण करती हों"

इस प्रकार उपर्युक्त पॉचों तत्वों को इस ब्राह्मण्ड के उद्‌भव, विकास तथा निरन्तरता के लिए आवश्यक माना गया है। इनकी स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि इन सभी तत्वों के बीच संतुलन स्थापित हों।

भारतीय दर्शन में पर्यावरण के उपर्युक्त तत्वों के अलावा पशुओं और वनस्पतियों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पशुओं कों संरक्षण प्रदान करने के लिए ही उन्हें देवताओं से भी सम्बद्ध बताया गया है। जैसे शेर, दुर्गा का वाहन है तो हाथी इन्द्र का, शिव की सवारी बैल है तो सरस्वती का वाहन हंस एवं विष्णु का गरूड़।[२४] पुनः गाय के आर्थिक महत्व को देखते हुए ऋृग्वेद में उसे 'अध्न्या' अर्थात न मारने लायक कहा गया है और उसे माता की संज्ञा ही गई है।[२५] अथर्ववेद में भी गाय के प्रति सम्मान प्रकट किया गया है, जो गोवध करते थे, उनके लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान था।[२६] एक स्थान पर हो स्वयं प्रजापति की कल्पना 'कूर्म' के रूप की गई है।[२७] अथर्ववेद में अनेक ऐसे मंत्रों की रचना की गई हैं जिसमें पशु वृद्धि की कामना की गई है। ऋृग्वेद में सूर्य के बारे में यह कहा गया है कि वह 'हरित' नामक सात तेज गति से चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ में सवार होकर भ्रमण करता है।[२८] इसी प्रकार ऋृग्वेद में पूषण नामक देवता का उल्लेख है जिसके रथ में बकरे खींचते थे।[२९] ऋृग्वेद के कई श्लोकों में विष्णु का उल्लेख है। उनके बारे में कहा गया है कि वे वहाँ निवास करते है यहाँ अमृत समान जल है तथा असंख्य गायें रहती है।[३०] इसी प्रकार उषा के प्रतीक वाहन के रूप में लाल वर्ण के घोड़े या बैल को[३१] स्वीकार किया गया है तो दूसरी ओर वैदिक देवता मरूत की तुलना वन्य पशु 'वाराह' से की गई है।[३२] एक अन्य प्रमुख देवता सोम की तुलना 'वृषभ' से की गई है।[३३] इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन वैदिक चिन्तकों का पशुओं के प्रति भी काफी आदर भाव था। वे यह महसूस करते थे कि पर्यावरण संतुलन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण था कि उन्होंने विभिन्न पशुओं को देवताओं से सम्बद्ध कर दिया ताकि उनकी रक्षा की जा सके।

प्राचीन चिन्तकों ने वनस्पतियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। महाभारत में कहा गया है कि यदि किसी ग्राम में एक भी फलदायी वृक्ष हो तब भी वह स्थान आदर और पूजा का होता है।[३४] ऋृग्वेद में वर्णित है।- 'वनस्पति वन आस्थापयहनम्।" अर्थात हे मनुष्य, वन में वनस्पतियाँ उगावों।" अथर्ववेद में उल्लिखित है कि 'यदि वनस्पति को काटना भी पड़े तो उसे इस तरह काटो कि उसमें सैकड़ों स्थानों से अंकुर फूट पड़े। श्वेताश्वरउपनिषद में वृक्षों को साक्षात ब्रह्मा के समान बताया गया है। अर्थात् वृक्ष इवस्तब्धों दिवि तिष्कात्येकः।[३५] महाभारत और रामायण में भी वृक्षों के प्रति मनोरम कल्पना की गई है। महाभारत के भीष्म पर्व में वृक्ष को सर्वकाम फला वृक्ष कहा गया है। जिसका अर्थ होता है वृक्ष सभी मनोरथों को पूरा करता है। इसी प्रकार वाराह पुराण में उद्धृत है।

'अश्वत्थ मेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशपुष्पाजातोः।
द्वे द्वे तथा दाडिम मातुलंगे पंचाग्ररोपी नरकं न याति।।[३६]

अर्थात जो पीपल, नीम या बरगद का एक, अनार या नारंगी के दो, आम के पाँच एवं लताओं के दस वृक्ष लगाता है वह कभी भी नारकीय पीड़ा को नहीं भोगता है। इसी प्रकार तुलसी को भी प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में पर्यावरण और स्वास्थ्य

की दृष्टि से गुणकारी माना गया है। यही कारण है कि विष्णु पुराण, स्कन्द, पुराण, याज्ञवलक्य स्मृति आदि ग्रन्थों में वृक्ष को काटा जाना अपराध माना गया। ऋग्वेद में वृक्षों के महत्व को बताते हुए कहा गया है।

'आप औषधीरूप नोऽवंतु दयौर्वना गिरयोवृक्षा केशाः
श्रृणोत न ऊर्जा पतिर्गिरः से नमस्तरीयां इषिरः परिज्मा।
श्रृन्वत्वापः पुरा न शुभ्राः परित्रुचो ववृहाणस्योदु।।[३७]

अर्थात, प्रकृति की वनस्पतियाँ, सम्पूर्ण जल धाराएँ, आकाश वन और वृजाक्षित पर्वत हमारी रक्षा करें। भारतीय परम्परा में वृक्षों के महत्व को स्थापित करने के लिए उसे ईश्वर के प्रतीक रूप में देखा गया है। वनस्पति ईश्वर की संरचना है। जैसा कि मुण्डकोउपनिषद' में कहा गया है कि उसी से समुद्र, पर्वत सब हैं, उसी से नदियाँ बहती हैं। उसी से सब जड़ी बूटियाँ हैं और सुगन्ध भी, वही अन्तरात्मा सभी जीवों में निवास करती हैं'' पुनः वृक्षों की महत्ता को बताते हुए लिखा गया है। जिस प्रकार एक वृक्ष वन का राजकुमार होता है। उसी प्रकार एक मनुष्य होता है इसमें मनुष्य के विभिन्न अंगों की तुलना वृक्षों के विभिन्न अंगों से की हैं चर्म छाल है, चर्म के भीतर रक्त उसी प्रकार बहता है जिस प्रकार वृक्ष में रस होता है। मांस काष्ठ (लकड़ी) के समान होता है और मज्जा वृक्ष के मज्जा के समान होता है।[३८] मत्स्य पुराण में वृक्ष को पुत्र से भी ऊँचा स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया है।[३९]

''दश कुप समावापी दशवापी समोहदः।
दश हद समः पुत्रों दश पुत्र समो दुमः।।''

इतना ही नहीं ऋग्वेद में अरण्याणी (अरण्य-वन की आत्मा) की पूजा का उल्लेख मिलता है साथ ही साथ पीपल वृक्ष का भी उल्लेख मिलता हैं। अथर्ववेद से भी ज्ञात होता है कि समाज में वृक्ष पूजा का प्रचलन था।[४०] वृक्षों में देवत्व को प्रतिपादित करते हुए श्रीकृष्ण ने भगवत्गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ''अश्वत्थः सर्ववृक्षांण''।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति के प्रति अनुराग हमारी प्राचीन संस्कृति में इस प्रकार समाहित है कि हम प्रकृति से अलग अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते है।

मानव प्रजाति तथा अन्य जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए संरक्षण अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पति अनेक कारकों तथा संशलिष्ट युग्मों का परिणाम है। प्राचीन चिन्तओं के अनुसार इन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है वायुमण्डल जिसमें ऑक्सीजन (वायु), जल, भूमि तथा सबसें महत्वपूर्ण है उनके अनुसार इनमें से किसी भी कारक की अनुपलब्धता या उसकी कार्यक्षमता में ह्रास से पर्यावरण को हानि पहुँचेगी। यही कारण है कि विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न बातों तथा तथ्यों का उल्लेख मिलता हैं। इसमे पौधों के बोने, खेती करने, वृक्षारोपण पौधों की देखभाल और फसलों की कटाई के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। वामन पुराण, कूर्म पुराण और अग्नि पुराण में पौधों को काटना संज्ञेय अपराध माना गया है दूसरी ओर पौधों का दान एक बहुत ही पवित्र कार्य माना गया है। अग्नि पुराण तथा मतस्य पुराण में विभिन्न उपयोगी पेड़ों को काटने पर आर्थिक दण्ड दिये जाने का उल्लेख है। जैसे पेड़ों को फलविहीन करने पर एक स्वर्ण मुहर, आम या वट बृक्ष की शाखा को काटने पर २० पण तना काटने पर ४० पण एवं जड़ काटने पर ६० पण दण्ड का प्रावधान किया गया।[४१] वामन पुराण में जंगल और उपवन की देखभाल के लिए क्षेत्रपाल नामक अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में जब जंगलो की कोई कमी नहीं थी तब भी उसकी रक्षा का प्रयास किया जाता था। ब्रहम पुराण में रोगी पेड़ पौधों की देखभाल के लिए वृक्ष वैद्य को नियुक्त किये जाने का प्रावधान था।[४२] मत्स्य पुराण में पेड़ों को लगाते समय किये जाने वाले एक अनुष्ठान पादपसोध्यापना का उल्लेख मिलता है।[४३] पौधों के चुराने पर दण्ड देना और वृक्ष दान को पवित्र मानने वाले वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि पुराण लिखने वाले न सिर्फ वनस्पतियों को पवित्र और पूजनीय मानते थे बल्कि वे इनके आर्थिक महत्व से भी परिचित थे। वायु पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मनुष्य की सभी आधारभूत आवश्यकताएँ जैसे रोटी, कपड़ा, लकड़ी आभूषण, फल, फूल, रंग और शहद सभी पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। पुराणों में पौधें को पारिस्थिती का जैविक घटक और जंगलो का मानव समुदाय का अनिवार्य साथी माना गया है। वायु पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है बिना सोचे समझे वनों को काटने से प्राकृतिक आपदायें आती हैं और पृथ्वी पर जीवों के विलुप्तीकरण की जो बात कही जा रही है वह पुराणें में हजारों वर्ष पहले कही गई थी। मनुस्मृति में जल स्रोतों तथा जलाशयों को दूषित करने वालों को दण्ड देने की बात कही गई है इस ग्रन्थ में कहा गया है नाप्सु मुत्रं वाष्टोवनं समुत्सृजेत'। अर्थात् पानी में मल मूत्र अथवा अन्य दूषित पदार्थ रक्त या विष का विसर्जन न करें।[४५]

भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना गया है। सरिताओं को जीवनदायिनी माना गया है। यही कारण है कि पुरातन संस्कृतियाँ सरिताओं के किनारे उपजी, बसी और वहीं से उनका विस्तार होता गया। हमारे पुरातन चिन्तन में

सरिताओं, तालाबों और पोखरों में मल मूत्र का विसर्जन निषिद्ध माना गया है। लोक परम्पराओं में भी पर्यावरणीय पक्षों को उपयुक्त स्थान प्रदान किया गया है। प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु, तत्व और जीवित पदार्थ एक ही परमतत्त्व द्वारा निर्मित है तथा मनुष्य का इस प्रकृति में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक प्रथाएँ इसी बात को व्यक्त करती है। वेद, उपनिषद्, पुराण तथा अन्य ग्रन्थ वृक्षों, वनस्पतियों और अन्य वन्य जीवों का विस्तृत विवरण देते हैं और साथ ही समाज के लिए इसकी उपयोगिता को भी बताते हैं। भारतीय घरों के लिए वृक्ष एक आवश्यक अंग माने गए हैं। वराह पुराणमें पौधों तथा वृक्षों को मानव जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है।[४६] मत्स्य तथा वनस्पतियों को इतना पवित्र माना है कि उसमें विभिन्न देवी-देवताओं से संबंद्ध कर दिया है। नरसिंह पुराण में वृक्ष को ब्रहम का समतुल्य माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में विभिन्न देवी देवता निवास करते है। विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न वृक्षों के साथ जिन देवताओं को शामिल किया गया है वे निम्न है।[४७]

अशोक का वृक्ष-इससे संबद्ध ब्रहृम इन्द्र, विष्णु और अदिति

पीपल का वृक्ष - इससे संबंद्ध विष्णु, लक्ष्मी, वन दुर्गा।

तुलसी का पौधा- इससे संबद्ध विष्णु, कृष्ण, जगन्नाथ, लक्ष्मी।

कदम्ब वृक्ष-कृष्ण।

बेर वृक्ष- शिव, दुर्गा, सूर्य और लक्ष्मी।

प्राचीन चिन्तक इस बात के लिए निरन्तर सजग रहे कि वृक्षों तथा वनस्पतियों को अनावश्यक न काटा जाये। मौर्य शासक अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से भी जनता में इस प्रकार की जागरूकता को लाने का प्रयास किया। अशोक ने अपने ५ वें स्तंभलेख जो बिहार के रामपुरवा नामक स्थान पर है, में इसी प्रकार का निर्देश दिया है।[४८]

प्राचीन ग्रन्थों तथा विद्वानों द्वारा स्थापित की गई पर्यावरणीय संरक्षण की नीति को बाद में अन्य भारतीय राजाओं ने भी अपनाया था। बहुत से सन्तों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से इस परम्परा को स्थापित करने का प्रयास किया। संरक्षण की इस परम्परा को राजस्थान के विश्नोई समाज ने आगे बढ़ाया इस सम्प्रदाय के संस्थापक जम्भो जी ने अपने अनुयायियों के समक्ष २६ नियम बताए। इन नियमों में से अधिकांश पर्यावरण संतुलन तथा उसकी संरक्षण से संबंधित है। यह इनके ही प्रभाव का परिणाम या कि महाराजा अजीत सिंह ने एक आदेश जारी कर हरें पौधों को काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसी प्रकार का एक आदेश जोधपुर के शासक मानसिंह ने खेजरी वृक्ष के सम्बन्ध में दिया।[४६] एक अन्य सन्त जसनाथ जी ने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। जसनाथ जी अपनी शिक्षाओं में जाल वृक्ष को संरक्षण प्रदान करने की बात कहते थे। उनकी शिक्षाए उन क्षेत्रों मे ज्यादा लोकप्रिय हुई जहाँ भेड़ तथा बकरी पालक रहा करते थे। इस प्रकार जसनाथ जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हरी वनस्पति का संरक्षण तथा पशुवध पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया।

विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों में वनस्पतियों और औषधियों को जीवन का रक्षक, माता तथा प्राणतत्व माना गया है।यही कारण है कि ऋग्वेद में इनके संवर्द्धन की बात कही गई वीरूधः पारयिष्णवः[५०] एवं वनस्पति शमिता।[५१] मत्स्य पुराण में भी कहा गया है एक वृक्ष का रोपण तथा उसका पालन पोषण दस पुत्रों के समान सुखदायक होता है। दशापुत्रसमों द्रुमः।[५२]

वनस्पतियों को ऋग्वेद में प्राणरूप में वर्णित किया गया है। वह प्राण वायु रूपी अमृत सर्वथा प्रदान करते हैं। यह सर्वथा स्तुत्य है।, वह हर समय रक्षा योग्य है। देवताओं द्वारा वन सम्पदा एवं वनस्पतियाँ बहुमूल्य उपयोग हेतु दी गई है वने न वा यो न्यधायि चाकम्'।[५३] अथर्ववेद में वन तथा वनस्पतियों को मानव का सखा वर्णित किया गया है साथ ही साथ उसे 'प्राणों वे वनस्पति' की संज्ञा दी गई है।[५४] अथर्ववेद में प्रदूषण नियंत्रित करने वाले वनस्पतियों और वृक्षों का भी उल्लेख मिलता है ये वृक्ष हैं देवदार, अश्वत्थ, नैग्रोग्रध, खैर, गूलर, अर्जुन, गुग्गुल, मुलहठी, वरण, लाक्षा, पलाश, सोम, आजन और नलद। ये सभी वनस्पतियाँ तथा औषधियों पर्यावरण को नियंत्रित रखते-रखते हुए जन-जन को सम्बर्द्धन प्रदान करती है।[५५] इसी क्रम में अथर्ववेद पीपल के वृक्ष को समी देवताओं के निवास का केन्द्र मानता है। अप्रत्थों देवसदनः।[५६]

इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी प्राचीन भारतीय चिन्तकों का दृष्टिकोण संरक्षणवादी तथा वैज्ञानिक था। वे पर्यावरण से होने वाली हानि से परिचित थे। यही कारण था कि उन्होंने विभिन्न देवताओं के साथ विभिन्न वनस्पतियों को जोड़ा ताकि उनका संरक्षण किया जा सके।

स्पष्ट है कि पर्यावरण के प्रति भारतीय चिन्तन प्राकृतिक अनुराग एवं प्रकृति के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इसे सृष्टि की उत्पत्ति से जोड़ा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय चिन्तकों को पर्यावरण का पारदर्शी, सम्पूर्ण एवं समग्र ज्ञान था। उन्हें प्रकृति और जीव के अर्न्तसम्बन्धों और इसके संबंधों से उपजे परिणामों और प्रभावों का पूर्ण अनुभव था। इसी कारण भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता के महान पद से अलंकृत किया गया और इसके

घटक पंचतत्वों तथा वृक्ष वनस्पतियों को देवता तुल्य मानकर उनकी अम्यर्थना की गई। इन्हीं विशेषताओं के कारण यहाँ पर्यावरण संरक्षण और इसके विकास के प्रति सतत् जागरूकता रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस भावना को वास्तविक रूप से क्रियान्वित किया जाये ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। पर्यावरण के प्रति इस भावना के तिरोहित होने से शोषण रूपी आत्मघाती मनोवृति पनपी है जिसके अभिशप्त परिणामों से आज सम्पूर्ण विश्व परिचित है।

सन्दर्भ

१. ग्लोबल ग्रीन पत्रिका, इलाहाबाद, जून २०१३ पृ० १३।
२. द्विवेदी, पारसनाथ, वैदिक साहित्य का इतिहास', चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ० ३१।
३. मुण्डोपनिाद, १.१.७।
४. तैत्तिरीयोपनिषद्, २.१।
५. द्विवेदी, ओ०पी० तथा तिवारी, वी०एन०, इन्वायरमेंटल क्राइसिस एण्ड हिन्दू रेलिजन', पृ० १७, नई दिल्ली।
६. महाभारत, शान्तिपर्व/मोक्षपर्व (१८१.१.३)।
७. वही।
८. श्रीवास्तव, के०सी०, 'प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति-, युनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, २००४, पृ० ७४।
९. द्विवेदी, पारसनाथ, वैदिक साहित्य का इतिहास, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन १९८३, पृ० १५२।
१०. भारतीय दर्शन तथा पर्यावरण, इग्नू, नई दिल्ली, पृ० १०।
११. श्रीवास्तव, के०सी०, भारत की संस्कृति तथा कला, युनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, १९८९, पृ० ७४।
१२. ऋग्वेद, १.६.४ (सायण), चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९८३, उद्धृत डा० कुमार, नन्दन, प्राचीन भारतीय जल सिद्धान्त, शोध प्रबन्ध, २००६, जय प्रकाश विश्वविघालय, छपरा, पृ० १।
१३. ऋग्वेद, ८.४२.५, उद्धृत डा० कुमार, नन्दन, प्राचीन भारतीय जल सिद्धान्त, शोध प्रबन्ध, २००६, जय प्रकाश विश्वविघालय, छपरा, पृ० ४।
१४. ग्लोबल ग्रीन पत्रिका, इलाबाबाद, पृ० १०, मार्च २०१३।
१५. दैनिक हिन्दुस्तान, ५ जून १९७६।
१६. ऋग्वेद, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० १८०।
१७. ऋग्वेद, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० १८०।
१८. ऋग्वेद, गीता प्रेस, गोरखपुर, उद्धृत डा० कुमार, नन्दन, प्राचीन भारतीय जल सिद्धान्त, शोध प्रबन्ध, २००६, जय प्रकाश विश्वविघालय, छपरा, पृ० २७।
१९. अथर्ववेद, गीता प्रेस, गोरखपुर।
२०. द्विवेदी, पारसनाथ, पृ० ३७।
२१. ऋग्वेद, गीता प्रेस, गोरखपुर।
२२. अखण्ड ज्योति, पृ० ५, मथुरा फरवरी २००५।
२३. भारतीय दर्शन तथा पर्यावरण, पृ० ११, नई दिल्ली, १९८९।
२४. भारतीय दर्शन और पर्यावरण, नई दिल्ली, १९८९, पृ० १५।
२५. श्रीवास्तव, के०सी०, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, युनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, पृ० ७२।
२६. वही, पृ० ८२।
२७. झा, द्विजेन्द्र नारायण एवं श्रीमाली, कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १३०, हि०मा०कार्या०नि०, दिल्ली।
२८. द्विवेदी, पारसनाथ, वैदिक साहित्य का इतिहास, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, पृ० ३७१।
२९. वही, पृ० ३७।
३०. ऋग्वेद, १.११२, गीता प्रेस, गोरखपुर।
३१. वही, १.११३।
३२. द्विवेदी, पारसनाथ, पृ० ४३।
३३. ऋग्वेद, १०.७९.४।
३४. ग्लोबल ग्रीन पत्रिका, इलाहाबाद, पृ० १२, जनवरी २०१३।
३५. श्वेताश्वर उपनिषद्, चौखम्भा विद्याभवन प्रकाशन, वाराणसी।
३६. वाराह पुराण, गीता प्रेस, गोरखुपर।
३७. झा, हृदय नारायण, पर्यावरण प्रदूषण का दूरगामी अस्त्र दैनिक आज, ५ जून १९७८।
३८. वृहदारण्यक उपनिषद्, ८.५.३, गीता प्रेस, गोरखपुर।
३९. अथर्ववेद, ५.४३, सं० श्रीपाद शर्मा, औंधनगर, कलकत्ता, १९३८।
४०. पवार, किशोर, पुरातन है पर्यावरण संरक्षण की परम्परा, दैनिक हिन्दुस्तान, इलाहाबाद, ५ जून १९९९।
४१. ब्रह्म पुराण, गायकवाद आरियेंटल सीरिज, बड़ौदा, १९४७।
४२. मत्स्य पुराण, आनन्दाश्रम, संस्कृत सीरिज, पूना, १९०७।
४३. वायु पुराण, वही, १९०७
४४. मनुस्मृति, ४.५६।
४५. बाराह पुराण, चौखम्भा विद्याभवन प्रकाशन, वाराणसी।
४६. भारतीय दर्शन तथा पर्यावरण, नई दिल्ली, पृ० २१।
४७. श्रीवास्तव, के० सी०, भारत की संस्कृति तथा कला, पृ० ६३।
४८. वही, पृ० २२।
४९. ऋग्वदे, १०.९७.३।
५०. यजुर्वेद, १२.७७।
५१. मत्स्य पुराण, आनन्दाश्रम, पूना, १९०७।
५२. अथर्ववेद, २०.७६.२१।
५३. वही, ५.४.३
५४. वही, ५.४.३,१६।

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

तकनीकी शिक्षा में बालिका सहभागिता : एक विश्लेषण

❑ डा० बी०सी०शाह
❖ डा० गीता रावत शाह

२१वीं सदी में तकनीकी शिक्षा के नये आयामों के लिए उद्‌देश्यों की प्रतिबद्धता के सामने बालिका-शिक्षा की उन्नति व विकास हेतु व्यवहारिक शैक्षिक नियोजन हुआ है। तकनीकी शिक्षा में चिकित्सा शिक्षा, शिक्षण और परिचर्या के क्षेत्र में स्त्रियाँ, पुरुषों से अधिक कुशल सिद्ध हुई हैं। भारत सरकार की 'प्रगति' एवं 'सक्षम' योजनाओं ने तकनीकी शिक्षा के विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा तथा प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रमों में बालिकाओं की सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि की है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत उत्तराखण्ड के चमोली जनपद में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं की सहभागिता की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

बालिक-बालिकाओं के कौशल विकास के लिये तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक भारत ने यह अनुभव कर लिया है कि बालकों की शिक्षा के साथ-साथ, बालिका-शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था आवश्यक है। एक बालक की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा हो सकती है परन्तु एक बालिका की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास, परिवार में सुधार, बच्चों के चरित्र निर्माण तथा देश के उत्थान आदि के लिये बालिकाओं की शिक्षा का महत्व है। बालिका-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा ने बालिकाओं में नई चेतना व अधिक से अधिक ज्ञानार्जन की समझ का संचार किया है। २१वीं सदी में तकनीकी शिक्षा के नये आयामों के लिए उद्‌देश्यों की प्रतिबद्धता के सामने बालिका-शिक्षा की उन्नति व विकास हेतु व्यवहारिक शैक्षिक नियोजन हुआ है। आज समाज में शिक्षित स्त्रियाँ, किसी भी कार्य क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। तकनीकी शिक्षा में चिकित्सा शिक्षा, शिक्षण और परिचर्या के क्षेत्र में स्त्रियाँ, पुरुषों से अधिक कुशल सिद्ध हुई हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा एवं रूसा आदि अनेक कार्यक्रमों का सम्पादन, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

तकनीकी शिक्षा में बालिका-सहभागिता : तकनीकी शिक्षा स्तर पर बालिका-सहभागिता से आशय, राजकीय पॉलीटैक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रबंधन संस्थानों से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्‌यक्रमों में बालिकाओं की कुशल सहभागिता से है। व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं की कुशल सहभागिता को प्राचीन मान्यताएं, धार्मिक संस्थाएं, व समाज विविध रूप दे रहे हैं और सरकारी मशीनरी भी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इसे गति प्रदान कर रही है। भारत सरकार की 'प्रगति' एवं 'सक्षम' योजनाओं ने तकनीकी शिक्षा के विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा तथा प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रमों में बालिकाओं की सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि की है। मुलर[1] ने अपनी पुस्तक 'ऐजूकेटिंग वूमेन फॉर चेन्जिंग वर्ल्ड' में स्त्रियों की शिक्षा के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता व विकास के लिए बल दिया और यह भविष्यवाणी की थी कि भविष्य के समाज में स्त्रियां शायद पुरुषों की भांति अधिक से अधिक जीविकोपार्जन करने वाली अच्छी नागरिक होंगी। सुधा सिन्हा[2] ने स्त्रियों के लिए देश में उपलब्ध शिक्षा अवसरों की अपर्याप्तता के विषय पर प्रकाश डाला और स्पष्ट किया था कि प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार देने से लाभ भी मिला है, जैसे सेना और पुलिस जैसे श्रमशील कार्यक्षेत्रों में स्त्रियों का आना। उनियाल[3] ने सन् १९४७ के बाद गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जनपद में स्त्री-शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन कर पाया कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को घर से बाहर जाना पड़ता है जो कि हर बालिका के लिए संभव नहीं है। कुंवर[4] ने उत्तराखण्ड की महिलाओं की प्रगति, विकास एवं सशक्तता संबंधी अध्ययन में पाया कि यद्यपि उत्तरांचल राज्य में महिला शिक्षा का प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है लेकिन बालिक शिक्षा के समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फैसला लिये जाने की आवश्यकता हैं।

❑ सहायक आचार्य, बी०एड० विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)
❖ सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)

शिक्षा, स्थानीय परिवेश, परिस्थितियों व संसाधनों से जुड़ी हो ताकि शिक्षा को आजीविका से जोड़ा जा सके। यादव एवं शेखर[५] ने ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं की व्यवसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का अध्ययन कर पाया कि शहरी परिवेश में अध्ययनरत् छात्राओं की व्यवसायिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है। बालिकाएं व्यवसायिक शिक्षा के वातावरण एवं साधनों के प्रति अधिक जागरुक हैं। स्नेह राय[६] ने इक्कीसवी शताब्दी के आगमन में देश के नियोजित विकास को रेखांकित कर स्पष्ट किया कि बालिकाओं की शिक्षा हेतु योजनाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार सहायता योजनाएं आदि हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व : तकनीकी शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की उन्नतिशील स्थिति का आंकलन आसान नहीं है किन्तु तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बालिका-सहभागिता की संख्यात्मक स्थिति से यह आंकलन किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है और बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा के नीति-निर्धारण संबंधी सम्प्रेषण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार आज उत्तराखण्ड एवं भारत में ही नहीं अपितु विश्व की भी प्राथमिकता में है। उत्तराखण्ड में देहरादून, श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा आदि शहर शिक्षा के प्रतिष्ठत केन्द्रों के रूप में स्थापित हुए हैं। इसलिए उत्तराखण्ड में तकनीकी शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की सहभागिता का अध्ययन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है जिससे बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा संबंधी नीतियों के निर्धारण में आसानी हो सके और बालिकाएं स्वाबलंबी बन सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

१. तकनीकी शिक्षा स्तर पर बालिका-सहभागिता की संख्यात्मक स्थिति ज्ञात करना।
२. राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में बालिका-सहभागिता की संख्यात्मक स्थिति की तुलनात्मक करना।
३. तकनीकीशिक्षा स्तर पर बालिकाओं की सहभागिता में वृद्धि हेतु सुझाव देना।

अध्ययन विधि : वर्तमान शोध में सर्वेक्षणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड का जनपद चमोली है। अध्ययन की जनसंख्या के रूप में जनपद चमोली के राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में पॉलीटेक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् बालिकाएं हैं। जनपद चमोली के समस्त तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत् बालिकाओं का चयन उद्देश्यीकृत निदर्शन प्रविधि द्वारा अध्ययन के न्यादर्श के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों के आलेख, संबंधित सांख्यिकीय रिकार्ड आदि भी शोध के द्वितीयक स्रोत हैं। वर्तमान अध्ययन में साक्षात्कार-अनुसूची तथा प्रेक्षण का प्रयोग, शोध उपकरण के रूप में किया गया है। शोध में सूचनाओं एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सामान्य सांख्यिकीय विधि के रूप में प्रतिशत का उपयोग किया गया है। जनपद चमोली के समस्त राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में बालिकाओं की संख्यात्मक स्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका-१ में दिया गया है।

तालिका-१

जनपद चमोली के राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों व बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

शिक्षा संस्थान	संस्थान	बालिकायें
पॉलीटैक्निक संस्थान	०५	११४
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	१२	३८
इंजीनियरिंग कालेज	०१	७८
मेडिकल कालेज	००	००
शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान	०२	१४३
प्रबंधन संस्थान	००	००
योग	२०	३७३

व्याख्या एवं विश्लेषण : अध्ययन क्षेत्र के तकनीकीशिक्षा संस्थानों में बालिका-सहभागिता से संबंधित बालिकाओं की संख्यात्मक स्थिति की तुलनात्मक व्याख्या के लिए संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उनका विश्लेषण किया गया है।

तालिका-२

राजकीय तकनीकीशिक्षा संस्थानों में बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

संस्थान	संख्या	प्रतिशत
पॉलीटैक्निक संस्थान	११४	३०.५६
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	३८	१०.१६
इंजीनियरिंग कालेज	७८	२०.६१
शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान	१४३	३८.३४
योग	३७३	१००.००

तालिका-२ के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र के राजकीय तकनीकीशिक्षा संस्थानों में बालिका सहभागिता के अर्न्तगत पॉलीटैक्निक संस्थानों में ३०.५६ प्रतिशत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में

१०.१६ प्रतिशत, इंजीनियरिंग कालेज में २०.६१ प्रतिशत तथा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों (बी.एड./डी.एल.एड.) में ३८.३४ प्रतिशत बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं जबकि जनपद में कोई भी मेडिकल तथा प्रबंधन संस्थान न होने के कारण बालिका-सहभागिता शून्य है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश बालिकाएं पॉलीटैक्निक एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों (बी.एड./डी.एल.एड.) में तथा कुछ बालिकाएं इंजीनियरिंग कालेज में प्रशिक्षणरत् हैं जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सबसे कम बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं।

तालिका-३

राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों में ट्रेडवार बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

ट्रेड	संख्या	प्रतिशत
सिविल इंजीनियरिंग	४१	३५.९६
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	१७	१४.९२
इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	१५	१३.१६
इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१३	११.४०
कम्प्यूटर इंजीनियरिंग	११	९.६५
फॉर्मेसी	१७	१४.९१
योग	११४	१००.००

तालिका-३ के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र के राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बालिका-सहभागिता के अर्न्तगत सिविल इंजीनियरिंग में ३५.९६ प्रतिशत बालिकाएं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में १४.९२ प्रतिशत, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में १३.१६ प्रतिशत, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ११.४० प्रतिशत, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में ९.६५ प्रतिशत तथा फॉर्मेसी में १४.९१ प्रतिशत बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश बालिकाएं सिविल इंजीनियरिंग में तथा कुछ बालिकाएं मैकेनिकल, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एवं फॉर्मसी आदि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणरत् हैं जबकि इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में सबसे कम बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं।

तालिका-४

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमवार बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

विवरण	संख्या	प्रतिशत
ऑटोमोबाइल मैकेनिक	०२	५.२६
इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक	०४	१०.५३
इलैक्ट्रिकल मैकेनिक	०२	५.२६
स्टेनोग्राफर	०७	१८.४२
ड्राफ्ट्समैन	०६	१५.७९
सिलाई प्रशिक्षण	०५	१३.१६
टंकण प्रशिक्षण	१२	३१.५८
योग	३८	१००.००

तालिका-४ के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑटोमोबाइल मैकेनिक में ५.२६ प्रतिशत बालिकाएं, इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक पाठ्यक्रम में १०.५३ प्रतिशत, इलैक्ट्रिकल मैकेनिक में ५.२६ प्रतिशत, स्टेनोग्राफी में १८.४२ प्रतिशत, ड्राफ्समैन में १५.७९ प्रतिशत, सिलाई प्रशिक्षण में १३.१६ प्रतिशत तथा टंकण में ३१.५८ प्रतिशत बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश बालिकाएं टंकण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत् हैं तथा कुछ बालिकाएं इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक, स्टेनोग्राफी, ड्राफ्ट्समैन तथा सिलाई प्रशिक्षण में हैं जबकि सबसे कम बालिकाएं ऑटोमोबाइल तथा इलैक्ट्रिकल मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत् हैं। सामान्य उपकरण तथा नल मैकेनिक पाठ्यक्रम में कोई भी बालिका प्रशिक्षणरत् नहीं है।

तालिका-५

शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान में बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

विवरण	संख्या	प्रतिशत
बालक	११०	४३.४८
बालिकाएं	१४३	५६.५२
योग	२५३	१००.००

तालिका-५ के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र के राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की बी.एड.तथा डी.एल.एड. कक्षाओं में बालकों की सहभागिता ४३.४८ प्रतिशत है जबकि ५६.५२ प्रतिशत बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में बालिका प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक है।

निष्कर्ष

१. अध्ययन क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कालेज तथा प्रबंधन संस्थान न होने के कारण इस स्तर की तकनीकीशिक्षा में बालिका-सहभागिता शून्य है।
२. अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश बालिकाएं, पॉलीटैक्निक संस्थानों एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में तथा कुछ बालिकाएं ही इंजीनियरिंग कालेज में प्रशिक्षणरत् हैं जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सबसे कम बालिकाएं

प्रशिक्षणरत् हैं।

३. अधिकांश बालिकाएं सिविल इंजीनियरिंग में तथा कुछ बालिकाएं मैकेनिकल, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एवं फॉर्मसी आदि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणरत् हैं जबकि इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में सबसे कम बालिकाएं प्रशिक्षणरत् हैं।

४. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांश बालिकाएं टंकण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत् हैं तथा कुछ बालिकाएं इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक, स्टेनोग्राफी, ड्राफ्समैन तथा सिलाई प्रशिक्षण में हैं जबकि सबसे कम बालिकाएं ऑटोमोबाइल तथा इलैक्ट्रिकल मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत् हैं। सामान्य उपकरण तथा नल मैकेनिक पाठ्यक्रम में कोई भी बालिका प्रशिक्षणरत् नहीं है।

५. अध्ययन क्षेत्र के राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में बालक प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा बालिका प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक है।

सुझाव

१. उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय जनपदों में भी बालिका शिक्षा हेतु मेडिकल कालेज तथा प्रबंधन संस्थान खोले जाने आवश्यक हैं।

२. सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलैक्ट्रानिक्स एवं फॉर्मेसी आदि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बालिकाओं की अच्छी सहभागिता को देखते हुऐ इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग आदि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी सहभागिता हेतु बालिकाओं कों अभिप्रेरित करना आवश्यक है।

३. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक, स्टेनोग्राफी, ड्राफ्समैन, सिलाई-कटाई प्रशिक्षण तथा टंकण आदि पाठ्यक्रमों में बालिकाओं की प्राथमिकता को देखते हुऐ सामान्य उपकरण, ऑटोमोबाइल, इलैक्ट्रिकल मैकेनिक तथा नल उपकरण मैकेनिक आदि पाठ्यक्रमों में भी अच्छी सहभागिता हेतु बालिकाओं को अभिप्रेरित करना चाहिए।

४. उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु जनपद में रोजगारपरक तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं महिला छात्रावासों की स्थापना की जानी चाहिए।

सन्दर्भ

१. मुलर केट हेक्सनर, 'एजुकेटिंग वुमन फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड', यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा प्रेस, मिन्नियोपॉलीज, १६५४, पृ० ६, २१,

२. सिन्हा सुधा, 'स्त्री-शिक्षा और विकास : परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योग्यता और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ', न्यूपा, नई दिल्ली-१६, वर्ष-२, अंक-३, दिसम्बर, १६६५, पृ०-१०७,

३. उनियाल रेखा, 'सन् १६४७ के बाद गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जनपद में स्त्री-शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का एक अध्ययन', अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, हे०न०ब०ग०वि०वि०, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड,

४. कुंवर सी०, 'उत्तरांचल की भावी महिला नीतिः कुछ महत्वपूर्ण सुझाव', हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (हाक्र) देहरादून, २००४

५. यादव एवं शेखर, 'ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं की व्यवसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का अध्ययन', मानव विज्ञान विमर्श, वर्ष-२, अंक-५, २००५, पृ० २५,

६. राय, स्नेह, सम्पादकीय लेख, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, माह मार्च, वर्ष-५१, अंक-५, २००५

७. सांख्यिकी रिपोर्ट, सांख्यिकी पत्रिका(अप्र०), जनपद चमोली, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, चमोली, २०१६, पृ० १६, ४५-४८,

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

सोरोकिन : एक लम्बी समाजशास्त्रीय यात्रा

❑ डॉ० अशोक कुमार सिंह

सोरोकिन अपने युग के प्रायः समस्त समाजशास्त्रियों एवं अन्य समाज वैज्ञानिकों को युग-जीवन की वाणी प्रदान करते रहे। उनकी प्रख्यात कृतियाँ उस काल के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों टालकाट पारसन्स, आर.के. मर्टन, विलवर्ट मूर, बनार्ड बारबर एवं रिर्या किचोन तथा अन्यों को दिशा निर्देश सिद्ध हुई। समाजशास्त्रियों को निर्भयतापूर्वक समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता की तान सुनाने वाला, समाजशास्त्र के प्रति उत्कट वैज्ञानिक निष्ठा का पाठ-पढ़ाने वाला, जिम्मरमैन के अनुसार विश्व का महानतम समाजशास्त्री, सोरोकिन ने समाजशास्त्रीय वाङ्मय में ज्ञान के समाजशास्त्र को अपनी रचनाओं से पर्याप्त समृद्ध किया है और यह समृद्धि परिमाण तथा गुण दोनों ही रूपों में ध्यान आकृष्ट करती है।[1] प्रस्तुत आलेख इसी महान समाजशास्त्री सोरोकिन की लम्बी समाजशास्त्रीय यात्रा को सार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास मात्र है।

लियोपॉल्ड वान वीज का मत है कि "सोरोकिन के महान् कार्य की तुलना में, अगस्त कोंत, हरबर्ट स्पेन्सर, विलफ्रेडो परेटो एवं ओसवाल्ड स्पेंग्लर के कार्य इच्छाधीन तथा काल्पनिक दिखाई पड़ते हैं।"[2] फ्लोरियन जनैनिकी ने कहा है कि "संस्कृतियों के एक सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत सभी विशेष सांस्कृतिक विज्ञानों को एकीकृत करने का पूर्ण एवं सुसंगत प्रयास केवल सोरोकिन का है क्योंकि यह उनके पूर्ववर्ती विचारकों जैसे- हीगल, कोंत, स्पेन्सर, अर्नाल्ड, आयनबी एवं दूसरों द्वारा विकसित किये गये सभी दर्शनों से निश्चित रूप से श्रेष्ठतर है।"[3] अस्तु समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों का विवरण अधूरा रह जाएगा, यदि उसमें सोरोकिन जैसे प्रखर तेजस्वी एवं संस्कृति के चितेरे सिद्धान्तकार द्वारा विरचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धान्त का उल्लेख न हो। किन्तु उनके इस सिद्धान्त का विश्लेषण आसान नहीं है, क्योंकि उनका वृहत् ग्रन्थ सोशल ऐण्ड कल्चरल डायनेमिक्स जो चार खण्डों में सन् १९३७ से १९४७ के बीच में प्रकाशित हुआ था। उनका गम्भीर सार रूप प्रस्तुत करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

सोरोकिन (१८८९-१९६८) का पूरा नाम पीतिरिम एलेग्जेंड्रोविक सोरोकिन है। वे एक आशावादी, प्रतापी एवं क्रान्तिकारी चिन्तक थे। उनका सम्पूर्ण जीवन यायावरी और क्रान्तिकारी रहा है। इसलिए वे किसी व्यवस्था से बँधकर नहीं रह सके। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। सोरोकिन का जन्म जनवरी २१, १८८९ में उत्तरी रूस के वोलोग्डा प्रान्त के एक दूरस्थ गाँव में हुआ था। उनके पिता एक शिल्पकार थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग अपने व्यवसाय के सन्दर्भ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने-फिरने में व्यतीत हुआ था। सोरोकिन का आरम्भिक जीवन भी पिता के साथ घूमने-फिरने में ही व्यतीत हुआ। परिणामस्वरूप इस दौरान उनका जीवन पूर्णतया अनाथ और अनादृत रहा। बाल्यावस्था में ही इनकी माँ का देहावसान हो गया। इनकी माँ की मृत्यु लगभग १८९२ ई० में हुई।[4] सोरोकिन के दो भाई थे जिनके नाम थे वैसिली (Vassily) एवं प्रोकोपिय (Prokopiy)। इन दोनों भाइयों की मृत्यु साम्यवादी क्रान्ति में हुई थी - एक को साम्यवादियों द्वारा मार दिया गया, जबकि दूसरे की मृत्यु कारागार में ही हुई थी।

सोरोकिन की आरम्भिक शिक्षा स्वशिक्षा ही रही, क्योंकि औपचारिक रूप से उन्हें किसी प्राथमिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर ही नहीं मिला। चौदह वर्ष की अवस्था में रूस के आर्थोडक्स चर्च में एक सेमिनरी स्कूल से उनकी शिक्षा आरम्भ हुई। यहाँ इन्होंने एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में अपना परिचय दिया। यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने सर्वप्रथम अपने राजनीतिक जीवन का भी परिचय दिया। यहाँ उन्होंने अपने विद्रोही स्वभाव के कारण जारवादी सरकार का विरोध किया। परिणामस्वरूप सन् १९०६ में यहीं से उन्हें कारागार में डाल दिया गया। यह उनकी प्रथम जेल यात्रा थी। उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया। वे सेंट पीटर्सबर्ग चले गये जहाँ उन्होंने ट्यूटर के रूप में दो वर्षों तक कार्य किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए वे यहाँ तैयारी भी करने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साइकोन्युरालॉजिकल इन्स्टीट्यूट से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन् १९१० के अन्त में सोरोकिन स्नातकीय शिक्षण प्राप्ति के लिए सेंट पीटर्स यूनिवर्सिटी चले गये। यहाँ उन्होंने लिवोन पेट्राजिटजकी

❑ एसोशिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी (उ०प्र०)

के निर्देशन में विधि समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। सन् १६१४ में उन्होंने ज्योंहि स्नातकीय शिक्षण प्राप्त किया, उन्हें प्रोफेसरशिप की तैयारी के लिए तथा मास्टर डिग्री एवं लेक्चरशिप प्रदान करने के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा चार वर्षों के लिए अच्छी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी। उन दिनों मास्टर डिग्री एवं पी-एच.डी. की उपाधि की प्राप्ति हेतु सामान्यतः चार वर्षों की अवधि निर्धारित थी, किन्तु सोरोकिन ने दो वर्ष की अवधि में ही अर्थात् सन् १६१६ के अन्त में इस परीक्षा को पास कर लिया। अब वे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पद प्राप्त करने के काबिल हो गये। इस दौरान सोरोकिन ने अपने शोध-प्रबन्ध के रूप में 'क्राइम ऐण्ड पनिशमेन्ट, सर्विस ऐण्ड रिवार्ड' जैसे विषयों का चयन किया और उनके प्रोफेसरों ने इन दोनों विषयों को अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। किन्तु, क्रान्ति के परिणामस्वरूप यह कार्य अवरुद्ध हो गया। मार्च १६१७ के बाद कई वर्षों तक विश्वविद्यालय के सारे कार्य ठप पड़ गये और सोरोकिन को सन् १६२२ तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतना ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि से अलंकृत होने के लिए शोध-प्रबन्ध के रूप में उन्हें 'सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी' २ वाल्यूम्स को विचारार्थ प्रस्तुत करना पड़ा और इसी पर उन्हें पी-एच.डी. की डिग्री २३ अप्रैल, १६२२ ई० में २३ वर्ष की आयु में प्रदान की गयी।

सोरोकिन की पत्नी एलेना सोरोकिन को सन् १६२५ में वनस्पतिशास्त्र में पी-एच.डी. की उपाधि मिली। इन्हें मिनेसोटा विश्वविद्यालय, जहाँ सोरोकिन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में शिक्षण कार्य कर रहे थे, में भाई-भतीजावाद के कठोर नियम के परिणामस्वरूप प्रोफेसरशिप नहीं मिल पायी। अस्तु उन्हें प्रोफेसर के रूप में पड़ोसी विश्वविद्यालय हैमलिन यूनिवर्सिटी में बनस्पतिशास्त्र विभाग में कार्य करना पड़ा। एलेना सोरोकिन ने पी.ए. सोरोकिन की मृत्यु के पश्चात् उनकी पुस्तक 'दि इन्लुएन्स ऑफ हंगर ऑन ह्यूमन बिहेबियर ऑन सोशल लाइफ ऐण्ड सोशल आर्गेनाईजेशन' जो १६२२ में प्रकाशित हुई थी तथा जिसे सेंसर व्यवस्था द्वारा विकृत कर दिया गया था, उसको काट-छाँटकर इंग्लिश संस्करण में पुनर्प्रकाशित की।[५]

उनके क्रान्तिकारी कार्यों के कारण जारशाही के समय उन्हें छः बार गिरफ्तार व कैद होना पड़ा।[६] तीन बार जार द्वारा तथा तीन बार बोलशेविकों द्वारा। इसके बाद जब रूसी क्रान्ति का विस्फोट हुआ तब उन्होंने लेनिन तथा ट्राटस्की का भी घोर विरोध किया। कुल मिलाकर उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। इतना होने पर भी अध्ययन- अध्यापन के प्रति उनका अपार व अखण्ड प्रेम था। जब १६१७ में एलैक्जैण्डर केरेन्स्की रूस के प्रधानमन्त्री बने तब उन्होंने सोरोकिन को वैयक्तिक सचिव और सरकारी पत्रिका 'विल ऑफ दि पीपुल्स' का मुख्य सम्पादक नियुक्त किया। जब बोलशेविकों ने केरेन्स्की को पद्च्युत कर दिया तब सोरोकिन ने उनका प्रबल विरोध किया। उस समय वे बोलशेविकों से बचने के लिए जंगलों में भागते-फिरते रहे, किन्तु अन्त में वे पकड़ लिये गये और उन्हें १६२२ में मृत्युदण्ड सुना दिया गया। इस समय उनके मित्रों तथा पहले के शिष्यों ने बीच में पड़कर उन्हें फाँसी चढ़ने से बचा लिया। लेनिन ने उन्हें इस शर्त पर कि वे साम्यवाद या कम्यूनिज्म का समर्थन करें, उन्हें उच्च पद देने का वचन दिया, किन्तु उन्होंने इस बात को नहीं माना और परिणामस्वरूप उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया। अस्तु १६२३ में वे अमेरिका आये और वहीं के नागरिक बन गये। सन् १६२४ से १६३० तक वे मिनिसोटा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे। सन् १६३० के उत्तरार्द्ध में उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के लिए आमन्त्रित किया गया। उनके यहाँ आने के पूर्व तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का कोई पृथक् विभाग नहीं था। वे इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस विभाग के आविर्भाव का काल अमेरिका में समाजशास्त्र के आरम्भिक ताप का काल था। इस काल में सोरोकिन ने बौद्धिक प्रताप का इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी छत्रछाया में पूरा हार्वर्ड विश्वविद्यालय समाजशास्त्रीय विचार-समुद्र की ओर बड़ी ही तेजी से खिंचता जा रहा था। यही कारण है कि सोरोकिन के नेतृत्व के वेग में मन्थनशील अध्येताओं की एक विशाल समूह की सृष्टि हुई जिसमें से कुछेक ने बाद में समाजशास्त्रीय जगत् में विशिष्ट ख्याति अर्जित की और जिसके कार्यों से समाजशास्त्र की और प्रगति हुई। सोरोकिन ने कार्ल जिम्मरमेन एवं टालकॉट पारसन्स जैसे विद्वान मनीषियों को समाजशास्त्र विभाग में नियुक्त कर अपने द्वारा प्रवर्तित समाजशास्त्र विभाग की यथार्थता को साकार कर दिया। कार्ल जिम्मरमैन जो मिनिसोटा में कार्यरत थे, को उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तथा पारसन्स जो वहाँ अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत थे, को इन्स्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया। सोरोकिन अपने विभाग की गुणवत्ता में चार-चाँद लगाने के प्रयास में सदैव अपने काल के हार्वर्ड एवं हार्वर्ड से बाहर के महान् विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित कर अपने विभाग के विद्यार्थियों में पग-पग पर विचार-मन्थन करने के लिए उत्तेजित एवं प्रोत्साहित करते रहे। व्याख्यान देने वाले इन प्रख्यात विद्वानों की लम्बी कतार में हार्वर्ड के धर्म समाजशास्त्र

के मर्मज्ञ ए.डी. नॉक, विधि समाजशास्त्र के संकायाध्यक्ष रास्क पाउण्ड, अपराधशास्त्र के उद्‌भट विद्वान् शेल्डन ग्लूक, सामाजिक मनोविज्ञान के धुरंधर विद्वान् गार्डन आल्पोर्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हार्वर्ड के बाहर के प्रखर विद्वानों की लम्बी सूची में डब्ल्यू.आई. थॉमस, विसकान्सिन के होवार्ड पी. बेकर तथा कोलोग्ने के लियोपॉल्ड वान वीज जैसे अप्रतिम विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य हैं।

सोरोकिन द्वारा प्रवर्तित इस विभाग में जितने भी आचार्य हुए, उनमें पारसन्स- कृत सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धान्त का बड़ा नाम है। इस प्रकार सोरोकिन एवं पारसन्स जैसे तेजस्वी विद्वानों की सानिध्यता में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से जिन अन्य अनेक प्रखर विद्वानों का जन्म हुआ, उनमें राबर्ट के. मर्टन, विलबर्ट मूर, किंग्स्ले डेविस एवं रॉबिन विलियम्स आदि के नाम उल्लेख्य हैं। यद्यपि ये महानुभाव इन दोनों अद्वितीय विद्वान मनीषियों से अत्यन्त प्रभावित थे, तथापि यदि कुछ अधिक सच्चाई से कहा जाय तो अपेक्षाकृत वे समाजशास्त्र के महारथी पारसन्स से अधिक प्रभावित थे। किन्तु यह भी सच है कि वहाँ के कुछ अन्य शिष्यों, जैसे- एन.डीनूड, इ.ए. टिर्योकियन एवं आर. डुवोर्स इत्यादि ने सोरोकिन के ही पदचिन्हों का अनुसरण किया।

एक शिक्षक के रूप में सोरोकिन ने अपने विद्यार्थियों के मन को नवीन बनाने की दिशा में सबसे अधिक काम किया है। जब उनके चिन्तन की सफलताओं की कहानी धुँधली पड़ जायगी, तब भी आगे का समाजशास्त्रीय सिद्धान्तकार यह बराबर लिखेगा कि अपने विद्यार्थियों के मन को झकझोर कर उसे नवीन बनाने की जितनी तड़प सोरोकिन में थी, उतनी किसी और शिक्षक में नहीं थी। कक्षाकक्ष में व्याख्यान देते समय रूसी भाषा पर भी अधिक बल देते थे। इनके विद्यार्थी इनके पढ़ाने की शैली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। चूँकि सोरोकिन एक रूढ़िमुक्त शिक्षक थे, अतः इनके विभाग से अनेक विद्यार्थी तेजस्वी होकर निकले। उनके एक तेजस्वी विद्यार्थी राबर्ट बीरस्टीड का कहना है कि उनका व्याख्यान कक्षाकक्ष में बहुत ही ओजस्वी, सजीव, जीवन्त व सुस्पष्ट तथा विशद हुआ करता था। व्याख्याता के रूप में उनका कोई ऐतिहासिक जोड़ नहीं था। वे अद्वितीय शिक्षक थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व था जो अपनी ज्ञानधारा से कक्षाकक्ष में विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालता था। विषय-व्यवस्था करते समय वे ब्लैकबोर्ड यानी श्यामपट पर चाक से सदैव लिखते रहते थे। कक्षीय घण्टा समाप्त होने के बाद तीनों ब्लैकबोर्ड सामान्यतः लेखन सामग्री से भर जाते थे और चाक की धूलि या गर्द हवा से कक्षा में उड़ने लगती थी। यदि वे नाटकीय थे तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वे अक्सर अतिनाटकीय थे। किसी भी अमेरिकन समाजशास्त्रीय की प्रशंसा करते उनको न देखा गया और न ही सुना गया। जार्ज लुण्डवर्ग को एकबार कक्षा में उन्होंने बड़े ही विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया। कक्षा में एक दिन सुबह हमलोगों के बीच उन्होंने कहा कि यह मेरे मित्र लुण्डवर्ग का प्रकाशित 'पेपर' है जिसके बारे में अभाग्यवश उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। यह उनका एक रोग है! उनका जन्म वस्तुतः इस कार्य के लिए नहीं हुआ है। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने मुझसे कहा ''जॉन डेवी, जॉन डेवी, जॉन डेवी! मैंने जॉन डेवी की एक पुस्तक को पढ़ा। मैंने जॉन डेबी की एक दूसरी पुस्तक को पढ़ा। मैंने जॉन डेवी की एक तीसरी पुस्तक को पढ़ा। उनमें कुछ भी नहीं है।''[७]

हार्वर्ड से वापस आने के बाद सोरोकिन चार खण्डीय ग्रन्थ सोशल ऐण्ड कल्चरल डायनेमिक्स के विरचन में संलग्न हो गये, जिनका प्रकाशन १९३७ एवं १९४१ के बीच में हुआ। इस ग्रन्थ के प्रणयन में राबर्ट के. मर्टन, जॉन एच. बाल्डीरेफ आदि उनके विद्यार्थियों ने बहुत सहयोग किया था। इन विद्यार्थियों ने दत्त-सामग्री के संकलन, सांख्यिकीय परिकलन एवं परामर्शी सन्दर्भ कार्यों में उनकी बहुत मदद की थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस कार्य हेतु उन्हें चार वर्षों तक १०,००० धनराशि प्रदान की थी।[८]

अपने प्रशासनिक कार्यों के प्रति सोरोकिन कभी भी रुचि नहीं रखते थे। विभाग में भी कुछ ही दिनों के बाद उनका स्वर अधिक वैविध्यपूर्ण रहा। उनका स्वर अहं से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम गन्ध से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यन्त्र-सभ्यता से लेकर लोकपरिवेश तक, यातना-बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक फैला रहा। यह बात और है कि इस व्याप्ति में सर्वत्र संवेदनशीलता या अनुभूति साथ नहीं देती, कहीं-कहीं कोरी बौद्धिकता या शुष्क बोध उभर आता है।

उन्होंने सूचित किया है कि कार्यमुक्त होने के लिए उन्होंने दो बार प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया, किन्तु प्रशासनतन्त्र द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अन्ततः सन् १९४२ में दस वर्षों की सेवा के पश्चात् सोरोकिन का चेयरमैन के रूप में त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात् शीघ्र ही पारसन्स के नेतृत्व में विभाग का कार्य सम्पादित होने लगा और विभाग अब सामाजिक सम्बन्धों के नाम से अभिहित किया जाने लगा। यह सच है कि सचमुच में सोरोकिन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के

समाजशास्त्र विभाग को उसके पैरों पर खड़ा किया, किन्तु उसको अपनी विशिष्ट छाप देने में असफल रहे। अस्तु यह कहा जाता है कि हार्वर्ड समाजशास्त्र के विकास में सोरोकिन की भूमिका केवल सीमावर्ती या सीमान्तीय या सीमान्तवर्ती रही है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पारसन्स को प्रदीप्त करने में सोरोकिन की महनीय भूमिका रही है। पारसन्स के बारे में कहा जा सकता है कि पारसन्स की विचारधारा को प्रष्फुटित करने में सोरोकिन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। समाजशास्त्र के इन दोनों महारथियों के मिलन से हार्वर्ड विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग अजर-अमर हो गया। किन्तु इस समन्वय की अभिव्यक्ति कुछ ही दिनों तक स्थिर रही। पारसन्स के दि सोशल सिस्टम पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही समन्वय का मूर्तिमान स्वरूप धराशायी हो गया।

सोरोकिन का पारसन्स से मोह भंग होते ही चौथी दशाब्दी के उत्तरार्द्ध में उन्होंने हार्वर्ड रिसर्च सेन्टर इन क्रिएटिव अल्ट्रुइज्म की स्थापना की। इस शोध केन्द्र के माध्यम से वे स्वतन्त्र रूप से बिना किसी आर्थिक सहायता से अनुसंधान कार्य करना चाहते थे। किन्तु शीघ्र ही इली लिली जो एक विशाल 'ड्रग कम्पनी' के प्रधान व लोकोपकारक थे, सोरोकिन को महाअनुसंधानोचित गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने के लिए एक पत्र लिखा और सोरोकिन ने उनके इस विधायक सहायता का आश्रय भी लिया। प्रारम्भ में सोरोकिन को २०,००० का अनुदान मिला। फिर इस सन्दर्भ में उन्हें पाँच वर्षों के लिए १०,००० अनुदान मिला। एतदर्थ इली लिली द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से सोरोकिन हार्वर्ड रिसर्च सेन्टर इन क्रिएटिव अल्ट्रुइज्म के प्रधान निदेशक के रूप में कार्य करने लगे। इस अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 'परार्थवादी व्यक्ति अहमवादी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दिन जीवित रहते हैं।' किन्तु, कथन है कि इस अनुसंधान की उपलब्धियों को यदि वैज्ञानिक अनुसंधान की कसौटी पर प्रतिष्ठित किया जाये तो निश्चय ही कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण परिणाम लक्षित नहीं होता।

रचनाएँ : सोरोकिन बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न बृहत् स्तर के शीर्ष समाजशास्त्री थे। ये ऐसे अद्वितीय क्रान्तिदर्शी समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी लेखनी को कभी विराम नहीं दिया। समाज एवं संस्कृति का गहन अध्ययन एवं समाजशास्त्र के प्रति अपार अनुराग उनके अमर समाजशास्त्रीय साहित्य के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है। उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त सुचिन्तित सिद्धान्त हैं।

प्रोफेसर सोरोकिन सुदीर्घकाल से - सन् १९१३ से सन् १९६८ तक अर्थात् अपने जीवन की अन्तिम श्वाँस तक अनवरत समाजशास्त्रीय सृजन करते रहे और प्रत्येक क्षेत्र में उनमें वही ताजगी और तारुण्य दिखाई दिया जो उनके समाजशास्त्रीय सृजन के आरम्भिक काल में था। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सोरोकिन की प्रकाशित रचनाएँ लगभग चालीस हैं तथा लगभग ५० शोध-प्रपत्र एवं निबन्ध हैं। उनकी पहली रचना 'क्राइम ऐण्ड पनिशमेन्ट' रूसी भाषा में लिखित थी जिसका प्रकाशन सन् १९१३ ई. में हुआ था। उनकी अन्तिम दो महत्वपूर्ण रचनाएँ क्रमशः सन् १९६६ एवं १९६४ में प्रकाशित हुईं जिनके नाम हैं क्रमशः 'टुएंटिएथ सेन्टुरी सोशियोलॉजिकल थीअॅरिज' और 'बेसिक ट्रेन्ड्स ऑफ आवर टाइम'।

चूँकि सोरोकिन का जीवन रूसी क्रान्ति में से गुजरा था, अतः दि सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्युशन, १९२५ इस सम्बन्ध में उनकी एक श्रेष्ठ कृति है। सोरोकिन की रचनाओं में सोशल ऐण्ड कल्चरल डायनेमिक्स (१९३१-१९४१) मुख्य है। इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या विस्तृत सांख्यिकीय अन्वेषणों के आधार पर की गयी है। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ अधोलिखित हैं :

P.A. Sorokin, 'Social Mobility', Harper, New York, 1927.

P.A. Sorokin, 'Contemporary Sociological Theories', Harper, New York, 1928

P.A. Sorokin, with C.C. Zimmerman, 'Principles of Rural Urban Sociology', Holt, New York, 1929.

P.A. Sorokin, 'Sociocultural Causality, Space, Time', Duke University Press, Durhan, 1943.

P.A. Sorokin, 'The Social Philosophy of an Age of Crisis, Republished as Modern Historical and Social Philosophies', Dover, New York, 1950.

P.A. Sorokin, 'Fads and Foibles in Modern Sociology', Regnery, Chicago, 1956.

P.A. Sorokin, 'Sociological Theories of Today', Harper, New York, 1966.

सोरोकिन युगीन समाजशास्त्रीय यथार्थ के प्रति भी अत्यन्त सजग थे। कुछ तो उनके निजी जीवन की पीड़ा ने और कुछ उनकी प्रखर-मुक्त प्रतिभा ने उन्हें समाजशास्त्रीय यथार्थ के विषम एवं निम्नतर पक्षों की ओर भी आकृष्ट किया। यह

आकर्षण कहीं तो यथार्थ के रूप में व्यक्त हुआ है और कहीं व्यंग्य और उपहास के रूप में।

सोरोकिन ने अपनी प्रतिभा का स्वयं आकलन एवं अपने योगदानों का स्वमूल्यांकन किया है। उन्होंने अपने योगदानों को अरस्तु के योगदानों से कम महत्व नहीं दिया है। यह बात अलग है कि उनके जीवन की सांध्य बेला में उनके समकालीन समाजशास्त्रियों ने उनके योगदानों को कम महत्व दिया। कान्टेम्परी सोशियोलॉजीकल थीयरिज में उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी समाजशास्त्र की परिभाषा आज के समाजशास्त्रियों के लिए भी अनुशीलनीय है। यही नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय विषय-वस्तु को लेकर जिन प्रश्नों को उन्होंने इस पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों में खड़ा किया है वे आज के समाजशास्त्रियों के लिए चुनौतिपूर्ण स्वर हैं।

संदर्भ

1. See Philip J. Allen (Ed.), 'Pitrim A. Sorokin in Review' N.C. Duke University Press, Durham 1963 and Edward A Tiryakian (Ed.) 'Sociological Theory Values and Socio Cultural Change' Essays in Honour of Pitrim A. Sorokin, The Free Press, New York, 1963.
2. Von Wiese, Leopold, Quoted by Shyamdhar Singh and Ashok Kumar Singh, 'Aadhunik Samajshastriya Siddhant', Sapna Ashok Prakashan, Varanasi, 2014, p. 222
3. Znaniecki, Florian Quoted by Carle C. Zimmerman in 'Sociological Theories of Pitirim A. Sorokin' (Ed.) K.N. Unnithan, Thacker and Co. Ltd., Bombay, 1973, p. iv.
4. Sorokin Pitirim A., 'A Long Journey', College and University Press, New Haven, Conn, 1963, Ch.1.
5. Sorokin Pitirim A., 'Hunger as a Factor in Human Affairs', edited and with an introduction by Elena Sorokin, The University Press of Florida, Gainsville, Fla, 1975.
6. Davis Arthur K., 'Lessons from Sorokin' in Edward A. Tiryakian, ed. Socio-logical Theory, Values and Sociocultural Change, op. cit., pp. 1-7.
7. Bierstedt Robert, 'Power and Progress', Mc Graw Hill, New York, 1974, p. 2.
8. Sorokin P.A., 'Social and Cultural Dynamics', Four Volumes, American Book Company, New York, 1937, p. 41.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

हरियाणा में एड्स संक्रमण की संभावित रोकथाम में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ अनिल कुमार
❖ प्रोफेसर जितेन्द्र प्रसाद

एड्स वायरस के बारे में पिछले चार दशकों में कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। उससे कुछ भ्रांतियाँ दूर हुई हैं। अब आम जनता में एक मानसिकता विकसित हुई है जिससे इस बीमारी से जो भय का माहौल व्याप्त था व कम हुआ है। यह विश्वास हुआ है कि इस बीमारी से छुटकारा पाने के अपेक्षित कदम उठाए जा सकते हैं। इस सोच को प्रभावी तरीके से सफल बनाने में सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए पिछले दशक में स्वास्थ्य के संबंध में जो कदम उठाए गए उससे यह विश्वास हो गया कि सरकार अपने ढंग से निर्णय लेकर कई जानलेवा बीमारियों पर अंकुश लगाने में सफल हो सकती है परंतु इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में गैर सरकारी संगठनों की मदद लेकर इस बीमारी के इलाज को संस्थात्मक आधार दिया जाए। इसी संदर्भ में हरियाणा में भी एड्स से संक्रमित लोगों की पहचान कर, डॉक्टर तथा विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों की टीम बनाकर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में आर.पी. एजुकेशन सोसायटी जो पिछले पांच वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है उसके क्रियाकलापों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है।

भारत में एड्स संक्रमण की बीमारी ने पिछले ३० वर्षों में एक विकराल रूप धारण कर लिया है। सबसे विचारणीय पहलू इस बात का पता लगाना है कि कितने लोग एच.आई.वी. वायरस से संक्रमित हैं। आज स्वास्थ्य के प्रति जिस प्रकार की सोच समाज में विकसित हुई है इससे यह पता लगाना आसान है कि किस व्यक्ति के इस रोग के शिकार होने की संभावना अधिक है। रक्त जांच के बाद जैसे मलेरिया, बुखार का पता लग सकता है उसी प्रकार रक्त जांच से इस एड्स के वायरस का भी पता लगाया जा सकता है। एड्स संक्रमित रोगी समाज में व्याप्त इस रोग के प्रति नकारात्मक सोच के कारण आगे आने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। इसलिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद से सरकार ने एड्स जागरूकता अभियान चलाया। इस रोग के प्रति लोगों को सचेत करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के प्रयास से कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। यद्यपि सरकारी अस्पतालों में इस रोग से संक्रमित लोग अपनी रक्त जांच नहीं करवाते इसलिए गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका अहम् है। सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से इन संगठनों को सकारात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिला है।

प्रस्तुत शोध पत्र के तीन मुख्य बिन्दु हैं जिस पर शोध पत्र आधारित है। सर्वप्रथम एड्स से संबंधित समाजशास्त्रीय विशेषज्ञों के विचार और अवधारणाओं की चर्चा की गई है, जिसके कारण एड्स से संक्रमितों के लैंगिक व्यवहार को समझा जा सके। दूसरा पहलू इस रोग से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ का है। तीसरा पहलू कुछ उत्तरदाताओं के विचारों का आकलन कर उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है।

मिशेल फुको[१, २] ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में मनुष्य के लैंगिक व्यवहार तथा उसके दबाव व इलाज के साधनों की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस संबंध में लैंगिक व्यवहार को समझने में मनुष्य के शरीर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रजनन समाज के विकास के लिए आवश्यक तो है परंतु इस प्रक्रिया में नियंत्रण तथा स्वास्थ्य संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना भी आवश्यक है। यौन संबंध जब प्रजनन से जुड़ा न हो तब इस प्रकार के संबंध स्थापित करने की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक समाज के अपने प्रतिमान तथा नैतिक मर्यादाऐं होती हैं जिसके द्वारा विवाह के पूर्व तथा विवाह के बाद अन्य साथियों से शारीरिक संबंध स्थापित करना व्याभिचार समझा जाता है। समाज के नैतिक मूल्यों के द्वारा इस प्रकार के संबंध से जन्म लेने वाले बच्चें को अवैध माना जाता है। समाजशास्त्र में इसलिए यौन संबंध को नियंत्रित करने के लिए कुछ निषेधात्मक प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान होता है। संभवतः इसीलिए वैवाहिक संबंध

❑ शोध अध्येयता समाजशास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)
❖ सेवा निवृत्त प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

को भी नियंत्रित करने का प्रावधान सामाजिक मानवशास्त्रियों ने सुझाया हैं। अवैध संबंध पर अंकुश लगाये जाने के लिए प्रत्येक समाज में कठोरतम नियंत्रण की प्रक्रिया को मिशेल फुको[३] ने सरकार द्वारा सर्विलेंस बताया है। यौन संबंध जो व्याभिचार व विकृत विचलन के दायरे में आते हैं उसमें अनेक प्रकार के वर्जित लैंगिक व्यवहार जैसे वैश्यावृति, समलैंगिक संबंध तथा विवाह से इतर यौन संबंध अन्य साथी के साथ स्थापित करना सर्वथा वर्जित माना जाता है। इसे समाज की सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वीकृति से जोड़ कर देखा जाता है। इस प्रकार के सामाजिक प्रतिमान अनौपचारिक रूप से समाज के नियमों को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं होता है परंतु समाज के नैतिक मूल्य और प्रतिमान इस प्रकार के लैंगिक व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए ही आवश्यक समझे जाते हैं।

जनस्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार के बायोमेडिकल प्रारूप की बात की गई है उसमें चिकित्सा विज्ञान के द्वारा दवा तथा उपचार करने की विधि को भी सर्वोपरि स्थान दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान के विकास के क्रम में ही आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था ने रोग को परिभाषित भी किया है। यहां तक कि लैंगिक व्यवहार में विचलन को रोकने के लिए चिकित्सा विज्ञान ने ऐसे पेशेवर डॉक्टर तैयार किये हैं जो अपने कुशलतापूर्ण क्रियाकलापों के द्वारा यौन संबंधी विचलन के व्यवहार की पहचान कर उसके इलाज की योजना बना लेते हैं। इस प्रकार के रोगियों की पहचान तथा उनके इलाज के योजनाबद्ध तरीकों में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

चिकित्सा विज्ञान द्वारा उपचार की विधि : बायोमेडिकल प्रक्रिया की तीन विधियों का साधारणतया उल्लेख किया जाता है।[४] इसमें सर्वप्रथम रोग को मानव शरीर के प्रतिरोधक शक्ति में कमी तथा शरीर के असफल हो जाने से जोड़कर देखा जाता है। इसे रोग के विषाणु सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। इस सिद्धांत का उद्भव १८वीं सदी में हुआ। इस सिद्धांत के अर्न्तगत यह सोच विद्यमान थी कि शरीर के रोग कुछ बाह्य कारणों से होते है। इन बाह्य कारणों से निपटने में हमारा शरीर जब असफल हो जाता है तो हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ व बीमार हो जाते है। इसलिए इन बाहरी माध्यमों की पहचान करने के बाद ही उपचार की बात सोची जा सकती है। सही उपचार के लिए यह आवश्यक है कि इन बाहरी तत्वों को पृथक कर देखा जाए ताकि रोग का इलाज किया जा सके रोग की पहचान के लिए बाहरी तत्वों की पहचान कर उसे अलग रखना आवश्यक माना गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो चिकित्सा पद्धति से जुड़ा माना गया वह शरीर और मस्तिष्क को एक दूसरे से अलग करके देखना है। रोगी का शरीर रूग्ण होता है जिसका संबंध उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा नहीं है। इस चिकित्सा पद्धति का मुख्य काम शरीर में फैले रोग की पहचान तथा उसके लिए शरीर की जांच को ही प्राथमिकता दी गई। इसके फलस्वरूप शरीर को केन्द्रबिन्दु मानकर इलाज को मुख्य माना गया न कि व्यक्ति की मनः स्थिति व व्यक्तित्व को। इस पद्धति के अनुसार शरीर को जैसे चाहे उसे परिवर्तित कर सकते हैं और रोग के इलाज में इसे महत्वपूर्ण विधि माना गया। शरीर को व्यक्ति की सोच व व्यक्तित्व से बिलकुल अलग कर उपचार करने का यह एक अनोखा तरीका था। शरीर की जांच संबंधी आंकड़े एकत्रित कर क्लीनिकल परीक्षण के द्वारा इलाज करने की शैली अपनाई गई।

उपचार विधि का तीसरा प्रारूप उपर्युक्त दोनों विधियों से बिलकुल अलग था। इस प्रारूप के द्वारा रोगी के शरीर के उपचार को एक संबंधित प्रक्रिया माना गया। इसके अनुसार रोग व बीमारी, व्यक्ति की सोच तथा दवा तीनों के सम्मिलित स्वरूप के द्वारा ही रोग का उपचार संभव हो सकता है- ऐसा मानकर चला गया चिकित्सालयों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है जहां रोग का इलाज उपचार के उक्त प्रारूप को ध्यान में रखकर किया जाता है।

मरक विज्ञान संबंधित अध्ययन : अधिकांश शोध पर आधारित अध्ययन को मरक विज्ञान के विशेष इतरलिंगकामी यौन संबंध से जोड़कर देखा जाता है। एड्स से संबंधित एच. आई.वी. वायरस का प्रसार लैंगिक संबंध से जुड़ा माना जाता है। शहरीकरण के कारण जो गांव से शहर में अप्रवासी मजदूर आकर रहने लगते हैं उनके लैंगिक संबंध विभिन्न महिलाओं से होने की संभावना रहती हैं। साथ ही समलैंगिक संबंध भी बनते हैं जिसके कारण इस प्रकार के समूह में एड्स की संभावना बढ़ जाती है। इसका फैलाव अपेक्षाकृत उन लोगों में कम पाया जाता है जो यौन संबंध को सिर्फ अपने विवाहित साथी तक ही सीमित रखते हैं। संभवतः इसीलिए जो अध्ययन मनोवैज्ञानिकों तथा स्वास्थ्य चिकित्सकों के द्वारा किये गए हैं उसके द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाले जाते हैं।[५]

क) व्यवहार पर अंकुश लगाकर उन कारणों को दूर किया जा सकता है जिसके कारण इस एड्स वायरस के बढ़ने की संभावना पाई जाती है। उन क्षेत्रों को भी प्रतिबन्धित

क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जहां इस प्रकार के एड्स वायरस से ग्रस्त लोग बसते हैं।

ख) उन लोगों व समूह की पहचान की जा सकती है जिनमें इस प्रकार के यौन संबंध स्थापित करने से एड्स वायरस के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है।

ग) इससे संबंधित प्रारूप तैयार भी किये जा सकते हैं जहां एड्स संबंधित वायरस पर अंकुश लगाकर इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है।

शोध के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एड्स वायरस से जुड़े रास्ते की पहचान कर इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में इसके प्रभाव को संक्रमित होने से इस रोग का बचाव भी संभव है। एच.आई.वी. वायरस से ग्रसित लोगों की पहचान कर उन्हें भी स्वस्थ लोगों से दूर रखने का उपाय भी संभव है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी देकर यह बताया जा सकता है कि लैंगिक व्यवहार किन परिस्थितियों में सुरक्षित है और किन परिस्थितियों में यह खतरनाक रूप धारण कर लेता है।

मिश्रित लैंगिक संबंध; एड्स वायरस को फैलाने में जिन कारणों को महत्वपूर्ण माना गया उसमें मिश्रित लैंगिक संबंध को एक महत्वपूर्ण कारक तत्व के रूप में देखा जाता है। एन्डरसन[6] के अध्ययन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि मिश्रित लैंगिक संबंध एड्स वायरस को फैलाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है। इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कुछ लोगों का दूसरे पार्टनर जो अन्य लैंगिक समूह से जुड़े हैं उनसे संबंध स्थापित करना इस वायरस को खतरनाक तरीके से फैलाने का एक प्रेरक कारक तत्व हो सकता है यहां तक कि अपने लैंगिक समूह के बीच भी जोडों का बदल-बदल कर लैंगिक संबंध स्थापित करना भी मिश्रित लैंगिक संबंध के उदाहरण माने जाते हैं। लामेन ने भी अपने अध्ययन के दौरान मिश्रित लैंगिक संबंध को समझने में लैंगिक जाल को महत्वपूर्ण कारण माना है। लैंगिक जाल की अवधारणा को विस्तार से बताते हुए लॉमेन का कहना था कि इस जाल को बिलकुल सरल तरीके से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति 'A' का शारीरिक संबंध दूसरे व्यक्ति 'C' और फिर 'B' का शारीरिक संबंध 'A' के साथ होता है तो A,B, और C ये सभी उस लैंगिक जाल से जुड़े माने जा सकते है।

इस प्रकार के लैंगिक जाल का मुख्य समूह दूसरे लैंगिक जाल में इस रोग के महामारी को फैलाने में मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। मुख्य समूह उसे कहा जा सकता है जो अपने व्यवहार से अनियमित संबंध के द्वारा लैंगिक बीमारी को अर्थात् एड्स वायरस को दूसरे समुदाय में फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए यह माना जाता है कि व्यवसायिक व पेशेवर लैंगिक समूह इस रोग को बढ़ाने में काफी हद तक जिम्मेवार माने जा सकते है। निश्चय ही पेशेवर वेश्यावृति में संलिप्त लोगों को इसकी जानकारी देकर इस रोग को नियंत्रित करने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

मुख्य समूह के लैंगिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया भी तीन प्रकार से पूरे एड्स वायरस को फैलाने में सहायक हो सकती है। अर्थात् लैंगिक जाल द्वारा एड्स वायरस का फैलाव काफी सक्रिय हो सकता है। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण एच.आई.वी. एड्स वायरस एक खतरनाक तरीके से एक समूह से दूसरे समूह में फैल सकता है। जबकि वहीं दूसरी ओर ये वायरस मध्यम गति से भी फैल सकता है। संभव है कि अन्य समूह में इस वायरस का असर बिलकुल ही न के बराबर हो इसलिए एच.आई.वी. एड्स वायरस के तीव्रता या जिस दर से इसका फैलाव व प्रसार महामारी के रूप में होता है। उसकी संभावना को गंभीरता से समझने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निष्कर्ष निकालना भयानक तथा खतरनाक साबित हो सकता है। तीन प्रकार के समूह जिनकी पहचान की जा सकती है वे है - धनी मिश्रित समूह, मध्यम मिश्रित समूह और तीसरा समूह जिसे (No Mixar) की श्रेणी में रखा जा सकता है।

अतः एच.आई.वी. एड्स वायरस को फैलाने में लैंगिक व्यवहार का अध्ययन काफी प्रभावी तरीके से किया जा सकता है जो लैंगिक संबंध से जुड़े प्रारूप समझने में सहायक हो सकता है। इन तीन समूहों की बात की जाए तो सघन मिश्रित समूह उस समूह से जुड़े होते है जो दो या दो से अधिक साथी के साथ यौन संबंध बनाते है। इस प्रकार के समूह समलैंगिक, विषम लैंगिक तथा विभिन्न उम्र के साथ यौन संबंध बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। यह मान कर चला जाता है कि इस प्रकार के सघन मिश्रित समूह से एच.आई.वी. एड्स वायरस के फैलने की संभावना काफी अटल होती है। निश्चय ही इस प्रकार के एड्स वायरस संक्रमित लोग इसे खतरनाक रूप से दूसरे समूह में फैलाते हैं। अतः इन लोगों की पहचान कर उन्हें इस खतरनाक बीमारी से बचाने की जिम्मेवारी कई गैर सरकारी संगठनों को सरकार के द्वारा सौंपी गई है। सरकार के द्वारा अनुदान भी दिये जाते है ताकि ये संगठन जागरूकता अभियान को सफल तरीके से चलाकर इस रोग पर प्रतिबंध लगाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सके।

हरियाणा में एड्स वायरस को नियंत्रित करने के

उपाय : हरियाणा सरकार ने एड्स वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों को यह जिम्मेवारी सौंपी। आर.पी एजुकेशन सोसायटी एक ऐसा ही गैर सरकारी संगठन है जिसका गठन २००७ में रोहतक जिले में किया गया। इस संगठन के पास एड्स जागरूकता की दिशा में काम करने के लिए Targeted Intervention Project के अंतर्गत जो project दिया गया उसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों में एड्स वायरस की जानकारी देकर उन्हें चिकित्सीय सहायता तथा दवाई दिलाने का काम था।

इस योजना की शुरूआत फरवरी २०१३ में की गई। इस संगठन ने लगभग १० हजार श्रमिकों से संपर्क साधकर उन्हें एड्स वायरस से बचाव करने के उपाय बताये गए। श्रमिकों से संपर्क साधने के मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रयास किये गये पहले प्रयास में Dro-in-Center स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों को एड्स वायरस से होने वाली रोग के बारे में जानकारी देने का कार्य किया गया। विशेषज्ञों द्वारा प्रवासी श्रमिकों को एड्स वायरस से बचने के उपाय बताए गए। इस प्रकार के केन्द्र रोहतक शहर के दो प्रमुख स्थानों जीन्द बाईपास तथा ओमैक्स आवासीय क्षेत्र में किये गए थे। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी थी कि एड्स वायरस से संबंधित सूचना देकर उन्हें इस बीमारी से अवगत करायें।

इसी प्रकार स्वास्थ्य जांच कैम्प के द्वारा भी प्रवासी श्रमिकों को एड्स वायरस की विस्तृत जानकारी दिए जाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गयीं। इन कार्यशालाओं तथा व्यक्तिगत सम्पर्कों से यह पता चला कि लगभग ६० कैम्प संगठन के द्वारा ३ साल के अन्तराल में लगाये गए। सन् २०१३-१४ में जब इस संगठन को यह प्रोजेक्ट सौंपा गया तो उस वर्ष इस संगठन ने बारह कैम्पों का आयोजन किया। उसके बाद साल २०१४-१५ तथा २०१५-१६ में लगभग ४८ कैम्प लगाये गए। साथ ही वृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया जहां पर डॉक्टरी सलाह के साथ-साथ संभावित एड्स वायरस के शिकार होने वाले श्रमिकों को निशुल्क परामर्श के बाद दवाईयां भी बांटी गई।

इस प्रकार प्रवासी श्रमिकों में संभावित एड्स के लक्षण पाए जाने पर किस प्रकार जांच करवाकर उन्हें आश्वस्त किया जा सकता है कि वे इस बीमारी से बच सकें। इन कैम्पों में कार्यशालाओं के आयोजन से प्रवासी श्रमिकों को अपने लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करने की जानकारी भी दी गई। इसी बात को ध्यान में रखकर कैम्प में से साक्षात्कार के द्वारा लगभग ४० प्रवासी श्रमिकों के शिविर में मौजूद कुछ श्रमिकों से बात करने पर यह पता चला कि कई श्रमिक वर्ग से जुड़े युवाओं को यह डर सता रहा था कि एड्स वायरस जैसा रोग हो जाता है तो उनका जीवन काल कुछ ही समय तक सीमित है। इस बात को न तो वे अपने परिवार के सदस्यों को बता पा रहे थे और न ही खुद को आवश्वस्त कर पा रहे थे कि इस बीमारी के उपचार के लिए कहां जायें। शिविर में कार्यशाला समाप्त होने के पश्चात् कुछ श्रमिकों से समय निकाल कर केस स्टडी के द्वारा श्रमिकों के लैंगिक व्यवहार के बारे में अलग से बातचीत की गई।

लैंगिक व्यवहार के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि साथ रहने वाले श्रमिक समलैंगिक संबंध के साथ विषम लैंगिक संबंध भी स्थापित करते हैं। अपने घर से दूर रहने के कारण तथा अविवाहित जीवन व्यतीत करने से उनके लैंगिक व्यवहार में जो विचलन आया है उससे वे बिलकुल ही निडर होकर संबंध बनाने को उत्सुक रहते हैं। जब आर.पी. एजुकेशन सोसायटी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला में उनके द्वारा इस विषय पर चर्चा की गयी तो उन्हें यह डर हुआ कि अनियंत्रित लैंगिक व्यवहार के कारण संभवतः उनमें भी एड्स के वायरस होने की संभावना है। इसलिए उनकी दिलचस्पी इन सम्पर्क सत्र में आकर डॉक्टर तथा संगठन के कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की थी। समूह में चर्चा किये जाने तथा इस बीमारी के बारे में सामान्य जानकारी मिलने से उन सभी श्रमिकों को इस बात का एहसास हुआ कि अनियंत्रित शारीरिक संबंध तथा सुई के द्वारा ड्रग्स लेने से एड्स के वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही उन्हें इस बात का भी ज्ञान हुआ कि लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जाए तो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित वायरस बीमार कर सकता है। समूह में चर्चा से उन्हें इस बात का तो आभास हुआ कि एड्स के वायरस किस प्रकार फैलते हैं परंतु इस बात की भी चिन्ता उन्हें थी कि एड्स के वायरस फैलने से इसका उपचार कहा संभव है। उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि सरकार द्वारा चलाए गए अस्पताल में ही रक्त की जांच करवाकर एड्स वायरस का पता चल सकता है।

निश्चय ही प्रवासी श्रमिकों को यह विश्वास हो गया कि इस बीमारी के उपचार के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। श्रमिकों द्वारा यह विचार भी व्यक्त किए गए कि सरकारी अस्पतालों में इस बात जानकारी उन्हें सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती इसलिए गैर सरकारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं में जो संवेदनशीलता पाई जाती है उसका सर्वथा अभाव सरकारी अस्पतालों में दिखता है। परंतु वहीं दूसरी

ओर गैरसरकारी संगठनों की विडम्बना यह है कि वे पूर्णतया एड्स से संबंधित वायरस के बारे में सरकारी मदद् के द्वारा ही जागरूकता अभियान को चला सकते हैं। अगर समय पर सरकारी अनुदान नहीं मिलता है तो संगठन के कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता आती है। ज्यादातर श्रमिकों ने यह बताया कि कैम्प में जो परामर्श डॉक्टर द्वारा मिला उसके बाद रक्त जांच की प्रक्रिया मजबूत नहीं होने से अक्सर उनका संपर्क टूट जाते हैं और श्रमिकों को इस जांच शिविर के बाद उपचार प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है। इसलिए संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन सब की यह राय थी कि समय से अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होना तथा संवेदनशीलता से इस कार्य को चलाए जाने का प्रयास ही एड्स वायरस की रोकथाम में सहायक हो सकता है। अगर तत्परता तथा संवेदनशीलता की कमी पाई जाती है तो एड्स वायरस उत्पन्न होने वाली बीमारी के रोकथाम को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

संदर्भ

1. Foucault, M., 'The Brith of the Clinic : An Archaeology of Medical Perception', Tavistock Publication, London, 1973
2. Foucault, M., 'The History of Sexuality', Penugine, London, 1978
3. Foucault, M., 'Discipline and Punish Harmonds Worth', Penguine, London, 1975
4. Giddens, Anthony, 'Sociology', Wiley India Ltd., 2010
5. Catania, J., Coates, R., Stall, R., Tuerner, H., Peterson, J., Hearste, N., Dolcini, M., Hudes, E., Gagnon, J., Wiley, J., & Groves, R. 'Prevalence of ADIS related risk factors and condom use in the United States', Science, 258, 1992, pp. 1101-1106.
6. Aderson, N.B., and McNeilly, M. 'Age, gender and Ethinicity as variables psychophysiological assessment : Socio demographics in context, psychological assessment' A Journal of Consulting and Clinical Psyhology, 3, 1991, pp. 376-384.
7. Catania, A.J., et al., 'Frontiers in the Behavioural Epidemiology of HIV/STDs', in Baum, A., Revenson Tracey A., Singer, E., Jerome, Handbook of Healthy Psychology, London, 2001..

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी–जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक–सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ प्रोफेसर इला साह
❖ गोविन्द लाल

१६वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सारी दुनिया के सभी सुधारवादी आन्दालनों के प्रभाव से भारतीय सामाजिक संरचना भी प्रभावित हुई और महिलाओं की पूर्व निर्मित स्थितियों व परिस्थितियों में भी परिवर्तन होने लगा, परिणाम स्वरूप महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी और इसी कारण परम्परागत समाज की चाहरदीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न व्यवसायों को अपनाने में वे सफल हुई। कार्यक्षेत्र में प्रवेश ने महिलाओं के विचारों में ताक्रिकता, परिवार में सम्मानजनक स्थान, आर्थिक निर्णय की क्षमता, जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव और ऐसी ही न जाने कितनी अनुकूल अभिवृत्तियों को उनमें विकसित किया है जो आज देश, घर, परिवार, समाज के विकास के साथ-साथ वर्तमान आवश्यकता भी है। समाज में आये इस परिवर्तन को शहर अल्मोड़ा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति का मूल्यॉकन कर प्रस्तुत करना शोध पत्र का उद्देश्य है।

भारतीय परम्परागत समाज हमेशा से पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित रहा जिसके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता हमेशा से अपवाद रही, पारिवारिक आय वृद्धि एवं देश की प्रगति में महिलाओं का हमेशा से सहयोग अप्रत्यक्ष ही रहा है। औद्योगिक क्रान्ति के बाद महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों से जुड़ने में तीव्र वृद्धि हुई जिससे भारत भी शामिल था हॉलाकि पाश्चात्य देशों की तुलना में यह प्रक्रिया यहाँ विलम्ब से प्रारम्भ हुई। परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है और इसी के कारण आज महिलाओं का घर की चाहरदीवारी से बाहर निकलकर कार्यक्षेत्रों में प्रवेश सम्भव हो पाया है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में नारीशक्ति पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए फैल्डमैन ने कहा था-''ये अपेक्षतया एक नवीन घटना का प्रतिनिधित्व करती हैं, मध्यवर्ग की कामकाजी पत्नी अब एक सक्षम आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और सामाजिक शक्ति है, उसकी नवीनता उसकी संख्या, परिवार व समाज पर, जिसकी वह अंश है, उसके गहरे मनोविज्ञान, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव अब निरीक्षण का तकाजा रखते है''[1] और यह सत्य है कि कामकाजी महिलाओं के जीवन में आज विभिन्न परिवर्तनों को उनकी विभिन्न स्थितियों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन शहर अल्मोड़ा के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित है।

भारत जैसे परम्परागत समाज में महिलाओं का घर से बाहर निकलकर आजीविका हेतु कार्य करने को एक नयी घटना के रूप में देखा जा सकता है। पितृसत्तात्मक मूल्य, पुरूष वर्चस्व की मानसिकता आदि अनेक कारणों से भारतीय व्यवस्था के इतिहास में महिलाओं की दशा व दिशा लम्बे समय से एक विवाद का विषय रही है जिसका प्रमुख कारण समाज में व्याप्त संकीर्ण व रूढ़िवादी विचारधारा को माना जा सकता है।

१६वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सारी दुनिया के सभी सुधारवादी आन्दालनों के प्रभाव से भारतीय सामाजिक संरचना भी प्रभावित हुई और महिलाओं की पूर्व निर्मित स्थितियों व परिस्थितियों में भी परिवर्तन होने लगा, परिणाम स्वरूप महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी और इसी कारण परम्परागत समाज की चाहरदीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न व्यवसायों को अपनाने में वे सफल हुई। यदि देखा जाय तो प्राचीन काल से ही महिलाएँ पारिवारिक आय वृद्धि में हमेशा से किसी न किसी रूप में मद्दगार रही हैं जो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता था।

महिलाओं के कार्यरत होने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद इस प्रक्रिया में काफी तीव्रता आयी लेकिन भारत में यह प्रक्रिया

❑ विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, एस०एस०जे०परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
❖ शोध अध्येता समाजशास्त्र, एस०एस०जे०परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

अन्य देशों की तुलना में विलम्ब से प्रारम्भ हुई। महिलाओं का कार्यक्षेत्र में प्रवेश उनकी आर्थिक आवश्यकता, आधुनिकीकरण एवं शिक्षा, आर्थिक विवशता, उपयोगी व उच्चतर जीवन स्तर अनेक कारणों से रहा होगा।

उमाशंकर एवं प्रेमलता पुजारी के अनुसार-''महिलाओं ने अपने कार्यरत स्तर को खुद अपने ऊपर लगाये गये अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों से स्वतंत्र महिला के प्रतिरूप में ढाला और आर्थिक बराबरी के नाम पर स्वतंत्रता को प्राप्त किया साथ ही व्यवसाय में बराबरी के अवसर, साथी के चुनाव में स्वतंत्र सामाजिक स्तर को भी प्राप्त किया''[२]

प्रमिला कपूर ने कार्यरत महिलाओं के विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि वे महिलाएँ जो आर्थिक कारणों से रोजगार अपनाती हैं उनका एक समरूप समूह नहीं है। यह केवल निम्न मध्यम वर्ग की ही नहीं होती जो अपने परिवार के अपर्याप्त बजट को पूरा करती हैं बल्कि ऐसी महिलाएँ भी कार्य करती हैं जिनके पति उच्च पद पर होते हैं तथा ऊँचा वेतन पाते हैं।[३]

भारत जैसे परम्परागत देश में महिलाओं की व्यवसायिक क्षेत्र में संख्या अपेक्षाकृत कम है लेकिन विकास एवं प्रगति की दृष्टि से यह सुखद व स्वस्थ प्रक्रिया है। घर से बाहर निकलकर कार्यक्षेत्र में प्रवेश ने महिलाओं के विचारों में तार्किकता, परिवार में सम्मानजनक स्थान, आर्थिक निर्णय की क्षमता, जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव और ऐसी ही न जाने कितनी अनुकूल अभिवृत्तियों को उनमें विकसित किया है जो आज देश, घर, परिवार, समाज के विकास के साथ-साथ वर्तमान आवश्यकता भी है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक- सामाजिक स्थिति का मूल्याँकन करना है, जिन महिलाओं को अध्ययन हेतु चुना गया है वे शहर, अल्मोड़ा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं।

हिमालय की गोद में बसा उत्तराखण्ड देवभूमि के नाम से देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये हुए हैं इसके दो मण्डल गढ़वाल एवं कुमाऊँ है। कुमाऊँ मण्डल के छः जनपदों में अल्मोड़ा एक है, जो अपनी नैसर्गिक सुन्दरता, सांस्कृतिक पहचान बनाये हुए है। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या ६,२१,६२७ है जिसमें २,६०,४१४ पुरूष एवं ३,३१,५१३ महिलाएँ हैं और साक्षरता की दर से इन महिलाओं का प्रतिशत ७०.४४ है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही हैं, यहॉ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ का जन जीवन अत्यधिक कष्टप्रद रहा है लेकिन वर्तमान सॉस्कृतिक संक्रमण, उपभोक्तावाद, भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में जहॉ राष्ट्र, समाज, मानवता और मानव में तेजी से परिवर्तन होने प्रारम्भ हुए तो शहर अल्मोड़ा में भी यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं और यह बात वहॉ निवासित महिलाओंपर भी लागू होती है। ''महिलाएँ धीरे-धीरे यह महससू करने लगी हैं कि इन्सान के रूप में उनका भी निजी व्यक्तित्व है तथा उनके जीवन का लक्ष्य अच्छी पत्नियॉ और समझदार मां बन जाने से पूरा नहीं हो पाता बल्कि वे अब मानने लगी हैं कि वह अब नागरिक समुदाय एवं सगंठित समाज की सदस्य हैं''[४]

अतः स्पष्ट है कि समाज में आये इस परिवर्तरन को शहर अल्मोड़ा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति का मूल्यॉकन कर प्रस्तुत करना शोध पत्र का उद्देश्य है।

शोध प्रारूप प्रस्तुत शोध पत्र में अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग कर तथ्यों के वास्तविक व यथार्थ विवरण को प्रस्तुत किया गया है। यह निदर्शन पद्धति पर आधारित है। शहर अल्मोड़ा में सरकारी कार्यालयों की संख्या लगभग ६५ है, जिसमें २४२२ महिलाएँ कार्यरत हैं। शोधपत्र में वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम ऐसे ८० कार्यालयों का चयन किया गया जिसमें कार्यरत महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी, इनमें से पुनः निदर्शन की लॉटरी पद्धति के माध्यम से ५७ कार्यालयों का चयन किया गया और प्रत्येक के ५० प्रतिशत को अध्ययन के समग्र हेतु चुना गया।

इस प्रकार प्रतिशत के आधार पर चुनी गयी कार्यरत महिलाओं की संख्या ४८४ पायी गयी और ५० प्रतिशत के आधार पर यह संख्या २४२ हो गयी। अतः प्रस्तुत शोधपत्र में कार्यरत महिलाओं के २४२ संख्या को समग्र के रूप में चुनकर उनकी पारिवारिक-सामाजिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है इनकी आयु २५ से ६० आयु समूह की है। ८७.६७ प्रतिशत विवाहित, ११.१६ प्रतिशत अविवाहित तथा १.२३ विधवा है। तथ्य संकलन हेतु एक स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण कर प्राथमिक स्रोतो को एकत्रित किया गया है तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न विद्वानों की संबंधित अध्ययन सामाग्री, शोध पत्रिकाओं व शोध ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है।

उपलब्धियाँ

समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण सर्वव्यापी व आवश्यक संस्था है। कुमाऊँ में भी पितृसत्तात्मक परिवारों

की प्रधानता रही है जहॉं महिलाओं को पुरूषों के अधीन रहते हुए परम्परागत मूल्यों का पालन करना आवश्यक था लेकिन बदलती परिस्थितियों में महिलाओं को भी उनके अधिकारों की प्राप्ति हुई है, जो पुरूषों को प्राप्त हैं, यही कारण है कि आज महिलाऍं घर से बाहर निकलकर विभिन्न कार्यो को अपना रही है और उनके जीवन स्तर में एक क्रान्तिकारी बदलाव दिखायी पड़ता है। अतः वे कामकाजी महिलाऍं जो शहर अल्मोड़ा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत है, से विभिन्न पारिवारिक व सामाजिक जीवन से संबंधित प्रश्नों के आधार पर उनकी स्थिति को जाने के लिए सर्वप्रथम वे स्वयं की स्थिति का मूल्यॉंकन परिवार में कैसे करती हैं के प्रत्युत्तर में १६.६४ प्रतिशत ने सम्मानजनक ८३.०६ प्रतिशत ने सामान्य स्थिति में अपने उत्तरों की पुष्टि की है। अपमानजनक व तिरस्कृत स्थिति का शून्य प्रतिशत प्रस्तुत होना स्पष्ट करता है कि कार्यरत महिलाओं की स्थिति सन्तोषप्रद है, सारणी संख्या १ में तथ्यों को स्पष्ट किया गया हैः-

सारणी संख्या-०१

परिवार में स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन

स्थिति का मूल्यांकन	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मानजनक	४१	१६.६४
सामान्य	२०१	८३.०६
अपमानजनक	-	-
तिरस्कृत	-	-
योग	२४२	१००.००

समाज व परिवार में कार्यरत होने पर इन महिलाओं को घरेलू महिलाओं की तुलना में आर्थिक महत्व दिया जाता है के सन्दर्भ में प्राप्त तथ्य निम्न सारणी में स्पष्ट किये गये हैं-

सारणी संख्या-०२

घरेलू महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
सहमत	२२८	६४.२२
असहमत	-	-
पता नहीं	१४	५.७८
योग	२४२	१००.००

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश चयनित महिलाओं ने इस बात पर सहमति प्रकट की है जिनका प्रतिशत ६४.२२ है, असहमति का प्रतिशत शून्य जबकि ५.७८ प्रतिशत अनिश्चितता की स्थिति में पायी गयी जिन्होंने अपना उत्तर पता नहीं में दिया है। अतः तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाओं को घरेलू महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है।

महिलाऍं घरेलू हों या कामकाजी सब की अपनी-अपनी अलग-अलग व्यस्तता, अलग जिम्मेदारियॉं व अलग भूमिका होती है। जहॉं घरेलू महिलाओं को लगता है कि कामकाजी महिलाओं का जीवन अधिक सुखमय है जिसे वह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक निर्णय या जीवन स्तर का उच्च होने के रूप में देखती हैं वहीं कामकाजी महिलाऍं अपनी दौड़-भाग की जिन्दगी, बच्चों या परिवार के लिए पर्याप्त समय की कमी जैसे अनेक कारणों से घरेलू महिलाओं के जीवन को अधिक सुखद मानती है इसकी प्रमाणिकता के लिए शहर अल्मोड़ा में कार्यरत महिलाओं से भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या कामकाजी महिलाएं स्वयं की अपेक्षा घरेलू महिलाओं का जीवन अधिक सुखमय मानती है, प्राप्त तथ्य निम्नवत् प्रस्तुत हैंः-

सारणी संख्या-०३

घरेलू महिलाओं का जीवन अधिक सुखमय

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉं	११५	४७.५३
नहीं	११७	४८.३४
कह नहीं सकते	१०	४.१३
योग	२४२	१००.००

उपर्युक्त सारणी में चयनित उत्तरदाताओं के ४७.८६ प्रतिशत ने हॉं, ४८.३४ प्रतिशत ने नहीं तथा ४.१३ प्रतिशत ने कह नहीं सकते में अपने प्रत्युत्तरों की पुष्टि की है।

कामकाजी महिलाओं के प्रति पारिवारिक सदस्यों के दृष्टिकोण को जानने व उनकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनके कार्यरत होने के कारण परिवार में अन्य सदस्यों की उनके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया को वे अनुभव करती हैं जिसमें ३८.०१ प्रतिशत महिलाओं ने सकारात्मक, ५४.१३ प्रतिशत ने उत्साहवर्धक, ७.८६ प्रतिशत ने सामान्य में अपने प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत किया है। सकारात्मक परिणाम यह है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिशत शून्य पाया गया है। सारणी संख्या ४ में इन तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

सारणी संख्या-०४

पारिवारिक सदस्यों की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक	६२	३८.०१
उत्साहवर्धक	१३१	५४.१३
सामान्य	१६	७.८६

नकारात्मक	-	-
कुल योग	२४२	१००.००

वर्तमान संघर्षमयी व भागदौड़ भरी जिन्दगी के कारण कार्यरत महिलाओं के पास समय का अभाव स्वाभाविक है। घर, कार्यक्षेत्र के साथ सामाजिक कार्यो में सहभागिता उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती इसी संबंध में उनसे जानने का प्रयास किया गया कि क्या सामाजिक कार्यो में उनकी सहभागिता होती है यदि हाँ तो उसका स्तर क्या रहता है जिसमें उत्तरदाताओं ने अपने विचारों को निम्नवत् प्रस्तुत किया है-

सारणी संख्या-०५

सामाजिक कार्यों में सहभागिता

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत कम	१६३	७६.७५
बढ़चढ़कर	३८	१५.७०
बिल्कुल नहीं	११	४.५५
येाग	२४२	१००.००

उपर्युक्त सारणी द्वारा महिलाओं की दोहरी जीवन संबंधी व्यस्तता परिलक्षित होती है जिसमें ७६.६५ प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक कार्यो में सहभागिता को बहुत कम, १५.७० प्रतिशत ने बढ़चढ़कर तथा ४.५५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बिल्कुल नहीं में अपने उत्तरों की पुष्टि की है।

वर्तमान बदलते परिवेश में जहाँ महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए सहभाग कर रही है वहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती अपराधिक प्रवृत्तियों ने उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा दिये हैं। आज महिलाएँ घर, परिवार समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है क्या कार्यरत महिलाएँ भी ऐसा सोचती हैं कि क्या वे अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती हैं के सन्दर्भ में प्राप्त प्रत्युत्तर निम्नवत् प्रस्तुत है:-

सारणी संख्या-०६

अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना

प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	११४	४७.११
नहीं	८६	३६.७८
कह नहीं सकते	३६	१६.११
येाग	२४२	१००.००

उपर्युक्त के अतिरिक्त शहर अल्मोड़ा के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ अन्य प्रश्न भी उनसे पूछे गये जिसमें वह स्वयं को समाज का महत्वपूर्ण अंग मानती हैं ९८ प्रतिशत ने हाँ अर्थात सकारात्मक परिणामों की पुष्टि की। पारिवारिक/ सामाजिक निर्णय में स्वयं की भूमिका का मूल्यांकन पुरूषों की तुलना में वह कम करती हैं लिंग भेद की मानसिकता समाप्ति केवल सैद्धान्तिक है व्यवहारिक नहीं।

अतः निष्कर्ष रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि शहर अल्मोड़ा में कार्यरत महिलाओं की स्थिति को उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऑकड़ों के आधार पर सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

सन्दर्भ

1. Feldmen Fracis, 'Homes work in the lives of married women', New Yark, Colmbia University Council- 1978 p. 94
2. Shankurjha Uma, Premlata, Indian women today, Tradition, Modernity and challenge Vol-3-1998, Kanishka Publishers, Distribution New Delhi, p. 196
3. Kapoor Promila, Marrige and working women in India, Vikash, New Delhi. p. 47-49

४. देसाई ए०जी०, 'प्राचीन भारत में प्रगति एवं रूढ़ि', राजस्थान पब्लिशिंग हाउस राजस्थान-१९८८

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

स्वच्छ भारत अभियान : एक परिदृश्य, बरेली जनपद

❑ डॉ. प्रीति सक्सेना
❖ डॉ. अनीता देवी

भारत अस्वच्छता, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं अन्य सामाजिक मुददों के कारण आज भी विकासशील देश है। अब समाज को उन सभी कारणों का उन्मूलन करने की आवश्यकता है जो देश के विकास और उसकी उन्नति को अवरुद्ध करते हैं। ''स्वच्छ भारत अभियान : एक कदम स्वच्छता की ओर'', समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों का निस्तारण करने के साथ साथ नागरिकों की वैयक्तिक वृद्धि एवं देश के विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत है। यह अभियान वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है क्योंकि यह जनमानस के आन्तरिक एवं बाहरी वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ मुददा है।

> स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा २ अक्टूबर, २०१४ को महात्मा गांधी की १४५ वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस अभियान की अवधि २ अक्टूबर २०१४ से २ अक्टूबर २०१६ तक तय की गई है अर्थात ''क्लीन इंडिया कैम्पेन'' पंचवर्षीय कार्यक्रम है। वर्ष २०१६ में जब इस कार्यक्रम की अवधि पूर्ण होगी तो ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि ये महात्मा गांधी के लिए उनकी १५० वीं वर्षगांठ के मौके पर देशवासियों की ओर से उन्हें सच्ची श्रृद्धांजलि होगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वर्षों पहले जो स्वच्छता का सपना गांधी जी ने देखा था, वह अब प्रगति के पथ पर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम प्रणव मुखर्जी ने जून २०१४ में संसद को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा था, ''कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कचरा प्रबन्धन एवं स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है। प्रस्तुत आलेख उत्तर प्रदेश के बरेली महानगर के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान की दशा और दिशा को उजागर करता है।

स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा २ अक्टूबर, २०१४ को महात्मा गांधी की १४५ वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस अभियान की अवधि २ अक्टूबर २०१४ से २ अक्टूबर २०१६ तक तय की गई है अर्थात ''क्लीन इंडिया कैम्पेन'' पंचवर्षीय कार्यक्रम है।[1] वर्ष २०१६ में जब इस कार्यक्रम की अवधि पूर्ण होगी तो ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि ये महात्मा गांधी के लिए उनकी १५० वीं वर्षगांठ के मौके पर देशवासियों की ओर से उन्हें सच्ची श्रृद्धांजलि होगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वर्षों पहले जो स्वच्छता का सपना गांधी जी ने देखा था, वह अब प्रगति के पथ पर है।[2]

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक से हर वर्ष अपने सौ (१००) घंटे भारत की सफाई के लिए देने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ हस्तियों को जोड़ा गया है और इन नौ हस्तियों द्वारा यानि प्रत्येक हस्ती द्वारा नौ-नौ लोगों को और इस अभियान से जोडने का प्रयास किया जायेगा। इसका उद्‌देश्य एक चेन बनाकर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जोडने का है।[3] सर्वप्रथम नामांकित की गई नौ हस्तियों में मृदुला सिन्हा, सचिन तेन्दुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अम्बानी, कमल हासन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उलटा चश्मा की टीम जैसी नामचीन हस्तियों को इस अभियान से जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रान्ड एम्बेसडर अभिनेत्री ''विद्या बालन'' है।[4]

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम प्रणव मुखर्जी ने जून २०१४ में संसद को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा था, ''कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कचरा प्रबन्धन एवं स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है।''[5]

स्वच्छ भारत अभियान के उद्‌देश्य : स्वच्छ भारत अभियान का उद्‌देश्य सन् २०१६ तक हर शहर, हर गांव को स्वच्छ बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना, आम जनता के बीच में शौचालयों को बढ़ावा

❑ सहायक प्रवक्ता, ए.एन.ए. ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, बरेली (उ.प्र.)
❖ एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.)

देना, ठोस एवं द्रव्य अपशिष्टों के निराकरण की उचित व्यवस्था करना, गांवों में उचित पाइप लाइन की व्यवस्था करना, अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालयों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, खुले में शौच को पूरी तरह बन्द करना एवं उन सभी आवश्यक कार्यों को करना जो लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं।[६]

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत की स्थिति : उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत वाराणसी से हुई। जब ये अभियान शुरू हुआ तो केन्द्र सरकार के दबाव में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों ने बारी-बारी से आकर उत्तर प्रदेश में झाडू लगाई, परन्तु इस झाडू लगाने का उद्देश्य मात्र मीडिया एवं समाचार पत्रों की सुर्खियों में आना था, जिसका परिणाम "स्वच्छता सर्वेक्षण - २०१७" की रिर्पोट में देखा जा सकता है। देश के ४३४ शहरों एवं नगरों में कराये गये इस सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का एक मात्र शहर वाराणसी ही (३२ वें स्थान) टाप १०० में अपनी जगह बना पाया है।[७] जबकि टाप १० में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले स्थान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर विशाखापत्तमन (विजाग), चौथे स्थान पर सूरत (गुजरात), पांचवे स्थान पर मैसूर (कर्नाटक), छटवें स्थान पर तिरुचिरापल्ली (त्रिची), सातवें स्थान पर नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) आठवें, नवें और दसवें स्थान पर क्रमशः नवी मुम्वई, तिरुपति एवं बडोदरा (गुजरात) ने बाजी मारी है।[८]

बिडम्बना यह है कि दस सबसे गन्दे शहरों की सूची में से उत्तर प्रदेश के पांच शहर शमिल हैं। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला (३३४ रैंक) देश का सबसे गन्दा शहर है। वहीं हरदोई (४३१), बहराइच (४२६), शाहजहाँपुर (४२६) एवं खुर्जा (४२५) वें स्थान पर है।[९] इसलिए स्वच्छता के प्रति गम्भीरता दिखाते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री 'योगी आदित्य नाथ' ने लखनऊ में झाडू लगाकर लोगों को फिर से स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा।[१०]

इस अभियान में उत्तर प्रदेश के पिछडने का कारण वर्तमान आंकडों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्माण कराये गये व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की संख्या मात्र ४७.७० प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश इस प्रकार ओडिशा, बिहार एवं जम्मू और काश्मीर से भी पिछड़ा हुआ है।[११]

इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर मात्र एक ऐसा जिला है जिसमें केवल ८.६५ प्रतिशत घरों में ही व्यक्तिगत शौचालय बने हुये हैं बाकी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं यही कारण है कि खुले में शौच मुक्त के मामले में उत्तर प्रदेश ३४ राज्यों की सूची में ३३वें स्थान पर है। भारत में १६३३३५ ग्राम पंचायतों में से ६०४६५ ग्राम पंचायतें, १३१६ ब्लाक और १२६ (ODF) हैं। इन ऑकड़ों में उत्तर प्रदेश का योगदान मात्र ७.३२ प्रतिशत है।[१२]

बरेली में स्वच्छ भारत अभियान की स्थिति : उत्तर प्रदेश में बरेली की स्थिति स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में अति शोचनीय है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिर्पोट-२०१७ के अनुसार बरेली न तो अच्छे शहरों में शामिल है और न ही ज्यादा गन्दे शहरों में। परन्तु ये कहा जा सकता है कि बरेली गन्दे शहरों की गिनती के काफी करीब है तभी तो इस सर्वेक्षण रैंकिग को बरेली को २६८ वां स्थान प्राप्त हुआ है और वहीं बदायूँ को ४२० वां स्थान प्राप्त हुआ है।[१३]

शोध प्रारूप : स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के बरेली महानगर पर आधारित है। महानगर के समस्त वर्गों का प्रतिनिधत्व प्राप्त करने की दृष्टि से सविचारपूर्ण निदर्शन की सहायता से १०० सूचनादाताओं का चयन किया गया। सूचनादाताओं से सूचना संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची की सहायता ली गई। शोध पत्र द्वारा स्वच्छता अभियान की शिथिलता, सफलता, क्रियान्वयन एवं चुनौतियों को उजागर करने का भरसक प्रयास किया गया है।

उद्देश्य :

१. बरेली में स्वच्छ भारत अभियान की स्थिति का अध्ययन करना।
२. लोग स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं।
३. यह अभियान इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये जानने का प्रयत्न करना ।
४. अभियान शुरू होने के बाद से बरेली की स्थिति में क्या परिवर्तन आये हैं ये पता लगाना है।
५. सरकारी मशीनरी की शिथिलता स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह बाधक हैं, का अध्ययन करना।

उपलब्धियाँ : स्वच्छ भारत अभियान सफलता की ओर अग्रसर है। यद्यपि काफी जगह स्वच्छ भारत अभियान की गति काफी मन्द है जिन स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान की गति मन्द है वहाँ इसके क्या कारण है? इस सारणी के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लोग कितनी जानकारी रखते हैं।

सारिणी संख्या : ०१

स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी

अभियान की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिक	८६	८६
कम	११	११
योग	१००	१००

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ८६ प्रतिशत लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी अधिक है तो वही मात्र ११ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें इस अभियान की जानकारी कम है। ये ११ प्रतिशत लोग अभियान के बारे में जानते तो हैं पर जानकारी ज्यादा नही है।

स्वच्छ भारत अभियान क्यों महत्वपूर्ण है : एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो भारत सरकार द्वारा शहरों एवं गाँवों की सफाई हेतु शुरू किया गया है। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों तथा सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढंाचे में परिवर्तन आदि शामिल हैं। तालिका ०२ द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि बरेली के लोगों की दृष्टि में स्वच्छ भारत अभियान क्यों महत्वपूर्ण है।

सारिणी संख्या : ०२

स्वच्छ भारत अभियान की महत्ता

महत्ता	आवृत्ति	प्रतिशत
लोगों में स्वच्छता सम्बन्धी आदतों का विकास करने के लिए	२८	२८
कचरा मुक्त वातावरण बनाने के लिए	२४	२४
खुले में शौच मुक्ति के लिए	२६	२६
देश की छवि सुधारने के लिए	२२	२२
योग	१००	१००

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की राय में लोगों में स्वच्छता सम्बन्धी आदतों का विकास करने के लिए यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रतिशत अन्य तथ्यों की तुलना में सर्वाधिक २८ प्रतिशत है वहीं २४ प्रतिशत लोगों का मानना है कि यह अभियान कचरा मुक्त वातावरण हेतु अति आवश्यक है एवं २६ प्रतिशत लोगों के अनुसार इस अभियान की महत्ता खुले में पूर्ण शौच मुक्ति से है वहीं २२ प्रतिशत लोगों का मानना है कि ये अभियान देश की छवि सुधारने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि यह अभियान विभिन्न पहलुओं के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण है।

स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं : प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस अभियान से जुड़कर किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है इसी तथ्य को उजागर करने हेतु निम्न तालिका को प्रदर्शित किया गया है :

सारिणी संख्या : ०३

स्वच्छ भारत अभियान में आपके योगदान का स्वरूप

योगदान का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वयं को जोड़कर	३५	३५
लोगों को जागरूक करके	२२	२२
स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करना	१५	१५
दूसरे शहरों से सीख लेकर	१८	१८
प्लास्टिक उत्पादों का निषेध करके	१०	१०
योग	१००	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक ३५ प्रतिशत लोगों का मानना है कि यदि वे स्वच्छ भारत अभियान से अपने आप को जोड़ते हैं तो काफी हद तक इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। वहीं २२ प्रतिशत लोगों का मानना है कि यदि लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक किया जाये तो वह भी इस अभियान से जुड़कर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। जबकि १५ प्रतिशत लोगों की राय यह भी है कि इन सबके साथ-साथ यदि स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों का समय-समय पर गली-मोहल्लों, स्कूल-कालेजों, गोष्ठी, सेमीनार, पेंटिंग एवं रैली तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से आयोजित किया जाये तो काफी हद तक इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। वहीं १८ प्रतिशत लोगों का मानना है कि यदि हम दूसरे शहरों, विशेष रूप से टॉप-१० की सूची में शामिल से सीख लेकर वे इस अभियान से जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। वहीं मात्र १० प्रतिशत लोगों का मानना है कि स्वच्छ वातावरण हेतु पॉलीथिन एवं प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होना चाहए। अर्थात पालीथिन प्रयोग नहीं कराना चाहिए।

इस प्रकार विभिन्न लोग अपने-अपने तरीके से इस अभियान से जुड़कर अपना योगदान देना चाहते हैं क्योकि कहीं न कहीं इससे देश का विकास जुड़ा हुआ है।

स्वच्छ भारत अभियान की धीमी गति के लिए उत्तरदायी कारक : जहाँ एक तरफ लोग इस अभियान से जुडकर इसे सफल बनाना चाहते हैं और योगदान देने के विभिन्न तरीके सुझाते हैं वहीं काफी जगह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश (बरेली) में स्वच्छ भारत अभियान की गति काफी धीमी है। इस सारणी के माध्यम से ये जानने का प्रयत्न किया गया

है कि बहुत धीमी गति के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं।

सारिणी संख्या : ०४

अभियान की धीमी गति के लिए उत्तरदायी कारक

उत्तरदायी कारक	आवृत्ति	प्रतिशत
सफाई के प्रति उदासीनता	४२	४२
संसाधनों की कमी	१८	१८
जागरूकता का अभाव	१३	१३
सरकारी मशीनरी की शिथिलता	२०	२०
अन्य	०७	०७
योग	१००	१००

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक ४२ प्रतिशत लोगों का मानना है कि साफ-सफाई के प्रति लोगों की उदासीनता स्वच्छ भारत अभियान की धीमी गति के लिए उत्तरदायी है वहीं १८ प्रतिशत लोगों का मानना है कि नगर-निकाय संसाधनों की कमी कहीं न कहीं इस अभियान की सफलता में बड़ी रुकावट है। इसके अलावा १३ प्रतिशत लोग ये भी मानते हैं कि लोगों में जागरूकता का अभाव हैं यदि लोगों को जागरूक किया जाये तो काफी हद तक इस अभियान की धीमी गति को रफ्तार दी जा सकती है। वहीं २० प्रतिशत लोगों का मानना है कि सरकारी मशीनरी का ढुलमुल रवैया इसकी धीमी गति का प्रमुख कारक है। इसके अतिरिक्त ७ प्रतिशत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन कारकों के अतिरिक्त अन्य कारकों को धीमी गति के लिए उत्तरदायी माना है जैसे नेताओं एवं सेलीब्रेटीज द्वारा केवल एक बार झाडू लगाने एवं मीडिया की खबरों में छाना, कारखाना केमिकल्स एवं स्वच्छ जल का अभाव आदि अन्य कारक उत्तरदायी है।

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तगर्त बरेली की वर्तमान स्थिति : वर्तमान में बरेली में स्वच्छ भारत अभियान की वास्तविक स्थिति कैसी हो इसका जबाब ढूढनें के लिए निम्न तालिका का निर्माण किया गया है।

सारिणी संख्या : ०५

बरेली की वर्तमान स्थिति

बरेली की वर्तमान स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छी	१०	१०
बहुत अच्छी	०७	०७
ठीक-ठाक	५७	५७
खराब	२६	२६
योग	१००	१००

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि बरेली में स्वच्छ भारत अभियान की स्थिति बहुत अच्छी नही है तभी तो अधिसंख्यक ५७ प्रतिशत लोगों ने माना है कि बरेली की स्थिति बस ठीक-ठाक है। वहीं २६ प्रतिशत लोगों ने माना कि बरेली की स्थिति बहुत खराब है तभी तो बरेली टॉप-२५० तक में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। परन्तु १० प्रतिशत लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि बरेली की वर्तमान स्थिति अच्छी है, वहीं ०७ प्रतिशत ने कहा कि बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने बरेली की स्थिति अच्छी और बहुत अच्छी बताई वे लोग शायद पॉश एरियाज में रहते हैं।

बरेली के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्टसः

०१. बरेली के बार्ड नं ३६ में महीनों से नालियों की सफाई तक नहीं हुई है जिसकी वजह से नालियाँ गन्दगी से बजबजा रही हैं। नालियों से निकलकर कीड़े-मकोड़े घरों तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन दूभर हो गया है।[१५]

०२. बरेली के आलापुर गाँव में एक नव विवाहिता ने ससुराल छोड़ कर शर्त रख दी कि जब तक शौचालय नहीं बनेगा तब तक वह ससुराल में नहीं रहेगी। आखिरकार बहू की बातों से शर्मिंदा होकर ससुराल वालों ने घर में ही शौचालय बनवाया।[१६]

०३. पिछले दिनों दौरे पर आये मुख्य सचिव चंचल तिवारी ने जाँच में पाया कि बरेली में काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले शौचालय केवल कागजों पर ही बन कर तैयार हो गये। ६० शौचालय ऐसे थे जिनका निर्माण केवल कागजों पर किया गया था जबकि जमीनी धरातल पर एक भी नहीं बना था ऐसी है बरेली की तस्वीर।[१७]

०४. स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपये खर्च करके डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन स्कीम चलाई जा रही है, परन्तु फिर भी बरेली शहर के बानखाना में गन्दगी का अंबार लगा हुआ है। डेरियों का गोबर नालियों में बहाया जा रहा है जिसकी दुर्गंध से बचने के लिए लोगों ने अपना रास्ता ही बदल लिया है और जो नहीं बदल सकते हैं वे उन्हीं रास्तों पर चलने को मजबूर हैं।[१८]

०५. एक स्थानीय समाचार पत्र की रिर्पोट के अनुसार खुले में शौच जाने और गन्दगी की बजह से 'हुकवर्म' महिलाओं का खून चूस रहा है। इसके अलावा महिलाओं के साथ जबरदस्ती, छेड़छाड़ एवं बलात्कार की समस्या निरन्तर बढ़ रही है।[१९]

०६. पीने को नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी शीर्षक के अन्तर्गत छपी रिर्पोट के अनुसार लोगों को पीने के लिए स्वच्छ

पानी तक नहीं मिल रहा है।[२०]

सुझाव : बरेली के संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता एवं प्रगति हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:-

०१. स्वच्छ भारत अभियान एक व्यापक आन्दोलन है इसके लिए लोगों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।

०२. कचरा प्रबन्धन एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन के लिए विशेष रणनीति बनानी चाहिए।

०३. सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के विशेष प्रबन्ध एवं रख-रखाव की आवश्यकता है।

०४. डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

०५. गन्दगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए।

०६. कूड़े के निस्तारण हेतु सॉलिड वेस्ट प्लांट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए।

०७. मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होने चाहिए ताकि लोग सफाई हेतु प्रेरित हो सकें।

०८. मध्य प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल जैसे शहरों से सीख लेनी चाहिए। वहां सड़कों एवं बाजारों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कूडेदान रखे गये हैं। विभिन्न फ्लैक्स, पोस्टर एवं लाउडस्पीकर से निवेदन किया जाता है कि लोग अपने शहर को साफ एवं स्वच्छ रखें।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विशलेषण से स्पष्ट होता है कि वास्तव में शहर की तस्वीर निराशाजनक है। स्वच्छता सर्वेक्षण २०१७ की रिर्पोट में बरेली ने स्वच्छता अभियान में काफी पिछड़ा स्थान प्राप्त किया है इससे ये साबित होता है कि हमें बहुत ज्यादा होमवर्क एवं हार्डवर्क की आवश्यकता है। इस पिछड़ेपन के लिए जितने हम लोग उत्तरदायी हैं उससे भी अधिक, नगर निकायों के अफसर एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं।

आज जरूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक रुख की। सम्बन्धित मशीनरी के पूर्ण सहयोग के साथ लोगों में पूर्ण जागरूकता की ताकि सरकारी प्रयासों का लोगों द्वारा समर्थन एवं सहयोग किया जाये। इस शोध पत्र के माध्यम से ये विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले समय में बरेली समस्त सर्वेक्षण रिपोर्टस एवं रैंकिंग में अपना उच्चतम स्थान बनायेगा, तभी स्वच्छ भारत अभियान का सपना सार्थक सिद्ध हो पायेगा।

संदर्भ

०१. "Swach Bharat Campaign Should become mass movement : Narendra Modi" The Economic Times, Retrieved 2 Oct, 2014.

०२. "PM Reviews preparations for launch of Mission 'Swach Bharat' The Economic Times, Retrieved 7 Oct, 2014.

०३. www.pmindia.gov.in

०४. https//hin.m.wikipedia.org.>wiki Swachh Bharat Mission

०५. हिन्दी की दुनिया.com

०६. www.narendramodi.in>pm.launch 'swm'.

०७. 'स्वच्छता सर्वेक्षण-२०१७' की रिर्पोट के अनुसार

०८. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय रिर्पोट 'स्वच्छ भारत' रैकिंग में पहले १० पायदान वाले शहर - ४ मई, २०१७

०९. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय रिर्पोट 'स्वच्छ भारत' रैकिंग में आखिरी १० पायदान वाले शहर - ४ मई २०१७

१०. गॉव कनेक्शन - स्वच्छ भारत अभियान : मुख्यमंत्री योगी ने उठाई झाड़ू चलाया सफाई अभियान, ६ मई, २०१७

११. 'स्वच्छता सर्वेक्षण-२०१७ की रिर्पोट के अनुसार

१२. 'स्वच्छता सर्वेक्षण - इन बजहों से पिछड़ गया यू.पी., मिथलेश कुमार की रिर्पोट, ४ मई, २०१७

१३. 'स्वच्छता सर्वेक्षण-२०१७' की रिर्पोट के अनुसार

१४. शीर्षक उत्तर प्रदेश के हालात 'स्वच्छ भारत अभियान' दैनिक जागरण ६ मई, २०१७, पृ. ०१

१५. शीर्षक 'गन्दगी ने रहना कर दिया दूभर' दैनिक जागरण ६ मई, २०१७, पृ. ०४

१६. शीर्षक 'शौचालय नहीं बनबाने पर छोड़ दी ससुराल' दैनिक जागरण ८ मई, २०१७, पृ. ०५

१७. शीर्षक 'कागजों तक सोच, खुले में शौच' दैनिक जागरण ५ मई, २०१७, पृ. ०४

१८. शीर्षक 'बदबू से बचने के लिए बदल दी राह' दैनिक जागरण १७ अप्रैल, २०१७, पृ. ०६

१९. शीर्षक 'हुकवर्म महिलाओं का खून चूस रहा है' अमर उजाला १२ अप्रेल, २०१७, पृ. ०५

२०. शीर्षक 'पीने को नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी' हिन्दुस्तान १७ मार्च, २०१७, पृ. ०३

ग्रामीण समाज में जनसंचार साधनों का बढ़ता उपयोग

❑ डॉ० अनीता सिंह

"सांप्रत भारत में आधुनिक संचार माध्यमों जिनमें मुख्यतः टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो, इण्टरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, कम्प्यूटर, लैपटाप हैं इनका प्रसार ग्रामीण लोगों के बीच हो रहा है। ग्रामीणजनों के सोचने विचारने का तरीका, नैतिक दृष्टि, आकांक्षाएं व विश्वासों में बदलाव आया है। संचार माध्यम ग्रमीण समाज में ग्रामीण जन को आकर्षित करता है, सोचने समझने पर मजबूर करता है, उनके विभिन्न तौर तरीकों में परिवर्तन लाता है और उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक स्तर को ऊँचा कर अन्ततः उन्हें सामाजिक विकास की दिशा में अग्रसर करता है। संचार माध्यम से प्रभावित होने के तरीके हैं "देखकर, सुनकर और पढ़कर।" प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण समाज में जनसंचार साधनों के बढ़ते हुए उपयोग की समाजशास्त्रीय व्याख्या का एक प्रयास है।

भारत में संचार माध्यमों का प्रसार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ कस्बों एवं शहरों में इनका प्रसार द्रुत गति से हुआ है वहीं ग्रामीण समाज में भी इनका प्रसार बढ़ रहा है। यद्यपि ग्रमीण समाज में देखा जाय तो परम्परागत संचार साधनों का अभाव अब नहीं रहा है बल्कि यह कहा जाय कि परम्परागत संचार माध्यम ग्रामीण समाज में धरोहर हैं या पर्याय हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक संचार माध्यम जिनमें मुख्यतः टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो, इण्टरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, कम्प्यूटर, लैपटाप हैं इनका प्रवेश ग्रमीणों के बीच हुआ है।[1] ग्रामीण जन के सोचने विचारने का तरीका, नैतिक दृष्टि, आकांक्षाएं व विश्वासों में बदलाव आया है। बदलाव की ये स्थिति उसे परम्परावादी से आधुनिक एवं गतिशील बनाती है। परम्परागत संचार साधन जैसे कथा-कीर्तन, रास-लीला, रामलीला, लोक नृत्य, लोक संगीत, नौटंकी, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, भाषण, प्रवचन इत्यादि हैं। ये सभी संचार साधन ग्रामीण समाज में विरासत के रूप में पहले से ही मौजूद हैं जो ग्रामीण संस्कृति की उपज है जिसकी मौलिकता तथा विश्वसनीयता अटूट है। लोक कलाओं का उद्भव और विकास अनपढ़, अकृत्रिम ग्रामीण जनता के बीच हुआ। उद्भव के पारम्परिक माध्यम देशवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक जीवन के अत्यन्त करीब होते हैं। इनकी विषयवस्तु जनसामान्य की परम्परा एवं रीति-रिवाजों से सम्बन्धित होती है।[2]

ग्रामीण परिवेश में जनसचांर के माध्यमों के द्वारा पाठको, श्रोताओं और दर्शकों से तारतम्य स्थापित कर पाना आसान होता है। एम०वी० देसाई ने 'कम्युनिकेशन पालिसीज इन इण्डिया' में स्पष्ट किया है कि परम्परागत संचार माध्यम सामाजिक सद्‌गुणों, संवेदनाओं, विचारों, अन्तर्सम्बन्धों इत्यादि को अभिव्यक्त करते थे। मुख्यतः परम्परागत संचार का उद्‌देश्य व्यवसायिक न होकर मनोरंजन और संप्रेषण था और वह पूजा की पद्धति से भी जुड़ा था। यह सामाजिक गतिविधियों से सम्बद्ध था तथा समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।[3] सामाजिक दायित्व और एकता की स्थापना में परम्परागत संचार माध्यमों का योगदान अभूतपूर्व रहा है। पारम्परिक संचार माध्यमों का विस्तार आधुनिक संचार माध्यमों तक है। पारम्परिक और आधुनिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग आज जनसचांर का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है जिसे 'मीडिया मिक्स' की संज्ञा दी जा सकती है। इस माध्यम से सम्मिश्रण में पारम्परिक और नवीन माध्यमों को एक साथ संचार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।[4] भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा राज्यसरकारों की क्षेत्रीय प्रचार अभियान इकाइंया जहाँ एक ओर लोक-नृत्यों और लोक-नाटकों द्वारा प्रचार करते हैं वहीं फिल्म, विडियों दिखाकर अपने कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाती है। पारम्परिक संचार शैली जहाँ जनता की भाषा में विचारों का संप्रेक्षण लोकरूचि के अनुसार करती है वहीं आधुनिक संचार शैली में हर नई प्रणाली को पुराने तौर - तरीकों पर ही आरोपित किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान संचार जगत में परम्परागत एवं आधुनिक दोनों शैलियां एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। बावजूद इसके समुदाय संचार व्यवस्था में परम्परागत माध्यमों की भूमिका अक्षुण्य है।[5] आकाशवाणी और दूरदर्शन पारम्परिक माध्यमों को विस्तार देने का कार्य करते हैं। अतएव परम्परागत

❑ एसोशिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, एम०बी०राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

संचार के माध्यम ग्रामीण समाज में एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपना स्थान बनाये हुये हैं। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रमुख पारम्परिक संचार साधनों की प्रमुखता है तो कुछ क्षेत्रों में अन्य संचार साधनों की प्रमुखता है परन्तु किसी न किसी रूप में यह प्रभावी अवश्य है।[६]

एक विकासशील देश का ग्रामीण वातावरण बहुत सारे विरोधाभास लिये होता है। एक साथ कई तरह के सामाजिक घटक आपस में टकराते हुए आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरणार्थ अंधविश्वास, परम्परा, साक्षरता-निरक्षरता, जादू-टोना, मिथ्याभिमान आदि संघर्षरत होते हैं। फलतः विकास तो होता है लेकिन इसकी गति धीमी व दिशाहीन होती है। ऐसी स्थिति में संचार माध्यमों का ग्रामीण लोगों में प्रवेश उनके दिलोदिमाग में उथल-पुथल पैदा करता है। लोग सही निर्णय नहीं ले पाते। यद्यपि आधुनिक संचार माध्यम अपने आप में यथार्थ लिये होता है परन्तु ग्रामीण लोगों के लिए यह अजबूा ही होता है। कुछ लोग इसका अंधानुकरण करते हैं तो कुछ लोगों के लिए यह मनोरजंन का विषय होता है। ऐसे लोग अच्छी खासी संख्या में हैं जो इससे कुछ सीखते हैं और वास्तविक जीवन में भी इसे प्रयोग में लाते हैं। संचार माध्यम से प्रभावित होने के तरीके हैं - देखकर, सुनकर और पढ़कर। खासकर सामान्य या विशेष रूचि के साथ इसका अनुभव प्राप्त करके। यह प्रभाव व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकता है। इसके अंतर्गत अध्ययन का विषय होता है कि संचार माध्यम का प्रभाव क्षेत्र कितना है और किस हद तक व्यक्ति या समूह इससे प्रभावित होता है। किसी समाज पर संचार माध्यमों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सामाजिक स्तरीकरण कैसा है? आर्थिक स्थिति कैसी है? साथ ही उस क्षेत्र के व्यक्तियों की आय, शिक्षा व सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना भी इसे काफी हद तक प्रभावित करती है। समाजशास्त्री मिश्रा के अनुसार ऐसा देखा गया है कि शिक्षित तथा अच्छी आय वाले लोगों की संचार माध्यम तक अच्छी पहुँच होती है। यही कारण है कि गाँवों की अपेक्षा इसका प्रचार-प्रसार शहरों से अधिक हुआ है।[७] विभिन्न संचार माध्यमों की विषय-वस्तु भिन्न-भिन्न होती है चाहे वह समाचार पत्र हो, रेडियो हो या टेलीविजन खास श्रोताओं या दर्शकों को ध्यान में रखकर इसकी विषय सामग्री तैयार की जाती है। कुछ कार्यक्रम क्षेत्र विशेष के लिए तैयार किए जाते हैं तो कुछ राष्ट्रीय स्तर तो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्वभावतः कार्यक्रम के अनुरूप ही दर्शक या श्रोता या पाठक इससे प्रभावित होते हैं।[८] संचार माध्यम ग्रमीण समाज में ग्रामीण जनों को आकर्षित करता है, सोचने समझने पर मजबरू करता है, उनके विभिन्न तरीकों में परिवर्तन लाता है और शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक स्तर को ऊँचा कर अन्ततः सामाजिक विकास करता है। अतः वह उद्देश्यों की परिणति को प्राप्त होता है।[९]

अध्ययन के उद्देश्य

१ जनसचांर के साधनों एवं उसके प्रयोग के प्रति ग्रामीण समाज में रहने वालों की सामान्य अभिवृत्ति को जानना।

२ ग्रामीण समाज में आधुनिक संचार साधनों में रूचि को जानना।

शोध प्रारूप :- प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प लिया गया है। शोध हेतु निर्दशितों के चयन में निर्दशन पद्धति की सहायता ली गयी है। अध्ययन में उधम सिहं नगर के रूद्रपुर ब्लाक के ग्रामों का चयन किया गया है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा चार ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित चार ग्रामों के कुल परिवारों की संख्या १२५८ है। प्रत्येक गाँव से २५ प्रतिशत परिवारों का समानुपातिक दैवनिदर्शन के आधार पर ३१५ परिवारों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। इन ग्रामों का विवरण इस प्रकार है :- भूरा रानी, दिनेशपूर, बिन्दु खेड़ा, जयनगर। प्राथमिक आकड़ों के संग्रह के लिए उत्तरदाताओं से सूचनाएँ साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन विधि के द्वारा संकलित की गयी हैं। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक विधियों से विश्लेषण द्वारा वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त कर अध्ययन विषय की अर्थपूर्ण व्याख्या की गयी है।

सारणी संख्या-१

मोबाइल फोन प्रयोग

मोबाइल का प्रयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	२३६	७४.९२
नहीं	७९	२५.०८
कुल योग	३१५	१००.००

सारणी संख्या १ से स्पष्ट होता है कि कुल ३१५ उत्तरदाताओं में से २३६ (७४.९२ प्रतिशत) उत्तरदाता मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तथा ७९ (२५.०८ प्रतिशत) उत्तरदाता मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करते हैं। सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश ग्रामीण उत्तरदाता मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं।

सारणी संख्या-२

प्रयोग किये जाने वाले मोबाइल फोन के प्रकार

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
साधारण मोबाइल	१९८	६२.८६
स्मार्ट फोन	३८	१२.०६
फोन का प्रयोग नहीं	७९	२५.०८
कुल योग	३१५	१००.००

सारणी संख्या २ से स्पष्ट होता है कि कुल ३१५ उत्तरदाताओं में से १९८ (६२.८६ प्रतिशत) उत्तरदाता साधारण मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। ३८ (१२.०६ प्रतिशत) उत्तरदाता स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हैं तथा ७९ (२५.०८ प्रतिशत) उत्तरदाता मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करते हैं। उपर्युक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि साधारण मोबाइल फोन प्रयोग करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक है एवं स्मार्ट फोन प्रयोग करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत कम है।

सारणी संख्या-३

समाचार पत्रों के प्रति अभिरूचि

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
नियमित	५७	१८.१०
कभी-कभी	१२४	३९.३७
कभी नहीं	१३४	४२.५४
कुल योग	३१५	१००.००

सारणी संख्या ३ से स्पष्ट होता है कि कुल ३१५ उत्तरदाताओं में से ५७ (१८.१० प्रतिशत) उत्तरदाता नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते हैं। १२४ (३९.३७ प्रतिशत) उत्तरदाता कभी-कभी समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा १३४ (४२.५४ प्रतिशत) उत्तरदाता समाचार पत्र कभी नहीं पढ़ते हैं। सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नियमित रूप से समाचार-पत्र पढ़ने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है।

सारणी संख्या-४

प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी के स्त्रोत

स्त्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
टी.वी./रेडियो	९८	३१.११
समाचार पत्र	१२८	४०.६३
वार्तालाप	८९	२८.२५
कुल योग	३१५	१००.००

सारणी संख्या ४ से स्पष्ट होता है कि कुल ३१५ उत्तरदाताओं में से ९८ (३१.११ प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी टी.वी./रेडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं। १२८ (४०.६३ प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा ८९ (२८.२५ प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी वार्तालाप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सारणी के सामान्य अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी सबसे ज्यादा उत्तरदाता समाचार पत्र से प्राप्त करते हैं एवं उसके बाद टी.वी./रेडियो से प्राप्त करते हैं एवं सबसे कम उत्तरदाता वार्तालाप के माध्यम से प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं।

सारणी संख्या-५

टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रति आकर्षण

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
नियमित	९७	३०.७९
कभी-कभी	१९५	६१.९०
कभी नहीं	२३	७.३०
कुल योग	३१५	१००.००

सारणी संख्या ५ से स्पष्ट होता है कि कुल ३१५ उत्तरदाताओं में से ९७ (३०.७९ प्रतिशत) उत्तरदाता नियमित रूप से टेलीविजन पर कार्यक्रमों को देखते हैं। १९५ (६१.९० प्रतिशत) उत्तरदाता टेलीविजन पर कार्यक्रमों को कभी-कभी देखते हैं तथा २३ (७.३० प्रतिशत) उत्तरदाता टेलीविजन पर कार्यक्रमों को नहीं देखते हैं। सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टेलीविजन पर कार्यक्रम कभी-कभी देखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक है एवं टेलीविजन पर कार्यक्रम कभी नहीं देखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है।

निष्कर्ष :- संचार के नवीन उन्नत साधनों जो कि एक प्रभावशाली प्रौद्योगिकीय कारक हैं, के विकास ने अनेक जटिल सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। संचार के नवीन एवं उन्नत साधनों के विकास ने जीवन को काफी गतिशील बना दिया है। अब इन उन्नत साधनों के फलस्वरूप स्थानीय दूरी कम हुई है तथा साथ ही साथ ग्रामीण और नगरीय जीवन का भेद कुछ कम हुआ है। आज ग्रामीणजनों में प्रत्येक युवा एवं घर के सदस्य के हाथों में मोबाइल का होना देखा जा सकता है। गाँवों में मोबाइल से बातचीत करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है। आधुनिक संचार माध्यमों में टेलीविजन एक महत्वपूर्ण संचार साधन है। दूरदर्शन ने शहरी दर्शकों के साथ-साथ ग्रमीण जनता पर भी अपना प्रभाव डाला है। आज देश के लाखों गाँवों में दूरदर्शन की पहुंच हो चुकी है। ग्रामीण समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा कुछ वार्तालाप के माध्यम से प्रतिदिन की

घटनाओं की जानकारी लेते हैं। ग्रमीण समाज में संचार साधनों का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है।

सन्दर्भ

१. श्रीवास्तव, दिनेश, "गाँव-गाँव को जोड़ती सूचना तकनीक", कुरूक्षेत्र, वर्ष ५५, अकं ६, अप्रैल २००६, पृ. १४
२. मिश्र, यतीश, 'ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार माध्यमों की स्थिति', नवम्बर, १६६२, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, नवम्बर १६६२, पृ. २३
३. राव, एम. एस. ए. "अर्बनाइजेशन एन्ड सोशल चेन्ज'', ओरियंट लांग्मैन्स, न्यू देहली, १६७०, पृ. ४६८
४. पातंजली, प्रेमचन्द्र, 'संचार सिद्धान्त की रूपरेखा', के०एल० पचौरी प्रकाशन, गाजियाबाद, १६६७, पृ. ६४
५. त्रिबंक, अलोने चन्द्रशेखर, "बदलता ग्रामीण परिवेश", इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम-४, ईश्यू-१२, जनवरी २०१५, पृ. ४
६. त्रिपाठी, रमेशचन्द्र, 'संचार माध्यम से लोक माध्यमों की भूमिका संचार माध्यम', भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली, जुलाई-सितम्बर, १६६५, पृ. ४६
७. सिम्स, एन. एल., "एलीमेण्टस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी", पब्लिशर थॅाम्से क्रोवेल कम्पनी, १६४०, पृ. ६७
८. तिवारी आकांक्षा एवं निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, "परिवार आधुनिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में", भारतीय सामाजिक विज्ञान, २००८, पृ. १६६-१७१
६. त्रिपाठी, राम सूरत, 'देश के विकास में अग्रसर दूरसंचार सेवाएं', कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, जून, १६६७, पृ. ५२

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी–जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

टेलीविजन एवं मीडिया द्वारा नकारात्मक विचारों के प्रसारण–प्रस्तुतीकरण की एक परिणति : समाज में व्याप्त आपराधिकता

❑ डॉ. दीपक गुप्ता
❖ डॉ. विवेक मेहता

"अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है" – सदरलैण्ड[1]

भारतीय दर्शन में श्रेष्ठ जीवन शैली के लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर अधिक बल दिया जाता था और इनका अनुसरण करते हुए हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन यापन करता था। लगभग एक हजार वर्षों की गुलामी ने भारतीय संस्कृति को छिन्न-भिन्न कर दिया जिसका परिणाम वर्तमान भारत में व्यक्ति का मात्र अर्थ प्रधान विचार रह गया है। समाज का हर एक व्यक्ति अर्थ की ओर भाग रहा है। धर्म लुप्तप्रायः हो गया है, काम का मूल उद्देश्य संतति प्राप्ति से विरूपित होकर वासना पर टिक गया और मोक्ष को लगभग लोग भूलने की स्थिति में हैं। हाँ, अर्थ सर्वोपरि हो गया है जिसे प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति उचित-अनुचित को बिना ध्यान में रखते हुए सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करते हुए सतत् प्रयत्नशील है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधनों के प्रयोग की अपेक्षा अनुचित साधनों का प्रयोग व्यक्ति को लक्ष्य से कहीं दूर ले जाता है, उसे लक्ष्य प्राप्ति से भटका देता है। यहीं से ही एक व्यक्ति में नकारात्मक भाव का प्राकट्य होता है और धीरे-धीरे वह विचलित व्यवहार की ओर उन्मुख होना प्रारम्भ करता है। नकारात्मक सोच मानसिक दिव्यांगता को जन्म देती है। नकारात्मकता के प्रभाव में धीरे-धीरे एक व्यक्ति समाज के रीति-रिवाज, परम्पराओं, लोकाचारों, आचार संहिताओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक मूल्यों, संस्कारों, नियमों और कानूनों की अवहेलना करने लगता है। समाज की सबसे छोटी इकाई एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण समाज के उत्थान में नकारात्मकता का कहीं कोई स्थान नहीं है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों, इन्टरनेट माध्यमों के साथ ही साथ टी.वी. चैनल्स पर जिन नकारात्मक भावों का चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके परिणामस्वरूप समाज में विघटन, असामाजिकता, अनैतिकता, दुराचार, पाप, अश्लीलता, विचलित व्यवहार और अपराध दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पत्रकारिता के सन्दर्भ में "नारद भक्ति सूत्र" में कहा गया है "दुःसङ्गः सर्वथैव त्याज्यः"[2] अर्थात् हर हाल में बुराई त्याग करने योग्य है उसका प्रतिपालन या प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। इसके ठीक विपरीत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इंटरनेट या टी.वी. चैनल्स पर सकारात्मक समाचारों के साथ ही साथ नकारात्मक समाचारों, चित्रों का प्रकाशन, विज्ञापन धड़ल्ले से किया जा रहा है ताकि समाज के लोग उनकी ओर आकर्षित हों और उन्हें अधिकाधिक अर्थ लाभ हो सके भले ही इससे समाज पर विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में टेलीवीजन एवं मीडिया द्वारा नकारात्मक विचारों

प्रकृति प्रदत्त गुण सकारात्मकता का भाव जागृत करता है जो शाश्वत एवं सार्वभौमिक है। नकारात्मक सोच मानसिक दिव्यांगता का ही एक उदाहरण है। समाज की सबसे छोटी इकाई एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण समाज के उत्थान में नकारात्मकता का कहीं कोई स्थान नहीं है। विज्ञान, आध्यात्म, साहित्य, भौतिक सुख-सुविधायें नकारात्मक भाव का परिणाम नहीं हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, इंटरनेट माध्यमों के साथ ही साथ टी.वी. चैनल्स पर जिन नकारात्मक भावों का चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप समाज में विघटन, अपराध, असामाजिकता, अनैतिकता, दुराचार, अश्लीलता, पाप जैसे विचलित व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में 'नारद भक्ति सूत्र' में, लिख है, दुःसंङ्गः सर्वथैव त्याज्यः अर्थात् हरहाल में बुराई त्याग करने योग्य है, उसका प्रतिपालन या प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिये। प्रकृति ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया साथ ही सब कुछ श्रेष्ठ ही दिया परन्तु मनुष्य की फितरत ने स्वयं को, समाज को कलुषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके नकारात्मक दृष्टिकोंण ही समस्याओं की मूल जड़ में हैं। नकारात्मक विचार भी बहुत हद तक इसके लिये जिम्मेदार हैं। भौतिकवादी विचारधाराओं से विमुख होकर पुनः आध्यात्मिक विचार दर्शन की ओर अग्रसर होना ही सकारात्मक भाव जागृत करना है।

❑ Asstt. Prof. Deptt. of Criminology & Forensic Science, Dr. Hari Singh Gaur Central University, Sagar (M.P.)
❖ Asstt. Prof. Deptt. of Criminology & Forensic Science, Dr. Hari Singh Gaur Central University, Sagar (M.P.)

का समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, विषय के केन्द्र बिन्दु में है। नकारात्मक समाचारों से तात्पर्य न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनलों या फिर इन्टरनेट पर फेसबुक अथवा वॉट्स-एप आदि से प्राप्त समाचार से कदापि नहीं है। अपितु यहां हर एक वह जानकारी जो समाज के युवाओं को, बच्चों या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति को विचलित व्यवहार की ओर अभिप्रेरित कर रही है हम उसे नकारात्मक विचार की श्रेणी में रख रहे हैं। साम्प्रदायिक दंगे, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, साईबर क्राइम पर लगभग सभी समाचार पत्रों, टेलीविजन, इन्टरनेट आदि पर जिस खूबी के साथ महिमा मंडन करते हुए चित्रण प्रस्तुत किया जाता है उसका सीधा और गहरा असर व्यक्ति की मनोदशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो उसे विचलित व्यवहारी बनाने में सहायक है।

साहित्य सर्वेक्षण - पत्रकारिता के सन्दर्भ में 'नारद भक्ति सूत्र' में कहा है - ''अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम''[३] अर्थात् वास्तविकता या सम्पूर्ण सत्य अवर्णनीय है। परन्तु हमारा प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर अन्य मीडिया उन वास्तविकताओं या उन सम्पूर्ण सत्यों को भी खोद-खोदकर समाज के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, जिनकी समाज में बच्चों, व्यस्कों, महिलाओं को आवश्यकता ही नहीं है। विदेशी साहित्य, विदेशी संस्कृति में पले बढ़े और पढ़े लोग भारतीय परिवेश को भूलकर ऐसी आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे समाज को गहरा संकट पैदा हो चुका है।

महाभारत युद्ध के समय संजय ईश्वर प्रदत्त दूरदृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को आँखों देखा हाल सुना रहा था। दुर्योधन और उसके समर्थन में जो युद्ध कर रहे थे उनकी मृत्यु अथवा घायल होने का समाचार धृतराष्ट्र के लिए नकारात्मक समाचार ही थे जिनके परिणाम स्वरूप वे विचलित होकर अनर्गल वार्ता और प्रतिक्रिया देना प्रारम्भ कर देते थे।[४]

न्यूट्रीशियन रिसर्च न्यूज लेटर, डायना एलजी बोरजेवोस्की और थॉमस एन रोबिन्सन द्वारा टी.वी. विज्ञापनों का प्री-स्कूलर पर खाद्य पदार्थों के प्रभाव पर जनवरी २००१ में शोध अध्ययन किया गया, जिसमें बच्चों का विज्ञापन देखकर बच्चों ने अपने अभिभावकों पर विज्ञापन में दिखाई वस्तु के लिए जिद की।[५]

सन् २००० में अमेरिकन साइक्लॉजिकल एसोसिएशन (एपीए) द्वारा गठित टास्कफोर्स ने अपने अध्ययन 'विज्ञापन मीडिया का बच्चों पर प्रभाव' में बताया कि कम उम्र के बच्चे विज्ञापन की अच्छाई बुराई से परिचित नहीं होते, किन्तु हानिकारक पदार्थों या वस्तुओं के प्रति उनकी ललक बढ़ती जा रही है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडिएट्रीशियन (एएपी) के अनुसार यूनाईटेड स्टेट्स में जो बच्चे एक दिन में ४ घंटे से ज्यादा टी.वी. देखते हैं, वे ओवरवेट या मोटापे का शिकार हो जाते हैं तथा जो बच्चे हिंसात्मक घटनाओं, दृश्यों आदि को देखते हैं, उनकी नजर में दुनियाँ बहुत ही भयानक हो जाती है और वे डरने लगते हैं।[६]

परितोष पाण्डे या शिवानी, विश्वद्वीप घोष या तरुण तेजपाल ग्लैमर की चकाचौंध में या फिर मौके का पूरा फायदा उठाने के फेर में पत्रकारिता के चौराहे से उस मोड़ पर मुड़ जाते हैं, जहां से स्कैण्डल या जरायम की दुनिया शुरू होती है।[७]

समाज पर टी.वी. के नकारात्मक प्रभाव - सिक्के का एक पहलू यदि टेलीविजन के समाज पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में परिलक्षित होता है तो निःसंदेह इसका दूसरा पहलू समाज पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में हमारे बच्चों, युवाओं एवं मातृशक्ति को विचलित कर आपराधिकता की ओर अग्रसर करता है। यहाँ कुछ नकारात्मक प्रभावों को निम्नवत् देख सकते हैं।

१. उपभोक्ता व्यवहार - विज्ञापन व्यापार का आधार है। विज्ञापन एक छोटे बच्चे के जीवन के तीसरे वर्ष से ही उत्पाद की प्राथमिकताओं को बदल सकते हैं। छोटे बच्चे कार्यक्रम और वाणिज्यिक के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं और बाहर खरीददारी के समय उसकी सहायता लेते है। केवल ११-१८ वर्ष की उम्र के बीच के अनुभव के आधार पर बच्चे उत्पादों के बारे में अतिरंजित तथ्यों को समझते हैं। बच्चे हर वर्ष हजारों विज्ञापन देखते हैं और उन्हें विज्ञापन में दिखाई गयी प्रत्येक वस्तु आदर्श दिखती है। जिसे वे तुरंत खरीदना चाहते हैं। १८ वर्ष से कम आयु के बच्चे विज्ञापन को समझते नहीं हैं कि प्रत्येक विज्ञापन सामग्री बेचने के लिये है। ६ वर्ष के बच्चे व उससे कम उम्र के बच्चे कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों की सामग्री को विशेष रूप से अलग करने में अक्षम होते हैं। विज्ञापन में उनका पसंदीदा किरदार उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है तो बच्चे और अधिक प्रभावित होते हैं। आपराधिक गतिविधियों वाले सीरियल, विज्ञापन, समाचार बच्चों को आपराधिकता की ओर उत्प्रेरित करते हैं।[८]

हाँ यह सत्य है कि व्यापार के सभी विज्ञापन प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना लगभग असंभव है। लेकिन एक निश्चित समय के लिए टेलीविजन को कम से कम बंद कर सकते हैं और बच्चों के टेलीविजन देखने का समय निर्धारित कर सकते हैं। व्यापारी अपने उत्पादों को बेचने के लिये और लोगों को उसकी जरूरत अनुभव करवाने के लिये ही विज्ञापन डिजाइन करवाते हैं। ये विज्ञापन व्यक्तियों के ऊपर खासतौर पर बच्चों

पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि जिनके पास वह उत्पाद होगा तो उसे खुशी देगा, समाज में सम्मान देगा। लेकिन वास्तविकता में यह सब व्यर्थ ही होता है। बच्चों को विज्ञापन की वास्तविकता के संदर्भ में समझाना इस दिशा में बहुत हद तक सहायक हो सकता है ताकि वे विचलित न हों क्योंकि विचलन, आपराधिकता की प्रथम सीढ़ी है।

२. सामाजिक व्यवहार – टेलीविजन कार्यक्रम और धारावाहिक असामाजिक आशय से भरे होते हैं जिनके कारण बच्चे जो ज्यादा टेलीविजन देखते हैं उन को घर में माता-पिता द्वारा दिये गये संस्कार और मूल्य काफी हद तक धुंधले पड़ जाते हैं। बच्चों को टेलीवीजन में जो दिखाया जाता है उससे बच्चे की समाज के संदर्भ में विश्वास और समझ काफी हद तक बदल जाती है जो वास्तविकता से परे कल्पना जगत की ओर अग्रसर करती है। बच्चों का परम्पराओं, रीति-रिवाजों, प्रतिमानों, लोकाचारों, नियम कायदे, कानून एवं सामाजिक मूल्यों तथा संस्कारों पर से विश्वास कम करता है जो समाज के लिये बहुत गम्भीर खतरा है। सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, शराब, ड्रग्स आदि पर इलेक्ट्रानिक मीडिया ऐसी सामग्री परोस रहे हैं जिनका दुष्परिणाम सामाजिक व्याधिकी के रूप में परिलक्षित हो रहा है।[९]

३. आक्रोश एवं अपराध – औसतन दो लाख बच्चों द्वारा टेलीविजन विभिन्न प्रकार के आपराधिक व्यवहार के कार्यक्रम देखे जाते हैं। टेलीविजन में दिखाई जाने वाली हिंसा का प्रदर्शन और उसका बढ़ावा बहुत अधिक प्रभावित तरीकों से दिखाया जाता है जिससे लोग उसे ध्यान से देखें। बच्चे उन हिंसक कृत्यों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनमें उनके पसंदीदा किरदार काम करते हैं। बच्चे इस बात को जानते हैं कि वह व्यवहार ठीक नहीं है फिर भी वो पसंदीदा किरदार की भांति उस व्यवहार को करना चाहते हैं और करते भी हैं इस तथ्य को जानते हुए भी कि वह इस प्रकार के व्यवहार से सजा पाने के हकदार होंगे। दर्शक के रूप में छोटे बच्चों का मस्तिष्क टेलीवीजन पर दिखाये जाने वाले हिंसक कृत्यों से शिक्षा लेता है क्योंकि वे कम अनुभवी होते हैं। वे वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं कर सकते इस कारण वे हिंसक व्यवहार और सोच की कापी करने की सोचते हैं और करते हैं। वे बच्चे लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग टेलीविजन पर दिखाये जाने वाली कृत्यों से अधिक हिंसा सह सकें और वे स्वयं भी ऐसा कर सकें। ये परिस्थितियाँ एक बच्चे के उचित समाजीकरण में बाधा का कार्य करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया उचित ढंग से नहीं होगी तो वह विचलित व्यवहारी होकर अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है।[१०]

४. डर – टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले चित्र बच्चों को अपनी चपेट में लेकर उनके मस्तिष्क पर आघात करते हैं। शोध के अनुसार २-७ वर्ष की आयु के बच्चे भयभीत दिखने वाली चीजों से ज्यादा डरते हैं। यहाँ तक कि जिन बातों से सामान्यतः नहीं डरना चाहिये उन स्थितियों में भी ऐसे बच्चे भयग्रस्त नजर आते हैं। साधारणतः बच्चों को यह बताना कि यह वास्तविकता नहीं है उन्हें सांत्वना नहीं देता क्योंकि वे बच्चे वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं कर सकते। ८-१२ आयु के बच्चे हिंसा के खतरे और प्राकृतिक आपदाओं तथा बच्चों के प्रति अत्याचार से डरते हैं। ये सारी सामग्री टेलीवीजन पर जो दिखायी जाती है वह उपन्यास के आधार पर हो या समाचार के रूप में वास्तविकता के आधार पर बच्चों के मन-मस्तिष्क पर बहुत बुरा गहरा असर डालती हैं। वह जीवन भर उसे अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारियों का शिकार बना देती है जो एक असामान्यता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यही असामान्यता अपराध का एक कारण हो सकती है। यहाँ तक शक्ति से बच्चों से बात करना तथा उन्हें आश्वस्त करना और सच्ची जानकारी देना उनके डर को कम करने में सहायक हो सकती है।[११]

५. जोखिम भरा व्यवहार– टेलीविजन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व विज्ञापनों से भरा पड़ा है जो बच्चों को आकर्षित करता है, उन्हें शांत कर मजा दिलाता है। तथा रोमांचित करता है। परंतु इस संदर्भ में कोई संवाद नहीं होता कि शराब अथवा ड्रग्स लेने का क्या नतीजा होगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया जोर-जोर से शराब, सेक्सुअल समस्याओं को लाग-लपेट कर लोगों के सामने कभी समाचार के रूप में तो कभी सनसनी, हादसा, सावधान इंडिया के रूप में प्रस्तुत करता है। अध्ययन बताते हैं कि टीन एजर्स इस तरह के इंटरकोर्स या सेक्सुअल व्यवहारों को भिन्न माध्यमों से देखने में रूचि लेते हैं और करके भी देखते हैं। शराब या सिगरेट का विज्ञापन भले ही टेलीविजन पर बंद हो लेकिन बच्चे व किशोर स्मोकिंग या ड्रिंक करते हुए देख लेते हैं खासतौर से टेलीविजन कार्यक्रमों और मूवी में देखते हैं। ऐसे उत्पादों का विज्ञापन स्मोकिंग और अल्कोहल को बढ़ावा देता है और इससे समाज में बच्चों व किशोरों में इसके प्रति अभिरूचि बढ़ती है। जो बच्चे ५ घंटे से ज्यादा समय प्रतिदिन टेलीविजन देखते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं उन बच्चों की तुलना में जो दो घंटे प्रतिदिन टेलीविजन देखते हैं। उपर्युक्त समस्त परिस्थितियाँ बच्चों में विचलनकारी व्यवहार को बढ़ावा देती

हैं जो अपराध का एक कारक है।[12]

रूढ़ीबद्धता- बच्चे ही भविष्य में समाज में वयस्क आदमी तथा औरत की भूमिका का निर्वहन करते हैं। कुछ वर्षों में दोनों ही वयस्कों की भूमिका में बहुत परिवर्तन आया है। टेलीवीजन कार्यक्रमों में नारी को यंग, अट्रेक्टिव, डिपेंडेंट व उत्पीड़ित दर्शाया जाता है। सांस्कृतिक विचारधारा वाली नारी को कमजोर दिखाकर अभी भी समाज में दबाव बनाया जाता है। ज्यादातर ऐसी महिलाओं को आक्रोश और हिंसा द्वारा दबोचकर प्रदर्शित करते हैं। ऐसा टेलीवीजन में दिखने वाले शायद स्वयं मानसिक रूप से विकलांग हैं। उन्हें भारतीय नारी शक्ति का अहसास ही नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम या विज्ञापन नारी का चित्रण बदलने के लिये उत्प्रेरित करते हैं। इसी कारण भारतीय मातृशक्ति भौतिकवादी अंधानुकरण के कारण शायद पाश्चात्य नारी के रूप में दिखने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है।[13]

मोटापा- शरीर विज्ञानी टेलीविजन देखना और मोटापे के परस्पर सहसंबंध प्रदर्शित करते आ रहे हैं। जो कि आज के समय में बच्चों और किशोरों में बहुत आम और महत्वपूर्ण समस्या है। समूचे विश्व में मोटापे की समस्या विकराल होती जा रही है। टेलीविजन देखते समय बच्चे निष्क्रिय होते हैं साथ ही उन्हें नाश्ता करने की आदत होती है। ऐसे में उनके ऊपर विज्ञापनों के बमों की बौछार होती है जो उन्हें फास्टफूड जैसे कि आलू चिप्स, बिना कैलौरी की सॉट ड्रिंक्स आदि खाने-पीने को उत्प्रेरित करते हैं अपेक्षाकृत नियमित भेाजन के। टेलीविजन पर शैक्षणिक कार्यक्रम भी अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं भले ही बच्चे सिर्फ ४ घंटे की ही गुणवत्ता वाली शैक्षणिक गतिविधियों को टेलीविजन पर क्यों न देखते हों। उस समय वे व्यायाम, पढ़ाई, घूमना-फिरना या सामान्य सामाजिक गतिविधियाँ नहीं करते। ऐसे में बच्चों, किशोरों, वयस्क महिलाओं व पुरूषों में मोटापे की समस्या करती ही जा रही हैं। शोध कार्य दर्शाते हैं कि टेलीविजन देखने का समय घटाने पर शारीरिक वजन तथा मोटापा कम होता है।[14]

अध्ययन के उद्देश्य -

१. उन नकारात्मक दशाओं का चित्रण करना, जो समाज में बच्चों, युवाओं, महिलाओं पर समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टी.वी. सीरियलों, सोशल मीडिया आदि के प्रभाव में प्रभावित होकर विचलित व्यवहार की ओर अग्रसर हो रहे हैं ।

२. यह जानना कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टी.वी. सीरियल, सोशल मीडिया आदि में सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव किसका है ?

शोध प्रारूप - सागर नगर के ४८ वार्डों को अध्ययन क्षेत्र में समाहित किया गया है । सागर नगर के प्रत्येक वार्ड से पहले वे ५ परिवार, जिनमें बुजुर्ग, माता-पिता तथा बच्चे व युवा शामिल हैं, को निदर्श के रूप में लिया गया है । इस तरह २४० परिवारों का अध्ययन शोध विषय में शामिल किया गया है, जिसमें परिवार के मुखिया से विषय वस्तु के सन्दर्भ में विचार लिये गये हैं परिवारों के मुखिया से प्रश्नावली के आधार पर उनके विचार को जानकारी के रूप में प्राप्त किया गया।

मुख्य अध्ययन विश्लेषण - समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, टी. वी. सीरियल, सोशल मीडिया के सन्दर्भ में परिवार के मुखिया का विचार विश्लेषण के उपरांत निम्नवत् है :-

जिन परिवारों का अध्ययन किया गया उनमें परिवार के ८० प्रतिशत सदस्य समाचार पत्र पढ़ते हैं। इन परिवारों में ५ प्रतिशत पाठक पत्रिकाओं के हैं। ६८ प्रतिशत परिवारों में बच्चे, युवा, महिलाऐं एवं अन्य सदस्य टी.वी. के दर्शक हैं। इन्हीं परिवारों में ४४ प्रतिशत युवा सदस्य किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के सन्दर्भ में नकारात्मक दृष्टिकोंण वाले अपराध जगत से संबंधित सीरियल यथा - सावधान इण्डिया, क्राइम पेट्रोल, वारदात, सनसनी, जुर्म जैसे सीरियल तथा न्यूज चैनल्स पर विभिन्न साम्प्रदायिक तनाव से संबंधित, अपराधों से संबंधित न्यूज देखने वालों का प्रतिशत लगभग ६४ है ।

प्रिंट मीडिया में नकारात्मक दृष्टिकोंण वाले समाचार, विज्ञापन, लेखादि के माध्यम से अभिरुचि रखने वाले सदस्यों का प्रतिशत ७२ है ।

कुल २४० परिवारों में बच्चों के सन्दर्भ में परिवार के मुखिया का विचार है कि ७२ प्रतिशत बच्चे नकारात्मक भावों से प्रभावित होते हैं और वैसी ही गतिविधियां सीखने का प्रयत्न करते हैं, जैसा बच्चे टी.वी. सीरियल, विज्ञापन, न्यूज आदि में देखते हैं जैसा कि सदरलैण्ड महोदय ने कहा है आपराधिक गतिविधियों में जिज्ञासा होती है।

२४० परिवारों में परिवार के मुखिया के अनुसार प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नकारात्मक प्रभाव वाले समाचार, सीरियल, लेख आदि का ५२ प्रतिशत युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव है, जो उन्हें विचलित व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं।

निदर्श के रूप में ४८ वार्डों के २४० परिवारों के मुखियाओं

का कहना है कि परिवार में महिलाओं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लगभग ७६ प्रतिशत महिलाएँ परम्पराओं के प्रतिकूल व्यवहार करना पसंद करने लगी हैं। धार्मिक आस्थाओं पर अभिरुचि कम हो गयी। पति-पत्नि के झगड़े बढ़ने लगे हैं। परिवार के प्रति आस्था घटने लगी हैं।

निष्कर्ष - प्राप्त आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टी.वी. सीरियल, न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से समाज में बच्चों, युवाओं, महिलाओं पर सर्वाधिक नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है, जिसका एक बड़ा प्रतिशत उपरोक्त विश्लेषण में उपलब्ध है । जहाँ एक ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया समाज के लिए शिक्षित तथा जागरूक बनाने में सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ नकारात्मक प्रभाव विचलित व्यवहार के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं ।

सन्दर्भ

१. Sathurland, E.H., 'Principles of Criminology', 10th Edition, Lippincott Co., Philandelphia, 1978, p. 78

२. नारद भक्ति सूत्र ।।४३।।

३. नारद भक्ति सूत्र ।।५१।।

४. श्रीमद्भागवत गीता पुराण, अध्याय प्रथम, श्लोक- २४, २५

५. Dina L.G. Borzakowski and Thomas N. Bosbinson, 'The 30 Second Effect : An Experiment Revealing the Impact of Television Commercials on Food Preferences of Preschoolers', Journal of the American Dietetic Association Vol. 11, 2001, pp. 42-46

६. American Psychological Association, Television Advertising Leads to unhealthy Habits in Children', Says APA Talk Force (Press Release) 2004, pp. 1-17, Retrived From http://www.apa.org/news/press/release2004/02/children-ads.aspx

७. तिवारी अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, २०१०, पृ. १६४

८. Gaur Gyoti, 'Consequences of TV Viewing', Communication Today', July-Sept, 2008, pp. 34-38

९. Ibid

१०. Yadav Anubhuti, 'Advertisement and Its Impact on children' Communication Today, July-Sept., 2009, p. 2

११. Ibid.

१२. Ibid.

१३. Ibid.

१४. Kumar Manish, 'Impact of TV on Society', 2009, www.india-studychannel.com

Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशनः क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ (प्रधानमंत्री जन-धन योजना के विशेष संदर्भ में)

❑ **डॉ० अशोक सिंह भदौरिया**

वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास का ''मौद्रिक ईधन'' माना जाता है।सभी प्रमुख वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट आदि का एक बड़े वर्ग विशेषकर गरीब एवं वंचित समूहों तक बिना किसी विभेदीकरण के कम लागत और निश्चित समयावधि के भीतर आसान पहुंच सुनिश्चित करना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती दर पर बैंकिंग सुविधाएं जैसे ऋण देना एवं जमा राशियाँ स्वीकार करना, बीमा की सुविधा आदि उपलब्ध करवाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेश के क्रियान्वयन एवं चुनौतियों को उजगा किया गया है।

आर्थिक गतिविधियों, वित्तीय सेवाओं (उदाहरण स्वरूप - बैंक खाते, ऋण सुविधा, बीमा आदि) का समाज के किसी वर्ग या समूह विशेष के लिए उपलब्ध न होना और इस विभेदीकृत प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं जैसे - गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का बढ़ते जाना, इन समूहों का मुख्य धारा से विलग होने से परिलक्षित होता हैं, जो आर्थिक अपवंचन कहलाता है।

आर्थिक अपवंचन

१. कृषि ऋणग्रस्तता : एक तिहाई से भी कम कृषक परिवारों की संस्थागत ऋण सुविधा तक पहुंच नहीं है। संस्थागत ऋण प्राप्त न कर पाने के चलते कृषक अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेने को बाध्य होते हैं।
२. लगभग ७७ प्रतिशत भारतीय एक डॉलर प्रतिदिन से भी कम पर जीवन-निर्वाह करने हेतु बाध्य हैं।

आर्थिक अपवंचन से विकास में बाधा

१. मानव संसाधन का पूर्ण/अनुकूलतम उपयोग न हो पाना।
२. गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भुखमरी जैसी समस्याएं विद्यमान रहना।
३. वर्ग संघर्ष, नक्सलवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद आदि समस्याएं उत्पन्न होना।

वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास का ''मौद्रिक ईंधन'' माना जाता है।सभी प्रमुख वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट आदि का एक बड़े वर्ग विशेषकर गरीब एवं वंचित समूहों तक बिना किसी विभेदीकरण के कम लागत और निश्चित समयावधि के भीतर आसान पहुंच सुनिश्चित करना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती दर पर बैंकिंग सुविधाएं जैसे ऋण देना एवं जमा राशियाँ स्वीकार करना, बीमा की सुविधा आदि उपलब्ध करवाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसे वित्तीय साक्षरता के द्वारा पूरा किए जाने का लक्ष्य है।समाज के सभी सदस्यों को संस्थागत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से न केवल दलित एवं कमजोर वर्ग, साहूकारों और दलालों के शोषण से मुक्ति पाएगा, अपितु वह उत्पादन में योगदान कर राष्ट्र की प्रगति में सहभागी भी बन पाएगा।

वित्तीय साक्षरता : वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार का दायित्व भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन् २००६ में बैंकों को दिया गया, जिसके तहत निःशुल्क वित्तीय साक्षरता ऋण परामर्श प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र खोले जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ३५००० से अधिक शाखाओं में वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां शुरू करने का सुझाव दिया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को माह में कम से कम एक बार जागरूकता शिविरों के रूप में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है।

म.प्र. में आरएसईटीआई एवं एफएलसीसी[1]

बैंक आरएसईटीआई	एफएलसीसी संख्या
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	१८
बैंक ऑफ इण्डिया	१३
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	१३
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	३
बैंक ऑफ बड़ौदा	२
इलाहाबाद बैंक	१

❑ **सी.ई.ओ. एस.आर.पी.एस. वेंचर्स, भोपाल (म.प्र.)**

पंजाब नेशनल बैंक	१
कुल	५१

म.प्र. में ०७ बैंकों के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ५१ वित्तीय साक्षरता केन्द्र प्रारंभ किये गए हैं जहां वित्तीय साक्षरता से संबंधित गतिविधियां/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

भारत सरकार ने सामाजिक/आर्थिक रूप से मौजूद विषमताओं को दूर करने हेतु कई उपाय किये हैं।

कानूनी उपाय :-

१. अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, १९६५ ।

२. महिलाओं को संपत्ति का अधिकार।

३. अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संवैधानिक रक्षोपाय।

४. भूमि सुधार।

आर्थिक उपायः

१. बैंकों का राष्ट्रीयकरण : 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का राष्ट्रीयकरण १९५५ में करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' का गठन किया गया। १४ प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण १९६९ में किया। इसके बाद वर्ष १९८० में पुनः ६ प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

२. दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक सुविधाएं देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कृषि, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना जुलाई १९८२ को की गयी।

३. लघु उधोग क्षेत्र की उन्नति, वित्त पोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना अप्रैल १९९० में की गई थी।

४. स्व-सहायता समूह और बैंक लिंकेज कार्यक्रम १९९२ में प्रारंभ किया गया।

५. ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल १९९९ को स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई।

६. किसान क्रेडिट कार्ड योजना २००१ में प्रारंभ की गयी।

७ नई पेंशन प्रणाली : जनवरी २००४ से प्रारंभ की गई है।

८. इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा २००५ में बैंकों से 'शून्य बचत' पर भी खाते खोलने और अधिकतम आबादी को वित्तीय संस्थागत ढांचे से जोड़ने को कहा गया।

९. ग्रामीण विकास : भारत निर्माण २००५ ग्रामीण अवसंरचना का विकास।

१०. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष २००६ वित्तीय सेवाओं के विस्तार हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वसहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों की मध्यस्थता को मंजूरी प्रदान की।

११. १०० दिन का रोजगार सुनिश्चित करते हुए आय सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, २००६ लागू किया गया। इसमें मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से करने हेतु प्रोत्साहन।

१२. राष्ट्रीय निवेश कोष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन, कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि प्रारंभ की गयीं।

१३. भारतीय रिजर्व बैंक ने विजन २०२० की घोषणा की जिसमें ६० करोड़ नये बैंक खाते खोलने की योजना है। वित्तीय समावेशन पर विभिन्न समितियों जैसे- 'खान कमेटी', 'रंगराजन समिति', 'रघुराम राजन कमेटी' आदि का गठन किया गया है।

१४. 'समावेशी विकास' को भारत सरकार द्वारा ११ वीं पंचवर्षीय योजना के ध्येय वाक्य 'तेज और अधिक समावेशी विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

१५. इसी परिपेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों के समूहों बंधन और आई डी एफ सी को निजी बैंके संचालित करने हेतु वर्ष २०१४ में लायसेंस जारी किये।

१६. नए तरह के भुगतान बैंक और छोटे बैंकों की स्थापना की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई है।

Local & Small Area Banks[2]

1. Au Financiers (India) Ltd. Jaipur
2. Capital Local Area Bank Ltd. Jalandhar
3. Disha Microfin Private Ltd. Ahemdabad
4. Equitas Holdings Private Limited, Chennai
5. ESAF Microfinance and Investments Private Ltd., Chennai
6. Janalakshmi Financial Services Private Limited, Bengaluru
7. RGVN (North East) Microfinance Ltd., Guwahati

8. Suryoday Micro Finance Private Ltd., Navi Mumbai
9. Ujjivan Financial Services Private Ltd., Bangaluru
10. Utkarsh Micro Finance Private Ltd. Varanasi

Payment Banks[3]

1. Aditya Birla Nuvo Limited
2. Airtel M Commerce Services Limited
3. Cholamandalam Distribution Services Limited
4. Department of Posts
5. Fino PayTech Limited
6. National Securities Depository Limited
7. Reliance Industries Limited
8. Shri Dilip Shantilal Shanghvi
9. Shri Vijay Shekhar Sharma
10. Tech Mahindra Limited
11. Vodafone m-pesa Limited

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च २०१२ तक २००० से ऊपर की आबादी वाले ७४,४१४ गांवो तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह लक्ष्य रखा कि वाणिज्यिक बैंकों को शाखा विस्तार करते समय अपनी २५ प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ऐसे क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य होगा, जहां किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई भी परंपरागत शाखा नही है। साथ ही उसने ग्रामीण केन्द्रों में परंपरागत शाखा ढांचा स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये शाखाएं ३-४ कि.मी. की समुचित दूरी पर व्यवसाय संवाददाता (बिजनेस करेस्पोंडेंट) इकाइयों के समूह (लगभग ८-१० बिजनेस करेस्पोंडेंट) को प्रभावशाली बनाने में सहायक हो सकेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी सरकारी एवं निजी बैंकों ने वित्तीय समावेशन योजना में परंपरागत शाखाएं खोलने, बिजनेस करेस्पोंडेंट की नियुक्ति करने, विभिन्न तरीकों से बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर करने से संबंधित लक्ष्यों का निर्धारण स्वयं किया।इन सभी बैंक रहित गांवों को बैंकिंग आउटलेट, जिसमें २,४६३ शाखाएं, ६६,५८६ बीसी तथा अन्य माध्यमों से २,३३२ शाखाएं सम्मिलित हैं, के माध्यम से कवर किया गया है।इसके अलावा नोफ्रिल खातों को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा लोगों को छोटी राशि के ओवरड्राट देने की भी सिफारिश की गई है, जिससे ऐसे खातों की सुदृढ़ वृद्धि हो एवं लोगों में बैंकिंग के प्रति विश्वास बढ़े व सेवाओं का स्वप्रचार भी हो सके।एफआईपी का प्रथम चरण २०१०-१३ की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया था। वहीं बैंकिंग सेवाओं से वंचितों को अर्थपूर्ण बैकिंग सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बैंकों को २०१३-१६ के लिए नया तीन-वर्षीय एफआईपी तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया था।

द्वितीय चरण में २००० से कम जनसंख्या वाले, बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप के अंतर्गत लगभग ४,६०,००० बैंक रहित गांव पहचाने गए तथा उन्हें ३१ मार्च २०१६ तक समयबद्ध तरीके से कवरेज हेतु बैंकों को आवंटित किया गया था।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एफआईपी तैयार करने के साथ ही उच्च स्तरों पर प्रतिबद्धता के तहत वित्तीय समावेशन के प्रति एक संरचित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना : प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने १५ अगस्त २०१४ को अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत गणतंत्र दिवस २६ जनवरी २०१५ तक ७.५ करोड़ बैंक खाते खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था। जबकि २५ जनवरी २०१५ तक निर्धारित लक्ष्य से ४ करोड़ अधिक खाते कुल अर्थात् मिलाकर ११.५० करोड़ खाते खोले जा चुके थे। २८ अगस्त २०१४ को एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोले जाने एवं दुर्घटना बीमा पॉलिसियां जारी होने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में भी दर्ज किया गया।

बिना किसी भी राशि जमा करवाए आसानी से खाता खोलने की सुविधा, योजना के खातेदारों को एक लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, ३० हजार रूपए का बीमा कवर, सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मिलने वाली सहायता का सीधा बैंक खातों में जमा की सुविधा आदि। कम जनसंख्या वाले गांवों में जहां बैंक शाखाएं नहीं खुल पाई हैं या बैंक शाखा खोला जाना अनार्थिक है, ऐसे १००० से १५०० परिवार वाले गांवों में बैंक के उपसेवा केन्द्र की स्थापना तथा बैंक सेवा देने के लिए व्यवसायिक संवाददाताओं की एंजेट के रूप में नियुक्ति से दूरस्थ गांवों में बैंक सेवाएं ग्रामीणों की पहुंच में आ गई हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) रिजर्व बैंक

और भारत सरकार का गरीबी दूर करने का प्रमुख कार्यक्रम है। जिसमें गरीब लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के पश्चात उनकी आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जनधन योजना में वित्तीय साक्षरता पर बल है, जिससे गरीब लोग विशेषतः महिलाओं में वित्तीय सहायता, बुनियादी सुविधा और उनके लिए विपणन सुविधाओं के द्वारा ऋण लेने की क्षमता विकसित करने का लचीलापन होगा। इससे ऐसी स्थिति आएगी जिसमें गरीब लोगों को बैकिंग प्रणाली के साथ सम्बद्धता उपलब्ध होती है। जिससे वे अपनी वर्तमान आजीविका का निर्माण कर सकें और उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने एवं अपनी ऋण पात्रता निर्माण करने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। लक्षित लोगों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण हेतु दीर्घकालिक नीति की परिकल्पना की गई है।

१. इस कार्यक्रम में सभी गांवों के सभी परिवारों को समाविष्ट किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
२. गरीब महिलाओं, एससी/एसटी और जनजातीय कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जानी है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है।
३. पूर्व में संचालित स्वाभिमान योजना में बैंक खाते खुलवाने पर काफी बल दिया गया था। अब प्रधानमंत्री जन-धन योजना में खाते के साथ-साथ एक रूपे कार्ड तथा १ लाख रूपए की बीमा रक्षा एवं पेंशन भी दिया जाएगा और इसमें अधिकाधिक ऋण भी जारी किया जाएगा। इस प्रकार, निरंतर बढ़ी हुई मात्रा के आधार पर आजीविका के अवसर प्रदान करते हुए गरीबी उन्मूलन करने के अवसर निर्मित करने के उपाय किए जाएंगे।
४. बैंकिंग की पहुंच निम्नतम वर्ग तक पहुंचाने की दृष्टि से निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट किया गया। इसे केन्द्रीय सरकार से आगे बढ़ाकर राज्य यहां तक कि जिला स्तर तक बढ़ा दिया गया है। पहले निगरानी केवल बैंकों के ही माध्यम तक सीमित थी।
५. पहले खाते ऑफ लाइन रूप से भी खोले जाते थे। वहीं अब खाते सिर्फ ऑनलाइन खोले जा रहे हैं।
६. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन व मनरेगा को वित्तीय समावेशन से जोड़े जाने के कारण कौशल प्रशिक्षित रोजगार प्राप्त, स्वरोजगार तथा मनरेगा में कार्यरत ग्रामीणों को भी प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ मिला है।

म.प्र. में बैंकवार उपसेवा क्षेत्र एवं व्यवसाय संवाददाताओं की संख्या[४]

बैंक का नाम	उपसेवा	संवाददाता
इलाहाबाद बैंक	३७६	२४२
आंध्रा बैंक	४	२
ऍक्सिस बैंक	२६	२६
बैंक ऑफ बड़ौदा	२०५	२०५
बैंक ऑफ इण्डिया	६५०	७८७
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	३७८	३६३
केनरा बैंक	७०	६६
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	११६७	१०१६
सेण्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	१४६१	१२८३
कॉर्पोरेशन बैंक	२७	२५
देना बैंक	४३	४३
एचडीएफसी बैंक	४८	४८
आईसीआईसीआई बैंक	२०७	२०४
आईडीबीआई बैंक	१६	३
इण्डियन बैंक	१३	१३
इण्डियन ओवरसीज बैंक	२३	१७
इंडसइंड बैंक	८	८
मध्यांचल ग्रामीण बैंक	१४७४	१०१७
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	६३८	७००
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	५३	५३
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	२५	६
पंजाब नेशनल बैंक	५२०	४६७
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	७	२
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	२८७७	२८४२
सिंडिकेट बैंक	७६	६६
यूको बैंक	२८१	२८१
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	५३३	५३३
युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	२	०
विजया बैंक	१७	१७
कुल	११८६४	१०३४७

मध्य प्रदेश में कुल २६ बैंकों द्वारा ११८६४ उपसेवा क्षेत्रों में, १०३४७ व्यवसायिक संवाददाताओं की नियुक्ति की गई हैं जो गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं।

दिनांक ३ मई२०१७ तक खोले गये खाते[५] करोड़ में

बैंक का नाम	ग्रामीण	शहरी	कुल	कुल रूपे कार्ड संख्या	खातों में जमा राशि
सार्वजनिक बैंक	१२.५१	१०.४०	२२.६१	१७.७८	५०४७१.२३
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	३.६७	०.७१	४.६७	३.५४	११८३२.४४
निजी बैंक	०.५६	०.३७	०.६३	०.८६	२११६.२५
कुल	१७.०४	११.४८	२८.५२	२२.१८	६४४२२.६२

अप्रैल माह अंत तक समस्त बैंकों द्वारा २८.५२ करोड़ खाते प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत खोले गये जिसमें १७.०४ करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में वही ११.४८ करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गये तथा २२.१८ करोड़ रूपे कार्ड भी वितरित किये गये। इन खातों में ६४४२२.६२ करोड़ रूपये की जमा राशि थी।

मध्यप्रदेश की स्थिति[६] (३ मई २०१७ तक खोले गए खाते)

मध्यप्रदेश	ग्रामीण खाते	शहरी खाते	कुल खाते	जमा (करोड़ में)	जारी रूपे कार्ड
कुल योग	१२१४८४३८	१३१३६६२७	२५२८५०६५	३०५१.५६	१८२५६६४२

अप्रैल माह अंत तक मध्यप्रदेश में बैंकों द्वारा २५२८५०६५ खाते प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत खोले गये, जिसमें १२१४८४३८ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में, १३१३६६२७ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गये। १८२५६६४२ रूपे कार्ड भी वितरित किये गये। इन खातों में ३०५१.५६ करोड़ रूपये की राशि जमा थी।

चुनौतियाँ एवं समाधान

१. वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने के लिए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के साथ ही साथ उपसेवा क्षेत्र को मजबूत बनाया जाना जरूरी है।
२. अन्य चुनौती है टेक्नोलॉजी गत अवरोध। इनमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और ८२ एलडब्ल्यूई जिले चुनौती पूर्ण हैं।
३. बीसी अर्थात व्यवसाय प्रतिनिधियों की निरंतरता बनी रहना भी चुनौती भरा मुद्दा है।
४. घरेलू गैस, उर्वरकों और मिट्टी के तेल के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सहित अन्य सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से नकद अंतरणों में होने वाली बढ़ोत्तरी से निपटना भी काफी चुनौती भरा ही रहेगा।
५. महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी मजबूत निगरानी प्रणाली का होना।
६. इस योजना में बीसी की संबद्धता बरकरार है परंतु अधिक ऋण उत्पाद जारी करते हुए खातों के उपयोग की निगरानी पर अब और अधिक ध्यान देना आवश्यक है।
७. बीसी मॉडेल की समीक्षा में यह विशिष्ट रूप से पाया गया कि बैंकों द्वारा बीसी परिचालन के लिए अपनाई जा रही नकदी प्रबंधन प्रणाली, बीसी मॉडेल की बढ़ोत्तरी में एक प्रमुख बाधा है।
८. प्रवर्धन को सुदृढ़ बनाने हेतु रिजर्व बैंक ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें बैंक के बोर्ड को कहा गया कि -

क. प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बीसी के परिचालन की समीक्षा की जाए।
ख. बीसी के पारिश्रमिक की समीक्षा की जाए तथा बैंक के उच्च्व प्रबंध तंत्र द्वारा निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए।
ग. रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिया कि बीसी के पास रखी नकदी को बैंक की नकदी माना जाए तथा इस नकदी के बीमा की जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की व्यापक सफलता से आशा की जानी चाहिए कि इससे आर्थिक अपवंचन से मुक्तिमिलेगी और वित्तीय समावेशन की गति में तीव्रता आएगी।

संदर्भ

1. www.slbcmadhyapradesh.in/rseti.aspx
2. www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35010
3. www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=34754
4. www.pmjdy.gov.in/account
5. pmjdy.gov.in/account
6. www.slbcmadhyapradesh.in/Banking_bcs.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

❑ कमलेश वर्मा

किसी भी देश अथवा राज्य के लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण की उन्नति के लिए स्वच्छता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवेश की स्वच्छता बहुत जरूरी है। इस यथार्थ को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए एक स्वच्छता नीति बनाई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल और स्वच्छ वातावरण मिले, यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जन भागीदारी की दृष्टि से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन पंचायती राज संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जा रहा है। भारत की विशाल ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज स्वच्छता सीधे-सीधे आमजन के आर्थिक, सामाजिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। स्वास्थ्य, समय, महिलाओं के सम्मान, बच्चों के लिए सुविधा तथा आर्थिक संसाधनों के क्षय के दृष्टिकोण से भी शौचालय का निर्माण किया जाना एवं आम आदमी के शौच व्यवहार में परिवर्तन हमारी अनिवार्य जरूरत है।

किसी भी देश अथवा राज्य के लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण की उन्नति के लिए स्वच्छता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस यथार्थ को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए एक स्वच्छता नीति बनाई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल और स्वच्छ वातावरण मिले, यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जन भागीदारी की दृष्टि से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन पंचायती राज संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है अथवा ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्तुत अध्ययन इसी को उजागर करने का एक प्रयास रहा है।

स्वच्छता और स्वास्थ्य परस्पर घनिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य को बनाये रखने का सबसे बड़ा मूलमंत्र है। स्वच्छता नही होगी तो इसका जन स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। यह भारत की एक महाशक्ति, उन्नतिशील एवं विकसित राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने की हमारी अभिलाषाओं के विपरीत है। जब हमारी आधी से अधिक जनसंख्या खुले में मल-मूत्र का त्याग करती है। मल-मूत्र जो कि विभिन्न रोग कारक जैसे- जीवाणु, विषाणु और परिजीवी अतिसार तथा अन्य बीमारियों को जन्म देती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ग्राम मानव मल में १ करोड़ विषाणु, १० लाख जीवाणु, १ हजार परजीवी शिष्ट और डिम्ब होते हैं।[1]

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ६५ प्रतिशत् लोग खुले में मल-मूत्र का त्याग करते हैं।[2] यह शर्मनाक चलन एवं आदत न केवल हमारे बच्चों , लड़कियों एवं महिलाओं बल्कि हमारे राष्ट्र की स्वास्थ्य एवं गरिमा को प्रभावित करती है। भारत में हर रोज १ हजार से अधिक लोग अतिसार के कारण मारे जाते है।[3] यह हर रोज एक रेल दुर्घटना होने के बराबर है। १ से ५ वर्ष की आयु वाले बच्चों के बीच १० सबसे प्राणघातक बीमारियों में से ५ बीमारियॉ पानी एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों की कमी से जुड़ी हैं।[4] भारत में ५ वर्ष तक आयु के लगभग ४४ प्रतिशत् बच्चे कुपोषित हैं।[5] अतः हमें खुले में मल-मूत्र का त्याग करने की बुराई का उन्मूलन करने के लिए घरेलू शौचालयों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम व्यापक रूप से खुले में शौच करने वाले प्रत्येक परिवार को शौचालय सुनिश्चित कराने के लिए चलाया जा रहा है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को एक सिद्धांत के रूप में सन् १९९९ में शुरू किया गया था।[6] इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार को सहयोग के रूप में मामूली सबसिडी शौचालय निर्माण के लिए दिया जाता है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के सात आयाम : १ पेयजल का सुरक्षित रख-रखाव, २ बेकार पानी की उचित निकासी, ३ मानव मल का सुरक्षित निपटान, ४ कूड़े-करकट का उचित निपटान, ५ घर एवं भोजन की स्वच्छता, ६ व्यक्तिगत स्वच्छता, ७ पर्यावरणीय स्वच्छता को लक्ष्य बनाकर सरकार चल रही है। हाल ही में स्वच्छता अभियान पर बल दिये जाने के कारण ग्रामीण भारत में स्वच्छता सुविधाएं बढ़कर लगभग ६४ प्रतिशत् हो गई

❑ जिला कार्यक्रम संयोजक, मातृत्व हितलाभ कार्यक्रम, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)

है।[७] इस बढ़ोत्तरी के बावजूद अभी भी ग्रामवासी खुले में मल त्याग करते हैं।

यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं, सी०बी०ओ० एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जन भागीदारी के साथ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने के लिए एवं स्वच्छता बनाने रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए सूचना, शिक्षा, संचार के माध्यम से स्वच्छता-शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौच के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। स्कूलों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सभी जगह अनिवार्य रूप से शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत अध्ययन व्याख्यात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है। अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जनपद का चयन किया गया। दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए जनपद दुर्ग के लोग स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग में जिला जल एव स्वच्छता समिति की सहायता से १२ गांव पिपरछेड़ी-जांजगिरी की चयन किया गया। इन गांवों से सविचारपूर्ण निदर्शन विधि की सहायता से ४० उत्तरदाताओं का चुनाव किया गया।

इन चालीस उत्तरदाताओं में २३ पुरूष तथा १७ स्त्रियाँ सम्मिलित थीं। जातीय दृष्टि से ०७ अनुसूचित जाति से, ०६ अनुसूचित जनजाति से, २४ अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा सामान्य वर्ग के ०३ उत्तरदाता सम्मिलित थे। आयु की दृष्टि से २० सूचनादाता २०-३० आयु वर्ग के, ३१-४० आयु वर्ग के १२ सूचनादाता, ४१-५० आयुवर्ग के ०४ तथा ५१-६० आयु वर्ग के ०४ सूचनदाता सम्मिलित थे। सूचनादाताओं से सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

१. व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
२. ग्रामीण समाज में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के प्रभाव को जानना।
३. शासन द्वारा संचालित सेवाओं के क्रियान्वयन स्तर को जानना।

उपलब्धियाँ : हाथों की स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। अतः सूचनादाताओं से अनेक कार्यो के संदर्भ में उनकी हाथ धोने की प्रवृत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई जो सारणी १ में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या-१

व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हस्त प्रच्छालन

साबुन से हाथ धोना	आवृत्ति	प्रतिशत्
भोजन करने से पहले	०६	१५
भोजन करने के बाद	००	०
शौच करने से पहले	००	०
शौच करने के बाद	०८	२०
१ एवं ४ दोनो	२६	६५
२ एवं ३ दोनो	००	०
योग	४०	१००

विश्लेषण – इस सारणी से यह पता चलता है कि व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य साबुन से हाथ ६५ प्रतिशत भोजन करने से पहले एवं शौच के बाद दोनो स्थिति में धोते है, २० प्रतिशत लोग शौच के पश्चात्, १५ भोजन करने से पहले तथा ० प्रतिशत् लोग भोजन करने के बाद, शौच करने से पहले एवं दोनो स्थिति में नही धोते हैं।

हस्त प्रच्छालन की प्रवृति के पश्चात सूचनादाताओं से यह ज्ञात किया गया कि वे स्नान क रने के लिए किस तरह के जल का प्रयोग करते हैं तथा कहां स्नान करते हैं। इससे संबंधित तथ्य सारणी २ में प्रस्तुत हैं।

तालिका संख्या-२

स्नान के लिए पानी तथा स्नान

स्नान करने का माध्यम	आवृत्ति	प्रतिशत्
तालाब में	२७	६७.५
नलकूप में	०२	५
नल में	०६	२२.५
नदी में	०२	५
योग	४०	१००

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि लोग ६७.५ प्रतिशत् तालाब में, २२.५ प्रतिशत् नल में, ५ प्रतिशत् लोग नलकूप में एवं ५ प्रतिशत् लोग नदी में स्नान करते है।

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचनादाताओं से यह ज्ञात करना भी आवश्यक समझा गया कि वे पर्यावरण की स्वच्छता के लिए कितने प्रयास करते हैं। संबंधित तथ्य सारणी ३ में प्रदर्शित हैं।

तालिका संख्या-३

पर्यावरण की स्वच्छता एवं बचाव

पर्यावरण की स्वच्छता	आवृत्ति	प्रतिशत्
कचरे को कूड़ेदान में डालना।	०६	२२.५
पाउच,पन्नी, पालीथीन	०४	१०

को खुले में न फेंकना।		
आसपास की सफाई करना।	१६	४७५
उपयुक्त में सभी	०८	२०
योग	४०	१००

सारणी से यह पता चलता है कि लोग पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ४७.५ प्रतिशत आसपास की सफाई, २२.५ प्रतिशत् कचरे को कूड़ेदान में डालना, १० प्रतिशत् पाउच,पन्नी,पालीथीन को खुले में न फेकना, तथा २० प्रतिशत् उपयुक्त सभी कार्य करते हैं।

सूचनादाता मल का कहां निपटान करते हैं? इससे संबंधित तथ्य सारणी ४ में प्रदर्शित हैं।

तालिका संख्या-४

मल का निपटान का स्थान-

मानव मल का निपटान	आवृत्ति	प्रतिशत्
खुले मैदान में	२५	६२.५
शौचालय में	११	२७.५
दोनो में	०४	१०
योग	४०	१००

सारणी से यह ज्ञात होता है कि ६२.५ प्रतिशत् लोग खुले मैदान में जाते हैं, २७ प्रतिशत् शौचालय में एवं १० प्रतिशत् लोग दोनों का उपयोग करते हैं।

सूचनादाताओं से यह ज्ञात करना भी आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे बेकार पानी की निकासी किस प्रकार करते हैं। संबंधित तथ्य सारणी ५ में प्रस्तुत हैं।

तालिका संख्या-५

बेकार पानी की निकासी का माध्यम-

पानी की निकासी का माध्यम	आवृत्ति	प्रतिशत्
पास की गली में	०४	१०
निकासी नाली में	१७	४२.५
सोक्ता गढ्ढा में	१४	३५
बाड़ी में	०५	१२.५
योग	४०	१००

सारणी से यह पता चलता है कि बेकार पानी की उचित निकासी १० प्रतिशत् पास की गली में, ४२.५ प्रतिशत् निकासी नाली मे, ३५ प्रतिशत् सोक्ता गढ्ढा में एवं ५ प्रतिशत बाड़ी में निकासी करते हैं।

अंत में सूचनादाताओं से यह ज्ञात किया गया कि वे कूड़ा-करकट का निपटान कैसे करते हैं। इससे संबंधित सूचनाएं सारणी ६ में प्रस्तुत हैं।

तालिका संख्या-६

कुड़ा-करकट का निपटान

कूड़े करकट का निपटान	आवृत्ति	प्रतिशत्
कूड़ेदान में	०३	७.५
खूले में	०२	५.००
खाद गढ्ढे में	३५	८७.५
गली में	००	००
अन्य जगह	००	००
योग	४०	१००

सारणी से यह पता चलता है कि लोग कूड़े-करकट का निपटान ७.५ प्रतिशत् कूड़ेदान में, ०५ प्रतिशत् खुले में, ८७.५ प्रतिशत् खाद गढ्ढे में डालते हैं।

निष्कर्ष : प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अधिकतर ग्रामीण रहवासी भोजन करने से पहले एवं शौच के बाद दोनो स्थिति में साबुन से हाथ धोते हैं। कुछ व्यक्ति एवं उनके परिवार भोजन करने के पहले साबुन का उपयोग करते है, कुछ शौच के बाद उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु अधिकतर ग्रामीण रहवासी तालाब में ही स्नान करते है। बहुत ही कम लोग नलकूप एवं नदी में स्नान करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने लिए अधिकतर आसपास की सफाई करते हैं। कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं तथा अधिक्तर (६२.५ प्रतिशत) शौच के लिए खुले मैदान में जाते हैं। यह स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। बेकार पानी की निकासी पास की गली, नाली, सोक्ता गढ्ढा एवं बाड़ी में करते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीणो में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रभाव देखने को मिला तो है, परन्तु अभी भी स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है।

संदर्भ

1. DPRO Ne Kiya Jagruk, Publish Date: Jun 20, 2016 : Retrieved from, http://www.jagran.com
2. Khule Mein Shauch Karna, Retrieved from, http://hi.vikaspedia.in/health/sanitation
3. Sinha T.K., Jal Janit Rog Aur Sawdhaniyaan, Retrieved from, http://hindi.indiawaterportal.org/content
4. Kunkuri Busstand Mei Ki Safayi, Published on : Oct 16, 2014 https://www.bhaskar.com
5. Malnutrition in India, Last edited on 20 June 2017, Retrieved from, https://en.wikipedia.org
6. Ministry of Drinking Water and Sanitation,GOI, Swachh Bharat Mission-Gramin, Retrieved from, http://sbm.gov.in/TSC/NBA/AboutNBA.
7. Ministry of Drinking Water and Sanitation,GOI, Swachh Bharat Mission-Gramin [All India], Retrieved from, http://sbm.gov.in/sbmreport/home.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

ग्रामीण महिला – शिक्षा एवं आधुनिकीकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ दीपक चन्द्र

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को लाभकारी मूल्यों की ओर अग्रसर करती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा व्यक्ति आधुनिकीकृत मूल्यों को आत्मसात् करते हुए अपने रहन-सहन, शिक्षा खान-पान अर्थात् सम्पूर्ण जीवन शैली को परिवर्तित करता है। समकालीन भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। स्थान, समय और सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संचरना के भीतर होने वाले परिवर्तन ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। इससे उत्पन्न नवीन स्थितियों ने ग्रामीण महिलाओं को नवीन मूल्यों की ओर आकृष्ट किया है। ग्रामीण महिलाओं का जीवन आधुनिकीकरण के प्रभाव से इस सीमा तक प्रभावित हुआ है कि उनके पारम्परिक भारतीय जीवन का रूप परिवर्तित होने लगा है। प्रस्तुत आलेख इसी स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास रहा है।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को लाभकारी मूल्यों की ओर अग्रसर करती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा व्यक्ति आधुनिकीकृत मूल्यों को आत्मसात् करते हुए अपने रहन-सहन, शिक्षा खान-पान अर्थात् सम्पूर्ण जीवन शैली को परिवर्तित करता है। समकालीन भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। स्थान समय और सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संचरना के भीतर होने वाले परिवर्तन ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। इससे उत्पन्न नवीन स्थितियों ने ग्रामीण महिलाओं को नवीन मूल्यों की ओर आकृष्ट किया है।

ग्रामीण महिलाओं का जीवन आधुनिकीकरण के प्रभाव से इस सीमा तक प्रभावित हुआ है कि उनके पारम्परिक भारतीय जीवन का रूप परिवर्तित होने लगा है। आज ग्रामीण महिलाऐं निरन्तर परिवर्तन एवं प्रगति की ओर अग्रसर हैं। शिक्षा, नवीन कानून, सरकारी प्रयासों एवं संचार माध्यमों ने उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन किया है जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना ने जन्म लिया है।

देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व शिक्षाशास्त्री डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति महिला शिक्षा द्वारा ही संभव है। महिला सशक्तिकरण से ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है।[१]

एक पुरूष के शिक्षित होने पर एक व्यक्ति शिक्षित होता है। परन्तु एक स्त्री के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित हो जाता है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में ''साक्षरता से ही महिलाओं और कमजोर वर्गों को समर्थ बनाया जा सकता है।''[२] शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए तथा पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु वर्ष २००२ में ८६ वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ६ से १४ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में लैगिंग असमानता दूर करने हेतु भारत सरकार सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, मिड-डे-मील योजना, सरस्वती योजना, आगनबाड़ी पाठशाला जैसी अनेकानेक व विशिष्ट योजनाओं को संचालित कर रही है। इन सभी कार्यक्रमों व योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुरूष-महिला साक्षरता दर का अंतर निरन्तर कम हो रहा है।

ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करके ही उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। महिला शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, उत्पाद वृद्धि व प्रजनन दर में कमी लाने का एक प्रभावी व सशक्त माध्यम है।

नीलम मकोल एवं संदीप शर्मा के अनुसार 'किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व है' किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति को जानने का तरीका यह है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। उनको समाज में क्या-क्या अधिकार प्राप्त है। उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनितिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है। महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को ऊपर उठाने मे सहायता की है।[३]

आधुनिकता के इस दौर में शिक्षा के प्रति समर्पण रखते हुये पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी स्वयं को विकास तथा

❑ शोध अध्येता, समाजशास्त्र, समाजविज्ञान शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया है। एस. सी. दुबे के अनुसार ''शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त माध्यम है शिक्षा से ज्ञान में वृद्धि होती है तथा शिक्षा ही मूल्यों व धारणाओं में परिवर्तन लाती है, जो आधुनिकीकरण के उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है।''४

प्रतापमल देवपुरा के अनुसार "शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिलाऐं समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती हैं। शिक्षा के कारण नारी में कौशल, दक्षता, क्षमताओं एवं ज्ञान का विकास होता है। शिक्षित महिलाओं से समाज तथा भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के लिए पूर्णतया आवश्यक है। शिक्षा से ही नारी शोषण रोकने तथा महिला सशक्तिकरण में विशेष सहायता प्राप्त होगी।"[५]

समाज की जटिलता के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली में भी आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे है। विशेषीकृत संस्थाओं द्वारा विशेषीकृत शिक्षण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन सह शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सह शिक्षा से स्त्री-पुरूषों के मध्य भेद कम होता है तथा महिलाये भी पुरूषों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिये कटिबद्ध होती हैं। जिससे समाज में लिंग भेद की भावना कम या समाप्त होती है।

समकालीन सरकारों द्वारा गांवों में स्कूल आदि खोलकर शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। महिला एवं प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। संचार के माध्यमों से आधुनिक तकनीक व नवीन विचारों का समावेश किया जा रहा है। आज देश में ऐसी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी तक सीमित ना होकर ज्ञान, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नई पीढ़ी की योग्यता और प्रतिभा में अधिकाधिक बृद्धि करना है।

अनीता मोदी के अनुसार ग्रामीण महिलाओं को साक्षर व शिक्षित करके ही उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के लिए जागरूक किया जा सकता है। शिक्षित महिलाऐं अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए विकास के विभिन्न आयामों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देती हैं। महिला शिक्षा निर्धनता उन्मूलन, उत्पादकता वृद्वि व प्रजनन दर में कमी लाने का एक सशक्त व प्रभावी माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण महिलाओं में सही दृष्टिकोण, सही विचार व सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।[६]

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नही बल्कि ग्रामीण महिलायें शैक्षिक दृष्टिकोण से भी पुरूषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा से सम्बन्धित जो सुविधाएँ परिवार में लड़कों को दी जाती हैं वे सभी सुविधाएं लड़कियों को नहीं दी जाती हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि महिला साक्षरता की बात की जाय तो वर्ष १९५१ में महिलाओं की साक्षरता दर ८.८६ प्रतिशत थी जो सन् २००१ में बढ़कर ५३.६७ प्रतिशत तथा २०११ में यह दर बढ़कर ६५.४६ प्रतिशत हो गयी।

साक्षरता दर की सहायता से क्षेत्र विशेष में मानवीय संसाधनों की योग्यता की प्रारम्भिक स्थिति ज्ञात होती है। यह दर जितनी अधिक होती है क्षेत्र के विकास में उतनी ही सहायता मिलती है। उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष २००१ में ७१.६२ प्रतिशत थी वर्ष २०११ में बढ़कर ७८.६३ प्रतिशत हो गयी, परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में १४ वें स्थान से खिसकर १७ वें स्थान पर आ गया। यह साक्षरता दर सम्पूर्ण भारत वर्ष में २००१ में ६४.८३ प्रतिशत थी जो वर्ष २०११ में ७४.०४ प्रतिशत हो गयी. प्रदेश की साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से अधिक तो है परन्तु प्रदेश की स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में अभी भी कम है, जैसा कि तालिका संख्या १ में देखा जा सकता है।

तालिका - १

उत्तराखण्ड में साक्षरता दर

	वर्ष २००१			वर्ष २०११		
	व्यक्ति	**पुरुष**	**महिला**	**व्यक्ति**	**पुरुष**	**महिला**
उत्तराखण्ड	७१.६१	८३.२८	५९.६३	७९.६३	८८.३३	७०.७०
सम्पूर्ण भारत	६४.८३	७५.२६	५३.६७	७४.०४	८२.१४	६५.४६

Source : Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, Uttarakhand

ग्रामीण महिलाओं में शैक्षिक स्तर व साक्षरता की कमी के कारण ही वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। वर्तमान समय में जैसे-जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है वैसे-वैसे महिलाओं के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है, आज शिक्षा के द्वारा महिलाए जीवन तथा विचार के उचित तरीके अपनाती है तथा शिक्षा के माध्यम से ही उनमें गतिशीलता, परिवार के प्रति नया दृष्टिकोण, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं का क्षमता विकास हो रहा है, शिक्षा के द्वारा ही उनकी विचारधारा में परिवर्तन देखा जा रहा है।

उद्देश्य- शोध कार्य का उद्देश्य विभिन्न स्तर की महिलाओं के मध्य महिलाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता तथा शिक्षा से समाज/परिवार में उनकी स्थिति व उनके रहन-सहन पर पडने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में अध्ययन करना है।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत शोध कार्य हेतु उत्तराखण्ड राज्य के जनपद अल्मोड़ा के ब्लॉक ताड़ीखेत के विभिन्न ग्रामों की ३०० महिलाओं को सम्मलित किया गया। इसमें सोद्देश्य निदर्शन हेतु (Purposive Sampling) विधि का प्रयोग किया गया। शोध में आकड़ो के संग्रहण हेतु साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी विश्लेषण एंव परिणाम

तालिका-२

महिलाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	अशिक्षित		प्राइमरी स्तर		माध्यमिक स्तर		उच्च स्तर		कुल योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉ	०८	६६.६७	५४	९१.५२	२०७	९८.१०	१८	१००	२८७	९५.६७
नही	०४	३३.३३	०५	८.४८	०४	१.९०	.	.	१३	४.३३
कुल योग	१२	१००	५९	१००	२११	१००	१८	१००	३००	१००

तालिका २ द्वारा स्पष्ट होता है कि ६६.६७ प्रतिशत अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य है, जबकि ३३.३३ प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है।

९१.५२ प्रतिशत प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि महिलाओ के लिये शिक्षा अनिवार्य है, जबकि ८.४८ प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य नहीं है।

९८.१० प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य है, जबकि १.९० प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य नहीं है।

उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का १०० प्रतिशत मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य है।

इस प्रकार तालिका २ से स्पष्ट है कि ९५.६७ प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य है जबकि केवल ४.३३ प्रतिशत महिलाओ का इसके विपरीत मत है।

तालिका-३

परिवार में निर्णय लेने के अधिकार के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं का प्रत्युत्तर

स्वरूप	अशिक्षित		प्राइमरी स्तर		माध्यमिक स्तर		उच्च स्तर		कुल योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पिता/पति द्वारा	०९	७५.००	१६	२७.१२	२३	१०.९०	.	.	४८	१६.००
स्वयं द्वारा	.	.	१०	१६.९५	३८	१८.००	०४	२२.२२	५२	१७.३३
कमाऊ व्यक्ति	०२	१६.६७	२२	३७.२९	९६	४५.५०	०९	५०.००	१२९	४३
संगठित रुप से	०१	८.३३	११	१८.६४	५४	२५.६०	०५	२७.७८	७१	२३.६७
कुल योग	**१२**	**१००**	**५९**	**१००**	**२११**	**१००**	**१८**	**१००**	**३००**	**१००**

तालिका संख्या ३ से स्पष्ट होता है कि ७५.०० प्रतिशत अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार पति/पिता को है १६.६७ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार कमाऊ व्यक्ति को है तथा

८.३३ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय संगठित रुप से लिये जाते हैं।

२७.१२ प्रतिशत प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार पति/पिता को है। १६.६५ प्रतिशत परिवार में निर्णय लेने का अधिकार महिलाऐं स्वयं लेती हैं। ३७.२६ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार कमाऊ व्यक्ति को है जबकि १८.६४ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय संगठित रुप से लिये जाते हैं।

१०.६० प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार पति/पिता को है। १८ प्रतिशत परिवार में महिलाऐं स्वयं निर्णय लेती हैं ४५.५० प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार कमाऊ व्यक्ति को है तथा २५.६० प्रतिशत परिवारों में निर्णय संगठित रुप से लिय जाते हैं।

२२.२२ प्रतिशत उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं के परिवार में निर्णय महिलाए स्वयं लेती हैं। ५० प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार कमाऊ व्यक्ति को है तथा २७.७८ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय संगठित रुप से लिये जाते है।

इस प्रकार १६ प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के परिवार में निर्णय लेने का अधिकार पति/पिता को, १७.३३ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में महिलाऐं स्वयं निर्णय लेती हैं ४३ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय का अधिकार कमाऊ व्यक्ति को है तथा २३.६७ प्रतिशत महिलाओं के परिवार में निर्णय संगठित रुप से लिये जाते हैं।

तालिका-४

रहन-सहन के ढंग के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं का प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	अशिक्षित		प्राइमरी स्तर		माध्यमिक स्तर		उच्च स्तर		कुल योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
परम्परागत भारतीय	१०	८३.३३	३०	५०.८५	३१	१४.६६	.	.	७१	२३.६७
साधारण	०२	१६.६७	२६	४६.१५	१२०	५६.८७	११	६१.११	१६२	५४.००
आधुनिक	.	.	.	.	६०	२८.४४	०७	३८.८६	६७	२२.३३
कुल योग	**१२**	**१००**	**५६**	**१००**	**२११**	**१००**	**१८**	**१००**	**३००**	**१००**

तालिका ४ से स्पष्ट होता है कि ८३.३३ प्रतिशत अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं का रहन-सहन परम्परागत भारतीय है जबकि १६.६७ प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन साधारण है।

५०.८५ प्रतिशत प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का रहन-सहन परम्परागत भारतीय है जबकि ४६.१५ प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन साधारण है।

१४.६६ प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का रहन-सहन परम्परागत भारतीय है ५६.८७ प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन साधारण है जबकि २८.४४ प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन आधुनिक है।

६१.११ प्रतिशत उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का रहन-सहन साधारण हैं जबकि ३८.८६ प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन आधुनिक है।

इस प्रकार २३.६७ प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का रहन-सहन परम्परागत भारतीय है ५४.०० प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन साधारण है जबकि २२.३३ प्रतिशत महिलाओं का रहन-सहन आधुनिक है।

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के प्रति बदलते दृष्टिकोणों तथा शिक्षा से समाज/परिवार में उनकी स्थिति व उनके रहन-सहन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि अशिक्षित, प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाये शिक्षा को अनिवार्य मानती हैं। इसमें केवल अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिये शिक्षा अनिवार्य नहीं है जबकि प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च स्तर की महिलाओं के अनुसार लड़कियों को उच्च शैक्षिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

अधिकांश ग्रामीण महिलाओं का मत है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त , समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। शिक्षा द्वारा ही वे व्यक्तित्व व बुद्धि विकास कर आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक कार्यो को सम्पन्न करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा से ही उनकी विभिन्न विषयों राजनीति, धर्म, समाज एवं स्वास्थ्य आदि में आने वाले परिवर्तन व विकल्पों का ज्ञान होता है। शिक्षा के स्तर के कारण

ही ग्रामीण महिलाओं में राजनीति व कानून के सन्दर्भ में चेतना का विकास होने लगा है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं।

शिक्षा से ग्रामीण महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। उनमें अन्याय व शोषण के विरूद्व आवाज उठाने की हिम्मत हुई है। अपने अधिकारों की शक्ति का प्रयोग शिक्षित ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं को संस्कारों, पारिवारिक दायित्वों से मुक्त करने में किया है। महिलाऐं ये जानने लगी हैं कि शिक्षा उनका मानसिक व बौद्विक विकास कर उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ग्रामीण महिलाऐं यह समझने लगी हैं कि शिक्षा द्वारा ही वे समाज में पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त कर सकती हैं। वर्ल्ड बैंक रिर्पोट के अनुसार शिक्षित महिलाऐं उत्पादकता, आय एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ स्वस्थ्य एवं सुपोषित जनसंख्या के निर्माण में सहायक हैं।

सन्दर्भ

१. Bahera, S.K., "Educational Thoughts of Dr Sarvapalli Radhakrishnan" IRJIMS, Vol-I, Issue-I, 2015 p- 196-205

२. Pani, S-P- and Pattnaik, S.K., "Vivekananda, Aurobindo, and Gandhi on Education", Anmol Publication, New Delhi, 2006, p-80

३. मकोल नीलम एवं शर्मा, संदीप, ''सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान'' कुरुक्षेत्र वर्ष ५२, अंक ११, २००६ पृ. ५३

४. दुबे एस. सी.,'' माडनाइजेशन एंड डेवलपमेंट'' विस्तार पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, १६८८, पृ. १५६-१६५

५. देवपुरा प्रतापमल, 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व', कुरूक्षेत्र, वर्ष ५२, अंक ५, २००६, पृ. ५-१६

६. मोदी अनीता, 'महिला शिक्षाः ग्रामीण विकास की आधारशिला' कुरुक्षेत्र वर्ष ५८, अंक ११, २०१२, पृ. १४

७. Uttarakhand at a Glance 2010-2011, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, 2011

८. The World Bank, Improving Women's Health in India, Washington, DC, 1996

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

भू-उपयोग प्रतिरूप एवं कृषि विकास का एक भौगोलिक अध्ययन

❑ **डॉ० संजीव कुमार**

भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है। मानवीय सभ्यता और आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुसार भूमि उपयोग का स्वरूप बदलता रहता है जिससे प्रत्यक्षतः कृषि विकास की अवस्थायें अंकित होती हैं। कृषि कार्य में विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास क्रम की द्योतक है तथा ये मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलापों को प्रभावित करता है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत भूउपयोग प्रतिरूप एवं कृषि विकास का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मिट्टी, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन दायिनी उपहार एवं महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्रिया-कलाप सम्पन्न होते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है जिसका मुख्य आधार कृषि है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। कृषि विकास हेतु कृषि स्वरूप, भूमि उपयोग नियोजन एवं कृषि सम्बन्धित क्रियाओं का योजनाबद्ध विकास अपरिहार्य है। कृषि का स्वरूप, भूमि उपयोग नियोजन एवं सम्यक कृषि का ग्रामीण विकास में विशिष्ट महत्व इस तथ्य में निहित है कि सीमित भूमि संसाधन द्वारा ग्रामीण जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति भूमि उपयोग नियोजन से ही सम्भव है। इस सन्दर्भ में कृषि स्वरूप एवं भूमि उपयोग नियोजन के अन्तर्गत भूमि की प्रत्येक इकाई के अनुकूलतम उपयोग को निर्धारित किया जाना अति आवश्यक है जिससे अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार भूमि उपयोग प्रतिरूप का साामजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधन तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुन्नता कृषि ग्रामीण विकास की मेरूदण्ड होती है जो ग्रामीण विकास प्रक्रिया को आत्म निर्भरता प्रदान करती है।

भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार : गंगा -यमुना-दोआब के अन्तर्गत जनपद-मैंनपुरी के दक्षिण में स्थित करहल तहसील २६०५८' से २७०७' उत्तरी अक्षांश तथा ७८०४५' से ७६०१३' पूर्वी देशान्तरों के मध्य विस्तृत है। सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से समस्याग्रस्त एवं पिछड़े ग्रामीण कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। करहल तहसील के अन्तर्गत २ विकास खण्ड बरनाहल एवं करहल १८ न्याय पंचायते तथा १६३ राजस्व ग्राम सम्मिलित है। तहसील करहल के उत्तर में मैंनपुरी व घिरोर विकास खण्ड तथा दक्षिण में जनपद इटावा की सीमा, पूर्व में जागीर व किशनी विकास खण्ड तथा पश्चिम में जनपद फिरोजाबाद की सीमा लगती हैं तहसील का कुल क्षेत्र ५६४.६३ वर्ग किमी० है, जिसमें करहल तहसील में विकास खण्ड करहल का क्षेत्रफल ३५७.०४ वर्ग किमी० है, जबकि बरनाहल विकासखण्ड का क्षेत्रफल २०७.५६ वर्ग किमी० है। अध्ययन क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई ३२ किमी० तथा उत्तर से दक्षिण की लम्बाई १६.५ किमी० है। वर्ष-२०११ के अनुसार कुल जनसंख्या ३२४०१७ है, जिसमे १७४४८० पुरूष तथा १४६५३७ स्त्रियां है। जनसंख्या का सामान्य घनत्व ६६८ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

अध्ययन क्षेत्र के वर्णित विषय वस्तु को अधिक बोधगम्य तथा सहज ग्राह्य बनाने के लिए जिला सांख्यिकीय पत्रिका औद्योगिक निर्देशिका, जनपद गजेटियर, फसली एवं खसरा रिकार्डस तथा ऑकड़ों को विभिन्न रेखाचित्रों, मानचित्रों, सांख्यिकीय तकनीकों तथा माध्य, मध्यिका, माध्य विचलन, प्रकीर्णन, मानकीकरण, सह-सम्बन्ध, प्रतीगमन रेखाओं आदि के माध्यम से समग्रता एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र करहल तहसील, की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए योजनाबद्ध कृषि विकास हेतु प्रयास अति आवश्यक है। यहाँ कृषि सम्बन्धी सुविधायें तथा उर्वर मिट्टी, पर्याप्त जल, सुलभ हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि की प्रधानता है, फलतः जनसमुदाय कृषि कार्य से सम्बद्ध है क्योंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का अभाव है। इसी कारण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था पूर्णरूपेण कृषि संसाधन पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में आवश्यकता यह है कि कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए कृषि से संबंधित उद्योगों एवं अन्य कृषियेत्तर व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का प्रावधान किया जाय।

❑ **असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, ए०के० (पी०जी०) कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (उ०प्र०)**

भू-उपयोग प्रतिरूप : कृषि क्रिया किसी न किसी क्षेत्र पर की जाती है। इस क्षेत्र को सामान्यतः धरातल (Ground) , भूमि (Land) , मृदा (Soil), या पृथ्वी (Earth), आदि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः कृषि क्षेत्र से आशय उस स्थान से लगाया जाता है, जहाँ मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन हेतु खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। कृषि क्रिया से पूर्व धरातल को वन भूमि, ऊसर भूमि, मरूभूमि, पर्वत, पठार, मैदान आदि के रूप में जाना जाता है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन जुटाने के लिए वनभूमि व अकृष्य क्षेत्रों को निरन्तर कृषि के अन्तर्गत लाया जा रहा है, जिससे अकृष्य क्षेत्रों में कमी होती जा रही है। जिन क्षेत्रों में इन दोनों स्थितियों में अधिकतम संतुलन होता है वहाँ भूमि की उपयोगी अनुकूलतम अवस्था होती है। यद्यपि "भूमि उपयोग" शब्द का प्रयोग वर्तमान शताब्दी के प्रथम चरण में कार्ल ओ सावर[१] तथा जोन्स एवं फ्रिंच[२] द्वारा किया गया था। परन्तु भूगोल में वास्तविक एवं व्यावहारिक महत्व डडले स्टाम्प[३] के ग्रेट ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ। भारतीय सन्दर्भ में शफी[४] तथा भाटिया[५] के कार्य मौलिक, महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं।

भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है। मानवीय सभ्यता और आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुसार भूमि उपयोग का स्वरूप बदलता रहता है। जिससे प्रत्यक्षतः कृषि विकास की अवस्थायें अंकित होती हैं। कृषि कार्य में विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास क्रम की द्योतक है तथा ये मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलापों को प्रभावित करता है।

वर्तमान वैज्ञानिक युग में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु नूतन तकनीकी ज्ञान की सहायता से विकास कार्य किए जा रहे हैं। भूमि उपयोग भी इस प्रकार की उपलब्धियों से प्रभावित है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि वितरण एवं परिवर्तन प्रतिरूप का सम्यक विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही सिंचित क्षेत्र, द्विशस्यीय क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र एवं भूमि उपयोग क्षमता आदि के बदले स्वरूप की सम्यक विवेचना की गई है। वर्ष- २०१५ में अध्ययन क्षेत्र में कृषि में अयोग्य भूमि १०.६१ प्रतिशत, कृषि योग्य भूमि २२.६७ प्रतिशत एवं कृषि भूमि ६२.२२ प्रतिशत है। इसी अवधि में कुल कृषित भूमि का सिंचित क्षेत्र ६५.६३ प्रतिशत एवं द्विशस्य क्षेत्र ७८.३१ प्रतिशत है, जो तालिका- १ से स्पष्ट है।

अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग को तीन प्रतिरूपों में विभक्त किया है -

कृषि अयोग्य भूमि : भूमि उपयोग का एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों के अनेक तत्व अधिबास, यातायात, संचार की सुविधायें, सिंचाई के साधन, उद्योग एवं बाजार आदि सम्बन्धित होते हैं।

कृषि अयोग्य भूमि ५७७१ हैक्टेयर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल १०.६१ प्रतिशत है, के अन्तर्गत मुख्यतः चारागाह ७.५१ प्रतिशत, अधिबास एवं यातायात रेलवे लाइन, सड़क, घर से सम्बन्धित क्षेत्र ३१.५८ प्रतिशत, कब्रिस्तान एवं मरघट ०.७५ प्रतिशत एवं अन्य कृषि अयोग्य भूमि ६०.१६ प्रतिशत सम्मिलित हैं जो तालिका- १ से स्पष्ट है।

कृषि योग्य भूमि : भूमि उपयोग के सन्दर्भ में यह श्रेणी विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषित क्षेत्र में भावी विस्तार की सम्भावनायें निहित रहती हैं। वस्तुतः इस प्रकार की भूमि के वितरण प्रतिरूप के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के वर्तमान एवं भविष्य के भूमि उपयोग की रूपरेखा निर्धारित की जाती हैं कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल वर्ष - २०१५ में १४७४५ हेक्टेयर है जो कुल भैगोलिक क्षेत्रफल का २६.६७ प्रतिशत है, जिसके अन्तर्गत ऊसर क्षेत्र/ बंजर भूमि २०.८८ प्रतिशत, बाग/वन क्षेत्र ५.१४ प्रतिशत, परती भूमि (नयी व पुरानी) ४८.८४ प्रतिशत एवं अन्य कृषि योग्य भूमि २५.१४ प्रतिशत सम्मिलित हैं। **शुद्ध कृषित भूमि :** कृषि भूमि उपयोग का सम्बन्ध ऐसी भूमि से है जिस पर वर्तमान समय में कृषि की जा रही हो। इसके अन्तर्गत कृषि भूमि उपयोग के तीन महत्वपूर्ण पक्षों- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, द्विशस्यीय क्षेत्रफल तथा सिंचित क्षेत्रफल का अध्ययन समाविष्ट है। शुद्ध कृषित भूमि, भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके उपयोग की विभिन्न अवस्थायें मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर की द्योतक हैं। सामान्यतः मानव कृषि कार्य से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का विकास कर कृषित भूमि के विस्तार के लिए सदैव जागरूक रहता हैं। समतल उपजाऊ वाले क्षेत्र में कृषित भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के ६२.७२ प्रतिशत अर्थात् ३४६८३ हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें एक शस्यीय क्षेत्रफल १३.६० प्रतिशत अर्थात ७५२४ हैक्टेयर, द्विशयीय क्षेत्रफल ४६.१२ प्रतिशत अर्थात् १५६ हेक्टेयर सम्मिलित हैं।

तालिका – १ तहसील करहल : भूमि उपयोग प्रतिरूप २०१५

भूमि उपयोग के विभिन्न स्वरूप	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	कृषि अयोग्य भूमि (प्रतिशत)	कृषि योग्य भूमि (प्रतिशत)	शुद्ध कृषित भूमि (प्रतिशत)
चारागाह	४४१	०.८०	७.५१		
अधिवास एवं यातायात	१८५४	३.३५	३१.५८		
कब्रिस्तान एवं मरघट	४४	०.०	०.७५		
अन्य कृषि अयोग्य भूमि	३५३२	६.३८	६०.१६		
कृषि अयोग्य भूमि	५८७१	१०.६१	१००.००		
ऊसर क्षेत्र/ बंजर भूमि	३०७६	५.५७		२०.८८	
बाग/ बन क्षेत्र	७५८	१.३७		५.१४	
परती भूमि (नयी व पुरानी)	७२०१	१३.०३		४८.१४	
अन्य कृषि योग्य भूमि	३७०७	६.७०		२५.१४	
कृषि योग्य भूमि	१४७४५	२६.६७		१००.००	
एक शस्यीय क्षेत्रफल	७५२४	१३.६०			२१.६६
द्विशस्यी क्षेत्रफल	२७१५६	४६.१२			७८.३१
शुद्ध कृषित भूमि	३४६८३	६२.७२			१००.००
सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल	५५२६६	१००.००			

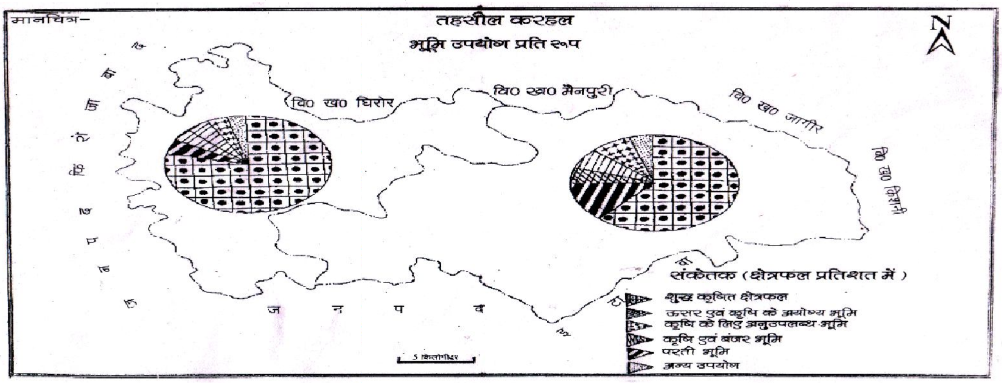

विकास खण्ड के आधार पर भू-उपयोग प्रतिरूप के स्थानीय परिवर्तन तालिका- २ व ३ के द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक ७८.६४ प्रतिशत बरनाहल विकास खण्ड में तथा ६३.७३ प्रतिशत करहल विकास खण्ड में है। दोनों विकासखण्डों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष- २०१५ में बरनाहल विकास खण्ड में परती भूमि का प्रतिशत ५.६१ था, जबकि करहल विकास खण्ड में १३.६६ प्रतिशत था जो बरनाहल विकास खण्ड से २.५ गुना अधिक था इसी प्रकार से कृषि योग्य बंजर भूमि बरनाहल विकास खण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र की ३.०१ प्रतिशत थी, जबकि करहल विकास खण्ड में बंजर भूमि का प्रतिशत २ गुना (६.६३ प्रतिशत) से अधिक था। चारागाह एवं उद्यान भूमि का प्रतिशत करहल विकास खण्ड की अपेक्षा बरनाहल विकास खण्ड में अधिक (२.६६ प्रतिशत) था शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तहसील करहल की विविधता को स्पष्ट करता है जैसा कि तालिका २ व ३ से स्पष्ट है।

क्रियात्मक जोतों का आकार : निरन्तर हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जिसमें न केवल जनंसख्या की प्राकृतिक वृद्धि ही एक कारक है, वरन् आधुनिकता की दौड़ में टूटते संयुक्त परिवार एवं उनका स्थान ग्रहण करते व्यक्तिगत

तालिका - २ तहसील करहल : विकास खण्डवार भू-उपयोग (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) - २०१५

विकास खण्ड	बरनाहल	करहल	योग
कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	२१५७८	३३७२१	५५२९६
वन	४१३ (१.९२)	२०१ (०.६०)	६१४
कृषि योग्य बंजर भूमि	६७६ (३११३)	२४०३ (७.१३)	३०७६
वर्तमान परती भूमि	७६८ (३.५६)	२४७७ (७.३५)	३२४५
अन्य परती भूमि	११३७ (५.२७)	२८१९ (८.३६)	३९५६
ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	११९३ (५.५३)	२३३९ (६.९४)	३५३२
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	१३४० (६.२१)	२३६७ (७.०१)	३७०७
चारागाह	१०९ (०.५०)	३३२ (०.९८)	४४१
उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	८२ (०.३८)	६२ (०.१८)	१४४
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	१५८६० (७३.५०)	२०७२१ (६१४५)	३६५८१

स्त्रोत : राजस्व अभिलेखागार तहसील करहल जनपद मैनपुरी (उ.प्र.)

तालिका - ३ तहसील करहल : विकास खण्डवार भू-उपयोग (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) - २०१५

विकास खण्ड	बरनाहल	करहल	योग
कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	२१०११	३५४६९	५६४८०
वर्तमान परती एवं अन्य परती भूमि	११७९ (५.६१)	४९५१ (१३.९९)	६१३०
कृषि योग्य बंजर भूमि	६३३ (३.०१)	२२५३ (६.६३)	२८८६
ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	७९८ (३.८०)	२८२४ (७.९६)	३६२२
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	१२५१ (५.९५)	२१९५ (६.१९)	३४४६
चारागाह एवं उद्यान	५६३ (२.६९)	५३३ (१.५०)	१०९६
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	१६५८७ (७८.९४)	२२६०३ (६३.७३)	३९१९०

स्त्रोत : जनपद सांख्यिकीय पत्रिका मैनपुरी, २०१४-१५

परिवार निरन्तर भूमि के क्रियात्मक जोतों के विभाजन हेतु उत्तरदायी कारण हैं। क्रियात्मक जोतों का विश्लेषण कृषि में निरन्तर बढ़ रहे मशीनों के उपयोग तथा इस दृष्टि से बृहद जोतों की आवश्यकता के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

तालिका - ४
तहसील करहल : क्रियात्मक जोतों का आकार

आकार वर्ग (हेक्टेयर)	संख्या	क्षेत्रफल	प्रतिशत
०-५ हेक्टेयर से कम	२०६००	४७४६	११.१२
०.५-१.००	११४२०	८२३३	१९.२६
१.००-२.००	८४२६	११६३७	२७.२७
२.००-४.००	३७८३	१०३५४	२४.२६
४.००-१०.००	१२१३	६६८७	१५.६७
१०.०० से अधिक	७३	१०२२	२.३९
योग	४५५१५	४२६७९	१००.००

स्त्रोत : जनपद सांख्यिकीय पत्रिका मैनपुरी, २०१४-१५

तहसील करहल में २०१०-११ में कुल जोतों की संख्या ७८.५३ प्रतिशत १० हेक्टेयर से कम आकार क्रियात्मक जोतों के अन्तर्गत था। जबकि ४.०० हेक्टेयर से अधिक बृहद जोतों के अन्तर्गत केवल १.४७ प्रतिशत संख्या थी जो वर्ष- २०१४-१५ अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित हुई जैसा कि तालिका-४ से स्पष्ट है कि ०.५ हेक्टेयर से कम आकार के जोतों का प्रतिशत ११.१२ प्रतिशत तथा १०.०० से अधिक जोतों का आकार मात्र २.३९ प्रतिशत है। जोतों की स्थिति तालिका- ४ के द्वारा प्रदर्शित की गई है।

References

1. Saver C. O., 'Mapping the Utilization of Land', Geographical Review 4, 1919
2. Jones W.D. and V.C. Frinch, 'Detailed Field Mapping of Agricultural Area', Annals Association Amer, Georges.
3. Stamps L.D., 'The Land Utilization Survey of Britain', Geographical Journal, 78, 1931.
4. Shafi M, 'Land Utilization in Eastern U.P.', Aligarh Musim University, Aligarh, 1960
5. Bhatia S.S., 'Patterns of Crop Concertration and Diversification in India' Economic Geography, 41, 1965

नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं परिणाम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ डॉ. साधना पाण्डेय

अध्यक्षीय शासन प्रणाली एवं विश्व व्यवस्था के प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन न केवल अमेरिका में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अत्यधिक गम्भीरता से लिया जाता है। सभी की नजरें निर्वाचन के आरम्भिक चरण से परिणाम तक टिकी रहती हैं, क्योंकि आने वाले समय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों के निर्धारण एवं शक्ति संतुलन में अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस निर्वाचन में राजनीतिक अनुभव से शून्य किन्तु एक सफल व्यवसायी डोनाल्ड ट्रम्प तथा दूसरी तरफ भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति की पत्नी (जो पूर्व में स्वयं विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं) हिलेरी क्लिंटन थीं।
इस बात के अनुमान चुनाव विश्लेषकों द्वारा लगाये जा रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन अपने प्रतिद्वन्दी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को हराकर पहली महिला राष्ट्रपति भी बनेंगी किन्तु डोनाल्ड ट्रम्प ने सारे चुनावी विश्लेषणों को गलत सिद्ध करते हुये अप्रत्याशित जीत दर्ज की।

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, विश्व भयानक मन्दी के दौर से गुजर रहा है, युवा पीढ़ी पूरी दुनिया में बेरोजगारी से जूझ रही है, देश की सुरक्षा के नाम पर हथियारों का जखीरा खड़ा किया जा रहा है, वे भी ऐसे जो पल भर में पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते हैं, आतंकवाद विश्व में कैंसर की महामारी की तरह अपने पैर फैला रहा है। इसी के साथ एक तरफ तकनीक एवं संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हो रही है तो दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से मानवता दम तोड़ रही है। आज की इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के समय में कोई भी देश कितना भी शक्ति सम्पन्न एवं समर्थ क्यों न हो वह किसी न किसी आवश्यकता के लिये दूसरे पर निर्भर अवश्य है।

यह बात पूर्णतया सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की विश्व में भविष्यवणाी नहीं की जा सकती है किन्तु पूर्वानुमान देश के नेतृत्व को दृष्टिगत रखते हुये भी लगाये जाते हैं।

इस युग में यदि हम भारत और चीन से आरम्भ करें तो यह प्रश्न प्रायः उठता है कि क्या इन दो बड़े एशियाई देशों के सम्बंध कभी वास्तव में मैत्रीपूर्ण एवं परस्पर लाभप्रद एवं सामान्य हो सकते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि नेतृत्व परिवर्तन दोनों ही देशों में हुआ है। '२०१६ का भारत, जहाँ नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमजोर या मजबूर राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही आज का चीन माओ के शासनकाल वाला आक्रामक विस्तारवादी मानसिकता से ग्रस्त देश भी बिल्कुल नहीं है।'[1] इस समय विश्व भूमण्डलीकरण की अनिवार्यता तथा अपरिहार्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और पिछले दशक में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन भारत का सबसे बड़ा साझेदार के रूप में उभरा है। लेकिन इसी के साथ ही साथ भारत के पड़ोस में सैनिक तथा नौसैनिक मौजूदगी दर्ज कराकर भारत के प्रभाव को कम करने की चेष्टा भी चीन समय-समय पर करता रहा है। एन.एस.जी. में भारत की सदस्यता न मिलने की प्रमुख वजह चीन ही रहा है।

भारत के नेतृत्व के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति की अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही है और उसमें लोगों को एक उम्मीद भी दिखायी दे रही है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क नेताओं को आमंत्रित करना, विभिन्न देशों की विदेश यात्राओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में माहौल बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कठोर निर्णय लेना, आतंकवाद का सभी स्तरों पर जमकर विरोध करना, महाशक्तियों के साथ रिश्तों को मजबूत करना इस बात को दर्शाता है कि वे विदेश नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं और देंगे।

'रूस जिसका नेतृत्व पुतिन कर रहे हैं वे भी इस बारे में पूर्णतया सजग रहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन रूस को कमजोर करने वाला न बन सके। जहाँ पुतिन को लगता है कि उनके देश के संवेदनशील सामरिक हित जोखिम में पड़ सकते हैं तो वे नरम नहीं रहते हैं।'[2]

इसी क्रम में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नेतृत्व अमेरिका में जब पूर्व राष्ट्रपति ओबामा चुनाव जीत कर आये थे तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे अमेरिकी फौजों को इराक

❑ सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (म.प्र.)

से घर वापस ले आयेंगे किन्तु बाद में इस घोषित निर्णय में परिवर्तन कर सैनिकों को इराक के स्थान पर अफगानिस्तान भेजा गया और वहाँ भी सैनिक हस्तक्षेप शांति की स्थापना या जनतन्त्र के बीजारोपण में असफल ही रहा। कुल मिलाकर 'सत्ता परिवर्तन' की नीति को न तो अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हो सका और न ही इससे अमेरिका के सामरिक हित सुरक्षित रखे जा सके। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतिरोध करने में भी उतने सशक्त दिखायी नहीं पड़े जितनी उनसे अमेरिकी जनता को अपेक्षा थी।

इसीलिये नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं परिणाम जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीत कर आये हैं उनके नेतृत्व में अमेरिका का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं अन्य देशों से उसके संबंधों का पूर्वानुमान लगाने के लिये आवश्यक है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार एवं परिणाम का अध्ययन किया जाये।

सार रूप में भारत, चीन, रूस, अमेरिका सहित हम विश्व के कुछ चुनिंदा नेतृत्व पर एक नजर डालें तो वहाँ भी व्यापक दृष्टिकोण एवं विचारों का अन्तर स्पष्ट दिखायी देता है। एक तरफ महाशक्ति से टूटकर ग्यारह स्वतन्त्र राष्ट्रों में विभक्त होने के बाद भी यू.एस.एस.आर. का सुरक्षा परिषद् में स्थान लेने वाला रूस जैसा शक्तिशाली गणतन्त्र है जिसके पास पुतिन जैसा आक्रामक नेतृत्व है, एशिया में (चीन और भारत) चीन जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, जिसका नेतृत्व झी जिनपिंगके हाथों में है। भारत में (जो विश्व की एक नयी महाशक्ति बनने का सपना संजोये है) नरेन्द्र मोदी के रूप में (तमाम आलोचनाओं के बाद भी) पार्टी व सरकार पर जबरदस्त पकड़ वाला नेतृत्व है। 'उत्तरी कोरिया में किम जोंग का नेतत्व है, जो पूरी तरह अपनी मर्जी पर चलता है, मुस्लिम देशों के अपने नेतृत्व हैं, जिनमें से अधिकांश आतंकवाद को शह देकर न केवल विश्व के लिये खतरा पैदा कर रहे हैं बल्कि स्वयं के लिये भी समानान्तर चुनौती खड़ी कर रहे हैं।'[३] इन सब प्रमुख चुनिंदा नेतृत्व के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति का नवीन निर्वाचन एवं परिणाम सामने है। डोनाल्ड ट्रम्प जो रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, जिन्होंने न केवल पहली बार कोई चुनाव लड़ा है, वह भी अमेरिका के सर्वोच्च पद का बल्कि उसमें तमाम चुनावी विश्लेषकों को गलत सिद्ध करते हुये जीत भी हासिल की है। नवीन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का परिचय-

१. ४५वें अमेरिकी राष्ट्रपति।
२. पिछले साठ वर्षों में पहले राष्ट्रपति जिसका राजनीति से पूर्व में कोई सम्बन्ध न रहा हो।
३. पहला चुनाव लड़ना वह भी अमेरिका के राष्ट्रपति का और जीत हासिल करना।
४. यौन उत्पीड़न के आरोप लगना।
५. विवादित बयानों के लिये चर्चित
(अ) मुसलमानों को लेकर - अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर पूर्ण पाबन्दी का बयान।
(ब) आउटसोर्सिंग को लेकर - भारत व चीन पर आरोप कि वे अमेरिकी युवाओं की नौकरियों के अवसर कम कर रहे हैं।
६. निजी जीवन पर आरोप -
(अ) कर चोरी का आरोप।
(ब) गुस्सैल स्वभाव का आरोप।
(स) अपनी ही पुत्री पर अश्लील बयान का आरोप।
७. टी.वी. पर रियल्टी शो एवं एयरलाइन्स आरम्भ करना, बाद में दोनों ही बन्द कर दिये।
८. रियल स्टेट के बड़े व्यवसायी उतार-चढ़ाव दोनों ही का अनुभव।
९. लेखक - पुस्तके 1-How to make America great again 2-Think Big
१०. 'Make America Great America' का नारा दिया।

कुल मिलाकर एक बड़े उद्योगपति, एक अनुभवहीन राजनीतिज्ञ, विवादास्पद बयानों के लिये चर्चित डोनाल्ड ट्रम्प नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं परिणाम का अध्ययन एवं विश्लेषण का संक्षिप्त प्रयास इस शोध पत्र द्वारा किया जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति द्वारा लीप वर्ष में किया जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण : विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ताकतवर व्यक्ति का निर्वाचन एक जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया से सम्पन्न होता है जिसके प्रमुख चरण निम्नानुसार हैंः-

'अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद-२ में राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मण्डल द्वारा सूची पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष है और दो बार से अधिक (८ वर्ष) वह इस पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता।'[४]

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिये अर्हता-

(१) ३५ वर्ष की आयु सीमा।
(२) १४ वर्ष लगातार निवास की अवधि वाला अमेरिकी नागरिक।
(३) मुख्य रूप से दो ही दल- डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक।

प्रारम्भिक चुनाव की प्रक्रिया : सर्वप्रथम दोनों दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं जो राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन में भाग लेना चाहते हैं। दूसरे चरण में अमेरिका के ५० राज्यों के वोटर प्राइमरी और कॉकस दो तरह से दल के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

प्राइमरी में मतपत्र के जरिये तथा कॉकस में दल के सदस्य स्कूलों, घरों या सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर, हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं।

इस तरह प्राइमरी में सम्पूर्ण जनता एवं कॉकस में केवल दल के सदस्य। दोनों मिलकर चुने गये दलीय प्रतिनिधि दूसरे चरण में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस राष्ट्रीय दलीय सम्मेलन में ये प्रतिनिधि दल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करते हैं।

चुनाव प्रचार - इसमें राष्ट्रपति पद के मुख्यतः दोनों दलों के उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु चुनाव प्रचार करते हैं।

निर्वाचन मण्डल का चुनाव -निर्वाचन मण्डल में कुल ५३८ सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य में मत राजनीतिक दल के पक्ष में डाले जाते हैं। प्रत्येक राज्य में न्यूनतम कोटा पृथक-पृथक तय होता है। एक राज्य में जिस राजनैतिक दल को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है उस राज्य से निर्वाचक मण्डल के सभी सदस्य उसी दल से निर्वाचित हो जाते हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव में जीतने के लिये ५३८ में से कम से कम २७० निर्वाचक मण्डल के सदस्य के मत अनिवार्य है।

निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव : निर्वाचक मण्डल के ये ५३८ सदस्य नवम्बर माह में पहले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिये मतदान करते हैं।

इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मण्डल में ५३८ में से रिपब्लिक पार्टी की डोनाल्ड ट्रम्प को ३०६, डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को २३२ मत मिले। इसलिये डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। नया राष्ट्रपति अमेरिका में २० जनवरी को शपथ ग्रहण करता है।

इस तरह अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प थे जिनकी पार्टी से उम्मीदवारी भी प्रारम्भ में अनिश्चित थी तो दूसरी तरफ हिलेरी क्लिंटन (डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार) थीं। जब ट्रम्प की उम्मीदवारी पार्टी से तय हो गयी तो डेमोक्रेटिक पार्टी की मध्यममार्गी समझी जाने वाली उम्मीदवार क्लिंटन की आसान जीत का दावा चुनाव पूर्व जनमत सर्वे करने वाली सभी एजेंसियां कर रही थीं। क्योंकि ट्रम्प को आरम्भ में किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया किन्तु कंजरवेटिव, दक्षिणपंथी, कट्टर ईसाई समूहों और आर्थिक मंदी से अवसर गंवाने के कारण नाराज वर्गों को उन्होंने इतनी मजबूती से अपनी तरफ किया कि चुनाव की पूरी बाजी ही पलट गयी।

चुनाव प्रचार के प्रमुख मुद्दों पर क्लिंटन व ट्रम्प का दृष्टिकोण : एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार क्लिंटन में लोगों को सच्चाई नजर नहीं आयी। कहीं न कहीं अमेरिकी जनता में यह विश्वास घर कर गया कि वे राजनीतिक रूप से प्रस्तुत की गयी पार्टी की उम्मीदवार हैं। उनकी अपनी मौलिक उम्मीदवारी अमेरिकी जनता को अधिक नजर नहीं आयी। उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों, उन पर भी बेबाकी से अपना पक्ष न रख पाना, हर समय बचाव की मुद्रा में नजर आना, उनका नारा जागरूक अमेरिकी जनता को अपनी तरफ नहीं खींच सका। विदेश मंत्री रहते हुये उनके द्वारा क्लिंटन फाउंडेशन को प्रदत्त आर्थिक मदद, सऊदी अरब से उनके रिश्ते, इन सभी मुद्दों में वे रक्षात्मक नजर आयीं। डोनाल्ड ट्रम्प के महिलाओं के विषय में विवादास्पद बयानों के बावजूद भी वे महिला मतदाताओं को पूरी तरह अपनी तरफ खींचने में भी असफल रहीं।

दूसरी तरफ राजनीतिक अनुभव से शून्य रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प जिनका नारा 'Make America Great America' लोगों को अपना सा लगा। शून्य राजनीतिक अनुभव होते हुये भी उन्होंने उन विषयों को बेबाकी से उठाया जो अमेरिकी जनता को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह सफल रहा, जैसे- अमेरिकी युवाओं में रोजगार का मुद्दा, अमेरिका को फिर से वास्तविक महाशक्ति बनाना, आतंकवाद से आर-पार लड़ाई, विभिन्न विषयों पर विवादास्पद बयानों के बाद भी राजनीतिक रूप से सही साबित होने की कोशिश न करना, ये ऐसे प्रयास थे जिससे लोगों के मन में एक सामान्य व्यक्ति ऐसा ही होता है कि छवि बनी, जो निर्णायक सिद्ध हुयी।

'हिन्दू अमेरिकी मतदाता का वोट पाने के लिये भारत जैसे नारे- अबकी बार ट्रम्प सरकार, हिन्दुस्तानियों के साथ, परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाना, ये ट्रम्प के वे चुनावी पैंतरे थे जिससे अमेरिका के ३२ लाख भारतीय अमेरिकी मतदाता को अपनी तरफ खींच कर उन्होंने परिणाम पलट दिया।'[५]

इस तरह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया, प्रचार, मुद्दों एवं अन्ततः परिणाम पर दृष्टिकोण डालें तो तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों एवं विश्लेषकों के अनुमानों को गलत सिद्ध करते हुये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल कर ४५वें अमेरिकन राष्ट्रपति बन गये। साथ ही हिलेरी क्लिंटन के रूप में अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिलने की तात्कालिक उम्मीदें समाप्त हो गयीं।

'आज के समय में डोनाल्ड ट्रम्प विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश का शीर्ष चेहरा हैं। इस कारण न केवल अमेरिका बल्कि सम्पूर्ण विश्व में उनसे जो उम्मीदें और आशंकाएं हैं उन्हीं कसौटियों पर आने वाले समय में उनका मूल्यांकन होगा।'[६] क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ट्रम्प जितना अमेरिकी नीतियों पर अपने विचारों के लिये जाने जा रहे थे, उससे ज्यादा वे ऐसे बयानों के कारण सुर्खियों में रहे जिन्हें काफी आपत्तिजनक माना गया। विशेष रूप से अश्वेतों, महिलाओं, प्रवासी भारतीयों, मुस्लिम समुदायों के प्रति प्रतिगामी बयानों ने उन्हें प्रश्नों के दायरे में खड़ा किया।

निष्कर्ष : कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि चुनाव के पूर्व की राजनीति पूरी तरह वादों (आदर्श) की राजनीति होती है, और सत्ता प्राप्त हो जाने एवं सरकार बनाने के बाद की राजनीति (यथार्थ) काफी अलग होती है। विवादास्पद बयानों के बाद राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल कर लेने के बाद वे नीतिगत स्तर पर किस तरफ बढ़ रहे हैं, यह आगे शपथ ग्रहण करने के बाद लिये गये उनके निर्णयों और नीतियों से ही परिलक्षित होगा। इसलिये अलग-अलग सामाजिक समूहों के प्रति उनके नीतिगत दृष्टिकोण का इंतजार अवश्य करना होगा। वैश्विक स्तर पर बराक ओबामा के शासन की विदेश नीति पर सवाल उठाकर और आई.एस.आई. के गुप्त समर्थन के आरोप ओबामा पर लगाने वाले डोनाल्ड ट्रम्प के दृष्टिकोण एवं नेतृत्व का परिचय उनकी कार्य शैली से ही प्राप्त होगा।

जीत के बाद अमेरिकी जनता से रूबरू होने पर ट्रम्प ने कहा कि मैं पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, और सबके सपने पूरे करूंगा। अतः नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ के बाद ही उनके नेतृत्व पर कोई आगे की राय बनायी जा सकेगी क्योंकि पूर्व में उनके निर्णयों, नीतियों और कार्य शैली पर राय प्रकट करना या पूर्वानुमान लगाना, उनके निर्वाचन परिणाम की तरह ही अप्रत्याशित हो सकता है।

सन्दर्भ

१. पंत पुष्पेश, '२१वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध', मैग्रा एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, २००५, पृ. ६२, २००५
२. बिस्वाल तपन, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध', मैकमिलन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, २०१३, पृ. ३४१, २०१३
३. वैश्य हरीश कुमार, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध', आर्या पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, २०१३ पृ. २६६, २०१३
४. पंत पुष्पेश, पूर्वोक्त, पृ. ११३, २००५
५. स्वामी आलोक कुमार, 'वैश्विक परिदृश्य एवं भारत', आशीर्वाद पब्लिकेशन्स, जयपुर, २०१४, पृ. २११
६. कुमार संजय एवं जायसवाल अनुराग, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध', अध्ययन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, २०१४ पृ. १२६

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ कमला देवी

विश्व की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी उन्हें लैंगिक भेदभाव के कारण निम्न दर्जा दिया जाता है। वे हिंसा, शोषण एवं भेदभाव की शिकार हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है तथा उन्हें हीन समझा जाता है। घरेलू हिंसा को केवल निजी मामला समझा जाता है। शोषण एवं भेदभाव के कारण स्त्रियां स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। वनस्पति एवं प्राणि जगत में समानता का नियम है तो फिर मानव समाज में असमानता क्यों है? इस असमान समाज में पुरुष एवं स्त्री एक दूसरे से उच्च एवं श्रेष्ठ कैसे हैं? अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा की स्थिति, प्रकार, कारण व समाधान का पता लगाना है।

भारतीय समाज में पारिवारिक हिंसा आधुनिक युग की अवधारणा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में भी इस प्रकार की हिंसा होती रही है। मानव समाज में पहले सतीत्व के नाम पर पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। इसी प्रकार महिलाओं का उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके साथ मारपीट करना, गाली या अपशब्द कहना, जला देना और हत्या करना आदि घरेलू हिंसा के अन्तर्गत समझा जाता है। आधुनिक युग में महिलाओं की पारिवारिक स्थितियों और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न समाज सुधारकों और समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ और इस समस्या पर व्यापक विचार विमर्श विभिन्न संगोष्ठियों में किया जा रहा है।

भारत में स्थिति काफी जटिल है। रूढ़िगत समाज में, महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा यौन शोषण किया जाता रहा है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी सामाजिक मान्यताओं के नाम पर। परन्तु प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति काफी भिन्न थी।

सिमोन द बोउवार के अनुसार "स्त्री कहीं झुंड बनाकर नहीं रहती वह पूरी मानवता का आधा हिस्सा होते हुए भी पूरी एक जाति नहीं, गुलाम अपनी गुलामी से परिचित है और एक काला आदमी अपने रंग से, पर स्त्री घरों, अलग-अलग वर्गों एवं भिन्न-२ जातियों में बिखरी हुई है। उसमें क्रांति की चेतना नहीं क्योंकि वह अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वह पुरुष की सहअपराधिनी है। अतः समाजवाद की स्थापना मात्र से स्त्री मुक्त नहीं हो जायेगी। समाजवाद भी पुरुष की सर्वोपरिता की ही विजय बन जायेगा।"[1]

नीरा देसाई के अनुसार - "वैदिक युग में अन्य कालों व देशों की महिलाओं की तुलना में भारतीय महिलाओं को अधिक अधिकार प्राप्त थे, किन्तु यह भी सत्य है कि पितृ-सत्तात्मक समाज के ढाँचे के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार सीमित ही थे।" परिवार में कन्या शिशु का स्वागत किया जाता था। उस समय पुत्र की प्राप्ति एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था जैसा मनुस्मृति में उल्लिखित है कि "जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ प्रभु प्रसन्न होते हैं और जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहां सारे पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं।"[2]

सोलहवीं शताब्दी की शुरूआत में इस आदर्श का पतन हो गया, विधवा विवाह पर रोक तथा स्त्री शिक्षा की पूर्ण अवहेलना समाज में आम बात हो गई। भारत में विदेशी आक्रमणों तथा लम्बे समय तक विदेशी शासन के कारण स्त्री का दर्जा घटने लगा। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, दहेज प्रथा आदि से महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई तथा उसे बोझ समझा जाने लगा। निरन्तर पुरुष-स्त्री अनुपात में हुई गिरावट महिलाओं की असमान स्थिति को स्पष्ट करती है। यह ह्रास इस प्रकार हुआ-१६०१ में यह अनुपात ६७२:१००० जो १६६१ में ६२७:१००० हो गया। २००१ की जनगणना आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात ६३३:१००० था जो १६६१ की तुलना में ६२७ के ऊपर ६ अंकों का सुधार देखा गया। हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में आंकड़े राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार १००० लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटकर ६२७ रह गई है, जिससे साबित होता है कि लड़की के प्रति आज भी समाज में वैसी चाह नहीं जैसी पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। यदि यही हाल रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब लड़की का अस्तित्व ही खतरे में आ जायेगा।[3]

आजादी के साथ महिलाओं के लिए सामाजिक सुधारों को

❑ शोध अध्येत्री, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर, ऊ० सि० नगर (उत्तराखण्ड)

एक नई प्रेरक शक्ति प्रदान की गई। भारत के संविधान ने महिलाओं की उन्नति के लिए प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समानता प्रदान की। बावजूद इसके पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश भर में आपराधिक मामलों का लेखा-जोखा रखने वाले 'केन्द्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' की ताजा स्थिति के अनुसार वर्ष २०११ में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के १,८४,५०० मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष २०१५ तक पहुँचते-पहुँचते बढ़कर २,५७,३३३ हो गए। 'भारत में अपराध' शीर्षक से जारी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार-वर्ष २०१५ में बलात्कार के १८,२३३, दहेज हत्या के ७,०२६, अपहरण के १५,५७८, छेड़छाड़ के ३४,५६७ और यौन शोषण के १०,००१ मामले दर्ज किए गए। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वर्ष २०११ तक दर्ज कुल मामलों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों की संख्या लगभग ६.७ प्रतिशत थी। परिवार में हिंसा की घटनाओं का बढ़ना केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व समाज में बढ़ना अत्यन्त चिंता का विषय है।[४]

अवधारणात्मक स्पष्टीकरण : घरेलू हिंसा का अर्थ - ''ऐसा कोई कार्य या लोप या आचरण जो किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर-मन को क्षतिग्रस्त करता हो, घरेलू हिंसा कहलाता है। इसके पाँच स्वरूप बताए गए हैं - शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार एवं आर्थिक दुर्व्यवहार।''[५]

घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है।

''**घरेलू** हिंसा के विरूद्ध महिला संरक्षण अधिनियम २००५ में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है -''प्रतिवादी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह,-

१. क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगो या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है या
२. दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुँचाना या जोखिम में डालना; या
३. पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपर्युक्त वाक्यांश (१) या (२) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या
४. पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुक्सान पहुँचाना।[६]

शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र : प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित रुद्रपुर शहर का रम्पुरा क्षेत्र है। रुद्रपुर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा उत्तराखंड का सीमान्त शहर है जो दक्षिण की ओर यूपी के उत्तरी जिले रामपुर की सीमा पर स्थित है। यह अध्ययन रम्पुरा क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में किया गया है। इसमें वार्ड न. ६, ७, ८ व ६ हैं। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसकी जनसंख्या लगभग १५ हजार है। इसमें अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनका पेशा मजदूरी है एवं कुछ फेरी आदि के व्यवसायी हैं।

अध्ययन के उद्‌देश्य :

१- पारिवारिक स्थिति एवं घरेलू हिंसा का पता लगाना।
२- घरेलू हिंसा के कारणों का पता लगाना।
३- परिवार में लिंग भेद एवं स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना।
४- घरेलू हिंसा के समाधान के उपाय बताना।

शोध प्रारूप - प्रस्तुत अध्ययन में वर्णानात्मक शोध अभिकल्प को प्रयोग किया गया है। अध्ययन में निदर्शन का समग्र रम्पुरा के प्रत्येक वार्ड के आंगनबाड़ी सर्वे पंजिका में पंजीकृत विवाहित महिलाओं की कुल जनसंख्या है। अध्ययन की इकाई परिवार की विवाहित महिला है। सर्वे परिवार पंजिका के अनुसार रम्पुरा में कुल २२ आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। २२ आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं की कुल जनसंख्या ४४०० है। इस प्रकार सर्वप्रथम २२ आंगनबाड़ी केन्द्रों में से दैव निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा ५ आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया। इसके पश्चात प्रत्येक आगंनबाड़ी केन्द्र से दैव निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा ही १०-१० महिलाओं का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन के लिए कुल ५० उत्तरदाताओं का चयन किया।

अध्ययन में प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन

के द्वितीयक स्रोत से शोधार्थी द्वारा महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की अब तक की स्थिति, सांख्यिकी प्रारूप आदि जानकारी प्राप्त की गई। वे द्वितीय स्रोत सामाचार पत्र, सरकारी प्रकाशन, विभिन्न पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाएं एवं इन्टरनेट हैं।

उपलब्धियाँ -

सारणी संख्या-०१

शिक्षा के आधार पर प्रताड़ित महिलाओं का वर्गीकरण

आयु समूह	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	२४	४८
अर्द्धशिक्षित	१८	३६
शिक्षित	०५	१०
उच्च शिक्षित	०३	०६
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी में अशिक्षित महिलाएं ४८ प्रतिशत, अर्द्धशिक्षित ३६ प्रतिशत, शिक्षित १० प्रतिशत, तथा उच्च शिक्षित ०६ प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार पाई गई हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के आधार पर सबसे अधिक अशिक्षित महिलाएं प्रताड़ित की गयी हैं।

सारणी संख्या-०२

पारिवारिक आय के आधार पर प्रताड़ित महिलाएं

पारिवारिक आय	संख्या	प्रतिशत
४ हजार से कम	३४	६८
४ से ८ हजार	०८	१६
८ से १२ हजार	०५	१०
१२ हजार से अधिक	०३	०६
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ६८ प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक आय ४००० से कम, १६ प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक आय ४ से ८ हजार के बीच, १० प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक आय ८ से १२ हजार के बीच, ६ प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक आय १२ हजार से अधिक। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन महिलाओं की पारिवारिक आय चार हज़ार से कम है वे महिलाएं सबसे अधिक घरेलू हिंसा की शिकार हुई।

सारणी संख्या-०३

महिलाओं का स्वयं को असहाय मानने का कारण

असहाय का कारण	संख्या	प्रतिशत
शिक्षा का अभाव	२५	५०
आर्थिक रूप से सक्षम न होना	२०	४०
अन्य कारण	०५	१०
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का स्वयं को असहाय मानने का कारण शिक्षा का अभाव ५० प्रतिशत, आर्थिक रूप स सक्षम न होना, ४० प्रतिशत, अन्य कारण १० प्रतिशत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं में पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं स्वयं को सर्वाधिक असहाय मानती हैं।

सारणी संख्या-४

परिवार में मद्यपान के कारण प्रताड़ित महिलाएं

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	२८	५६
नहीं	१३	२६
कभी-कभी	०६	१८
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी में मद्यपान के कारण प्रताड़ित ५६ प्रतिशत महिलाएं हाँ के पक्ष में हैं, २६ प्रतिशत नहीं के पक्ष में हैं, व १८ प्रतिशत कभी-कभी के पक्ष में हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिसंख्यक ५६ प्रतिशत महिलाएं मद्यपान के कारण प्रताड़ित की गयी हैं।

सारणी संख्या-५

परिवार में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
अच्छा	२३	४६
बुरा	०८	१६
सामान्य	१९	३८
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में ४६ प्रतिशत महिलाओं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण पाया गया, १६ प्रतिशत महिलाओं के प्रति बुरा दृष्टिकोण पाया गया, ३८ प्रतिशत महिलाओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश ८४ प्रतिशत महिलाओं के प्रति अच्छा व सामान्य दृष्टिकोण पाया गया है।

सारणी संख्या-६

परिवार में सदस्यों द्वारा अधिक बुरा व्यवहार

हिंसा किसके द्वारा	संख्या	प्रतिशत
पति	०९	१८
सास	१७	३४
ससुर	०४	०८
जेठ/देवर	०५	१०

जेठानी/देवरानी	०८	१६
नन्द	०७	१४
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में सदस्यों द्वारा बुरा व्यवहार १८ प्रतिशत पति के द्वारा, ३४ प्रतिशत सास द्वारा, ०८ प्रतिशत ससुर द्वारा, १० प्रतिशत जेठ/देवर द्वारा, १६ प्रतिशत जेठानी/देवरानी द्वारा, १४ प्रतिशत नन्द द्वारा बुरा व्यवहार किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सबसे अधिक सास के द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता है।

सारणी संख्या -७

महिलाओं की प्रताड़ना की प्रकृति

प्रताड़ना की प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
प्रतिदिन	१२	२४
कभी-कभी	२८	५६
एकाध बार	१०	२०
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं के प्रति प्रताड़ना की प्रकृति प्रतिदिन २४ प्रतिशत, कभी-कभी ५६ प्रतिशत, एकाध बार २० प्रतिशत पाई गयी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं कभी-कभी घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं।

सारणी संख्या-८

हिंसा की क्रिया का विवरण

हिंसा की क्रिया	संख्या	प्रतिशत
मानसिक	३७	७४
शारीरिक	१३	२६
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी में हिंसा की क्रिया के रूप में महिलाओं के प्रति मानसिक हिंसा की क्रिया में ७४ प्रतिशत व शारीरिक हिंसा की क्रिया द्वारा २६ प्रतिशत है इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं मानसिक रूप से अधिक हिंसा की शिकार हुई हैं।

सारणी संख्या-९

महिलाओं पर हिंसा के रूप

हिंसा के रूप	संख्या	प्रतिशत
पिटाई	१०	२०
भूखा रखना	०१	०२
कमरें में बंद रखना	०१	०२
अधिक काम कराना	१५	३०
गाली-गलौच करना	१४	२८
रिश्तेदारों से न मिलने देना	०४	०८
पड़ोसियों से बातचीत न करने देना	०५	१०
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि महिलाओं पर हिंसा के रूप में पिटाई करना २० प्रतिशत, भूखा रहना २ प्रतिशत, कमरे में बंद रखना २ प्रतिशत, अधिक काम कराना ३० प्रतिशत, गाली-गलौच २८ प्रतिशत, रिश्तेदारों से न मिलने देना ८ प्रतिशत तथा पड़ोसियों से बातचीत न करने देना १० प्रतिशत पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है महिलाओं पर हिंसा के रूप में सबसे अधिक प्रतिशत अधिक काम कराने का पाया गया।

सारणी संख्या-१०

बच्चों पर पारिवारिक झगड़े का प्रभाव

झगड़े का प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
बच्चों में चिड़चिड़ापन	१०	२०
पढ़ाई में ध्यान न होना	२०	४०
बच्चों में नशे की प्रवृति	१०	२०
बाल अपराध करना	५	१०
नैतिक मूल्यों का ह्रास	५	१०
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी में बच्चों पर पारिवारिक झगड़े का प्रभाव बच्चों में चिड़चिड़ापन २० प्रतिशत, पढ़ाई में ध्यान न होना ४० प्रतिशत, बच्चों में नशे की प्रवृति २० प्रतिशत, बाल अपराध करना १० प्रतिशत तथा नैतिक मूल्यों का ह्रास १० प्रतिशत पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्यादातर बच्चों पर पारिवारिक झगड़े का प्रभाव पड़ता है।

सारणी संख्या-११

उत्पीड़ित महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाना

रिपोर्ट दर्ज	संख्या	प्रतिशत
पंचायत	०६	१२
पुलिस प्रशासन	१२	२४
महिला आयोग	०४	०८
सगे-सम्बन्धियों	२१	४२
किसी को नहीं	०७	१४
योग	५०	१००

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि प्रताड़ित महिलाओं द्वारा १२ प्रतिशत पंचायत, २४ प्रतिशत पुलिस प्रशासन, ८ प्रतिशत महिला आयोग में रिपोर्ट की गई जबकि ४२ प्रतिशत द्वारा सगे सम्बन्धियों के मध्य अपनी शिकायत रखी गयी तथा ०८ प्रतिशत महिलाओं ने किसी का भी सहारा नहीं लिया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि ज़्यादातर महिलाएं सगे-सम्बन्धियों द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती हैं।

निष्कर्ष : प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि घरेलू हिंसा हमारे समाज की प्रबल समस्या है। हमारे समाज में दिन-प्रतिदिन महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। परिवार में सबसे अधिक प्रताड़ना पति द्वारा की जाती हैं। अशिक्षित और कम पढ़ी लिखी महिलाएं अधिक संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों की महिलाएं अधिक प्रताड़ित की जाती हैं तथा कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है।

शिक्षा के अभाव में आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण महिलाएं स्वयं को असहाय महसूस करती हैं। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु आज भी हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझा जाता है। परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में वे उपेक्षा का शिकार होती हैं। चूँकि हमारे समाज की महिलाओं का बड़ा वर्ग आज भी अशिक्षित हैं जिसके कारण उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों एवं संरक्षणों की जानकारी नहीं है। आंकड़ो के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं जो पारिवारिक मान-सम्मान, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाज में अपनी समस्या का खुलासा नहीं करती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नारी का अशिक्षित होना व आत्मविश्वास में कमी होना है। जिसके कारण वह अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सिर नहीं उठा पाती हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया गया है, परन्तु ये योजनाएं धरातलीय रूप में खो जाती हैं। क्योंकि इन योजनाओं का लाभ उन महिलाओं तक नहीं पहुँच पाता जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं।

सुझाव : महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए निम्न सुझावों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है-

१. घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सर्वप्रथम पुरुष मानसिकता को परिवर्तित करना होगा।
२. महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देना होगा।
३. शिक्षा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता महिलाओं को अत्याचार रूपी दलदल से बाहर निकाल सकती है। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएं।
४. दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए तथा दहेज निषेध कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
५. परिवार में महिलाओं पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। पति-पत्नी को आपसी सामंजस्य बनाना चाहिए।
६. पुरुष को पारिवारिक सुख-शान्ति के लिए शराब तथा जुए जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए तथा पुरुषों को पत्नी पर हाथ उठाना, मारपीट करना, गाली-गलौच करना जैसी प्रवृत्ति से भी दूर रहना चाहिए।
७. ससुराल वालों को बेटी तथा बहु में अन्तर नहीं करना चाहिए तथा बहु को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
८. महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु कानून के दाव-पेंच के विशेषज्ञों को कानूनी दाव-पेंच के जरिए गुनाहगारों को बचा लेना और अपना काम निकालते रहने से हटकर कानून की खामियों को दूर करने में अपना योगदान देना होगा ताकि इस देश व समाज में प्रताड़ित महिला को समय से न्याय मिल सके। हर जुर्म की सजा ऐसी हो कि कोई व्यक्ति जुर्म करने की हिम्मत न कर सके।

सन्दर्भ

१. खेतान, प्रभा, 'स्त्री उपेक्षिता', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९२ पृ. १६ (सीमोन द बोउवार की पुस्तक ''द सेकेण्ड सेक्स'' का हिन्दी रूपान्तर)
२. देसाई, नीरा, तथा ठक्कर उषा, 'भारतीय समाज में महिलाएं', नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, १९८२, पृ. ०७ (अनुवाद सुभी धुसिया)
३. बिसवाल, तपन, 'मानवाधिकार जेन्डर एवम् पर्यावरण', विवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, २००६, पृ. २७७
४. http://ncrb.nic.in/index.htm (National Crime Records Bureau)
५. शर्मा, जी. एल., 'सामाजिक मुद्दे', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, २०१५, पृ. ४२६
६. http://indiacode.nic.in/indiacodeinhindi/2005/21.pdf

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

कृषि दक्षता प्रकारिकी का भौगोलिक विश्लेषण
(जनपद मैनपुरी की मैनपुरी तहसील के संदर्भ में)

❑ डॉ० बलवीर सिंह
❖ डॉ० संजीव कुमार

भूमि उपयोग दक्षता से आशय भूमि संसाधन इकाई की उत्पादन क्षमता से है, वर्तमान समय में आधुनिक विश्व की समस्याओं तथा मानव जीवन के उत्तरोत्तर विकास के लिए विशेषतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भूमि की उत्पादकता अथवा भूमि की वहन क्षमता या कृषि की दक्षता का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि भूमि की अधिग्रहण की निश्चित सीमायें हैं तथा उत्तरोत्तर वृद्धि की माँग की पूर्ति प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता तथा कृषि की दक्षता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी क्षेत्र की कृषि दक्षता को व्याप्त भौतिक कारकों, सांस्कतिक वातावरण, मानव प्रयास तथा विकास के स्तरों के द्वारा अधिकतम प्राव्याय प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की मैनपुरी तहसील में कृषि दक्षता प्रभारिकी का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

भूमि उपयोग दक्षता से आशय भूमि संसाधन इकाई की उत्पादन क्षमता से है, वर्तमान समय में आधुनिक विश्व की समस्याओं तथा मानव जीवन के उत्तरोत्तर विकास के लिए विशेषतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भूमि की उत्पादकता अथवा भूमि की वहन क्षमता या कृषि की दक्षता का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि भूमि की अधिग्रहण की निश्चित सीमायें हैं तथा उत्तरोत्तर वृद्धि की माँग की पूर्ति प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता तथा कृषि की दक्षता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः दोनों के मध्य व्यापक अन्तर है।

किसी भी क्षेत्र में कृषि की दक्षता विश्व की जलवायु एवं अन्य पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक तत्वों की अनुकूलता की देन होती है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र के कृषिगत ढाँचा, भूमि के कुशल कृषण तथा प्रति इकाई उत्पादकता तीनों ही महत्वपूर्ण तत्वों को कृषि की दक्षता का आधार बनाया जाता हैं। दूसरे शब्दों में कृषि दक्षता किसी भी क्षेत्र में भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक कारकों की सम्मिलित परिणाम होती है। ये सभी विशेषतायें गतिमान होती हैं। इसके लिए किसी भी क्षेत्र की कृषि दक्षता, कृषि उत्पादकता भी अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। किसी भी क्षेत्र की कृषि दक्षता को व्याप्त भौतिक कारकों, सांस्कतिक वातावरण, मानव प्रयास तथा विकास के स्तरों के द्वारा अधिकतम प्राव्याय प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।[1]

अध्ययन क्षेत्र परिचय : मैनपुरी तहसील जो प्रस्तुत अध्ययन का विषय क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टि से मयन ऋषि तथा मारकण्डेय, गार्गी, च्यवन आदि ८४ ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जानी जाती है तथा जो प्राक् ऐतिहासिक काल में विशेषतः महाभारत काल में ब्राहाणों के द्वारा अधिवासित तथा वर्तमान में चौहानों के आगमन के उपरान्त उनकी भूमि के रूप में मानी जाती है। गंगा, यमुना-दो- आब में विस्तृत एक समतल मैदान का प्रतिनिधित्व करती है, जो २७००५' उत्तर से २७०२८' उत्तरी अक्षांश एवं ७८०४१' पूर्वी देशान्तर से ७६००५' पूर्वी देशान्तर में ६६६.८० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

मैनपुरी तहसील के उत्तर में एटा जनपद, दक्षिण में करहल तहसील, पश्चिम में फिरोजाबाद जनपद की जसराना तथा शिकोहाबाद तहसील एवं पूर्व में भोगॉव तहसील स्थित है। इस तहसील में पाँच नदियों काली, कांव, अरिन्ध, ईसन व सेंगर प्रवाहित होती है। तहसील के अंतर्गत तीन विकास खण्ड क्रमशः मैंनपुरी, कुरावली तथा घिरोर आते हैं। तहसील २४५ आबाद ग्रामों तथा १० गैर आबाद ग्रामों, २६ न्याय पंचायतों तथा ८८ लेखपाल क्षेत्रों में विभाजित हैं। इसके अतिरिक्त इस तहसील में केवल चार नगर केन्द्र हैं मैंनपुरी इस क्षेत्र का प्रमुख नगर केन्द्र हैं, जो जी०टी० रोड से देश के अन्य भागों को जोड़ता है तथा रेलमार्ग से शिकोहाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। मैंनपुरी तहसील की वर्ष- २०११ में कुल ग्रामीण जनसंख्या ५४१३७१ तथा नगरीय जनसंख्या ७१५६४ अंकित की गयी है।

❑ प्राध्यापक, भूगोल विभाग, चौ० सूरज सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जागीर, मैंनपुरी (उ०प्र०)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, ए०के० (पी०जी०) कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (उ०प्र०)

कृषि के क्षेत्र में कृषि दक्षता या सक्षमता का निर्धारण भौतिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त उन्नतिशील बीजों, उर्वरकों, यन्त्रीकरण, सिंचाई के साधनों, कृषक प्रशिक्षण तथा कृषि विधियों एवं कुशलताओं पर निर्भर करता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की दक्षता को ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियों को अपनाकर विभिन्न विचरों अथवा गुणाकों को आधार बनाया गया है इनमें कैण्डल (१९३५)[२], एल०डी० स्टाम्प (१९५८)[३], एम० शफी (१९६०-६७)[४], भाटिया (१९६७)[५], इनैडी (१९६४)[६], सिंह ए०एल० (१९७५)[७], जसवीर सिंह (१९७४)[८], आभा लक्ष्मी सिंह (१९७९)[९], हुसैन (१९७६)[१०], दयाल (१९८४)[११], राना (२००१)[१२], आदि के कार्य विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

भिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा कृषि क्षमता या क्षेत्रीय कृषि दक्षता को भिन्न-भिन्न विधियों अथवा उपगमों का प्रयोग कर निर्धारित किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कृषि आधारों गुणाकों के आधार पर कृषि दक्षता निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् है -

१- उत्पादन से प्राप्त आय।
२- श्रम लागत इकाई आधारित उत्पादन।
३- प्रति व्यक्ति आय तुल्य उत्पादन।
४- कृषि लागत आय अनुपात।
५- प्रति क्षेत्र इकाई शस्य उत्पादन।
६- प्रति एकड़ उत्पादकता अथवा कोटि गुणांक।
७- भूमि की पोषक क्षमता।

उपर्यक्त कृषि आधारित गुणकों का प्रयोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न सूत्रों का प्रयोग कर किया गया है, जिनमें कैण्डल महोदय के द्वारा इग्लैण्ड की ४८ काउन्टीन की कृषि क्षमता का निर्धारण १० मुख्य फसलों के प्रति एकड़ उपजों के आधार पर तथा श्रेणी गुणांक के द्वारा किया गया है जबकि स्टाम्प महोदय के द्वारा कैण्डल महोदय के ही श्रेणी गुणाँक विधि का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया गया है तथा इसके लिए स्टाम्प महोदय ने विश्व के २० देशों की ९ प्रमुख फसलों का अध्ययन को आधार बनाया है। इसी आधार पर भारत में सप्रे तथा देशपाण्डेय के द्वारा कोटि गुणाँक विधि के आधार पर महाराष्ट्र की कृषि दक्षता का निर्धारण किया गया है तथा इन विद्वानों के द्वारा भारत औसत कोटि गुणाँक का प्रयोग किया गया। कृषि दक्षता के निर्धारण की दृष्टि से एम० शफी के द्वारा अपनायी गयी विधि प्रो० इनैड़ी द्वारा अपनाये गये सूत्र जो निम्नवत् है, मे अल्प संशोधन कर किया गया है -

$$\frac{}{_n} : \frac{T}{T_n}$$

जहाँ

Y = किसी इकाई क्षेत्र में चयनित शस्यों की सकल उपज।

Yn = प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं फसलों की सकल उपज।

T = इकाई क्षेत्र का कुल शस्य क्षेत्र।

Tn = प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर पर सकल शस्य क्षेत्र।

एफ० शफी के द्वारा उपर्युकत सूत्र में निम्नवत् संशोधन कर कृषि क्षमता या दक्षता का निर्धारण किया गया है -

$$\frac{}{T} : \frac{^{r}}{T} + \frac{^{w}}{T} + \frac{^{r}}{T_n}$$

जहाँ

Yw Yr = इकाई क्षेत्र में विभिन्न फसलों की उपज।

T = इाकई क्षेत्र में उन्हीं फसलों के सकल अन्तर्गत क्षेत्रफल।

Yw Yr = राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फसलों की उपज।

T = राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं फसलों के अन्तर्गत सकल क्षेत्रफल।

एस०एस० भाटिया ने उत्तर प्रदेश की कृषि दक्षता उत्पादकता के सूचकांक के आधार पर कृषि दक्षता ज्ञात करने का प्रयास ११ प्रमुख फसलों के सूत्र चयन एवं उपज दर तथा क्षेत्रफल के आधार पर किया, जिसके लिए इनके द्वारा निम्नलिखित सूत्र अपनाये गये -

$$\text{lya} = \frac{Y_c}{Y_r} \times 100$$

जहाँ

lya = a इकाई में फसल की उपज सूचकांक।

Yc = a फसल की प्रति एकड उपज ।

Yr = a फसल की प्रादेशिक उपज प्रति एकड़।

उत्पादकता सूचकांक का निर्धारण उपज सूचकांक के प्रति फसल के प्रतिशत क्षेत्रफल को गुणा करके निम्नवत् ज्ञात किया गया है -

$$\text{Ei} = \frac{\text{lya Ca} + \text{lyb Cb} + \dots\ \dots\ \dots\ \text{lynCn}}{\text{Ca} + \text{Cb} + \dots\ \dots\ \dots}$$

जहॉ

Ei = उत्पादकता सूचकांक

IYa, Iyb, Iyn = फसलों की उपज सूचकांक एवं

Ca, Cb, Cn = फसलों का प्रतिशत क्षेत्रफल।

इस प्रकार उपर्युक्त विधियों के द्वारा जहॉ कृषि दक्षता को ज्ञात करने के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा गणितीय सूत्रों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया गया वहीं भूमि की पोषक क्षमता या वहन क्षमता को भी कृषि दक्षता के विशेष संदर्भ में जसवीर सिंह (१९७२-७४) की विधि के रूप में विशेष रूप में उल्लेखनीय माना जा सकता है। प्रोफेसर जसवीर सिंह ने भूमि की वहन क्षमता के निर्धारण हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया।

उपयुक्त परिकलन निम्न प्रकार से किया गया है -

$$C_p = \frac{Co}{Sn}$$

जहॉ

Cp = वहन क्षमता (जनसंख्या के रूप में)

Co = प्रति इकाई उत्पादन की उपलब्ध मात्रा (कैलोरीज में)

Sn = प्रति व्यक्ति आवश्यक वार्षिक प्रामाणिक पोषण

उपर्युक्त सभी विधियों में अपनाये गये गुणकों तथा आंकड़ों का प्रयोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा वृहद् क्षेत्रों के कृषि दक्षता निर्धारण हेतु किया गया है किन्तु सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन जैसा कि प्रस्तावित शोध अध्ययन में तहसील क्षेत्र को आधार बनाया गया है तथा अपनाया गया क्षेत्र इकाई लेखपाल क्षेत्र को माना गया है पर उपर्युक्त गुणकों में भिन्नता के प्रमुख आधारों को कृषि दक्षता के आधार स्वरूप ग्रहण किया गया है तथा शोधार्थी के द्वारा अति सूक्ष्म क्षेत्रीय अध्ययन के लिए यह स्वीकार किया गया है। एक तहसील स्तरीय सूक्ष्म क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख कारकों, कृषि दक्षता, उत्पादकता तथा प्राव्याय को प्रभावित करता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वृहद् स्तर पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा जिन गुणकों का प्रयोग किया गया है, उनमे ंव्यापक क्षेत्रीय विभिन्नतायें मिलती है किन्तु सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन में ऑकड़ों की अनुपलब्धता तथा भौतिक एवं सामाजिक कारकों की एकरूपता के परिणामस्वरूप कृषि दक्षता पर क्षेत्रीय तत्वों तथा यथा कृषिगत क्षेत्र, सिंचाई, वाणिज्यक शस्य गहनता, उर्वरक उपयोग तथा मशीनीकरण आदि का प्रभाव ही कृषि दक्षता को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। वर्तमान शोध अध्ययन में सूक्ष्म क्षेत्रीय अध्ययन के लिए मैंनपुरी तहसील की कृषि दक्षता प्रकारिकी का निर्धारण शोधार्थी के द्वारा इसके कुल ८८ लेखपाल क्षेत्रों को उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया गया है, जिसमें शोधार्थी के द्वारा निम्नलिखित विचरों का चयन कृषि दक्षता के प्राकरिकीय विश्लेषण के लिए किया गया है।

१- शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत।
२- शस्य गहनता।
३- सिंचाई गहनता।
४- मूँग के अन्तर्गत कृषित क्षेत्र का प्रतिशत।
५- आलू एवं सब्जियों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र का प्रतिशत।
६- गेहूँ के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र का प्रतिशत।
,७- प्रति हेक्टयेर रासायनिक उर्वरक उपयोग।
८- ट्रैक्टर उपयोग।

उपर्युक्त विचरों में लेखपाल क्षेत्रीय आधार पर प्रथम गुणक अर्थात शुद्ध कृषित क्षेत्र को कृषि दक्षता की सीमाओं के विस्तार के आधार के रूप में अपनाया गया है, जबकि सिंचाई गहनता को कृषि की दक्षता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया गया है।

उपर्युक्त चयनित आठ विचरों को ८८ लेखपाल क्षेत्रों में उनके स्तरों के अनुसार न्यून, मध्यम एवं उच्च्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा इन श्रेणियों को क्रमशः १, २ तथा ३ कोटिभार प्रदान किये गये हैं तथा प्रत्येक लेखपाल सर्किल के इन चयनित ८ विचरों का सकल कोटिभार ज्ञात किया गया है। तदुपरान्त सकल कोटिभार को नेल्सन की सांख्यिकीय विधि माध्य + प्रमाप विचलन २ + प्रमाप विचलन ३ .... प्रमाप विचलन N के द्वारा वर्गीकृत कर गणितीय एवं सांख्यिकीय आधार पर मैंनपुरी तहसील में सूक्ष्म स्तरीय आधार पर कृषि दक्षता प्राकरिकीय विश्लेषण के द्वारा कृषि की क्षेत्रीय दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिनको लेखपाल क्षेत्रीय आधार पर निम्नवत् विश्लेषित किया जा सकता है तथा जिन्हें तालिका - १ के द्वारा तथा मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका - १

मैंनपुरी तहसील में कृषि दक्षता का निर्धारण

दक्षता सूचकांक	दक्षता श्रेणी	लेखपाल क्षेत्र संख्या	प्रतिशत
१४.१५ से कम	न्यून	५१	५७.९५
१४.१५ से १७.१६	मध्यम	१४	१५.९१
१७.१६ से अधिक	उच्च्य	२३	२६.१४
योग तहसील	-	८८	१००.००

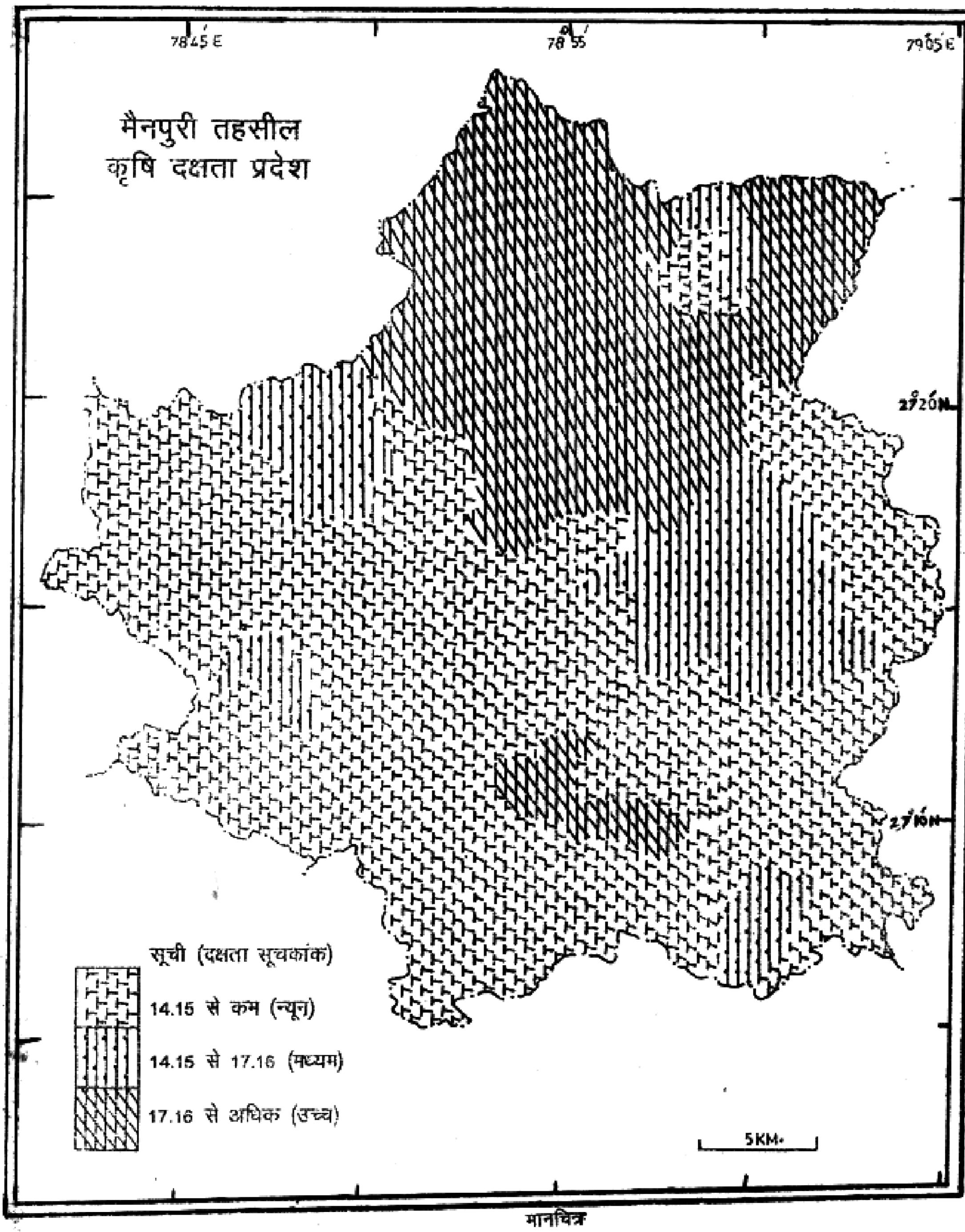

78°45' E
78°55'
79°05' E
मैनपुरी तहसील
कृषि दक्षता प्रदेश
27°20' N
27°10' N
सूची (दक्षता सूचकांक)
14.15 से कम (न्यून)
14.15 से 17.16 (मध्यम)
17.16 से अधिक (उच्च)
5KM.

मानचित्र

न्यून कृषि दक्षता के क्षेत्र : इस श्रेणी के अन्तर्गत जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, मैंनपुरी तहसील के उन लेखपाल क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कृषि दक्षता का स्तर सकल कोटिभार के माध्य से भी कम है। इस श्रेणी में अध्ययन क्षेत्र के ८८ में से ५१ लेखपाल क्षेत्र आते है। इनमें अधिकांशतः लेखपाल इस तहसील के पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैले हुए हैं। इनमें खरपरी, अण्डनी, नवादा, सिकन्दरपुर, उझैया, फकीरपुर, जसमई, नौनेर, करीमगंज, गांगसी, कुचेला, अंगौथा, हलपुरा, टिण्डौली, रतिभानपुर, जवांपुर, सगौनी, बडेरी, धरमंगदपुर, पचावर, शाहजहॉपुर, अकबरपुर, औंछा, कल्होर, पछां, बुढर्रा, चीतई, तिसाह, उसनीधा, मधन, कोसोन, गोधना, हडाई, कनेगी, दरवाह, अटाहरैना, कोसमा, गांगसी तथा ईसईखास आदि लेखपाल क्षेत्र सम्मिलित होते है। इस श्रेणी के क्षेत्रों में अधिकांशतः क्षेत्र ऊसर प्रभावित अथवा अल्प उर्वरता के क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का अनुपात तुलनात्मक रूप से अत्यधिक न्यून मिलता है। साथ ही इन क्षेत्रों में शस्य गहनता, मशीनीकरण का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग भी कम मिलता है जिसके परिणामस्वरूप कृषि दक्षता निर्धारण के लिए चयनित विचरों का स्तर कम होने से कृषि दक्षता भी कम है।

मध्यम कृषि दक्षता के क्षेत्र : इनके अन्तर्गत चयनित ८ विचरों के सकल कोटिभार का माध्य + माध्य विचलन १ तक मिलता है तथा यह १४.१५ से १७.१६ आकलित किया गया है। इस श्रेणी में कुल ८८ लेखपाल क्षेत्रों में से तहसील के १४ लेखपाल क्षेत्र समाहित होते है।, इनमें उत्तर में नौरंगपुर तथा भौगॉव, पश्चिम में ओय, कल्होर पंछा, अचलपुर, औरंगाबाद पूर्व में मैनपुरी सिकन्दरपुर, देवामई, परौंख, जरामई, गड़ेरी तथा दक्षिण में कांकन आदि लेखपाल क्षेत्र प्रमुख उल्लेखनीय हैं।

उच्च कृषि दक्षता के क्षेत्र : मैंनपुरी तहसील में कुल ८८ में से २३ लेखपाल क्षेत्रों को उच्च कृषि दक्षता के क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिनमें कृषि दक्षता सूचकांक के रूप में सकल कोटि गुणॉक १७.१६ से अधिक मिलता है । इस श्रेणी में विशेषतया उत्तर में भिढावली, बसरा, सुल्तानपुर, गंगा जमुनी, तिमनपुर, जुन्हैसा, ईसईखास, ईसई महलोई, सोनई, हरसिंगपुर, विष्णुपुर, देवीनगर, नानामऊ, रसेमर, थोरवा, ज्योति, मनौना, ईकरी, बडेरी, पनवाह ईसई माजपाटी, घिरोर आदि लेखपाल क्षेत्र सम्मिलित किये गये है। दक्षिण मध्य में कुचेला द्वितीय तथा लालपुर सथिनी लेखपाल क्षेत्र भी उच्च कृषि दक्षता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लेखपाल क्षेत्रों में भूमि की उर्वरता अधिक मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में अधिकाधिक फसलें उगायी जा सकती है तथा सिंचाई गहनता भी उच्च है, जिसके परिणामस्वरूप शस्य गहनता भी एक से अधिक शस्य में वृद्धि के कारण अधिक मिलता है। कृषि निवेश क्षमता अधिक उत्पादकता एवं लाभप्रदता के कारण कृषि में उर्वरक एवं मशीनीकरण के प्रयोग के लिए भी कृषकों को उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करती है।

References

1- Singh Abha Lakshmi, 'Agricultural Efficiency in Uttar Pradesh', The National Geographical Journal of India, 25, pt 3 , 1979, P- 130.
2- Kendall, M.G. "The Geographical Distribution of Crop Productivity in England, "Journal of the Royal Statistical Society, Vol, 102, 1939 P-2.
3- Stamp, L.D., "Fertility, Productivity and classification of land in Britain", The Geographical Journal, Vol, XCVI, No. 6, Dec., 1940, PP - 389-404.
4- Shafi, M., "Measurement of Agricultural Efficiency in Uttar Pradesh, "Economic Geography, Vol. 36, 1960, pp 295-305.
5- Bhatia, S.S., "A New Measure of Agriculture efficiency in U.P.", Economic Geography Vol. 43, No. 3, July 1967, pp. 144-260.
6- Enyedi, G.Y. "Geographical Types of Agriculture" Applied Geographer, Budapest, 1964.
7- Singh, A.L. "New Measures of Agricultural Dfficiency". The Geographer, Vol. XXII, No. 1, Jan. 1975, pp. 25-35.
8- Singh, Jasbir, 'A New Tecnique for measuring Agricultural Productivity in Haryana, India'. The Geographer, 19, 1972, pp - 14-33.
9- Abha Lakshmi Singh, Op. cit. p- 132.
10- Hussain, Majid, 'A New Approoch to the Agricultural Productivity Regions of The Sutlej - Ganga Plains of India', Geog. Rev. Of India, Vol. 38, No. 3, 1976, pp - 230-236.
11- Dayal, E, 'Agricultural Productivity in India- A spatial Analysis', AAA G Vol. 74, 1984, pp. 98-123.
12- Rana U.P., 'Pattern of Agricultural Productivity in Bihar: A Spatio - Temporal Analysis', G R I Vol. 63, No. 1, March 2001, Culcutta.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

पारिस्थितिक तंत्र के प्रति बदलते मानव मूल्य

❑ डॉ. रन्जू राठौर

औद्योगिक जगत द्वारा स्थापित सामाजिक प्रतिमानों के प्रकाश में पारिस्थितिक तंत्र एवं पर्यावरण में लम्बे समय से चले आ रहे मूल्यों, मनोवृतियों एवं विश्वासों के स्थान पर नवीन आदर्शों का जन्म हो रहा है। अब प्रभावशाली रहे सामाजिक प्रतिमान के अनुसार आर्थिक प्रगति, प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण, विज्ञान एवं तकनीकी में पूर्ण विश्वास नीति निर्धारण में विशेषज्ञों की प्रभुता के स्थान पर नवीन पर्यावरणीय प्रतिमान जेसे संपोषित विकास, प्रकृति से समन्वय वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपायों पर संदेह एवं नीति निर्धारण में आमजनों की सहभागिता आदि मूल्य समाज में जन्म ले रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण के सम्बन्ध में मानव मूल्यों में हुए मूलभूत परिवर्तनों के विषय में बताया गया है।

सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की उपयुक्त इकाई 'क्षेत्र' है। आर.के. मुकर्जी क्षेत्र की परिकल्पना एक भौगोलिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकुल के रूप में करते हैं।[1] इसमें अर्न्तविज्ञानी एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से धरातलीय वास्तविकता के अध्ययन पर बल रहता है। मुकर्जी का यह भी मानना है कि क्षेत्र ऐसी भौगोलिक जगह है जहां विभिन्न प्रजातियों के निवासी एक सामूहिक अस्तित्व के लिए स्वयं का अनुकूलन करते हैं जिससे समग्र पारिस्थितिक समुदाय की निरन्तरता बनी रहें।[2] क्षेत्र के इस जीवन तंत्र में मनुष्य एक महत्वपूर्ण सहभागी है। सावयव तथा अनेक प्राकृतिक वास के बीच पाये जाने वाले संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी के अनुसार जीवन का संगठन पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा निर्धारित होता है जिसमें सभी प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ तथा भौतिक पर्यावरण से तालमेल बनाकर रहते हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन को वस्तु, पौधों, जीव जन्तुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच सम्बन्धों को संचालित एवं नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या कहा जा सकता है। जैव और अजैव तत्वों से बनी इस पारिस्थितिकी में सभी जीव जन्तुओं और वनस्पतियों और जैव प्राकृतिक तत्वों के बीच पारस्परिक क्रिया होती रहती है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तत्वों में स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन होते रहने के कारण एक दूसरे से भिन्न अनेक परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। इस पारिस्थितिक तंत्र में सजीव प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से ऊर्जा, द्रव्य एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी पर सजीव प्राणी भौतिक एवं जैविक पृथक्करण में जीवित नहीं रह सकते। प्राणियों एवं जीव जन्तुओं को जीवित रहने के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों से अन्तक्रिया करनी पड़ती है।

सभ्यता के विकास होने के साथ जैसे-जैसे मनुष्य ने नयी प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राकृतिक पर्यावरण पर नियंत्रण करना प्रारम्भ किया, तभी से मनुष्य ने अपने पारिस्थितिक तन्त्र में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। औद्योगिक विकास, बदलती जीवन शैली से जुड़े मानव विचारों ने पर्यावरण के सम्पूर्ण सन्तुलन को बिगाड़ दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की अंधाधुंध कटाई, वर्षा के जल संग्रहण का अभाव, पर्यावरण के प्रति समाज की उदासीनता, वन्य जीवों की संख्या में आयी कमी एवं अनियोजित विकास ने इस स्थिति को और भी बदतर कर दिया है। इस पर्यावरण असन्तुलन ने न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे पारिस्थितिक तन्त्र, जिसमें वनस्पति, जीव जन्तु, प्राकृतिक अवयव तथा मनुष्य रहते हैं, को भी प्रभावित किया है। हमारी पारिस्थितिकी इस सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रभावित हो रही है। मनुष्य ने इस अव्यवस्थित विकास एवं अदूरदर्शिता से पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा पारिस्थितिक असन्तुलन पैदा किया है जिससे पारिस्थितिक तन्त्र अपकर्ष की ओर जा रहा है।

पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण के संबंध में मानव मूल्यों में मूलभूत परिवर्तन हुए है। अनेक समाजविज्ञानियों एवं दूसरे विद्वानों ने इसे संज्ञान में लिया है। औद्योगिक जगत द्वारा स्थापित सामाजिक प्रतिमानों के प्रकाश में पारिस्थितिकीय तन्त्र एवं पर्यावरण में लम्बे समय से चले आ रहे मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं विश्वासों के स्थान पर नवीन आदर्शों का जन्म हो रहा है। अब तक प्रभावशाली रहे सामाजिक प्रतिमान के अनुसार आर्थिक प्रगति, प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण, विज्ञान एवं तकनीकी में पूर्ण विश्वास, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उनकी प्रतिस्थापना एवं नीति निर्धारण में विशेषज्ञों की प्रभुता पर जोर

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, वी.आर.एल.एल. राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

दिया जाता था। किन्तु नवीन पर्यावरणीय प्रतिमान में संपोषित विकास, प्रकृति से समन्वय, विज्ञान एवं तकनीकी उपायों पर संदेह, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता एवं स्थानापत्ति एवं नीति निर्धारण में आम जनों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। नवीन मूल्यों को जनसामान्य की संस्तुति प्राप्त है। मूल्यों में इस मूलभूत परिवर्तन के प्रभावों को अनेक क्षेत्रों में देखा गया है। जैसे व्यवसायिक वानिकी में पुराने प्रतिमान ''बहुप्रयोजन एवं सतत् उपज'' के स्थान पर ''सामाजिक वानिकी'' के नवीन प्रतिमान सीमा तक उसके क्रिया कलाप एवं कल्याण एक सफल एवं सुचारू जीवन चक्र की प्रक्रिया में सन्निहित है। इसी क्षेत्र में मनुष्य अन्य जीवों के साथ अपना सुयोग्य स्थान पाने का प्रयास करता है। अनुकूलन में उसकी सफलता एवं अन्य जीवों से संघर्ष को विकास के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। शायद पारिस्थितिकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्षेत्र की उस अवधारणा से है जो अर्न्तसम्बन्धों के जटिल जाल के रूप में है। क्षेत्र पर्यावरणीय कारकों एवं पादप तथा मानव समाजों सहित पशु समुदायों के मध्य अनुकूलन के एक जटिल प्रतिमान को प्रदर्शित करता है।[३] पर्यावरण एवं संस्कृति के मध्य होने वाली अन्योयक्रिया जीवन संतुलन को कभी मनुष्य के पक्ष में एवं कभी उसके विरूद्ध स्थानान्तरित करते हुए संतुलन की ओर बढ़ती है। मनुष्य क्षेत्र के विभिन्न अंगों में कार्यरत पारिस्थितिकीय ताकतों के साथ समन्वय के द्वारा ही क्षेत्र में स्थायी प्रभुत्व को प्राप्त कर सकता है। सजीव निर्जीव से बने पारिस्थितिकीय जीवन के जटिल जाल को वैज्ञानिक स्वरूप में समझने एवं जैवकीय आर्थिक सहयोग में ही मनुष्य का भविष्य सुरक्षित है। क्षेत्र के सभी निवासियों के प्रति विनम्रता एवं दूरदृष्टिपूर्ण व्यवहार से ही मनुष्य का कल्याण होगा। प्राणियों के मध्य स्थित सूक्ष्म सम्बन्धों को मित्रवत रूप में समझकर क्षेत्र में अधिक से अधिक स्थायी एकात्मता एवं परस्पर निर्भरता को पाया जा सकता है। १८६० के दशक में संपोषित लाभकारी वानिकी की शुरूआत एक महत्वपूर्ण पहल थी जो उन्नीसवीं सदी में वनों के विध्वंसकारी शोषण को सुधारने के लिए अभिप्रेरित थी। बहुउपयोगी वानिकी का विचार १६३० के दशक में परिचर्चा का विषय बना, किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तब तक इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया जब तक पुर्नउत्पादन, वन्य जीवन, जल और अन्य बिना इमारती लकड़ी वाले वनों जैसे स्रोत बढ़ने लगे। वानिकी के उभरते हुए उदाहरणों जिन्होंने परम्परागत वानिकी को चुनौती दी, को विभिन्न नामों से पुकारा गया जैसे नव वानिकी, वन पारिस्थितिकी तंत्र, सम्पूर्ण वानिकी, संपोषित वानिकी, बहुस्रोतीय वन प्रबन्धन, बहुमूल्य वन प्रबन्धन।

प्रस्तुत शोध पत्र पारिस्थितिकीय तन्त्र प्रबन्धन को नव वानिकी के उदाहरण के रूप में उल्लेख करता है जो प्रारम्भिक रूप में वन प्रबन्धन का सामाजिकता पर आधारित दृष्टिकोण है जो वनों से जुड़े बदलते मानव मूल्यों पर केन्द्रित होगा। इस विचार की मुख्य विषय वस्तु यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन को इन मूल्यों को पहचानना चाहिए और वानिकी से जुड़े व्यवहार को मनुष्य के लिए और अनुकूल बनाना चाहिए। ये सामाजिकता एवं पारिस्थितिकी पर आधारित परिभाषाओं के निश्चित तत्वों को अर्न्तविष्ट कर सकती है। इस एकीकृत अभिगम में अधिक सहभागी निर्णय एवं संशोधित वैज्ञानिक समझ सन्निहित है।

परम्परागत पारिस्थितिकीय प्रबन्धन के मुख्य मूल्य एवं विषय वस्तु में जंगल के वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी, संपोषित उपज, जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का सीमा के अंतर्गत दोहन आदि सम्मिलित हैं।

इसमें इमारती लकड़ी एवं अन्य उपज के साथ मनोरंजन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं। इसमें पारिस्थितिकीय प्रबन्धन को एक व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है जिसके अंतर्गत जंगल को एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे लकड़ी, मनोरंजन, वन्य जीव, चारा एवं जलावन पर अधिक बल दिया जाता है। इसका प्रबन्धन एक औद्योगिक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। चूंकि लकड़ी इसकी मुख्य उपज है इसलिए भविष्य में लकड़ी की कमी से जूझना इसकी मुख्य समस्या है।

पारम्परिक वन प्रबन्धन पर लम्बे समय से प्रश्न उठाये जा रहे हैं। वन प्रबन्धन को लेकर किये जा रहे पुराने प्रयासों पर बुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञ विचार मंथन कर रहे हैं कि परम्परागत वन प्रबन्धन की व्यवस्था आधुनिक समय में उपयुक्त नहीं है और समाज की आवश्यकताओं और पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन के अनुरूप भी नहीं है। आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नववानिकी की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है। नगरीय समूह, जिनका वनों से सीधा सम्बन्ध नहीं था। परम्परागत वनों को सम्हालने वाले समूहों की अपेक्षा, वन प्रबन्धन को नवीन एवं अपेक्षाकृत व्यवहारिक अन्वेषक विचारों से अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में प्रयासरत है। नगरीय समूहों एवं गैर सरकारी संगठनों का गांवों में जाकर उसके विकास में सहभागिता करना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नगरीय प्रवासी ग्रामीण निवासियों की अपेक्षा वनों के विषय में भिन्न मूल्य प्राथमिकताएं एवं भिन्न

विचार रखते हैं।[४] परम्परागत वन प्रबन्धन के प्रति व्यवसायिक असंतुष्टि का कारण यह भी है कि सार्वजनिक भूमि एवं वन प्रबन्धन से जुड़ी संस्थाओं ने वनों से जुड़े लोगों ने दूरी बनायी है या वे अन्य व्यवसायों को अपनाने लगे हैं। परम्परागत वानिकी को चुनौती देने वाले अप्रत्यक्ष कारणों में एक यह भी है कि ये बदलते सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों के साथ अनुकूलन नहीं कर सकती है।

हाल के दशकों में वनों से जुड़े अनउपभोगवादी एवं अनउपयोगिवादी मूल्यों का प्रासंगिक महत्व बढ़ रहा है। पारिस्थितिकी प्रबन्धन से जुड़े मुख्य प्रस्तावकों ने राष्ट्रीय वनों के संदर्भ में बहतु उपयोगी की अपेक्षा मूल्य बहुल की बात की है। क्योंकि उपयोगितावाद से जुड़ी परम्परावादी वानिकी के समर्थक वनों की सीमित उपयोगिता से जुड़े मूल्यों की बात करते हैं। जबकि वनों से जुड़े मूल्य बहुआयामी एवं असमानुपातिक हैं। वनों का मूल्य केवल उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ से ही नहीं आंका जाना चाहिए। वनों के साथ सौन्दर्यपरक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, पारिस्थितिक एवं सामाजिक मूल्य जुड़े हैं और ये सभी मूल्य एक दूसरे से अंर्तसंबंधित हैं।

इसके विपरीत नवीन पास्थितिकीय प्रबन्धन जंगल को एक अन्त संबंधित समग्र के रूप में देखता है जिससे संपोषित उपज प्राप्त की जा सकती है। न केवल यह जंगल के भविष्य में उपयोग होने वाले विकल्पों को बनाये रखता है अपितु पारिस्थितिकीय तंत्र की संपोषितता एवं जंगल के सौन्दर्य को बनाये रखता है। इसमें जंगल का महत्व एक साधन और साध्य दोनों ही रूप में हैं। इस विचार के केन्द्र में जंगल में निवेश मुख्य है साथ जमीन, प्राकृतिक पूंजी, जैव, विविधता एवं विभिन्न पारिस्थितिकीय प्रक्रियाएं सभी का महत्व है। प्रबन्धन प्रकृति से छेड़-छाड़ की जगह उसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाये रखने का प्रयास करता है। जंगल में प्रत्येक तरह के पेड़-पोधे एवं जीवों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जंगल अपने दायरे में आने वाले प्रत्येक इकाई या अंग के जोड़ से अधिक है। जंगल इसमें होने वाले निवेश से अधिक उत्पादन देकर समाज में अपनी ग्राहयता सिद्ध करता है।[५] इस तरह के प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य अन्तसम्बन्धित समग्र रूप में जंगल के पारिस्थितिक तंत्र को बनाये रखना है। जंगल को मात्र संसाधन के रूप में नहीं देखा जाता। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र के मूलभूत स्वरूप एवं सौन्दर्य को बनाये रखकर सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में भी जनस्वीकृति प्राप्त की जाती है। जंगल प्रबन्धन में जनसहयोग एवं जनसहभागिता इसके प्रतिमान के मुख्य अंग हैं।[६]

समय के साथ होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण भी पारिस्थितिक प्रबन्धन के प्रतिमानों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है। नगरीय जनसंख्या में हुई बढ़ोत्तरी ऐसे सामाजिक परिवर्तनों में एक है।[७] नगरीय जनसंख्या जिसे जंगल से सम्पर्क का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो पाया है। जंगल के प्रबन्धन में सहभागिता के लिए अधिक उत्सुक है। नगरीकरण के साथ आर्थिक ढांचागत परिवर्तनों का प्रभाव भी देखा गया है। जंगल से प्राप्त होने वाली उपज जैसे लकड़ी एवं कच्चे सामान के महत्व में आयी गिरावट, इन क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले रोजगारों में कमी आदि ने भी अपनी भूमिका अदा की है। जंगल प्रबन्धन में पराम्परागत तरीकों में विशेषज्ञों की भूमिका पर भी सन्देह व्यक्त किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों पर आधारित वैज्ञानिक अभिगम ने लम्बे समय तक बड़ी सफलता पूर्वक पारिस्थितिक प्रबन्धन को अंजाम दिया है। किन्तु पिछले कुछ दशकों में इस दृष्टिकोण पर सन्देह उत्पन्न किया जाने लगा है। प्रबन्धतंत्र के अंदर ही कई लोगों ने परम्परागत तौर तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।[८] साथ ही परिस्थिति विज्ञान, वन्य जीव प्राणिशास्त्र एवं मृदा विज्ञान जैसे विषयों के बढ़ते प्रभाव ने भी अपनी भूमिका अदा की है। परम्परागत जंगल प्रबन्धन की स्वीकार्यता में कमी आने के पीछे सामाजिक परिवर्तनों एवं बदलते पर्यावरणीय मूल्यों के साथ इस समायोजन में असफलता भी है। उपभोगितावादी संस्कृति एवं अधिक से अधिक संसाधन दोहन करने के विचार ने जंगल के सौन्दर्य, आध्यात्मिक एवं अन्य पक्षों की अन्देखी की है। इसने जीवन के आधार के रूप में पारिस्थितिक तन्त्र को खतरे में डाल दिया है।

नवीन प्रतिमानों में जो रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है, उसमें संपोषित विकास के लिए निर्देशित सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अनुसार प्रकृति के साथ सामंजस्य संपोषित विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और विकास पर्यावरणीय अन्योन्यश्रितता अविभाज्य है। संपोषित विकास पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने के लिए दीर्घावधि योजना है। ये वर्तमान पीढ़ी की जरूरत और भावी पीढ़ी के सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य के बीच संतुलन का प्रयास है। यह विकास की वह प्रक्रिया है जो वर्तमान में मानव जरूरतों को न सिर्फ पूरा करती है बल्कि भविष्य के लिए उसको संरक्षित भी करती है। इसमें परिस्थितिकी को नुकसान पहुचाये बिना विकास की बात की गयी है।

निष्कर्ष : जंगल एवं पर्यावरण से संबंधित बदलते जीवन मूल्यों की बेहतर समझ रख पाना वर्तमान पारिस्थितिक प्रबन्ध

ान का महत्वपूर्ण अंग है। विशेषज्ञों के स्थान पर अधिक से अधिक जनसहयोग एवं जनसभागिता, चिन्तन मनन एवं जंगलों के कारण उत्पन्न संघर्षों का समय रहते निदान करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जंगल मात्र आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपागम नहीं है। वैज्ञानिक आयाम के साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर.के. मुकर्जी के विचार से सामाजिक परिस्थितिकी को, पर्यावरण से मनुष्य के व्यक्तिगत समायोजन (मानवीय परिस्थितिकी का क्षेत्र) से आगे जाना होगा और मानवीय सामाजिक संरचना तथा प्रकार्य एवं क्षेत्र व्यवसाय, समाज जो पर्यावरण-प्रकार्य-जीव का समाजशास्त्रीय समानार्थ है एवं जिससे सामाजिक प्रघटनाओं का जन्म होता है, को भी अंगीकार करना होगा।[10] इन नवीन पर्यावरणीय मूल्यों की जानकारी से पारिस्थितिक प्रबन्धन में जुड़े विभिन्न लोगों का कार्य आसान हो जायेगा। स्थानीय लोगों के मूल्यों एवं अपेक्षाओं की जानकारी से प्रबन्धन को अपने उद्देश्य, तौर तरीकों, कार्यप्रणालियों को तय करने में सहयोग प्राप्त होगा। स्थानीय लोगों से संघर्ष की संभावना भी कम हो जायेगी। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के तौर तरीकों में मतभेद होने से उत्पन्न संघर्ष को भी कम किया जा सकता है। नवीन जिज्ञासा एवं संज्ञान से प्रबन्धन अधिक सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा।

References

1. Madan, T.N., 'Radhakamal Mukherjee and his contemporaries', Radha Kamal Mukherjee : Chintan Parampary, July-December, 2011, p. 3
2. Mukherjee, R.K., 'The Ecological Outlook in Sociology'. The American Journal of Sociology, XXXVIII, November 1932, p. 3
3. Mukherjee, R.K., 'The Regional Balance of Many'. An Ecological Theory of Population, University of Madras, Madras, 1938, p. 2
4. Kennedy J.J., 'Conceiving Forest Management as Providing for Current and Future Social Values'. Forest Ecology and Management 13(4), 1985, pp. 121-132.
5. Behan, R.W., 'Multi Resource Forest Management : A Paradigmatic Challenge to Professional Forestry', Journal of Foresty 88(4), 1990, pp. 12-18.
6. Brown, G. and C.C. Harris, Jr., 'The Forest Service : Towards the New Resource Management Paradigm, Society and Natural Resources 5(3) : 231-245
7. Behan, R.W., 'The RPAINFMA : Solution to a Nonexistent Problem', Western Wild Lands, 15(4), pp. 32-36.
   Mc Quillan, A.G., 'Gabbages and Kings: The Ethics and Aesthetics of New Forestry'. Environmental Values 2, pp. 191-222
8. Handee, J.C., 'Forestry, Society and Changing Values,' Renewable Resources Journal 7 (4), pp. 6-8
9. Ibid., pp. 6-8
10. Mukerjee, R.K., 'The Indian Working Class', Bombay, Hindi Kitabs, 1945.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

उत्तराखण्ड में महिला सशक्तीकरण की चुनौतियाँ तथा सम्भावनाएँ

❑ दिग्विजय सिंह पथनी
❖ डॉ० रवि जोशी

भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति तथा उनकी बेहतरी को दृष्टिगत रखते हुऐ संविधान के अनेक अनुच्छेदों में उपबन्ध किये गये हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी महिलाओं की समानता और विकास को सुनिश्चित करने एवं उनका सम्मान बढ़ाने हेतु प्रावधान किए गये हैं। इन प्रावधानों के बावजूद वर्तमान में महिलाओं की दशा और दिशा देखने से स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तीकरण है और अधिक सशक्त एवं ईमानदारी पूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत आलेख उत्तराखण्ड में महिलाओं की सशक्तीकरण की चुनौतियों और संभावनाओं की प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को जानने के लिये वहां की महिलाओं की स्थिति एवं स्तर का आकलन करना अति आवश्यक है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी भी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है। भारतवर्ष में महिलाओं का सशक्तीकरण स्वाधीनता के बाद से ही सरकारों की चिंता का एक प्रमुख विषय रहा हैं।

भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति तथा उनकी बेहतरी को दृष्टिगत रखते हुऐ संविधान के अनेक अनुच्छेदों में उपबन्ध किये गये हैं।[1]

अनुच्छेद १४ के अनुसार ''राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।''

अनुच्छेद १५ (१) के अनुसार -''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।''

अनु० १५ (३) के अनुसार - ''इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।''

अनु० १६ के अनुसार -''राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।''

नीति निदेशक तत्वों में भी महिलाओं की समानता और विकास को सुनिश्चित करने हेतु कई उपबन्ध किये गये हैं- अनु० ३६ (क) के अनुसार- ''पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।''

अनु० ३६ (घ) के अनुसार -'' पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।''

अनु० ३६(ङ.) के अनुसार- "पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।''

अनु० ४२ के अनुसार - ''राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।''

संविधान के भाग ४ क में उपबन्धित **मूल कर्त्तव्यों** में भी महिलाओं के हित में तथा उनके सम्मान को बढ़ाने हेतु प्रावधानित किया गया है- अनु० ५१ क (ङ.) के अनुसार - ''भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।''[1]

इस प्रकार भारतीय संविधान में भी महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने तथा उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनेक उपबन्ध किये गये हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं का सशक्तीकरण किसी देश को समग्रता में समझने और विकास के प्रतिमानों को पहचानने का एक माध्यम भी है। किसी भी समाज में महिलाओं का सशक्तीकरण समाज में उनकी स्थिति का द्योतक होता है।

❑ शोध अध्येता राजनीति विज्ञान, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एस.एस.जे. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

महिला सशक्तीकरण को किसी समाज में महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक क्षमताओं के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। यह एक ऐसे परिवेश का सृजन भी है जहाँ महिलाऐं अपनी उन्नति तथा परिस्थिति के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय कर सकें।

'व्यापक अर्थों में सशक्तीकरण से तात्पर्य भौतिक संपदा, बौद्धिक साधनों व विचारधारा पर स्त्रियों का भी नियंत्रण होने से है। भौतिक साधनों में भूमि, जल ,जंगल, शारीरिक श्रम, संपत्ति व संपत्ति के स्रोतों पर नियंत्रण को सम्मिलित किया जा सकता है जबकि बौद्धिक स्रोतों में ज्ञान, सूचना तथा विचारों पर नियंत्रण के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के विश्वास ,मूल्य, अभिवृत्तियाँ तथा व्यवहार को उत्पन्न करने, प्रचलित करने, उनका पोषण कर उन्हें संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की क्षमता को सम्मिलित किया जा सकता है जो यह निश्चित करेगा कि किसी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य में लोग स्त्रियों को किस प्रकार से देखते हैं।''[२]

उत्तराखण्ड में महिला सशक्तीकरण के बढ़ते आयामः वर्ष २००० में पृथक राज्य गठन के बाद यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने का मुद्दा लगातार प्रमुखता से उठता रहा है। राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की लगातार मांग रही है कि महिलाओं के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाय क्योंकि महिलाऐं उत्तराखण्ड के जन जीवन का आधारस्तम्भ हैं।

१. शिक्षा का बढ़ता प्रसार- राज्य गठन के बाद महिला शिक्षा में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर ५९.६ प्रतिशत थी जो २०११ में यह बढ़कर ७०.७० प्रतिशत हो गई है। राज्य में महिलाओं द्वारा ग्रहण की जाने वाली परम्परागत शिक्षा तथा तकनीकी एंव व्यावसायिक शिक्षा में भी वृद्धि देखी गई है, यद्यपि इस दिशा में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

२. महिला रोजगार में बढ़ोत्तरी- राज्य गठन के बाद सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थानों में महिला रोजगार के आँकड़ों में वृद्धि देखी गई है। इसके अतिरिक्त मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाऐं लागू होने का एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ है कि इसके माध्यम से यहाँ की महिलाओं की दैनिक मजदूरी रोजगार में प्रतिभागिता बढ़ गयी है। इससे पूर्व यहाँ महिलाओं की रोजगार में प्रतिभागिता बेहद कम थी।

मनरेगा में महिलाओं की प्रतिभागिता

जनपद	२००६-०७		२००७-०८		२००८-०९		२०१४-१५	
	प्राप्त रोजगार	प्रतिशत	प्राप्त रोजगार	प्रतिशत	प्राप्त रोजगार	प्रतिशत	प्राप्त रोजगार	प्रतिशत
टिहरी गढ़वाल	५.६३	३२.४	२१.७	५२.८	१८.४६	६२.११	१५.५६	६६.८१
चमोली	५.७३	३१.१६	६.५	३६.४	८.१६	४३.६३	१३.३६	५७.८५
चम्पावत	०.७१	१८.०६	१.६	३१.२	१.१२	२३.१८	१.८२	३५.६०
उधम सिंह नगर			१	१६.७	१.७१	२३.७१	२.३७	३७.२२
हरिद्वार			०.३	८.३	०.५४	८.०६	०.६७	१५.६४
पौढ़ी गढ़वाल					२.७५	३८.७३	१२.०७	६४.३३
अल्मोड़ा					१.५३	२६.५१	४.३७	५०.०२
रूद्रप्रयाग					०.२४	२२.०१	५.६६	५१.६६
पिथौरागढ़					१.३६	२१.३१	५.६२	४२.५७
देहरादून					१.४५	२०.६	१.२१	२१.८८
बागेश्वर					०.५६	१७.२५	२.१८	४३.२३
उत्तरकाशी					०.३१	८.७०	८.०८	४५.८०
नैनीताल					०.२२	८.३६	१.२४	२७.४८
उत्तराखण्ड	१२.३७	३०.४६	३४.३६	४२.७६	३८.४६	३६.४६	७४.६२	५०.५८

उत्तराखण्ड में महिलाओं को मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष २००६-०७ से २०१४-१५ तक प्राप्त हुए दैनिक मजदूरी के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य में महिलाओं को प्राप्त हो रहे रोजगार में लगातार वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड के पूर्णतः पर्वतीय जिलों जहाँ कि पुरूषों कि अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है तथा पुरूषों के लगातार

पलायन के चलते कृषि, पशुपालन तथा अन्य सामाजिक कार्यों का अधिकांश भार महिलाओं के ही जिम्मे है । ऐसे में मनरेगा में महिलाओं की सक्रिय और व्यापक भागीदारी की उम्मीद पूर्व में ही की गई थी। यद्यपि आज भी महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी मनरेगा के समुचित लाभों से वंचित है तथापि इस योजना के अन्तर्गत महिला रोजगार में वृद्धि महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह राज्य के कई जिलों में चलाई जा रही आजीविका परियोजना, उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना, महिला समाख्या, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वशक्ति एवं स्वयंसिद्धा तथा स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के माध्यम से भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं सशक्तीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है।

शराब के विरूद्ध आन्दोलन एवं अन्य सामाजिक आन्दोलनों तथा पर्यावरण संरक्षण में : महिलाओं की प्रभावी भूमिका- उत्तराखण्ड में रहने वाले पुरूषों में व्यापक तौर पर पाई जाने वाली मद्यपान की प्रवृत्ति राज्य की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। राज्य के युवाओं में लगातार बढ़ती इस प्रवृत्ति ने उन्हें भीतर से तो खोखला किया ही है, साथ ही पारिवारिक तनावों तथा विखण्डन को भी तीव्र किया है जिसका सर्वाधिक नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ा है। मद्यपान की बढ़ती प्रवृति के कारण पारिवारिक झगड़ों, सामाजिक तनावों तथा महिला हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है तथा महिलाओं का जीवन और भी अधिक कष्टप्रद होता गया है।

समाज में लगातार बढ़ रही मद्यपान की प्रवृत्ति के विरूद्ध महिलाओं ने समय-समय पर अपनी आवाज बुलन्द की है तथा कई जगहों पर इस प्रवृत्ति के विरूद्ध लगातार धरना-प्रदर्शन,शराब की दुकानों को बन्द करवाना तथा शराबियों के सामाजिक बहिष्कार इत्यादि कदम उठाये हैं जो यथास्थितिवाद के विरूद्ध महिलाओं के संघर्ष की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, साथ ही महिलाओं की लगातार उन्नत होती सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का परिचायक भी है। यद्यपि महिलाऐं राज्य से शराब को पूरी तरह हटाने के अभियान में सफल नहीं हो पाई हैं, तथापि कई जगहों पर शराब विरोधी आन्दोलनों में सशक्त भागीदारी कर उन्होंने अपनी उन्नत चेतना को प्रदर्शित किया है।

इसी तरह पेयजल की समस्या, जंगली जानवरों एवं आवारा जानवरों से खेती-किसानी को हो रहे नुकसान, विद्यालय में शिक्षकों की कमी आदि अनेक सामाजिक समस्याओं के विरूद्ध आन्दोलनों में महिलाओं ने प्रभावी पहल की है तथा सशक्त नेतृत्व प्रदान किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं वनों से संबन्धित हक-हकूकों के प्रसिद्ध आन्दोलन 'चिपको आन्दोलन' ने यहाँ की महिलाओं को विश्वव्यापी पहचान दिलाई।

उत्तराखण्ड में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के ग्यारह वर्षों के कार्यान्वयन में पहली बार टिहरी गढ़वाल जनपद के थौलधार विकास खण्ड के ग्राम पंचायत किरगणी के ५५ जॉबकार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया जिसमें से ४६ महिलाऐं थीं[३] यह बेरोजगारी भत्ता सरकारों की विफलता तथा इन श्रमिकों के डेढ़ वर्ष तक चले अनवरत् संघर्ष का परिणाम था। इस तरह राज्य में महिलाओं ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर अपने संघर्ष को एक नई पहचान दी है।

प्रकृति के साथ समन्वय से रहने के कारण पहाड़ी महिलाओं में एक गहरी समझ और परिपक्वता आयी और यह उनके जीवन और आन्दोलनों से साफ झलकती है, लेकिन आज की विकास परियोजनाओं ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर उनकी जीवन शैली को ही बदल दिया है।

पिछले कुछ दशकों में वनों के सफाये के साथ-साथ हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक पानी के स्रोत सूख गये हैं और बाँध परियोजनाओं एवं शहरीकरण की वजह से उनकी अधिकांश उपजाऊ भूमि उनसे छिन चुकी है, परंतु इस विकृत विकास के बावजूद यहाँ की महिलाऐं लोकप्रिय महिला आन्दोलनों के माध्यम अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं, सत्तर के दशक का चिपको अन्दोलन जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, महिलाओं के विरोध का एक ज्वलंत उदाहरण है।"[४]

पंचायतों तथा शहरी निकायों में पचास फीसदी महिला प्रतिनिधित्व – राज्य गठन के बाद पंचायतों तथा शहरी निकायों में महिलाओं को ५० फीसदी आरक्षण दिये जाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ने से महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

उत्तराखण्ड में महिला सशक्तीकरण की चुनौतियाँ : पृथक उत्तराखण्ड राज्य गठन के पन्द्रह वर्ष पूर्ण होने को है। पृथक राज्य गठन के लिये इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को जिम्मेदार माना गया था। राज्य निर्माण के आन्दोलन में छात्रों, युवाओं, कर्मचारियों तथा समाज के हर वर्ग की प्रतिभागिता के साथ-साथ महिलाओं की भी प्रभावी उपस्थिति थी। ऐसी उम्मीद की गई थी कि पृथक राज्य निर्माण से यहाँ रहने वाली महिलाओं का जीवन स्तर तथा उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाने हेतु यथोचित प्रयास किये जायेंगे, परंतु राज्य का अभी

तक का सफर महिलाओं के सशक्तीकरण के मार्ग में अनेक चुनौतियों को रेखांकित करता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराधों में लगातार हो रही बढोत्तरी – पूरे देश की ही तरह उत्तराखण्ड राज्य में भी विगत पन्द्रह वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराधों में लगातार बढोत्तरी हुई है। शांत समझी जाने वाली पर्वतीय वादियों में भी बढते अपराधों की वजह से सामाजिक असुरक्षा तथा परिवर्तित परिवेश की वजह से महिला शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव हुआ है। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार तथा महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने की प्रवृत्ति के कारण भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगातार बढोत्तरी हो रही है। गॉवों एवं शहरों का माहौल भी विगत दो दशकों में तेजी से बदला है। आज राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की संस्कृति विकसित करना महिला सशक्तीकरण के लिए एक जबर्दस्त चुनौती है। इसके साथ ही साथ महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों एवं हिंसा को समाप्त करके ही सही अर्थों में महिला सशक्तीकरण का सपना साकार किया जा सकता है क्योंकि भयमुक्त वातावरण एवं सुरक्षित परिवेश में ही महिलाओं का समुचित विकास सम्भव है।

पर्वतीय क्षेत्रो से पुरूषो का बढता पलायन – उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से पुरुषों का पलायन लगातार बढ़ता गया है। रोजगार की तलाश के साथ-साथ उच्च एवं व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की तलाश इसके प्रमुख कारण रहे हैं।

जनपद चंपावत की कुछ ग्राम सभाओं में लोगो के बर्हिप्रवजन का परिदृश्य

ग्राम सभा	मार्च २०१० में कुल परिवार	विगत १० वर्षों में पलायन करने वाले परिवार		पलायन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत
		परिवारों की संख्या	कुल व्यक्ति	
गागर	२७८	११०	४००	३६.५६
पिनाना	५५	२०	६५	३६.३
बेड़ाओड़	१२०	३०	११०	२५
कायल	२५०	५०	२००	२०
मड़चमार	१४०	२५	६०	१७.८
थुवामौनी	१२०	२०	४०	१६.६
नरसिंहडांडा	२१०	३०	४८	१४.२
बोराबूंगा	४०	५	१०	१२.५
बाराकोट	२५०	१५	६०	६
पाटी	१७०	१०	२५	५.८
चौडापिता	८५०	४०	१००	४.७०

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों से पुरूषों के लगातार बढ़ते पलायन का दुष्प्रभाव महिलाओं पर भी सर्वाधिक हुआ है। परिणामस्वरूप महिलाओं पर कार्यबोझ और अधिक बढ़ गया है। कृषिगत जटिलताओं तथा पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी महिलाओं को ही करना पड़ता है। पुरूषों के पलायन के कारण सामाजिक असुरक्षा बढ़ी है तथा सामाजिक सहभागिता एवं सौहार्द में भी कमी आई है। कई परिवारों में महिलाऐं एवं वृद्ध माता-पिता एकांगी जीवन जीने को विवश हैं। ''पहाड़ों के विकास के सरकारी आयाम उत्पादकता से नहीं जुड़े हैं। पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछाया गया, इससे पलायन और सरल हो गया और उपभोक्तावादी संस्कृति पहाड़ों के गाँवों तक पहुँच गई। इसका नुकसान भी महिलाओं की कठिनाईयों में वृद्धि के रूप में सामने आया है।''[५]

वर्षों से लगातार जारी पलायन को रोकना सरकारों के लिये चिन्ता का एक मुख्य बिन्दु बना हुआ है। सरकारें द्वारा इसके लिये कई घोषणाऐं की गई हैं परन्तु राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा ठोस व्यावहारिक योजनाओं के अभाव में पलायन को रोकना आज भी एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है, परिणामस्वरूप राज्य की महिलाओं के कष्टों में वृद्धि जारी है।

कृषि, पशुपालन एवं पारिवारिक दायित्वों का अत्यधिक कार्यबोझ महिलाओं पर – राज्य में कृषि, पशुपालन, चारे की व्यवस्था,पेयजल संग्रहण, ईंधन संग्रहण तथा खेतों में खाद पहुँचाने सहित पारिवारिक दायित्वों का अत्यधिक कार्यबोझ महिलाओं पर ही है। पारम्परिक रूप से भी महिलाओं एवं पुरूषों के कार्यो में भेदभाव रखा गया है। मार्गदर्शन के अभाव,

व्यावहारिक युवा नीति के अभाव एवं समुचित शिक्षा के अभाव के कारण कई युवा मद्यपान, ताश खेलने एवं अन्य बुरी प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त होते हैं, जबकि महिलाऐं दिन-रात अति परिश्रमयुक्त कार्य करती रहती हैं। अत्यधिक कार्यबोझ के चलते महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है।

पर्वतीय महिलाओं के प्रतिदिन के क्रियाकलाप

कार्य	समय	कार्य प्रतिशत
कृषि कार्य	५ घण्टा	२८
पशु चारा	४ घण्टा	२२
घर के कार्य	४ घण्टा	२२
पशुपालन एवं देख-रेख	२ घण्टा	११
खाद की निर्माण एवं ढुलाई	२ घण्टा	११
ईंधन लाना	१ घण्टा	६
कुल	१८ घण्टा	१००

स्रोत - क्षेत्रीय अध्ययन, संबन्ध संस्था, जनपद चम्पावत

अध्ययन से स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को प्रतिदिन १६-१८ घण्टे लगातार कार्यबोझ से दबे रहना होता है, जो कि राज्य में महिला सशक्तीकरण के मार्ग में एक प्रमुख चुनौती है। राज्य की महिलाओं पर कार्यबोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है तथा महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने हेतु चलायी गई उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना, स्वशक्ति एवं स्वयंसिद्धा सहित अनेक योजनाऐं भी अपने उद्देश्य में समग्रता से कामयाब नहीं हो पाई है।

'सबसे बड़ा प्रहार यहाँ की Life Sustaining कृषि पर हुआ है। आधुनिकीकरण ने नकद फसलों को महत्व देकर हिमालय की कृषि को हेय ठहराया है जिससे कृषक स्त्री का दर्जा और भी पीछे बड़ी तेजी से स्खलित हुआ है। नौकरी परस्त शिक्षा ने भी पर्वतीय नारी के व्यक्तित्व की वह निर्भीक, बुद्धिशाली, श्रमपूर्ण एवं परिस्थितियों से टकराने वाली साहसी छवि को कायम नहीं रखा है। नकद फसलों के प्रसार से अन्न के ऊपर जो अधिकार नारी का था, वह छिन गया है।"[६]

चिंता का एक प्रमुख विषय-महिलाओं का स्वास्थ्य- पूरे देश की ही तरह उत्तराखण्ड में भी महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आँकड़ों के अनुसार राज्य की ४५.२ प्रतिशत महिलाऐं एनीमिक है। एन. एफ. एच. एस. के अनुसार राज्य की केवल ५४.३ महिलाओं को ही उनकी सेहत पर निर्णय में सम्मिलित किया जाता है। एन. एफ. एच. एस. के अनुसार राज्य की केवल ३६ फीसदी विवाहित महिलाऐं ही पारिवारिक मामलों में हिस्सेदारी कर पाती हैं। सितंबर २०१२ में बाल विकास विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में ०-५ वर्ष के ७४०६ बच्चे अतिकुपोषित हैं। इसमें से अधिकांश बालिकाऐं हैं। अल्मोड़ा जनपद में लोक प्रबंध विकास संस्था द्वारा ताकुला विकास खण्ड के १२ गाँवों में कुपोषण की जाँच के दौरान संस्था ने पाया कि अति कुपोषित बच्चों में से ८६ प्रतिशत बालिकाऐं हैं।[७]

इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने, जागरूकता के अभाव, सामाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वास, दूषित पेयजल एवं गंदगी तथा बाजारवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते उत्तराखण्ड में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है। इसके लिए परिवारों में व्याप्त सामंतवादी सोच भी जिम्मेदार है। लैंगिक भेदभाव के कारण परिवारों में प्रारम्भ से ही बालिकाओं को उपेक्षित मानकर उनके स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। गाँवों एवं शहरों में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के अभाव तथा देखभाल की कमी के कारण भी स्थितियाँ विकट हुई हैं। आज भी राज्य में अधिकांश महिलाओं को घर के बाहर जाकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाऐं खोजने ओर पाने की इजाजत नहीं होती।

अक्सर परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाता है और जब बीमारी असाध्य हो जाती है तब अंतिम समय में ही जाकर अस्पतालों में जाती है। इस तरह राज्य में महिलाओं को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिल पाना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता पी० एस० बिष्ट मानते हैं कि "राज्य में सरकारी स्वास्थय सेवाओं का बुरा हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दें, शहरों के सरकारी अस्पतालों में भी पर्याप्त डाक्टर नहीं है। राज्य के मेडिकल कालेजों में सरकारी खर्चे पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डाक्टरों को प्रदेश के दूरस्थ स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजने की सरकार की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। सरकारों की अदूरदर्शिता एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश न किये जाने के कारण प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।"[८]

लिंग विभेद एवं घटना लिंगानुपात- पुत्रवती भव! जैसे आशीर्वादों वाले हमारे देश में महिलाओं के प्रति प्रारम्भ से ही विभेद सर्वत्र प्रचलित है। उनकी शिक्षा एवं पोषण पर समुचित ध्यान नहीं दिया है। परिवारों में लिये जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की राय को महत्व नहीं दिया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को श्रेष्ठ समझने तथा लड़कों के पोषण एवं

सुख-सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने की मनोवृत्ति के चलते हमारे परिवारों में महिलाओं को दोयम दर्जे का ही नागरिक समझा जाता है। विभेदकारी लैंगिक मनोवृत्ति के कारण महिलाओं का स्वभाविक विकास भी प्रभावित होता है। राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी उत्तराखण्डी समाज की इस मनोवृत्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

वर्ष २००१ तथा २०११ की जनसंख्या के आँकड़े राज्य में घटते लिंगानुपात की पुष्टि करते हैं। यद्यपि राज्य के आठ पर्वतीय जिलों में पुरूषों से अधिक महिलाऐं हैं। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात ९६३ है। ०-६ वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात केवल ८८६ है। जोकि बेहद चिंताजनक है। वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार ०-६ वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात ९०८ था। पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम के लागू होने के बावजूद राज्य में लगातार घटना लिंगानुपात कन्या भ्रूण हत्या की पुष्टि करता है। इस प्रकार राज्य में प्रचलित लिंग भेद एवं घटता लिंगानुपात महिला सशक्तीकरण के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।

मद्यपान की बढ़ती प्रवृत्ति- हमारी सरकारें भले ही जन-जन तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न करा पाई हों, लेकिन गाँव-गाँव तक शराब पहुँचा पाने में अवश्य सफल रही हैं। पर्वतीय समाज में मद्यपान की बढ़ती प्रवृति एक सामाजिक समस्या है, जिसका दुष्प्रभाव परिवारों में तनाव, मारपीट, पारिवारिक विखण्डन, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा अपराधों में बढ़ोत्तरी के रूप में प्रदर्शित होता है। राज्य में शराब बिक्री के ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि इसकी खपत लगातार बढ़ी है। राज्य में मद्यपान की बढ़ती प्रवृत्ति ने महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। राज्य से मद्यपान की प्रवृत्ति को समाप्त करना महिला सशक्तीकरण के मार्ग में एक प्रमुख चुनौती है।

पंचायतों में महिला आरक्षण के बावजूद पुरुष सहयोगियों द्धारा कार्य संचालन- उत्तराखण्ड में देश के कई अन्य राज्यों की तरह पंचायतों में महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में हजारों महिलाऐं ग्रामीण जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं, परन्तु विडम्बना यह है कि महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकांश दायित्वों का संचालन उनके पुरुष सहयोगियों द्धारा ही किया जाता है। जानकार मानते हैं कि शिक्षा की कमी, समुचित प्रशिक्षण न हो पाने, पारिवारिक दायित्वों के अत्यधिक कार्यबोझ तथा महिला ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों का समुचित बोध न हो पाने के कारण ही इस प्रकार की स्थितियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। यद्यपि कई ग्रामीण महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर बेहतरीन मिसाल पेश की है परन्तु ऐसी महिलाओं की संख्या काफी कम है।

उत्तराखण्ड में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने एवं उनके न्याय एवं समतामूलक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये सतत् संघर्षरत संगठन जनवादी महिला समिति, उत्तराखण्ड की प्रदेश सचिव एडवोकेट सुनीता पाण्डे मानती है कि - ''महिलाओं की राजनीतिक क्षमता निर्माण सामाजिक न्याय कार्यक्रम का हिस्सा है परन्तु सरकारों का ध्यान इस ओर नहीं है। पितृसत्तात्मक मूल्यों के प्रभाव के कारण महिलाओं के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में कठिनाईयाँ हैं।"[९]

आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के बावजूद आर्थिक स्वायत्तता नहीं- वर्ष २०१४-१५ में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर १३८,७२३ करोड़ रुपया तथा प्रति व्यक्ति आय ११५६३२ रुपया हो जाने के बावजूद सच्चाई यह है कि राज्य की लगभग ४० फीसदी आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ऐसा माना जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े लोगों की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। राज्य में महिलायें दिन भर खेती किसानी सहित घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं। महिलायें पारिवारिक देखभाल के साथ-साथ कृषि,पशुपालन सहित समस्त गतिविधियों में संलग्न रहती हैं, बावजूद इसके उन्हें आर्थिक स्वायत्ता नहीं मिल पाती । आधुनिक समय में भी महिलाओं की कमाई पर भी पति का ही अधिकार रहता है। इस प्रकार राज्य में महिलाओं को आर्थिक अधिकारों एवं स्वायत्तता से वंचित रखना महिला सशक्तीकरण के मार्ग में प्रमुख चुनौती है।

पितृसत्तात्मक मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ तथा सामाजिक सोच- पितृसत्तामक समाज प्रारंभिक काल से ही महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति व संस्कृति के क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व और नारी की अधीनता का पक्षधर रहा है। परिवारों में लड़के और लड़कियों के मध्य गैर बराबरी, वर्जना, उत्पीड़न और भेदभाव आज भी प्रचलित है। ''पितृसत्ता उत्पीड़न की एक संक्रामक व्यवस्था है। यह एक वायरस की तरह है जो महिलाओं के भोषण की एक ऐसी पद्धति तैयार कर देता है जो अनंत काल तक चलता रहता है।''[१०]

उत्तराखण्ड में पितृसत्तात्मक मान्यताओं के कारण समाज में गैरबराबरी और उत्पीड़न की लम्बी श्रृंखला है जिसका सर्वाधिक कुप्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था व समाज में लड़के और लड़कियों के संदर्भ में प्रचलित

सांस्कृतिक मूल्यों के कारण भी महिलाओं का जीवन कष्टप्रद होता गया है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड में स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा तथा विद्युत सुविधा की उपलब्धता के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अभी भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इसका सर्वाधिक कुप्रभाव महिलाओं पर ही होता है। महिलाओं का काफी समय दूर -दूर से पेयजल लाने में लगता है।

प्रदेश में भौगोलिक दुरुहताओं एवं पशुओं के लिये चारे की बढ़ती समस्या ने भी महिलाओं के कष्टों में वृद्धि की है। महिलाओं को पशुओं के लिये चारा संग्रहण हेतु घर से काफी दूर-दूर जाना पड़ता है। राज्य में प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलायें घास काटते समय चट्टानों से गिरकर असमय मौत का शिकार होती हैं। जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने से भी स्थितियाँ विकट हुई हैं तथा पलायन बढ़ा है। परम्परागत कृषि उपकरणों तथा कई स्थानों पर महिलाओं के यंत्रवत प्रयोग भी महिलाओं पर अत्यधिक कार्यबोझ हेतु उत्तरदायी हैं।

गहरे सामाजिक सरोकारों के साथ राज्य में महिलाओं का संघर्ष आज भी जारी है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने तथा संगठित एवं जागरुक करने हेतु सशक्त एवं ईमानदारीपूर्ण प्रयास आज भी अपेक्षित ही हैं। राज्य में महिला सशक्तीकरण के लिये लैंगिक भेदभाव समाप्त कर प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। सामाजिक सोच में बदलाव तथा मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही ऐसा किया जा सकेगा । उम्मीद की जानी चाहिये कि भविष्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेगी।

सन्दर्भ

१. भारत का संविधान, चतुर्थ संस्करण २००१, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ० ५, ६, १०,२५, २६, २७,

२. सेन गीता, जरमेन ए.डी. तथा लिंकन चेन, ''हैल्थ एम्पावरमेंट एण्ड राइट्स'', क्रैम्ब्रिज, हावर्ड विश्वविद्यालय प्रेस १९९४ में श्री लता बाटलीवाला का लेख'' मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंटः न्यू कमेंटस् फ्राम एक्शन'' पृ० १२९

३. पत्रांक ६५७/सू०अ०अधि०-२००५-१५/दिनांक २३ दिसंबर २०१४, कार्यालय, लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, थौलधार, टिहरी गढ़वाल।

४. टोडरिया राधा बहन एन.पी., 'हिमालय की महिलाऐं एवं विकास नीति', उत्तराखण्डः दृष्टि, दशा और दिशाः साप्ताहिक अलंकनंदा किनारे प्रकाशन पौढी गढवाल, पृ- २५,२६,२७,

५. राधा बहन, 'उत्तराखण्ड में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उत्तराखण्डः दृष्टि, दशा और दिशा, पूर्वोक्त, पृ० ७३,७४,७५,

६. राधा बहन, 'हिमालय की महिलाऐं एंव विकास नीति', उत्तराखण्ड : दृष्टि, दशा और दिशा, पूर्वोक्त, पृ० २५.२६.२७.

७. 'आइये उत्तराखण्ड को कुपोषण मुक्त बनाऐं'- लोक प्रबन्ध विकास संस्था, सुनोली, अल्मोड़ा।

८. डाण्पी एस बिष्ट- वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता, अल्मोडा साक्षात्कार दिनांक २७-८-२०१५

९. पाण्डे सुनीता एडवोकेट एवं प्रदेश सचिव, जनवादी महिला, समिति उत्तराखण्ड, साक्षात्कार दि०-२७-०८-२०१५.

१०. स्वांई ज्ञान रंजन, 'पितृसत्तात्मक व्यवस्थाः एक विश्लेषण'- मानवाधिकार, जेंडर एवं पर्यावरण, तपन विस्वाल, वाइवा बुक्स, नई दिल्ली, पृ०२१२.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा | वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 | ISSN 0974-0074

बाल न्याय व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण घटकों का कर्त्तव्य निर्वहन वैधानिक विश्लेषण

❑ डॉ. बबीता महावर

किशोरों के कल्याण, संरक्षण एवं अधिकारों के प्रति सभी देश प्रारम्भ से ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं। परन्तु किशोरों की देखभाल, संरक्षण एवं कल्याण के लिए किये जा रहे प्रयासों का विश्लेषण करने पर ग्लोबल स्तर पर यह पाया गया कि किशोरों में विधि का उल्लंघन करने की समस्या लगातार बढ़ रही है। समय-समय पर बनाए जा रहे कानूनों एवं राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। प्रस्तुत लेख किशोर कल्याण की वैधानिक भावना के अनुरूप बनाए गए अधिनियमों एवं निर्धारित घटकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बीच उत्पन्न अंतराल के परिणामस्वरूप उपजी समस्याओं, चुनौतियों एवं व्यवहारिक परिस्थितियों के वैधानिक विश्लेषण पर आधारित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा २० नवम्बर, १९५९ को विश्व के बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गई थी। इस घोषणा में यह उल्लेख किया गया कि विश्व के सभी देशों द्वारा उनके विधान और संसाधनों के माध्यम से बच्चों को वे सभी सुविधाएं व अवसर प्रदान किए जायेंगे, जिनमें वे शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकें। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेन्शन, १९८९ (कन्वेन्शन की ३० वीं वर्षगांठ पर) से इसे सभी राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया।[1] बच्चों के कल्याण, विकास एवं संरक्षण की वैश्विक भावना को हमारे देश में भी स्वीकार किया गया। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक भागीदारी निभाते हुए ११ दिसम्बर, १९९२ में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेन्शन को स्वीकार किया गया और यह इच्छा प्रकट की गई कि देश के सभी भागों में बच्चों के लिए एक सी व्यवस्था लागू हो, जिसमें परिवर्तनशील समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उनके विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। कन्वेन्शन में दो प्रकार से बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण पर ज़ोर दिया गया। प्रथम, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर एवं द्वितीय, शारीरिक, मानसिक हिंसा से ग्रस्त, हानिकारक परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले उपेक्षित बच्चे। प्रशासनिक दृष्टि से इनके कल्याण एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक व्यवस्था में समुचित प्रावधान किये गये और किशोर न्याय अधिनियम बनाए गए।

भारत में किशोर न्याय अधिनियम बनाते समय अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखों, घोषणाओं व सिद्धान्तों को आधार बनाया गया। इनमें से बाल न्याय प्रशासन के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (United Nations standard rules for the administration of juvenile justice. The Beijing Rules)[2], बाल अपचार की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग दर्शक सिद्धान्त (United Nations guidelines for the prevention of the juvenile delinquents. The Riyadh guidelines)[3], संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उन बालकों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम जिनकी स्वतंत्रता छीन ली गई (United Nations rules for the protection of juveniles deprived of their liberty)[4] एवं बाल अधिकारों का घोषणापत्र[5] आदि महत्त्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त सभी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों, पारित प्रस्तावों और नियमों को जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने समय-समय पर स्वीकार किया, को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय गणराज्य के ५१वे वर्ष में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, २००० है। समय एवं परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अधिनियम में नियमित संशोधन एवं परिवर्तन किये जाते रहे हैं। वर्ष २००६ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, २००६ पारित किया गया[6], जिसमें किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार व पुनर्वास के लिए कानूनी ढ़ाँचे के गठन पर ज़ोर दिया गया और सभी राज्यों में जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समितियाँ गठित की गई। इसके पश्चात् वर्ष २०११ में ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व

❑ पी.डी.एफ., आई.सी.एस.आर., नई दिल्ली, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

संरक्षण) संशोधन अधिनियम, २०११" पारित किया गया[७], जिसमें मानसिक रूप से बीमार बच्चों व मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले किशोरों के बेहतर इलाज एवं उनके पुनर्वास के प्रावधान किये गये। हाल ही में ३१ दिसम्बर, २०१५ को संशोधित अधिनियम, "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, २०१५" अधिसूचित कर ०१ जनवरी, २०१६ को सारे देश में लागू किया गया है। अधिनियम में बेहतर ढ़ंग से बच्चों की देखभाल और संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम में विधि विरूद्ध आचरण करने वाले किशोरों में व्यवहारगत परिवर्तन एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने की दिशा में उपचारात्मक प्रयासों को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण घटकों को सम्मिलित कर उनके लिए कुछ कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है। प्रस्तुत लेख में घटकों के लिए विधि में निर्धारित किये गये कर्त्तव्यों एवं उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन का विधिगत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड : किशोर न्याय बोर्ड का मुख्य कर्त्तव्य विरूद्ध आचरण करने वाले किशोरों के प्रकरणों पर सुनवाई करना है। अधिनियम इस बात पर ज़ोर देता है कि जहां तक संभव हो सके किशोर न्याय बोर्ड किशोरों को बाल मित्रवत् वातावरण उपलब्ध कराये, जहाँ किशोर के साथ न केवल बिना किसी भय, बैचेनी और तनाव के बात की जा सके बल्कि उसकी मनःस्थिति का विश्लेषण करके विधि का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों को समझा जा सके। बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों का बाल कल्याण, बाल अधिकार एवं बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुभव इन विपरीत परिस्थितियों में फंस कर विधि के विरूद्ध आचरण करने वाले किशोरों को अपचार की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति को प्रारम्भिक अवस्था में ही रोकने में प्रभावी हो सकता है। अधिनियम में बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए निर्धारित की गई ये योग्यताएं एवं उनके अनुभव आदतन तौर पर बारम्बार विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की काउंसलिंग करने, विचार परिवर्तन करने एवं उनकी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। किशोरों के प्रकरणों में अलग प्रक्रिया अपनाने का एक अन्य उद्देश्य उनके सुधार एवं पुनर्वास के प्रयास करना एवं सज़ा के प्रावधानों की उपेक्षा करना रहा है।

व्यवहारिक तौर पर यदि हम वैधानिक दृष्टिकोण से परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो काफी समस्याएँ दिखाई पड़ती हैं। विधि के उद्देश्य के अनुरूप मित्रवत् वातावरण की परिकल्पना केवल वैधानिक रूप में ही अनुभव की जा सकती है। व्यवहार में बोर्ड का संचालन न्यायालय की भांति होता प्रतीत होता है। बोर्ड में नियुक्त किये गये अध्यक्ष का पूर्वानुभव न्यायालय में कार्य करने का होने के कारण बोर्ड का वातावरण एवं कार्य करने की प्रक्रिया न्यायालय की भांति ही संचालित होती है। अध यक्ष (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) का न्यायालय में लंबे कार्यकाल के अनुभव का प्रभाव बोर्ड के संचालन पर भी दिखाई देता है। कई प्रकरणों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद की समस्या भी दिखाई देने लगती है, जिससे किशोरों में सुधार एवं पुनर्वास के प्रयास प्रभावित होने लगते हैं।

अध्यक्ष (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) पर अतिरिक्त कार्य भार होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा निर्वहित की जाने वाली भूमिकाएं यथाः- बाल सुधार संस्थाओं की मॉनीटरिंग, न्याय एवं उपचार के विधि आधारित प्रयास सक्रिय रूप से किये जाने संभव नहीं हो पाते।

सुधारात्मक संस्थाएं : किशोर न्याय अधिनियम का एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक सुधारात्मक संस्थाएं हैं। सुधारात्मक संस्थाएं अधिनियम की रीढ़ कही जा सकती हैं। किशोरों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए किये जाने वाले सभी प्रयास इन संस्थाओं के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जा सकते हैं। सुधारात्मक संस्थाओं का दृष्टिकोण किशोरों को सामाजिक रूप से निर्माणात्मक व उपयोगी भूमिका निभाने लायक बनाने का होता है।

अधिनियम के अन्तर्गत किशोरों का सम्पूर्ण पुनर्वास सुधारात्मक संस्थाओं के माध्यम से किये जाने के बारे में कहा गया है। किशोरों का सामाजिक पुनर्वास अधिनियम का अंतिम ध्येय है, जिसे प्राप्त करने का माध्यम वर्तमान परिस्थितियों में केवल सुधारात्मक संस्थाएं ही हैं। यहां किशोरों की मानसिकता में बदलाव व सुधार के प्रयास किये जाने का प्रावधान है, परन्तु सुधारात्मक संस्थाओं में सुधार के अनुकूल वातावरण संभवतः कम ही उपलब्ध हो पाता है। परिणामस्वरूप किशोरों के सुधारात्मक संस्थाओं से पलायन की घटनाएं सामने आती हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किशोरों के प्रकरण को कम से कम ३ माह एवं अधिकतम ६ माह में निस्तारित कर उन्हें संस्थाओं से बाहर निकाल कर ग़ैर संस्थागत प्रयासों से उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। इसका मुख्य कारण है कि किशोर संस्थागत आवास को जेल की सजा और स्वयं को अपराधी महसूस करते हैं। व्यवहारिक स्थिति

यह है कि सुधारात्मक संस्थाएं विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण नहीं कर पा रही हैं, परिणामस्वरूप किशोरों के सुधार के प्रयास भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी. गोकुल विग्नेश्वरी एवं ए. थनप्पा द्वारा रायोपुरम तमिलनाडु में किशोरों के लिए संचालित राजकीय बाल गृह में किए गए एक अध्ययन में भी पाया गया कि वहां आवासित किशोरों के लिए पर्याप्त सुविधाओं तथा शौचालय, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिसके कारण उनके सामाजिक समायोजन में काफी कठिनाईयां आती हैं।[८]

विशेष किशोर पुलिस इकाई : विधि का उल्लघंन करने वाले किशोरों के प्रकरणों का निस्तारण करने की प्रक्रिया में विशेष किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधि का उल्लंघन करने के बाद सर्वप्रथम किशोर विशेष किशोर पुलिस इकाई के सम्पर्क में आते हैं। यहाँ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका भी अहम् होती है। किशोर के सम्पक्र में आने के बाद उसकी मनःस्थिति का विश्लेषण, किशोर के परिवार को परिस्थितियों से अवगत कराने से लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने, बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पकड़े जाने की परिस्थितियों से अवगत कराने व विधि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने की जिम्मेदारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा निर्वहित की जाती है।

वैधानिक परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति का विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि विधि की किशोरों में उपचारात्मक सुधार की भावना के विपरीत पकड़े जाने पर उनके साथ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा वयस्क अपराधियों की भांति व्यवहार किया जाता है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों में केवल खानापूर्ति कर प्रकरणों के निपटान की प्रवृत्ति ही अपनाई जाती है। परिणामस्वरूप किशोरों में व्यवहारगत परिवर्तन संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हो पाना संभव नहीं हो पाता और उपचार के प्रयास भी सफल होते दिखाई नहीं पड़ते।

परिवीक्षा अधिकारी : सुधारात्मक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्ति पश्चात् उनकी सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, उनकी सामाजिक नियमों के अनुकूल आचरण करने संबंधी उपचारात्मक प्रयास परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किये जाते हैं। परिवीक्षा अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के उपचार की दिशा में उसके परिवार, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं ग़ैर सामाजिक संगठनों के बीच आपसी समन्वय से कार्य करने हेतु जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करता है। वैधानिक दृष्टि से किशोर की सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर उसकी आवश्यकता के अनुरूप परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा में संतुलित बनाए रखने की जिम्मेदारी परिवीक्षा अधिकारी की होती है। परन्तु वस्तुस्थिति यह दर्शाती है कि सुधारात्मक संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दुर्बलता के परिणामस्वरूप सुधारात्मक संस्थाओं में या तो परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त ही नहीं हो पाते, यदि नियुक्त हो भी जाते हैं, तो परिस्थितियाँ ये दर्शाती है कि वे केवल कागजों में वहाँ नियुक्त होते हैं, और अपना वेतन प्राप्त करते हैं, वास्तविकता में विभाग के मुख्यालय से संबंधी कार्य करते है। ऐसी स्थिति में किशोर के उपचार के प्रयास नगण्य हो जाते हैं और किशोरों द्वारा अपचार किये जाने वाले अपचार कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में किशोरों द्वारा किये गये अपचारों में बढ़ोतरी दिखाई देती है।

सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग़ैर सरकारी संस्था : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, २०१५ में किशोरों के कल्याण एवं पुनर्वास की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका भी निर्धारित की गई है, परन्तु पुलिस, प्रशासन, सुधारात्मक संस्थाएं इन सामाजिक कार्यकताओं की सेवाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेने को प्राथमिकता देते हैं। उनके साथ खुलेपन से कार्य करने की वृहद प्रवृति अपनाने में सरकारी महकमे में संकोच दिखाई देता है। यहाँ महकमे की यह समझ कार्य करती है कि सामाजिक कार्यकत्ताओं अथवा गैर सरकारी संस्थाओं की भावना सुधारात्मक संस्थाओं की दुर्बलताओं एवं उनमें प्रवेशित किशोरों द्वारा की जा नकारात्मक गतिविधियाँ समुदाय के समक्ष उजागर कर प्रशासन की छवि को क्षति पहुँचाने की रहती है। इस समझ के कारण विधि द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं के लिए निर्धारित की गई भूमिकाएँ निर्वहित करने में अनेक समस्याएँ आती हैं और किशोरों के सुधार के प्रयास संकुचित होने लगते हैं।

निष्कर्ष : संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि विधि की भावना के अनुरूप किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में ज़मीनी स्तर पर काफी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के प्रयास विधि द्वारा निर्धारित किये गये घटकों के माध्यम से किये जाने संभव हैं। अतः यह आवश्यक है कि किशोर के द्वारा किये जाने वाले अपचारों के उपचार के लिए सभी घटकों द्वारा कर्त्तव्य निष्ठा एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से अपनी

जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पर ही ज़मीनी स्तर की समस्याओं से निपटा जाना संभव है।

संदर्भ सूची

१. http://www.ohchr.org
२. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ४०/३३
३. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ४५/११२
४. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ४५/११३
५. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ४४/२५
६. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, २००० एवं संशोधित अधिनियम, २००६
७. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, २०११
८. विग्नेश्वरी जी गोकुल एवं ए. थानप्पा, 'ए ब्रीफ स्टडी ऑन साइलेण्ट फीचर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शसन ऑफ चिल्डर्न) एक्ट २००० एण्ड 'तमिलनाडु जुवेनाइल जस्टिस एक्ट २००१', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एण्ड सोशियल साइंस, वाल्यूम २ अंक १ जनवरी-मार्च २०१५, पृ. ४१

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

सिंचाई के साधनों का गत्यात्मक प्रतिरूप-एक भौगोलिक अध्ययन

❑ **डॉ. कौशलेन्द्र कुमार**

सिंचाई कृषि के विकास का मेरूदंड है, जिसके सम्यक प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ अर्थतंत्र को भी मजबूती मिलती है। यही कारण है कि कृषकों के अलावा सरकार भी इसके सम्यक विकास हेतु प्रयत्नशील है। किसी प्रदेश के कृषि के सर्वागीर्ण विकास हेतु सिंचाई की न केवल अत्यधिक आवश्यकता होती है, अपितु सिंचाई के अभाव में कृषि प्रौद्योगिकी के प्रयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नहर, कुएं, नलकूप (विद्युत, डीजल चालित), तालाब, नदियॉ एवं नालों द्वारा विभिन्न परपम्परागत एवं नवीन विधियों जैसे रहट, पम्पिगं सैट, की सहायता से जल खेतों में पहुँचाने की प्रक्रिया को मोटे तौर पर सिंचाई कहते हैं। अल्प विकसित अत्यधिक जनसंख्या वाले अध्ययन क्षेत्र जनपद मैनपुरी की बाह तहसील में न केवल वर्षा अनिश्चित है, अपितु अनियमित भी है। अतः जनसंख्या के भरण पोषण हेतु सघन कृषि सम्पादन में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सभी शस्य मौसमों में कृषि उत्पादन एवं वैज्ञानिक कृषि सिंचाई के बिना सम्भव नहीं है, क्योंकि विकसित कृषि हेतु सिंचाई एक प्रमुख अवसंरचनात्मक कारक है।

सिंचाई कृषि के विकास का मेरूदंड है, जिसके सम्यक प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ अर्थतंत्र को भी मजबूती मिलती है। यही कारण है कि कृषकों के अलावा सरकार भी इसके सम्यक विकास हेतु प्रयत्नशील है। किसी प्रदेश के कृषि के सर्वागीर्ण विकास हेतु सिंचाई की न केवल अत्यधिक आवश्यकता होती है, अपितु सिंचाई के अभाव में कृषि प्रौद्योगिकी के प्रयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नहर, कुएं, नलकूप (विद्युत, डीजल चालित), तालाब, नदियॉ एवं नालों द्वारा विभिन्न परपम्परागत एवं नवीन विधियों जैसे रहट, पम्पिगं सैट, की सहायता से जल खेतों में पहुँचाने की प्रक्रिया को मोटे तौर पर सिंचाई कहते हैं। प्रस्तुत आलेख उ.प्र. के जनपद मैनपुरी की बाह बहसील में सिचाई के साधनों के गत्यात्मक प्रतिरूप का एक भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन क्षेत्र उ०प्र० राज्य के जनपद-आगरा की बाह तहसील के अन्तर्गत आता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार २६°४५' उत्तरी अक्षांश से लेकर २६°५६'३०" उत्तरी अक्षांश तक तथा देशान्तरीय विस्तार ७८°११'४५" पूर्वी देशान्तर से ७८°५१'३०" पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत हैं। इसकी पूर्व की लम्बाई ६७ किमी० तथा उत्तर-दक्षिण की चौडाई १९ किमी० इस तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल ८७७. ६६ वर्ग किमी० है, जिसमें ८७६.४७ वर्ग किमी० ग्रामीण क्षेत्र तथा १.२२ वर्ग किमी० नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र बाह तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्र जनपद आगरा के भौगोलिक क्षेत्रफल का २१.९२ प्रतिशत है। बाह तहसील की उत्तरी सीमा का निर्धारित फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील द्वारा, पश्चिम सीमा का परिसीमन आगरा जनपद की फतेहाबाद तहसील द्वारा, पूर्वी सीमा का सीमांकन जनपद इटावा की जसवन्त नगर तहसील द्वारा, तथा दक्षिणी सीमा का सीमांकन म० प्र० राज्य द्वारा होता है।

वर्ष-२०११ की जनगणना के अनुसार, बाह तहसील (जनपद-आगरा) की कुल जनसंख्या ४३०६०३ व्यक्ति है। जिसके २२८६८१ पुरूष तथा १९७९२२ स्त्रियाँ हैं तथा बाह तहसील के ३ विकास खण्डों क्रमशः पिनाहट, बाह व जैतपुर कलॉ परिलक्षित होती है तहसील में २२ न्याय पंचायतें, २०७ राजस्व ग्राम अधिवासित तथा शेष ०७ अनाधिवासित राजस्व ग्राम हैं। इसके साथ ही साथ बाह तहसील में दो नगरीय क्षेत्र क्रमशः बाह तथा पिनाहट भी सम्मिलित हैं।

आँकड़ों के स्रोत तथा विधि तन्त्र : प्रस्तुत शोध प्रपत्र में प्राथमिक तथा द्वितीयक (सांख्यिकी एवं सिंचाई विभाग से प्राप्त) आँकड़ों का सहारा लिया गया है। सिंचाई के साधनों में गत्यात्मकता के अध्ययन हेतु वर्ष-२०१४-१५ के आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकी विधियों, तथ्यों, मानचित्रों एवं तालिका के आधार पर अध्ययन किया गया है। विकास खण्ड स्तर पर सिंचाई के विभिन्न साधनों उनकी सघनता, विरलता, लाभान्वित क्षेत्र, उपान्त क्षेत्र तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य मात्र अध्ययन क्षेत्र को प्रतिविम्बित करते है।

❑ प्रवक्ता भूगोल विभाग, सिद्धान्त राज महाविद्यालय जैतपुर कलाँ, आगरा (उ०प्र०)

सिंचाई के साधन : अध्ययन क्षेत्र में समस्त सिंचाई के साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र ३४८२७ हेक्टे० है जो कृषित क्षेत्रफल का ७२.६० प्रतिशत है, जिसमें नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल ३६.०७ हेक्टे० १०.३३ प्रतिशत राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र ५३२६ हेक्टे० १५.७६ प्रतिशत तथा निजी नलकूपों (विद्युत चालित एवं डीजल) द्वारा २५८६१ हेक्टे० ७४.४१ प्रतिशत है। अन्य सिंचाई के साधनों द्वारा अध्ययन क्षेत्र में सिंचित भाग नगण्य है।

विकास खण्ड बाह के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है। क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड बाह में १२५४७ हैक्टै० है, जो विकास खण्ड के कृषित क्षेत्रफल का ८२.५४ प्रतिशत है, इसके बाद विकास खण्ड जैतपुर कलॉ में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल १०३०० हेक्टे० ६८.६७ प्रतिशत तथा सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड पिनाहट में ११६८० हेक्टे० है, जो विकास खण्ड के कुल कृषित क्षेत्र का ६७.४२ प्रतिशत है।

तालिका-१ में अध्ययन क्षेत्र के विकास खण्ड व कृषित क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल एवं विभिन्न सिंचाई के साधनों द्वारा उनके सिंचित क्षेत्रफल एवं उनके प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र बाह तहसील में सिंचित क्षेत्रफल के न्याय पंचायतवार विश्लेषण में भी पर्याप्त क्षेत्रीय अन्तर परिलक्षित होता है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कलॉ विकास खण्ड जैतपुर कलॉ की न्याय पंचायत बड़ागॉव में सर्वाधिक ६६.२८ प्रतिशत तथा सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल इसी विकास खण्ड की न्याय पंचायत रूपपुरा ३८.१४ प्रतिशत देखने को मिलता है। मानचित्र-१ में अध्ययन क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रफल के न्याय पंचायत वार स्थानिक वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में ५० प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्रफल के दो लघु भू-भाग देखने को मिलते हैं। ५१ से ७० प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल का प्रकीर्णन प्रतिरूप अध्ययन क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस सिंचित क्षेत्र के वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की ७ (३१.८२ प्रतिशत) न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं। इस वर्ग का भी अध्ययन क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रकीर्णन प्रतिरूप देखने को मिलता है। ६१ प्रतिशत से अधिक सिंचित क्षेत्रफल अध्ययन क्षेत्र में ३ भू-भागों में देखने को मिलता है। एक वृहद भू-भाग अध्ययन क्षेत्र के उत्तर मध्य में एक चौड़ी पट्टी में अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण मध्य तक तथा एक लघु भू भाग का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के पूर्व में उत्तर में यमुना के सहारे देखने को मिलता है।

स्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल : बाह तहसील में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल ३४८२७ हेक्टे० है, जिसमें ३६०७ हेक्टे० (१०.३३ प्रतिशत) नहरों द्वारा, ५३२६ हेक्टे० (१५.७६ प्रतिशत) सरकारी नलकूपों द्वारा तथा शेष २५८६१ हेक्टे० (७४.४४ प्रतिशत) निजी नलकूपों तथा कुओं द्वारा है। अध्ययन क्षेत्र विभिन्न सिंचाई के साधनों के सिंचित क्षेत्रफल में विकास खण्ड वार पर्याप्त विषमता देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र में नहरों की कुल लम्बाई १३४ किमी० है और इनसे ३६०७.६६ हेक्टे० (१०.३३ प्रतिशत) क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड जैतपुर कलॉ में १४१३ हेक्टे० है, जो विकास खण्ड के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का (१३.१२ प्रतिशत) है। इसके बाद विकास खण्ड पिनाहट में १११५ (६.३१ प्रतिशत) तथा सबसे कम नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड बाह में १०७६ हेक्टे० (८.६० प्रतिशत) देखने को मिलता है। तालिका-१ में अध्ययन क्षेत्र के विकास खण्डवार नहरों के सिंचित क्षेत्रफल के विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के न्याय पंचायतवार विश्लेषण में भी पर्याप्त असमानता देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र की ४ न्याय पंचायतें क्रमशः बरैडा विकास खण्ड पिनाहट, न्याय पंचायत सिधौली विकास खण्ड बाह, लखनपुर खालसा विकास खण्ड बाह तथा न्याय पंचायत पारना विकास खण्ड जैतपुर कलॉ ऐसी न्याय पंचायतें हैं, जहॉ नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का पूर्णतः अभाव है। अध्ययन क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का सर्वाधिक सिंचित विकास खण्ड जैतपुर कलॉ की न्याय पंचायत मलौनी में (२६.५० प्रतिशत) क्षेत्रफल देखने को मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में असमान वितरण का प्रमुख कारण असमतल धरातल तथा उत्तर में प्रवाहित यमुना तथा दक्षिण में प्रवाहित चम्बल नदी द्वारा अत्यधिक भूमि कटाव तथा बीहड़ निर्माण मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक है।

अध्ययन क्षेत्र में कुल २१२ राजकीय नलकूल हैं, जिनमें सर्वाधिक राजकीय नलकूप विकास खण्ड बाह में ६७, विकास खण्ड पिनाहट में ६१ तथा सबसे कम राजकीय नलकूपों, की संख्या विकास खण्ड जैतपुर कलॉ में ५४ है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आगरा जनपद में कुल २४८ राजकीय नलकूप हैं, जिनमें २१२ (८३.४८ प्रतिशत) राजकीय नलकूप जो आगरा जनपद की बाह तहसील में हैं जो सर्वाधिक है। इन राजकीय

नलकूपों से अध्ययन क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल ५३२६ हेक्टे० है, जो अध्ययन क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रफल का १५.७६ प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के विकास खण्डवार सरकारी नलकूपों के सिंचित क्षेत्रफल में कम असमानता देखने को मिलती है। फिर भी अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड जैतपुर कलॉ में (१७.१० प्रतिशत), विकास खण्ड पिनाहट में (१५.१६ प्रतिशत) तथा सबसे कम क्षेत्र सरकारी नलकूपों द्वारा विकास खण्ड बाह में (१३.६६ प्रतिशत) है। सरकारी नलकूपों के न्याय पंचायत बार सिंचित क्षेत्रफल में भी क्षेत्रीय अन्तर देखने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के जैतपुर कलॉ विकास खण्ड की न्याय पंचायत चित्राहाट में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल (३०.१६ प्रतिशत) अंकित किया गया तथा सबसे कम विकास खण्ड पिनाहट की न्याय पंचायत सबोरा में शून्य प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल अंकित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के निजी नलकूपों (विद्युत चालित व डीजल चालित) तथा कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में भी विशेष असमानता परलक्षित नहीं होती है। बाह तहसील में कुल निजी नलकूपों (विद्युत चालित) की संख्या ५४६, डीजल चालित की संख्या २२६५ तथा अन्य नलकूपों की संख्या २०० है, के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल २५८६१ हेक्टे० है, जो सिंचित क्षेत्रफल का (७४.४१ प्रतिशत) है।

अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल निजी नलकूपों द्वारा विकास खण्ड बाह में (७७.४० प्रतिशत), विकास खण्ड पिनाहट में (७५.५० प्रतिशत) तथा सबसे कम निजी नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड जैतपुर कलॉ में (६६.२६ प्रतिशत) देखने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के श्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल में असमानता का प्रमुख कारण सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराना मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है, जहॉ नहरों व सरकारी नलकूपों की उपलब्धता कम है वहॉ कृषकों ने अपने निजी सिंचाई के साधनों को विकसित किया है ताकि शस्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

न्याय पंचायत वार निजी नलकूपों के सिंचित क्षेत्रफल में भी विशेष क्षेत्रीय विषमता परिलक्षित नहीं होती है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड बाह की न्याय पंचायत सिधौली में सर्वाधिक (६०.२७ प्रतिशत) तथा सबसे कम निजी नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल विकास खण्ड जैतपुर कलॉ की न्यायपंचायत मलौनी में (४४.०२ प्रतिशत) है। इसका प्रमुख कारण अध्ययन क्षेत्र में भौमिक जलस्तर की उपलब्धता तथा न्यायपंचायत में सिंचाई के अन्य साधनों की उपलब्धता मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

सकल सिंचित क्षेत्रफल : विभिन्न शस्य मौसमों में सिंचित क्षेत्रफल के योग को सकल सिंचित क्षेत्रफल कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र बाह तहसील में सकल सिंचित क्षेत्रफल ४१७५२ हेक्टे० है, जो सकल कृषित क्षेत्रफल का (५६.४१ प्रतिशत) है जिसमें रबी मौसम का सिंचित क्षेत्रफल ४१०६६ हेक्टे० (६८.४३ प्रतिशत) खरीफ मौसम का सिंचित क्षेत्रफल ३५७ हेक्टे० (०. ८१ प्रतिशत) तथा जायद शस्य मौसम का क्षेत्रफल २६६ हेक्टे० (०.७२ प्रतिशत) है।

सिंचाई गहनता : प्रकृति के अनुरूप शस्यों के लिये सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के माध्यम से मिट्टी को दो प्रकार प्रथम सूखे क्षेत्र में जल की सम्पूर्ति करके तथा द्वितीय में जल-जमाव युक्त क्षेत्र से जल का निस्तारण करके उपयोग हेतु बनाया जा सकता है।[1] जिसके माध्यम से अवविकसित क्षेत्र को विकसित करने में सहयोग मिलता है।[2]

किसी प्रदेश के शस्य प्रतिरूप, शस्य गहनता और सघन कृषि हेतु सिंचाई गहनता एक निर्धारक करक होता है। किसी शस्य वर्ष में होने वाले सिंचित क्षेत्रफल को सकल सिंचित क्षेत्रफल कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र में बाह तहसील की सिंचाई गहनता सूचकांक निम्न सूत्र के द्वारा की गयी है -

$$\text{सिंचाई गहनता} = \frac{\text{सकल सिंचित क्षेत्रफल}}{\text{सकल कृषित क्षेत्रफल}} \times 100$$

अध्ययन क्षेत्र बाह तहसील की सिंचाई गहनता के न्याय पंचायत वार स्थानिक वितरण प्रतिरूप को मानचित्र-२ में प्रदर्शित किया गया है। सिंचाई गहनता का अध्ययन क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई से घनिष्ट सम्बन्ध है। अध्ययन क्षेत्र के सिंचाई गहनता के मानचित्र पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है, कि अध्ययन क्षेत्र में ५० प्रतिशत से कम सिंचाई गहनता अध्ययन क्षेत्र की ५ (२२.७२ प्रतिशत) न्याय पंचायतों में क्रमशः सबोरा, अमरेठा, विकास खण्ड पिनाहट में न्याय पंचायतें जरार, विकास खण्ड बाह और न्याय पंचायतें रूपपुरा तथा जैतपुर कलॉ विकास खण्ड जैतपुर कलॉ में देखने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र में मध्य में तथा पश्चिम में दो बृहत भू-भागों एवं पूर्व में एक वृहत भू-भाग में सिंचाई गहनता का सूचकांक (६५ प्रतिशत) से अधिक देखने को मिलता है। इस वर्ग की सिंचाई गहनता का स्पर्शीय प्रतिरूप देखने को मिलता है अध्ययन क्षेत्र में ५०-६० सूचकांक की सिंचाई गहनता केवल २ भू-भागों में ही देखने को मिलती है। इस प्रकार

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई गहनता का कोई स्पष्ट प्रतिरूप किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में जहाँ भौमिक जलस्तर तथा मृदा का प्रकार है वहाँ पर उसी प्रकार की सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुछ फसलों को छोड़कर सिंचाई के साधनों के परिणामस्वरूप कृषिगत दशाओं में धनात्मक परिवर्तन हुआ है।

तालिका-१
विकास खण्ड व कृषित क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल एवं विभिन्न सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल

विकासखण्ड का नाम	कृषि क्षेत्रफल हे. में	सिंचित क्षेत्रफल		नहरों द्वारा सिंचित		सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचित		निजी नलकूपों द्वारा सिंचित	
		हेक्ट.	प्रतिशत	हेक्ट.	प्रतिशत	हेक्ट.	प्रतिशत	हेक्ट.	प्रतिशत
पिनाहट	१७७७०	११९८०	६७.४२	११११५	९.३१	१८२०	१५.१९	९०४५	७५.५०
बाह	१५२०१	१२५४७	८२.५४	१०७९	८.६०	१७५६	१३.९९	९७१२	७७.४०
जैतपुर कलां	१४९९९	१०३००	६८.६७	१४१३	१३.७२	१७५३	१७.१०	७१२४	६९.२६
योग	४७९७०	३४८२७	७२.६०	३६०७	१०.३३	५३२९	१५.४६	२५८९१	७४.४१

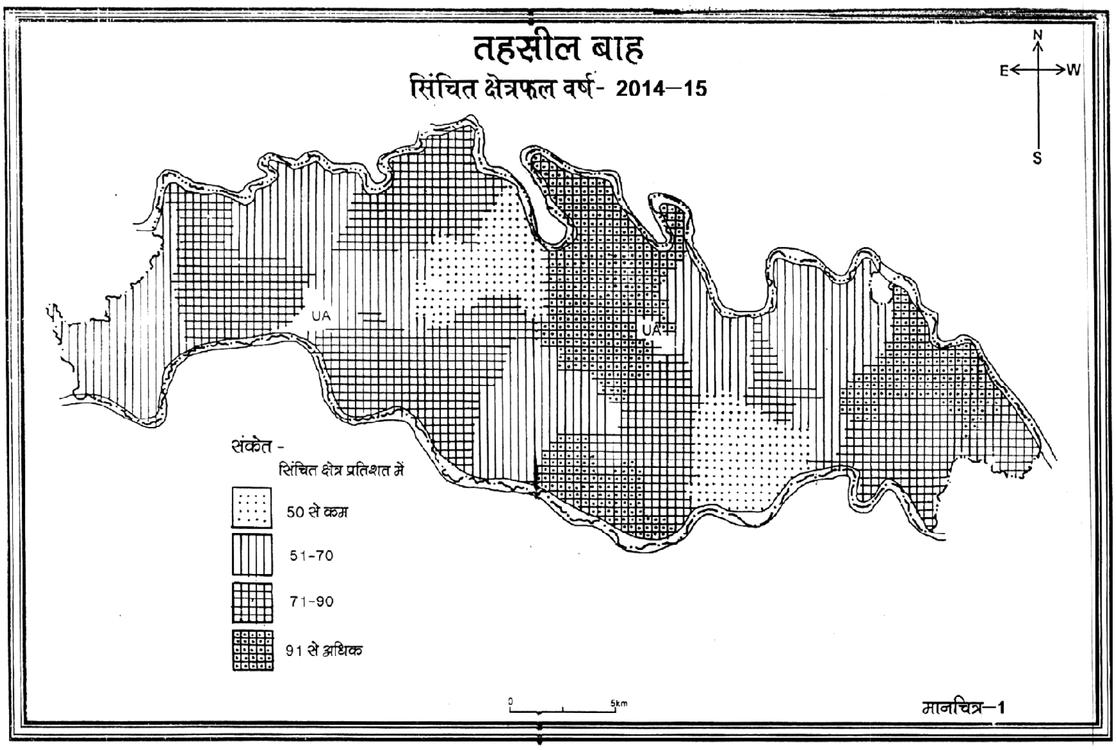

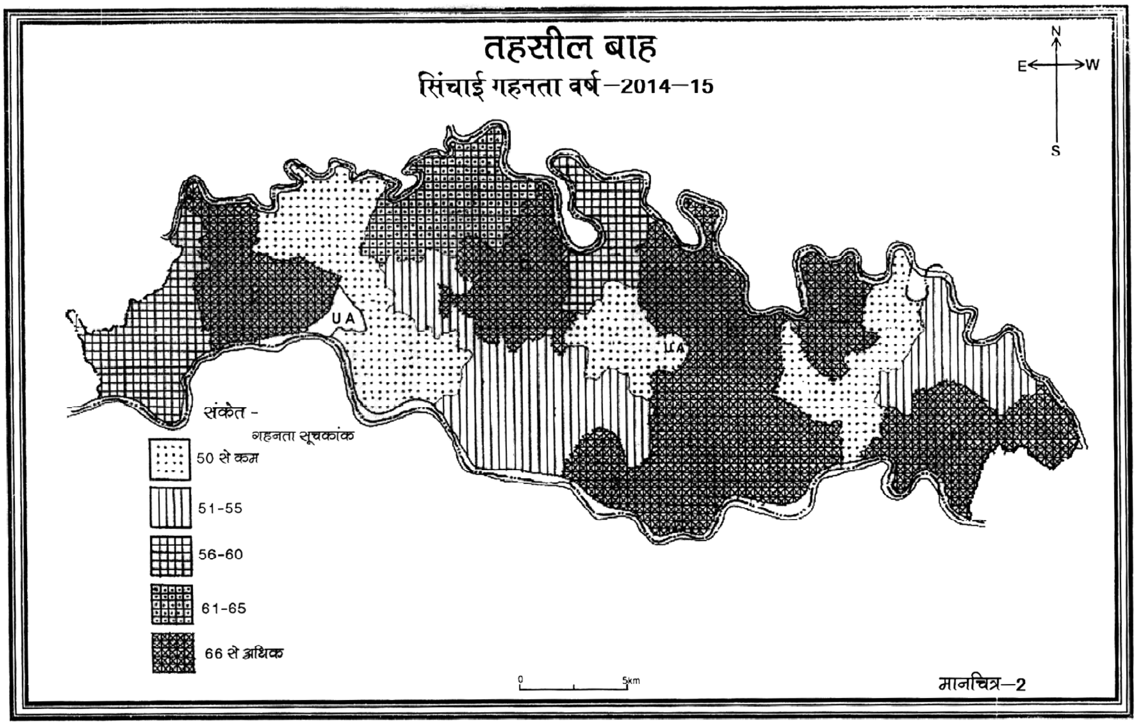

सन्दर्भ

1. Panday, MP., 'Impect of Irrigation on Rural Development : A case study'. Concept Publishiing Company. New Delhi, 1977, p.274
2. Japel, J.K. et al., 'Human Spatial Behaviour in Social, Geography', North Seet Yet Duxpury Press, Vol. – 3, 1976, p. 63.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

बदायूँनी : एक इतिहासकार के रूप में

❑ मन्जू बाला

प्रस्तुत शोध-पत्र 'बदायूँनी एक इतिहासकार के रूप में' बदायूँनी के इतिहास लेखन से सम्बन्धित है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य बदायूँनी के इतिहास लेखन की विशेषताओं और त्रुटियों को दर्शाना है। मध्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण इतिहासकारों के नाम हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की जैसे- अलबेरूनी, इब्नबतूता, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और बदायूँनी आदि। इन सब इतिहासकारों में बदायूँनी का इतिहास लेखन हमारे लिए मध्यकालीन इतिहास विशेषकर अकबर के समय की घटनाओं को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। बदायूँनी ने मध्यकाल की परम्पराओं को तोड़ते हुए तत्कालीन शासक की नीतियों की प्रशंसा ही नहीं की बल्कि आलोचना भी की है, जो इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र 'बदायूँनी एक इतिहासकार के रूप में' बदायूँनी के इतिहास लेखन से सम्बन्धित है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य बदायूँनी के इतिहास लेखन की विशेषताओं और त्रुटियों को दर्शाना है। मध्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण इतिहासकारों के नाम हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की जैसे- अलबेरूनी, इब्नबतूता, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और बदायूँनी आदि। इन सब इतिहासकारों में बदायूँनी का इतिहास लेखन हमारे लिए मध्यकालीन इतिहास विशेषकर अकबर के समय की घटनाओं को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। बदायूँनी ने मध्यकाल की परम्पराओं को तोड़ते हुए तत्कालीन शासक की नीतियों की प्रशंसा ही नहीं की बल्कि आलोचना भी की है, जो इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है।

मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूँनी मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण लेखक थे। बदायूँनी का जन्म २१ अगस्त १५४० ई. में टोडा (राजस्थान) में हुआ था।[१] इनके पिता का नाम शेख मुलुकशाह था जो कि सम्भल के संत के शिष्य थे।[२] इनके प्रथम अध्यापक स्वयं इनके नाना मकदूम अशरफ थे, जिनसे इन्होंने वर्तनी का ढंग और अरबिया का ज्ञान सीखा।[३] इसके अतिरिक्त सैय्यद मुहम्मद मक्की से कुरान पढ़ना, शेख हातिम सम्भाली, से 'क्वासिदात-ए- बुरदेश' एवं 'ख्वाजा-ए-फी-ए-हनाती' के कुछ पाठ सीखें।[४] इनके सबसे प्रमुख गुरु शेख मुबारक नागौरी थे तथा शेख मुबारक के पुत्र अबुल फजल व फैजी इनके सहपाठी थे, जिनके साथ वह लगभग ४० वर्ष तक रहे थे।[५]

बदायूँनी की शिक्षा इस्लामी रूढ़िवादी साहित्य के साथ जुड़ी हुई थी। फैजी हमें बदायूँनी की शिक्षा के बारे में बताते हैं कि बदायूँनी ने परम्परावादी विज्ञान का ज्यादा अध्ययन किया, जो हिन्दुस्तान के मौलवियों द्वारा पढ़ा जाता था। उसका झुकाव अरेबिक एवं पर्शियन दोनों में कविता व गद्य की कृतियों में था। वह भारतीय ज्योतिष शास्त्र और गणित से भी प्रभावित था। उसे भारतीय व पर्शियन संगीत का भी ज्ञान था तथा शतरंज के खेल से भी अनभिज्ञ नहीं था। फैजी के इन कथनों की पुष्टि मीरात-उल-अलम द्वारा की गई है।[६]

५६२ ई. में आगरा में बदायूँनी के पिता की मृत्यु हो जाती है।[७] इसके बाद वह बदायूँ (जो अब उत्तर प्रदेश में है) जाकर अपना स्थायी घर बना लेते हैं। इसी कारण उसे बदायूँनी कहा जाता है। इसी समय के दौरान उसने उस समय के प्रसिद्ध व विद्वान् व्यक्तियों के अधीन ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया। वह खुद लिखता है कि उसने इतिहास के प्रति बचपन से ही अपने अंदर एक महान् भावना का विकास किया और इतिहास लिखने व पढ़ने में घंटों बिताए।

बदायूँनी सबसे पहले पटयाली और समसानाद के जागीरदार हुसैन खाँ टुकड़ियां के अधीन नौकरी करता है।[८] इसके पश्चात् सम्राट अकबर की सेवा में उसे इमाम नियुक्त किया गया। उसे सम्राट ने २० गांव का मनसबदार और १००० बीघा जमीन मदद-ए-माश के तौर पर दी।[९] इसके साथ ही उसे धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद का काम भी सौंपा गया था। विभिन्न विषयों पर उसके काम की लम्बी पंक्ति से ही हमें बदायूँनी की एक इतिहासकार के रूप में बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। बदायूँनी का पहला काम 'किताब-उल-हदीस' है जिसे उसने वास्तव में पूरा किया। इसकी रचना उसने १५७०-७१ ई. में की थी और १५७८ ई. में इसे अकबर को भेंट किया था। **इसके अतिरिक्त** अकबर के आदेश पर बदायूँनी ने

❑ शोध अध्येत्री, इतिहास विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

'तरजुमा-ए-सिंहासन बत्तीसी' का पर्शिया में अनुवाद किया जिसमें मालवा के राजा विक्रमादित्य के बारे में ३२ कहानियाँ का संग्रह है। उसने १५७४ ई. में इस पर काम शुरू किया और १५८१-८२ ई. में इसे पूरा किया। इस अनुवाद को 'नमहा-खिराद-अफजा' नाम दिया गया था।[१०] एक अन्य पर्शियन अनुवाद 'तरजुमा-ए-महाभारत' यह हिन्दुओं के महाकाव्य महाभारत से किया गया। इसका अनुवाद अकबर के आदेश पर १५८२-८३ ई. में चार अनुवादकों अब्दुल कादिर बदायूँनी, नकीब खाँ, मुहम्मद सुल्तान थानेश्वरी और मुल्ला श्री ने किया। इसका नाम 'रज्मनामा' रखा गया था।[११]

५८४ई. में हिन्दुओं के एक अन्य महाकाव्य 'रामायण' का भी बदायूँनी ने पर्शियन में अनुवाद कार्य आरम्भ किया, जिसे पूरा करने में उसे चार वर्ष लगे। पहले उसने इसका ७० भागों में अनुवाद किया था, बाद में १२० भागों में किया। अकबर बदायूँनी के इस काम से बहुत खुश हुआ था।[१२]

तरजुमा-ए-तारीख-ए-काश्मीर' यह बदायूँनी द्वारा 'राजतरंगिणी' का पर्शियन अनुवाद था जो १५९०ई. में किया गया था। हालांकि इसका पहले भी अनुवाद हो चुका था, जो शान मुहम्मद शाहबादी द्वारा किया गया था।[१३] एक भौगोलिक शब्दकोष 'मुज्जामु-बुलदैन' का अरेबिक से पर्शियन में भी उसने अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त उसके द्वारा किए गए अन्य अनुवाद कार्यों में 'अथर्ववेद', 'नामो-उर-रसीद्धी' और 'बुर-उल-अरमार' के अनुवाद का कार्य है। इनमें से 'बुर-उल-अरमार' बदायूँनी का एक पर्शियन अनुवाद है जो कश्मीर के सुल्तान जैन-उल-अनियातिन पर लिखी संस्कृत की रचना 'कथा-सरित' से किया गया है।[१४]

बदायूँनी ने अपने लिए जो लिखा उसमें उनका पहला काम एक विवेचनात्मक निबन्ध था। उन्होंने इसका एक भाग मीरताकि को दिखाया जो फारिजी-सिराजी का बेटा था और अकबर के दरबार का एक कवि था। इसके अतिरिक्त इसके बारे में कुछ पता नहीं है।[१५] उनकी दूसरी रचना 'नज्जत-उल-रसीद' और तीसरी एवं सबसे महत्वपूर्ण रचना 'मुन्तखब-उत- तवारिख' है। यह रचना अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। इसे उसने १५९१ ई. में लिखना शुरू किया और १५९५-९६ ई. पूरा किया।[१६] यह एक ऐसा इतिहास है जो बदायूँनी द्वारा क्रोध एवं उत्तेजना में लिखा गया, क्योंकि वह अकबर के शासनकाल की नवप्रवर्तन पद्धतियों से घृणा करता है जिनके विरूद्ध वह खुले रूप से कुछ नहीं लिख सकता था। इसलिए वह गुप्त रूप से यह इतिहास लिखता है। अपने इस इतिहास लेखन के अंत में बदायूँनी स्वयं लिखता है कि उसने बिना किसी सांसारिक लालच, बिना किसी भय और दबाव के इस ग्रन्थ की रचना की है।[१७] इसे लिखने का उसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के गिरते स्तर पर आँसू बहाना है। वह केवल इस्लाम के हित में इस ग्रन्थ की रचना करता है। बदायूँनी ने अपनी इस रचना को ३ भागों में विभाजित किया है। इसका पहला भाग मुस्लिम शासक हुमायूं से सम्बन्धित है। दूसरे भाग में अकबर के शासन का इतिहास दिया गया है और तीसरे भाग में अकबर के शासनकाल के उलेमा, सूफियों एवं कवियों की जीवनियों का वर्णन है।

बदायूँनी की रचना 'मुन्तखब-उत-तवारिख' का पहला भाग सुबुक्तगीन से शुरू होकर हुमायूं की मृत्यु तक है।[१८] यह भाग हमें विभिन्न शासनों के विकास पर लिखे गये एक सामान्य राजनैतिक इतिहास के रूप में नजर आता है। वह प्रत्येक शासनकाल का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं करता है। यहाँ तक कि कई बार पूरे लम्बे शासनों को साफतौर पर कुछ ही वाक्यों में समाप्त कर देता है।[१९] इसके अतिरिक्त इस भाग में वह केवल चुनी हुई घटनाओं का ही प्रयोग करता है। घटनाओं को चुनने का एक निश्चित आधार हमें इस रचना के पहले भाग की बजाये दूसरे भाग में दिखाई देता है।

सामान्यतः बदायूँनी घटनाओं के कालक्रम पर ध्यान देता है। परन्तु कभी-कभी वह अपने इस नियम का उल्लंघन भी करता है जैसे कि अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण का वर्णन एक ही जगह कर देता है और ऐसे ही नव मुस्लिमों के कत्ल का वर्णन भी वह गुजरात अभियान से पहले कर देता है। हालाँकि वह इस गलती को स्वीकार करता है, परन्तु वह इसका दोष उन इतिहासकारों पर डाल देता है जो घटनाओं को यथाक्रम में प्रस्तुत नहीं करते हैं।

बदायूँनी मुख्यतः किसी अध्याय का वर्णन शासक के राजसिंहासन पर बैठने से शुरू करता है और खत्म उसकी मृत्यु पर करता हैं। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि शासक के शासनकाल का वर्णन करने के पश्चात् अध्याय के अंत में कवियों की सूची देता है और उनके जीवन व कला पर अपने विचार देते हुए कुछ कवियों की कविताओं का वर्णन ज्यों का त्यों करता है।[२०]

इसके अतिरिक्त वह न तो शासक के पूरे शासनकाल और न ही उसके साम्राज्य एवं पूरे समय का मूल्यांकन करता है। वह केवल कुछ ही घटनाओं पर टिप्पणी करता है जो बहुत ही संक्षिप्त और महत्वहीन है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों के विनाश पर बदायूँनी टिप्पणी करता है कि ''अनेक गरीब और अभागे मंगोल अन्याय की तलवार के शिकार हुए।'' इसी तरह मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी

करता है कि "सुल्तान को लोगों से और लोगों को सुल्तान से छुटकारा मिला"।[२१] उपर्युक्त टिप्पणियाँ घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत संक्षिप्त हैं और न ही ये लेखक के इतिहास के प्रति दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं और न ही इनसे कोई अन्तिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस प्रकार 'मुन्तखब-उत-तवारिख' का पहला भाग विभिन्न शासकों के शासनों से सम्बन्धित एक सामान्य राजनैतिक इतिहास के रूप में नजर आता है।

'मुन्तखब-उत-तवारिख' का दूसरा भाग अपनी विषय-वस्तु, व्यवहार और वर्णन में पहले भाग से अलग दिखाई देता है। इसमें वह अकबर के ४० वर्षों के शासनकाल का वर्णन करता है।[२२]

बदायूँनी अपने इस वर्णन में अकबर की सफलताओं की जगह उसके असफल पहलुओं को ज्यादा दिखाता है। उदाहरण के तौर पर १५७५ ई. में करोड़ी व्यवस्था के असफल हो जाने का वर्णन करता है और मनसबदारी पर उसके लेख से स्पष्ट पता चलता है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से असफल थी। 'मुन्तखब-उत-तवारिख' के दूसरे भाग का वर्णन वार्षिक वर्णन के रूप में है। अगर कोई घटना एक वर्ष से अधिक समय तक चलती है तो बदायूँनी उसके वृतान्त को उतनी ही बार तोड़ता है, जितने उस घटना में वर्ष शामिल हैं।[२३] जैसे कि वह अकबर के गुजरात अभियान का वर्णन एक जगह करता है तथा १५७३ई. में अगले अभियान का वर्णन अन्य जगह करता है। इस भाग में वह एक घटना का वर्णन एक ही समय करता है उसके बाद दूसरी घटना का वर्णन शुरू करता है, चाहे वो बीच में ही शुरू क्यों न हो गई हो।

इस भाग की एक महत्वपूर्ण तस्वीर यह है कि इसमें घटनाओं के साथ-साथ उसमें शामिल व्यक्तियों की जीवनियों का भी वर्णन करता है। कभी-कभी तो वह अचानक घटना के बीच में ही उसमें शामिल व्यक्तियों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी देता है जैसे कि नगरकोट के हथियाने से सम्बन्धित घटना को बीच में ही रोक कर वह बीरबल की जीवनी देता है।[२४] इस भाग में बदायूँनी अपने अन्य समकालीनों की तरह ही व्यक्तिगत रूप में घटनाओं का प्रयोग करता है।

इस तरह इस भाग में भी बदायूँनी ने चुनी हुई घटनाओं का वर्णन किया है। वह पूरे समय का पूर्ण इतिहास नहीं लिखता चाहे सुबुक्तगीन का हो या अकबर का। वह केवल सामयिक महत्व की घटनाओं का ही वर्णन देता है।

'मुन्तखब-उत-तवारिख' का तीसरा भाग 'तजकीरा' के रूप में है। इस भाग में बदायूँनी अकबर के समय के शेखों, उलेमाओं और अकबर के दरबार के कवियों और चिकित्सकों की आत्म जीवनियों की छोटी रूपरेखा देता है।[२५] वह अकबर के दरबार के अमीरों को तजकीरा से बहिष्कृत रखता है। इसके अलावा कुछ अप्रसिद्ध मुस्लिमों, घृणास्पद हिन्दुओं और चिकित्सकों जिनके बारे में उसका दिल लिखने की आज्ञा नहीं देता उनका भी वह बहिष्कार करता है।

इस प्रकार मुगलकाल के इतिहास में अकबर के बारे में जानने के लिए अन्य इतिहासकारों के साथ-साथ बदायूँनी के इतिहास का अध्ययन भी जरूरी है। हालाँकि बदायूँनी का इतिहास उसकी कट्टर सुन्नी और संकुचित सोच पर आधारित है, लेकिन फिर भी हम उसके इतिहास को इतनी आसानी से नकार नहीं सकते। उसके इतिहास लेखन में अनेक विशेषताएँ हैं जो उसके इतिहास की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ा देती है। जैसे कि उसने अपना ग्रन्थ 'मुन्तखब-उत-तवारिख' बादशाह अकबर या किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र होकर बिना किसी झिझक के घटनाओं का वर्णन किया और बादशाह की कटु आलोचना करते हुए भी संकोच नहीं किया। ऐसा इस समय के किसी इतिहासकार ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त उसकी शैली में मौलिकता तथा कुशलता है। उसने प्रायः थोड़े ही शब्दों में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दिया है जो सम्भवतः विस्तृत विवरण से भी नहीं हो सकता था।

इसके अतिरिक्त अकबर के काल में इबादतखाने की परिचर्चाओं के बारे में सही जानकारी हमें 'मुन्तखब-उत-तवारिख' में ही मिलती है। अपने समय के लेखकों में बदायूँनी ही केवल वह लेखक है जो मजहर के बारे में विस्तृत विवरण देता है, चाहे वह अपने दृष्टिकोण से ही है। उनकी रचनाओं में उपर्युक्त विशेषताओं के साथ-साथ कुछ दोष भी दिखाई देते हैं, जैसे- बदायूँनी ने अपने निजी विचार, अपनी दुश्मनी, पसंद और नापसंद को अपने इतिहास लेखन में पूरी जगह दी है। उनके ग्रन्थ में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक स्थान पर लिखी है और उसका खण्डन उसी की रचना में अन्य स्थानों पर किया गया है। उसने अपने ग्रन्थ में अकबर के धार्मिक अधिकारियों को किसी क्रम में लिपिबद्ध नहीं किया। अगर वह ऐसा करता तो अकबर के धार्मिक विचारों के विकास और धार्मिक नीति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता और उसके ग्रन्थ का महत्व और बढ़ जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बदायूँनी का इतिहास लेखन की परम्परा में विशेष महत्व रहा है। वह अपने विचार और घटनाओं के रूचिपूर्ण चित्र बनाने में सफल रहा है। उसका लेखन बिल्कुल सीधा और सरल है। कहीं भी घुमा-फिरा कर

नहीं लिखा गया है। अबुल फजल अकबर के समय की घटनाओं का वर्णन करते समय जहाँ पर चुप रहा है, बदायूँनी ने वहीं पर अपना मुख खोला है। इस तरह उसने अबुल फजल के कार्य में रिक्त स्थान की पूर्ति की है। यद्यपि बदायूँनी की रचनाओं में कहीं-कहीं अतिशयोक्ति है लेकिन फिर उसके लेखन का अध्ययन किए बगैर उस समय के इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना असम्भव है।

सन्दर्भ

१. लूनिया, बी.एन., 'सम हिस्टोरियन्स ऑफ मिडिवल इण्डिया', लक्ष्मीकांत अग्रवाल, आगरा, १९६९, पृ. १६४

२. उपर्युक्त, सरकार, जे.एन., पर्सनल हिस्ट्री ऑफ सम मिडिवल हिस्टोरियन्स, दिल्ली, १९६८, पृ. १८८

३. बदायूँनी, मुन्तखब-उत-तवारिख, वॉल्यूम-३, अनु., डब्ल्यू.एच. लोवे, क्रीमसन्स, कलकत्ता, १८६५, पृ. २-३

४. वही, पृ. २-३

५. वही, पृ. ३०४

६. मुखिया, हरवंश, 'हिस्टोरियन्स एंड हिस्टोरियोग्राफी, डयूरिंग द रिजन ऑफ अकबर', विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, १९७६ पृ. ६२

७. बदायूँनी, पूर्वोक्त, वॉल्यूम-२, पृ. ५३

८. मुखिया, हरवंश, पूर्वोक्त, पृ. ६४

९. इलियट एंड डाऊसन, 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एज टोल्ड बॉय इटस ऑन हिस्टोरियन्स', ट्रब्नर एंड कम्पनी, लंदन, १८६९, पृ. ४७८

१०. बदायूँनी, पूर्वोक्त, वॉल्यूम-१, पृ. ग्ट़

११. इलियट एंड डाऊसन, पूर्वोक्त, पृ. ४७८

१२. मुखिया, हरवंश, पूर्वोक्त, पृ. १०७

१३. इलियट एंड डाऊसन, पूर्वोक्त, पृ. ४७८

१४. मुखिया, हरवंश, पूर्वोक्त, पृ. १०९

१५. बदायूँनी, पूर्वोक्त, वॉल्यूम-१, पृ. XIX

१६. वही, पृ. XVI

१७. वही, वॉल्यूम-३, पृ. ३९८

१८. मुखिया, हरवंश, पूर्वोक्त, पृ. १४२

१९. अलाउद्दीन, मसूद के १६ साल के शासनकाल को एक छोटे से वाक्य में खत्म कर देता है। (बदायूँनी, पूर्वोक्त, वॉल्यमू-१, पृ. ३८)

२०. मुखिया, हरवंश, पूर्वोक्त, पृ. ११३

२१. वही, पृ. ११४

२२. वही, पृ. ११५

२३. वही, पृ. ११६

२४. बदायूँनी, पूर्वोक्त, वॉल्यमू-२, पृ. १६१-१६२

२५. मुखिया, हरवंश, पूर्वोक्त, पृ. ११७

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

महिलाओं की बदलती प्रस्थिति में सामाजिक विधानों की प्रासंगिकता

❑ **डॉ० नरेन्द्र त्रिपाठी**

परम्परागत भारतीय सामाजिक ढ़ांचें का जिसमें लिंग भेद तथा अन्य जन्मजात असमानतायें पायी जाती है तथा जो जाति तथा वर्ग पर आधारित है, स्त्रियों की मर्यादा पर विभिन्न क्षेत्रों में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। परम्परागत समाज कुछ सामाजिक रीतियों, रूढ़ियों एवं परम्पराओं के परिदृश्य पर अपनी निरंतरता निर्धारित करता है।[1] कालांतर में जैसे-जैसे सामाजिक विकास की प्रक्रिया अपने नये उन्मेष विकसित करती है, उसे रूढ़िगत प्रतिरूपों के प्रति अरूचि होने लगती है तथा यह ऊब और हताशा उसे नये विकल्पों के प्रति उत्प्रेरित करती है। कालांतर में इस प्रकार के दबाव पड़ने लगते हैं, तो रूढ़िगत मान्यताओं के चूल हिलने लगते हैं।[2] समाज में व्यापक रूप से देखने पर नवीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संगठनों द्वारा निरूपित स्त्रियों का पद तथा सामाजिक सम्बन्ध केवल सामाजिक प्रक्रिया के सामान्य तत्वों जैसे- शिक्षा, नगरीकरण[3], आधुनिक तथा आधुनिकता[4] से होकर उभरा है। यह जटिल प्रक्रिया जिसे मोटे तौर पर आधुनिकीकरण गणतंत्रात्मकता, विकास, शहरीकरण तथा औद्योगीकरण जैसे नामों से सम्बन्धित किया जाता है, इन सभी ने विभिन्न अंशों में स्त्रियों के पद को प्रभावित किया है। इसके निर्धारण पर आधुनिक विचारधाराओं, विचार करने के आधुनिक तरीकों, बौद्धिक, साहित्यिक धारणाओं, पश्चिमी देशों के प्रभाव, सामाजिक कानूनों तथा तकनीकी दृष्टिकोण का भी प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव विज्ञान के युग में कुछ वर्ग पर अधिक पड़ा है। परिमाण स्वरूप यही वर्ग सामाज का अगुआ बना तथा समाज को अपने व्यवहार से प्रेरणा दी।[5]

साधारणतया यह माना जाता है कि स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की दिशा तथा सामाजिक ढ़ांचें का अच्छा प्रतीक है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विकास के साथ सामाजिक विधानों का भी आविर्भाव हुआ। भारत में आजादी के बाद संविधान निर्माण के साथ ही सामाजिक विधानों पर ध्यान दिया गया तथा इनका निर्माण किया गया। किन्तु एक तरफ सामाजिक विधानों द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इन विधानों का दुरूपयोग भी किये जाने की प्रवृत्ति पायी गयी है। भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए परिवार एवं विवाह के संदर्भ में बनाये गये सामाजिक विधानों की भूमिका को महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव हो पायेगा जब महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाय तथा कानून में निहित इच्छा के पालन न करने वालों को दण्डित किया जाय तथा महिलाओं को इस प्रकार जागरूक एवं सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाय जिससे वे स्वयं इन सामाजिक विधानों का समुचित लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें।

आधुनिक परिवर्तनों से अछूता कोई भी प्रगतिशील समाज नही रह सकता। यद्यपि ये परिवर्तन कैसे होते हैं या समाज उन्हें किस प्रकार स्वीकार करता है, स्थान-स्थान पर बदलती हुयी परिस्थितियों पर आधारित हो सकते हैं। भारतीय समाज आरम्भ से ही एक शक्तिशाली समाज रहा है और इसने बाहर से आने वाले निरन्तर परिवर्तनों को कभी-कभी ही अस्वीकार किया है।[6] साधारणतया यह माना जाता है कि स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की दिशा तथा सामाजिक ढ़ांचें का अच्छा प्रतीक है। परिवर्तन की दिशा यदि पुरूष तथा स्त्री का संविधान के दिशा निर्देशों से समर्थित अधिक समतावादी भूमिका की ओर है तो परिवर्तन की दिशा हितकर है इसी प्रकार समाज में भारतीय स्त्रियों की परिवर्तित होती हुयी स्थिति भी इन विविध प्रकार के प्रभावों, पारस्परिक सम्बन्धों, समायोजन तथा पुर्नसमायोजन की विभिन्न कालों की गाथा है। परन्तु सामाजिक ढांचें में परिवर्तन तो बहुधा हुए हैं और अभी भी हो रहे है, किन्तु भारतीय समाज में कार्यरूप में ऐसा बहुत कम हुआ है।[7] समीक्षागत काल में यह तो सम्भव है कि भारतीय नारी की स्थिति को उबरने की कार्यात्मक दिशा में कुछ प्रगति हुई है, पर यह प्रगति सीमित है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति में वास्तविक कार्यात्मक परिवर्तन गॉधी के युग तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के परवर्ती दशकों में दिखायी देता है। **ग्रामीण,** शहरी, जातिगत तथा निम्नवर्गीय परिवारों में स्त्रियाँ

❑ **प्रवक्ता-समाजशास्त्र विभाग, उदित नारायण पी०जी० कालेज, पडरौना, कुशीनगर (उ.प्र.)**

पुरूषों के साथ काम करती हैं तथा वृद्ध, घर एवं बच्चों का देखभाल करते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि स्त्रियों को घर की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है। सारे अधिकार पति-पत्नी में विभाजित होते हैं। पुरूषों के प्रभुत्व वाले समाज में पुरूष अपनी इच्छानुसार काम करने में सफल रहता है। पत्नी का विरोध शाब्दिक होता है। बुजुर्गों की बातें की घर में निश्चित रूप से अहमियत होती है। उनसे बहुत राय ली जाती है। ग्रामीण तथा उच्चवर्गीय परिवारों में पुरूष घर के बाहर का तथा स्त्रियाँ घर का काम करती हैं। पुरूष पारिवारिक संबंधों, वित्तीय मामलों की देखभाल करते है। स्त्रियों को अन्तर-पारिवारिक तथा अन्तर्जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है। परिवार के प्रमुख कार्यो पर पुरूष निर्णय लेता है। जैसे-जैसे स्त्री की आयु बढ़ जाती है उसके नियंत्रण और प्रभाव में वृद्धि होती जाती है, परम्परागत परिवारों में स्त्री की घरेलू भूमिका पर जोर दिया जाता है। नारी की स्थिति में परिवर्तन के काल में आधुनिक नारीत्व का उद्भव विशेषकर बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में उस समय तक दिखायी पड़ा जब पश्चिमी शिक्षा तथा आधुनिकीकरण पर आधारित प्रगति आन्दोलनों का भारतीय समाज पर सीधा प्रभाव पड़ना आरम्भ हुआ।[८] औद्योगीकरण, नगरीकरण[९] तथा कुछ सीमा तक पश्चिमीकरण[१०] की प्रक्रिया ने भी स्वतंत्रता के बाद अपना वांछित प्रभाव डालने की दिशा में समाज मे तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया। परिवर्तित विचारों की गति वाहनों की गति से तीव्र होती है। विचारों तथा नई विचार धाराओं का शहरों से गॉवों की ओर निंरतर प्रभाव १९४७ से ही दिखायी पड़ता है क्योंकि गॉव अब संस्कृति के प्रभाव से मुक्त नही रह पाते और वहाँ भी तेजी से आधुनिक विचारों का उदय दिखायी पड़ता है। इस प्रक्रिया में एक प्रकार की शहरी तथा ग्रामीण निरंतरता दिखायी पड़ती है।[११]

समाज में महिलाओं की प्रस्थिति का निर्धारण उनके आर्थिक योगदान, राजनीतिक स्वतंत्रता की सीमा तथा समाज में व्याप्त प्रतिष्ठा के द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं को अतीत से प्राप्त गौरवपूर्ण विरासत के बावजूद ''अबला'' जैसे शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। इस संदर्भ में एम०एस० गोरे का कथन है कि ''मनु ने हिन्दू महिलाओं की प्रथमतः अपने पिता पर, उसके बाद अपने पति पर तथा अंत में अपने पुत्र पर आश्रितता का वर्णन करते हुए एक आधारभूत समाजशास्त्रीय तथ्य का विवरण प्रस्तुत किया''।[१२] भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान द्वारा महिलाओं को समान दर्जा प्रदान किया गया है जिससे उनकी प्रस्थिति बेहतर हुई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरूषों के समान कार्य करना प्रारम्भ किया। परिवार में महिलाओं के प्रकार्य सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन और वृहद सामाजिक परिवेश में महिलाओं की सामाजिक और वैधानिक अयोग्यताओं में होने वाले सुधारों के कारण आज भारत में महिलाओं का अधिकार क्षेत्र अति व्यापक हो गया है।[१३]

भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विकास के साथ सामाजिक विधानों का भी आविर्भाव हुआ। भारत में आजादी के बाद संविधान निर्माण के साथ ही सामाजिक विधानों पर ध्यान दिया गया तथा इनका निर्माण किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व मुख्यतः सती प्रथा निषेध अधिनियम १८२९, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६, हिन्दू उत्तराधिकार अयोग्यता निवारक अधिनियम १९२८, बाल विवाह निरोधक अधिनियम (शारदा ऐक्ट) १९२९, हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम १९३७ आदि बनाये गए तथा इन पर महत्वपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन की बात की गयी, लेकिन ब्रिटिश शासन का ध्यान इस ओर अधिक संवेदनशील नही रहा, उसे विविध प्रकरणों में कर वसूलने में ही विशेष रूचि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक विधानों का निर्माण किया गया, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम १९५४, हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम १९५६, हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम १९५६, स्त्रियों एवं कन्याओं की अनैतिकता निरोधक अधिनियम १९५६, दहेज निरोधक अधिनियम १९६१, वैधानिक चिकित्सकीय गर्भ-समापन अधिनियम १९७१ आदि पारित किये गए। इन सामाजिक विधानों की समाज पर विशेष प्रभाव की आशा की गयी थी। तभी से सामाजिक जीवन में सुधार की प्रक्रिया के निमित्त तथा समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रथाओं, जनरीतियों एवं नियमों का समाज में सदा से बहुत महत्व रहा है। वर्तमान समय में समाज के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन सब का स्थान बहुत कुछ 'सामाजिक विधान' ने ले लिया है जो नवीन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते है। होलकर ने इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि आज का विधान कल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है।[१४] पी०वी० शास्त्री भी सामाजिक विधानों की कल्याणकारी प्रथा के प्रति आशान्वित रहे है तथा इनके निर्माण एवं विकास को महत्व प्रदान किया है।[१५]

महिलाओं के समान अधिकार प्राप्ति के कानूनों के क्रियान्वयन हेतु लोगों के दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन भी हुआ। "भारतीय महिलाओं को पुरूषों के समान कानूनी अधिकार तो प्राप्त हैं किन्तु जब तक उनमें सामाजिक चेतना पैदा नही होती और वे इन कानूनों को असली जामा पहनाने के हेतु स्वयं प्रयास नही करतीं, तब तक उनकी दशा में वांछित सुधार सम्भव नही है।"[१६] वर्तमान समय में संविधान द्वारा सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं को अधिकार तो प्राप्त हो गये हैं किन्तु उसके अनुरूप महिलाओं को उतने अवसर प्राप्त नही हो सके हैं। इस संदर्भ में प्रमिला कपूर की मान्यता है कि "स्त्रियों को अभी तक पूरी तरह से समानता का दर्जा नही मिल सका है तो इसका यही अर्थ है कि जहाँ कार्य पद्धति में परिवर्तन आ भी गये हैं, वहाँ भी मानकीय पद्धति में आवश्यक परिवर्तन नही आये हैं। कार्य पद्धति एवं मानकीय पद्धति, सामाजिक कानून और सामाजिक दृष्टिकोण तथा स्त्री एवं पुरूष के दृष्टिकोणों के बीच जो खाई है, उसकी वजह से ही उलझन पैदा हो रही है।"[१७] वास्तविकता यह है कि स्त्री-शक्ति का सम्यक विकास तभी संभव है जब उनकी कुशलता, प्रतिभा, अनुभवों का समुचित सदुपयोग कर उनकी सामाजिक प्रस्थिति में सुधार लाया जाय जबकि यथार्थ रूप में महिलाओं की प्रस्थिति में विषमता दिखायी पड़ती है। जहाँ पर कुछ महिलायें उच्च शिक्षा, बौद्धिक योग्यता और नेतृत्व के गुण संयोजे हुए है, वही दूसरी ओर लाखों करोड़ों महिलाए ऐसी है, जो आज भी निरक्षर है तथा घर की चहारदीवारी तक ही उनका जीवन सीमित है। प्रमिला कपूर का कथन है कि "यह धारणा सामान्य रूप से आज भी प्रचलित है कि एक विवाहिता नारी का संसार उसका घर है और उसका मुख्य कर्त्तव्य अपने पति, बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा सुश्रुषा करना उनकी देख-रेख करना तथा उनके कल्याण का पूरा ध्यान रखना है।"[१८] अतः आवश्यक है कि महिलाओं की बौद्धिक और मानसिक शक्तियों को स्वयं उनके एवं राष्ट्र तथा समाज के विकास हेतु संलग्न करने का प्रयास किया जाय। "किसी भी मानव समाज में स्त्रियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है और कोई भी कौम उसे नजर अंदाज नही कर सकती है। स्त्रियाँ राष्ट्र के विकास हेतु उतना ही महत्व रखती हैं जितना महत्व उस देश के खनिज पदार्थ, नदियों एवं खेतीबारी का है। स्त्रियों की शक्ति का समुचित उपयेाग करने एवं उनका सही नियंत्रण करने पर, उनके साथ आदर का बर्ताव करने पर वे एक ऐसी महान और प्रबल शक्ति का रूप धारणा कर लेती हैं जिनका राष्ट्र के लाभ और विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है।"[१९] इस प्रकार भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं की प्रस्थिति में समुचित एवं संतुलित परिर्वतन के लिए सामाजिक विधानों को प्रासंगिक एवं व्यवहारिक स्चरुप प्रदान किया जा सकता है।

प्रत्येक सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, जिसकी परिधि में सामाजिक संरचनात्मक एंव प्रकार्यात्मक व्यवहार प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।[२०] सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के कुछ प्रतिमानिक विकल्प होते हैं, जो कि सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को नियंत्रित एवं नियमित करते रहते हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी विकसित होती हैं, जबकि समूह का एक वर्ग उसकी परिस्थितियो से प्रताड़ित होकर संदर्भ समूह व्यवहार के लिए अनुप्रेरित होता है, इस प्रक्रिया में दोनों प्रस्थितियाँ रूबरू होती हैं।

एक तरफ सामाजिक विधानों द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इन विधानों का दुरूपयोग भी किये जाने की प्रवृत्ति पायी गयी है। इस सन्दर्भ में सामाजिक विधानों की प्रासंगिकता एवं सफलता संदेहास्पद स्थिति में दिखायी पड़ती है, जिन सामाजिक विधानों के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता और चेतना पायी गयी है उन विधानों का भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा है।

सामान्यतया सामाजिक कानूनों से जनमत परिवर्तित नहीं होता है। भारत में सामाजिक विधानों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने के संगठित प्रयत्नों की सबसे बड़ी कमी यह है कि जिन्होंने आन्दोलन संगठित किए, कानून बनवाये, परन्तु इन्हे जनमत बदलने के लिए जिस शक्तिशाली सतत् प्रचार की आवश्यकता है वह नहीं किया। यद्यपि सामाजिक विधानों का प्रभाव उतना तो नहीं पड़ा जितनी की उम्मीद थी फिर भी परिवार एवं विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के संदर्भ में विधानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। विधानों का सैद्धान्तिक स्वरूप बहुत सशक्त दिखायी पड़ता है। लेकिन व्यावहारिक स्वरूप की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन की मात्रा बहुत ही सीमित है। भारत में सामाजिक विधानों द्वारा समाज सुधार का संदेश ग्रामीणों तक पहुँचाना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही भारतीय जन मानस को इस बात से भिज्ञ कराना आवश्यक है कि सामाजिक विधान क्या है और इनके द्वारा कौन से सामाजिक परिवर्तन अपेक्षित हैं। भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए परिवार एवं विवाह के संदर्भ में बनाये गये सामाजिक विधानों की भूमिका को महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

यह तभी संभव हो पायेगा जब महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाय तथा कानून में निहित इच्छा के पालन न करने वालों को दण्डित किया जाय तथा महिलाओं को इस प्रकार जागरूक एवं सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाय जिससे वे स्वयं इन सामाजिक विधानों का समुचित लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें।

संदर्भ

१. दुबे, एस०सी०, 'सोशल चेन्ज इन मार्डन इण्डिया', एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १६७३, पृ० ३६३-६४ ।

२. सिंह, योगेन्द्र, 'माडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडीशन', विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १६८१, पृ० १७१-७२ ।

३. पारकर, जे० एस०, 'अर्बनिज्म इलाईनेशन हाइपोथीसिसः ए क्रिटिक इण्टरनेशनल रिव्यू ऑफ मार्डन सोशियोलॉजी', वा० ८, नं०-२, जुलाई-दिसम्बर, १६७८, पृ० २३६-४४ ।

४. दुबे, एस० सी०, 'कण्टेम्पोरेरी इण्डिया एण्ड इट्स माडर्नाइजेशन', विकास पब्लिशिंग हाउस, १६७४, पृ० ८ ।

५. पिकाक, डी० एफ०ः चेन्ज, 'इटरनेशनल एण्ड कम्परीजन, कन्ट्रीब्यूशन टू इण्डियन सोशियोलॉजी', वा० ७, मार्च १६६४, पृ० ७-१७ ।

६. कुप्पूस्वामी, वी०, 'इण्डियन सोशल वैल्यूजः ट्रेडिशनल एण्ड मार्डन', सोशल चेन्ज इन इण्डिया, पृ० ६७-८६।

७. कोहेन, पी० एस०, 'मार्डन सोशल थ्योरी', लन्दन, १६६८।

८. गोयल, संतोष, 'इफेक्टिव यूटीलाइजेशन ऑफ वीमेन पावर रिसोर्सेज इन इण्डिया', ए० आई० सी० सी० इकोनॉमिक रिव्यू, वा० २०, १६६८ पृ० १५-२०।

६. लर्नर, डी०, 'दी पासिंग ऑफ इण्डियन ट्रेडिशनल सोसाइटी', फ्री प्रेस, न्यूयाक्र १६५८।

१०. श्रीनिवास, एम० एन०, 'सोशल चेन्ज इन माडर्न इण्डिया', बम्बई, १६६६। पृ० १०।

११. सिन्हा, रघुवीर, 'सोशल चेन्ज इन इण्डियन सोसाइटी', कन्सेप्ट पब्लिशिंग कं०, १६७८, पृ० १२।

१२. गोरे, एम० एस०, 'अर्बनाइजेशन एण्ड फेमिली चेन्ज', पापुलर प्रकाशन बम्बई, १६६८, पृ० २५।

१३. गुडे, विलियम जे०, 'वर्ल्ड रिवोल्यूशन एण्ड फेमिली पैटर्न', दी फ्री प्रेस, न्यूयाक्र कोलियर-मैकमिलन, लंदन, १६६८, पृ० २५६।

१४. होलकर, 'इण्डियन मैथोलॉजी एण्ड इट्स इम्पैक्ट आन सोसाइटी', ओरियण्टल पब्लिकेशन, बम्बई, १६६१।

१५. शास्त्री, पी०वी०, 'सोशल लेगिस्लेशन', सोशल वर्क्स, वा० ३२१, पृ० ५८८।

१६. श्यामला, पी०, 'बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन', समाज कल्याण, दिसम्बर, १६८५, पृ० ११ ।

१७. कपूर, प्रमिला, 'कामकाजी भारतीय नारी-बदलते जीवन मूल्य और सामाजिक स्थिति', अनु० रमेश नारायण तिवारी, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, १६७६, पृ० १४६।

१८. कपूर, प्रमिला, 'भारत में विवाह एवं कामकाजी महिलायें', राज कमल प्रकाशन दिल्ली-पटना, १६७६, पृ० ३१३।

१६. कपूर-प्रमिला, 'कामकाजी भारतीय नारी-बदलते जीवन मूल्य और सामाजिक स्थिति', अनु० रमेश नारायण तिवारी, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, १६७६, पृ० ११६।

२०. पारसन्स, टी०, 'सोशल सिस्टम', अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, वा० २२६, १६७५ पृ०३८७-८६ ।

Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

आर्यन क्षत्री (खत्री) समाज में संगीत में अनुशासन

❑ **डा० नीलम टण्डन**

गायन, वादन, नृत्य तीन कलाओं का सामूहिक नाम संगीत है, यद्यपि तीनों कलाओं का अपना अलग ही महत्व है फिर भी गायन को प्रमुख माना गया है। संगीत किसी भी समाज में न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि उस समाज अथवा समुदाय के लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक मनोवृत्ति और उसकी अभिव्यक्ति का भी दर्शन कराता है। सामाजिक उत्सव, संस्कारों आदि के अवसर पर संगीत के कार्यक्रम सभी समाजों में सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। विवाह, गर्भाधान संस्कार के बाद बच्चे के जन्म से पूर्व पुसंवन, सीमन्तोन्नयन संस्कार, तत्पश्चात नामकरण, मुंडन (चूड़ाकरणसंस्कार) कर्णविध, उपनयन संस्कार आदि के अवसर पर संगीत की तीनों विधा गायन, वादन और नृत्य का संगम विधिवत् संगीत कार्यक्रम का आयोजन करके विभिन्न समाजों में लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है। खत्री समाज में संगीत कार्यक्रम का आयोजन संगीत की देवी के आवाहन और विसर्जन दोनो से सम्बन्धित प्रथा ''ढोलक पूजा'' के रूप में प्राप्त होता है। विवाह आदि समस्त शुभ संस्कारों में विवाह से पूर्व आवाहन और विवाह के पश्चात विसर्जन वर और वधु दोनों पक्षों के घर में अलग अलग दिन, वार देख कर ढोलक पुजती है। ढोलक पर सात सतियाँ रोली से बना कर अक्षत, पुष्प, बताशा, रूपया आदि रखकर सात सुहागिनें वर/वधु की माँ की गोद में ढोलक देती हैं जिसे देवस्थान पर रखकर सातों सुहागिनों को बिन्दी लगाकर मीठा और रूपया हाथ में प्रसाद स्वरूप दिया जाता है फिर वर/वधु की माँ ढोलक पर थपकी देते हुये गीत गाते हुये उपस्थित जनसमूह के मध्य ढोलक रखती है। तदुपरान्त गायन, वादन, नृत्य की सम्मिलित त्रिवेणी द्वारा आवाहन और विसर्जन के मध्य मांगलिक संगीत कार्यक्रम संचालित होता है।

गायन, वादन, नृत्य तीन कलाओं का सामूहिक नाम संगीत है, यद्यपि तीनों कलाओं का अपना अलग ही महत्व है फिर भी गायन को प्रमुख माना गया है। संगीत किसी भी समाज में न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि उस समाज अथवा समुदाय के लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक मनोवृत्ति और उसकी अभिव्यक्ति का भी दर्शन कराता है। सामाजिक उत्सव, संस्कारों आदि के अवसर पर संगीत के कार्यक्रम सभी समाजों में सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। खत्री समाज में संगीत कार्यक्रम का आयोजन संगीत की देवी के आवाहन और विसर्जन दोनो से सम्बन्धित प्रथा ''ढोलक पूजा'' के रूप में प्राप्त होता है। प्रस्तुत आलेख खत्री समाज के संगीत में अनुशासन को प्रकाशित करता है।

विभिन्न उत्सव, पर्व सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंग हैं तथा आस पड़ोस, सगे सम्बन्धियों के परिवारों में आना जाना सम्मिलित होना, मेलजोल बढ़ाना, बातचीत आदि समाजों के स्वस्थ मनोरंजन हैं। दुःख सुख आदि में भागीदारी करना सामाजिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति का अंग हैं तो व्यवहारों, वाणी, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति उनकी मनोवृत्ति और व्यवहारिक अनुशासन का परिचय तो देती ही है साथ ही कलात्मक निपुणता को भी दर्शाती है। यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से, उसका अंधानुकरण करने से, कलात्मक संस्कृति और अनुशासन को ठेस भी पहुँचती है। जब कभी भावनात्मक संगीत का स्थान असभ्य और भोंडे अथवा अश्लील गीतों के रूप में यदाकदा दिखते हैं तो परम्परागत सामाजिक संस्कृति को न केवल ठेस पहुँचती है अपितु संस्कृति विघटित होती है। महाभारत में कर्ण पर्व में मद्र नरेश के अनुसार सभी देशों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आर्य समाज वर्ण प्रधान समाज था उसमें अनुशासन हर कर्म में कदम कदम पर प्राप्त होता है चाहे वो दैनिक नित्य कर्म स्नान, ध्यान, पूजा, खानपान, स्वागत-सत्कार, हो या धार्मिक कृत्य, यज्ञ, जप-तप, अध्ययन-अध्यापन, व्यापार, सेवा आदि। इतना ही नहीं रणभूमि में युद्ध में भी अनुशासनिक नियमबद्धता इस समाज में कूट कूट कर भरी थी।[1] खत्री समाज एक कला प्रिय समाज है।

जीवन को सरस एवं सुरूचिपूर्ण बनाने के लिये कला, उत्सव, पर्व आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में खत्री औरतों की खुशी उनके घर परिवार में थी वे कुशल गृहिणी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, गायन, वादन आदि कलाओं में निपुण होतीं थीं।[2]

❑ विभागाध्यक्षा समाजशास्त्र विभाग, जी.एफ.पी.जी. कालेज, शाहजहांपुर (उ.प्र.)

अनुशासन से तात्पर्य निश्चित नियमों, निर्धारित बंधनों सीमाओं में रहते हुये कर्म करना है। अनुशासन के इस बन्धन से काव्य कला, पाक कला, संगीत, कला भी सुर, लय, ताल में बंध के चली जो स्वाभाविक था कोई विशेष बात नहीं।[३] विशिष्ट बात तो यह है कि संस्कृतयुगीन आर्यन क्षत्री वर्ण जो अब खत्री[४] नाम से जाना जाता है उनमें परम्परागत संस्कारों के समय संगीत कार्यक्रम के अधीन गाये जाने वाले गीतों में भी जो अनुशासन, क्रमबद्धता लेखिका ने खत्री समाज पर शोध करते समय प्राप्त की वो अन्य किसी वर्ण या जाति में नहीं प्राप्त हुई। हाँ खत्रियों के कुलगुरु कहलाने वाले सारस्वत ब्राह्मणों[५] में यह क्रमबद्धता समान रुप से प्राप्त होती है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि शुभ संस्कारों में सांगीतिक अनुशासन तो है ही परन्तु अशुभ संस्कार में भी इस समाज में मृत्यु संस्कार के अवसर पर भी धार्मिक कृत्यों दसवाँ आदि में नाउन के द्वारा बोल बोले जाने और शोक करते समय भी यह अनुशासन प्राप्त होता है यद्यपि शुभ संस्कारों से अशुभ संस्कारों में प्राप्त सांगीतिक अनुशासन का स्वरुप भिन्न है। बड़ेबूढ़े अर्थात बुजुर्गों की मृत्यु पर होने बाले सांगीतिक कार्यक्रम ''पिटने'' तो और भी दिलचस्प हैं, पर वर्तमान में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर चढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के रंग ने इन सभी परम्परागत कृत्यों को ठेस पहुँचायी है इसमें कोई संदेह नहीं है।

भारतीय आर्यन क्षत्री इतिहास से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यह समाज जितना त्यागपूर्ण है उतना ही विलासी भी। आमोद प्रमोद, संगीत, नृत्य, वाद विवाद आदि इनके मनोरंजन के साधन तो थे ही नित्य कर्मों में भी इनका समावेश रहा है। युद्धभूमि में रणभेरी शंख आदि बाजे बजाकर संगीत के माध यम से युद्ध का आरम्भ और अंत इसका उदाहरण मात्र है।[६]

शुभ संस्कार अर्थात मुंडन, जनेऊ विवाह आदि के समय प्रारम्भ होने वाले कार्यक्रम में विधिवत दिन वार देखकर संगीत की देवी का आवाहन "ढोलक पूजन" के द्वारा और विसर्जन भी तिथि वार, दिन देखकर "ढोलक पूजन" के रुप में सात सुहागिनों के द्वारा ढोलक की पूजा करके किया जाता है। खत्री समाज में संगीत कार्यक्रम का आयोजन और विसर्जन दोनो से सम्बन्धित प्रथा "ढोलक पूजा" के नाम से प्राप्त होती है। तत्पश्चात उसमें भी गाये जाने वाले गीतों में भी क्रमबद्धता पायी जाती है जैसे- सर्वप्रथम गणेशजी[७] के गीत फिर क्रमानुसार देवता,[८] देवी,[९] सेहरा, (संस्कृत शेखरः), घोड़ी, सुहाग (लड़के की शादी में वर के घर गाये जानेवाले विशेष गीत घोड़ी और लड़की की शादी में कन्या के घर गाये जाने वाले विशेष गीत सुहाग कहलाते हैं। परम्परागत प्राचीन सुहाग काफी लम्बे गीत तो हैं ही साथही उनमें प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की वैभवपूर्ण शैली का भी स्पष्ट दर्शन प्राप्त होता है।) नजर, नृत्यगीत आदि।

इसी प्रकार मुंडन, जनेऊ आदि के अवसर पर गाये जाने वाले गीत बन्ने बन्नी में पट्टीपूजन शिक्षा प्राप्त करने गुरूगृह जाने से सम्बन्धित गीतों का उल्लेख प्राप्त होता है तो विवाह के अवसर पर गाये बजाये जाने वाले गीतों में मनोरंजक गीत महफिल आदि सजने से सम्बन्धित "मजलिसी गीत" नजर, काजल, टुमछल्ला..नृत्य में नकलें, सिठनी (मीठे बोल बोलकर संगीतबद्ध गाली) छंद, विदाई आदि क्रमानुसार गायी बजायी जाती है। परम्परागत विदाई के भीने भीने गीत इतने भावपूर्ण हैं जो किसी की भी आँखें नम करने में पूर्णतयः सक्षम हैं। शादी के बाद वर.वधु के गर्भ धारण करने से पूर्व खत्री समाज में उपर्युक्त क्रम में गीत तथा बन्ने बन्नी गाये बजाये जाते हैं। जच्चा बच्चा अथवा सोहर सरियों से सम्बन्धित गीत खत्री समाज विशेष में वधु के गर्भधारण करने के पश्चात ही गाये बजाये जाते हैं उससे पूर्व नहीं।जबकि अन्य सभी समाजों में ब्राह्मण (सारस्वत.ब्राहमणों के अतिरिक्त) वैश्य, कायस्थ, राजपूतों, सुनारों, यादवों, ठाकुरों तथा अन्य सभी शूद्र जातियों में भी स्पष्टतः विवाह होकर वधु के घर आते ही सोहर सरियाँ अर्थात जच्चा बच्चा से सम्बन्धित गीत गाये जाते हैं।

शुभ संस्कारों में खत्री समाज में संगीत में पायी जाने वाली क्रमबद्धता में उदाहरण स्वरुप गीतों की एक एक पंक्ति दी जा रही है जो निम्नानुसार है।--

गणेश - १. "गााइये गणपति जगवन्दन" या फिर २. "गजानन तुम्हें मैं कैसे रिझाऊँ"

गुरू - १. हे मेरे गुरूदेव करुणा सिन्धु करूणा कीजिये।

२. गुरू मात पिता गुरू बंधु सखा, गुरू सच्चे परम हितैषी हैं,

देवता - १. देवता बड़े गरीब नवाज, सकल जी बड़े गरीब नवाज

२. सालिगराम संत हमारे कहिये, जिनकी उमर हजार देवता.

देवता के अन्तर्गत परिवार रूपी वृक्ष के उन तीन चार पाँच पीढ़ी पूर्व के बुजुर्गों के नाम ले लेकर गाते हैं जिनकी वो संतानें या वंशज हैं।

देवी - १. महारानी वरदानी कि, धन धन (धन्य-धन्य) विंध्याचलरानी

हरि देवा पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर बना खासा जहाँ मेरी अबला का बासा

२. मैने सीखा गुरू से ज्ञान, मइया तेरे नामों का

क से कमला, कामाख्या, कौमारी ख से खड्गधारिणी......

आर्यन क्षत्री समाज में कुलदेवी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और प्रत्येक कुल परिवार की एक विशिष्ट कुलदेवी थीं। धार्मिक कृत्य या युद्ध आदि पर जाते समय आर्य अपनी कुलदेवी का विशिष्ट रूप से पूजन अर्चन करते थे। नववधु के आगमन के बाद तथा बच्चे के जन्म के उपरान्त प्रथम वार कुलदेवी की पूजा समारोह सम्पन्न करके 'देवकर्म' के रूप में की जाती थी जो आज भी खत्रियों में 'देवकाज' नाम से सम्पन्न की जाती है। प्रत्येक कुल की चाहे वो पूर्व के पूरबिये खत्री हों या पश्चिम के पंछैये खत्री, उत्तर के उत्तराखंडी या पहाड़ी खत्री, दक्षिण में महाराष्ट्र के मराठी खत्री, हैदराबाद के सहस्त्रार्जुन खत्री, गुजरात के ब्रहमखत्री, सिंध के सिंधी खत्री, मध्य एशिया के खोखरान खत्री, अफगानिस्तान के पश्चिम से आये पंजाबी खत्री या फिर मुस्लिम खत्री और सिक्ख खत्री हों सभी माँ के रूप में भगवती दुर्गा के किसी न किसी स्वरूप की कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं और बलि[१०] देते हैं।

सेहरा - १. बन्ने सेहरा सम्हालें तेरी वही सखियाँ, जिनके गोरे गोरे गाल रसीली अंखियाँ

जिनके लम्बे लम्बे केश, सुनहरी चुड़ियाँ, बन्ने धीरे धीरे चलो ससुराल गलियाँ

२. जा री मालिन मेंरे नौशेका बनाला सेहरा, बेले गुलाब के फूलों से बनाला सेहरा

घोड़ी- १. घोड़ी ले चल बजारों बजार, बन्ने की घोड़ी ले चल बजारों बजार (हिन्दी में)

२. घोड़ी सोंधी काठियाँ दे नाल, काठी डेढ़ ते हजार...... (पंजाबी में)

बारात के पहुँचने पर गाये जाने बाले गीतों में बेदी की सज्जा से बारात की खातिर और दहेज तथा विदाई का उल्लेख प्राचीन वैभवता को दर्शाते हैं। एक प्राचीन सुहाग की बीच बीच की एक दो पंक्तियाँ जो इस प्रकार हैं --

सुहाग - १. हरे हरे बाँस कटाओ मोरे बाबुल, फूलन वेदिया सजाओ रे.....

उमड़त घुमड़त हथिया जो आये, तो घोड़े हैं पूरे पचास रे...

औले कौले गुड़ियाँ जो छोड़ी, तो छोड़ा बाबुल तेरा देश रे..

बाबुल कहे बेटी नित उठ अइयो, माता कहे छठ मास रे...

२. वेदी के बीच लाडो ने केश सुखाये, वेदी के बीच लाडो ने केश सुखाये

यह सभी सुहाग काफी लम्बे और भावनात्मक हैं जो वातावरण में गम्भीरता और सरसता पैदा कर देते हैं।

नजर- १. दइया रे दइया बन्ने को नजर लागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी

२. मेरी लाडो को कोई मत देखो नजरिया लग जायेगी....

विदाई - १. काहे को व्याही विदेश रे, सुन बाबुल मोरे काहे. भइया को दीन्हा बाबुल, महल दुमहला, मोको दिया परदेश रे.

२. मेरा सींकों का घरौंदा रे, बाबुल चिड़ियाँ तोड़ेंगीं, मैं और छवा लूंगा कि बेटी घर जा अपने

ऐसे भाव भीने गीत जहाँ आँखें नम कर देते हैं वहीं कुछ हंसी खुशी के गीत वातावरण रसीले रंगों से भर देते हैं। जैसे -

मनोरंजकगीत- बना है राजकुँवर बन्ना नजारा हम भी देखेंगे उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे

मजलिसी गीत - खत्री समाज में गाये बजाये जाने बाले प्राचीन मजलिसी गीत भी बड़े अनूठे हैं। जैसे -

''बजा नगाड़े पे डंका वो आजिम जाजिम(गद्दे एवं चांदनी) बिछन लगे

वो तकिया मसलन लगन लगे, वो ढोल मंजीरे पिटन लगे..

विभिन्न प्रथाओं के बीच घर की बुजुर्ग स्त्रियाँ सिठनी (छंदयुक्त गालियाँ)देकर वातावरण को खुशहाल बनाती हैं।

सिठनी - १. मेरे सामने क्यूँ खड़ा रे साजन, गठरी का मुँह खोल रे

लाल को अपने विआह के कोई मन का निकालो चाव रे

२. हमतुम समधिन एक हैं री समधिन ऐसी मिले सब कोय

दूजी समधिन जब करूँ तब तुमरी बरोबर होय री

छंद - इस प्रथा में वर की कवित्त रचना की योग्यता और मनोवृत्ति की परीक्षा ली जाती है

१. ''छंद पके आइयाँ, छंद पके खूरमा। आपकी बेटी ऐसे राखों, जैसे आंख का सूरमा।"

२. ''छंद परागे आइये जाइये छंद परागे थाली, छंद मैं तां सुनावा जे हत्थ जोड़े साली।"

मांझा - एक प्रचलित मांझे की दो पंक्तियाँ --

१. ''सोहन छत्र सुहाग पिटारी, सब सुख देंखें बन्ना बन्नी दादी ताई देत आशीषा जियें मेरे बन्ना बन्नी लाख वरिसा''

तिलबट्टे - १. ''सास बहू के तिलबट्टे, तिलबट्टे भये तिलबट्टे''

ढोलक- १. ढोलक रानी फिर फिर फेरा करियो, भये में अईयो बिआहे में अइयो

गर्भधारण के पश्चात गाये जाने वाले गीत सोहर सरियाँ या जच्चा बच्चा कहलाते हैं जैसे -

सोहर सरियाँ - १. हमरे तो पीर आवै नन्दी हंसत आवै, बाहर से सासु आवै बहुआ अरज करो

ऐ सासु तोरे पईया लागूँ, नन्दी विदा करो तुरत विदा करो.

२. मचल रही आज महलों में दाई मचल रही ....
सोनाचाँदी राजा दशरथ देंवें, वोऊ न लेवे दाई, मचल....
छठी जंडी, उपनयन संस्कार अथवा पटटी पूजन के गीत की एक झलक...

बन्ना - १. "बन्ने ले लो कलम दवात चले जाओ पढ़ने को".
२. गुरू ने कही बन्ने वही भिक्षा लाना तुम.....

यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति के चढ़ते रंग ने परम्परागत प्रथा, परम्परा, सभ्यता, संस्कृति पर भरपूर प्रहार किया है फिर भी जब कभी परम्परात्मक रूढ़िवादी परिवारों में परम्परागत सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते हैं उसमें प्राप्त होने वाले आनन्द का वर्णन अकथनीय है। इसी प्रकार मकर संक्रान्ति पर खिचड़ी, फल, भोजन, वस्त्र आदि दान देने के अतिरिक्त बुजुर्गों के नाम पर विवाहित स्त्रियों द्वारा ''बया''का पोंजा मंसने की रीति है। उदाहरणार्थ शादी के प्रथम वर्ष बहू का ''बया'' जलेबी से निम्न छंद द्वारा कहकर होता है।.....

''चार जलेबी रस भरी , मैके ससुरे जश भरी "
लड़की के जन्म के बाद 'खुँटियों' का बया ....
"थाल भर खुँटियाँ, आँगन खेलें बिटियाँ"
लड़के के जन्म के बाद "बादाम" का बया ....
''थाल भर बादाम , लाल पकड़े लगाम''...... जैसे वाक्य कहकर यह पोंजा मनसा जाता है। मंसने के बाद इसे घर के बड़ों को दिया जाता है सास ससुर, जेठ जिठानी, नन्द नन्दोई आदि माननीय लोगों को देते हैं।

बधाई - किसी भी शुभ अवसर पर बधाई प्रायः सामान्य बात है पर संगीत के द्वारा या काव्य शैली में दी गयी बधाई की खुबसूरती बढ़ जाती है यथा -
१. हमारे राजराजेश्वर बधाई है बधाई है, मिला है आज शुभ अवसर बधाई है बधाई है।
२. अवध में बाजे बधईया रामसिया व्याह के आये, दशरथजी फूले न समईया बधईया ..

सावन मास में तीज, कार्तिक में दीवाली, फाल्गुन में होली, आदि उत्सवों पर वर वधु के घर विवाह के पूर्व वधु के मायके में घर पर तथा विवाह के उपरान्त वधु की ससुराल में होने वाले संगीत कार्यक्रम में गाये जाने वाले गीत प्रायः राधाकृष्ण, सीताराम अथवा शिवपार्वती आदि देवों को समर्पित युगल गीत होते हैं। श्रावण मास में फूलों के श्रृंगार, झूला, हरे रंग से गीतों , वस्त्रों, गहनों से श्रृंगार, और उससे सम्बन्धित संगीत, खाद्य सामग्री आदि की धूम दिखती है जैसे -

श्रावणसंगीत - १. शिवजी चले कैलाश बुंदिआ पड़ने लगीं, गौरा को लेकर साथ बुंदिआ पड़ने
झूला - १. झूला पड़ा कदम की डार, झुलावें ब्रजनागरी आज
२. रेशम की डोरी चंदन का पटरा, राधा झूलें श्याम झुलायें
श्रृंगारगीत - १. फूलों से भवन सजाया जगदम्बे तेरा, फूलों से मंदिर फूलों से ध्वजा फूलों..
२. हरे रंग की छायी बहार, बहार ऐसी क्या कहना मेंहदी
१. मैंने मेंहदी रचाई रे कृष्ण नाम की...
होली - १. होली खेल रहे नन्दलाल, कि बरसाने में धूम मचायें....
२. कैसी ये होरी मचाई, आज मोसे कृष्ण कन्हाई.....

इस प्रकार आर्यन खत्री समाज में संगीत में भी क्रमबद्धता, संगठन एवम् अनुशासन का दर्शन प्राप्त होता है। संगीत में जीवन को सरस, सुरूचिपूर्ण बनाने की अदम्य शक्ति है।संगीत की लयबद्धता न केवल मानव समाज बल्कि प्रकृति और अन्य तत्वों को भी प्रभावित करती है।

संदर्भ

१. टण्डन नीलम, 'खत्री समाज में बदलते हुये सामाजिक सांस्कृतिक जीवन प्रतिमान', शोध प्रबन्ध म.ज्यो. फुले रूहेलखण्ड यूनीवर्सिटी, बरेली, १९९३ पृ० ११७-११९
२. वही
३. सेठ, 'ब्रीफ इथनोलोजी आफ खत्रीज' मोतीलाल सेठ, आगरा मूनप्रेस १९०५, पृ० २३९-
४. पुरी बी.एन., 'द खत्रीज ए सोशियो हिस्टारिकलस्टडी', एम.एन.पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, न्यूदेहली, १९८८, पृ०६६-६९
५. पटेल युसुफ अल्लारक्खा, 'खत्री इतिहास भाग १', हाजी यू.ए. पटेल, कराची १९७५, पृ० २७-१०३
६. टण्डन नीलम, पूर्वोक्त, पृ० १८
७. श्रीमद्भगवद्गीता- १/१४-१९ गीताप्रेस गोरखपुर
८. तुलसी रामचरित मानस - बालकांड- १,२,३ गीताप्रेस गोरखपुर
९. देवता/पूर्वज/पितृ सम्बन्धी
१०. दुर्गा सप्तशती- शक्ति उपासना दुर्गा, देव्याः कवच श्लोक १६,१९, ३१,४०,४१ गीताप्रेस गोरखपुर
११. बलि- हलुये की कढ़ाई और नारियल चित्त कर
१२. आपणों परिचय - श्री कच्छी ब्रह्मक्षत्री युवक संघ १९७४,

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

संयुक्त राज्य बिहार एवं बंगाल-1956

❑ **साहिदुज्जामन खान**

सन् १६१२ तक बंगाल व बिहार दोनों बंगाल प्रदेश में थे, १६१२ में बिहार व पश्चिम बंगाल अलग होकर दो अलग राज्य बन गये। सन् १६५६ तक बंगाल तथा बिहार दो अलग राज्य बने रहे, लेकिन १६५६ में बंगाल के मुख्यमंत्री श्री विधानचन्द्र राय एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री श्रीकृष्ण सिन्हा ने इन दोनों राज्यों को १६१२ से पहले ये जैसे थे वैसे ही संयुक्त करने का प्रस्ताव ग्रहण किया। वस्तुतः प्रस्ताव रखना और उसे कार्यान्वित करना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे राजनीति की एक लम्बी लड़ाई थी। बंगाल से अलग हो जाने के बाद बिहार में रहने वाले बंगालियों ने बांगला भाषा बोलने वाले तथा अधिक से अधिक बंगाली जिन जगहों पर थे उन्हें बंगाल के साथ जोड़ने की मांग की। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक व बुद्धिजीवियों ने इस मांग का सर्मथन करते हुए इन स्थानों को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत करने का दावा किया था।

आजादी से पहले १६१२ तक बंगाल व बिहार एक साथ बंगाल प्रांत के अंतर्गत आते थे। १६१२ में अंग्रेज सरकार ने इन्हें दो अलग-अलग राज्यों में बांट दिया। १६५६ तक दोनों अलग राज्य बने रहे। १६५६ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इन दोनों राज्यों के पुनः एकीकरण का प्रस्ताव रखा किन्तु यह प्रस्ताव एक प्रस्ताव ही बनकर रह गया। दोनों की जनता, नेता तथा मंत्रियों ने भी बार-बार इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगाए। दोनों ही राज्यों के कुछ लोग प्रस्ताव के पक्ष में तो कुछ विपक्ष में थे। इस प्रकारण पर कब, क्या और किस प्रकार हुआ इसका विस्तृत विश्लेषण करता है प्रस्तुत लेख।

जातीय आन्दोलन में बंगाल ने सक्रिय भूमिका निभाई, इसी कारण ब्रिटिश शासकों ने बंगाल की उस भूमिका को खत्म करने की मंशा से तीन-तीन बार बंगाल का विभाजन किया, सन् १६०५, १६१२ एवं १६४७ में ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि भारत में किसी और प्रदेश का नहीं हुआ।[१] प्रत्येक विभाजन के साथ बंगाल का क्षेत्रफल छोटा होता रहा करीब १००००० वर्गमील से घटकर बंगाल का आयतन मात्र ३०००० वर्गमील ही रह गया था।[२]

बिहार में स्थित बांगला भाषा बोलने वाले क्षेत्रों पर पश्चिम बंगाल की मांग : हालांकि बंगाल से अलग होकर बिहार अलग राज्य बन गया मगर ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषा, संस्कृति आदि सभी इस प्रकार से बिहार में जुड़े बंगाल का काफी हिस्सा बंगाल का ही अविच्छेद्य अंग था।[३] परन्तु पुनः-पुनः दावा करने के बावजूद इन जगहों को फिर से बंगाल के साथ जोड़ा नहीं गया। इसकी कोई सुनवाई नही हुई। इसी के कारण आजादी के बाद बंगाल का आयतन एक तिहाई ही रह गया। अतः पश्चिम बंगाल का वह आयतन फिर से बढ़ाने के लिए बिहार के बांगला भाषा-भाषी इलाकों को बंगाल से जोड़ने की मांग की। इन इलाकों की जनता भी यही चाहती थी।

भारत की आजादी के बाद पश्चिम बंगाल पर घनघोर अंधेरा छा गया इसका दो तिहाई हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत हो गया फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में कृषि व उद्योग का संतुलन बिगड़ गया। समस्या और भी बढ़ गई जब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आये।[४] इस समस्या का समाधान एवं पश्चिम बंगाल की अर्थनीति के पुर्नगठन के लिए श्री नलिनी रंजन सरकार ने केन्द्र सरकार से मानभूम सिंह भूम, संताल परगणा एवं पूर्णिया को लेकर १६००० वर्ग मील उन इलाकों को पश्चिम बंगाल से जोड़ने का दावा किया जहां से अधिक से अधिक संख्या में बांगला बोलने वाले रहते हों।[५] पर केन्द्र सरकार ने उनकी मांग नामंजूर कर दी।

सन् १६५२ के ६ अगस्त को पश्चिम बंगाल के लेजिस्लेटिव असेम्बली इस ने दावे को स्वीकृति दी थी।[६] इस दावे का मूल कारण के रूप में यह दर्शाया गया था कि हिन्दी भाषा बोलने वालों के कारण बंगाल की भाषा व संस्कृति नष्ट हो रही थी। अतः बांगला भाषा बोलने वाले इलाकों को पश्चिम बंगाल के साथ युक्त करना उचित होगा।

बिहार की जनता का पश्चिम बंगाल की मांग का विरोध कर रही थी। बिहार सरकार व बिहारी परिषद को अनुमान था कि यही बिहार स्थित बांगला भाषा-भाषी अंचल बंगाल से जोड़ दिया जाय तो बिहार का आर्थिक संतुलन बिगड़ जायेगा। जनसंख्या के आधार पर बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य होने के बावजूद बिहार की अर्थनीति दुर्बल थी। इस स्थिति में यदि बिहार से ऐसे अंचलों को बंगाल से संयुक्त कर दिया जाये जहां जनसंख्या में अधिक बांगला भाषी हो बिहार कि समस्या बढ़ जायेगी।[७]

❑ **निजयाक, बंकुरा (पश्चिम बंगाल)**

मानभूम, सिंहभूम, संतालपरगणा तथा पूर्णिया पर पश्चिम बंगाल की मांग को निराधार प्रमाणित करने के लिए बिहार सरकार ने भी इन इलाकों पर अपना हक जताते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही ये इलाके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि हर तरीके से बिहार का ही अंग रह चुके हैं।

बिहारी परिषद ने कहा था कि पश्चिम बंगाल का दावा गलत होने के साथ-साथ सरासर झूठ भी था।[८] जिन इलाकों में बांगला बोलने वाले लोग अधिसंख्यक होने का दावा किया गया था वह वस्तुतः वहां के लोग बांगला बोल भी नहीं सकते थे। वे सताली, राढ़ी बोली या फिर कोई अन्य भाषा बोलते थे, जोकि बांगला से बिल्कुल अलग थी।[९] बिहार की जनता एवं बिहारी परिषद को भनक लग चुकी थी कि बांगला भाषा व संस्कृति की रक्षा एवं विस्थापन की समस्या के समाधान के नाम पर पश्चिम बंगाल बिहार का कुछ इलाका हथियाना चाहता था।[१०]

राज्य पुर्नगठन कमीशन का प्रस्ताव : २३, दिसम्बर १९५३ में गठित राज्य पूर्णगठन कमिशन सन् १९५५ के १० अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट में मानभूम जिलों का २० थानों में एवं पूर्णिया जिले के महानन्दा नदी के पूर्वी हिस्से में किशनगंज से करीब २०० मील इलाका पश्चिम बंगाल में स्थानान्तरित करने की सलाह दी थी।[११] पर कमीशन का यह प्रस्ताव बिहार या पश्चिम बंगाल की जनता को खुश नहीं कर सका। इस मसले के समाधान के लिए श्री विधान चन्द्र राय एवं श्रीकृष्ण सिन्हा ने २३ जनवरी, १९५६ को एक ऐतिहासिक पत्र पर हस्ताक्षर किये थे जिससे सन् १९१२ से पहले की तरह बंगाल एवं बिहार फिर से एक ही राज्य बन जाय। इस संयुक्ति के द्वारा ही पश्चिम बंगाल व बिहार की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी इस संयुक्ति के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा था, "मैं उम्मीद करूंगा कि इन दोनों महान नेताओं की कोशिश से दोनों राज्यों की जनता भी जागरूक होगी और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगी। कांग्रेस वर्क्रिंग कमेटी ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया था।[१२] सभापति ने कहा था बंगाल तथा बिहार का संयुक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम है।[१३]

संयुक्त बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य की विशेषता।

१. संयुक्त बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य का नाम पश्चिम बंगाल व बिहार संयुक्त प्रदेश होगा।
२. संयुक्त राज्य की दो सरकारी भाषा होंगी - बांगला एवं हिन्दी, दोनों भाषाओं की अखण्डता एवं संस्कृति बरकरार रहेगी।
३. संयुक्त राज्य में रहेंगे राज्यपाल, एक मंत्री सभा, एक ही विधान सभा और एक सर्विस कमीशन।
४. इस संयुक्त प्रदेश की पहली राजधानी होगी कोलकत्ता एवं दूसरी राजधानी पटना होगी।[१४]

संयुक्तिकरण प्रस्ताव का समर्थन

संयुक्त पश्चिम बंगाल व बिहार प्रदेश कांग्रेस सभापति श्री अतुल्य घोष ने 'उचित समय पर उठाया गया उचित कदम' कहा उस समय यह प्रस्ताव आशा की किरण लेकर आया था। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्पादक श्री विजय कुमार महतो ने उत्साह और उमंग के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल फिर से देश का नेतृत्व करेगा।

बिहार की जनता ने भी उमंग तथा उत्साह के साथ बंगाल बिहार संयुक्ति प्रस्ताव का समर्थन और स्वागत किया था। बिहार के अर्थमन्त्री अनुग्रह नारायण सिन्हा ने कहा था यह संयुक्ति सभी वाद-विवाद को समाप्त कर देगी एवं बिहार तथा पश्चिम बंगाल दोनों ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आर.एल. चन्द्रपुरि ने इसे एक नये युग की शुरूआत, अच्छे रिश्तों का वातावरण प्रगति व उज्जवल भविष्य के लिए जनता से आग्रह किया कि वे इस बंगाल तथा बिहार के संयुक्तिकरण का समर्थन करें।[१५]

बिहार के राज्यपाल आर.आर. दिवाकर ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था "यह पुनः मिलन की एक धारणा थी।"[१६] श्री विनोदानन्द झा ने कहा था कि १९९२ के बंगाल बिहार विभाजन के बाद से कलकत्ता बिहारियों के लिए मक्का बन गया है।[१७]

एक तरफ रामरूप राय ने बंग-बिहार संयुक्ति प्रस्ताव का समर्थन करते हपु यह मांग की कि इस संयुक्त राज्य की प्रथम राजधानी बनेगी।[१८] पटना एवं दूसरी कलकत्ता। दूसरी तरफ भोलानाथ भगत ने रांची को दूसरी राजधानी बनाने की मांग की।[१९]

संयुक्तिकरण प्रस्ताव का विरोध : जब बिहार की जनता की एक बहुत बड़ी संख्या ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया उस समय पश्चिम बंगाल में बंगालियों ने इसका घोर विरोध किया था। विधानचन्द्र राय के बंग-बिहार संयुक्तिकरण के इस अनोखे प्रस्ताव के विरोध में सम्पूर्ण बंगाल क्षुब्ध हो उठा था। प्रफुल्य घोष, जयोति बसु, अतुल गुप्त, विमल सिन्हा, मेघनाद साहा, हेमेन्द्र प्रसाद घोष, मोहित मैत्र, गोपाल हालदार, काजी अब्दुल ओदूद आदि ने इस प्रस्ताव के विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया।[२०]

संयुक्तिकरण प्रस्ताव की व्याख्या : संयुक्ति प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए श्री विधान चन्द्र राय ने कहा था इन दिनों तीन मिलियन बंगाली बिहार के और दो मिलियन बिहारी बंगाल के

निवासी हैं। पश्चिम बंगाल में कल कारखाने हैं। परन्तु प्राकृतिक धन-सम्पदा नहीं है जोकि बिहार में है। इस तरह से देखा जाये तो पश्चिम बंगाल एवं बिहार एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर दोनों का एकीकरण हो जाये तो यह संयुक्त राज्य हर तरह से शक्तिशाली बन जायेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसा होने से शरणार्थी समस्या का समाधान भी हो जायेगा। इसके अलावा गर्मियों में वर्धमान एवं बांकुड़ा जिलों को सूखा के प्रकोप से बचाने के लिए अजयनदी के ऊपर बांध का बनना अत्यधिक जरूरी है। परन्तु वह इलाका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत नहीं है। अतः यह दोनों राज्य संयुक्त होने से पश्चिम बंगाल का कल्याण होगा। उनका मानना था कि ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं कि इसमें पश्चिम बंगाल की भाषा व संस्कृति हिन्दी को प्रधानता के कारण नष्ट हो जायेगी। बंगाल के निवासियों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सन् १६१२ से पहले हिन्दी के कारण बांगला भाषा नष्ट नहीं हुई थी ठीक उसी तरह वर्तमान स्थिति में भी बांगला भाषा व संस्कृति अपनी स्वायत्ता बरकरार रखने में समर्थ होगी।[२१]

श्री कृष्ण सिन्हा ने स्थिति की व्याख्या करते हुए कहा था कि ऐसा होने पर बिहार के निवासी सभी बंगाली सोचेंगे कि वह अपने ही राज्य में निवास कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार बंगाल के निवासी प्रत्येक बिहारी भी ऐसा ही सोचेंगे। किन्तु दोनों मुख्यमंत्रियों के एवं उनके दिये गये निश्चय को पश्चिम बंगाल की जनता मानने को तैयार नहीं थी। प्रफुल्ल चन्द्र घोष ने कहा था कि यह प्रस्ताव गुलाब में छिपे विषैले सांप के जैसा है। वे मानते थे कि इस प्रस्ताव के सफल होने से नये प्रदेश में बिहारी अधिसंख्यक बनेंगे एवं बंगालियों को नियंत्रित करेंगे।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के सेनेट हॉल में बंगाल बिहार संयुक्ति के विरोध में सम्पूर्ण बांगला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बंगाल के ११ जिलों से १४०४ प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जहां इस संयुक्ति का घोर विरोध करते हुए इसे अविलम्ब रद् करने का एवं भाषा तथा संस्कृति के आधार पर सीमा पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

बिहार में भी बंग-बिहार संयुक्ति के विरोध में प्रतिवाद और आन्दोलन शुरू हुआ था। बिहार परिषद के सभापति ने पड़ोसी राज्य की मांग से बिहार की अखण्डता को बनाए रखने के लिए घोर आन्दोलन किया था। उन्होंने यह दिखा दिया था कि संयुक्ति का फल कितना भयानक हो सकता है। भविष्य में क्या होगा यह जाने बिना बिहारियों को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेलना नहीं चाहते थे।[२२] बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बी.पी. सिन्हा ने बिहार की जनता से आवेदन किया कि वे संयुक्ति प्रस्ताव का विरोध करें।

संयुक्तिकरण प्रस्ताव के प्रति बिहार का समर्थन : विरोध के बाद भी बिहार ऐसेम्बली के १५७ सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में एवं २५ सदस्यों ने इसके विपक्ष में मतदान किया था। परन्तु झारखण्ड पार्टी के सभी १३ सदस्यों ने मतदान नहीं किया था।[२३] हालांकि बिहार विधान सभा में बंगाल बिहार संयुक्ति प्रस्ताव को बहुमत मिला। पश्चिम बंगाल विधान सभा में इसके खिलाफ घोर विरोध प्रकट करते हुए आग से नहीं खेलेंगे यह भी कहा गया था। यह चेतावनी भी दी गई थी कि जनता इसका उचित जबाव देगी।

बंग बिहार संयुक्तिकरण में वामदलों की भूमिका : इस संयुक्तिकरण के खिलाफ वामपंथी दिलों की भूमिका महत्वपूर्ण थीं पश्चिम बंगाल के वामपंथी दलों ने इस प्रस्ताव को जनता की इच्छा के विरूद्ध कहा था। उन्होंने भाषा के आधार पर पुर्नगठन का प्रस्ताव दिया था। वामपंथी दल एवं पश्चिम बंगाल राज्य पुर्नगठन कमिशन के नेतृत्व में संयुक्ति प्रस्ताव के खिलाफ तीव्र आन्दोलन हुआ था।

ज्योति बसु तथा भूपेश गुप्ता ने भाषा पर आधारित इस संयुक्तिकरण को गलत कदम के रूप में देखा था। उनका मानना यह था कि इसमें भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन तथा बांगला बोलने वाले इलाकों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने की मांग को अस्वीकार किया गया है। इसी मामले पर वे एक लम्बे समय से लड़ते आये थे उनका विश्वास यह था कि इस प्रस्ताव पर बंगाल व बिहार की जनता कभी सहमत नहीं होगी एवं वही होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बंगाल बिहार की जनता इस प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट होगी। ज्योति बसु ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल और बिहार की समस्याओं के समाधान के बदले समस्याओं को और भी जटिल बना देगी।[२४] बंगाल-बिहार संयुक्ति के विरूद्ध वामपंथियों ने विरोध आन्दोलन एवं हड़ताल की। २२ फरवरी १६५६ को सम्पूर्ण बंगाल में बंग-बिहार संयुक्तिकरण के विरोध में हड़ताल हुई। जनता ने इस हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया। इसके बाद वामपंथियों ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस हाई कमान देख एवं सुन सकता है तो वे समझ जायेंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वे संयुक्त बंगाल-बिहार के खिलाफ हैं।[२५]

परन्तु केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के वामपंथियों के आन्दोलन व आवेदन को कोई महत्व नहीं दिया। सरकार की यह नही मानने वाली नीति बंगालियों के क्षोभ का कारण बनी। पश्चिम बंगाल की आम जनता ने भी आन्दोलन छेड़ दिया फलस्वरूप बंगाल रण क्षेत्र बन गया। इस स्थिति में भी विधान

चन्द्र राय का बंग-बिहार संयुक्ति पर भरोसा बरकरार रहा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की कि जनता एक उज्जवल भविष्य के लिए इसे मान लें। इस मुद्दे पर विधान राय की कड़ी आलोचना हुई एवं पश्चिम बंगाल के निवासियों को यह आभास होने लगा कि बिहार के बांगला भाषा बोलने वाले इलाकों के पश्चिम बंगाल से जोड़ने की मांग के खिलाफ यह विधान राय की एक साजिश है। अतः जनता ने इसे धिक्कारा।

पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का इस प्रस्ताव को समर्थनः पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बंग-बिहार सयुक्ति के बारे में अलग भावना रखते थे। उन्नीस मुसलमान नेताओं ने इस प्रस्ताव को एक सही कदम मनाकर इसका स्वागत किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपील की कि इस मामले में वे किसी भी प्रकार के ऐसे वितर्क में शामिल नहीं हो जिसे सम्पूर्ण देश में उनके बारे में गलत भावना जागृत हो। मुस्लिम नेताओं का यह मानना था कि यह प्रस्ताव सही वक्त पर उठाया गया एक उचित कदम है। इसलिए जो देश से प्यार करते हैं वे इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्पसंख्यकों से डरकर हीन मानसिकता का शिकार बन चुके हैं। अल्पसंख्यक भी आशा रखते थे कि एक शक्तिशाली देश का गठन हो इसीलिए वे इस प्रस्ताव के विरोध की आलोचना कर रहे हैं।[२६]

बंगाल का सत्याग्रह : बंग-बिहार संयुक्ति का विरोध तथा बिहार के बांगला भाषी अंचलों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने की मांग लेकर मानभूम के लोक सेवक संघ ने अनुतलचन्द्र घोष के नेतृत्व में २० अप्रैल १९५६ को बंग सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया था। ७३ वर्ष के वरिष्ठ नेता अतुलचन्द्र घोष के नेतृत्व में १००५ सत्याग्रहियों जिनमें १४ महिलाएं भी शामिल थीं, पूंचा थाना के पाकबिडर गांव से पैदल कलकत्ता जाने के लिए यात्रा शुरू की।[२७] उनकी पहली मांग थी कि पुरूलिया, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हो, भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सीमा पुनः निर्धारण हो। सत्याग्रही ६ मई १९५६ को कलकत्ता पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। इस स्वागत समारोह मे सत्याग्रहियों के साथ-साथ श्री ज्योति बसु, मोहित मैत्र, हेमंत कुमार बसु आदि अग्रणी नेताओं ने इस संयुक्ति के विरूद्ध अपने विचार प्रकट किये। अगले दिन ७ मई को अतुलचन्द्र घोष के नेतृत्व में ९६५ सत्याग्रही डालहौजी स्क्वायर में संयुक्त बंग-बिहार प्रस्ताव के विरोध में धारा १४४ अमान्य करते हुए जेल गये।[२८]

मानभूम लोकसेवक संघ का बंग सत्याग्रह की तरह ही बंग-बिहार संयुक्ति के विरोध में एवं बिहार के बांगला भाषा बोलने वाले इलाकों को बंगाल के अंतर्गत करने की मांग लेकर धलभूम मुक्ति परिषद के नेतृत्व में १७५ सत्याग्रही पैदल चलकर कलकत्ता पहुंचे थे। हाजरा पाक्र में उनके सम्मान में आयोजित विराट जनसभा में उन्हें सम्बोधित किया गया सभा में बंग-बिहार संयुक्ति के विरोध में धलभूम मुक्ति परिषद के नेता श्री बंकिम चन्द्र चक्रवर्ती एवं किशोरी मोहन उपाध्याय के साथ-साथ नाट्याचार्य शिशिर कुमार भादुड़ी, हेमेन्द्रनाथ दास गुप्ता ने भी अपना अपना उद्गार प्रकट किया था।[२९]

बंग-बिहार संयुक्ति को पश्चिम बंगाल निवासी जब किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए तब इस प्रस्ताव के भविष्य पर विचार विमर्श हेतु विधान चन्द्र राय नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद एवं पंडित पंत से मिले। गोविन्द बल्लभ पंत ने विधान चन्द्र को आश्वस्त करते हुए कहा था कि यदि बंग-बिहार संयुक्ति प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ तो राज्य पुनर्गठन कमीशन की सिफारिश से बिहार स्थित बांगला भाषा बोलने वाले इलाकों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।[३०]

इन सुझावों के मद्देनज़र विधानचन्द्र राय ने बिहार के मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा को एक पत्र लिखकर बताया कि पश्चिम बंगाल के हर वर्ग की जनता बंग-बिहार संयुक्ति के विरूद्ध है साथ ही उन्होंने यह आग्रह भी किया कि राज्य पुनर्गठन कमीशन की सिफारिश के अनुसार बिहार व पश्चिम बंगाल की सीमा पुनर्गठन को बिहार की सरकार मान ले।

संयुक्तिकरण प्रस्ताव रद्द बिहार का दृष्टिकोण : विधानचन्द्र राय ने वामपंथी आन्दोलन के दवाब तथा बंगाल की जनता की मांग को अग्राधिकार देते हुए बंगाल-बिहार सीमा पुनर्गठन को मान लिया था। ३ मई १९६५ को पश्चिम बंगाल के मंत्रीमण्डल के साथ विमर्ष के पश्चात उन्होंने बंग-बिहार संयुक्ति प्रस्ताव रद्द करने की घोषणा की, मगर यह निर्णय से पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श नहीं किया था।[३१]

बंगाल-बिहार संयुक्ति प्रस्ताव के रद्द होने से बिहार की जनता की आशा भंग हुई थी उनमें क्षोभ का संचार हुआ। उन्होंने इसे दुर्भाग्यजनक माना, रामलक्ष्मण सिंह यादव ने कहा था कि विधानचन्द्र राय से यह उम्मीद नहीं थी उन्होंने विश्वासघात किया है। बिहार के रेविन्यू मंत्री कृष्ण बल्लीा सहाय ने घोषणा की थी कि बिहार का कोई भी हिस्सा वे पश्चिम बंगाल को नहीं देंगे। यदि केन्द्र सरकार बिहार का कोई भी हिस्सा पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित करना चाहे तो बिहार किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा।

संयुक्त प्रस्ताव रद्द होने के बाद विधानचन्द्र राय ने पश्चिम बंगाल की जनता की मांग पूरी करने के लिए बिहार से बागंला भाषा बोलने वाले इलाकों को अपने अंतर्गत करने की मांग की।

विधान राय की यह मांग फिर से बिहारी जनता के क्षोभ का कारण बनी। फलस्वरूप बिहार में घोर बंगाली विरोध का कारण बन गया था। उनकी यह एक ही राय थी किसी भी कारण से पश्चिम बंगाल को एक इंच जमीन भी नहीं दी जायेगी।

दूसरी ओर बंग-बिहार संयुक्ति प्रस्ताव रद्द करने के निर्णय से पश्चिम बंगाल में खुशी की लहर दौड़ गई थी ज्योति बसु ने कहा था कि यह हमारी ही जीत है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद हमें बिहार से बंग भाषी इलाकों को बंगाल के अंतर्गत करने की मांग करके आन्दोलन करना होगा।[३२]

बंग-बिहार भूमी हस्तान्तरण कानून (रूपायन) आन्दोलन : उपयुक्त स्थिति में २२ जुलाई १९५६ को सहकारी स्वराष्ट्र मंत्री बी.एन. डाटर ने लोकसभा में पश्चिम बंगाल एवं बिहार भूमि हस्तानंतरण बिल पेश किया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार बिहार से जिनती जमीन मांगी थी उसे घटाकर राज्य पुनर्गठन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल को २५०० वर्ग मील जमीन देने का प्रस्ताव रखा। यह इलाका भाषा, संस्कृति एवं इतिहास के आधार पर पश्चिम बंगाल के साथ काफी कुछ मिलता जुलता था। बिहार जैसा राज्य जो सम्राट अशोक जैसे महान संत, राजेन्द्र प्रसाद जैसे महान नेता की जन्मभूमि रही है। वहां के लोग इस प्रस्ताव का विरोध कतई नहीं करेंगे।[३३]

हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था कि भाषा की बहुतता को आधार बनाया जाये तो बिहार के बांगला भाषा-भाषी इलाकों को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत होना चाहिए।

रामस्वामी मुदालीयर ने कहा कि आजादी के लिये बंगाल खण्डित हुआ था। इसीलिए पश्चिम बंगाल पर विपत्ति का कहर टूट पड़ा है। अतः विस्थापन की समस्या समाधान के लिए पश्चिम बंगाल ने बिहार से जिन इलाकों को मांगा है वह उसे दे दिया जाये। परन्तु बिहार के जसपाल सिंह, एम.पी. मिश्रा, बी.एन. तिवारी आदि ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि वे पश्चिम बंगाल से कोई भी जमीन हस्तानांतरण के विरोधी है।[३४]

एस.सी. चटर्जी, हिरेन मुखर्जी, चेतन माझी, निर्मल चट्टोपाध्याय, मजहरि महतो आदि की वाद विवाद के पश्चात १७ अगस्त १९५६ को लोक सभा में बंगाल-बिहार सीमा निर्धारण बिल पारित हो गया। २२ अगस्त लोक सभा में पारित यह बिल राज्य सभा में पेश किया गया। बिहार के दो सदस्य आर.पी. सिंह एवं टी बोरदा के विरोध के बावजूद २२-२ वोटों से यह बिल स्वीकृत हो गया। भूपेश गुप्ता एवं मान्यता बी.बी. घोष का प्रस्ताव ग्रहण नहीं हुआ, राज्य सभा के सदस्य के.पी. सिंह ने कहा अब बंगाल तथा बिहार के निवासी आपस में मित्र की तरह निवास करने का निर्णय ले लें।

बंग बिहार भूमी हस्तांतरण बिल लोक सभा तथा राज्य सभा में पास हो जाने पर बिहार से मानभूम जिले का २४०६ वर्गमील एवं पुर्णिया जिला से ७६० वर्गमील जमीन पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दी गयी। १ नवम्बर १९५६ में यह जमीन पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गयी।

सन्दर्भ

1. Memorandum submitted to the States Reorganisation Commission by the West Bengal Pradesh Congress Committee, Calcutta, 1954, p.1.
2. The Bihar and West Bengal (Transfor of Territories) Bill, New Delhi, 1956, p. 6.
3. Ibid.
4. Memorandum Submitted to the states Reorganisation Commission by Bihari Association, Patna, 1954, p. 124.
5. Ibid. p. 70
6. Ibid. p. 116
7. Ibid. p. 60
8. Ibid. p. 166
9. Ibid. p. 258
10. Ibid. pp. 207-208
11. Report of the States Reorganisation Commission, Delhi, 1955.
12. The Statesman, January 24, 1956.
13. आनन्द बाजार पत्रिका, २४ जनवरी, १९५६
14. Statesman, February 1, 1956.
15. The Statesman, January 28, 1986.
16. The Statesman, February 1, 1956.
17. The Statesman, February 26, 1956.
18. आनन्द बाजार पत्रिका, २५ फरवरी, १९५६
19. The Statesman, February 26, 1956.
20. पश्चिम बंगाल, पुरूलिया जिला संख्या तत्थ व संस्कृति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जून २००७, पृ. २०२
21. युगान्तर, ६ फरवरी, १९५६
22. आनन्द बाजार पत्रिका, २५ फरवरी, १९५६
23. The Statesman, February 26, 1956.
24. आनन्द बाजार पत्रिका, २८ जनवरी, १९५६
25. युगान्तर, २४ जनवरी, १९५६
26. The Statesman, February 29, 1956.
27. आनन्द बाजार पत्रिका, ८ मई, १९५६
28. युगान्तर, ८ मई, १९५६
29. The Statesman, May 5, 1956.
30. The Statesman, March 26, 1956.
31. The Statesman, May 4, 1956.
32. आनन्द बाजार पत्रिका, ४ मई, १९५६
33. The Statesman, 26 July, 1956.
34. The Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Bill, New Delhi 1956.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

अहिच्छत्र से प्राप्त मैत्रेय मूर्तियां

❑ **सरोज कुमारी**

छठी शताब्दी ईसा पूर्व समाज में पुरातन रूढ़ि परम्परा के विरोध में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक सम्प्रदाओं का उदय हुआ जिसमें से एक बौद्ध धर्म भी था जिसने भारतीय मिट्टी में जन्म लेकर विभिन्न देश विदेशों और अनेक सभ्यताओं तक अपना प्रचार प्रसार किया है। बौद्ध धर्म के मूल उद्देश्य सत्य, अहिंसा, प्रेम हर युग में मानवीय विकास की मूल आवश्यकता रही है। बुद्ध की विभिन्न मूर्तियों में, जो किसी भी काल से सम्बन्ध रखती है, बुद्ध को एक महान शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य समाज को अशिक्षा, अज्ञानता से मुक्त कर ज्ञान के पथ पर अग्रसर करना है ताकि मानव समाज का सर्वांगिण विकास हो सके। वर्तमान समय की समस्याओं जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, भ्रष्टता आदि के निवारण में भी बौद्ध धर्म एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत की ही नही बल्कि विश्व मे फैली असंख्य समस्याओं के निवारण का यह एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है और बोधिसत्व के रूप में मैत्रेय की कल्पना के मूल में यही कारण अन्तर्निहित रहा होगा।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व समाज में पुरातन रूढ़ि परम्परा के विरोध में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक सम्प्रदाओं का उदय हुआ जिसमे से एक बौद्ध धर्म भी था जिसने भारतीय मिट्टी में जन्म लेकर विभिन्न देश विदेशों और अनेक सभ्यताओं तक अपना प्रचार प्रसार किया है। बौद्ध धर्म के मूल उद्देश्य सत्य, अहिंसा, प्रेम हर युग में मानवीय विकास की मूल आवश्यकता रही है। इसी समय भारत में छोटे–छोटे जन महाजनपदों का रूप ले रहे थे। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय (बौद्ध साहित्य) में १६ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इनमे से एक महत्तवपूर्ण जनपद पंचाल जनपद था। छठी शताब्दी ई०पू० के एक प्रमुख जनपद के रूप में प्रतिष्ठित होने के काफी पहले ही पंचाल ने भारत के राजनैतिक इतिहास मे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। पूर्व वैदिक काल के संचरणशील जनों के पारस्परिक सम्मिलन और इस सम्मिलन मे क्षेत्रीयता का जो तत्व संयुक्त हुआ उसके परिणामस्वरूप जन राज्यों का जनपद राज्यों में रूपांतरण हुआ। इस प्रकार के रूपांतरण का एक उदाहरण था पंचाल जनपद। रूपांतरण की इस विकासमूलक प्रक्रिया में जनपद को भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध कर दिया, किन्तु राजनितिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होने वाले साम्राज्यवादी विस्तार के कारण ये भौगोलिक सीमाएं परिवर्तित होती रहती थीं। इस परिवर्तन की दौड़ के कारण जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की स्थिति प्राप्त करने वाले पंचाल की सीमाएं भी स्थिर न रह सकीं। इसी कारणवश अलग–अलग कालो में लिखे गये अलग–अलग ग्रंथों में पंचाल की भौगोलिक स्थिति का अलग–अलग विवरण मिलता है। ऋग्वेद पंचाल की भौगोलिक स्थिति के बारे में मौन है। ऋग्वेद में पंचाल के अनुल्लेख का कारण संभवतः तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्येक जन की अपनी एक अलग इकाई थी। इन जनों के स्थायी न होने के कारण भौगोलिक क्षेत्र के विषय में कुछ भी कहना दुष्कर है। इसमे से कुछ जनों ने अपने सैन्यबलों के कारण अन्य जनों की अपेक्षा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इनमे से प्रमुख थे–पुरु, तुर्वसु, यदु, द्रुह्यु, भरत, त्रित्सु, कृवि आदि। इसमे से कृवि का सम्बन्ध पश्चात कालीन पंचाल के साथ वैदिक ग्रन्थ स्थापित करते हैं जो ऋग्वेद में एक उल्लेख के अनुसार सिंधु और अस्किनी (चिनाब) के तट के निवासी थे। शतपथ ब्राह्मण[1] एक स्थान पर अत्यंत स्पष्ट शब्दों मे पंचाल का सम्बन्ध कृवि से स्थापित करते हुए बताता है कि पंचालों को प्राचीन काल में ''कृवि''[2] कहा जाता है उत्तर वैदिक काल के ग्रन्थों में पंचाल और उनके निवासियों का अनेकशः उल्लेख हुआ है। इसमे यजुर्वेद के कुछ संस्करणों में पंचाल क्षेत्र और वहां के निवासियों का उल्लेख प्राप्त होता है। वाजपेयी संहिता और काठक संहिता में एक स्थान पर केशिन दाल्भ्य के कुछ धार्मिक अनुष्ठानिक कृत्यों के परिणामस्वरूप पंचाल के तीन भागों में विभाजित होने की चर्चा मिलती है परन्तु भौगोलिक स्थिति कहीं चर्चा में नही है।

बुद्ध काल तक आते–आते पंचाल की गणना उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों मे होने लगी। इस समय इसका क्षेत्र विस्तार दक्षिण में चर्मणवती नदी से उत्तर में हिमालय तक था पश्चिम में कुरू राज्य की सीमा पूर्व में कोशल राज्य की सीमा तक

❑ शोध अध्येत्री, डा० शकुन्तला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय., लखनऊ (उ.प्र.)

विस्तृत थी।[3] उसके पश्चिमोत्तर भाग में कुरू राज्य और दक्षिण पूर्व में वत्स राज्य स्थित था। भागीरथी पंचाल जनपद को दो भागों में विभक्त करती है।[4] उत्तरी पंचाल एवं दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'अहिच्छत्र' शब्द 'अहि' एवं 'छत्र' शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ है अहि(सर्प)+छत्र(फन) अर्थात् सर्पो द्वारा रक्षित क्षेत्र। जैन ग्रन्थ विविधतीर्थकल्प के अनुसार अहिच्छत्र का प्राचीन नाम संख्यावती था[5]। हरिवंश में इसका नाम अहिक्षत्र[6] बताता है जबकि अष्टाध्यायी[7] एवं पतंजलि के महाभाष्य[8] एवं योगिनीतंत्र[9] मे इसका अहिच्छत्र के नाम से उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ विविधतीर्थकल्प के अनुसार अहिच्छत्र का प्राचीन नाम संखावती था।[10] विविधतीर्थकल्प में ही अहिच्छत्र नामकरण के सम्बन्ध में एक रोचक विवरण मिलता है। उनके अनुसार जैन धर्म के तेईसवें तीर्थांकर पार्श्वनाथ यहां तपस्यारत थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से कमठ नामक दैत्य द्वारा भारी वर्षा करने से पार्श्वनाथ आकंठ जनमग्न हो गये तब उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से नागराज अपनी रानियों सहित वहां आयें और उन्होनें अपने हजारों फनों से उनके सिर पर छत्र बनाकर वर्षा से उनकी रक्षा की तथा उनके शरीर के चारों ओर से कुंडली मारकर लपेट लिया जिससे इस क्षेत्र का नाम अहिच्छत्र पड़ गया।[11] एक अन्य स्थानीय परम्परा के अनुसार इस नगर के नामकरण के विषय में विवरण मिलता है कि एक बार गुरू द्रोण ने ''अदि'' नामक अहीर की रक्षा एक नाग द्वारा फन फैलाकर करते देखा यह देखकर गुरू द्रोण ने भविष्यवाणी की कि यह ''अदि'' इस क्षेत्र का संप्रभु शासक होगा। इस अदि के विषय में ऐसा समझा जाता कि अदि प्रारम्भ में द्रोण का सेवक था तथा महाभारत युद्ध में द्रोण की मृत्यु व अश्वस्थामा के लापता हो जाने के पश्चात् वह इस क्षेत्र का स्वामी बन गया तथा काफी समय तक इसी ''राजा अदि'' के उत्तराधिकारियों ने यहां शासन किया। राजा अदि द्वारा निर्मित जिला बरेली जिले के रामनगर गांव में टीले के रूप में फैला हुआ है इस क्षेत्र को राजा अदि के अधीन होने के कारण अदिक्षेत्र अथवा सर्प द्वारा रक्षित होने के कारण ''अहिच्छत्र'' भी कहा गया।[12] चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इस क्षेत्र को औ-इ-ची-ता-लो कहा है।

विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में पंचाल बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केन्द्र होने की जानकारी मिलती है, जैसे ह्वेन सांग के यात्रा विवरण बौद्ध साहित्य श्रोत, जैन साहित्य श्रोत्र आदि। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध त्रयास्त्रिक्ष लोक से संकिसा नगर में ही उतरे थे[13]।

साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त अहिच्छत्र से पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। पुरातत्व के आधार पर सर्वप्रथम इस क्षेत्र(पंचाल) का इतिहास जानने का प्रयास १८१६ मे अलैक्जण्डर कनिंघम ने किया[14]। इसके पश्चात १८८८ में रामपुर के सदर-ऊ-दीन ने जो रामनगर के जमींदार थे पंचाल के अहिच्छत्र नगर के टीले का उत्खनन कार्य सम्पन्न किया जो कि कनिंघम के अनुसार कभी बौद्ध विहार था[15]।

सन १९४० मे अहिच्छत्र उत्खनन के दौरान अनेक बौद्ध बिहार एवं मूर्तियां प्राप्त हुयी हैं। अहिच्छत्र से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मैत्रेय की मूर्ति प्राप्त हुयी है[16]। इसी प्रकार कुषाणकालीन साढ़े छब्बीस इंच ऊंची मैत्रेय की खड़ी मुद्रा मे मूर्ति प्राप्त हुयी है जिसमे ब्राह्मी लिपि मे लेख उत्कीर्ण है। कला की दृष्टि से यह मूर्तियां कुषाणकालीन मथुरा कला से साम्य रखती हैं।

मैत्रेय संस्कृत शब्द मैत्री से लिया गया है जिसका अर्थ दया और प्रेम से लगाया जाता है, मैत्रेय का एक अर्थ मित्र से भी है। बौद्ध परम्परा के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य मे पृथ्वी पर दिखाई देंगे, जो पूर्ण ज्ञान और शुद्ध धर्म सिखाने आयेंगे।

मैत्रेय की भविष्यवाणी का उल्लेख ''मैत्रेयाव्याकर्ना'' में है, इससे संकेत मिलता है कि वह ध्यान के एक शिक्षक हैं। महायान बौद्ध मे अर्हत के स्थान पर बोधिसत्व की परिकल्पना की गयी है जो व्यक्तिगत निर्वाण के लिए लालायित नही होते बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बारम्बार जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मैत्रेय अपनी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप एक पवित्र नेतृत्व करेंगे जिससे सभी दुख से मुक्त हो जाएगे।

अहिच्छत्र से प्राप्त मूर्ति में मैत्रेय को खड़ी मुद्रा में दिखया गया है। एक बोधिसत्व के रूप वह आम तौर पर खड़े है, भिक्षुओं के वस्त्र धारण किये होते हैं या भारतीय राजोचित वस्त्र धारण किए होते है। सामान्यतया वह या तो धरती पर बैठे हुए या एक सिंहासन पर बैठे अपने समय का इन्तजार कर रहे होते हैं।

मैत्रेय मूर्ति की प्रमुख विशेषता है- मूर्ति का भारीपन तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उपर उठा होना। इस मूर्ति के गले एवं कमर में वस्त्र भी लिपटा हुआ प्रतीत होता है[17]।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की एक अन्य मूर्ति भी प्राप्त हुयी है जो भी लाल बालूदार पत्थर से निर्मित है। इस पूर्व कुषाण

कालीन मूर्ति में बुद्ध बैठी हुई मुद्रा में है जिसके पीछे बोधिवृक्ष का चित्र अंकित है[१८]। कुषाणकालीन कला में बैठी हुई बुद्ध मूर्ति का आधार कदाचित भरहुत कला में दिखाई पड़ने वाली दीर्घ तापसी की मूर्ति है। कुछ विद्वान उनका आधार उन तीर्थंकर प्रतिमाओं को मानते हैं जिनका अंकन जैन आयाग पट्टों पर हुआ है।

१६५१ मे अहिच्छत्र से उत्खनन के दौरान महात्मा बुद्ध की दो अन्य मूर्तियां भी प्रकाश मे आई हैं। इन दोनों मूर्तियों को देखने से प्रतीत होता है कि यह दोनों ही कुषाणकालीन हैं व इनकी बनावट के आधार पर इनकी तुलना उन बुद्ध मूर्तियों से की जा सकती जो कटरा (मथुरा, उ०प्र०) से प्राप्त हुई है[१६]। इन मूर्तियों में बुद्ध को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है और बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा मे है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतीक भी दृष्टिगोचर होते है जिनमे चक्र, त्रिरत्न, उर्ण विशेष हैं। इन दोनो मूर्तियों के आस-पास दो सेवक भी दिखाए गये है मूर्ति मे उपर उड़ती दो आकृतियां अंकित है जो सम्भवतः पुष्प वृष्टि कर रही है[२०]। प्रारम्भिक चरण मे बुद्ध की पूजा प्रतीक चिन्हों के माध्यम से होती थी परन्तु प्रथम सदी में इन प्रतीकों के साथ बुद्ध प्रतिमा बनने लगी। कुषाणकालीन मूर्तियों को वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा आदि मे दिखाया गया है[२१]।

छठी-सातवी शताब्दी ईसवी से सम्बन्धित दो मृण्मूर्तियां रामनगर से प्रकाश मे आयी हैं जिनमे एक मे बुद्ध को पद्मासन मुद्रा मे दिखाया गया है तथा दूसरी मूर्ति बुद्ध को अभय मुद्रा मे खड़े हुए दिखाया गया है। इन दोनो मूर्तियों के कंधो पर संघाटि दिखाया गया है। पद्मासन मे बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मे एक सेवक को चंवर हिलाते दिखाया गया है। कुषाण कालीन महात्मा बुद्ध की एक चौकोर प्रतिमा के ठीकरे पर बुद्ध का नाम अंकित है व मुख के पीछे चारो ओर प्रभामण्डल है।[२२] इन मूर्तियों के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन दृश्य से सम्बन्धित शिलापट्ट भी प्रकाश मे आए हैं। एक शिलापट्ट पर बुद्ध के जन्म, तपस्या, धर्म चक्र प्रवर्तन एवं महा परिनिर्माण के दृष्यों का अंकन किया गया है। यह शिलापट्ट लेख विहीन है।[२३] यह मनोरम प्रतिमा दो बार जापान प्रदर्शनी मे राज्य संग्रहालय लखनऊ द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अहिच्छत्र से ज्ञात बौद्ध बिहार के एक ठीकरे पर शिखर मंदिर की प्रतिकृति अंकित है जिसमे बुद्ध का प्रतीक भद्रासन स्थापित है।[२४]

विदेशी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार अहिच्छत्र राजमार्ग पर स्थित था बौद्ध ग्रन्थ महाबग्ग में ब्रह्मदत्त यहां का शासक था जो एक बुरे शासक के रूप में उल्लेखित किया गया।[२५] जिसका कारण सम्भवतः ब्रह्मदत्त चूलनी का बौद्ध धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहा होगा। चूलनी ने बौद्ध धर्म को कोई प्रोत्साहन नही दिया था। आगे चलकर सम्राट हर्ष ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया जिससे कि पंचाल का कन्नौज नगर बौद्ध धर्म की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा।

अहिच्छत्र के उत्खनन से एक महत्वपूर्ण टीला प्रकाश में आया है जो बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है। यह टीला लगभग १००० वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस विशाल टीले के भव्य ईटों से निर्मित एवं बड़ा स्तूप खड़ा है जिसे स्थानीय लोग "छत्र" कहते हैं।[२६] कनिंघम ने इस टीले के मध्य स्तूप को देखकर यह सम्भवना व्यक्त की है कि यह वही स्तूप है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था तथा जिसका उल्लेख ह्वेन सांग ने किया है। पंचाल जनपद से प्राप्त अनेक मुद्रांक पंचाल मे बौद्ध विहारों की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार से मुद्रांक बरेली के 'रहटुइया' एवं अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं और इस समय हरियाणा के संग्रहालय मे सुरक्षित हैं इसमे से एक मुद्रांक पर "सुधर्म्ममहाविहार" लेख उत्कीर्ण है। इस लेख के उपर गुल्मलताओं में त्रिशूल का चित्र अंकित है। यह मुद्रा पंचाल में बौद्ध के सुधर्म्महाविहार के अस्तित्व का संकेत देती है।[२७] इसी प्रकार अन्य मुद्रांक में "स्थावरस्या" एवं "हरनकरविहारेसंघम" लेख उत्कीर्ण है।[२८] जो इन नामो के पंचाल में बौद्ध विहार होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार विभिन्न नाम वाले विहारों के अवशेष आज भी टीलों के रूप में अहिच्छत्र नगर में देखे जा सकते हैं। इन विहारों के चारो ओर आवासीय एवं बहुमंजिले कमरे भी बने हुए थे जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः इन बौद्ध विहारों में भिक्षु निवास करते थे।[२६] अहिच्छत्र के रामनगर से एक लेख युक्त यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुयी है जिस पर द्वितीय शताब्दी ई० की ब्राह्मी लेख को अहिच्छत्र में स्थित "फरगुल बौद्ध विहार" का उल्लेख मिलता है।[३०] वर्तमान में यह प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। इस प्रकार आज भी विभिन्न नाम वाले विहारों के अवशेष टीले के रूप में अहिच्छत्र में देखे जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने समाज की परम्परागत रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए जिन नये विचारों को जन्म दिया उन नये विचारों ने समाज मे उन्नत गतिशीलता ला दी। यह विचार बौद्ध धर्म से सम्बन्धित विभिन्न कलाओं में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं।

बौद्ध धर्म की मूर्तियों में सत्य, अहिंसा, करूणा, दया, प्रेम जैसी भावनाओं का सफल उत्कीर्णन हुआ है जो इन मूर्तियों का आधार स्तम्भ है। ध्यान की विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठकर किया जाने वाला ध्यान अहिच्छत्र की मूर्तियों में अधिक

दिखाई देता है।

यह धर्म दुःख एवं उसके निवारण की बात करता है। बुद्ध की विभिन्न मूर्तियों में, जो किसी भी काल से सम्बन्ध रखती है, बुद्ध को एक महान शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य समाज को अशिक्षा, अज्ञानता से मुक्त कर ज्ञान के पथ पर अग्रसर करना है ताकि मानव समाज का सर्वांगिण विकास हो सके। वर्तमान समय की समस्याओं जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, भ्रष्टता आदि के निवारण में भी बौद्ध धर्म एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत की ही नही बल्कि विश्व मे फैली असंख्य समस्याओं के निवारण का यह एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है और बोधिसत्व के रूप में मैत्रेय की कल्पना के मूल में यही कारण अन्तर्निहित रहा होगा।

सन्दर्भ

१. शतपथ ब्राह्मण १३.५.४.७
२. मैकडानस, ए.ए. एवं कीथ, ए.बी., 'वैदिक इण्डेक्स भाग-१' पृ० ४६८-४६६ उद्धृत शशिबाला पाल''पंचाल'' अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, २०००, पृ० १६
३. द्विवेदी, कैलाशनाथ, 'पंचाल का ऐतिहासिक भूगोल' पंचाल शोध संस्थान, कानपुर, १६८८ पृ० २८
४. उपाध्याय, भगत सिंह 'बुद्धकालीन भारतीय भूगोल' पृ० ४१२-४१३, भलाल शेखर, ''डिक्सनरी ऑव पाली प्रापर नेम्स'' पंचाल, उत्तर पंचाल उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० १६
५. विविधतीर्थकल्प पृ. १४
६. श्रीमाली, के०एम० 'हिस्ट्री आफ पांचाल' भाग-१ पृ० २१ उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० २४
७. तदैव
८. कीलहार्न 'द व्याकरण महाभाष्य ऑव पतंजलि', ११, पृ० २३३, उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० २४
६. योगिनीतंत्र, २/४ पृ० १२८-१२६
१०. विविधतीर्थकल्प पृ१४
११. लॉ, बी.सी. 'हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑव एंसिएण्ट इण्डिया' द्वितीय संस्करण फ्रांस १६६७ पृ० ७२
१२. पाल, शशि बाला पूर्वोक्त पृ० २४
१३. श्रीमाली, के.एम. पूर्वोद्धत पृ० १२४ उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० १४७
१४. आर्क्रियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, बाई कनिंघम, १, पृ० २५७ एफ.एफ. उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० २७
१५. पाल, शशि बाला 'पंचाल' अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, २०००, प्रथम संस्करण, पृ० २८
१६. वर्तमान मे यह मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली मे सुरक्षित हैं
१७. उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० १४७
१८. उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० १४७
१६. तदैव यह दोनो मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली मे सुरक्षित हैं
२०. उद्धृत शशिबाला पाल पूर्वोक्त, पृ० १४८
२१. तदैव पृ० १४८
२२. तदैव पृ० १४८
२३. तदैव पृ० १४८
२४. तदैव पृ० १४८
२५. तदैव पृ० १४८
२६. तदैव पृ० १४८
२७. तदैव पृ० १४८
२८. तदैव पृ० १४८
२६. तदैव पृ० १४८
३०. तदैव पृ० १४८

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

आरक्षण के लाभार्थी परिवारों की परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ रामसिंग उईके

स्वतंत्रोपरांत अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उनके विकास हेतु संविधान में आरक्षण व्यवस्था के प्रावधान के साथ-साथ अन्य अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए गये हैं। अनुसूचित जातीय कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में अवश्यमेव परिवर्तन हुआ है। अनेकानेक शोध अध्येताओं के अध्ययन निष्कर्षों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त लाभार्थी परिवारों की परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने एवं इसकी प्रगति के लिए समाज के सभी लोगों, जातियों, वर्गो, पन्थ एवं सम्प्रदायों आदि को एक साथ अर्थात् एक ही धारा में लाने की आवश्यकता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता हैं कि जब समाज का एक समूह या जाति अलग-थलग होता है तब सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रह सकती एवं उसकी मनोवांछित प्रगति सम्भव नहीं हो पाती है।

भारतीय समाज व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही अनेक जाति समूहों में विभाजित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था का परिमार्जन जिस आधार पर भारतीय विद्वानों ने किया था उसमें अनेक विकृतियॉ आयीं तथा जिस वर्ण व्यवस्था का आधार 'कर्म' था, उत्तर वैदिक काल तथा उसके बाद वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गयी। जाति व्यवस्था में जिस वर्ण को सेवा के लिए नियुक्ति किया गया था उन्हें शुद्र की श्रेणी में रखा गया। वर्ण व्यवस्था जब जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई उसके बाद उनका अधिक शोषण हुआ, और समाज द्वारा उन्हें सबसे निम्न पायदान पर स्थित कर दिया गया।"[1] स्वतंत्रता के पूर्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी आदि के द्वारा उनकी स्थिति में सुधार के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये गये। स्वतंत्रता के बाद इन्हीं प्रयासों के प्रतिफल स्वरुप भारतीय संविधान में निम्न जातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारी नौकरी आदि में कुछ स्थान आरक्षित रखे गये हैं।

भारत में स्वतंत्रता के पूर्व से ही कई रियासतों के एक बड़े क्षेत्र में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की शुरूआत हुई है। इसकी शुरूआत महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने की थी। इन्होंने पिछड़े वर्गो से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण प्रारंभ किया था। कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गो को अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए नौकरियों में आरक्षण देने की अधिसूचना सन् १९०२ में जारी की गई थी। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गो के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। तब से आरक्षण की शुरूआत हुई है, परन्तु उस समय दलित वर्गो की पहचान करना कोई आसान कार्य नहीं था। इसके अलावा अलगाव और अस्पृश्यता की प्रथा भारत के दक्षिणी भागों में अधिक प्रचलित रही और उत्तरी भारत में अधिक फैली हुई थी। इस तरह की समस्या को हल करने के लिए पिछड़े वर्गो का आन्दोलन भी सबसे पहले दक्षिण भारत से ही प्रारंभ हुआ इस आन्दोलन में कुछ समाज सुधारकों के सतत् प्रयासों से उच्च वर्ग द्वारा अपने और अछूतों के बीच बनायी गयी दीवार को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयास लगातार होते रहे हैं। इन समाज सुधारकों में रेन्ता मलई, ई. रामास्वमी पेरियार, अयोधीदास पंडित, छत्रपति साहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आदि थे।

इन समाज सुधाराको के सतत् प्रयासों व इनकी विभिन्न विचारधाराओं से लोगों पर गहरा असर पड़ा। वैसे तो आरक्षण की शुरूआत कुछ देशी रियासतों में पहले से चलती आ रही थी किन्तु जैसे-जैसे अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाते गये वैसे-वैसे आरक्षण को बनाये रखने के लिए भी कई तरह की नीतियों को लागू किया। जिसमें से एक अंग्रेज प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने सन् १९३२ में साम्प्रदायिक पंचाट संसद में प्रस्तुत किया था इसका समर्थन डॉ. अम्बेडकर ने किया और इन्होंने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों में आरक्षण की मांग किया तो महात्मा गाँधी ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा

❑ शोध अध्येता, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)

कि इससे हिन्दू समुदाय विभाजित हो जायेगा। इस बात को लेकर महात्मा गाँधी और डॉक्‌ अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता हुआ। जिसमें दलित वर्ग के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया और भारत सरकार अधिनियम १९३५ में आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं ।

इसी अधिनियम को आधार बनाते हुए संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ही कालान्तर में पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए भी विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया हैं । प्रस्तुत शोध पत्र आरक्षण प्राप्त सामाजिक परिवर्तन लाभार्थियों की परिवर्तित स्थिति पर आधारित हैं

स्वतंत्रोपरांत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आरक्षण के प्रावधान तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अनेकानेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनकी समाजार्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के संबंध में अनेक आनुभाविक अध्ययन सम्पन्न किए गए हैं। इस संबंध में सच्चिदानंद[२] का अध्ययन 'स्टडीज ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स विद स्पेशल रिफरेन्स टु चेन्ज' तथा सुनन्दा पटवर्द्धन[३] का अध्ययन 'चेन्ज एण्ड मोबिलिटी अमंग इंडियाज हरिजन्स' अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो अनुसूचित जातियों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। मनोज कुमार[४] ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में, रोजगार के अवसर प्राप्त करने तथा इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। स्मृति गौरव[५] अपने आनुभविक अध्ययन में कहती हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से इन जातियों की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु उच्च जातियों की तुलना में वे अभी भी काफी पिछड़ी हैं। मिश्रा[६] ने इनकी परिवर्तित स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर दलित गैर दलितों के साथ बैठते हैं तथा बस एवं रेल में सफर करते हैं। उच्च जातियों के लोगों के साथ होटल भी जाते हैं तथा कुछ दलितों ने चाय की दुकान खोल रखी है जिसमें सभी जाति एवं धर्मों के लोग सामान्यय तौर पर आते हैं। होटल में सभी इनके द्वारा पानी तथा चाय ग्रहण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक व्यवस्थाओं के स्वरूप अनुसूचित जातियों की स्थिति में बदलाव आ रहा है। प्रस्तुत अध्ययन आरक्षण प्राप्त लाभार्थियों के परिवारों की परिवर्तित सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्यः

१. आरक्षण प्राप्त परिवारों की परिवर्तित सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

२. आरक्षण प्राप्त परिवारों को हुए लाभ एवं हानि का अध्‍ययन करना।

उपकल्पनाः

१. आरक्षण प्राप्त लाभार्थियों की परिवर्तित सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ।

२. आरक्षण प्राप्त लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

शोध प्रारूपः प्रस्तुत शोध में व्याख्यात्मक शोध प्रारूप को लिया गया हैं। अध्ययन मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद की चिचौली तहसील की ग्राम पंचायत पाटाखेड़ा पर आधारित है। गांव पंचायत में आरक्षण से लाभान्वित परिवारों में से सविचारपूर्ण निदर्शन विधि की सहायता से २० परिवारों का चयन करते हुए २० उत्तरदाताओं को अध्ययन की इकाई बनाया गया। इन सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से तथ्यों का संकलन किया गया। कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों से भी विचार विमर्श के द्वारा जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है, ताकि उत्तरदाताओं से विश्वसनीय तथा व्यापक तथ्य प्राप्त किये जा सकें। प्रस्तुत शोध में इस बात का प्रत्यन किया गया है कि जो निष्कर्ष निकले वे व्यापक हों एवं उनसे घटनाओं का स्पष्टीकरण किया जा सके।

उपलब्धियाँ : अनुसूची एवं अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण विभिन्न तालिका के माध्यम से निम्नवत् किया गया है-

तालिका क्रमांक ०१

आरक्षण से प्राप्त नौकरीपेशा लोगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण का विवरण

समाज का दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छा	१७	८५
सामान्य	३	१५
योग	२०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक ८५ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि नौकरी मिलने के बाद समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति बहुत अच्छी हैं । वहीं दूसरी ओर १५ प्रतिशत उत्तरदाताओं को नौकरी मिलने के बाद भी समाज का दृष्टिकोण सामान्य ही मानते हैं अर्थात् नौकरी मिलने के बाद उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन नही आता हैं। अतः यह कहा जा सकता हैं कि आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त करने वालों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित होकर बहुत अच्छा हो जाता हैं ।

तालिका क्रमांक ०२
आरक्षण से प्राप्त नौकरी पेशा लोगों के परिवार की जीवनशैली का विवरण

जीवन शैली	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छी	१२	६०
अच्छी	६	३०
निम्न	२	१०
योग	२०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ६० प्रतिशत उत्तरदाता आपने परिवार की जीवन शैली को बहुत अच्छा बता रहे है। तो वही दूसरी ओर ३० प्रतिशत उत्तरदाता अच्छा बता रहे है लेकिन १० प्रतिशत उत्तरदाता अपने जीवन शैली को आज भी निम्न मानते हैं । अतः संकलित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि आज आरक्षण नीति से लाभार्थ परिवारों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक प्रस्थिति व परिवार की जीवन शैली में सुधार हो रहा है।

तालिका क्रमांक-०३
सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अन्य जाति के लोग आमंत्रित

उत्सव	संख्या	प्रतिशत
आते है	१५	७५
नहीं आते हैं	०५	२५
योग	२०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक ७५ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अन्य जाति के लोग आमंत्रित करने पर आते हैं परन्तु दूसरी ओर २५ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना हैं कि अन्य जाति के लोग कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने पर नहीं आते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य जाति के लोग के मानसिकता व व्यवहार में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा हैं और वे लोग निम्न, पिछडे वर्ग के सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आमंत्रित करने पर आते हैं।

तालिका क्रमांक-०४
पारिवारिक कार्यक्रमों में समाज के प्रतिष्ठित लोगों के शामिल होने की प्रवृति

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हॉ	१८	९०
नहीं	२	१०
योग	२०	१००

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक ९० प्रतिशत उत्तरदाता के पारिवारिक कार्यक्रमों में उनके समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। वही दूसरी ओर १० प्रतिशत उत्तरदाता के पारिवारिक कार्यक्रमों में उनके समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल नहीं होते है । अतः यह कह सकते है कि निम्न श्रेणी के पारिवारिक कार्यक्रमों में समाज के प्रतिष्ठित लोग अधिक से अधिक शामिल होते हैं ।

तालिका क्रमांक-०५
नौकरी प्राप्ति के बाद अन्य सदस्यों अपेक्षाएं

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हॉ	१६	८०
नहीं	४	२०
योग	२०	१००

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि ८० प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि नौकरी प्राप्त के बाद परिवार के अन्य सदस्य अपेक्षायें रखते हैं तो वहीं दूसरी ओर २० प्रतिशत उत्तरदाताओं मानना हैं कि नौकरी प्राप्त के बाद परिवार के अन्य सदस्य अपेक्षायें नहीं रखते हैं। अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि नौकरी प्राप्त के बाद परिवार के अन्य सदस्य अधिक से अधिक अपेक्षायें रखते हैं।

तालिका क्रमांक-०६
मकान की स्थिति का विवरण

स्थिति	नौकरी के पूर्व		नौकरी के बाद	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कच्चा मकान	२०	१००	५	२५
पक्का मकान	०	१००	१५	७५
कुल	२०		२०	१००

उपर्युक्त तालिका के विवरण से यह कहा जा सकता हैं कि नौकरी के पूर्व १०० प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे मकानों में ही रहते थें वहीं दूसरी ओर नौकरी के पूर्व उत्तरदाताओं की स्थिति अच्छी ना होने से पक्का मकान नहीं रहे हैं। परन्तु नौकरी के बाद ७५ प्रतिशत उत्तरदाता की स्थिति मजबूत होने से पक्का मकानों में निवास करने लागे किन्तु फिर भी २५ प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने से कच्चे मकानों में ही निवास करते है ।

तालिका क्रमांक-०७
बच्चों के स्कूल के चयन से सम्बन्धित विवरण

प्रकार	नौकरी के पूर्व		नौकरी के बाद	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकारी स्कूल	२०	१००	८	४०

निजी स्कूल	०	०	१२	६०
योग	२०	१००	२०	१००

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि १०० प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी के पूर्व सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे वही निजी स्कूल के लिए उनकी स्थिति अच्छी नही थी इस लिए निजी स्कूल नहीं भेज पाये। वही दूसरी ओर ४० प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी के बाद सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वही दूसरी ओर ६० प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी के बाद लाभान्वित परिवारों के बच्चे आज भी शासकीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं। ऐसे आरक्षण प्राप्त लाभार्थी के परिवारों की सामाजिक स्थिति अच्छी होने से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं। ४० प्रतिशत लाभान्वित परिवारों के बच्चे आज भी शासकीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जबकि ६० प्रतिशत लाभान्वित परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में अध्ययन कर रहे है। इससे स्पष्ट होता है कि आज ऐसे पिछड़े परिवारों के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

प्राप्त तथ्यों का विभिन्न तालिका के माध्यम से उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रस्तुत शोध की पहली उपकल्पना में क्रमशः तालिका क्रमांक एक, दो, तीन एवं चार से स्पष्ट है कि आरक्षण प्राप्त लाभार्थियों के प्रति तालिका क्रमांक के विवरण में समाज के अन्य सदस्यों सोच में उनके प्रति सकारात्मक परिवर्तन को ८५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। तालिका क्रमांक दो में ६० प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव को स्वीकार किया है। इसी प्रकार तालिका क्रमांक तीन में सबसे अधिक ७५ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अन्य जाति के लोग आमंत्रित करने पर आते हैं एवं तालिका क्रमांक चार में सबसे अधिक ६० प्रतिशत उत्तरदाता के पारिवारिक कार्यक्रमों में उनके समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते है अतः उपर्युक्त तालिका के विवरण स्पष्ट है कि आरक्षण प्राप्त परिवारों की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

इसी प्रकार क्रमशः तालिका क्रमांक पाँच, छः, एवं सात से उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति स्पष्ट होती है जो प्रस्तुत शोध की दूसरी उपकल्पना है। तालिका क्रमांक पॉच में ८० प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि नौकरी प्राप्त के बाद परिवार के अन्य सदस्य अपेक्षायें रखते है ये अपेक्षायें नौकरी प्राप्त करने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण है। तालिका क्रमांक छः से यह स्पष्ट है कि ७५ प्रतिशत उत्तरदाता के मकान आरक्षण से प्राप्त नौकरी के पश्चात् निर्मित हुए है जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार को दिखाता है। तालिका क्रमांक सात में ६० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है नौकरी के पूर्व वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों पढ़ने के लिए भेजते थे लेकिन प्राप्त करने उपरान्त अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने लगे। अतः संकलित तथ्यों के विश्लेषण से प्रस्तुत शोध की उपकल्पना सिद्ध होती है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता हैं कि समाज के अन्य सदस्यों के सोच में उनके प्रति सकारात्मक परिवर्तन हुआ तथा अपने परिवार के जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव को स्वीकार किया है। सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अन्य जाति के लोग आमंत्रित करने पर आते हैं और पारिवारिक कार्यक्रमों में उनके समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते है। नौकरी प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्य अपेक्षायें रखते है। आरक्षण से प्राप्त नौकरी के पश्चात् उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। नौकरी के पूर्व वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते थे लेकिन आरक्षण से नौकरी प्राप्त करने के उपरान्त अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने लगे। अतः स्पष्ट है कि आरक्षण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

संदर्भ

१. प्रसाद, अनिरूद्ध, 'आरक्षण सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक संतुलन', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, १९९१ पृ. ०३

२. सच्चिदानंद, 'स्टडीज ऑफ शिडयूल्ड कास्ट्स विद स्पेशल रिफरेन्स टु चेंज', दि सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी एण्ड सोशल एन्थ्रोपोलाजी, इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, न्यू देहली, १९७४

३. पटवर्द्धन सुनंदा, 'चेंज एण्ड मोविलिटी अमंग इडियाज हरिजन्स', साउथ एशिया बुक्स, १९७३

४. कुमार मनोज 'अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष १५ अंक १, जनवरी-जून २०१३, पृ. १४३

५. गौरव स्मृति, 'ग्रामीण क्षेत्र में अनूसूचित जातियों की समाजार्थिक स्थिति', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष १६ अंक २, जुलाई-दिसम्बर २०१४, पृ. १५६

६. मिश्रा नारायण, 'एक्सप्लाइटेशन एण्ड एट्रोसिटीज आन द दलित इन इंडिया', क्रानिकल पब्लिकेशन, न्यू देहली, १९९४, पृ. ३४, उद्धृत स्मृति गौरव पूर्वोक्त, पृ. १५५

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 19 अंक 1, जनवरी-जून 2017
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में स्व-सहायता समूह की भूमिका

❑ लक्ष्मी गुप्ता

स्व सहायता समूह का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया है ताकि गरीब लोगों के लिए आसानी से कोष की व्यवस्था की जा सके, जिससे कि वे अपनी गरीबी से निकल सकें मुख्य रूप से इस समूह को बनाने का उद्देश्य महिलाओं मे आर्थिक निर्भरता और उनके निर्णय लेने की क्षमता में विकास करना है। स्व स्हायता समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अथवा महिला सशक्तीकरण में कितने सफल हो रहे हैं। यह जानना अत्यावश्यक है। प्रस्तुत आलेख इसी दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भौतिक संसाधनों की अपेक्षा मानव संसाधन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के क्रम में उदारीकरण, निजीकरण एवं भू-मण्डलीकरण से जहाँ आर्थिक नीतियों में व्यापक बदलाव आए हैं, वहीं सामाजिक वातावरण के स्वरूप, आकृति एवं प्रकृति में भी व्यापक परिवर्तन हुऐ हैं। ऐसी स्थिति में महिला सशक्तीकरण का देश एवं समाज में अनेक कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने वाले एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

स्व-सहायता समूह १०-२० सदस्यों का एक समूह होता है जो कि अपेक्षाकृत समजातीय आर्थिक वर्ग (गरीब) से सम्बन्धित होते हैं और सदस्यों का चुनाव आपसी सहमति और विश्वास के आधार पर किया जाता है। इसमें सभी सदस्य प्रतिदिन एक निश्चित जगह पर और पूर्व निर्धारित समय के अन्तर्गत मिलकर अपनी बचत को एक सार्वजनिक कोष में जमा करते हैं। जहाँ से वे अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण के रूप में ले सके। यह समूह अपने खुद के नियम और अधिनियम बनाता है जिससे कि समूह को बिना किसी पक्षपात के आसानी से चलाया जा सके।

स्व सहायता समूह का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया है ताकि गरीब लोगों के लिए आसानी से कोष की व्यवस्था की जा सके, जिससे कि वे अपनी गरीबी से निकल सकें मुख्य रूप से इस समूह को बनाने का उद्देश्य महिलाओं मे आर्थिक निर्भरता और उनके निर्णय लेने की क्षमता में विकास करना है। समूह अपनी बचतों को ऋण के रूप में निकालने की सुविधा देता है और उसके बदले में सदस्यों से रियायती दर से ब्याज लेता है और बाद में औपचारिक प्रणाली से जोड़ दिया जाता है। ग्रामीण बैंक ऋण का भुगतान उन समूहों को करता है जिसमें कम से कम पाँच महिला सदस्य होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उभर कर आया है जो गरीब सदस्यों खासकर महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर साख की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने मे मदद करता है, उनके घरेलू एवं सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। स्व-सहायता समूह के मुख्य सिद्धांत समूह उपागम, परस्पर विश्वास, छोटे एवं नियंत्रणीय समूहों का संगठन, कम खर्च की भावना, मांग के आधार पर ऋण भुगतान, महिला मैत्री ऋण, और सशक्तीकरण हैं।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासो के अंतर्गत गरीब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सूक्ष्म ऋण देने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष का गठन १९९३ में किया गया। महिलाओं में पोषण और बाल विकास की समस्या के समाधान के लिए पोषण शिक्षा योजना १९९३ से शुरू की गई। इसके साथ ही २००३ से राष्ट्रीय पोषण मिशन भी चलाया जा रहा है। ग्रामीण गरीब महिलाओं हेतु मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देष्य से जननी सुरक्षा योजना २००५ में शुरू की गई। लड़कियों को शिक्षा देने तथा बाल विवाह की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए २००८ में धनलक्ष्मी योजना शुरू की गई। गरीब महिलाओं को पारंपरिक कार्यो में कौशल विकास व नवीन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रशिक्षण व रोजगार सहयोग हेतु कार्यक्रम (स्टेप) २००६ से आरंभ किया गया। ११-१८ वर्ष की किशोरियों को पोषण, सुरक्षा, गृहजीवन व व्यावसायिक कौशल का प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गाँधी किशोरवय युवती सशक्तीकरण योजना २०१० में शुरू की गई। इन सबके अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन भी २०१० में आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों के समन्वय से महिलाओं के अंतरविकास को प्रोत्साहन देना है। २०११ में गरीबी रेखा से नीचे की

❑ शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र)

महिलाओं को प्रसव सुविधा, भोजन रक्त आदि की निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना आरंभ की गई।

पूर्व साहित्य की समीक्षा : बघेल डी. तथा श्रीवास्तव ए. के ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वसहायता समूह की भूमिका को समझने के लिए अध्ययन किया। सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सूचक के आधार पर ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को विश्लेषण किया। प्रश्नावली को आंकड़ों को एकत्र करने के लिए स्थानीय भाषा में तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के तीन ब्लाकों में से २५० स्वसहायता समूह को आदर्श आकार किया गया। अध्ययन ने दर्शाया कि दोनो सामाजिक तथा अर्थिक सूचकों का दुर्ग जिले की ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव दिखा। अध्ययन ने यह बतलाया कि सरकार को महिलाओं के आय जनन करने वाले कार्यो को प्रबल बनाना चाहिए जिससे वे आर्थिक तौर पर विकसित हो सकें।[२]

बरमन वी तथा भट्टाचार्य ए. ने असम के कामरूप जिले के कुछ स्वसहायता समूहों के अध्ययन के आधार पर समूहों का असम के ग्रामीण विकास पर प्रभाव को समझाने का प्रयत्न किया। इस अध्ययन का उदेश्य महिला सदस्यो की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना है, स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के घरेलू तथा समुदाय में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में स्व सहायता समूह का प्रभाव का मूल्यांकन तथा सदस्य महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्व सहायता समूह को प्रभावी प्रयासो के लिए उपयुक्त उपाय बताना।[३]

आर.एल विनोदिनी तथा पी. वैजयन्ती के अनुसार स्व सहायता समूह के मुख्य उदेश्यों में गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण ग्रामीण महिलाओं तथा गरीबों में नेतृत्व क्षमता का विकास, ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत, महिलाओं की आर्थिक जिम्मेदारी की अभिप्रेरणा है। स्व सहायता समूह के भारत में वर्तमान आंकड़ों में रोचक सकारात्मक परिवर्तन देखे गये हैं। २०१३-१४ तथा २०१४-१५ में बैंको के साथ स्व सहायता समूह में ५.२७ प्रतिशत तथा ६.३८ प्रतिशत के साथ २२.६६ करोड़ तथा १५ करोड़ की वृद्धि हुई है। इन अवधि में वितरित बैंक लोन में ११.२ प्रतिशत तथा २५.६६ प्रतिशत के साथ १७.८३ करोड़ तथा १६.०७ करोड़ की वृध्दि देखी गयी। इस सकारात्मक परिवर्तन को आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है।[४]

अध्ययन का उद्देश्य :- ग्रामीण महिला सशक्तीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति का अध्ययन।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पहलुओं की विवेचना पर आधारित है। अध्ययन का न्यादर्श स्तरीकृत एवं सविचार निदर्शन प्रणाली पर आधारित है जिससे समष्टि का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। इसके लिए निम्नलिखित विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

१. प्रलेखी विश्लेषण – शोध पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे स्व - सहायता समूह की संख्या, उनका क्रियान्वयन एवं विकास, विकास की नीतियाँ, रणनीतियाँ, ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनकी समस्याएँ एवं विकास की संभावनाएँ तथा सरकार का दायित्व इत्यादि ज्ञात करने के लिए प्रलेख अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

२. गणनात्मक अध्ययन विधि – शोध में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में स्व - सहायता की भूमिका के अन्तर्गत महिलाओं की प्रमुख समस्याएँ, स्वं- सहायता समूह के संचालन से संम्बंधित कठिनाइयाँ, सरकार का योगदान एवं प्रयास, आत्मनिर्भरता की संभावनाएँ, उनके जीवन स्तर में सुधार आदि के अन्तर्गत गणनात्मक अध्ययन की व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

३. अवलोकन विधि – "ग्रामीण महिलाओ के उत्थान में स्व - सहायता समूह की भूमिका" (विकासखंण्ड सीधी जिला सीधी) से संम्बंधित तथ्यों को एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति को अपनाया गया है। अवलोकन के माध्यम से विषय वस्तु के संम्बंध में प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय तथ्य प्राप्त किये गये हैं। शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क करके महत्वपूर्ण आंकड़ों को संकलित किया गया है।

साक्षात्कार विधि – शोध पत्र को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों के आधीन संचालित स्व - सहायता समूहों में संलग्न ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की गयी है। तथ्य संकलन हेतु अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

स्व-सहायता समूह अन्तर्गत डी० पी० आई० पी० योजना द्वारा महिलाओं के विकास की स्थिति (सन् २००६-२०१५ तक)[५]

पी०एफ०टी० नाम	कुल गॉव	सम्मिलित गॉव	कुल स्व-सहायता समूह	सीड ऋण की संख्या	राशि	जीविका हेतु ऋण	राशि	कुल राशि
चिलरीकला	१६	१६	१६५	१४५	१६८००००	११४	१०६२००००	१२६०००००
पोड़ी	१६	१६	१४५	१२१	१६६६४००	१०६	१०३८८१००	१२०८४५००
अमहा	२५	२५	१५७	१३४	१८६०५००	११८	१०६१३५००	१२८०४०००
पटपरा	३७	३७	२१७	१८१	२५३१०००	१६०	१३४५६५००	१६६६३५००
कुल ०४	**६७**	**६७**	**६८४**	**५८१**	**८०६७६००**	**४६८**	**४५३८११००**	**५४४८२०००**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सीधी विकास खण्ड में महिलाओं के उत्थान हेतु स्व-सहायता समूह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अध्ययन क्षेत्रान्तर्गत कुल ०४ पी०एफ०टी० केन्द्रों के अन्तर्गत कुल ६७ गॉवों में ६८४ स्व -सहायता समूह संचालित हो रहें हैं जिसमें से ५८१ समूहों को सीड ऋण के रूप में ८०६७६०० लाख रूपये ऋण प्रदान किये गयें हैं जबकि इन्हीं में से ४६८ स्व-सहायता समूहों को जीविकोपार्जन हेतु ४५३८११०० लाख रूपये ऋण प्रदान किये गयें हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्रान्तर्गत सीधी विकास खण्ड में कुल प्राप्त सहायता राशि ५४४८००० लाख रूपये प्रदान की गयी है।

समस्याएँ : यद्यपि अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले मे ग्रामीण महिलाओं को सशक्तता प्रदान करने में स्व-सहायता समूह महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथापि इनके संचालन के बावजूद ग्रामीण महिलाओं मे जागरुगता, ज्ञान, कौशल एवं आत्मविश्वास की भावना का अपेक्षित विकास दृष्टिगत नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा स्व-सहायता समूह अन्तर्गत संचालित योजनाऍ ग्रामीण महिलाओं तक पूर्ण रुप से क्रियान्वित नही हो पायी है। ग्रामीण महिलाओं मे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत परिवर्तन देखने को नही मिल रहा है महिलाओं मे बचत की भावना एवं समानता का अधिकार दिलाने में स्व-सहायता समूहों को अनेक समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है। शासन का पूर्ण सहयोग ग्रामीण क्षेत्रो तक पहुचाने में भी समस्याऍ उत्पन्न हो रही है।[६]

सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण निम्नलिखित प्रयास किए गए है[७,८]

१. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के द्वारा ३० प्रतिशत महिलाओं के लिए रोजगार आरक्षित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ४७ प्रतिशत महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
२. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं-सहायता समूह बनाने में काफी मदद मिलती है।
३. राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा ७ लाख से अधिक महिलाओं को ५०० करोड रू. से अधिक दिए गए हैं जिससे आय सृजन गतिविधियों में मदद मिली है और इसके द्वारा ऋण प्रदान किया गया है।
४. रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण के लिए ६ लाख से अधिक महिलाओं को नौवी पंचवर्षीय योजना (१९९७-२००२) में व्यवसायों व कौशल शिक्षण का प्रावधान किया गया हैं।
५. सरकार के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारियों में बेटियों को अधिकार दिया गया है।
६. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत सशर्त आर्थिक लाभ गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए प्रायोगिक तौर पर देश भर में चयनित ५२ जिलो में प्रारंभ किया गया है। वर्ष २०१० से संचालित इस योजना में सशर्त लाभार्थी को ४००० रू. प्रदान किए जाते हैं।
७. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि घर का पंजीकरण महिला के नाम पर होगा अथवा पत्नी व पति दोनो के नाम पर भी हो सकता है।
८. पंचायत व शहरी निकायों मे राजनैतिक रूप से ३३ प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आज १५ लाख से अधिक निर्वाचित सदस्य महिलाएं है जो कि समाज का उत्थान कर रही हैं। कुछ राज्यों में पंचायतो के लिए ५० प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं जो राजनीतिक सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण हैं।
९. वर्ष २०१० में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा

चयनित २०० जिलो में योजना प्रारंभ की गई है जिसका उद्‌देश्य है किशोरी बालिकाओं का सर्वांगीण विकास जैसे कि पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल में सशक्त बनाना।

१०. सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल या वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है।

११. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है।

१२. इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ६० वर्ष से उपर की महिला तथा ६५ वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष को २०० से ५०० रू. प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

१३. सरकार के द्वारा महिलाओं सें संबंधित कार्यक्रम के द्वारा सशक्तिकरण की योजनाओं विकास और कल्याण के कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का १ अप्रैल २०११ से मानदेय दुगुना कर दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाडी केन्द्रों की है जिनके द्वारा कुल २८ लाख महिला श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है। इसके साथ ही कुपोषण व महिलाओं से जुडी हुई समस्याओं को दूर करना ही मुख्य कार्य है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा हम सभी के लिए चिंता का मुख्य कारण है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं विशिष्ट रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करना अनिवार्य किया गया है।

१४. सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए पिछले बजट मे महिला स्वसहायता समूहो के विकास कोष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ५०० करोड रू. का प्रावधान किया गया था।

१५. संयुक्त राष्ट्र महिला प्रकोष्ठ में भी भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है।

१६. कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों का ७५ प्रतिशत योगदान है। आधुनिक समय में महिला उद्योग व सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ६३ प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में औपचारिक रूप से कार्य कर रही है।[७, ८]

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की भावीं रणनीतियाँ[९] :-

१. राज्य का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिको, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हो, की राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराएँ।

२. प्रणाली के वर्तमान स्वरूप के कारण भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का कम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देखा जाता है। अतः निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

३. लैंगिक न्याय व समानता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए राजनीतिक दलों को भी दलीय संस्तरण के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए।

४. महिलाओं की आवाज सुनी जाए एवं उनको प्रोत्साहित किया जाए।

५. सार्वजनिक जीवन से संबधित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामांकन हेतु उन्हे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।[९]

"**देश की** खुशहाली व समृद्धि का रास्ता गॉव की गलियों से होकर गुजरता है।" इस तथ्य को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के विकास, खुशहाली व समृद्धि के लिए व्यापक गरीबी, निवारण व बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि, पशुपालन, लधु कुटीर व हथकरघा उद्योगों में महिलाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों को संचालित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन क्षेत्रो में महिलाओं की उत्पादकता कौशल व दक्षता में अभिवृद्धि हो सके। चूंकि महिलाएं अपने कारण नही वरन् सामाजिक व्यवहार के कारण पिछड़ रही हैं। ऐसे में जब तक सामाजिक परिवेश को बदलकर न्यायोचित एवं मानवोचित परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक महिलाओं की उन्नति संभव नही है। आज महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी है कि समाज में परिवर्तन की मानसिकता और जनचेतना विकसित की जाए। साथ ही जरूरत है बेटियों को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की। देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रो की बालिकाओं को पूर्णतः निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। पंचायतों की बैठकों और कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके आरक्षण को तर्कसंगत बनाया जाए। पंचायत स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता और जागरूता की व्यवस्था की जाए। महिला कृषकों को भी अधिकार संपन्न बनाया जाए। महिलाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों को, जिसमें जन धन योजना सम्मिलित है को महिला केन्द्रित बनाया जाए और उसमें महिलाओं की

प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित की जाए।[10]

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि कुछ हद तक महिलाएं अपनी पारम्परिक भूमिका से रुपान्तरण के क्रम में हैं। समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है। आजीविका मिशन में आर्थिक प्रयासों से उपर उठकर महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण प्रयास जारी हैं। जिले में अब तक महिलाओं के लगभग ८०१ ग्राम संगठनों का निर्माण किया गया हैं। इन ग्राम संगठनों में एक ग्राम में गठित सभी समूहों को जोड़ा गया हैं। ग्राम संगठन में शामिल सभी महिलाएं सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों में आगे आकर भाग ले रही हैं तथा नए उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मिशन के अन्तर्गत महिलाओं, समूहों एवं ग्राम संगठन की क्षमतावर्धन हेतु लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से प्रयास जारी हैं। जिले में स्व-सहायता समूह के माध्यम से आए बदलाव को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता हैं।[१ एवं ११]

१. सीधी जिले की लगभग २४३ स्व-सहायता समूह महिलाओं ने संगठित होकर ग्राम को शराबमुक्त बनाने का सफल प्रयास किया हैं। जिसमें सीधी जिले के संगठन की महिलाएं शराबियों के लिये खौफ का पर्याय बन गयी हैं।
२. सीधी जिले के १५ समूह की १८० से अधिक महिलाओं को एक समूह सदस्य महिला ने साक्षर बनाने का सफल अभियान चलाया हैं।
३. सीधी जिले की ४० स्वयं सहायता समूह की ४४५ महिलाएं अपने नियमित गतिविधियों के साथ अनाज समूह का भी संचालन कर रही हैं। इस समूह में प्रति सप्ताह हर महिला एक मुट्ठी अनाज जमा करती है। इसका वितरण आवश्यकता के आधार पर उन परिवारों को किया जाता है, जो आजीविका चलाने में अक्षम हैं।
४. सीधी जिले में गठित २५ स्वयं सहायता समूह में शामिल लगभग ५५० परिवारों की महिलाओं ने स्वयं आगे आकर अपने घरों में शौचालय निर्माण का निर्णय लिया है। संगठन की इस पहल को शासन ने सहयोग प्रदान करते हुए प्रति शौचालय १२००० रू. अनुदान ग्राम संगठन के माध्यम से देने का निर्णय लिया है।
५. सीधी जिले की लगभग ७६५ से अधिक महिलाओं ने एक जुट होकर लगभग १०बोरी बंधान का निर्माण किया हैं, जिसके माध्यम से नाले के आसपास के लगभग २६० परिवार अपने खेत में पानी ले रहे हैं।
६. सीधी जिले के लगभग २० ग्रामों मे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ सरपंचनिर्वाचित हुई हैं।[१ एवं ११]

संदर्भ

१. इन्टरनेट आजीविका मिशन की वेबसाइट www.mp.gov.in/nrlm.gov.in
२. बघेल डी. तथा श्री वास्तव ए. के., 'ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में स्व सहायता समूह की भूमिका : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का अध्ययन', ऐकसेल इंटरनेशनल जरनल आफ मल्टीडिस्पिलनरी मैनेजमेन्ट स्टडीज, वाल्युम– 5 (11)] 2015
३. बरमन पी. तथा भट्टाचार्य ए., 'असम के ग्रामीण विकास में स्व सहायता समूह की भूमिका - कामरूप जिले के चुने हुए स्व सहायता समूह का अध्ययन',' इंटरनेशनल जरनल आफ ह्युमैनिटीज सोशल सांइनृस, वाल्युम – I, २०१५
४. विनोदिनी आर. एल. तथा वैजयन्ती पी., 'ग्रामीण भारत में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण तथा स्व सहायता समूह,' इंडियन जरनल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, वाल्युम ६ (२७), २०१६
५. डी.पी.आई वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट सीधी।
६. अखिलेश .एस., शुक्ल संध्या, 'महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा', गायत्री पब्लिकेशन रीवा, २०१०, पृ. ३२०-३२१
७. वही
८. शाश्वत स्वप्निल, 'महिला विकास', संस्करण २००६, पृ. २५ से २७
९. पयासी शिवानन, 'म.प्र. में महिला सशक्तीकरण के प्रयास', पृ. ६६-६६
१०. गर्गद्ध वीना, 'भारतीय महिलाएं', २०१३, - पृ. ३६-४०
११. 'उद्योग व्यापार पत्रिका', सीधी, वर्ष २०१५

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा **वर्ष 19 अंक 1, जनवरी–जून 2017**
Regd. No. UPHIN/1999/00955 **ISSN 0974-0074**

पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों की भागीदारी एक आनुभविक अध्ययन

❑ **अभिषेक रंजन**

पंचायती राज प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यह व्यवस्था स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करे तथा इसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी हो। इसी उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम २००६ बनाया।[५] इस अधिनियम में आबादी के अनुरूप बिहार में अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत, अनुसूचित जाति को १६ प्रतिशत पिछड़े वर्ग को २० प्रतिशत तथा महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया। इसी के आधार पर बिहार में वर्ष २००६ में चुनाव हुए। प्रस्तुत लेख इन चुनावों में अनूसूचित जातीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पंचायती राज प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यह व्यवस्था स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करे तथा इसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी हो। भारत में प्राचीन काल से ही स्वायत्त पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान थी लेकिन इस व्यवस्था में सबकी भागीदारी नहीं थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से नेताओं ने भी इस व्यवस्था को मजबूत बनाने-पर बल दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का भी यह मानना था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। उन्होंने गाँव को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के गठन तथा उन्हें आवश्यक अधिकार एवं कार्य सौंपने का विचार रखा था। गाँव के संबंध में उनकी योजना ग्रामीण स्वराज्य स्थापित करने की थी।[१] महात्मा गाँधी के इस विचार को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त में पंचायती राज की धारणा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद ४० में कहा गया हैं कि ''राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।''[२]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन तथा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। इन आयोगों में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति आदि उल्लेखनीय हैं। इन समितियों में बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन सबसे महत्वपूर्ण रहा जिसने भारत में पंचायती राज संस्थानों में त्रिस्तरीय ढाँचे की स्थापना की सिफारिश की। लेकिन भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों को पर्याप्त स्वायत्तता देने के लिए ७३वाँ संविधान संशोधन पारित किया। यह संशोधन २३ अप्रैल १६६३ को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाने के बाद कानून बना। इस कानून के द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूचि जोड़ी गई और ग्राम पंचायतों को कुल २६ कार्य सौंप दिये गए। इन कार्यों में कृषि, भूमिसुधार, पशुपालन, शिक्षा, लघु सिंचाई जैसे कार्य शामिल थे। इस संशोधन की एक विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया।[३]

७३वें संविधान संशोधन विधेयक के आलोक में १६६३ में बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया गया[४] जिसमें समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई। साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं को विपुल शक्तियाँ एवं आर्थिक स्वायत्तता प्रदान कर इन्हें सत्ता के विकेन्द्रीकरण का वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया है। २३ अगस्त १६६३ को कुछ जनजाति लोगों को छोड़कर इसे सम्पूर्ण बिहार में विधिवत लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार कुछ गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत तथा बड़े गाँव में एक ही ग्राम पंचायत की स्थापना की जा सकती है। इसके ऊपर पंचायत समिति तथा पंचायती राज प्रणाली की श्रृंखला में सबसे ऊपर जिला परिषद की स्थापना की गई। इस प्रणाली में अनुसूचित जाति तथा जनजाति को उसकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा। महिलाओं को कुल सीटों का एक तिहाई प्रदान किया जायेगा। २००६ के पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम २००६

❑ **शोध अध्येता, इतिहास विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)**

बनाया।[५] इस अधिनियम में आबादी के अनुरूप बिहार में अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत, अनुसूचित जाति को १६ प्रतिशत पिछड़े वर्ग को २० प्रतिशत तथा महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया। इसी के आधार पर बिहार में वर्ष २००६ में चुनाव हुए।

बिहार पंचायती राज अधिनियम २००६ के आधीन सारण जिले (छपरा) में भी चुनाव हुए जिसमें सरकार द्वारा दिये गए आरक्षण के आलोक में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की तथा वे मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला पार्षदों के पद पर निर्वाचित हुए। इस प्रकार पंचायत की राजनीति में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सरकारी निर्णयों के द्वारा निश्चित कर दी गई है। ७३वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनकर आये अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी लेकिन समय, उत्तरदायित्व तथा कुर्सी ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है। विपरीत परिस्थितियों में भी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि एक सक्षम नेता के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। आँकड़ों, तथ्यों तथा सर्वेक्षण से यह बात उभर कर सामने आयी हैं कि इन जातियों के प्रतिनिधि भी राजनीतिक कार्यो के प्रति रूचि रखते हैं तथा ये राजनीति में उच्च स्तर पर पहुँचना भी चाहते हैं। इन प्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें जो आरक्षण दिया गया, उससे उनको चुनाव में अपने-अपने क्षेत्र में बहुत से विकास कार्यों को भी क्रियान्वित कराया। सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि कुछ प्रतिनिधि पहले से ही राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत शोध बिहार के सारण जिले (छपरा) में ग्राम पंचायत में मुखिया पद के लिए निर्वाचित अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की भागीदारी पर आधारित है। छपरा जिले में कुल ३३० ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लिए ४० स्थान सुरक्षित थे। इस ४० स्थानों में १२ स्थान अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित थे। अतः संगणना विधि द्वारा सभी अनुसूचित जाति के निर्वाचन प्रतिनिधियों को अध्ययन की इकाई के रूप में शामिल किया गया। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूचि का निर्माण किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के मुखिया पद के लिए निर्वाचित सदस्यों की राजनीतिक जागरूकता, कार्यो की जानकारी और आगे जाने के लिए उनके विचारों को जानना है।

राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई कारणों से अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि भाग लेने से हिचकते रहे हैं। अतः इस जाति के प्रतिनिधियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे राजनीतिक कार्यो में रूचि रखते हैं?उनके विचारों का उल्लेख सारणी १ में किया गया है।

सारणी १

प्रतिनिधियों की राजनीतिक कार्यो में रूचि

रूचि	संख्या	प्रतिशत
हाँ	३०	७५
नहीं	१०	२५

सारणी १ से यह स्पष्ट हो जाता है कि ७५ प्रतिशत अनुसूचित जाति के निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यो के प्रति रूचि रखते हैं तथा केवल २५ प्रतिशत प्रतिनिधियों की राजनीतिक कार्यो के प्रति रूचि नहीं हैं। इससे यह निष्कर्ष उभरकर सामने आता है कि ज्यादातर प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यो के प्रति रूचि रखते हैं।

सारणी १ से यह स्पष्ट हो जाता है कि ७५ प्रतिशत सदस्यों को राजनीति के प्रति रूचि है। इन मुखियाओं से यह भी जाने का प्रयास किया गया कि क्या निर्वाचित होने के पहले राजनीतिक कार्यो में हिस्सा लेते थे। उनके विचार सारणी २ में प्रस्तुत है :-

सारणी २

निर्वाचित होने से पूर्व राजनीति में भागेदारी

हिस्सा लेना	संख्या	प्रतिशत
हाँ	१२	३०
नहीं	२८	७०

सारणी २ से यह स्पष्ट हो जाता है कि ७० प्रतिशत अनुसूचित जाति के निर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि यह मानते हैं कि वे निर्वाचित होने के पहले राजनीतिक कार्यो में भाग नहीं लेते थे तथा ३० प्रतिशत ने यह माना कि वे राजनीति में भाग लेते थे। उनसे यह भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या उन्हें सरकार द्वारा उनके लिए सीटें आरक्षित किये जाने से चुनाव लड़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। उनके इस संबंध में विचार सारणी ३ में प्रस्तुत हैं -

सारणी ३

आरक्षण मिलने से चुनाव की प्रेरणा

विचार	संख्या	प्रतिशत
हाँ	३५	८७.५
नहीं	०५	१२.५
योग	४०	१००

सारणी ३ से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश (८७.५

प्रतिशत) अनुसूचित जाति के मुखियाओं का यह मानना था कि सरकार द्वारा उन्हें आरक्षण दिये जाने से उन्होंने चुनाव में भागीदारी की थी।

सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जानकारी - अनुसूचित जाति के मुखियाओं से ही भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या उन्हें उन सरकारी योजनाओं की जानकारी है जो लोगों के कल्याण के लिए पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं।

सारणी ४

सरकारी योजनाओं की जानकारी

जानकारी	संख्या	प्रतिशत
हाँ	१०	२५
नहीं	३०	७५
योग	४०	१००

सारणी ४ से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ २५ प्रतिशत अनुसूचित जाति के मुखियों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जानकारी थी तथा अधिकांश (७५ प्रतिशत) ने माना कि उन्हें जानकारी नहीं है।

राजनीति में उच्च स्तर पर पहुँचना- प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करता है, वह उस क्षेत्र में और ऊपर बढ़ने का प्रयास करता है। जब अनुसूचित जाति के मुखियाओं से यह प्रश्न किया गया कि वे सिर्फ मुखिया के पद से ही संतुष्ट है या वे राजनीति में और ऊँचे स्तर पर पहुँचना चाहते हैं।

सारणी ५

ऊंचे स्तर पर पहुंचने की इच्छा

उच्च स्तर पर पहुँचना	संख्या	प्रतिशत
हाँ	३५	८७.५
नहीं	०५	१२.५
योग	४०	१००

सारणी ५ से यह स्पष्ट होता है कि ८७.५ प्रतिशत अनुसूचित जाति के मुखिया यह मानते थे कि उन्हें राजनीति में उच्च शिखर पर पहुँचना है। सिर्फ १२.५ प्रतिशत ही अपनी स्थिति से संतुष्ट थे ।

अनुसूचित जाति की महिला मुखिया की स्वतंत्रता सरकार ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण दिया हैं। अतः कुल १२ अनुसूचित जाति की महिलायें विभिन्न पंचायतों में मुखिया पद पर निर्वाचित हुई। इनसे मुख्य रूप से तीन प्रश्न साक्षत्कार के दौरान पूछे गए -

१. क्या मुखिया पद पर निर्वाचित होने के बाद वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है ?

२. क्या उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी है ?

३. क्या वे राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है ?

सारणी ६

महिला प्रतिनिधियों के विचार

विचार	हां	नहीं	प्रतिशत
स्वतंत्रत रूप से निर्णय	२	१०	१२
	(१६.६६)	(८३.३३)	(१००)
योजनाओं की जानकारी	१	११	१२
	(८.३३)	(९१.६६)	(१००)
राजनीति में आगे बढ़ना	७	५	१२
	(५८.३३)	(४१.६६)	(१००)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (८३.३३ प्रतिशत) महिलायें स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती है तथा (९१.६६ प्रतिशत) को राजनीतिक योजनाओं के बारे में भी जानकारी नहीं है, फिर भी ५८ प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिला मुखिया राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं।

उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जाति के मुखिया राजनीतिक कार्यों के प्रति रूचि रखते हैं तथा राजनीति में वे आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होने यह भी स्वीकार किया सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण उन्हें दिया गया, उसके कारण ही वे पंचायत चुनाव में भाग ले सके दूसरी और महिला मुखियाओं का यह मानना था कि उन्हें दूसरों की सहायता से ही अपने कार्यों का संचालन करना पड़ता हैं। उन्होंने यह भी माना कि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हैं, पर वे राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं।

सन्दर्भ

१. महिपाल, 'पंचायती राज : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ', नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, २००४, पृ० १२।

२. बसु, दुर्गादास, 'भारत का संविधान-एक परिचय', प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, १९९८, पृ० २७।

३. पंचायत प्रशिक्षण पुस्तिका-१, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना, १९९३, पृ० १३-१४।

४. बिहार पंचायती राज अधिनियम १९९३, बिहार सरकार।

५. बिहार पंचायती राज अधिनियम २००६, बिहार सरकार।

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक	: भारत के चार धाम (हिन्दू आस्था के अलौकिक केन्द्र)
लेखक	: प्रोफेसर श्यामधर सिंह प्राकृतन आचार्य समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रकाशक	: सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी
प्रकाशन वर्ष	: २०१७
मूल्य	: रू. २००
पृ. सं.	: २५०

आचार्य शंकर ने हिन्दू धर्म में अनेक आवश्यक एवं निर्माणकारी सुधार किये और उसे सम्पुष्ट नींव पर पुनः स्थापित भी किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को भौगोलिक सीमाओं में विभक्त करके आर्य संस्कृति का कीर्तिध्वज भारत की चारों दिशाओं में चतुण्टधाम रूपी धार्मिक गढ़ों में बखूबी फहराया है, जिनका प्रमुख उद्देश्य है वेदान्त का प्रचार-प्रसार करना। उनकी चारों दिशाओं की यह यात्रा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में एक मानक है तथा धार्मिक चेतना की जागृति का एक जीता-जागता स्त्रोत भी है। उनका चिन्तन एवं दृढ़ कृतसंकल्प इतना विश्वसनीय एवं अद्भुत था कि इच्छा की परिणति स्वरूप उन्होंने स्वयं अपने लिए नहीं अपितु आने वाले युगों तक देश की प्रतिरक्षा को भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का स्वरूप देकर निरन्तर अपनी सांस्कृतिक सीमाओं के सुधार एवं संवर्द्धन हेतु एक सशक्त प्रणाली क्रियान्वित कर दी। जिस प्रकार एक कट्टर मुसलमान पश्चिमोमुखी होकर मक्का की ओर देखता है वैसे ही प्रत्येक हिन्दू अपने सनातन धर्म चतुर्धाम ज्योतिर्मान श्री बद्रीनाथ, रामेश्वरम्, द्वारका एवं जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा कर स्व जीवन को धन्य समझता है। इस तीर्थयात्रा की प्रक्रिया स्वरूप कश्मीर का पंडित जगन्नाथपुरी तथा गंगासागर एवं गंगासागर प्रदेश के यात्री रामेश्वरम और चिकमंगलूर का यात्री केदारनाथ एवं अमरनाथ तथा कश्मीर का यात्री महादेव के रामेश्वरम् दर्शन हेतु पहुंचते हैं। एक अदृश्य, अलौकिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में यात्री स्वतः ही खिंचता चला आता है। स्पष्ट है कि आदि शंकराचार्य की कितनी प्रखर दूरदर्शिता थी। चारों दिशाओं की एक समान धार्मिक भावना दार्शनिक चिन्तनधारा की अनुषंगिक उपलब्धियाँ हैं।

प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रथम अध्याय तीर्थ चिन्तन में देवत्व की भावनाः तीर्थों का दैवीकरण में विषय की स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा गया है लेकिन विद्वान लेखक ने तीर्थ का फल किसे मिलता है, इसका विवेचन नहीं किया है। इस पर भी शास्त्रीय विचारधारा प्राप्त होती है कि जो सन्तुष्ट रहे, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समान व्यवहार करे, सत्यव्रती हो, आशक्ति से मुक्त हो तथा अहंकारी न हो, सभी प्राणियों में समान आत्मा का अनुभव करता हो, उसे ही तीर्थ का फल मिलता है। यह अध्याय पुस्तक की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। अध्याय दो, तीन, चार एवं पांच भारत के दिव्य एवं अलौकिक तीर्थों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के साथ-साथ आस्था एवं विश्वास को उजागर करते हैं। षष्ठ अध्याय चारों धाम तीर्थः तत्वमीमांसक निर्वचन प्रस्तुत विषय के गाम्भीर्य को सम्बल प्रदान करता है। यदि यह अध्याय पुस्तक में नहीं होता तो यह प्रबन्ध मात्र तीर्थों का तथा उनसे सम्बद्ध स्थलों का सूचनामात्र बन जाता, जिसे हम यत्र-तत्र सर्वत्र प्राप्त कर सकते थे तथा पर्यटकों के लिए सूचना प्रसारण तक ही सीमित रह जाता।

स्पष्ट है कि वर्तमानकाल के इतिहास में केवल मात्र लोकनायक, अतिविशिष्ट व्यक्ति एवं राजपुरूष ही अध्ययन की विषयवस्तु नहीं रह गये हैं। अब सामान्य जन का जीवन भी लेखन तथा विचार विमर्श के मुद्दे बन गये हैं। इस श्रेणी में प्रोफेसर श्यामधर सिंह ने हमारे राष्ट्रीय एवं पौराणिक स्तर के विशिष्ट एवं प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को लेखबद्ध करके उनके महत्व को स्व-पुस्तक में उजागर करने का प्रयास किया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध की भाषा विद्वज्जड है। लेख में कथन की रोचक शैली होने के कारण न केवल यह सहजता से विचारों को स्पष्ट करते हैं बल्कि पाठकों की विचारधारा को जाग्रत करके किसी एक दिशा में गतिमान भी बना देते हैं। यही कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक सामान्यजनों से लेकर दार्शनिक एवं सामाजिक मनीषियों तक अधिकतम संख्या को उपयुक्त सिद्ध होगी। समाजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र की संस्थात्मक मर्यादा के बन्धन से मुक्त करके मानवीय जीवन के व्यवहारिक पक्ष यथा आस्था, विश्वास, धर्म एवं तर्क इत्यादि में उभरने वाली जिज्ञासुओं को शांत करने के लिए लेखक का यह अभूतपूर्व प्रयास अवश्यमेव स्पृहणीय है।

समीक्षक

प्रोफेसर विभा मुकेश
अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध पुरस्कार

डॉ. राकेश कुमार की स्मृति को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए **'समाज विज्ञान विकास संस्थान', बरेली** ने यह निर्णय लिया था कि शोध अध्येताओं को अच्छे शोध-लेख लिखने के लिए प्रेरित करने हेतु शोध पत्रिका **''राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा''** में शोध अध्येताओं द्वारा लिखे गये वर्ष के दोनों अंकों के शोध पत्रों को विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकित कराकर सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र लिखने वाले शोध अध्येता को **'डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध प्रशस्ति पत्र'** तथा रु. 2100/- मूल्य की शोध सहायक पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप संस्थान द्वारा प्रदान की जायेंगी।

संस्थान के इस निर्णय के क्रम में वर्ष 2016 के दोनों अंकों में शोध अध्येताओं द्वारा लिखे गये शोध पत्रों का विद्वानों द्वारा मूल्यांकन कराकर वर्ष 2016 के सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र लिखने वाले शोध अध्येता की घोषणा की जाती है।

सुश्री पिंकी कुमारी, शोध अध्येत्री इतिहास विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा) को उनके शोध पत्र 'उत्तर भारत में आन्तरिक व्यापारिक केन्द्र एवं मार्ग : एक अध्ययन' को 2016 का डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र तथा रु. 2100/- मूल्य की पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

संस्थान के इस कार्य में प्रोफेसर हितेन्द्र कुमार पटेल, अध्यक्ष इतिहास विभाग, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता (बंगाल), प्रोफेसर ए.आर.एन. श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त अध्यक्ष मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.) तथा प्रोफेसर सी.एल. शर्मा, सेवा निवृत्त प्रोफेसर समाजशास्त्र, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) ने सराहनीय सहायता की है। संस्थान इन विद्वानों का विशेष रूप से आभारी है।

डॉ. जे.एस. राठौर

सचिव

समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली

पत्रिका के सदस्यों की सूची

(गतांक से आगे)

७६७. श्रीमती दीक्षा भट्ट, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, एम.बी. (पी.जी.) कालेज, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)
७६८. सुश्री साधना पाण्डेय, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, बी.एच.यू., वाराणसी (उ.प्र.)
७६९. सुश्री मनोरमा विश्वकर्मा, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, बी.एच.यू., वाराणसी (उ.प्र.)
७७०. सुश्री अभिनव अर्चना, शोध अध्येत्री इतिहास, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)
७७१. श्री गोबिन्द लाल, शोध अध्येता समाजशास्त्र, एस.एस. जे. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
७७२. डॉ. नीलम टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, जी.एफ. कालेज, शाहजहांपुर (उ.प्र.)
७७३. डॉ. सुधा झा, असोशिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, खालसा गर्ल्स डिग्री कालेज, कानपुर (उ.प्र.)
७७४. डॉ. अनुराधा वर्मा, अध्यक्ष समाजशास्त्र, एस.जी.आर.आर. (पी.जी.) कालेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)
७७५. डॉ. हेमलता मसीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, बी.एम.आर. महिला महाविद्यालय, गामदेवी, मुम्बई (महाराष्ट्र)
७७६. डॉ. मीनाक्षी आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिविज्ञान विभाग, एस.एस.जे. परिसर कुमाऊँ वि.वि., अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
७७७. डॉ. अमिताभ भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एम.पी.जी. कालेज, मसूरी (उत्तराखण्ड)
७७८. सुश्री कमला देवी, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर कालेज, रूद्रपुर (उत्तराखण्ड)
७७९. सुश्री नितिका पंत, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)
७८०. डॉ. बलवीर सिंह, प्रवक्ता भूगोल, चौ. सूरज सिंह पी.जी. कालेज, जागरी, मैनपुरी (उ.प्र.)
७८१. डॉ. कौशलेन्द्र कुमार, प्रवक्ता भूगोल, सिद्धांतराज महाविद्यालय, जौतपुर कलां, आगरा (उ.प्र.)
७८२. श्री दीपक चंद्र, शोध अध्येता समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)
७८३. डॉ. नरेन्द्र त्रिपाठी, प्रवक्ता समाजशास्त्र, उदित नरायण पी.जी. कालेज, पडरौना, कुशीनगर (उ.प्र.)
७८४. डॉ. अवधेश सिंह निरंजन, समाजशास्त्र, श्री अग्रसेन कला एवं वाणिज्य पी.जी. कालेज, मऊरानीपुर, झांसी (उ.प्र.)
७८५. डॉ. दीपक गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर अपराधशास्त्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
७८६. डॉ. मीनू राजवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डिग्री कालेज, अकबरपुर, कानपुर देहात (उ.प्र.)
७८७. डॉ. रेणु गुप्ता, सर्वोदय नगर बांदा (उ.प्र.)
७८८. श्रीमती सरोज कुमारी, शोध अध्येत्री इतिहास, डॉ. शकुन्तला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
७८९. डॉ. कमलेश वर्मा, जिला प्रोग्राम कोआर्डीनेटर, मैटरनिटी बैनीफिट प्रोग्राम, महिला एवं बाल विकास विभाग, बस्तर (छत्तीसगढ़)
७९०. सुश्री प्रियंका लोदवाल, शोध अध्येत्री अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
७९१. श्री राम सिंह उईके, शोध अध्येता समाजशास्त्र, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
७९२. डॉ. बबिता महावर, पी.डी.एफ., आई.सी.एस.एस.आर., समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)
७९३. डॉ. लोकेश जैन, कन्वर्जेन्स विशेषज्ञ, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (राजस्थान)
७९४. सुश्री श्वेता लोहानी, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
७९५. श्री अभिषेक रंजन, शोध अध्येता राजनीति विज्ञान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)
७९६. डॉ. स्नेहलता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, सर्वोदय किसान पी.जी. कालेज, कौरीराम, गोरखपुर (उ.प्र.)
७९७. श्री अनिल कुमार, शोध अध्येता समाजशास्त्र, एम.डी. यूनीवर्सिटी, रोहतक (हरियाणा)
७९८. सुश्री शीतल देवी, शोध अध्येत्री इतिहास, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत (हरियाणा)
७९९. डॉ. राजीव कुमार, मोहुद्दीनपुर, लखीमपुर (उ.प्र.)

इस अंक में

१. **महिला सशक्तीकरण : उज्जवल भविष्य, काले धब्बे** १
प्रोफेसर ए.आर.एन. श्रीवास्तव

२. **कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर वैवाहिक स्थिति एवं स्थानीयता का प्रभाव** १०
डॉ. दीपा वर्मा

३. **वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) नये आर्थिक युग का प्रारम्भ** १३
डॉ. नीरज राठौर

४. **वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला उत्पीड़न : कारण और निवारण** १८
डा० ज़किया रफत

५. **भारत में उपभोक्ता व्यवहार पर वैश्विक कारकों का प्रभाव** २१
प्रियंका लोदवाल

६. **स्लमवासियों की आवासीय दशाएं एवं संरचनात्मक सुविधाएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** २७
डॉ. लोकेश जैन

७. **आधुनिक कृषि एवं आदिवासी किसान - एक विश्लेषण** ३६
जितेन्द्र कुमार रामटेके

८. **ब्रिटिश गढ़वाल में प्रचलित विवाह पद्धतियों का एक ऐतिहासिक अध्ययन** ४२
सम्पत्ति नेगी

९. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** ४८
डा० गजवीर सिहं

१०. **भारत में महिला सशक्तीकरण - संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विशेष संदर्भ में** ५३
श्वेता लोहानी

११. **कलियुग एवं स्त्री : पुराणों का एक अध्ययन** ५८
अभिनव अर्चना

१२. **प्राचीन भारत की पारिस्थितिकी में जल, मृदा और वन क्षेत्र संरक्षण - इतिहास के आईने में** ६४
डा० नन्दन कुमार एवं दीपक कुमार

१३. **तकनीकी शिक्षा में बालिका सहभागिता : एक विश्लेषण** ७१
डा० बी०सी० शाह एवं डा० गीता रावत शाह

१४. **सोरोकिन : एक लम्बी समाजशास्त्रीय यात्रा** ७५
डॉ. अशोक कुमार सिंह

१५. **हरियाणा में एड्स संक्रमण की संभावित रोकथाम में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण** ८०
अनिल कुमार एवं प्रोफेसर जितेन्द्र प्रसाद

१६. **कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक-सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन** ८५
प्रोफेसर इला साह एवं गोविन्द लाल

१७. **स्वच्छ भारत अभियान : एक परिदृश्य, बरेली जनपद** ८९
डॉ. प्रीति सक्सेना एवं डॉ. अनीता देवी

१८. **ग्रामीण समाज में जनसंचार साधनों का बढ़ता उपयोग** ९४
डॉ० अनीता सिंह

१९. **टेलीविजन एवं मीडिया द्वारा नकारात्मक विचारों के प्रसारण-प्रस्तुतीकरण की एक परिणति : समाज में व्याप्त आपराधिकता** ९८
डॉ. दीपक गुप्ता एवं डॉ. विवेक मेहता

२०. **मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशनः क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ** १०३
डॉ. अशोक सिंह भदौरिया

२१. **संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव** १०८
कमलेश वर्मा
२२. **ग्रामीण महिला - शिक्षा एवं आधुनिकीकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** १११
दीपक चन्द्र
२३. **भू-उपयोग प्रतिरूप एवं कृषि विकास का एक भौगोलिक अध्ययन** ११६
डॉ. संजीव कुमार
२४. **नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं परिणाम : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** १२०
डॉ. साधना पाण्डेय
२५. **महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन** १२४
कमला देवी
२६. **कृषि दक्षता प्रकारिकी का भौगोलिक विश्लेषण** १२६
डॉ० बलवीर सिंह एवं डॉ० संजीव कुमार
२७. **पारिस्थितिक तंत्र के प्रति बदलते मानव मूल्य** १३४
डॉ. रन्जू राठौर
२८. **उत्तराखण्ड में महिला सशक्तीकरण की चुनौतियाँ तथा सम्भावनाएँ** १३८
दिग्विजय सिंह पथनी एवं डॉ० रवि जोशी
२९. **बाल न्याय व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण घटकों का कर्त्तव्य निर्वहन वैधानिक विश्लेषण** १४५
डॉ. बबीता महावर
३०. **सिंचाई के साधनों का गत्यात्मक प्रतिरूप-एक भौगोलिक अध्ययन** १४६
डॉ. कौशलेन्द्र कुमार
३१. **बदायूँनी : एक इतिहासकार के रूप में** १५४
मन्जू बाला
३२. **महिलाओं की बदलती प्रस्थिति में सामाजिक विधानों की प्रासंगिकता** १५८
डॉ. नरेन्द्र त्रिपाठी
३३. **आर्यन क्षत्री (खत्री) समाज में संगीत में अनुशासन** १६२
डॉ. नीलम टण्डन
३४. **संयुक्त राज्य बिहार एवं बंगाल-१६५६** १६६
साहिदुज्जामन खान
३५. **अहिच्छत्र से प्राप्त मैत्रेय मूर्तियां** १७१
सरोज कुमारी
३६. **आरक्षण के लाभार्थी परिवारों की परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण** १७५
रामसिंग उईके
३७. **ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में स्व-सहायता समूह की भूमिका** १७६
लक्ष्मी गुप्ता
३८. **पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों की भागीदारी : एक आनुभविक अध्ययन** १८४
अभिषेक रंजन
३९. **पुस्तक समीक्षा ''भारत के चार धाम' (हिन्दू आस्था के अलौकिक केन्द्र)** १८७
समीक्षक - प्रोफेसर विभा मुकेश
४०. **डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध पुरस्कार** १८८